

## विषय सूची

निदेशक और प्रबंधन .....	2
निदेशक मंडल .....	3
नोटिस .....	4
सर्वोच्च प्रबंधक दल .....	5
उप महाप्रबंधक दल .....	6
क्षेत्रीय प्रभारी दल .....	7
अध्यक्ष का वक्तव्य .....	10
निदेशक मंडल की रिपोर्ट .....	14
सर्वोच्च प्रबंधन दल का लेख .....	61
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट .....	130
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां .....	146
अग्नि बीमा राजस्व लेखा .....	152
मरीन बीमा राजस्व लेखा .....	153
विविध बीमा राजस्व लेखा .....	154
लाभ एवं हानि लेखा .....	155
तुलन-पत्र .....	157
अनुसूचियां .....	158
लेखा नीतियां और लेखा टिप्पणियां .....	178
गैर-जीवन विश्लेषात्मक अनुपात .....	224
वित्तीय विवरण पर प्रबंधन की रिपोर्ट .....	232
कैश प्रवाह विवरण .....	239

### दी इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (सब्सिडियरी)

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट .....	242
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां .....	253
तुलन-पत्र .....	255
लाभ एवं हानि लेखा .....	256
कैश प्रवाह विवरण .....	257
अनुसूचियां .....	259
लेखा नीतियां और लेखा टिप्पणियां .....	261

### समेकित वित्तीय विवरण

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट .....	276
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां .....	293
अग्नि, मरीन एवं विविध बीमा राजस्व लेखा .....	299
लाभ एवं हानि लेखा .....	302
तुलन-पत्र .....	304
अनुसूचियां .....	305
लेखा नीतियां और लेखा टिप्पणियां .....	326
कैश प्रवाह विवरण .....	374

## CONTENTS

Directors and Management .....	2
Board of Directors .....	3
Notice .....	4
Top Management Team .....	5
Team of Deputy General Managers .....	6
Team of Regional Incharges .....	7
Chairman's Statement .....	10
Report of the Board of Directors .....	14
Write-ups of the Top Management Team .....	61
Auditors' Report .....	130
Comments of the Comptroller & Auditor General of India .....	146
Fire Insurance Revenue Account .....	152
Marine Insurance Revenue Account .....	153
Miscellaneous Insurance Revenue Account .....	154
Profit & Loss Account .....	155
Balance Sheet .....	157
Schedules .....	158
Accounting Policies and Notes to Accounts .....	178
Non Life Analytical Ratios .....	224
Management Report on Financial Statements .....	232
Cash Flow Statement .....	239

### The Industrial Credit Company Limited (Subsidiary)

Auditors' Report .....	242
Comments of the Comptroller & Auditor General of India .....	253
Balance Sheet .....	255
Profit & Loss Account .....	256
Cash Flow Statement .....	257
Schedules .....	259
Accounting Policies and Notes to Accounts .....	261

### Consolidated Financial Statements

Auditors' Report .....	276
Comments of the Comptroller & Auditor General of India .....	293
Fire, Marine and Misc Insurance Revenue Accounts .....	299
Profit & Loss Account .....	302
Balance Sheet .....	304
Schedules .....	305
Accounting Policies and Notes to Accounts .....	326
Cash Flow Statement .....	374



## निर्देशक और प्रबंधन

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक  
ए वी गिरिजाकुमार

### निदेशक

डॉ एन श्रीनिवास राव  
सुश्री मुदिता मिश्रा  
पंचानन नायक  
असीम चावला  
मुकेश कुमार जैन  
बलवंत सिंह

### महाप्रबंधक

बलवंत सिंह  
अतुल सहाय  
अतुल जेरथ  
सुष्मिता मुखर्जी  
अजीत कुमार  
अनिल श्रीवास्तव  
सौम्य मुखर्जी

### वित्तीय सलाहकार

अतुल जेरथ

### मुख्य वित्तीय अधिकारी

अजय गुप्ता

### सीवीओ और महाप्रबंधक

एम पी नागपाल

### उप महाप्रबंधक

चक्रधर सिंह  
नीलू दुग्गल  
अखिलेश मिश्रा  
अजय गुप्ता  
नवनीत डोडा  
मीनाक्षी तलवार  
सबिता खन्ना  
डी.के. वैष्णव  
बी.पी. सिंह  
रश्मि वाजपेयी  
आर. आर. सिंह  
गीता सेनथासीलन  
ए के श्रीवास्तव  
ए एस सिसोदिया

### कंपनी सचिव

रश्मि बाजपेयी

### लेखा परीक्षक

मैसर्स एस मान एंड कं.  
मैसर्स एच के चौधरी एंड कं.

### पंजीकृत कार्यालय:

'ओरिएंटल हाउस' ए -25 / 27,  
आसफ अली रोड, नई दिल्ली -110 002  
www.orientalinsurance.org.in  
सीआईएन -U66010DL1947GOI007158

## DIRECTORS AND MANAGEMENT

### Chairman-cum-Managing Director

A. V. Girijakumar

### Directors

Dr. N. Srinivasa Rao  
Ms. Mudita Mishra  
Panchanan Nayak  
Aseem Chawla  
Mukesh Kumar Jain  
Balwant Singh

### General Managers

Balwant Singh  
Atul Sahai  
Atul Jerath  
Sushmita Mukherjee  
Ajit Kumar  
Anil Srivastava  
Soumya Mukherjee

### Financial Advisor

Atul Jerath

### Chief Financial Officer

Ajay Gupta

### CVO & General Manager

M.P. Nagpal

### Deputy General Managers

Chakradhar Singh  
Neelu Duggal  
Akhilesh Mishra  
Ajay Gupta  
Navneet Doda  
Meenakshi Talwar  
Sabita Khanna  
D.K. Vaishnav  
B.P. Singh  
Rashmi Vajpai  
Geetha Santhaseelan  
A.S. Sisodia  
A. K. Srivastava  
R. R. Singh

### Company Secretary

Rashmi Bajpai

### Auditors

M/s. S. Mann & Co.  
M/s. H. K. Chaudhry & Co.

### Registered Office:

'Oriental House' A-25/27,  
Asaf Ali Road, New Delhi -110 002  
www.orientalinsurance.org.in  
CIN - U66010DL1947GOI007158





## निदेशक मंडल BOARD OF DIRECTORS



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
ए वी गिरिजाकुमार  
**A.V. Girijakumar**  
Chairman-cum Managing Director



मुकेश कुमार जैन  
निदेशक  
**Mukesh Kumar Jain**  
Director



डॉ एन. श्रीनिवास राव  
निदेशक  
**Dr. N. Srinivasa Rao**  
Director



सुश्री मुदिता मिश्रा  
निदेशक  
**Ms. Mudita Mishra**  
Director



पंचानन नायक  
निदेशक  
**Panchanan Nayak**  
Director



असीम चावला  
निदेशक  
**Aseem Chawla**  
Director



बलवंत सिंह  
निदेशक  
**Balwant Singh**  
Director





दि ओरिएंटल इश्योरेंस  
कंपनी लिमिटेड  
मुख्यालय, नई दिल्ली

**नोटिस**

नोटिस दिया जाता है कि 'दि ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड' की 70वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार, 30 जुलाई, 2018 को सांय 4.30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 'ओरिएंटल हाउस', ए-25/27, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110 002 में निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगी:

**सामान्य कार्य**

1. निदेशकों की रिपोर्ट, दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए संपरीक्षित वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को प्राप्त करना, उस पर विचार करना तथा उसे अपनाना।
2. वर्ष 2018-19 के लिए सीएजी द्वारा नियुक्त किए जाने वाले लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत करना।

**बोर्ड के आदेश से**

हस्ता / -

(रश्मि बाजपेयी)

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 26 जुलाई, 2018

कंपनी सचिव

एफसीएस: 8799

**टिप्पणियां**

1. उपस्थिति होने और वोट करने के लिए हकदार सदस्य स्वयं के बजाय उपस्थिति होने और वोट करने के लिए एक प्राकसी नियुक्त करने का हकदार है। प्राकसी के लिए कंपनी का सदस्य नहीं होना चाहिए।
2. प्राकसी को कंपनी के रजिस्ट्र कार्यालय में मीटिंग के शुरु होने के 48 घंटों से पहले जमा कर देना चाहिए।
3. इस बैठक को एक छोटी सूचना पर बुलाया गया

THE ORIENTAL INSURANCE  
COMPANY LIMITED HEAD  
OFFICE, NEW DELHI

**NOTICE**

Notice is hereby given that 70th Annual General Meeting of The Oriental Insurance Company Limited will be held at the Registered Office of the Company, at 'Oriental House', A-25/27, Asaf Ali Road, New Delhi-110 002 on **Monday, the 30<sup>th</sup> July 2018 at 4.30 p.m.** to transact the following business:

**ORDINARY BUSINESS**

1. To receive, consider and adopt the Directors' Report, the Audited Financial Statements for the year ended 31.3.2018 and Auditors' Report thereon.
2. To authorise the Board of Directors to fix the remuneration of Auditors, to be appointed by the CAG, for the year 2018-19

By Order of the Board

Sd/-

PLACE: New Delhi

(RASHMI BAJPAI)

DATE: 26<sup>th</sup> July 2018

COMPANY SECRETARY

FCS: 8799

**NOTES:**

1. A Member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself. A proxy need not be a member of the Company.
2. The proxy should be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the commencement of the Meeting.
3. This meeting is called at a shorter notice.





## सर्वोच्च प्रबंधन दल TOP MANAGEMENT TEAM



ए.वी. गिरिजाकुमार  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
A.V. Girijakumar  
Chairman-cum-Managing Director



बलवंत सिंह  
निदेशक  
Balwant Singh  
Director



अतुल सहाय  
महाप्रबंधक  
Atul Sahai  
General Manager



अतुल जेरथ  
महाप्रबंधक  
Atul Jerath  
General Manager



सुस्मिता मुखर्जी  
महाप्रबंधक  
Susmita Mukherjee  
General Manager



अजित कुमार  
महाप्रबंधक  
Ajit Kumar  
General Manager



अनिल श्रीवास्तव  
महाप्रबंधक  
Anil Srivastava  
General Manager



सौम्य मुखर्जी  
महाप्रबंधक  
Soumya Mukherjee  
General Manager



एम.पी. नागपाल  
महाप्रबंधक एवं सीवीओ  
M.P. Nagpal  
General Manager & CVO



रश्मि वाजपेयी  
कंपनी सचिव  
Rashmi Bajpai  
Company Secretary







## प्रधान कार्यालय में उप महाप्रबंधक दल TEAM OF DEPUTY GENERAL MANAGERS AT HEAD OFFICE



चक्रधर सिंह  
Chakradhar Singh



नीलू दुग्गल  
Neelu Duggal



अखिलेश मिश्रा  
Akhilesh Mishra



अजय गुप्ता  
Ajay Gupta



नवनीत डोडा  
Navneet Doda



मीनाक्षी तलवार  
Meenakshi Talwar



सबिता खन्ना  
Sabita Khanna



डी.के. वैष्णव  
D.K. Vaishnav



बी पी सिंह  
B.P. Singh



रश्मि वाजपेयी  
Rashmi Bajpai



गीथा सैन्थासीलन  
Geetha Santhaseedan



ए एस सिसोदिया  
A.S. Sisodia



ए के श्रीवास्तव  
A. K. Srivastava



आर.आर. सिंह  
R.R. Singh





## क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी TEAM OF REGIONAL INCHARGES



**एम. के. मित्रल**  
उ.म.प्र.(प्र.) एमआरओ-1  
**M.K. Mittal**  
DGM I/C MRO-I



**एम. डी. नीलेकणि**  
उ.म.प्र.(प्र.) एमआरओ-2  
**M. D. Nilekani**  
DGM I/C MRO-II



**चैतन राउत**  
मु.क्षे.प्र. एमआरओ-3  
**Chaitan Rout**  
CRM MRO-III



**अशोक जैन**  
क्षे.प्र.(प्र.) अहमदाबाद  
**Ashok Jain**  
RM I/C-Ahmedabad



**दिनेश जादव**  
मु.क्षे.प्र. वडोदरा  
**Dinesh Jadav**  
CRM - Vadodara



**वी रघुरमन**  
उ.म.प्र.(प्र.) पुणे  
**V. Raghuraman**  
DGM I/C - Pune



**एम पी वर्मा**  
उ.म.प्र.(प्र.) इन्दौर  
**M.P. Verma**  
DGM I/C - Indore



**आर रामामूर्थी**  
उ.म.प्र.(प्र.) चेन्नई  
**R. Ramamoorthy**  
DGM I/C - Chennai



**पंकज खन्ना**  
उ.म.प्र.(प्र.) हैदराबाद  
**Pankaj Khanna**  
DGM I/C - Hyderabad



**के ज्योतिनाथन**  
उ.म.प्र.(प्र.) बेंगलूरु  
**K. Jothinathan**  
DGM I/C - Bengaluru



**के.एस. जोन**  
मु.क्षे.प्र. कोचीन  
**K. S. John**  
CRM - Cochin



**बी बसुमतारि**  
उ.म.प्र.(प्र.) कोलकाता  
**B. Basumatary**  
DGM I/C - Kolkata





## क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी TEAM OF REGIONAL INCHARGES



आर. के. तलवार  
मु.क्षे.प्र. – पटना  
**R. K. Talwar**  
CRM - Patna



पी. सी. होता  
मु.क्षे.प्र. – भुवनेश्वर  
Chandigarh  
**P. C. Hota**  
CRM - Bhubaneswar



अरूप गोरलोसा  
मु.क्षे.प्र. – गुवाहाटी  
**Arup Gorlosa**  
CRM - Guwahati



राहुल दुग्गल  
उ.म.प्र.(प्र.) एनआरओ-I  
**Rahul Duggal**  
DGM I/C NRO-I



ईश कुमार मुंजाल  
मु.क्षे.प्र. एनआरओ-II  
**Ish Kumar Munjal**  
CRM NRO-II



डी के पंत  
मु.क्षे.प्र. – लखनऊ  
**D. K. Pant**  
CRM - Lucknow



जे. एल. आहुजा  
मु.क्षे.प्र. – चंडीगढ़  
**J L Ahuja**  
CRM - Chandigarh



आरती माथुर  
उ.म.प्र.(प्र.) – अम्बाला  
**Arti Mathur**  
DGM I/C - Ambala



मिलाप चन्द  
मु.क्षे.प्र. – देहरादून  
**Milap Chand**  
CRM - Dehradun







## क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी TEAM OF REGIONAL INCHARGES



**डी. एन. सक्करवाल**  
मु.क्षे.प्र. – जयपुर  
**D. N. Sakkarwal**  
CRM - Jaipur



**बी. सिल्वाइन्यागम**  
मु.क्षे.प्र. – कोयम्बटूर  
**B. Selvanayagam**  
CRM Coimbatore




**ए. आर. जैयस्वार**  
मु.क्षे.प्र. – नागपुर  
**A. R. Jaiswar**  
CRM - Nagpur



**वी. एस. साई पोल्लुरी**  
मु.क्षे.प्र. – विजैग  
**V.S. Sai Polluri**  
CRM - Vizag



**देबाशिश एन्डॉ**  
मु.क्षे.प्र. – रायपुर  
**Debashish Endow**  
RM I/C - Raipur



**पी. एस. मूर्ति**  
मु.क्षे.प्र. – हुबली  
**P. S. Murthy**  
CRM - Hubli



**एम. पेरियासैमी**  
मु.क्षे.प्र., मदुरई  
**M. Periasamy**  
CRM - Madurai



**आर.सी. बिरला**  
मु.क्षे.प्र. सीबीआरओ – दिल्ली  
**R.C. Birla**  
CRM CBRO - Delhi



**ममता प्रसाद**  
क्षे.प्र.(प्र.)-सीबीआरओ – मुंबई  
**Mamta Prashad**  
RM I/C - CBRO - Mumbai



**जोर्ज मैथ्यू**  
मु.क्षे.प्र.-सीबीआरओ – चेन्नई  
**George Mathew**  
CRM - CBRO - Chennai





**ए.वी. गिरिजाकुमार**  
**अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक**  
**A.V. GIRIJAKUMAR**

**CHAIRMAN-CUM-MANAGING DIRECTOR**

**प्रिय शेयरधारको,**

मैं आपकी कम्पनी की 70वीं वार्षिक आम बैठक में आप सबका स्वागत करता हूँ।

**समष्टि आर्थिक विकास – विश्व और भारत**

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, वैश्विक आर्थिक गतिविधि ने अपने समय की एक प्रमुख वसूली देखी है, जो 2010 के बाद से उन्नत और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अच्छी है, हालांकि वित्तीय बाजार में अस्थिरता और संभावित व्यापार युद्धों ने नई चुनौतियों का सामना करना जारी रखा है। 2017 में वैश्विक विकास 3.6% तक पहुंच गया। अमेरिका और यूरोपीय क्षेत्रों में निरंतर बेरोजगारी दर गिर रही है। यूरो मुद्रा मजबूत हुआ है। कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव ने भारत जैसे उभरती अर्थव्यवस्थाओं में अस्थिरता पैदा कर रही है। अमेरिकी मौद्रिक नीति की अनिश्चितता और वैश्विक व्यापार के आसपास की चिंता वित्तीय बाजारों में अशांति पैदा कर रही है।

**Dear Shareholders**

I welcome you all to the 70<sup>th</sup> Annual General Meeting of your Company.

**Macro-Economic Developments – World & India**

During fiscal 2017-18, global economic activity has seen a major synchronous recovery, the best since 2010, both in advanced and emerging market economies though financial market volatility and potential trade wars continued to pose new challenges. Global Growth accelerated to **3.6%** in 2017. US & Euro areas have seen consistently falling unemployment rates. Euro currency strengthened. Crude oil prices have become volatile creating anxieties for the emerging economies like India. Uncertainty of US Monetary Policy and Concerns surrounding global trade are causing turbulence in Financial Markets.





भारत में, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बड़े सुधार किए गए। परिवर्तनकारी माल एवं सेवा कर (जीएसटी) 1 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया। लांग-फेस्टरिंग ट्विन-बैलेंस शीट (टीबीएस) की समस्या को नए आईबीसी – दिवालियापन और दिवालियापन संहिता के माध्यम से संबोधित किया गया और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत करने के लिए एक प्रमुख पुनरावृत्ति पैकेज लागू किया गया है।

भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि वित्तीय वर्ष 2016-17 की 7.1% तुलना में वर्ष 2017-18 में घटकर 6.6% हो गई। निजी खपत में वृद्धि ने सरकारी व्यय को कुल मांग के बराबर समर्थन रखा, जिससे आयात में वृद्धि और निर्यात में गिरावट दर्ज की गई। जीएसटी में क्षणिक प्रभाव जिसका प्रमाण था। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कुल अनाज का उत्पादन अनुमानित 278 मिलियन टन के आसपास 0.9% रहा।

### बीमा और पुनःबीमा की दुनिया

मजबूत आर्थिक विकास के कारण वित्तीय वर्ष 2017-18 में वैश्विक गैर-जीवन बीमा प्रीमियम में 3% की वृद्धि हुई। खासकर वाणिज्यिक बीमा की स्थिति अच्छी रही। बड़ी प्राकृतिक आपदाओं की एक श्रृंखला – तूफान हार्वे, इरमा (आईआरएमए), मारिया, मैक्सिको में भूकंप और कैलिफोर्निया में जंगल की आग ने 95 अरब अमेरिकी डॉलर की सीमा तक बीमा को विशेष हानि पहुंचाया है।

### भारतीय गैर जीवन बीमा बाजार

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, भारतीय गैर-जीवन उद्योग ने 17% की वृद्धि के साथ प्रतिष्ठित रु.150,000 करोड़ की प्रीमियम (विशेषज्ञ बीमाकर्ता शामिल) को पार कर गया। पीएमएफबीवाई (प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना) की शुरुआत के साथ वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान नई बीमा भेदन की गति को बनाए रखा गया है।

एनएचपीएस के माध्यम से आयुष्यमान भारत के तहत आगे बढ़ते हुए, भारत सार्वभौमिक हेल्थकेयर की तरफ बढ़िया कदम उठाएगा और बीमा प्रवेश को गहरा बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।

वित्त वर्ष 2017-18 की शुरुआत में, हमारी कंपनी ने व्यवसाय की गुणवत्ता में सुधार और वित्तीय ताकत को मजबूत करने के लिए जागरूक रूप से प्रतिबद्धता दिखायी। नतीजतन, विकास के लिए हमारे मापक दृष्टिकोण ने हमें 22.5% की बाजार वृद्धि के मुकाबले स्वास्थ्य बीमा व्यापार 8.6% वृद्धि के आसपास रखा, जो मुख्य रूप से घाटा दे रही मुख्यरूप जीपीए और जीएमसी

In India, major reforms were undertaken during F.Y. 17-18. The transformational Goods & Services Tax (GST) was launched on 1<sup>st</sup> July 2017. Long-festering Twin-Balance Sheet (TBS) problem was addressed through the new IBC – Insolvency & Bankruptcy Code and implementing a major recapitalization package to strengthen Public Sector Banks.

India's GDP growth in F.Y. 2017-18 at **6.6%** was lower than **7.1%** in F.Y. 2016-17. Private consumption growth moderated Government expenditure provided sustained support to aggregate demand, which was also marked by a surge in imports and deceleration of Exports. Transient effect of GST was in evidence. Total food grains production for F.Y. 2017-18 was estimated close to **278 million tonnes** up by **0.9 %**.

### World of Insurance & Reinsurance

Global Non-life insurance premium have grown by **3 %** in F.Y. 2017-18 due to stronger economic growth. Underwriting conditions have remained soft, particularly in commercial insurance. A series of large natural catastrophes – Hurricanes Harvey, Irma (IRMA), Maria, Earthquakes in Mexico and wildfires in California have caused significant losses to underwriting to the extent of **USD 95 billion**.

### Indian non-Life Insurance Market

During F.Y. 2017-18, Indian Non-life Industry crossed coveted **Rs. 150,000 crore** premiums (incl. Specialist Insurers) with a growth of **17%**. Insurance penetration has significantly improved during F.Y. 2016-17, with the introduction of **PMFBY** (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna) and the momentum was maintained in F.Y. 2017-18.

Going forward, under **Ayushman Bharat** through **NHPS**, India will be making giant strides towards **Universal Healthcare** and will also significantly contribute to deepening the Insurance penetration.

At the beginning of FY 2017-18, our Company had consciously committed to improve the quality of business and consolidate financial strength. As a result, our measured approach to growth saw us moderating our Health Insurance Business growth to **8.6%** as against Market Growth of **22.5%**, largely due to pruning of loss making GPA & GMC policies. We have grown broadly at par with the market in respect





नीतियों की छटनी के कारण है। हम मोटर व्यापार के संबंध में बाजार के बराबर हैं, जो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है।

कुछ राज्यों और ऐसे अन्य कारकों में अपनाई गई प्रतिधारण प्रक्रियाओं के कारण हमें वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान फसल बीमा के लिए समझौता करना पड़ा। कुल मिलाकर, हमें व्यवसाय में 6% के वृद्धि के साथ संतुष्ट होना पड़ा, हमने 111717 करोड़ रुपये (2016-17) के मुकाबले 171737 करोड़ रुपये का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

शेयरधारकों को याद है कि पिछले वित्तीय वर्ष 2016-17 की वार्षिक आम बैठक के दौरान हमने हमारे प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक के रूप में 'शीघ्र दावा निपटान' पर ध्यान केन्द्रित किया। अवधि के हिसाब से विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, वैसे ही दावों की निगरानी और समीक्षा करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए।

नतीजतन, वर्ष 2017-18 के दौरान मुकदमा और गैर-मुकदमा दावों के तहत 31.03.2018 को बकाया दावों की संख्या में काफी कमी आई है। वर्ष के दौरान कंपनी ने 16,07,000 दावों का निपटारा किया है। दावों के निपटारा के संबंध में मुकदमा दावा 41% तथा गैर-मुकदमा 93% था। इसका दोगुना फायदेमंद प्रभाव निम्नलिखित हैं:

(ए) ग्राहक सेवा में काफी सुधार हुआ है जो हमारी कंपनी को लंबे समय तक अच्छी स्थिति में खड़ा रखता है;

(बी) तकनीकी रिजर्व उचित रूप से मजबूत किया गया है।

शेयरधारकों को यह भी याद होगा कि, हमने पिछले वित्तीय वर्ष 2016-17 में एक सचेत निर्णय लिया था, ताकि किसी भी बकाया राशि के बिना एक बार में सर्वश्रेष्ठ वास्तविक अनुमानों के आधार पर टेक्निकल देयताओं (पॉलिसीधारकों की देयताएं) की पूरी राशि प्रदान की जा सके।

इन और इसी तरह के अन्य योग्यता सुधारों के परिणामस्वरूप, प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग सहित व्यवसाय करने के तरीके में कंपनी ने अपने मूल संचालन में उल्लेखनीय लचीलापन और बदलाव दिखाया है।

1. व्यावहारिक रूप से हर प्रमुख खंड – आग, समुद्री, मोटर ओडी, मोटर टीपी, इंजीनियरिंग, देयता, स्वास्थ्य और अन्य विविध ने वर्ष 2016-17 के दौरान अर्जित प्रीमियम के लिए अर्जित दावा अनुपात में उल्लेखनीय कमी दर्ज की है। वित्तीय वर्ष में जारी पॉलिसी के कारण व्यक्तिगत दुर्घटना श्रेणी एकमात्र अपवाद रहा, जिसे बाद में हमारे

of Motor business, which is the largest portfolio.

During F.Y. 2017-18 in Crop Insurance we had to yield ground due to retendering processes adopted in certain States and such other factors. Overall, we had to be content with growth of business at the rate of 6% and for the Financial Year 2017-18, we have completed a **Gross Direct Premium of Rs.11737 Crores** as against **Rs.11117 Crores (2016-17)**.

Shareholders recall that during the last Annual General Meeting we highlighted “Expeditious Claims Settlement” as one of our Key Focus areas during F.Y. 2017-18. In line with the same a lot of effort went into monitoring and reviewing the claims, keeping in view age-wise analysis.

As a result the number of Claims Outstanding as at 31.03.2018 under Suit and Non-Suit Claims have showed considerable reduction, after taking into consideration large number of Claims Reported during the year 2017-18. Company has settled **16,07,000** claims during the year. Settlement ratio in respect of **Non-Suit claims** was **93% and 41%** in the category of **Suit Claims**. This has two fold beneficial effects:

(a) Customer Service has considerably improved which stands our Company in good stead, in the long term;

(b) Technical Reserves have been suitably strengthened.

Shareholders will also recall that, we took a conscious decision last fiscal (2016-17), to provide for entire amount of Technical Liabilities (Liabilities towards Policyholders) based on the Best Actuarial Estimates, in **ONE GO** without carrying forward any amount.

As a result of these and similar other Qualitative Improvements, in the way of doing business including better use of Technology the Company has shown remarkable resilience and turnaround in its core operations.

1. Practically every major segment – Fire, Marine, Motor OD, Motor TP, Engineering, Liability, Health and other Miscellaneous has recorded significant reduction in the Incurred Claims Ratio to Earned Premium vis-à-vis 2016-17. Personal Accident segment is the lone exception due to a policy issued in F.Y. 2016-17 which has not since been renewed by us.







- द्वारा नवीनीकृत नहीं किया गया।
- बीमा हानि और संयुक्त अनुपात में महत्वपूर्ण चढ़ाई देखी गई है।
  - ओआईसीएल ने अपने सहकर्मी समूह के बीच उच्चतम परिचालन लाभ दर्ज किया है।
  - पूंजी बाजार द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का अच्छा उपयोग करने के लिए हमारी ट्रेजरी परिचालन को तेजी से बढ़ाया गया है।
  - वित्तीय वर्ष 2016-2017 में सोलवेंसी मार्जिन 1.11 से बढ़कर 1.67 हो गया है।
  - ओआईसीएल ने 1510 करोड़ रुपये का अपना उच्चतम शुद्ध लाभ दर्ज किया है।

उपरोक्त के अलावा, संगठन में उच्च मनोबल, बेहतर पारदर्शिता, अच्छे संबंधों और निगम के प्रति निष्ठा ने गहरी साख बनाई है।

विश्व प्रसिद्ध रेटिंग एजेंसी एएम बेस्ट ने बी ++ (बहुत अच्छा) पर हमारी रेटिंग बनाए रखी। हम लगातार क्रिसिल और आईसीआरए द्वारा भी सर्वोच्च रेटिंग को बनाए हुए हैं।

जैसा-जैसे हम 2018-19 की तरफ जा रहे हैं, कंपनी की रणनीति का ध्यान निम्नलिखित बिन्दु पर रहेगा:

- नीतियों की संख्या में 5% की वृद्धि
- संयुक्त अनुपात 110% पर रखा जाना
- व्यवसाय की 20% तक की वृद्धि

हमारी 30.06.2018 (प्रथम तिमाही) तक 17% की वृद्धि (12% की बाजार वृद्धि के मुकाबले) चल रही है।

हम अपने पॉलिसीधारकों का कृतज्ञ हैं जिनकी सेवा में हमने खुद को समर्पित किया है। हम दिल से अपने व्यापार सहयोगियों, एजेंटों और मध्यस्थों का शुक्रिया अदा करते हैं।

हम अपने शेयरधारकों, वित्त मंत्रालय, आईआरडीएआई, निदेशक मंडल के सदस्य, पूर्व अधिकारी सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड का उनके समर्थन, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

हमारे सहयोगियों का हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएं, जिन्होंने अधिकतम हमारा साथ दिया।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक रिपोर्ट आपके विचार के लिए प्रस्तुत है।

- Underwriting Losses and Combined Ratio have seen significant climb down.
- OICL has recorded **highest Operating Profit** among its peer group.
- Treasury Operations have been nimble to make good use of the opportunities provided by the Capital Markets to increase our Earnings.
- Solvency Margin has improved to **1.67** from **1.11** in Financial Year 2016-2017.
- OICL has recorded its **highest ever Net Profit of Rs.1510 Crores.**

Besides the above tangibles, High Morale, Greater degree of Transparency and deep sense of bonding and corporate loyalty permeate the organization.

World renowned rating Agency AM Best maintained our rating at B++ (Very Good). We continue being consistently accorded Highest Rating by CRISIL and ICRA also.

As we go into F.Y. 2018-19, the following shall guide Company's strategic focus:

- Increase in number of Policies by 5%
- Combined Ratio to be capped at 110%
- Growth of Business by 20%

As at 30.06.2018 (1<sup>st</sup> Quarter) we are sailing at **17% growth** (as against market growth of **12%**).

We are beholden to our Policyholders to whom we rededicate ourselves in their service. We whole heartedly thank our business associates, agents and intermediaries.

We express our gratitude to our shareholders, Ministry of Finance, IRDAI, Members of the Board of Directors, Ex-Officio Member, Audit Board for their support, guidance and encouragement.

Our sincere thanks and good wishes to our employees who extended maximum cooperation.

The Annual Report for the Financial Year 2017-18 is placed for your consideration.







दि ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी  
लिमिटेड के  
निदेशक मंडल की रिपोर्ट  
कंपनी अधिनियम, 2013 की  
धारा 134 के तहत

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS OF  
THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY  
LIMITED

UNDER SECTION 134 OF THE COMPANIES  
ACT 2013

सेवा में,

सदस्यगण,

आपके निदेशक 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के व्यापार तथा लेखों के संबंध में सत्तरवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं।

To,

The Members,

Your Directors have pleasure in presenting their Seventieth Annual Report on the business of the Company and the accounts for the Financial Year ended March 31, 2018.

1. कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन

1. Financial Performance of the Company

(₹. लाख में)

(Rs. in lakhs)

	अग्नि Fire		मैरिन Marine		विविध Miscellaneous		कुल Total	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
भारत में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct remium: In India	92300	96636	29374	37105	1023527	946592	1145201	1080333
भारत से बाहर Outside India	7363	7653	2090	2292	19030	21424	28483	31369
कुल सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium Total	99663	104288	31464	39397	1042557	968017	1173684	1111702
निवल प्रीमियम Net Premium	58439	59638	21707	23784	922677	838817	1002823	922239
निवेश से सकल का अनुपात Ratio of Net to Gross	58.64 %	57.18 %	68.99 %	60.37%	88.50%	86.65%	85.44%	82.96%
निवेश की बिक्री पर लाभ (पॉलिसी धारक) Profit on Sale of Investments (Policy Holders')	13999 (23.96%)	8025 (13.46%)	5474 (25.22%)	3354 (14.10%)	162263 (17.58%)	81733 (9.74%)	181736 (18.12%)	93112 (10.09%)
ब्याज/लाभांश/ किराया (पॉलिसी धारक) Int./Div./ Rent (Policy Holders')	9172 (15.70%)	8231 (13.80%)	3586 (16.52%)	3441 (14.47%)	106307 (11.52%)	83836 (9.99%)	119065 (11.87%)	95508 (10.36%)
कमीशन तथा अन्य लाभ (निवल आय (+)/ निवल आउटगो (-) Commission and other income (Net Income(+)/ Net Outgo (-))	-9588 (-16.41%)	-6883 (-11.54%)	-2137 (-9.84%)	-2511 (-10.56%)	-51725 (-5.61%)	-40497 (-4.82%)	-63450 (-6.33%)	-49891 (-5.41%)
एनपीए (प्रावधान (-)/राइट बैक (+)) NPA (Provision (-)/ Write back(+))	72 (0.12%)	33 (0.05%)	28 (0.13%)	14 (0.05%)	829 (0.09%)	333 (0.04%)	929 (0.09%)	380 (0.04%)
शेयर मूल्य में अवनति (-)/रिटर्न बैक (+) in value of shares (-)/ written back (+)	13 (0.02%)	0	5 (0.02%)	0	150 (0.02%)	-2	168 (0.02%)	-2
जीवंत जोखिम रिजर्व में वृद्धि (-)/कटौती (+) Increase (-)/ Decrease (+) in unexpired risks reserve	599 (1.02%)	1401 (2.35%)	1308 (6.03%)	919 (3.86%)	-41930 (-4.54%)	-86232 (-10.28%)	-40023 (-3.99%)	-83912 (-9.09%)





निवल दावे Net Incurred claims	-50957 (-87.20%)	-55543 (-93.13%)	-16091 (-74.13%)	-20996 (-88.28%)	-755074 (-81.84%)	-863270 (-102.92%)	-822122 (-81.98%)	939809 (-101.90%)
प्रबंधन के व्यय Expenses of Management	-20402 (-34.91%)	-25945 (-43.50%)	-2953 (-13.60%)	-4168 (-17.52%)	-237588 (-25.75%)	-245442 (-29.26%)	-260943 (-26.02%)	-275555 (-29.88%)
परिषोधित व्यय Amortization expenses	-192 (-0.32%)	-105 (-0.18%)	-75 (-0.35%)	-44 (-0.18%)	-2226 (-0.24%)	-1067 (-0.12%)	-2493 (-0.25%)	-1216 (-0.15%)
छोड़ा गया निवेश Investment Written off	-105 (-0.18%)	-37 (-0.06%)	-41 (-0.19%)	-16 (-0.06%)	-1219 (-0.13%)	-375 (-0.04%)	-1365 (-0.13%)	-428 (-0.04%)
प्रीमियम की कमी Premium Deficiency	0	0	439 (0.02%)	-439 (-1.85%)	0	0	439 (0.04%)	-439 (-0.04%)
निवल ऑपरेटिंग लाभ/(हानि) Net Operating Profit / (Loss)	1050 (1.80%)	-11185 (-18.75%)	11250 (51.83%)	3338 (14.03%)	102464 (11.10%)	-232166 (-27.67%)	114764 (11.44%)	-240013 (-26.02%)
ब्याज, लाभांश तथा किराया (शेयरधारक) Interest, Dividends & Rent (Shareholders')							12462	23049
निवेश की बिक्री पर लाभ (शेयरधारक) Profit on sale of Investments (Shareholders')							19021	22471
अन्य आय/आउटगो Other Income/ Outgo							-6527	-3842
सीएसआर व्यय CSR Expenditure							-669	-407
कर पूर्व लाभ (+) हानि (-) Prior period Income / Expense							-823	-183
पूर्व के वर्षों के लिए कर का प्रावधान Profit (+) / Loss (-) before Tax							<b>138228</b>	<b>-198925</b>
स्रोत पर काटा गया कर तथा कर का प्रावधान IT deducted at source and Provision for Tax							-24800	0
पूर्व के वर्षों के लिए कर का प्रावधान Provision for Tax for earlier years							37561	29816
कर पश्चात निवल लाभ/हानि Net Profit/ Loss after Tax							<b>150989</b>	<b>-169109</b>
सामान्य आरक्षित/आकस्मिक रिजर्व में अंतरण Transfer to General Reserve / Contingency Reserve							150989	-169109
लाभांश का प्रावधान Provision for Dividend							0	0
कारपोरेट लाभांश कर Corporate Dividend Tax							0	0

- उपरोक्त प्रतिशत निवल प्रीमियम पर है।
- Percentages mentioned above are to Net Premium.

(रु. करोड़ में) (Rs. In Crores)

विभाग Department	सकल प्रीमियम Gross Premium			निवल प्रीमियम Net Premium			व्यय दावा अनुपात Incurred Claim Ratio			
	2017-18	2016-17	Gr %	2017-18	2016-17	Gr %	2017-18 %	2016-17 %	2017-18 %	2016-17 %
					वृद्धि/GROSS		निवल/ NET			
अग्नि Fire	996.62	1042.89	-4.44	584.39	596.38	-2.01	65.69	68.58	87.20	93.13
मरीन कार्गो Marine Cargo	213.07	225.17	-5.38	176.59	191.95	-8.01	53.98	50.88	57.33	65.79
मरीन हल Marine Hull	101.57	168.80	-39.83	40.48	45.88	-11.77	49.46	95.83	147.40	182.38
समुद्र कुल Marine Total	314.64	393.97	-20.14	217.07	237.84	-8.73	52.52	70.14	74.13	88.28
मोटर ओडी Motor OD	1668.49	1561.13	6.88	1582.62	1481.41	6.83	70.78	73.97	71.35	74.65
मोटर टीपी-नॉन पूल Motor TP-Non Pool	2828.26	2368.19	19.43	2680.00	2242.65	19.50	110.15	143.18	68.94	145.54





विभाग Department		सकल प्रीमियम Gross Premium			निवल प्रीमियम Net Premium			व्यय दावा अनुपात Incurred Claim Ratio			
		2017-18	2016-17	Gr %	2017-18	2016-17	Gr %	2017-18	2016-17	2017-	2016-17
								%	%	18%	%
							वृद्धि/GROSS		निवल/ NET		
मोटर टीपी पूल	Motor TP-Pool	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मोटर टीपी डीआरपूल	Motor TP D.R. Pool	0.00	0.00	0.00	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-674.47
मोटर कुल	Motor Total	4496.75	3929.32	14.44	4262.62	3737.91	14.04	90.05	117.60	63.99	116.92
इंजीनियरिंग	Engineering	232.11	291.13	-20.27	202.79	206.21	-1.66	23.28	29.97	20.87	61.80
वर्कमैन कम्प.	Workman Comp.	61.38	70.47	-12.91	58.47	67.03	-12.76	34.96	34.91	34.38	32.21
विमानन	Aviation	88.12	89.80	-1.87	22.63	19.67	15.04	97.35	154.21	136.26	114.98
व्यक्तिगत दुर्घटना	Pers. Accident	559.61	526.90	6.21	502.12	426.45	17.75	146.19	82.62	128.05	56.48
स्वास्थ्य	Health	3608.44	3323.39	8.58	3415.15	3157.33	8.17	105.76	108.96	106.22	108.81
दायित्व	Liability	72.78	70.54	3.17	56.66	55.83	1.49	5.53	34.60	11.12	11.00
अन्य विविध	Other Misc.	1306.38	1378.61	-5.24	706.32	717.76	-1.59	78.76	41.23	64.11	56.87
कुल विविध	Total Misc.	10425.57	9680.16	7.70	9226.77	8388.17	10.00	94.75	98.35	810.84	102.92
कुल	Total	11736.84	11117.02	5.58	10028.23	9222.39	8.74	91.15	94.56	81.98	101.91

## 2. वर्ष के दौरान कंपनी का कार्य व्यापार वृद्धि:

सकल प्रीमियम आय वित्तीय वर्ष 2016-17 में 11117.02 करोड़ रुपए की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बढ़कर 11736.84 करोड़ रुपए हो गई है जिसमें 5.58 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। कंपनी ने नेट प्रीमियम पर 8.74 प्रतिशत की वृद्धि भी हासिल की है। सकल आधार पर स्वास्थ्य एवं मोटर ने क्रमशः 8.58 प्रतिशत और 14.44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।

### पुनर्बीमाकरण संचालन

निवल सकल अनुपात (अवधारण प्रतिशत) गत वित्तीय वर्ष में 82.96 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 85.44 प्रतिशत हो गया है।

### ऑपरेटिंग परिणाम

कंपनी के समग्र ऑपरेटिंग प्रदर्शन में वर्ष 2016-17 के दौरान 2400.13 करोड़ रुपए के घाटे की तुलना में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ऑपरेटिंग लाभ 1147.64 करोड़ रुपए हुआ है। निवल दावे वर्ष 2016-17 के दौरान 101.90 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2017-18 में 81.98 प्रतिशत हो गए हैं।

### प्रबन्धन व्यय

कुल प्रबन्धन व्यय गत वर्ष के दौरान 2821.24 करोड़ रुपए (शुद्ध प्रीमियम का 30.59 प्रतिशत) की तुलना में चालू वर्ष

## 2. Company's working during the year Growth of Business:

The Gross Premium Income increased to Rs. 11736.84 crores during 2017-18 as compared to Rs. 11117.02 crores during 2016-17 thereby recording a positive growth of 5.58%, on gross basis. The Company has also achieved a growth of 8.74% on Net premium. On gross basis Health & Motor registered a growth of 8.58% and 14.44% respectively.

### Reinsurance Operations

The net to gross ratio (retention percentage) increased to 85.44% as compared to 82.96% during the last fiscal year,

### Operating Results

The overall operating performance of the company has resulted in an operating profit of Rs. 1147.64 crores during the year under review as against operating loss of Rs.2400.13 crores during the year 2016-17. The net incurred claims ratio decreased to 81.98 % in 2017-18 from 101.91 % during the year 2016-17.

### Management Expenses

Total Management Expenses for the current year were Rs. 2692.99 crores (Rs. 2609.43 crores debited





के दौरान 2692.99 करोड़ रुपए (शुद्ध प्रीमियम का 26.85 प्रतिशत जिसमें से 2609.43 करोड़ रुपए पॉलिसीधारकों की निधियों के नाम लिखे गए और 83.5 करोड़ रुपए स्वीकार्य सीमा से अधिक होने के कारण शेयरधारकों की निधियों के नाम लिखे गए) था।

### समग्र प्रदर्शन

निवेश की बिक्री से अर्जित लाभ में 851.73 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई और प्रबन्धन के व्यय में 128.25 करोड़ रुपए की कमी आई। इससे ऑपरेटिंग लाभ और निवेश आय दोनों को ध्यान में लेने के पश्चात् गत वर्ष के दौरान 1987.42 करोड़ रुपए के कर पूर्व हानि की तुलना में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 1382.28 करोड़ रुपए का कर पूर्व लाभ हुआ। गत वर्ष के दौरान 1691.10 करोड़ रुपए के कर पश्चात् हानि की तुलना में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 1509.89 करोड़ रुपए का कर पश्चात् लाभ हुआ।

### सोलवेंशी मार्जिन

सोलवेंशी मार्जिन दिनांक 31 मार्च, 2018 के अनुसार 1.67 रहा।

### लाभांश

भुगतान के लिए कोई लाभांश नहीं सुझाया गया।

### आरक्षित

लाभ एवं हानि समायोजन लेखे के अनुसार 1509.23 करोड़ रुपए की कर पश्चात् निवल लाभ तुलना-पत्र में सामान्य आरक्षित लेखे/आकस्मिक आरक्षित लेखे में अन्तर्गत की गई है। गत वर्ष 1334.48 करोड़ रुपए की तुलना में दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि के लिए निवल मूल्य 3156.69 करोड़ रुपए था।

### विदेशों में संचालन

कंपनी ने विदेशों में संचालन से नेपाल, दुबई और कुवैत से गत वर्ष की 313.69 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान 284.83 करोड़ रुपए का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अर्जित किया। गत वर्ष के 312.09 करोड़ रुपए की तुलना में निवल प्रीमियम 262.11 करोड़ रुपए था और विदेशों में संचालन के सम्बन्ध में इस वर्ष के दौरान निवल दावे 208.01 करोड़ रुपए थे तथा निवल दावा अनुपात 79.36 प्रतिशत अंकित किया गया (गत वर्ष 78.36 प्रतिशत पर 246.27

to Policyholder's Fund & Rs. 83.56 crores debited to Shareholder's fund being excess over allowable limits and overall 26.85% of net premium) as against Rs. 2821.24 crores (30.59% of net premium) for the previous year.

### Overall Performance

The profits generated by sale of investments increased by Rs. 851.73 crores and the management expenses decreased by Rs. 128.25 crores. This coupled with underwriting losses resulted in profit before tax of Rs 1382.28 crores during the year under review compared to loss before tax of Rs. 1987.43 crores during the previous year, after taking into account both operating profit and investment income. The profit after tax was Rs. 1509.89 crores during the year under review as compared to loss after tax of Rs. 1691.10 crores during the previous year.

### Solvency Margin:

The solvency margin ratio stood at 1.67 as on 31.3.2018.

### Dividend

No dividend was recommended for payment

### Reserves

The amount of Rs. 1509.23 crores being net profit after tax as per the Profit and Loss Appropriation Account is transferred to General Reserve Account/Contingency Reserve Account in the Balance Sheet. The net worth was Rs. 3156.69 crores for the period ending 31.03.2018 as against Rs.1334.48 crores last year.

### Foreign Operations

The Company's foreign operations in Nepal, Dubai and Kuwait together yielded a Gross Direct Premium of Rs. 284.83 crores during the year 2017-18 as against Rs. 313.69 crores during the previous year. The Net Premium was at Rs. 262.11 crores as against Rs. 312.09 crores last year and the net Incurred Claims during this year in respect of foreign operations were Rs. 208.01 crores with a net Incurred Claims Ratio of 79.36% (Rs. 246.27 crores at 78.90 % for the last year). Our foreign operations had finally resulted in a net surplus of





करोड़ रुपए)। हमारे विदेशों में संचालन से गत वर्ष के दौरान, 42.08 करोड़ रुपए के निवल घाटे की तुलना में इस वर्ष 1.62 करोड़ रुपए का निवल लाभ हुआ।

### कंपनी के कार्यकलापों का विस्तृत प्रतिवेदन

कंपनी के वरिष्ठ प्रबन्धकर्ता एकजीक्यूटिव संचालन के अवस्थापनात्मक क्षेत्रों के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अपना विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं और कॉर्पोरेट गवर्नेंस सम्बन्धी प्रतिवेदन के साथ उनका प्रतिवेदन निदेशकों के प्रतिवेदन के भाग के रूप में संलग्न है।

### 3. वर्ष 2018-19 के लिए योजना

हमने कंपनी के लिए वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 'जुड़वां लक्ष्य' निर्धारित किया है, जिसमें 'व्यापार वृद्धि 20 प्रतिशत और संयुक्त अनुपात 110 प्रतिशत का है। अप्रैल 2018 महीना पूरा होने तक रूपये 1206.15 करोड़ था जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि के दौरान 1014.54 करोड़ रुपये था, इस प्रकार 18.89 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। कंपनी खुदरा प्रसार, निगरानी और प्रबंधन खर्चों को नियंत्रित करने, प्रभावी ढंग से त्वरित दावों के निपटारे और समग्र दावों के प्रबंधन की दिशा में निगरानी के लिए नीतियों की संख्या में वृद्धि जारी रखेगी, इस प्रकार कंपनी पॉलिसीधारकों की सेवा में मजबूती से 70वें वर्ष में पहुंची है।

### 4. व्यापार की प्रकृति में परिवर्तन, यदि कोई हो

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किए गए व्यापार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं था।

### 5. कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाली वास्तविक परिवर्तन और वचनबद्धताएँ, यदि कोई हों, जो कंपनी के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के दिन तथा प्रतिवेदन के दिन को हुई हों

उपरोक्तानुसार कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

### 6. जारी स्थिति और भविष्य में कंपनी के संचालन को प्रभावित करने वाले विनियामक अथवा न्यायालय अथवा ट्रिब्यूनल द्वारा जारी महत्वपूर्ण और वास्तविक आदेश का विवरण

शून्य

Rs. 1.62 crores as against a net deficit of Rs. 42.08 crores during the previous year.

### Detailed Report of Company's Activities

The Senior Executives of the Company are presenting their detailed report for the financial year 2017-18 on critical areas of operation and their reports together with the report on Corporate Governance are attached as part of the report of the Directors.

### 3. Plans for 2018-19

We have set a 'Twin Target' for the FY 2018-19 for the Company, which is 'Business Growth of 20% and Combined ratio of 110%'. The completion up to the month of April 2018 was Rs. 1206.15 crores as against Rs. 1014.54 crores during the corresponding period in the last financial year, thus registering a growth rate of 18.89%. The Company will continue to focus on increasing the number of policies for retail spread, monitoring and controlling management expenses, effectively monitoring towards expeditious claims settlement and overall claims management, thus ensuring that the Company marches from strength to strength in its 70<sup>th</sup> year of service to policyholders.

### 4. Change in the nature of business, if any

There was no change in the nature of business carried out by the Company during the year under review.

### 5. Material changes and commitments, if any, affecting the financial position of the company which have occurred between the end of the financial year of the company to which the financial statements relate and the date of the report

No changes as aforesaid have taken place.

### 6. Details of significant and material orders passed by the regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and company's operations in future

None







**7. सहायक/संयुक्त उद्यम/सम्बद्ध कम्पनियों का विवरण**

कंपनी की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाई है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

**7. Details of Subsidiary/Joint Ventures/Associate Companies**

The Company has one wholly owned subsidiary as detailed below:

क्र. स. S. No.	सहायक इकाई का नाम Name of the Subsidiary	कुल प्रदत्त शेयर पूंजी Total Paid up Share Capital	दि ओरिएंटल इन्श्योरेंस कंपनी लि. की प्रतिशत होल्डिंग % Holding of the Oriental Insurance Company Limited
1	दि इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड The Industrial Credit Company Limited	Rs 5 Lakhs	100 %

क्र. स. S. No.	संयुक्त उद्यम एसोसिएट कंपनी का नाम Name of the Joint Venture Associate Company	कुल प्रदत्त शेयर पूंजी Total Paid up Share Capital	दि ओरिएंटल इन्श्योरेंस कंपनी लि. की प्रतिशत होल्डिंग % Holding of the Oriental Insurance Company Limited
1	हेल्थ इन्श्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड Health Insurance TPA of India Limited	70 करोड़ रुपये Rs. 70 Crores	23.75 %
2	इंडिया इंटरनेशनल इन्श्योरेंस प्रा. लि. सिंगापुर India International Insurance Pte Ltd. Singapore	एसजीडी 5 करोड़ SGD 5 Crores	20 %

**8. समेकित वित्तीय विवरण में शामिल प्रत्येक सहायक इकाई, सम्बद्ध और संयुक्त उद्यम का प्रदर्शन तथा वित्तीय स्थिति**

विवरण नीचे दिया गया है:-

**8. Performance and financial position of each of the subsidiaries, associates and joint venture companies included in the consolidated financial statement.**

The details are given hereunder:

इकाई का नाम Name of the Entity		समेकित निवल संपत्ति % के रूप में As % of Consolidated Net Assets	राशि (रु. 1000) Amount (Rs'000)	समेकित लाभ/हानि % के रूप में As % of Consolidated Profit/Loss	राशि (रु. 1000) Amount (Rs'000)
1		2	3	4	5
<b>सब्सिडरी</b>	<b>Subsidiary</b>				
भारतीय	<b>INDIAN</b>				
1. दि इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड	1.The Industrial credit Company Limited	0.00	-78	0	-214
एसोसिएट (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)	<b>Associates (Investment as per the equity method)</b>				
<b>भारतीय</b>	<b>Indian</b>				
1. हेल्थ इन्श्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड	1. Health Insurance TPA of India Ltd.	5.62	1980750	0	0
<b>विदेशी</b>	<b>Foreign</b>				
1. इंडिया इंटरनेशनल इन्श्योरेंस प्रा. लि. सिंगापुर	1. India International Insurance Pte Ltd, Singapore	10.61	3741980	-0.12	-18465

**9. जमा**

कंपनी द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की गई थी।

**9. Deposits**

No deposits were accepted by the Company during the year under review.





## 10. सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स एस. मान एण्ड कंपनी, नई दिल्ली तथा मैसर्स एच.के. चौधरी एण्ड कंपनी, नई दिल्ली को वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत केन्द्रीय सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139 के तहत समेकित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था।

सभी प्रभागीय कार्यालयों में भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की गई थी। हम, हमारे सभी लेखापरीक्षकों का उनके मूल्यवान सहयोग और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

## 11. लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन

लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियाँ और उन पर हमारा उत्तर निम्नानुसार है:-

### क्वालिफाइड राय के आधार

1) यह सूचित किया गया है, कि बीमा कारोबार करने वाले व्यक्तियों या निकायों के कारण, सीडिंग कंपनियों के साथ रिजर्व जमा, एजेंट शेष, प्रीमियम जमा और एजेंटों का प्रीमियम, विविध देनदार, विविध लेनदार, अंतर-कार्यालय शेष, अज्ञात डेबिट और क्रेडिट बैंक खातों में प्रविष्टियां, कर्मचारी शेष और अग्रिम सुलह / पुष्टि लंबित हैं (नोट नंबर 22 देखें)। राजस्व खाते, लाभ और हानि खाते और रिजर्व एवं अधिशेष पर उपर्युक्त की पुष्टि / सुलह के समायोजन पर लागू प्रभाव, यदि कोई हो, 31 मार्च, 2018 को पता नहीं है और इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

**कंपनी का उत्तर** - सामान्य प्रबंधक की देखरेख में एक सुव्यवस्थित प्रणाली पहले ही नियमित रूप से है जिनके साथ ओरिएंटल व्यापार साझाकरण व्यवस्था में है जो अन्य निकायों / व्यक्तियों से बकाया, संतुलन की पुष्टि और पुनर्प्राप्ति को प्रभावित करने के लिए उचित वसूली करती है। जीआई काउंसिल की देखरेख में, एक अलग सॉफ्टवेयर, ई-टीएसएस वर्ष 2016-17 में शुरू किया गया था और वर्ष 2017-18 के लिए अंतर-कंपनी लेनदेन आंशिक रूप से सॉफ्टवेयर में अपलोड किया गया है। पुष्टि की गई शेष राशि के सुलह और निपटारे

## 10. Statutory Auditors

M/s. S. Mann & Company, New Delhi and M/s. H. K. Chaudhry & Co., New Delhi, were appointed as Central Statutory Auditors for the year 2017-18 by the Comptroller and Auditor General of India under Sec 139 of the Companies Act 2013 and also as auditors of Consolidated Financial Statements under section 139 read with section 129(4) of the Companies Act, 2013:

At all the Divisional Offices, auditors were appointed for the year 2017-18 by the Comptroller and Auditor General of India. We convey our thanks to all our auditors for their valuable cooperation and guidance.

## 11. Auditors' Report

The comments by Auditors and our Replies thereto are as hereunder;

### Basis of Qualified Opinion

1. It has been reported that the amount due to / from persons or bodies carrying on insurance business, Reserve Deposit with ceding companies, Agents balances, Premium Deposits and Agents' Premium, Sundry Debtors, Sundry Creditors, Inter-Office balances, Unidentified debit & credit entries in bank accounts, Employees Balances & Advances are pending reconciliation /confirmation (Refer Note No.22).Consequential effect, if any, of adjustments upon confirmation/ reconciliation of the above on Revenue Account, Profit and Loss Account and Reserves and Surplus as on 31st March, 2018, is not ascertainable and cannot be commented upon.

**Reply of the Company** - In order to exercise due diligence in pursuing recoveries from other bodies/ persons with whom Oriental is entering into business sharing arrangements, a well-organized system, under the supervision of a General Manager, is already in place for regular follow up, for obtaining confirmation of balances and effecting recoveries. Under the supervision of GI Council, a separate software, E- TASS was started in the year 2016-17 and the inter-company transactions for the year 2017-18 has been uploaded in the software partially. Next phase of E-TASS on reconciliation and settlement





पर ई-टीएसएस का अगला चरण वर्ष 2018-19 में लिया जा सकता है। वर्ष 2017-18 के दौरान, कुल शुद्ध शेष राशि 764.06 करोड़ रुपये में से सहबीमा में बकाया राशि रु. 615.51 करोड़ (80.56%) की पुष्टि की गई है। हम उम्मीद हैं कि चालू वर्ष 2018-19 में अधिकतम शेष राशि की पुष्टि की जाएगी। एजेंटों, विविध देनदार / लेनदारों से समय-समय पर प्रमाण पत्र भी प्राप्त किए जाते हैं। कर्मचारियों के पास बकाया राशि उनके वेतन के माध्यम से समायोजित / वसूल की जाती है। इंटर-ऑफिस बैलेंस को सुलझाया जा रहा है और पहचान किए गए लेनदेन के संबंध में प्रविष्टियां पास की गई हैं। वर्तमान वर्ष में संबंधित कार्यालयों द्वारा अज्ञात डेबिट खाता 9901 के तहत दिखाई देने वाली रकम की पहचान की गई है और चालू वर्ष की पुस्तक में प्रविष्टियां पारित की जा रही हैं।

#### मामलों पर जोर:

2. यह बताया गया है कि कंपनी द्वारा समय-समय पर विभिन्न दावों को अस्वीकार कर दिया गया है। दावेदारों की इन निश्चित संख्याओं पर विभिन्न अदालतों में मुकदमा चलाया गया है। इन मुकदमों के कारण वित्तीय विवरणों पर वित्तीय प्रभाव, यदि कोई है, तो इसकी पुष्टि नहीं की गई है।

**कंपनी का जवाब** – सभी मुकदमेबाजी दावों में कंपनी की पुस्तकों में दावा प्रावधान किए गए हैं जहां कंपनी के व्यवहार पर वकील का मानना है कि अदालत के फैसले कंपनी के खिलाफ होने की संभावना है। इसलिए, इस तरह के अस्वीकार दावों के वित्तीय प्रभाव कंपनी की लाभप्रदता को प्रभावित करते हैं। कंपनी ने इस मामले में 'अनुलग्नक -I - लेखा नीतियां और नोट्स' की बिंदु 6.1.एफ में एक लेखा नीति भी निर्धारित की है।

3. यह बताया गया है कि पुनः स्थापित बीमा प्रीमियम की राशि लेखों में नहीं ली गई है जिनका दावों पर संगत प्रभाव है जिसके लिए मात्रा अनिर्धारणीय बनी हुई है।

**कंपनी का उत्तर** – दावों के भुगतान के समय संबंधित बीमा खंड को जमा करके पुनर्स्थापना प्रीमियम के स्वचालित लेखांकन के लिए हमारे कोर बीमा आवेदन, आईएनआईएस में प्रावधान अंतर्निहित है।

of confirmed balances is likely to be taken up in the year 2018-19. During the year 2017-18, out of the total net balance of Rs.764.06 crores outstanding in coinsurance balance, Rs.615.51 crores (80.56%) is confirmed balance. We are hopeful with the continuous efforts maximum balance would be confirmed in the current year 2018-19. Certificates are also obtained from agents, sundry debtors/creditors from time to time. Balances due from/ due to employees are adjusted / recovered through salary. Inter-office balances are being reconciled and entries have been passed in respect of identified transactions. Amounts appearing under unidentified debits a/c 9901 have been identified by the concerned offices in the current year and entries are being passed in the books in the current year.

#### Emphasis of Matter:

2. It has been reported that the various claims have been repudiated by the Company from time to time. Out of these certain numbers of claimants have gone into litigations at various forums. Financial impact, if any, on the financial statements on account of these litigations remains indeterminate.

**Reply of the Company** - Claim provisions are made in the books of the Company in all litigated claims where the Company's dealing advocate are of the opinion that the court judgments are likely to go against the Company. Hence, the financial impacts of such repudiated claims are factored into the profitability of the Company. Company has also laid down an accounting policy in this matter at point no. 6. 1. f of 'Annexure I - Accounting Policies and Notes'.

3. It has been reported that the amount of reinstatement insurance premium remains unaccounted having corresponding effect on the claims incurred account for which quantum remains indeterminate.

**Reply of the Company** - Provision is inbuilt in our core insurance application, INIAS, for automatic accounting of reinstatement premium by crediting the concerned insurance segment at the time of payment of claims.





4. यह बताया गया है कि कंपनी ने माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रकटीकरण की आवश्यकताओं का पालन नहीं किया है (नोट नंबर 41 देखें)

**कंपनी का उत्तर** – कंपनी ने किसी भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की आपूर्ति एवं सेवा के लिए उनकी किसी भी भुगतान में देरी नहीं की है।

5. यह बताया गया है कि कुछ प्रोपर्टी दस्तावेजों की अनुपलब्धता है (नंबर 21 देखें)

**कंपनी का जवाब** – कंपनी शेयर प्रमाणपत्र या बिक्री डीड या संपत्तियों का पंजीकरण जैसे दस्तावेजों का विवरण कब्जे में है, जोकि स्वामित्व के लिए जरूरी है।

6. यह बताया गया है कि फिक्स्ड एसेट्स सहित अचल संपत्तियों के रिकॉर्ड पूर्ण या व्यवस्थित नहीं है जैसा कि यह कुछ मामलों में जरूरी है।

**कंपनी का जवाब** – कंपनी ने अपने मूल आवेदन आईएनएलआईएस में फिक्स्ड एसेट मॉड्यूल में निश्चित परिसंपत्तियों के रिकॉर्ड अपडेट किए हैं और निश्चित तौर पर परिसंपत्तियों का लेखा-आधार कार्य किया जा रहा है।

7. यह बताया गया है कि कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली लेखा परीक्षा कवरेज और अनुपालन के क्षेत्रों में पर्याप्त मजबूती की आवश्यकता है।

**कंपनी का उत्तर** – नई कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में, और कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए मुख्य प्रबंधक और विभिन्न अधिकारियों के पद के अधिकारी, वित्तीय सलाहकार के साथ आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग का नेतृत्व मुख्यालय में करेंगे। वर्ष 2017-18 के दौरान लगातार लेखा परीक्षा आयोजित करके लेखापरीक्षा के बीच समय अंतर को कम करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। आंतरिक अनुलेख मॉड्यूल को कोर अनुपालन सॉफ्टवेयर, आईएनएलआईएस, में त्वरित अनुपालन और लेखापरीक्षा प्रश्नों की कुशल केंद्रीकृत निगरानी रखने के लिए शामिल किया गया है।

8. यह बताया गया है कि इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए वित्तीय वक्तव्यों में शामिल विदेशी शाखाओं और एजेंसियों के रिटर्न आमतौर पर संबंधित स्थानों /

4. It has been reported that the company has not complied with the requirements of disclosure under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (Refer note no. 41)

**Reply of the Company** - Company has not defaulted, nor has it delayed any payment due to any micro, small and medium enterprise from which it has been procuring supplies or availing service.

5. It has been reported that there is non-availability of title documents of certain properties (Refer no.21 )

**Reply of the Company** - Company is in possession of documents like Share Certificates or Sale Deeds or registration particulars of properties for unequivocally establishing the ownership of the properties.

6. It has been reported that the records of Fixed Assets including immovable properties are not complete and /or not maintained as required in certain cases.

**Reply of the Company** - Company has since updated records of fixed assets in the Fixed Asset Module in its core application INLIAS and accounting of Fixed Assets is taking place on live basis.

7. It has been reported that the Internal Audit System of the company requires substantial strengthening in the areas of audit coverage and compliance.

**Reply of the Company** - In compliance of the provisions of the new Companies Act, 2013, and to strengthen the Internal Audit mechanism of the Company, the Internal Audit department is headed by Financial Advisor with officer of the rank of Chief Manager and officers from various disciplines at Head office. During the year 2017-18 all out efforts have been made to reduce the time gap between audits by conducting frequent audits. Internal Audit Module has been incorporated in the core application software, INLIAS, for speedy compliance and to have efficient centralized monitoring of audit queries.

8. It has been reported that the returns of foreign branches and agencies incorporated in the financial statements dealt with by this report are





देशों में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के आधार पर संकलित किए गए हैं। भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का अनुपालन इन विदेशी शाखाओं / एजेंसियों के संबंध में लंबित है, जिनके प्रभाव का पता नहीं लगाया गया है। इसके अलावा, विदेशी शाखाओं के संबंध में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार आईआरडीआईआई विनियमन, 2002 के साथ पढ़ी जाने वाली जानकारी शामिल नहीं है।

**कंपनी का उत्तर** – दो विदेशी एजेंसियों और एक विदेशी शाखा के खातों का लेखा परीक्षा किया गया है और रिपोर्टिंग उन देशों के नियमों के अनुसार संबंधित देशों में लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है।

9. यह बताया गया है कि आरएसबीवाई के प्रीमियम प्राप्य 1957 लाख रुपये का प्रावधान नहीं है। (नोट नंबर 3 9 देखें)

**कंपनी का उत्तर** – आरएसबीवाई प्रीमियम रु.1957 लाख, पिछले वित्तीय वर्षों से संबंधित, सरकार से वसूली योग्य है, जिनमें से केंद्र सरकार से रु. 1563 लाख और राज्य सरकार से रु. 394 लाख वसूली योग्य है। कंपनी को निकट भविष्य में वसूली की उम्मीद है। इसलिए कोई प्रावधान नहीं माना जाता है।

## 12. वार्षिक रिटर्न का उद्धरण

वार्षिक रिटर्न का उद्धरण फॉर्म संख्या एमजीटी-9 में बोर्ड के प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

## 13. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्यय

### क. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण

कंपनी किसी निर्माण गतिविधि में शामिल नहीं है और कंपनी के कार्यकलाप ऊर्जा से सम्बन्धित नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी द्वारा किसी नई प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं किया गया है। अतः जहाँ तक ऊर्जा संरक्षण अथवा प्रौद्योगिकी अवशोषण का सम्बन्ध है, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के तहत प्रकट किए जाने के लिए आवश्यक कोई विवरण नहीं है।

compiled based on the accounting principles generally accepted at the respective locations / countries. Compliance of Generally Accepted Accounting Principles in India is pending in respect of these foreign branches / agencies, effect of which has not been ascertained. Further, the auditor's report in respect of foreign branches do not contain the information required to be stated in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013, read with IRDAI Regulations, 2002.

**Reply of the Company** - The accounts of two foreign agencies and one foreign branch are audited and the reporting thereon is done by the auditors at respective countries as per the regulations of said countries.

9. It has been reported that there is non provisioning of premium receivable of RSBY amounting to Rs. 1957 lakhs (Refer Note no.39)

**Reply of the Company** - RSBY premium of Rs. 1957 lakhs, pertaining to previous financial years, is recoverable from Government, out of which Rs. 1563 lakhs is recoverable from Central Government and Rs. 394 lakhs from State Govt. Company is perusing for the same and is hopeful of recovery in near future. Hence no provision is considered.

## 12. Extract of the annual return

The extract of the annual return in Form No. MGT – 9 is annexed to the Board's report.

## 13. Conservation of energy, technology absorption and foreign exchange earnings and outgo

### A. Conservation of energy, technology absorption:

The Company is not engaged in any manufacturing activity and the operations of the Company are not energy intensive. Further, no new technology has been absorbed by the Company. Hence no particulars required as such to be disclosed under the Companies (Accounts) Rules, 2014 with regard to conservation of energy or technologies absorption are required to be given.







## ख. विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्यय

वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी का विदेशी मुद्रा अर्जन 363.36 करोड़ रुपए है जबकि विदेशी मुद्रा व्यय 286.58 करोड़ रुपए है।

### 14. कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार प्रकटन निदेशकों के प्रतिवेदन के साथ संलग्न हैं।

### 15. निदेशक

#### क) निदेशक मण्डल और प्रमुख प्रबन्धकीय कार्मिक

#### निदेशक मण्डल और इसकी समितियाँ (17.05.2018 को)

कंपनी के निदेशक मण्डल की वर्तमान संरचना और प्रोफाइल निम्नानुसार है:-

कंपनी के निदेशक मंडल में बीमा क्षेत्र के प्रमुख विशेषज्ञ शामिल है।

1. श्री ए वी गिरिजाकुमार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री मुकेश कुमार जैन, गैर-सरकारी निदेशक
3. डॉ एन. श्रीनिवास राव, सरकारी नामांकित निदेशक
4. सुश्री मुदिता मिश्रा, सरकारी नामांकित निदेशक
5. श्री पंचानन नायक, गैर-सरकारी निदेशक
6. श्री असीम चावला, गैर-सरकारी निदेशक
7. श्री बलवंत सिंह, पूर्णकालीन निदेशक

बोर्ड के गत प्रतिवेदन अर्थात् दिनांक 14 जून, 2017 से बोर्ड की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं:-

#### नियुक्तियाँ

1. श्री मिलिंद खरात को 29.09.2017 को कंपनी का गैर-कार्मिक निदेशक नियुक्त किया गया।
2. श्री पंचानन नायक को 29.09.2017 को कंपनी का गैर-कार्मिक निदेशक नियुक्त किया गया।
3. श्री असीम चावला को 29.09.2017 को कंपनी का गैर-कार्मिक निदेशक नियुक्त किया गया।

## B. Foreign exchange earnings and Outgo:

The Company's foreign exchange earnings for the year 2017-18 are Rs. 363.36 crores whereas the outgo in the foreign currency has been Rs. 286.58 crores.

### 14. Corporate Social Responsibility (CSR)

The disclosures as per Rule 9 of Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 are annexed to the Director's Report.

### 15. Directors:

#### A) Board of Directors and Key Managerial Personnel

#### BOARD OF DIRECTORS & ITS COMMITTEES (as on 17.05.2018)

The Board of Directors of the Company consists of a perfect blend of experts from the fields of Insurance.

Banking and Finance. The present composition and profile of the Board of Directors of the Company is as under:

1. Shri A. V. Girijakumar, Chairman-cum-Managing Director
2. Shri Mukesh Kumar Jain, Non-Official Director
3. Dr. N. Srinivasa Rao, Government Nominee Director
4. Ms. Mudita Mishra, Government Nominee Director
5. Shri Panchanan Nayak, Non-Official Director
6. Shri Aseem Chawla, Non-Official Director
7. Shri Balwant Singh, Whole-time Director

The Board underwent the following changes in its composition since the date of last Board's report i.e. 14<sup>th</sup> June, 2017:

#### APPOINTMENTS

1. Shri Milind Kharat was appointed as Non-Official Director of the Company on 29.09.2017.
2. Shri Panchanan Nayak was appointed as Non-Official Director of the Company on 29.09.2017.
3. Shri Aseem Chawla was appointed as Non-Official Director of the Company on 29.09.2017.





4. श्री बलवंत सिंह को 02.04.2018 को कंपनी का पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया।
5. श्री मुकेश कुमार जैन को 06.04.2018 को कंपनी का गैर-कार्मिक निदेशक नियुक्त किया गया।

#### कार्यकाल समाप्ति

1. श्री जतिंदरबीर सिंह, पंजाब और सिंध बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कंपनी के बोर्ड में कार्यकाल अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्ति के परिणाम-स्वरूप दिनांक 31 दिसंबर, 2017 को कार्यकाल समाप्त हो गया।
2. श्री वी. ई. कैमल, पूर्णकालिक निदेशक के रूप में कंपनी के बोर्ड में कार्यकाल अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्ति के परिणाम-स्वरूप दिनांक 31 जनवरी, 2018 को कार्यकाल समाप्त हो गया।
3. श्री सुजॉय बनर्जी, पूर्णकालिक निदेशक 31 जनवरी, 2018 को कंपनी के बोर्ड पर एक निदेशक बने, जिसके परिणामस्वरूप वरिष्ठता की उम्र प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति हुई।
4. मुंबई और गोवा के लिए बीमा लोकपाल के रूप में नियुक्ति के बाद श्री मिलिंद खरात, गैर-कार्मिक निदेशक 04.05.2018 को ई-मेल के माध्यम से उनके इस्तीफे के परिणामस्वरूप कंपनी के बोर्ड से उनका कार्यकाल समाप्त हो गया।

#### बोर्ड की बैठकों के ब्यौरे

वर्ष के दौरान, बोर्ड की दिनांक 5 मई, 2017, 14 जून, 2017, 10 अगस्त, 2017, 25 सितम्बर, 2017ए 13 नवम्बर, 2017, 11 जनवरी, 2018 और 12 फरवरी, 2018 को सात (7) बैठकें आयोजित की गईं। उपरोक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार थी:-

निदेशक	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकें जिनमें भाग लिया
ए.वी गिरिजाकुमार	6	6
श्री जतिंदरबीर सिंह, आईएएस	5	5
डॉ एन श्रीनिवास राव	7	5
सुश्री मुदित मिश्रा	7	2
श्री मिलिंद खरात	3	3
श्री पंचानन नायक	3	3
श्री असीम चावला	3	3
श्री सुजय बनर्जी	6	6
श्री वी. ई. कैमल	5	5

4. Shri Balwant Singh was appointed as Whole-time Director of the Company on 02.04.2018.
5. Shri Mukesh Kumar Jain was appointed as Non-Official Director of the Company on 06.04.2018.

#### CESSATIONS

1. Shri Jatinderbir Singh, Chairman and Managing Director, Punjab & Sind Bank, ceased be a Director on the Board of the Company on 31<sup>st</sup> December, 2017 consequent to retirement on attaining age of superannuation.
2. Shri V. E. Kaimal, Whole-time Director, ceased be a Director on the Board of the Company on 31<sup>st</sup> December, 2017 consequent to retirement on attaining age of superannuation.
3. Shri Sujay Banarji, Whole-time Director, ceased be a Director on the Board of the Company on 31<sup>st</sup> January, 2018 consequent to retirement on attaining age of superannuation.
4. Shri Milind Kharat, Non-Official Director, ceased to be a Director on the Board of the Company consequent to his tendering resignation vide e-mail dated 04.05.2018 after his appointment as Insurance ombudsman for Mumbai & Goa.

#### BOARD MEETING DETAILS:

During the year, the Board met seven (7) times viz. on 5<sup>th</sup> May 2017, 14<sup>th</sup> June 2017, 10<sup>th</sup> August 2017, 25<sup>th</sup> September, 2017, 13<sup>th</sup> November, 2017, 11<sup>th</sup> January 2018 and 12<sup>th</sup> February 2018. The attendance of the Directors at the said meetings is as below:

Director	No. of Meetings held in his / her tenure	No. of Meetings attended
Shri A. V. Girijakumar	6	6
Shri Jatinderbir Singh, IAS	5	5
Dr. N. Srinivasa Rao	7	5
Ms. Mudita Mishra	7	2
Shri Milind Kharat	3	3
Shri Panchanan Nayak	3	3
Shri Aseem Chawla	3	3
Shri Sujay Banarji	6	6
Shri V. E. Kaimal	5	5





वित्तीय वर्ष 2017-18 के सम्परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुमोदन के लिए दिनांक 17 मई, 2018 को निदेशक मण्डल की 442वीं बैठक आयोजित की गई।

**लेखा परीक्षा समिति के ब्यौरे**

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार बोर्ड समितियां:

**ऑडिट कमेटी विवरण:**

लेखा परीक्षा समिति अन्य बातों के साथ-साथ बोर्ड को प्रस्तुत किए जाने से पहले वित्तीय विवरणों और वित्तीय रिपोर्टिंग, आन्तरिक लेखा परीक्षा कार्य तथा सम्बन्धित कार्य का पर्यवेक्षण करती है।

वर्ष के दौरान, बोर्ड की दिनांक 5 मई, 2017, 14 जून, 2017, 10 अगस्त, 2017, 25 सितम्बर, 2017, 13 नवम्बर, 2017, 11 जनवरी, 2018 और 12 फरवरी, 2018 को सात (7) बैठकें आयोजित की गईं। उपरोक्त बैठकों में समिति के सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार थी:-

निदेशक/समिति सदस्य	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकें जिनमें भाग लिया
डॉ एन श्रीनिवास राव	7	5
श्री जतिंदरबीर सिंह	5	5
श्री मिलिंद खरात	2	2
श्री असीम चावला	2	2
श्री सुजय बनर्जी	5	5

**कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के ब्यौरे**

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन कंपनी की सीएसआर नीति का अनुमोदन करने और उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कॉरपोरेट कार्य मन्त्रालय द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2014 को जारी राजपत्रित अधिसूचना संख्या जीएसआर 129(ई) में अधिसूचित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुरूप किया गया था। वर्ष के दौरान, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की दिनांक 5 मई, 2017, 10 अगस्त, 2017, 13 नवम्बर, 2017, और 11 जनवरी, 2018 को चार (4) बैठकें आयोजित की गईं। उपरोक्त बैठकों में समिति के सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार थी:-

The 442<sup>nd</sup> Meeting of Board of Directors was held on 17<sup>th</sup> May 2018, for approval of Audited Financial Statements for the financial year 2017-18.

**BOARD COMMITTEE DETAILS:**

**BOARD COMMITTEES AS PER COMPANIES ACT, 2013:**

**AUDIT COMMITTEE DETAILS:**

The Audit Committee inter-alia oversees the financial statements and financial reporting before submission to the Board, Internal audit function and the related work.

During the year, the Committee met seven (7) times viz. on 5<sup>th</sup> May 2017, 14<sup>th</sup> June 2017, 10<sup>th</sup> August 2017, 25<sup>th</sup> September, 2017, 13<sup>th</sup> November, 2017, 11<sup>th</sup> January 2018 and 12<sup>th</sup> February 2018. The attendance of the Members of the Committee at the said meetings is as below:

Director / Committee Member	No. of Meetings held in his / her tenure	No. of Meetings attended
Dr. N. Srinivasa Rao	7	5
Shri Jatinderbir Singh	5	5
Shri Milind Kharat	2	2
Shri Aseem Chawla	2	2
Shri Sujay Banarji	5	5

**CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY COMMITTEE DETAILS**

The Corporate Social Responsibility Committee of the Board was constituted in terms of the Section 135 of Companies Act 2013 notified vide Gazette notification no. G. S. R. 129 (E) dated 27<sup>th</sup> February, 2014 issued by Ministry of Corporate Affairs to approve the CSR Policy of the Company and ensure its implementation. During the year, the Corporate Social Responsibility Committee met four (4) times viz. on 5<sup>th</sup> May 2017, 10<sup>th</sup> August 2017, 13<sup>th</sup> November 2017 and 11<sup>th</sup> January 2018. The attendance of the Members of the Committee at the said meetings is as below:





निदेशक/समिति सदस्य	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकें जिनमें भाग लिया
श्री ए वी गिरिजाकुमार	3	3
श्री जतिंदरबीर सिंह	3	3
डॉ एन श्रीनिवास राव	4	3
सुश्री मुदित मिश्रा	4	2
श्री सुजय बनर्जी	4	4
श्री वी. ई. कैमल	3	3

**आईआरडीएआई कॉर्पोरेट सरकार के नियम 2016 के अनुसार बोर्ड कमेटीज:**

**लेखा परीक्षा समिति के ब्यौरे**

निवेश समिति की संरचना आईआरडीएआई (निवेश) विनियम 2000 के संशोधनों और समय-समय पर आईआरडीएआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार है। वर्ष के दौरान, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की दिनांक 5 मई, 2017, 10 अगस्त, 2017, 13 नवम्बर, 2017, और 11 जनवरी, 2018 को चार (4) बैठकें आयोजित की गईं। उपरोक्त बैठकों में समिति के सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार थी:-

निदेशक/समिति सदस्य	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकें जिनमें भाग लिया
श्री ए वी गिरिजाकुमार	3	3
श्री जतिंदरबीर सिंह, आईएएस	3	3
डॉ एन श्रीनिवास राव	4	3
श्री पंचानन नायक	1	1
श्री एम एन शर्मा	1	1
श्री सुजय बनर्जी	4	4
श्री वी. ई. कैमल	3	3
श्री अतुल सहाय	1	1
श्री अतुल जेराथ	2	2
श्री सौम्य मुखर्जी	2	2
श्री साकेत सिंघल	3	3

**जोखिम प्रबन्धन समिति के ब्यौरे**

जोखिम प्रबन्धन समिति का गठन आईआरडीएआई द्वारा दिनांक 5 अगस्त, 2009 को जारी परिपत्र सन्दर्भ आईआरडीए/एफएण्डए/सीआईआर/025/2009-10 में दिए गए कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुसरण में किया गया था। वर्ष के दौरान, समिति की दिनांक 28 अप्रैल, 2017, 27 जुलाई, 2017, 9 नवम्बर, 2017 और 12 फरवरी, 2018 को चार (4) बैठकें आयोजित की

Director / Committee Member	No. of Meetings held in his / her tenure	No. of Meetings attended
Shri A. V. Girijakumar	3	3
Shri Jatinderbir Singh	3	3
Dr. N. Srinivasa Rao	4	3
Ms. Mudita Mishra	4	2
Shri Sujay Banarji	4	4
Shri V. E. Kaimal	3	3

**BOARD COMMITTEES AS PER IRDAI CORPORATE GOVERNANCE REGULATIONS 2016:**

**INVESTMENT COMMITTEE DETAILS:**

The composition of Investment Committee is in accordance with the provisions of the IRDAI (Investment) Regulations 2000 as amended and the Guidelines issued thereby by IRDAI from time to time. During the year, the Investment Committee four (4) times viz. on 5<sup>th</sup> may 2017, 10<sup>th</sup> August 2017, 13<sup>th</sup> November 2017 & 11<sup>th</sup> January 2018. The attendance of the Members of the Committee at the said meetings is as below:

Director / Committee Member	No. of Meetings held in his / her tenure	No. of Meetings attended
Shri A. V. Girijakumar	3	3
Shri Jatinderbir Singh, IAS	3	3
Dr. N. Srinivasa Rao	4	3
Shri Panchnan Nayak	1	1
Shri M. N. Sarma	1	1
Shri Sujay Banarji	4	4
Shri V. E. Kaimal	3	3
Shri Atul Sahai	1	1
Shri Atul Jerath	2	2
Shri Soumya Mukherjee	2	2
Shri Saket Singhal	3	3

**RISK MANAGEMENT COMMITTEE DETAILS**

The Risk Management Committee was constituted in accordance with the guidelines on Corporate Governance issued by IRDAI vide its circular ref: IRDA/F&A/CIR/025/2009-10 dated 5<sup>th</sup> August, 2009. During the year, the Risk Management Committee met four (4) times viz. on 28<sup>th</sup> April 2017, 27<sup>th</sup> July 2017, 9<sup>th</sup> November 2017 and 12<sup>th</sup> February 2018. The attendance





गई। उपरोक्त बैठकों में समिति के सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार थी:-

निदेशक/समिति सदस्य	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकें जिनमें भाग लिया
श्री ए वी गिरिजाकुमार	3	3
डॉ एन श्रीनिवास राव	4	3
श्री मिलिंद खरात	1	1
श्री असीम चावला	1	1
श्री सुजय बनर्जी	3	3
श्री वी. ई. कैमल	3	3

### पॉलिसीधारक संरक्षण समिति के ब्यौरे

पॉलिसी धारक संरक्षण समिति का गठन आईआरडीएआई द्वारा दिनांक 5 अगस्त, 2009 को जारी परिपत्र सन्दर्भ आईआरडीए/एफएण्डए/सीआईआर/025/2009-10 में दिए गए कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुसरण में किया गया था। वर्ष के दौरान, समिति की दिनांक 28 अप्रैल, 2017, 27 जुलाई, 2017, 9 नवम्बर, 2017 और 12 फरवरी, 2018 को चार (4) बैठकें आयोजित की गईं। उपरोक्त बैठकों में समिति के सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार थी:-

निदेशक/समिति सदस्य	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकें जिनमें भाग लिया
श्री ए वी गिरिजाकुमार	3	3
डॉ एन श्रीनिवास राव	3	3
श्री मिलिंद खरात	1	1
श्री पंचानन नायक	1	1
श्री असीम चावला	1	1
श्री सुजय बनर्जी	3	3
श्री वी. ई. कैमल	3	3

### मंत्रालय दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड समितियां:

#### सम्पदा समीक्षा समिति के ब्यौरे

बोर्ड की सम्पदा समीक्षा समिति का गठन कंपनी द्वारा धारित सम्पदा के मामलों और अन्य सम्पदा सम्बन्धित मामलों की समीक्षा के लिए वित्त मन्त्रालय से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप किया गया था। वर्ष के दौरान, समिति की दिनांक 28 अप्रैल, 2017, 27 जुलाई, 2017, 9 नवम्बर, 2017 और 12 फरवरी, 2018 को चार (4) बैठकें आयोजित की गईं। उपरोक्त बैठकों में समिति के

of the Members of the Committee at the said meetings is as below:

Director / Committee Member	No. of Meetings held in his / her tenure	No. of Meetings attended
Shri A. V. Girijakumar	3	3
Dr. N. Srinivasa Rao	4	3
Shri Milind Kharat	1	1
Shri Aseem Chawla	1	1
Shri Sujay Banarji	3	3
Shri V. E. Kaimal	3	3

### POLICYHOLDERS' PROTECTION COMMITTEE DETAILS

The Policyholders' Protection Committee was constituted in accordance with the guidelines on Corporate Governance issued by IRDAI vide its circular ref: IRDA/F&A/CIR/025/2009-10 dated 5<sup>th</sup> August, 2009. During the year, the Policyholders' Protection Committee met four (4) times viz. on 28<sup>th</sup> April 2017, 27<sup>th</sup> July 2017, 9<sup>th</sup> November 2017 and 12<sup>th</sup> February 2018. The attendance of the Members of the Committee at the said meetings is as below:

Director / Committee Member	No. of Meetings held in his / her tenure	No. of Meetings attended
Shri A. V. Girijakumar	3	3
Dr. N. Srinivasa Rao	3	3
Shri Milind Kharat	1	1
Shri Panchnan Nayak	1	1
Shri Aseem Chawla	1	1
Shri Sujay Banarji	3	3
Shri V. E. Kaimal	3	3

### BOARD COMMITTEES AS PER MINISTRY GUIDELINES:

#### PROPERTY REVIEW COMMITTEE DETAILS

The Property Review Committee of the Board was constituted in terms of the directives received from the Ministry of Finance to review the matters of properties held by the Company and other Estate related Matters. During the year, the Property Review Committee met four (4) times viz. on 28<sup>th</sup> April 2017, 27<sup>th</sup> July 2017, 9<sup>th</sup> November 2017 and 12<sup>th</sup> February 2018. The attendance of the Members of







सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार थी:-

निदेशक/समिति सदस्य	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकें जिनमें भाग लिया
श्री ए वी गिरिजाकुमार	3	3
डॉ एन श्रीनिवास राव	3	3
श्री मिलिंद खरात	1	1
श्री पंचानन नायक	1	1
श्री सुजय बनर्जी	3	3
श्री वी. ई. कैमल	3	3

**पारिश्रमिक समिति (सीएमडी के पीएलआई के लिए) के ब्यौरे**

पारिश्रमिक समिति का गठन अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने हेतु वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मन्त्रालय द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 2007 को जारी पत्रांक एस-11012/01/2007-आईएनएस-III में यथा निर्देशित प्रदर्शन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) के भुगतान के लिए किया गया था।

वर्ष के दौरान, पारिश्रमिक समिति (सीएमडी के पीएलआई के लिए) की दिनांक 13 नवम्बर, 2017 को एक (1) बैठक आयोजित की गई। उपरोक्त बैठकों में समिति के सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार थी:-

निदेशक/समिति सदस्य	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकें जिनमें भाग लिया
डॉ एन श्रीनिवास राव	1	1
श्री जतिंदरबीर सिंह	1	1
सुश्री मुदिता मिश्रा	1	0

**अन्य बोर्ड समितियां:**

**आईटी समिति के ब्यौरे**

इस समिति का गठन कंपनी के आईटी पहलुओं पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने और यह सुनिश्चित करने कि आईटी व्यापारिक उद्देश्यों के अनुरूप हो, के लिए किया गया था। वर्ष के दौरान, समिति की दिनांक 28 अप्रैल, 2017, 27 जुलाई, 2017, 9 नवम्बर, 2017 और 12 फरवरी, 2018 को चार (4) बैठकें आयोजित की गईं। उपरोक्त बैठकों में समिति के सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार थी:-

the Committee at the said meetings is as below:

Director / Committee Member	No. of Meetings held in his / her tenure	No. of Meetings attended
Shri A. V. Girijakumar	3	3
Dr. N. Srinivasa Rao	3	3
Shri Milind Kharat	1	1
Shri Panchanan Nayak	1	1
Shri Sujay Banarji	3	3
Shri V. E. Kaimal	3	3

**REMUNERATION COMMITTEE (FOR CMD'S PLI) DETAILS**

The Remuneration Committee was constituted to evaluate performance of the Chairman-cum-Managing Director, for payment of Performance Linked Incentive (PLI) as directed by The Department of Financial Services, Ministry of Finance, vide letter Ref. No. F.No.S-11012/01/2007-Ins.III dated 20<sup>th</sup> July, 2007.

During the year, the Committee met once (1) on 13<sup>th</sup> November 2017. The attendance of the Members of the Committee at the said meeting is as below:

Director / Committee Member	No. of Meetings held in his / her tenure	No. of Meetings attended
Dr. N. Srinivasa Rao	1	1
Shri Jatinderbir Singh	1	1
Ms. Mudita Mishra	1	0

**OTHER BOARD COMMITTEES:**

**IT COMMITTEE DETAILS**

The Committee was constituted to lend more focus to the IT initiatives of the Company and also to ensure that the IT initiatives are in tune with the business objectives. During the year, the IT Committee met four (4) times viz. on 28<sup>th</sup> April 2017, 27<sup>th</sup> July 2017, 9<sup>th</sup> November 2017 and 12<sup>th</sup> February 2018. The attendance of the Members of the Committee at the said meetings is as below:





निदेशक/समिति सदस्य	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकें जिनमें भाग लिया
श्री ए वी गिरिजाकुमार	3	3
डॉ. एन श्रीनिवास राव	3	3
श्री मिलिंद खरात	1	1
श्री असीम चावला	1	1
श्री सुजय बनर्जी	3	3
श्री अतुल जेराथ	2	2
श्री अनिल श्रीवास्तवा	2	2

### अपील एवं मेमोरियल समिति के ब्यौरे

बोर्ड की उपसमिति को अपीलीय प्राधिकरण तथा कर्मचारियों/मामलों की कुछ श्रेणियों के लिए मेमोरियल प्राधिकरण के रूप में निर्धारित किया गया है। उपसमिति का गठन सामान्य बीमा (संचालन, अनुशासन एवं अपील) नियम, 1975 में संशोधन के परिणामस्वरूप किया गया था जिसे दिनांक 23 दिसम्बर, 2004 को आयोजित बोर्ड की 351वीं बैठक में समुचित रूप से अनुमोदित किया गया था। सामान्य बीमा (संचालन, अनुशासन एवं अपील) नियम, 1975 को अब दि ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी (संचालन, अनुशासन एवं अपील) नियम, 2014 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है जिसका अनुमोदन दिनांक 24 अप्रैल, 2014 को आयोजित बोर्ड की 419वीं बैठक में किया गया था। वर्ष के दौरान, समिति की एक बार (1) 13 नवम्बर, 2017 को बैठक की गई। बैठक में समिति के सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

निदेशक/समिति सदस्य	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकें जिनमें भाग लिया
डॉ. एन श्रीनिवास राव	1	1
श्री जतिंदरबीर सिंह	1	1
सुश्री मुदिता मिश्रा	1	0

### प्रमुख प्रबन्धकीय कार्मिक

कंपनी (प्रबन्धकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 8 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203(1) के अनुसरण में प्रमुख प्रबन्धकीय कार्मिकों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. श्री ए वी गिरिजाकुमार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31.05.2017 से)
2. श्री सुजय बनर्जी, पूर्णकालिक निदेशक, (11.08.2016 से 31.01.2018 तक)

Director / Committee Member	No. of Meetings held in his / her tenure	No. of Meetings attended
Shri A. V. Girijakumar	3	3
Dr. N. Srinivasa Rao	3	3
Shri Milind Kharat	1	1
Shri Aseem Chawla	1	1
Shri Sujay Banarji	3	3
Shri Atul Jerath	2	2
Shri Anil Srivastava	2	2

### APPEAL & MEMORIAL COMMITTEE DETAILS:

The sub-committee of the Board has been prescribed as the Appellate Authority and the Authority for Memorial for certain categories of employees / cases. The Sub-committee was constituted, consequent upon the amendment of General Insurance (Conduct, Discipline & Appeal) Rules, 1975 which was duly approved in the 351<sup>st</sup> Board Meeting held on 23.12.2004. The General Insurance (Conduct, Discipline & Appeal) Rules, 1975 is now replaced with The Oriental Insurance Company (Conduct, Discipline & Appeal) Rules, 2014 which were duly approved in the 419<sup>th</sup> Board Meeting held on 24/04/2014. During the year, the Committee met once (1) on 13<sup>th</sup> November 2017. The attendance of the Members of the Committee at the said meeting is as below:

Director / Committee Member	No. of Meetings held in his / her tenure	No. of Meetings attended
Dr. N. Srinivasa Rao	1	1
Shri Jatinderbir Singh	1	1
Ms. Mudita Mishra	1	0

### KEY MANAGERIAL PERSONNEL

Pursuant to Section 203(1) of the Companies Act 2013 read with Rule 8 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial personnel) Rules 2014, the Key Managerial Personnel are as detailed hereunder:

1. Shri A. V. Girijakumar, Chairman-cum-Managing Director (from 31.05.2017)
2. Shri Sujay Banarji, Whole- time Director, (from 11.08.2016 to 31.01.2018)





3. श्रीमती रश्मि बाजपेयी, कंपनी सचिव (20.08.2017 से)
4. श्री वी. ई. कैमल, पूर्णकालिक निदेशक और महाप्रबंधक (15.11.2016 से 31.12.2017 तक मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नामित किया गया था)
5. श्री अजय गुप्ता, उप-महाप्रबंधक (11.01.2018 से मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नामित किया गया था)

#### ख) स्वतन्त्र निदेशकों द्वारा घोषणा और पुनर्नियुक्ति, यदि कोई हो

श्री जतिंदरबीर सिंह, श्री मिलिंद खरात, श्री पंचानन नायक और श्री असीम चावला, निदेशक द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किए गए हैं कि वे वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उपधारा (6) में यथा प्रदत्त स्वतन्त्रता के मापदण्डों को पूरा करते हैं।

#### ग) औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन

दिनांक 19 मार्च, 2015 को आयोजित बोर्ड की बैठक में निदेशक मण्डल को यह सूचित किया गया था कि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार स्वतन्त्र निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन, मूल्यांकित किए जाने वाले निदेशक को छोड़कर समूचे बोर्ड द्वारा किया जाएगा। मंत्रालय/ कंपनी द्वारा अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन भी किया जाएगा।

#### घ) स्वतन्त्र निदेशकों की बैठक

11.02.2018 को आयोजित 441वीं बोर्ड मीटिंग में, गैर-पदाधिकारी निदेशकों को कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार अपनी बैठक आयोजित करने की आवश्यकताओं को सूचित किया गया। समीक्षा के दौरान पता चला है कि कंपनी को पता नहीं है कि वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की कोई बैठक आयोजित की गई थी या नहीं। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार, निर्दलीय निदेशक कंपनी को सूचित किये बिना बैठक आयोजित कर सकते हैं।

#### 16. निदेशकों और कर्मचारियों के लिए सतर्कता तन्त्र की स्थापना के ब्यौरे

बोर्ड द्वारा विधिवत स्वीकृत व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

3. Mrs. Rashmi Bajpai, Company Secretary (from 20.08.2017)
4. Shri V. E. Kaimal, Whole-time Director & General Manager (was designated as Chief Financial Officer from 15.11.2016 to 31.12.2017)
5. Shri Ajay Gupta, Deputy General Manager (was designated as Chief Financial Officer from 11.01.2018)

#### B) Declaration by the Independent Director(s) and re- appointment, if any

Shri Jatinderbir Singh, Shri Milind Kharat, Shri Panchanan Nayak & Shri Aseem Chawla, Directors had furnished declaration of meeting the criteria of independence for the FY 2017-18, as provided in sub-section (6) of Section 149 of the Companies Act, 2013.

#### C) Formal Annual Evaluation

In the Board Meeting held on 19th March, 2015, the Board of Directors were informed that as per the provisions of the Companies Act, 2013, the performance evaluation of Independent directors shall be done by the entire Board, excluding the Director being evaluated. The performance evaluation of Chairman-cum-Managing Director & Whole-time Directors is also done by the Ministry / Company.

#### D) Meeting of Independent Directors

In the 441<sup>st</sup> Board Meeting held on 11.02.2018, the Non-officio Directors were informed the requirements of holding their Meeting in accordance with provisions of Companies Act 2013. The Company is not aware whether any meeting of Independent Directors was held during the year under review. As per provisions of Companies Act 2013, the Independents Directors can hold the meeting without informing the Company.

#### 16. Details of establishment of vigil mechanism for directors and employees

The whistle blower policy of the Company, duly approved by the Board, is available on the Company's website.





17. धारा 186 के तहत ऋण, गारंटी अथवा निवेश के ब्योरे  
शून्य

18. सम्बद्ध पार्टियों के साथ करार अथवा प्रबन्धन के ब्योरे  
ये ब्योरे निदेशकों के प्रतिवेदन के साथ संलग्न फॉर्म एओसी-2 में दिए गए हैं।

19. प्रबन्धकीय पारिश्रमिक

क) कंपनी (प्रबन्धकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 की धारा 5(2) के अनुसरण में यथापेक्षित कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी का ब्योरा

शून्य

ख) कोई निदेशक जो कंपनी से किसी प्रकार का कमीशन प्राप्त कर रहा है और वह प्रबन्ध निदेशक अथवा कंपनी का पूर्णकालीन निदेशक है, वह बोर्ड के प्रतिवेदन में कंपनी द्वारा प्रकटन के अधीन ऐसी कंपनी की किसी धारक कंपनी अथवा सहायक कंपनी से कोई पारिश्रमिक अथवा कमीशन प्राप्त करेगा।

शून्य

ग) (i) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा पूर्णकालीन निदेशकों को भुगतान किए जाने वाले पारिश्रमिक का विवरण निम्नानुसार है:-

निदेशक का वेतन/DIRECTOR'S SALARY

				(वित्त वर्ष 2017-18)(FY 2017-18)		
क्र. सं. S. No.	नाम	Name	Salary	PF/Pension Contribution	Total	Value of Perquisites
1	श्री ए. वी. गिरिजाकुमार (31.05.2017 से 31.03.2018)	Shri A. V. Girijakumar (31.05.2017 to 31.03.2018)	22,66,816	2,07,260	24,74,076	18,000
2	श्री सुजॉय बनर्जी (01.04.2017 से 31.01.2018)	Shri Sujay Banarji (01.04.2017 to 31.01.2018)	17,94,449	1,26,600	19,21,049	4,37,727
3	श्री वी. ई. कैमल (01.04.2017 से 31.12.2017)	Shri V. E. Kaimal (01.04.2017 to 31.12.2017)	15,88,300	1,11,978	17,00,278	4,01,182
	<b>कुल</b>	<b>Total</b>	<b>56,49,565</b>	<b>4,45,838</b>	<b>60,95,403</b>	<b>8,56,909</b>

(ii) अचल घटक तथा प्रदर्शन मापदण्ड के साथ प्रदर्शन सम्बद्ध प्रोत्साहन का ब्योरा:-

शून्य

(iii) स्टॉक विकल्प का ब्योरा, यदि कोई हो, तथा क्या इसे छूट पर जारी किया गया है और साथ ही वह अवधि जिसमें यह प्रोद्भूत हुआ तथा इसे लिया गया:-

शून्य

17. Particulars of loans, guarantees or investments under section 186

None

18. Particulars of contracts or arrangements with related parties:

The details in Form AOC -2 are annexed to the Director's Report.

19. Managerial Remuneration:

A) Details of the every employee of the Company as required pursuant to 5(2) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014

None

B) Any director who is in receipt of any commission from the company and who is a Managing Director or Whole-time Director of the Company shall receive any remuneration or commission from any Holding Company or Subsidiary Company of such Company subject to its disclosure by the Company in the Board's Report.

None

C) (i) The details of the remuneration paid to CMD & Whole-time directors is given here under:

(ii) Details of fixed component and performance linked incentives along with the performance criteria;

NIL

(iii) Stock option details, if any, and whether the same has been issued at a discount as well as the period over which accrued and over which exercisable.

NIL





## 20. सचिवालयी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

कंपनी की वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सचिवालयी लेखा परीक्षा मैसर्स नीलम गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स, व्यावसायिक कंपनी सचिव द्वारा की गई थी। उनका प्रतिवेदन बोर्ड के प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

वित्त वर्ष 2017-18 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट और उस पर कंपनी के अवलोकन 17 मई 2018 को आयोजित 442वीं बोर्ड मीटिंग में उचित रूप से रखा गया था।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सचिवालयी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तुत टिप्पणी और उन पर हमारे उत्तर निम्नानुसार हैं:-

1. यह सूचित किया जाता है कि 10 जुलाई, 2016 से 28 सितंबर, 2017 की अवधि के लिए निदेशक मंडल की संरचना, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के प्रावधानों के अनुसार नहीं थी, जैसा कि इसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पढ़ा गया था कंपनी के निदेशक मंडल पर स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं है।

### कंपनी का उत्तर:

कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है।

2. यह सूचित किया गया है, कि दिनांक 10 जुलाई, 2016 से 12 नवम्बर, 2017 के बाद से निदेशक मण्डल और कंपनी की लेखा परीक्षा समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 और 177 के प्रावधानों और सहपठित नियमों के अनुरूप नहीं है, जिसके तहत कंपनी के निदेशक मण्डल में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं है।

### कंपनी का उत्तर:

कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है।

3. यह सूचित किया गया है, कि 1 जनवरी, 2018 से निदेशक मंडल की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी (सीएसआर कमेटी) की संरचना, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार नहीं है, नियमों के तहत कंपनी के पास सीएसआर समिति के सदस्य के रूप में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

## 20. Secretarial Audit Report

The Secretarial Audit for FY 2017-18 of the Company was conducted by M/s. Neelam Gupta & Associates, Practicing Company Secretaries. Their report is annexed to the Board's report.

The Secretarial Audit report for the FY 2017-18 and Company's observations on the same were duly placed in 442<sup>nd</sup> Board meeting held on 17<sup>th</sup> May 2018.

The observations in the Secretarial Audit report for FY 2017-18 and our replies thereto are as hereunder:

1. It has been reported that the composition of the Board of Directors for the period 10th July, 2016 to 28th September, 2017, was not as per the provisions of Section 149 of the Companies Act, 2013 read with the rules made thereunder as the Company did not have requisite number of Independent Directors on its Board of Directors.

### Reply of the Company:

The appointment of Directors on the Board of the Company is done by Government of India and the process takes some time.

2. It has been reported that the composition of the Audit Committee of the Board of Directors for the period 10th July, 2016 to 12th November, 2017, was not as per the provisions of Section 177 of the Companies Act, 2013 read with the rules made thereunder as the Company did not have requisite number of Independent Directors on the Audit Committee.

### Reply of the Company:

The appointment of Directors on the Board of the Company is done by Government of India and the process takes some time.

3. It has been reported that the composition of the Corporate Social Responsibility Committee (CSR Committee) of the Board of Directors since 1st January, 2018, is not as per the provisions of Section 135 of the Companies Act, 2013 read with the rules made thereunder as the Company does not have any Independent Director as its member on the CSR Committee.







**कंपनी का उत्तर:**

श्री जतिंदरबीर सिंह बोर्ड की सीएसआर समिति के सदस्य थे और उन्होंने 31.12.2017 को वरिष्ठ पद प्राप्त करने पर निदेशक पद छोड़ दिया। कंपनी मई 2018 में आगामी बोर्ड मीटिंग में बोर्ड की सीएसआर समिति का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव करेगी।

4. यह सूचित किया गया है, कि चालू वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-IV के प्रावधानों के तहत आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक के आयोजन की पुष्टि करने के लिए कंपनी द्वारा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

**कंपनी का उत्तर:**

11.02.2018 को आयोजित 441वीं बोर्ड मीटिंग में, गैर-पदाधिकारी निदेशकों को कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार अपनी बैठक आयोजित करने की आवश्यकताओं की सूचना दी गई थी। समीक्षा में पता चला कि है कंपनी को पता नहीं है कि वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की कोई बैठक आयोजित की गई थी या नहीं। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार, निर्दलीय निदेशक कंपनी को सूचित किये बिना बैठक आयोजित कर सकते हैं।

5. यह सूचित किया जाता है कि कंपनी ने नियमित रूप से एक बीमा कंपनी, स्वास्थ्य बीमा टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ लेनदेन में है। इन लेनदेन को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुसार लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है और कंपनी का संबंधित पार्टी लेनदेन नीति के साथ पढ़ा जाना चाहिए। प्रबंधन का मानना है कि ये लेन-देन व्यापार को बढ़ाने के लिए सामान्य क्रिया हैं। हालांकि, कहा गया कि लेनदेन का ब्यौरा लेखा परीक्षा समिति के समक्ष इसकी मंजूरी के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया।

**कंपनी का उत्तर:**

05.05.2017 को आयोजित बैठक में लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड को एचआईटीपीए के साथ दर्ज लेनदेन के बारे में विधिवत सूचित किया गया था

6. यह बताया गया है कि कंपनी ने निम्नलिखित अवलोकनों के अधीन आईआरडीए द्वारा जारी भारत में बीमा कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों का पालन किया है।

**Reply of the Company:**

Shri Jatinderbir Singh was a member of CSR Committee of the Board and he ceased to be a Director on 31.12.2017 on attaining superannuation. The Company will propose to reconstitute the CSR Committee of the Board in its forthcoming Board Meeting in May 2018.

4. It has been reported that the Company has not produced any evidence to confirm whether or not separate meeting of Independent Directors, required under the provisions of Schedule IV of the Companies Act, 2013, was held during the year.

**Reply of the Company:**

In the 441st Board Meeting held on 11.02.2018, the Non-officio Directors were informed the requirements of holding their Meeting in accordance with provisions of Companies Act 2013. The Company is not aware whether any meeting of Independent Directors was held during the year under review. As per provisions of Companies Act 2013, the Independents Directors can hold the meeting without informing the Company.

5. It has been reported that the Company has regularly entered into transactions with Health Insurance TPA of India Limited, an associate company. These transactions are required to be approved by the Audit Committee pursuant to the provisions of Section 177 of the Companies Act, 2013 read with the rules made thereunder and the Related Party Transactions Policy of the Company. The Management is of the view that these transactions are at an arm's length and in the ordinary course of business. However, the said transactions were not presented before the Audit Committee for its approval.

**Reply of the Company:**

The Audit Committee & Board, in the Meetings held on 05.05.2017, were duly informed of details of transactions entered into with HITPA.

6. It has been reported that the Company has complied with the Corporate Governance Guidelines for Insurers in India issued by IRDA subject to the following observations:





ए) श्री वी. ईश्वर कैमल एक साथ कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी के प्रमुख दो पदभार 31 दिसंबर, 2017 तक नियुक्त थे। यह दिशानिर्देशों के खंड 3ए(2) के अनुसार नहीं था जो निर्धारित करता है कि 'मुख्य प्रबंधन व्यक्ति बीमा कंपनी में दो पदों नियुक्त नहीं होंगे, इससे नेतृत्व करने की रुचि और सक्षमता में कमी आने की संभावना होती है।

#### कंपनी का उत्तर:

कंपनी के दो वरिष्ठ महाप्रबंधक भारत सरकार द्वारा पूर्ण कालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा, श्री वी. ई. कैमल को कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में भी नामित किया गया क्योंकि वह लेखा विभाग का नेतृत्व कर रहे थे। इन्हीं दो स्थितियों के कारण हमें लगा कि नेतृत्व करने की रुचि और सक्षमता में कमी नहीं आ सकती।

बी) यह सूचित किया गया है, कि कंपनी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग (बीमा प्रभाग) के आदेश द्वारा नियुक्त निदेशकों के लिए दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 5.1 में निर्धारित नियुक्ति पत्र जारी नहीं कर रही है। प्रबंधन का मानना है कि केंद्र सरकार द्वारा किए गए निदेशकों की नियुक्ति के लिए बताया गया अनुच्छेद कंपनी पर लागू नहीं है।

#### कंपनी का उत्तर:

कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति आदेश जारी करके भारत सरकार द्वारा की जाती है, इसलिए कंपनी द्वारा पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

सी) यह सूचित किया गया है, कि निदेशक मंडल की संरचना 10 जुलाई, 2016 से 28 सितंबर, 2017 की अवधि के लिए दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 5.1 के अनुसार नहीं थी, क्योंकि उपरोक्त के दौरान निदेशक मंडल में कही गई अवधि के लिए निर्धारित न्यूनतम तीन की बजाय केवल एक स्वतंत्र निदेशक थे। इस संबंध में बिंदु 2 में बताया गया है।

#### कंपनी का उत्तर:

कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है और इस प्रक्रिया में कुछ समय लगता है।

a) Mr. V. Easwara Kaimal was simultaneously holding two key management positions viz. Whole Time Director and Chief Financial Officer in the Company till 31<sup>st</sup> December, 2017. This was not in accordance with *Clause 3A(2) of the Guidelines which prescribes that 'Key Management Person shall not simultaneously hold two positions in the insurance company that could lead to conflict or potential conflicts of interest'*.

#### Reply of the Company:

The two senior most General Managers of the Company are appointed as Whole time Directors by the Government of India. Further, Shri V. E. Kaimal was also designated as Chief Financial Officer of the Company as he was heading Accounts department. These two positions to our mind do not lead to conflict or potential conflicts of interest.

b) It has been reported that the Company is not issuing appointment letters prescribed in Clause 5.1 of the said Guidelines to the Directors appointed by the order of President of India, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services (Insurance Division). The Management is of the view that the said Clause is not applicable to the Company for such appointment of Directors made by the Central Government.

#### Reply of the Company:

The appointment of Directors on the Board of the Company is done by Government of India by issuance of an Order, hence issuing a letter by the Company is not required.

c) It has been reported that the composition of the Board of Directors was not as per Clause 5.1 of the Guidelines for the period 10th July, 2016 to 28<sup>th</sup> September, 2017, as there was only one independent director on the Board of Directors during aforementioned period instead of prescribed minimum of three. Attention is also drawn to point no. 2 hereinabove in this regard.

#### Reply of the Company:

The appointment of Directors on the Board of the Company is done by Government of India and the process takes some time.





डी) यह सूचित किया गया है, कि लेखापरीक्षा समिति की संरचना दिशानिर्देशों की धारा 7.1 के अनुसार नहीं है। दिशानिर्देश प्रदान करते हैं कि लेखापरीक्षा समिति में कम से कम तीन निदेशकों का समावेश होना चाहिए, जिनमें से अधिकतर स्वतंत्र निदेशक होंगे और समिति के अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए। हालांकि, 10 जुलाई, 2016 से 12 नवंबर, 2017 की अवधि के लिए, कंपनी के पास लेखा परीक्षा समिति पर स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यक संख्या नहीं थी। इसके बाद, समिति के अध्यक्ष एक गैर-स्वतंत्र निदेशक हैं। ध्यान बिंदु पर भी ध्यान खींचा जाता है। 3 इस संबंध में यहां पर।

**कंपनी का उत्तर:**

कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है और इस प्रक्रिया में कुछ समय लगता है।

ई) यह सूचित किया गया है, कि निवेश समिति की संरचना 1 जनवरी, 2018 से दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 7.2 के अनुसार नहीं है, क्योंकि 'वित्त प्रमुख' समिति के सदस्य नहीं है।

**कंपनी का उत्तर:**

02.01.2018 के आंतरिक कार्यालय आदेश के अनुसार, श्री अतुल जेराथ, महाप्रबंधक को वित्तीय सलाहकार का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है और वे लेखा विभाग का भी नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए वह वित्त प्रमुख हैं। वह 25.09.2017 से पहले से ही निवेश समिति के सदस्य हैं। हालांकि, श्री अजय गुप्ता, डीजीएम, जो श्री अतुल जेराथ, जीएम को रिपोर्ट कर रहे हैं, को केएमपी की नियुक्ति के लिए लागू प्रावधानों के अनुसार सीएफओ नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, निवेश समिति का गठन कॉर्पोरेट प्रशासन पर आईआरडीएआई दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

एफ) यह सूचित किया गया है, कि दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 7.4 के अनुसार, पॉलिसीधारक संरक्षण समिति को एक गैर-कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता की आवश्यकता है। हालांकि, 12 नवंबर, 2017 तक की अवधि के लिए, पॉलिसीधारक सुरक्षा समिति की अध्यक्षता कंपनी के प्रबंध निदेशक ने की है।

d) It has been reported that the composition of the Audit Committee is not as per the Clause 7.1 of the Guidelines. The Guidelines provide that the Audit Committee should be comprised of a minimum of three directors, majority of whom shall be Independent Directors and the Chairperson of the Committee should be an Independent Director. However, for the period 10th July, 2016 to 12th November, 2017, the Company did not have requisite number of Independent Directors on the Audit Committee. Also thereafter, the Chairman of the Committee is a non-independent director. Attention is also drawn to point no. 3 hereinabove in this regard.

**Reply of the Company:**

The appointment of Directors on the Board of the Company is done by Government of India and the process takes some time.

e) It has been reported that the composition of Investment Committee is not as per the clause 7.2 of the Guidelines since 1st January, 2018, as the 'Chief of Finance' is not a member of the Committee.

**Reply of the Company:**

As per Internal Office order dated 02.01.2018, Shri Atul Jerath, General Manager, has been assigned the additional charge of Financial Advisor and is also heading the Accounts department, hence he is Chief of Finance. He is already a member of Investment Committee since 25.09.2017. However, Shri Ajay Gupta, DGM, who is reporting to Shri Atul Jerath, GM, has been appointed as CFO in accordance with provisions applicable for appointment of KMPs. Further, the Investment Committee is constituted in accordance with IRDAI guidelines on Corporate Governance.

f) It has been reported that the as per the Clause 7.4 of the Guidelines, the Policyholders Protection Committee is required to be headed by a Non-Executive Director. However, for the period upto 12th November, 2017, the Policyholders Protection Committee was headed by the Managing Director of the Company.





## कंपनी का उत्तर:

कंपनी के बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशक श्री मिलिंद खरात को बोर्ड के पॉलिसीधारक सुरक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जिसका 13.11.2017 को आयोजित बोर्ड मीटिंग में अनुमोदन दिया गया था। जैसा कि उपरोक्त बिन्दु नं. 2 में पहले से ही बताया गया है, कंपनी के पास 29.10.2017 तक बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यक संख्या नहीं थी और इसलिए सीएमडी पॉलिसीधारक सुरक्षा समिति का नेतृत्व कर रहे थे।

## 21. जोखिम प्रबंधन नीति

कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति शुरू में 19 अप्रैल, 2012 को आयोजित 401वीं बोर्ड मीटिंग में अनुमोदित की गई। संशोधित जोखिम प्रबंधन नीति को 10 नवंबर, 2016 को आयोजित 433वीं बोर्ड मीटिंग में अनुमोदित किया गया।

## 22. आईआरडीएआई पंजीकरण का नवीकरण

मार्च 2015 में संसद के दोनों सदनों द्वारा बीमा संशोधन विधेयक पारित होने के साथ, आईआरडीएआई द्वारा लाइसेंस का नवीनीकरण के लिए वार्षिक प्रमाणपत्र जारी करने की आवश्यकता समाप्त हो गई। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए शुल्क भारत के बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण को भेजा गया था और इसे रसीद संख्या 1400001267 दिनांक 01.01.2018 के माध्यम से स्वीकार किया गया।

## 23. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि –

- (क) वार्षिक लेखे तैयार करने में वास्तविक विपथन से सम्बन्धित समुचित व्याख्या के साथ लागू लेखामानकों का अनुपालन किया गया है;
- (ख) निदेशकों ने ऐसी लेखानीतियों का चयन किया है और उन्हें निरन्तर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय लिए और अनुमान लगाए हैं जो कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति में कंपनी के मामलों का सही परिदृश्य प्रदान करने तथा उक्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ एवं हानि का सही परिदृश्य प्रदान करने के लिए समुचित थे;
- (ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करने और अन्य अनियमितताओं तथा धोखाधड़ी को रोकने

## Reply of the Company:

Shri Milind Kharat, Non-Executive Director on the Board of the company has been appointed as Chairman of the Policyholder's Protection Committee of the Board as approval was accorded in the Board Meeting held on 13.11.2017. As already stated in Point No. 2 above, the Company did not have requisite number of Independent Directors on its Board till 29.10.2017 and hence the CMD was heading the Policyholder's Protection Committee.

## 21. Risk Management policy

The Risk Management Policy of the Company was initially approved in the 401<sup>st</sup> Board Meeting held on 19<sup>th</sup> April, 2012. The revised Risk Management Policy was approved in the 433<sup>rd</sup> Board meeting held on 10<sup>th</sup> November, 2016.

## 22. Renewal of IRDAI Registration

With the passing of the Insurance amendment Bill by both the houses of parliament in March, 2015, the requirement of issuing Annual Certificate of Renewal of License by IRDAI was done away with. The fee for renewal of annual registration for the FY 2018-19 was remitted to Insurance Regulatory & Development Authority of India and same was acknowledged vide receipt no. 1400001267 dated 01.01.2018.

## 23. Directors' Responsibility Statement

We confirm that

- (a) in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;
- (b) the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;
- (c) the directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this





और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में पर्याप्त लेखा रिकॉर्डों के अनुरक्षण हेतु समुचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है;

(घ) निदेशकों ने सतत् आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए हैं; और

(ङ) निदेशकों ने सभी लागू नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणाली तैयार की है और ऐसी प्रणाली पर्याप्त है तथा प्रभावी रूप से संचालनरत है।

## 24. अभिस्वीकृति

निदेशक मण्डल भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय, वित्तीय सेवा विभाग (बीमा प्रभाग), भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), प्रधान वाणिज्यिक लेखा परीक्षा निदेशक तथा पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड—ए, बीमा परिषद की शासी निकाय (जीबीआईसी) और भारतीय सामान्य बीमाकर्ता सार्वजनिक क्षेत्र परिसंघ (जीआईपीएसए) तथा अन्य सरकारी एवं विनियामक एजेंसियों का उनके मूल्यवान मार्गदर्शन तथा वर्ष भर कंपनी को प्रदत्त सतत् सहायता के लिए आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मण्डल मूल्यवान ग्राहकों, बैंकरों, एजेंटों, सर्वेयर, स्टेकहोल्डरों तथा जनता का कंपनी की सरपरस्ती और कंपनी में जताए गए विश्वास के लिए आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मण्डल कंपनी के समग्र विकास और वृद्धि में प्रत्येक कर्मचारी की वचनबद्धता, भागीदारी की भावना तथा प्रदर्शित प्रदर्शन के लिए अपनी प्रशंसा दर्ज करता है और आगामी वर्षों में कॉरपोरेट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सतत् समर्थन तथा हृदय से सहयोग की आशा करता है।

कृते तथा निदेशक मण्डल की ओर से

**ए.वी. गिरिजाकुमार**

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 17 मई, 2018

Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

(d) the directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and

(e) the directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

## 24. Acknowledgements

The Board of Directors thanks Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services (Insurance Division), Insurance Regulatory & Development Authority of India (IRDAI), the Principal Director of Commercial Audit and Ex-officio Member, Audit Board – II, Governing Body of Insurance Council (GBIC) and General Insurers' Public Sector Association of India (GIPSA) and other government and regulatory agencies for their valuable guidelines and continuous support provided to the company throughout the year.

The Board of Directors are also grateful to the valued customers. Bankers, agents, surveyors, stakeholders and public at large for the patronage and confidence reposed in the Company.

The Board of Directors places on record their appreciation for the commitment. Sense of involvement and dedication exhibited by each staff member in the overall development and growth of the Company and look forward to the continued support and whole hearted cooperation for the realization of the corporate goals in the year ahead.

For and on behalf of the Board of Directors

**A.V. Girijakumar**

Chairman-cum-Managing Director

Place: New Delhi

Date: 17<sup>th</sup> May, 2018







**फॉर्म संख्या एओसी-2**

(अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (छ) तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में)

**सब्सिडी / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताएं वाले वक्तव्य में वक्तव्य**

**भाग 'क': सहायक**

(प्रत्येक सहायक कंपनी के संबंध में जानकारी की राशि रूपये में प्रस्तुत की गई है)

**Form AOC-I**

(Pursuant to first proviso to sub-section (3) of section 129 read with rule 5 of Companies (Accounts) Rules, 2014)

**Statement containing salient features of the financial statement of subsidiaries/associate companies/joint ventures**

**Part "A": Subsidiaries**

(Information in respect of each subsidiary to be presented with amounts in Rs)

Sl. No.	विवरण	Particulars	ब्यौरा/Details
1.	सहायक का नाम	Name of the subsidiary	THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LTD.
2.	संबंधित होल्डिंग के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि होल्डिंग से अलग है	Reporting period for the subsidiary concerned, if different from the holding company's reporting period	
3.	विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि के अनुसार मुद्रा और विनिमय दर की रिपोर्ट।	Reporting currency and Exchange rate as on the last date of the relevant Financial year in the case of foreign subsidiaries.	लागू नहीं/N.A.
4.	शेयर पूंजी	Share capital	500000
5.	भंडार और अधिशेष	Reserves & surplus	-899713
6.	कुल संपत्ति	Total assets	536950
7.	कुल देयताएँ	Total Liabilities	936663
8.	निवेश	Investments	शून्य/NIL
9.	टर्नओवर	Turnover	शून्य/NIL
10.	कराधान से पहले लाभ	Profit before taxation	शून्य/NIL
11.	कराधान के लिए प्रावधान	Provision for taxation	शून्य/NIL
12.	कराधान के बाद लाभ	Profit after taxation	शून्य/NIL
13.	प्रस्तावित लाभांश	Proposed Dividend	शून्य/NIL
14.	शेयरहोल्डिंग का %	% of shareholding	100%

**नोट्स:** निम्नलिखित जानकारी कथन के अंत में प्रस्तुत की जाएगी:

1. सहायक कंपनियों के नाम जो अभी तक संचालन शुरू नहीं कर रहे हैं
2. सहायक कंपनियों के नाम जिन्हें वर्ष के दौरान समाप्त या बेचा गया है।

**Notes:** The following information shall be furnished at the end of the statement:

1. Names of subsidiaries which are yet to commence operations
2. Names of subsidiaries which have been liquidated or sold during the year.





**भाग 'ख': एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यम**

एसोसिएट कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 12 9 (3) के अनुसार वक्तव्य

**Part "B": Associates and Joint Ventures**

Statement pursuant to Section 129 (3) of the Companies Act, 2013 related to Associate Companies and Joint Ventures

एसोसिएट्स / संयुक्त उद्यमों का नाम	Name of Associates/Joint Ventures	इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड India International Insurance Pvt Ltd.	भारत के स्वास्थ्य टीपीए Health TPA of India
1. नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट तिथि	1. Latest audited Balance Sheet Date	31.12.2017	31.03.2018
2. साल के अंत में कंपनी द्वारा आयोजित एसोसिएट / संयुक्त उद्यमों के शेयर	2. Shares of Associate/Joint Ventures held by the company on the year end No.	10000000	28500000
एसोसिएट्स / संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि	Amount of Investment in Associates/Joint Venture	39110460	285000000
होल्डिंग: का विस्तार	Extend of Holding %	20%	23.75%
3. महत्वपूर्ण प्रभाव कैसे है इसका विवरण	3. Description of how there is significant influence	Our Shareholding	Our Shareholding
4. सहयोगी / संयुक्त उद्यम समेकित क्यों नहीं है	4. Reason why the associate/joint venture is not consolidated		
5. नेटवर्थ नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार शेयरहोल्डिंग के लिए जिम्मेदार है	5. Networth attributable to Shareholding as per latest audited Balance Sheet	3741980000	198075000
6. वर्ष के लिए लाभ / हानि	6. Profit / Loss for the year	145102341	(159552338)
i. समेकन में माना जाता है	i. Considered in Consolidation	(18465000)	(37893680)
ii. समेकन में नहीं माना जाता है	ii. Not Considered in Consolidation	163567341	(121658658)

1. सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के नाम जो अभी तक संचालन शुरू नहीं कर रहे हैं।
2. सहयोगी या संयुक्त उद्यमों के नाम जिन्हें वर्ष के दौरान समाप्त या बेचा गया है।

1. Names of associates or joint ventures which are yet to commence operations.
2. Names of associates or joint ventures which have been liquidated or sold during the year.

**नोट:** इस फॉर्म को उसी तरीके से प्रमाणित किया जाना चाहिए जिसमें बैलेंस शीट को प्रमाणित किया जाना है।

**Note:** This Form is to be certified in the same manner in which the Balance Sheet is to be certified.





**फॉर्म संख्या एओसी-2**

**(अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (छ) तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में)**

कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में उल्लिखित संबंध पार्टियों के साथ तीसरे पक्ष के तहत कुछ लेनदेन सहित किए गए अनुबंधों/करारों के विवरण प्रकट करने वाला प्रपत्र

**1. उन करारों अथवा प्रबंधों अथवा लेनेदेन का विवरण जो नजदीकी आधार पर नहीं है:**

वित्तीय वर्ष 1/04/2017 से 31/03/2018 तक और उचित पहुंच के बाहर के या व्यवस्था या लेनदेन का विवरण: शून्य

संबंधित पार्टी के नाम Name(s) of the related party	रिश्ते के प्रकृति Nature of relationship	लेन देन की अवधि Duration of the transactions	मुख्य शर्तें Salient terms	इस तरह के अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन में परिवेश करने के लिए औचित्य Justification for entering into such contracts or arrangements or transactions	बोर्ड द्वारा स्वीकृत की तारीख, यदि कोई हो Date(s) of approval by the Board, if any	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि Amount paid as advances	धारा 188 के पहले प्रावधान के अनुसार जरूरी तारीख, जिस पर सामान्य बैठक में विशेष प्रस्तावित पारित किया गया था Date on which the special resolution was passed in general meeting as required under first proviso to section 188
अनुबंध की प्रकृति Nature of Contract							
एन.ए. N.A.	एन.ए. N.A.	एन.ए. N.A.	एन.ए. N.A.	एन.ए. N.A.	एन.ए. N.A.	एन.ए. N.A.	एन.ए. N.A.

**2. बांह की लंबाई के आधार पर सामग्री के अनुबंध या व्यवस्था या लेनेदेन का विवरण**

वित्तीय वर्ष 1/04/2017 से 31/3/2018 तक पहुंच के अन्दर के आधार पर सामग्री के अनुबंध या व्यवस्था या लेनेदेन का विवरण:

**Form No. AOC-2**

**(Pursuant to clause (h) of sub-section (3) of section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014)**

Form for disclosure of particulars of contracts/arrangements entered into by the company with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 including certain arms length transactions under third proviso thereto

**1. Details of contracts or arrangements or transactions not at arm's length basis:**

Details of contracts or arrangements or transactions not at arm's length basis for the financial year 01/04/2017 to 31/03/2018: **NIL**

**2. Details of material contracts or arrangement or transactions at arm's length basis:**

Details of material contracts or arrangement or transactions at arm's length basis for the financial year 01/04/2017 to 31/03/2018:





संबंधित पार्टी के नाम Name(s) of the related party	रिश्ते के प्रकृति Nature of relationship	लेन देन की अवधि Duration of the transactions	अनुबंधों या व्यवस्था या लेनदेन के मुख्य नियम, यदि कोई हो तो Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any	बोर्ड द्वारा स्वीकृति की तारिखें यदि कोई हो Date(s) of approval by the Board, if any	राशि (एनआरए लाख में) Amount (in INR Lacs)
<b>Nature of Contract</b>					
Investment in Equity Instrument					
The Industrial Credit Company Limited	Subsidiary	Not Applicable	Not Applicable	Refer Note No. 1	5.00
Health Insurance TPA of India Ltd.	Associates	Not Applicable	Not Applicable	Refer Note No. 2	1980.75
India International Insurance Pte. Ltd	Associates	Not Applicable	Not Applicable	Refer Note No. 3	391.10
Advances given					
The Industrial Credit Company Limited	Subsidiary	Upto 31 <sup>st</sup> March, 2018	Unsecured	Refer Note No. 4	8.22
Dividend Received					
India International Insurance Pte. Ltd	Associates	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	474.86

**नोट:**

इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड –जीआईबीएनए 1972 के आधार पर दि ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की सहायक कंपनी है।

इंडिया इंटरनेशनल इश्योरेंस पीटीई, सिंगापुर—मूल निवेश 8 जनवरी 1988 को किया गया था और इसके बाद बोनस शेयर और राइट्स इश्यू किया गया।

कंपनी ने 14 जून, 2017 को आयोजित बैठक में बोर्ड की मंजूरी मांगी थी।

ह/-

ए.वी. गिरिजाकुमार  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

**Note:**

- The Industrial Credit Company Limited- is a subsidiary of The Oriental Insurance Company Limited by virtue of GIBNA-1972.**
- India International Insurance Pte., Singapore- Original investment was made on 8th January, 1988 and was followed by Bonus shares and Rights issue.**
- The Company sought approval of the Board in its Meeting held on 14th June, 2017.**

-Sd/-

A.V. Girijakumar  
Chairman-cum-Managing Director





फॉर्म संख्या एमजीटी-9  
एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न  
जैसा कि वित्तीय वर्ष 31/03/2018 को समाप्त हुआ था  
[कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) और नियम 12(1) के  
अनुसार कंपनियों (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014]

**Form No. MGT-9**  
EXTRACT OF ANNUAL RETURN  
as on the financial year ended on 31/03/2018  
[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act 2013  
and rule 12(1) of the  
Companies (Management and Administration) Rules,  
2014]

**1. पंजीकरण एवं अन्य ब्यौरे:**

**1. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:**

i)	सीआईएन:- CIN :-	U66010DL1947GOI007158
ii)	पंजीकरण की तिथि Registration Date	12/9/1947
iii)	कंपनी का नाम Name of The Company	दि ओरिएंटल इंडियोरेंस कंपनी लिमिटेड THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED
iv)	कंपनी का श्रेणी / उप-श्रेणी Category/Sub-Category of The Company	सरकारी कंपनी GOVERNMENT COMPANYY
v)	पंजीकृत कार्यालय का पता और दूरभाष विवरण Address of the Registered office and contact details	"ओरिएंटल हाउस" ए-25/27 आसफ अली रोड नई दिल्ली-110002 दूरभाष / फ़ैक्स: 011.23287204  "ORIENTAL HOUSE", A-25/27 ASAF ALI ROAD, DELHI-110002 TEL/FAX: 011-23287204, WEB: WWW.ORIENTALINSURANCE.ORG.IN E-MAIL: RASHMIBAJPAI@ORIENTALINSURANCE.CO.IN
vi)	क्या सूचीबद्ध कंपनी है हां / नहीं Whether listed company	नहीं NO
vii)	रजिस्ट्रार तथा ट्रांसफर एजेंट का नाम पता और संपर्क विवरण, यदि कोई हो Name , Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any	लागू नहीं N/A

**II. कंपनी का मुख्य व्यापार गतिविधियां**

कंपनी के टर्नओवर का 10 प्रतिशत अथवा अधिक का अंशदान करने वाली व्यापार गतिविधियां:-

**II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY**

All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated:-

क्र. सं. Sl No.	मुख्य उत्पाद/सेवाओं का नाम और विवरण Name and Description of main products/services	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड NIC Code of the Product/service	कंपनी के कुल टर्नओवर का प्रतिशत % to total turnover of the company
1	गैर जीवन बीमा NON-LIFE INSURANCE	6512	100%







III. धारक, सब्सीडरी और एसोसिएट कंपनी का विवरण

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES-

क्र. स. S. No.	कंपनी का नाम और पता Name and Address of The Company	सीआईएन/जीएलएन CIN/GLN	धारक/ सब्सीडरी एसोसिएट Holding/Subsidiary/ Associate	धारित शेयरों का प्रतिशत % of Shares Held	लागू धारा Applicable Section
1	THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED REGD ADDRESS "ORIENTAL HOUSE" , A-25/27 ASAF ALI ROAD, DELHI-110002	U65921DL1930GOI00216	सहायक SUBSIDIARY	100%	SEC 2(46)
2	INDIA INTERNATIONAL INSURANCE PTE. LTD., SINGAPORE	लागू नहीं Not Applicable	एसोसिएट्स ASSOCIATE	20%	SEC 2(6)
3	HEALTH INSURANCE TPA OF INDIA	U85100DL2013PLC256581	सब्सिडरी ASSOCIATE	23.75%	SEC 2(6)

IV. शेयरहोल्डिंग प्रतिरूप

(कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रेकअप)

i) श्रेणीवार शेयर होल्डिंग

IV. SHARE HOLDING PATTERN

(Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

i) Category-wise Share Holding

शेयरधारकों की श्रेणी	Category of Shareholders	वर्ष की शुरुआत में आयोजित शेयरों की संख्या No. of Shares held at the beginning of the year				वर्ष की अंत में आयोजित शेयरों की संख्या No. of shares held at the end of the year				वर्ष के दौरान बदलाव अनुपात %Change during the year
		डिमेंट Demat	भौतिक physical	कुल Total	कुल शेयर में बदलाव अनुपात % of Total Share	डिमेंट Demat	भौतिक physical	कुल Total	कुल शेयर में बदलाव अनुपात % of Total Share	
<b>क) प्रमोटर</b>	A. Promoters									
1) भारतीय	(1) Indian									
क) वैयक्तिक / एचयूएफ	a) Individual/HUF	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
ख) केन्द्र सरकार	b) Central Govt.	0	200000000	200000000	100%	0	200000000	200000000	100%	0%
ग) राज्य सरकार	c) State Govt(s)	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
घ) निकाय निगम	d) Bodies Corp.	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
ड) बैंक / एफआई	e) Banks/ FI	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
च) अन्य कोई	f) Any Other	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
<b>उप-योग (क) (1):-</b>	<b>Sub-total (A) (1):-</b>	<b>0</b>	<b>200000000</b>	<b>200000000</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>200000000</b>	<b>200000000</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>
(2) विदेशी	(2) Foreign									
क) एनआरआई – वैयक्तिक	a) NRIs-Individuals	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
ख) अन्य – वैयक्तिक	b) Other-Individuals	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
ग) निकाय निगम	c) Bodies Corp.	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
घ) बैंक / एफआई	d) Banks/FI	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
ड) अन्य कोई	e) Any Other..	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
<b>उप-योग (क) (2):-</b>	<b>Sub-total (A) (2):-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
प्रमोटर की कुल शेयरहोल्डिंग	Total Shareholding of Promoter									





शेयरधारकों की श्रेणी	Category of Shareholders	वर्ष की शुरुआत में आयोजित शेयरों की संख्या No. of Shares held at the beginning of the year				वर्ष की अंत में आयोजित शेयरों की संख्या No. of shares held at the end of the year				वर्ष के दौरान बदलाव अनुपात %Change during the year
		डिमेंट Demat	भौतिक physical	कुल Total	कुल शेयर में बदलाव अनुपात % of Total Share	डिमेंट Demat	भौतिक physical	कुल Total	कुल शेयर में बदलाव अनुपात % of Total Share	
क= (क)(1)+(क)(2)	A= (A) )+(A)(2)	0	200000000	200000000	100%	0	200000000	200000000	100%	0%
<b>ख. पब्लिक शेयरहोल्डिंग</b>	<b>B. Public Shareholding</b>									
<b>1. संस्थाएं</b>	<b>1. Institutions</b>									
क) म्यूचुअल फंड	a) Mutual Funds	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
ख) बैंक/एफआई	b) Banks/FI	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
ग) केंद्र सरकार	c) Central Govt	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
घ) राज्य सरकार	d) State Govt(s)	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
ड) वेंचर कैपिटल फंड	e) Venture Capital Funds	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
च) बीमा कंपनियां	f) Insurance Companies	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
छ) एफआईआईएस	g) FIIs	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
ज) बीमा कंपनियां	h) Foreign Venture Capital Funds	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
झ) अन्य (उल्लेख करें)	i) Others (Specify)	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
उप-योग (ख) (1)	Sub-total (B) (1):-	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
<b>2. गैर- संस्थाएं</b>	<b>2. Non-Institutions</b>									
क) निकाय निगम	a) Bodies Corp.									
i) भारतीय	i) Indian	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
ii) विदेशी	ii) Overseas	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
ख) वैयक्तिक	b) Individuals									
i) 1 लाख रुपए तक आंशिक शेयर पूंजी धारी वैयक्तिक शेयर होल्डर	i) Individual Shareholders holding nominal share capital upto Rs. 1 Lakh	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
ii) 1 लाख रुपए से अधिक आंशिक शेयर पूंजी धारी वैयक्तिक शेयर होल्डर	ii) Individual Shareholders holding nominal share capital in excess of Rs. 1 Lakh	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
ग) अन्य (उल्लेख करें)	c) Others (specify)	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
उप-योग (ख) (2):-	Sub-total (B) (2):-	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
<b>कुल पब्लिक शेयरहोल्डिंग ख = (ख)(1)+(ख)(2)</b>	<b>Total Public Shareholding B=(B) (1) + (B)(2)</b>	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
ग) जीडीआर और एडी. आर. के लिए क्रस्टोडियन द्वारा धारित शेयर	C. SHARES HELD BY CUSTODIAN FOR GDRs & ADRs	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
<b>सकल योग</b>	<b>GRAND TOTAL</b>									
<b>(क+ख+ग)</b>	<b>(A+B+C)</b>	0	200000000	200000000	100%	0	200000000	200000000	100%	0%





ii) प्रमोटरों का शेयरहोल्डिंग

ii) Shareholding of Promoters

क्र.सं. SI No.	शेयरहोल्डर का नाम Shareholders Name	वर्ष की शुरुआत में शेयरहोल्डिंग Shareholding at the beginning of the year			वर्ष के अंत में शेयरहोल्डिंग Shareholding at the end of the year			वर्ष के दौरान शेयरहोल्डिंग में परिवर्तन % change in shareholding during the year
		शेयरों की संख्या No. of Shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total Shares of the company	शेयरों का % कुल शेयरों के लिए वचनबद्ध / एकत्रित % of shares Pledged/ encumbered to total shares	शेयरों की संख्या No. of Shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total Shares of the company	शेयरों का % कुल शेयरों के लिए वचनबद्ध / एकत्रित % of shares Pledged/ encumbered to total shares	
1	भारत के राष्ट्रपति PRESIDENT OF INDIA	200000000	100%	0%	200000000	100%	0%	0%
	कुल / Total	200000000	100%	0%	200000000	100%	0%	0%

iii) प्रमोटरों के शेयरहोल्डिंग में बदलें (कृपया निर्दिष्ट करें, अगर कोई बदलाव नहीं है) - कोई परिवर्तन नहीं

iii) Change in Promoters' Shareholding (Please Specify, if there is no change) - No Change

क्र.सं. SI No.			वर्ष की शुरुआत में शेयरहोल्डिंग Shareholding at the beginning of the year		वर्ष की शुरुआत में शेयरहोल्डिंग Shareholding at the beginning of the year	
			शेयरों की संख्या No. of Shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total Shares of the company	शेयरों की संख्या No. of Shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total Shares of the company
1	वर्ष के आरंभ में	At the beginning of the year				
2	वर्ष के दौरान प्रमोटरों की तारीख-वार शेयरहोल्डिंग में वृद्धि/कमी (उदाहरण आबंटन/अंतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी इत्यादि)	Date wise increase/Decrease in Promoters Shareholding during the year specifying the reasons for increase/ decrease (e.g. allotment/transfer/bonus/sweat equity etc):				
3	वर्ष के अंत में	At the End of the year				





- iv) सर्वोच्च दस शेयरधारकों की शेयरहोल्डिंग पद्धति (जीडीआर तथा एडीआर के निदेशकों, प्रमोटर्स तथा धारकों के इतर)  
 iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (Other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

क्र.सं. Sl No.	सर्वोत्तम 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	For Each of the TOP 10 Shareholders	वर्ष की शुरुआत में शेयरहोल्डिंग Shareholding at the beginning of the year		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग Cumulative Shareholding during the year	
	नाम	Name	शेयरों की संख्या No. of Shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total Shares of the company	शेयरों की संख्या No. of Shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total Shares of the company
1	वर्ष के आरंभ में	At the beginning of the year	0	0%	0	0%
	वर्ष के दौरान प्रमोटर्स की तारीख-वार शेयरहोल्डिंग में वृद्धि/कमी (उदाहरण आबंटन/अंतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी इत्यादि)	Date wise Increase/Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase/decrease(e.g. allotment/transfer/bonus/sweat equity etc):	0	0%	0	0%
	वर्ष के अंत में (अथवा यदि वर्ष के दौरान अलग हुए हों तो पृथकीकरण की तारीख)	At the End of the year (Or on the date of seperation, if seperated during the year)	0	0%	0	0%
	वर्ष के आरंभ में	At the beginning of the year	0	0%	0	0%
	वर्ष के दौरान प्रमोटर्स की तारीख-वार शेयरहोल्डिंग में वृद्धि/कमी (अदाहरण आबंटन/अंतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी इत्यादि)	Date wise Increase/Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase/decrease(e.g. allotment/transfer/bonus/sweat equity etc):	0	0%	0	0%
	वर्ष के अंत में	At the End of the year (Or on the date of seperation, if seperated during the year)	0	0%	0	0%

- v) निदेशकों तथा प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरहोल्डिंग  
 v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

Sl. No.	निदेशकों और केएमपी प्रत्येक के लिए	"For Each of the Directors and KMP"	वर्ष की शुरुआत में शेयरहोल्डिंग Shareholding at the beginning of the year		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग Cumulative Shareholding during the year	
			शेयरों की संख्या No. of Shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total Shares of the company	शेयरों की संख्या No. of Shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total Shares of the company
1	वर्ष के आरंभ में	At the beginning of the year	0	0%	0	0%
	वर्ष के दौरान प्रमोटर्स की तारीख-वार शेयरहोल्डिंग में वृद्धि/कमी (अदाहरण आबंटन/अंतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी इत्यादि)	Date wise Increase / Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc):	0	0%	0	0%
	वर्ष के अंत में	At the End of the year	0	0%	0	0%
2	वर्ष के आरंभ में	At the beginning of the year	0	0%	0	0%
	वर्ष के दौरान प्रमोटर्स की तारीख-वार शेयरहोल्डिंग में वृद्धि/कमी (अदाहरण आबंटन/अंतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी इत्यादि)	Date wise Increase / Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc):	0	0%	0	0%
	वर्ष के अंत में	At the End of the year	0	0%	0	0%





V. ऋणग्रस्तता

बकाया/अर्जित परंतु भुगतान के लिए देय नहीं ब्याज सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता

V. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/ accrued but not due for payment

		जमा को छोड़कर आरक्षित ऋण Secured Loans excluding deposits	अनारक्षित ऋण Unsecured Loans	जमा Deposits	कुल ऋणग्रस्तता Total Indebtedness
वित्तीय वर्ष के आरंभ में इनडेबिटनेस	Indebtedness at the beginning of the financial year				
i) प्रमुख राशि	i) Principal Amount	0	0	0	0
ii) देय परंतु भुगतान नहीं किया गया ब्याज	ii) Interest due but not paid	0	0	0	0
iii) अर्जित परंतु देय नहीं ब्याज	iii) Interest accrued but not due	0	0	0	0
कुल (i+ii+iii)	Total (i+ii+iii)	0	0	0	0
वित्तीय वर्ष के दौरान इनडेबिटनेस में परिवर्तन	Change in indebtedness during the financial year				
*जमा	* Addition	0	0	0	0
*कमी	* Reduction	0	0	0	0
निवल परिवर्तन	Net Change	0	0	0	0
वित्तीय वर्ष के अंत में इनडेबिटनेस	Indebtedness at the end of the financial year				
i) प्रमुख राशि	i) Principal Amount	0	0	0	0
ii) देय परंतु भुगतान नहीं किया गया ब्याज	ii) Interest due but not paid	0	0	0	0
iii) अर्जित परंतु देय नहीं ब्याज	iii) Interest accrued but not due	0	0	0	0
कुल (i+ii+iii)	Total (i+ii+iii)	0	0	0	0







VI. निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालीन निदेशकों और/अथवा प्रबंधकों का पारिश्रमिक:

VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Managers:

क्र. सं. SI No.	पारिश्रमिक का विवरण Particulars of Remuneration ↓	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम Name of MD/WTD/Manager			Total Amount
		1	2	3	
		श्री ए वी गिरिजाकुमार (31/05/2017 से सीएमडी के रूप में नियुक्त) SH. A.V. Girijakumar (APPOINTED AS CMD FROM 31/05/2017)	श्री सुजॉय बनर्जी (01/04/2017-31/01/2018) SH. SUJAY BANARJI (01/04/2017-31/01/2018)	श्री विष्णु नाम्बुदरी ईश्वर कैमल (01/04/2017- 31/12/2017) SH. VISHNU NAMBOODIRI EASWAR KAIMAL (01/04/2017- 31/12/2017)	
1	सकल वेतन/Gross salary				
	क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधान के अनुसार वेतन (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act 1961	2474076	1921049	1700278	6095403
	ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत परक्यूसिट का मूल्य (b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income Tax Act 1961	18000	437727	401182	856909
	ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) वेतन के लिए लाभ (c) Profits in lieu of salary u/s 17(3) of the Income Tax Act 1961				0
2	स्टॉक ऑप्शन/Stock Option				0
3	स्वीट इक्विटी / Sweat Equity				0
4	कमीशन / Commission				0
	- लाभ के प्रतिशत के रूप में - as % of Profit				0
	- अन्य, उल्लेख करें - others, specify				0
5	अन्य, कृपया उल्लेख करें Others, please specify				0
	कुल (क) Total (A)	2492076	2358776	2101460	6952312
	अधिनियम के अनुसार Ceiling as per the Act				

ख. अन्य निदेशक का पारिश्रमिक

B. Remuneration to Other Directors:

SI No.	पारिश्रमिक का विवरण Particulars of Remuneration	Name of MD/WTD/Manager				Total Amount
		1	2	3	4	
	1) स्वतंत्र निदेशक 1) Independent Directors	श्री जातिंदरबिर सिंह (01/04/2017 से 31/12/2017 तक) SH JATINDERBIR SINGH (01/04/2017 to 31/12/2017)	श्री मिलिंद खरात (29/09/2017 से 31/03/2018 तक) SH MILIND KHARAT (From 29/09/2017 to 31/03/2018)	श्री पंचानन नायक (29/09/2017 से 31/03/2018 तक) SH PANCHANAN NAYAK (From 29/09/2017 to 31/03/2018)	श्री असीम चावला (2 9/09/2017 से 31/03/2018 तक) SH ASEEM CHAWALA (From 29/09/2017 to 31/03/2018)	
	*बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए फीस *Fee for attending Board committee meetings		120000	90000	110000	320000
	*कमीशन / *Commission	0	0			0
	*अन्य, कृपया उल्लेख निदेशक *Others, please specify					0





SI No.	पारिश्रामिक का विवरण Particulars of Remuneration	Name of MD/WTD/Manager				Total Amount
		1	2	3	4	
	1) स्वतंत्र निदेशक 1) Independent Directors	श्री जातिंदरबिर सिंह (01/04/2017 से 31/12/2017 तक) SH JATINDERBIR SINGH (01/04/2017 to 31/12/2017)	श्री मिलिंद खरात (29/09/2017 से 31/03/2018 तक) SH MILIND KHARAT (From 29/09/2017 to 31/03/2018)	श्री पंचानन नायक (29/09/2017 से 31/03/2018 तक) SH PANCHANAN NAYAK (From 29/09/2017 to 31/03/2018)	श्री असीम चावला (2 9/09/2017 से 31/03/2018 तक) SH ASEEM CHAWALA (From 29/09/2017 to 31/03/2018)	
	कुल (1) Total (1)	0	120000	90000	110000	320000
2.	अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक Other Non-Executive Directors	डॉ. एन श्रीनिवास राव (01/04/2017 से 31/03/2018) DR. N. SRINIVASA RAO (01/04/2017 to 31/03/2018)	सुश्री मुदिता मिश्रा (01/04/2017 से 31/03/2018) MS MUDITA MISHRA (01/04/2017 to 31/03/2018)			
	*बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए फीस *Fee for attending Board committee meetings	0	0			0
	*कमीशन *Commission					0
	*अन्य, कृपया उल्लेख निदेशक *Others, please specify					0
	कुल (2) /Total (2)	0	0			0
	कुल (ख)=(12) Total (B)=(1+2)	0	120000	90000	110000	320000
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रामिक Total Managerial Remuneration					7272312
	अधिनियम के अनुसार Ceiling as per the Act					

ग. एमडी/प्रबंधक/डब्ल्यूडी से इतर प्रमुख प्रबंधकी कार्मिक का पारिश्रामिक

C. Remuneration to Key Managerial Personnel other than MD/Manager/WTD

SI No.	पारिश्रामिक का विवरण Particulars of Remuneration	कंपनी सचिव COMPANY SECRETARY	सीएफओ CFO		कुल Total
		सुश्री रश्मि बाजपेयी (01/04/2017 से 31/03/2018) MS RASHMI BAJPAI (01/04/2017 To 31/03/2018)	श्री विष्णु नंबूद्री ईश्वर कैमल (01/04/2017 से 31/12/2017 तक) SH. VISHNU NAMBOODIRI EASWAR KAIMAL ( From 01/04/2017 To 31/12/2017)	श्री अजय गुप्ता (सीएफओ के रूप में नियुक्त 11/01/2018 से) SH. AJAY GUPTA (Appointed as CFO w.e.f. 11/01/2018)	
1	सकल वेतन Gross Salary				
	क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधान के अनुसार वेतन (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	1910877	1700278	568886	4180041





	ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) में तहत परक्यूज़िट का मूल्य	(b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income -tax Act, 1961	26540	401182	9760	437482
	ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के लिए लाभ	(c) Profits in lieu of salary u/s 17(3) of the Income Tax Act 1961				0
2	स्टॉक ऑप्शन	Stock Option				0
3	स्वीट इक्विटी	Sweat Equity				0
4	कमीशन	Commission				
	- लाभ के प्रतिशत के रूप में	- as % of Profit				0
	- अन्य, उल्लेख करें	- others, specify				0
5	अन्य, कृपया उल्लेख करें	Others, please specify				0
	कुल	Total	1937417	2101460	578646	4617523

VII. दंड / सजा/ अपराध समझौता

VII. PENALTIES/ PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES:

	प्रकार Type	कंपनी अधिनियम का धारा Section of the Companies Act	संक्षिप्त विवरण Brief Description	जुर्माना / सजा / कंपाउंडिंग शुल्क का विवरण लगाया गया Details of Penalty/ Punishment/ Compounding fee imposed	प्राधिकरण रिजिस्ट्रार / एनसीएलटी / कोर्ट, Authority [RD/ NCLT/ COURT]	अपील अगर कोई है (विवरण दें) Appeal made if any (give Details)
<b>ए. कंपनी</b>	<b>A. COMPANY</b>		कंपनी अधिनियम के तहत कोई दंड नहीं लगाया गया No Penalty imposed under Companies Act			
दंड	Penalty					
सजा	Punishment					
कंपाउंडिंग	Compounding					
<b>बी. निर्देशक</b>	<b>B. DIRECTORS</b>		कंपनी अधिनियम के तहत कोई दंड नहीं लगाया गया No Penalty imposed under Companies Act			
दंड	Penalty					
सजा	Punishment					
कंपाउंडिंग	Compounding					
<b>सी. अन्य अधिकारी डिफॉल्ट में</b>	<b>C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT</b>		कंपनी अधिनियम के तहत कोई दंड नहीं लगाया गया No Penalty imposed under Companies Act			
दंड	Penalty					
सजा	Punishment					
कंपाउंडिंग	Compounding					

ए.वी. गिरिजाकुमार  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
A. V. Girijakumar  
Chairman-cum-Managing Director

बलवंत सिंह  
निदेशक और महाप्रबंधक  
Balwant Singh  
Director & General Manager

अतुल जेराथ  
वित्तीय सलाहकार और महाप्रबंधक  
Atul Jerath  
Financial Advisor & General Manager

अजय गुप्ता  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
Ajay Gupta  
Chief Financial Officer

रश्मि बाजपेयी  
कंपनी सचिव  
Rashmi Bajpai  
Company Secretary





## 17सीएसआर गतिविधियों के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट (बोर्ड की बैठक का अनुबंध)

1. किए जाने के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के अवलोकन सहित कंपनी की सीएसआर नीति का संक्षिप्त विवरण और सीएसआर नीति के वेब लिंक और परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों का संदर्भ

कंपनी की सीएसआर नीति दिनांक 23 सितम्बर, 2014 को आयोजित बोर्ड की सीएसआर उपसमिति की बैठक में अनुमोदित की गई थी और निदेशक मण्डल के दिनांक 25 सितम्बर, 2014 के परिपत्र संकल्प संख्या बी-8/2014 द्वारा अनुमोदित की गई थी। दिनांक 30 नवम्बर, 2015 और दिनांक 29 जनवरी, 2016 को आयोजित बोर्ड की बैठक में बोर्ड की सीएसआर उपसमिति द्वारा सीएसआर नीति में 3 संशोधनों की सिफारिश की गई थी जिन्हें निदेशक मण्डल द्वारा क्रमशः दिनांक 29 जनवरी, 2016, 2 मई, 2016 और 5 मई, 2017 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित किया गया।

सीएसआर नीति कंपनी के दृष्टिकोण के अनुरूप है और यह वृहत रूप से समाज और निःशक्तजनों के लाभ पर केन्द्रित है।

सीएसआर नीति सीएसआर पहलुओं पर केन्द्रित है जो ओरिएंटल इश्योरेंस के लिए समुदाय की भावना तैयार करती है और कंपनी की सकारात्मक एवं सामाजिक जिम्मेदारी की तस्वीर पैदा करती है। पॉलिसी में चुने गए प्रमुख क्षेत्र कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII के अनुसरण में हैं। प्रस्तावित सभी परियोजनाएँ भी कंपनी के अधिनियम की अनुसूची-VII पर आधारित हैं। संचालन सम्भार तन्त्रों के दिशानिर्देश सीएसआर पॉलिसी में दिए गए हैं।

एसआर नीति के आधार पर सीएसआर रणनीति और वार्षिक कार्य योजना तैयार की गई है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक कार्ययोजना (चरणबद्ध) सीएसआर उपसमिति द्वारा दिनांक 22 अप्रैल, 2016 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित की गई थी उसके पश्चात् बोर्ड की सीएसआर उपसमिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अधिक सीएसआर पहल करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया।

कंपनी द्वारा कंपनी के वेब पोर्टल होम पेज "www.orientalinsurance.org.in" पर "सीएसआर" शीर्षक के तहत अपने वेब लिंक को पुनः डिजाइन किया गया है।

## ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES (ANNEXURE TO BOARD'S REPORT)

1. A brief outline of the Company's CSR Policy including overview of projects or programs proposed to be undertaken and a reference in the web-link to the CSR Policy and projects or programs.

The CSR Policy of the Company was approved by the CSR Sub committee of the Board in its meeting held on 23<sup>rd</sup> September, 2014 and Board of Directors vide circular resolution no. B-8/2014 dated 25<sup>th</sup> September, 2014. Three amendments to CSR policy were recommended by CSR Committee of the Board in its meetings held on 30<sup>th</sup> November, 2015, 29<sup>th</sup> January, 2016 & 5<sup>th</sup> May 2017 which were duly approved by the Board of Directors in its meetings held on 29<sup>th</sup> January, 2016, 2<sup>nd</sup> May 2016 and 5<sup>th</sup> May 2017, respectively.

The CSR Policy is in alignment with the Vision of the Company and focuses on the benefits of society at large and those who need special assistance.

The CSR Policy focuses on CSR Initiatives which create community goodwill for ORIENTAL INSURANCE and help to build a positive and socially responsible image of the Company. The Thrust Areas selected in the Policy are in compliance with the Schedule VII of the Company's Act, 2013. All the projects proposed are also based on the Schedule VII of the Companies Act. The guidelines for operational modalities have been spelt out in the CSR Policy.

The CSR Strategy and Annual Action Plan are worked out based on the CSR Policy. Annual Action Plan (phase I) for FY 2017-18 was approved by CSR Sub-Committee in its Meeting held on 5<sup>th</sup> May 2017. Thereafter approvals were accorded by the CSR Committee of the Board for undertaking many more CSR initiatives during the course of FY 2017-18.

The Company updated its web link under 'CSR' head on the company's web portal home page "www.orientalinsurance.org.in"





**कंपनी द्वारा कंपनी के वेब पोर्टल होम पेज**

निदेशक मण्डल की एक उपसमिति "सीएसआर समिति" का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसरण में किया गया था और दिनांक 13 फरवरी, 2017 को आयोजित बोर्ड की 434वीं बैठक में इसका पुनर्गठन किया गया था। दिनांक 31 मार्च, 2017 को बोर्ड की सीएसआर समिति निम्नानुसार गठित है:

क्र. सं.	समिति की संरचना निदेशक मंडल में स्थिति	समिति सदस्य का नाम	समितियों में स्थिति
1.	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अधिकारी)	श्री ए वी गिरिजाकुमार	समितियों के अध्यक्ष
2.	सरकारी नामांकित निदेशक	डॉ एन श्रीनिवास राव	सदस्य
3.	सरकारी नामांकित निदेशक	सुश्री मुदिता मिश्रा	सदस्य
4.	महाप्रबंधक (सीएसआर)	श्री अतुल सहाय	समिति को स्थायी आमंत्रित

**3. गत तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत निवल लाभ:**

(रुपये लाख में)

	2014-15	2015-16	2016-17	TOTAL
कर पूर्व लाभ	61733	18991	-198743	-118019
घटा: विदेश ऑपरेशन से लाभ	9842	-12540	-4208	-6906
घटा: सीएसआर से पहले से रत कंपनियों की लाभांश आय (वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिए)	18978	21797	23539	64314
अंतिम परिणाम				-175427
<b>तीन वित्तीय वर्षों का कुल परिणाम</b>				-175427
तीन वित्तीय वर्षों का औसत परिणाम				-58476
पिछले तीन वर्षों के औसत परिणाम का दो प्रतिशत				<b>-1170</b>

**2. The composition of the CSR Committee.**

The CSR Committee, a sub-committee of the Board of Directors in accordance with provisions of Section 135 of Companies Act, 2013 was last reconstituted in the 434<sup>th</sup> Board Meeting held on 13<sup>th</sup> February 2017. The details of the CSR Committee of the Board as on 31<sup>st</sup> March 2018 are detailed hereunder:

S. No.	Composition of the Committee (position in Board of Directors)	Name of the Committee member	Position in the Committee
1.	Chairman-cum-Managing Director	Shri A. V. Girijakumar	Chairman of the Committee
2.	Government Nominee Director	Dr. N. Srinivasa Rao	Member
3.	Government Nominee Director	Ms. Mudita Mishra	Member
4.	General Manager (CSR)	Shri Atul Sahai	Permanent Invitee to the Committee

**3. Average net profit of the company for last three financial years.**

(Rs. In lakhs)

	2014-15	2015-16	2016-17	TOTAL
<b>Profit Before Tax</b>	61733	18991	-198743	-118019
<b>Less : Profit from overseas operations</b>	9842	-12540	-4208	-6906
<b>Less : Dividend income from Companies already engaged in CSR ( For FY's 2013-14 to 2015-16)</b>	18978	21797	23539	64314
<b>FINAL RESULT</b>				-175427
<b>Total result of three FY's</b>				-175427
<b>Average Result of Three FY's</b>				-58476
<b>Two % of Average result of last three years</b>				<b>-1170</b>







**4. निर्धारित सीएसआर व्यय (उपरोक्त मद संख्या 3 में दी गई राशि का 2 प्रतिशत)**

शून्य (कंपनी द्वारा किए गए शुद्ध घाटे को देखते हुए (उपरोक्त मद संख्या 3 में विस्तृत)

**5. वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर व्यय का विवरण**

क) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की जाने वाली कुल राशि

**रुपये 9.78 करोड़** (वित्त वर्ष 2016-17 के लिए सीएसआर बजट से अव्यय राशि)

ख. अव्यय, अगर कोई है:

बोर्ड की सीएसआर समिति ने विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी। भुगतान का वास्तविक वितरण रु. 668.74 लाख पहले से ही सीएसआर गतिविधियों के लिए अनुमोदित, जिसे 2017-18 वर्ष के शुरू में ही कार्यान्वित किया गया। अनुमोदन रु. 205.72 लाख अगले वित्तीय वर्ष अर्थात 2018-19 में जारी किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2017-18 के सीएसआर बजट से अव्यय राशि 103.54 लाख रुपये जो वित्तीय वर्ष 2018-19 तक के बजट में हस्तांतरित किया जायेगा और इसे अगले वित्तीय वर्ष 2018-19 में शुरू की जाने वाली पहल के लिए फिर से आवंटित किया जाएगा।

ग. वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

इसका विवरण इस प्रतिवेदन में संलग्न है।

**6. यदि कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों या उसके किसी भी हिस्से के औसत शुद्ध लाभ के दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कंपनी अपनी बोर्ड रिपोर्ट में राशि खर्च न करने के कारण प्रदान करे।**

बोर्ड की सीएसआर समिति ने विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी। भुगतान का वास्तविक वितरण रु. 668.74 लाख पहले से ही सीएसआर गतिविधियों के लिए अनुमोदित, जिसे 2017-18 वर्ष के शुरू में ही कार्यान्वित किया गया। अनुमोदन रु. 205.72 लाख अगले वित्तीय वर्ष अर्थात 2018-19 में जारी किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2017-18 के सीएसआर बजट से अव्यय राशि 103.54 लाख रुपये जो वित्तीय वर्ष 2018-19 तक के बजट में हस्तांतरित किया जायेगा और इसे अगले वित्तीय वर्ष 2018-19 में शुरू की जाने वाली पहल के लिए फिर से

**4. Prescribed CSR expenditure (two per cent of the amount as in item 3 above)**

**NIL** (In view of Net Loss incurred by the Company (as detailed in item no. 3 above)

**5. Details of CSR spent during the financial year.**

a. Total amount to be spent for the financial year :

**Rs. 9.78 crores** (i.e. being unspent amount carried over from CSR budget for FY 2016-17)

b. Amount unspent, if any:

The CSR Committee of the Board approved various projects. The actual disbursement of payments amounted to Rs. 668.74 lakhs for CSR activities already approved, initiated and implemented in FY 2017-18 which are spread over a period. Approvals amounting to Rs. 205.72 lakhs are due to be released in next financial year i.e. 2018-19. An amount of Rs. 103.54 lakhs which remained unspent out of CSR budget for the FY 2017-18 is carried over to FY 2018-19 and the same will be reallocated to initiatives to be undertaken in next financial year 2018-19.

c. Manner in which the amount spent during the financial year is detailed below :

The details are annexed to this report.

**6. In case the company has failed to spend the two percent of the average net profit of the last three financial years or any part thereof, the company shall provide the reasons for not spending the amount in its Board report.**

The CSR Committee of the Board approved various projects. The actual disbursement of payments amounted to Rs. 668.74 lakhs for CSR activities already approved, initiated and implemented in FY 2017-18 which are spread over a period. Approvals amounting to Rs. 205.72 lakhs are due to be released in next financial year i.e. 2018-19. An amount of Rs. 103.54 lakhs which remained unspent out of CSR budget for the FY 2017-18 is carried over to





आवंटित किया जाएगा।

7. सीएसआर समिति बयान है कि सीएसआर नीति के कार्यान्वयन और निगरानी, कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में है।

सीएसआर समिति पुष्टि करता है कि कंपनी की सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन और निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में है।

हस्ता/-

**ए वी गिरिजाकुमार**

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और  
सीएसआर समिति के अध्यक्ष

दिनांकित: 31.03.2018

FY 2018-19 and the same will be reallocated to initiatives to be undertaken in next financial year 2018-19.

7. **A responsibility statement of the CSR Committee that the implementation and monitoring of CSR Policy, is in compliance with CSR Objectives and Policy of the Company.**

The CSR Committee confirms that the implementation and monitoring of CSR activities of the Company are in compliance with the CSR Objectives and Policy of the Company.

Sd/-

A. V. Girijakumar  
Chairman-cum-Managing Director and  
Chairman of CSR Committee

Dated: 31.03.2018





वित्त वर्ष 2017-18 में सीएसआर गतिविधियां निभाई गईं

CSR ACTIVITIES UNDERTAKEN IN FY 2017-18

क्र. सं. S. No.	सीएसआर परियोजना या गतिविधि की पहचान CSR Project or activity identified	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है Sector in which the project is covered	परियोजनाएं या कार्यक्रम Projects or Programs		राष्ट्रीय परियोजना अथवा कार्यक्रम वार (₹. में) Amount outlay (budget) project or programs wise (In Rs.)	परियोजनाओं या कार्यक्रम उप-कार्यों पर व्यय राशि Amount spent on the projects or programs sub-heads		रिपोर्टिंग अवधि के लिए संचयी व्यय (₹. में) Cumulative expenditure up to the reporting period (In Rs.)	व्यय राशि: प्रत्यक्ष अथवा कार्यालयन एजेंसी के जरिए Amount spent: Direct or through Implementing Agency
			स्थानीय क्षेत्र या अन्य Local area or other	राज्य और जिले का उल्लेख करें जहां परियोजना अथवा कार्यक्रम संचालित किए गए Specify the State and district where projects or programs was undertaken		परियोजना अथवा कार्यक्रम पर सीधे व्यय (₹. में) Direct expenditure on projects or programs (In Rs.)	ओवरहेड्स (₹. में) Overheads (In Rs.)		
1	अनाथों और वंचित बच्चों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम Educational events for orphans & underprivileged children	शिक्षा Education	समस्त भारत All India	एकाधिक जिले और राज्य Multiple districts & States	392419	392419	392419	392419	प्रत्यक्ष/Direct
2	स्वास्थ्य शिविर Health camps	स्वास्थ्य Healthcare	समस्त भारत All India	एकाधिक जिले और राज्य Multiple districts & States	2931944	2833544	2833544	2833544	प्रत्यक्ष/Direct
3	शहरी झोपड़ियों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों को शैक्षणिक सामग्री और आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना Providing educational material & infrastructural facilities to schools in urban slums & rural areas	शिक्षा Education	समस्त भारत All India	एकाधिक जिले और राज्य Multiple districts & States	4388279	3601379	3601379	3601379	प्रत्यक्ष/Direct
4	विशेष बच्चों के लिए स्कूलों को शैक्षणिक सामग्री और आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना और अलग-अलग निवास बनाना Providing educational material & infrastructural facilities to schools for special children & differently abled	शिक्षा Education	समस्त भारत All India	एकाधिक जिले और राज्य Multiple districts & States	4919743	4614738	4614738	4614738	प्रत्यक्ष/Direct





क्र. सं. S. No.	सीएसआर परियोजना या गतिविधि की पहचान CSR Project or activity identified	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है Sector in which the project is covered	परियोजनाएं या कार्यक्रम Projects or Programs		राशि परिव्यय (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम वार (₹. में) Amount outlay (budget) project or programs wise (In Rs.)	परियोजनाओं या कार्यक्रम उप-कार्यक्रमों पर व्यय राशि Amount spent on the projects or programs sub-heads		रिपोर्टिंग अवधि के लिए संचयी व्यय (₹. में) Cumulative expenditure up to the reporting period (In Rs.)	व्यय राशि: प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के जरिए Amount spent: Direct or through Implementing Agency
			स्थानीय क्षेत्र या अन्य Local area or other	राज्य और जिले का उल्लेख करें जहाँ परियोजना अथवा कार्यक्रम संचालित किए गए Specify the State and district where projects or programs was undertaken		परियोजना अथवा कार्यक्रम पर सीधे व्यय (₹. में) Direct expenditure on projects or programs (In Rs.)	ओवरहेड्स (₹. में) Overheads (In Rs.)		
5	अनाथालयों, रात आश्रयों, मानसिक आधे रातों घरों, कैंसर सेरिंगों का समर्थन, मृत केंद्र, सामुदायिक रसोई इत्यादि के लिए आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना। Providing infrastructural facilities to orphanages, night shelters, mental halfway homes, cancer patients support, deaddiction centres, Community Kitchen, etc.	स्वास्थ्य, सफाई, आदि Healthcare, Sanitation, etc.	समस्त भारत All India	एकाधिक जिले और राज्य Multiple districts & States	3584762	3584762	3584762	प्रत्यक्ष/Direct	
6	विभिन्न उपकरणों के लिए सहायक उपकरण प्रदान करना Providing aids appliances to differently abled	स्वास्थ्य Healthcare	स्थानीय Local	दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों और केरल Delhi & adjoining areas & Kerala	10781900	10781900	10781900	अरिस्तो पेन एंड पालिएटिव केयर ALIMCO & Pain & Palliative Care	
7	अंग्रेजी अखबार के बच्चों के संस्करण के माध्यम से शिक्षा और भाषा कौशल को बढ़ावा देना Promoting education & language skills through Children's edition of English newspaper	शिक्षा Education	समस्त भारत All India	एकाधिक जिले और राज्य Multiple districts & States	9710784	9710784	9710784	द हिन्दू इन स्कूल न्यूजपेपर (कस्तूरी एंड सनस) The Hindu in School Newspaper (Kasturi & Sons)	





क्र. सं. S. No.	सीएसआर परियोजना या गतिविधि की पहचान CSR Project or activity identified	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है Sector in which the project is covered	परियोजनाएं या कार्यक्रम Projects or Programs		राशि परिव्यय (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम वार (रु. में) Amount outlay (budget) project or programs wise (In Rs.)	परियोजनाओं या कार्यक्रम उप-कार्यों पर व्यय राशि Amount spent on the projects or programs sub-heads		रिपोर्टिंग अवधि के लिए संचयी व्यय (रु. में) Cumulative expenditure up to the reporting period (In Rs.)	व्यय राशि: प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के जरिए Amount spent: Direct or through Implementing Agency
			स्थानीय क्षेत्र या अन्य Local area or other	राज्य और जिले का उल्लेख करें जहां परियोजना अथवा कार्यक्रम संचालित किए गए Specify the State and district where projects or programs was undertaken		परियोजना अथवा कार्यक्रम पर सीधे व्यय (रु. में) Direct expenditure on projects or programs (In Rs.)	ओवरहेड्स (रु. में) Over-heads (In Rs.)		
8	कौशल विकास Skill Development	कौशल विकास Skill Development	All India	एकाधिक जिले और राज्य Multiple districts & States	6549065	5242165	5242165	एनबीए हल्द्वानी, अशोक लेयलैंड, इमरलव्य फाउंडेशन, गैरुजल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड, अमर ज्योति, कम्युनिटी वेल्फेयर सेंटर, दिल्ली एसोसिएशन फॉर डेफ और प्रत्यक्ष NAB Haldwani, Ashok Leyland institute, Eklavya Foundation, national Association for Blind, Amar Jyoti, Community Welfare Centres, Delhi Association for Deaf & Direct	
9	बाढ़ पीड़ितों की राहत और पुनर्वास Relief & Rehabilitation of Flood victims	स्वास्थ्य Healthcare	गुजरात एवं असम Gujarat & Assam	गुजरात एवं असम Gujarat & Assam	3500000	3500000	3500000	मुख्य मंत्री राहत कोष CM's Relief Fund	







क्र. सं. S. No.	सीएसआर परियोजना या गतिविधि की पहचान CSR Project or activity identified	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है Sector in which the project is covered	परियोजनाएं या कार्यक्रम Projects or Programs		राशि परिव्यय (बजट) कार्यक्रम वार (रु. में) Amount outlay (budget) project or programs wise (In Rs.)	परियोजनाओं या कार्यक्रम उप-कार्यक्रमों पर व्यय राशि Amount spent on the projects or programs sub-heads		रिपोर्टिंग अवधि के लिए संचयी व्यय (रु. में) Cumulative expenditure up to the reporting period (In Rs.)	व्यय राशि: प्रत्यक्ष अथवा कार्यालयन एजेंसी के जरिए Amount spent: Direct or through Implementing Agency
			स्थानीय क्षेत्र या अन्य Local area or other	राज्य और जिले का उल्लेख करें जहां परियोजना अथवा कार्यक्रम संचालित किए गए Specify the State and district where projects or programs was undertaken		परियोजना अथवा कार्यक्रम पर सीधे व्यय (रु. में) Direct expenditure on projects or programs (In Rs.)	ओवरहेड (रु. में) Over-heads (In Rs.)		
10	वंचित महिलाओं के लिए सिलाई यूनिट की स्थापना Setting up Tailoring Unit for underprivileged women	कौशल विकास एवं नारी सशक्तिकरण Skill Development & Women Empowerment	आइजवाल Aizwal	मिजोरम Mizoram	650850	402500	402500	402500	गुडविल फाउंडेशन Goodwill Foundation
11	स्कूलों में वाश (जल, स्वच्छता और WASH (Water, Hygiene & Sanitation) in schools	स्वास्थ्य, सफाई Healthcare, Sanitation	वरंगल Warangal	आन्ध्रप्रदेश Andhra Pradesh	15301248	5726048	5726048	5726048	एडमिनिस्ट्रेटिव स्टॉफ कॉलेज आफ इंडिया, हैदराबाद Administrative Staff College of India, Hyderabad
12	कैंसर से प्रभावित बीपीएल परिवारों के बच्चों की सहायता करना Assisting children of BPL families affected with cancer	स्वास्थ्य Healthcare	स्थानीय Local	मुम्बई Mumbai	1125000	0	0	0	कैंसर पैटेंट्स एसोसिएशन Cancer Patients Aids Association
13	समाज के कमजोर वर्गों के कैंसर रोगियों को उपद्रव देखभाल और समर्थन Palliative care & support to cancer patients of weaker sections of society	स्वास्थ्य Healthcare	स्थानीय Local	दिल्ली Delhi	3839840	2835340	2835340	2835340	कैंसर सपोर्ट Cansupport
14	स्कूलों में स्वच्छ भारत पहल Swachhh Bharat Initiatives in Schools	स्वास्थ्य, सफाई Healthcare, Sanitation	वारंगल और सालारपुर Warangal & Salarpur	आन्ध्र प्रदेश & उत्तर प्रदेश Andhra Pradesh & Uttar Pradesh	1060700	1060700	1060700	1060700	प्रत्यक्ष Direct





क्र. सं. S. No.	सीएसआर परियोजना या गतिविधि की पहचान CSR Project or activity identified	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है Sector in which the project is covered	परियोजनाएं या कार्यक्रम Projects or Programs		राशि परियोजना अथवा कार्यक्रम वार (₹. में) Amount outlay (budget) project or programs wise (In Rs.)	परियोजनाओं या कार्यक्रम उप-कार्यों पर व्यय राशि Amount spent on the projects or programs sub-heads		रिपोर्टिंग अवधि के लिए संचयी व्यय (₹. में) Cumulative expenditure up to the reporting period (In Rs.)	व्यय राशि: प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के जरिए Amount spent: Direct or through Implementing Agency
			स्थानीय क्षेत्र या अन्य Local area or other	राज्य और जिले का उल्लेख करें जहां परियोजना अथवा कार्यक्रम संचालित किए गए Specify the State and district where projects or programs was undertaken		परियोजना अथवा कार्यक्रम पर सीधे व्यय (₹. में) Direct expenditure on projects or programs (In Rs.)	ओवरहेड्स (₹. में) Overheads (In Rs.)		
15	दूरदराज के इलाकों में ग्रामीण और आदिवासी अस्पताल में अस्पताल के उपकरण उपलब्ध करा रहे हैं Providing Hospital Equipment to rural & tribal hospital in remote areas	स्वास्थ्य Healthcare	चेन्नै और चित्तकूट Chennai & Chittrakoot	तमिलनाडु और मध्य प्रदेश Tamil Nadu & Madhya Pradesh	3382401	3382401	3382401	3382401	प्रत्यक्ष Direct
16	बीपीएल परिवारों को धुआं-रहित स्टोव प्रदान करना Providing Smoke-less Stoves to BPL families	वातावरण Environment	स्थानीय Local	उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	2082300	0	0	0	वर्ल्ड वाइड फंड, इंडिया World wide fund, India
17	सीएसआर क्षमताओं का निर्माण Building CSR capacities	क्षमता विकास Capacity development	स्थानीय Local	Multiple districts & States	42000	42000	42000	42000	प्रत्यक्ष Direct
18	बीमा शिक्षा के लिए संस्थान के लिए बुनियादी ढांचा सुविधाएं Infrastructure facilities for Institution for Insurance Education	शिक्षा Education	पुणे Pune	पुणे महाराष्ट्र Pune, Maharashtra	10600000	7861859	7861859	7861859	नैशनल इश्योरेंस एकाडमी, पुणे National insurance Academy, Pune
19	मुक्ति आश्रम में लड़कों के घर के लिए बुनियादी सुविधाओं की सुविधा Infrastructure facilities for Boys Home at Mukti Ashram	शिक्षा Education	दिल्ली Delhi	दिल्ली Delhi	2602600	1301300	1301300	1301300	बचपन बचाओ आन्दोलन Bachpan Bachao Andolan
20	आवंटित (वित्त वर्ष 2018-19 तक ले जाया जाएगा) Unallocated (to be carried over to FY 2018-19)				10354165	0	0	0	आवंटित नहीं की गई। वित्त वर्ष 2018-19 को ले लिया गया Unallocated. Carried over to FY 2018-19
	<b>कुल योग</b> GRAND TOTAL				97800000	66873839	0	66873839	





## बलवंत सिंह निदेशक और सामान्य प्रबंधक

### BALWANT SINGH DIRECTOR & GENERAL MANAGER

#### विपणन

भारत के गैर जीवन बीमा उद्योग में 6 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों सहित 33 बीमा कंपनियां शामिल हैं और वर्ष 2016-17 में प्रीमियम 128,152 करोड़ रुपये से बढ़कर 2017-18 में 150,574 करोड़ रुपये 17.5% की वृद्धि दर के साथ हो गया है। गैर-जीवन क्षेत्र में देखी गई तीव्र वृद्धि मुख्य रूप से नई फसल बीमा योजना के साथ स्वास्थ्य और मोटर बीमा में वृद्धि के कारण थी। भविष्य में गैर-जीवन बीमा उद्योग एक अच्छा विकल्प साबित होगा है जिसमें नियामक ढांचे में कई बदलाव और बीमाकृत बीमा करने की सरकारी नीति है जिससे उद्योग अपने व्यापार को संचालित करने और अपने ग्राहकों के साथ संलग्न होने के तरीके में और बदलाव लाएगा।

वर्ष 2017-18 के दौरान, हमारी कंपनी का सकल डायरेक्ट प्रीमियम (इंडियन ऑपरेशंस) 10803.34 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,1451.97 करोड़ रुपये हो गया है जो 7.61% के बाजार

#### MARKETING

The non life insurance industry of India consists 33 insurance companies including 6 public sector companies and the premium has increased to 150,574 crore in the year 2017-18 from 128,152 crore in 2016-17 with a growth rate of 17.5%. Sharp growth seen in the non-life sector was largely due to the growth in health and motor insurance along with new crop insurance scheme. The future looks promising for the non life insurance industry with several changes in regulatory framework and government policy of insuring the uninsured which will lead to further change in the way the industry conducts its business and engages with its customers.

During the Year 2017-18, the Gross Direct Premium (Indian Operations) of our company has increased to Rs.11451.97 crore from 10803.34 crore registering a





हिस्सेदारी के साथ 6% की वृद्धि दर है। मूल्य निर्धारण अनुशासन को बनाए रखने के दौरान हम प्रीमियम में इस वृद्धि को हासिल करने में सक्षम हुए। इसके साथ हम पूरी तरह प्रतिबद्ध और दृढ़ता के साथ व्यापार विकास और लाभप्रदता को भी सुनिश्चित करेंगे। कंपनी का प्रदर्शन क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सहायता प्राप्त हमारे ऑपरेटिंग कार्यालयों के संयुक्त संगठित और ठोस प्रयासों का परिणाम है।

नियमित अंतराल पर व्यापार प्रदर्शन की निगरानी के लिए डीजीएम/सीआरएम के साथ-साथ विभागीय/शाखा कार्यालयों और एजेंसी कोच के साथ नियमित व्यापार समीक्षा मीटिंग और वीसी आयोजित किए गए।

निरंतर ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण ग्राहकों के साथ विश्वास के संबंध को जोड़ने और बनाने में एक लंबे समय तक साथ देते हैं। हमारी एजेंसी बल ने इस वर्ष कंपनी के कुल प्रीमियम में 45.90% का योगदान दिया है। हमने कंपनी पोर्टल पर काम करने के लिए उनकी सहायता करके हमारी एजेंसी बल को और सशक्त बनाने के प्रयासों में वृद्धि की है। हमारे अन्य वितरण चैनल अर्थात् ब्रोकर्स, कॉर्पोरेट एजेंट और वेब एग्रीगेटर्स ने इस वर्ष में अच्छा प्रदर्शन जारी रखा और कंपनी के विकास में योगदान दिया। विस्तृत चैनल-वार प्रदर्शन निम्नानुसार है: -

	प्रीमियम (रुपये में करोड़)			कंपनी प्रीमियम के लिए:	
	2016-17	2017-18	जीआर%	2016-17	2017-18
व्यक्तिगत एजेंट	4800	5257	9.52	44.43	45.90
कॉर्पोरेट एजेंट-बैंक	309	265	-14.24	2.86	2.31
कॉर्पोरेट एजेंट-अन्य	81	90	11.73	0.75	0.79
दलाल	2072	2430	17.28	19.18	21.22
प्रत्यक्ष बिक्री	3533	3345	-5.33	32.71	29.21
वेब एग्रीगेटर	8	64	732.25	0.07	0.56
कुल	10803	11452	6.00	100.00	100.00

### संगठनात्मक संरचना

वर्ष 2017-18 में 28 क्षेत्रीय कार्यालयों, 359 डिवीजनल कार्यालयों, 500 शाखा कार्यालयों, 980 व्यापार केंद्रों के अलावा 28 सेवा केंद्रों और 43 थर्ड पार्टी हबों के साथ कार्यालयों की कुल संख्या 1,943 तक पहुंच गई है, जो सभी लोगों को बीमा करने की सेवा के लिए समर्पित हैं इंडिया। इन कार्यालयों में 325 मार्केटिंग अधिकारी, 659 विकास अधिकारी (विपणन) सहित 12,593 कर्मचारी सदस्य और 40,588 एजेंटों की एक मजबूत शक्ति भी लाभप्रदता के साथ संतुलित विकास के लिए मजबूत नींव को मजबूत करने में मदद करती है।

growth rate of 6% with a market share of 7.61%. We were able to achieve this growth in premium while continuing to maintain the pricing discipline. We are fully committed and determined so as to ensure that Business Development and Profitability go side by side. The performance of the company is the result of the joint organized and concrete efforts of our operating offices assisted by Regional Offices.

Regular business review meetings and VCs have been organized with DGMs/CRMs as well Divisional / Branch Offices and Agency coaches to monitor business performance at regular intervals.

The continued customer centric approach has gone a long way to connect and build a relationship of trust with the customers. Our Agency force has contributed 45.90% to company's total premium and in this year. We have increased efforts in further empowering our agency force by facilitating them to work on company portal. Our other distribution channels namely Brokers, Corporate Agents and Web Aggregators continued to perform well in this year and contributed to the company's growth. The detailed channel wise performance is as under:-

	Premium (Rs. In crores)			% to Co. Premium	
	2016-17	2017-18	GR%	2016-17	2017-18
Individual Agents	4800	5257	9.52	44.43	45.90
Corporate Agents-Banks	309	265	-14.24	2.86	2.31
Corporate Agents-Others	81	90	11.73	0.75	0.79
Brokers	2072	2430	17.28	19.18	21.22
Direct Selling	3533	3345	-5.33	32.71	29.21
Web Aggregator	8	64	732.25	0.07	0.56
TOTAL	10803	11452	6.00	100.00	100.00

### Organizational Structure

In the year 2017-18 total number of offices has reached 1,943 with 31 Regional Offices, 359 Divisional Offices, 500 Branch Offices, 980 Business Centers in addition to 28 Service Centers and 43 Third Party Hubs, all dedicated to the service of insuring public of India. These offices along with 12,593 staff members including 325 Marketing Officers, 659 Development Officers (marketing) and also a strong force of 40,588 agents help to consolidate the strong foundation for balanced growth with profitability.





## एजेंसी फोर्स का प्रदर्शन

इस चैनल का योगदान रु 5,257 करोड़ कंपनी के कुल प्रीमियम का 45.90% है। हेड ऑफिस द्वारा लॉन्च एजेंसी भर्ती अभियान को सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए, ऑपरेटिंग कार्यालयों ने 3,000 से अधिक नए एजेंटों की भर्ती की। एजेंटों और प्रेरक बैठकों के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के परिचय ने उन्हें बाजार में कंपनी के प्रदर्शन और ब्रांड छवि को बेहतर बनाने में मदद की है।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं और सीएमडी और जीएम क्लब योजनाओं का कार्य असाधारण था, जैसा कि आगामी प्रदर्शन परिणामों से स्पष्ट है। जीएम क्लब के सीएमडी क्लब के 206 एजेंटों के 77 एजेंटों ने रु. 524 करोड़ के औसत प्रीमियम के साथ रु. 1.85 करोड़ और 48.71% की आईसीआर औसत का योगदान दिया।

## ब्रोकर और सीबीयू का प्रदर्शन

कंपनी ने प्रीमियम के ब्रोकर चैनल के माध्यम से रु. 2,430 करोड़ 11.73% की वृद्धि दर के साथ कुल प्रीमियम का 21% योगदान किया। ब्रोकर डिवीजन के कार्यालय मुंबई और बेंगलूर ने 17.11% की वृद्धि दर के साथ रु.430.13 करोड़ का प्रीमियम पूरा किया। वर्ष के दौरान समीक्षा से इस व्यापार स्रोत के साथ दलालों और अन्य संबंध निर्माण अभ्यासों के साथ नियमित बैठकें की गईं।

6 मंडल कार्यालयों को कॉर्पोरेट बिजनेस यूनिट के रूप में नामित किया गया है और उन्होंने रुपये का प्रीमियम योगदान दिया है। वित्त वर्ष 2017-18 में 16.43% की वृद्धि दर के साथ 411 करोड़ रुपये। सीबीयू में समर्पित रिश्ते टीम कॉर्पोरेट ग्राहकों और कॉर्पोरेट ग्राहकों से निपटने वाले दलालों पर अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करती रही है।

## बैंकाश्युरेंस चैनल

वर्ष 2017-18 में, इस चैनल से कुल योगदान रु। बाजार में समकालीन उत्पादों के साथ संरेखित करने के लिए मौजूदा बैंकाश्युरेंस उत्पादों को अपग्रेड और संशोधित करने के लिए 265 करोड़ और प्रयास किए गए थे। उत्पादों को दायर किया गया था और आईआरडीएआई द्वारा अनुमोदित किया गया है। वे अगले वर्ष कंपनी को अतिरिक्त राजस्व लाएंगे।

## ग्रामीण क्षेत्र प्रीमियम और सामाजिक क्षेत्र प्रदर्शन

कंपनी ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र की ओर अपने वैधानिक

## Performance of the Agency Force

The contribution of this channel was Rs. 5,257 Crores being 45.90% of company's total premium. Responding positively to the agency recruitment drive launched by Head Office, the Operating offices recruited more than 3,000 new agents. Introduction of various incentive schemes for the agents and motivational meetings have helped them to improve their performance and brand image of the company in the market.

The functioning of various incentive schemes and CMD and GM club Schemes was exceptional during FY 2017-18 as is evident from ensuing performance results. 77 Agents of CMD Club 206 Agents of GM club contributed Rs. 524 Crores, with an average premium of Rs. 1.85 Crores and an average ICR of 48.71%.

## Performance of Brokers and CBU

The company procured a premium of Rs. 2,430 Crores through the Brokers' channel contributing 21% of total premium with a growth rate of 11.73%. Broker Division offices Mumbai and Bangalore completed a premium of Rs. 430.13 Crores with a growth rate of 17.11%. Regular meetings with brokers & other relationship building exercises were carried out with this business source during the year under review.

The 6 Divisional Offices have been designated as Corporate Business Units and they contributed a premium of Rs. 411 Crores with a growth rate of 16.43% in FY 2017-18. The dedicated relationship teams at CBUs continue to focus their efforts on corporate clients and brokers dealing with corporate clients.

## Bancassurance Channel

In the year 2017-18, the total contribution from this channel was Rs. 265 Crores and efforts were made to upgrade and revise the existing Bancassurance products to align with the contemporary products in the market. The products were filed and have been approved by the IRDAI. They will bring in additional revenue to the company in the next year.

## Rural Sector Premium and Social Sector Performance

The company continues to fulfill and surpass its statutory







दायित्वों को पूरा करने और पार करने के लिए जारी है। वर्ष 2017-18 में कुल मिलाकर ग्रामीण प्रीमियम का योगदान 7.9% की वैधानिक आवश्यकता से 15.93% अधिक था।

सामाजिक क्षेत्र में, कंपनी ने 1.28 करोड़ जीवन की न्यूनतम आवश्यकता से बहुत अधिक 7.08 करोड़ लोगों को बीमा सुरक्षा प्रदान की। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, इस क्षेत्र के प्रदर्शन के विवरण निम्नानुसार हैं:

	2016-17	2017-18
1 कुल सकल प्रीमियम बीमाकिक (करोड़ रुपये में)	10803.34	11451.97
2 ग्रामीण इलाकों में बीमाकिक नीतियां (संख्या में)	2267161	2209965
3 ग्रामीण इलाकों में सकल प्रीमियम बीमाकिक (रुपये में)	1542.61	1823.91
4 ग्रामीण व्यापार की आयु	14.28	15.93
5 क्या ग्रामीण क्षेत्र की बाधताएं पूरी हुई (हां / नहीं)	हां	हां
6 सामाजिक क्षेत्र में शामिल जीवन की संख्या (करोड़ रुपये में)	1.93	7.08
7 चाहे सामाजिक क्षेत्र की बाधताएं पूरी हो (हां / नहीं)	हां	हां

### प्रधान मंत्री सुरक्षा बिमा योजन (पीएमएसबीवाई)

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए कंपनी ने पूरे देश में 215 बैंकों के साथ करार किया है। कंपनी ने वित्त 2016-17 में प्रीमियम 12.96 करोड़ रुपये के मुकाबले वर्ष 2017-18 में रु. 17.58 करोड़ 35.65% की वृद्धि अर्जित की। इस नीति के तहत कुल जीवन बीमा 1.47 करोड़ और 1471 दावे तय किए गए।

### व्यापार केंद्रों का प्रदर्शन

स्वस्थ आईसीआर और कम प्रबंधन खर्च के साथ पिछले कई वर्षों में व्यापार केंद्र खुदरा कारोबार का एक अच्छा स्रोत रहा है। 980 बिजनेस सेंटर ने 673 करोड़ रुपये के मुकाबले 808 करोड़ रुपये का प्रीमियम 20.05% की वृद्धि दर के साथ पूरा किया।

obligations towards the rural and social sector. In the year **2017-18**, the contribution of rural premium to the total was **15.93%** well above the statutory requirement of 7%.

In the social sector, the company provided insurance protection to **7.08 crore** lives, much above the minimum requirement of **1.23 Crore** lives. During the period under review, the details of performance of this sector are as under:

	2016-17	2017-18
1 Total Gross premium Underwritten (Rs. in crore)	10803.34	11451.97
2 Policies u/w in rural areas (in no.)	2267161	2209965
3 Gross premium u/w in rural areas (Rs. in crore)	1542.61	1823.91
4 %age of Rural Business	14.28	15.93
5 Whether Rural Sector stipulation met (Yes/No)	YES	YES
6 No. of lives covered in Social sector (Rs. in crore)	1.93	7.08
7 Whether Social Sector stipulation met (Yes/No)	YES	YES

### PRADHANMANTRI SURAKASHA BIMA YOJANA (PMSBY)

Under Pradhan Mantri Surakasha Bima Yojana (PMSBY), the Company has tied up with 215 banks all across the country for implementation of Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna. Company procured a premium of Rs. 17.58 Crores in the FY 2017-18 against Rs. 12.96 crores in 2016-17, with a growth rate of 35.65%. The total lives covered under the scheme are 1.47 Crores and 1471 Claims were settled under this policy.

### Performance of the Business Centers

The business centers have been a good source of retail business over the last many years with healthy ICR and low Management expenses. The 980 Business centers completed a premium of Rs. 808 Crores against a base of Rs. 673 Crores with a growth rate of 20.05%.





## वैकल्पिक चैनल, पोर्टल और ऑनलाइन बिक्री

कंपनी के वेब पोर्टल पर 'बीमा ऑनलाइन – किसी भी स्थान पर किसी भी समय' के वादे को पूरा करने वाले कंपनी के ग्राहकों और एजेंटों को कुशल सेवा प्रदान करना जारी है। हमने 2017-18 में 1.93 लाख पॉलिसी के मुकाबले 3.68 लाख पॉलिसी के साथ रुपये 92.13 करोड़ के मुकाबले 1,76.99 करोड़ रुपये से अधिक का प्रीमियम वेब पोर्टल के माध्यम से अर्जित किया है। कंपनी का मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया गया।

हमारे पोर्टल को विभिन्न वेब पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है उदाहरण के लिए मारुति, टीवीएस, महिंद्रा, टाटा इत्यादि और उनके वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन बिक्री 491 करोड़ तक पहुंच गई है। हमने पॉलिसी बाजार, सबसे बड़ा वेब एग्रीगेटर, कवर फॉक्स और पॉलिसी बचत और ऑनलाइन विक्रेता को बेचने वाले अन्य विक्रेताओं के साथ भी करार किया है, जिन्होंने 80 करोड़ रुपये से अधिक का अर्जन में योगदान दिया है।

## मोटर ओडी

2017-18 भारतीय मोटर बीमा उद्योग के लिए स्वस्थ विकास, नवनिर्माण और सुधार का वर्ष था। मोटर बीमा का विकास छलांग पर है, जिसमें भारतीय ऑटो उद्योग इस वर्ष 2.9 करोड़ इकाइयों की कुल बिक्री 15% रिकॉर्डिंग पर बढ़ रहा है। बीमा उद्योग में बाजार के दिग्गजों की संख्या में वृद्धि हुई और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ी। इससे ऑपरेटिंग मार्जिन दबाव में आया।

आईआरडीएआई ने 01.11.2017 से प्रभावी नियामक निरीक्षण के तहत मोटर डीलर को एक बीमा मध्यस्थ, एमआईएसपी के रूप में संबोधित करते हुए शामिल किया, जो बाजार के बड़े हिस्से को नियंत्रित कर रहे हैं। मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम दरों को आईआरडीएआई द्वारा नियंत्रित किया जाना जारी है।

चुनौतीपूर्ण बाजार स्थितियों के बावजूद, ओरिएंटल ने 'लाभप्रदता के साथ विकास' दृष्टिकोण जारी रखा। हमने अपनी रेटिंग रणनीति पर समझौता किए बिना बाजार गतिशीलता की मांगों के प्रति सावधानीपूर्वक आक्रामक दृष्टिकोण का पालन किया।

हमारी कंपनी का कुल मोटर प्रीमियम रु. 4496.75 करोड़, जिनमें से मोटर ओडी प्रीमियम 1,668.49 करोड़ रुपये और मोटर टीपी प्रीमियम 2,328.26 करोड़ रुपये था। कंपनी के कुल प्रीमियम में मोटर बिजनेस का योगदान इस वर्ष 35% से 38% तक बढ़ गया है।

## Alternative Channels, Portal and Online selling

Web portal of the company continues to provide efficient service to the customers and agents of the company fulfilling the promises of "Insurance Online – any place any time". We have generated a premium of more than Rs.176.99 Crores against Rs. 92.13 Crores with 3.68 Lakh policies against 1.93 lakh policies in 2017-18 through Web Portal. The mobile application of the company has been launched.

Our portal has been integrated with the web portal of various OEMs e.g. Maruti, TVS, Mahindra, Tata etc. and online sales through their web portal has reached 491 crores. We have also tied up with Policy Bazaar, the largest web aggregator, Cover Fox and Policy Bachat and other players selling online policies which has contributed in generation of more than Rs.80 Crore premium.

## MOTOR OD

2017-18 was the year of healthy growth, innovations and reforms for the Indian Motor Insurance Industry. The growth of motor insurance is on a springboard with the Indian Auto Industry growing at 15% recording total sales of 2.9 Crore units this year. The number of market players in insurance industry kept increasing and competition among Public and Private Sector Companies, intensified. This brought the operating margins under pressure.

The IRDAI brought the motor dealers who are controlling large share of the market under regulatory oversight effective from 01.11.2017 terming them as MISPI, an insurance intermediary. The Motor Third Party premium rates continued to be regulated by the IRDAI.

Despite the challenging market conditions, Oriental persisted with our approach of 'growth with profitability'. We followed a cautiously aggressive approach towards the demands of the market dynamics without compromising on our rating strategy.

Our Company procured a total motor premium of Rs. 4496.75 Crore, out of which Motor OD premium stood at Rs.1668.49 Crore and Motor TP premium at Rs.2328.26 Crore. The contribution of Motor business to the total premium of the Company increased from 35% to 38% this year.





## विकास पहल

हमने विकास के लिए तीन प्रवृत्त रणनीति का पालन किया है जैसे (i) खुदरा व्यापार के लिए पारंपरिक चैनलों पर ध्यान केंद्रित करना, (ii) मोटर टाई-अप को मजबूत करना और (iii) हमारे डिजिटल वितरण नेटवर्क में सुधार करना।

एजेंटों/मध्यस्थों को प्रीमियम विकास आधारित इनाम योजना के माध्यम से मोटर नीतियों को आक्रामक रूप से बेचने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उन्हें छूट प्राधिकरण में सशक्तिकरण के साथ सर्विसिंग कार्यालयों से दावा सेवा द्वारा तेजी से सक्षम किया गया। हमने बाजार में निजी कार सेगमेंट के लिए कवर 'इंजन प्रोटेक्ट' पर अतिरिक्त मांग के बाद पॉलिसी लॉन्च की।

ओईएम/ब्रोकर्स के साथ समझौता करने के तहत हमारे डीलर व्यवसाय ने अच्छा प्रदर्शन जारी रखा और विकास और लाभप्रदता में अच्छे नतीजे दिखाए। डीलरों के लिए एमआईएसपी दिशानिर्देश सफलतापूर्वक नवंबर, 2017 से लागू किए गए थे। हम न केवल हमारे मौजूदा डीलरशिप व्यवसाय को बनाए रखने में सफल रहे बल्कि हमारे एमआईएसपी के रूप में बड़ी संख्या में नए मोटर डीलरों को भी शामिल किया। मारुति बीमा ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ हमारे टाई-अप ने पिछले साल 200 करोड़ रुपये के मुकाबले 323 करोड़ रुपये का योगदान करके उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए और अब हम पैन इंडिया के आधार पर कारोबार कर रहे हैं। हमने बजाज ऑटो लिमिटेड और एस्कॉर्ट्स ट्रैक्टर को हमारे नए टाई-अप के रूप में भी जोड़ा।

डिजिटल इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म इस उद्योग को तेजी से परिवर्तित कर रहा है और हमारा लीवरेज है कि वेब एग्रीगेटर/वेब पोर्टल के साथ 10 नए पोर्टल टाई-अप जोड़े हैं, जिससे इस सेगमेंट में हमारी पहुंच में सुधार हुआ है। वास्तव में मोटर पोर्टफोलियो में, कुल प्रीमियम का 16.71% ऑनलाइन बिक्री के माध्यम से बीमा किया गया। इसके अलावा, मोटर ने कंपनी की डायरेक्ट पोर्टल बिक्री में 56.5% योगदान दिया।

## दावा निपटान: मोटर (ओडी)

क्षेत्रीय कार्यालयों और एसवीसी ने निगरानी रखी ताकि कंपनी दावा निपटारा में महत्वपूर्ण प्रभावी दावा सेवाओं के रूप में उभरे। विभाग ने मोटर ओडी में स्वस्थ 93% अनुपात दावों के निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए ओडी दावों के तेज़, समय पर और पारदर्शी निपटारे पर ध्यान केंद्रित किया।

हमारे दावे प्रबंधन रणनीति कुशल सर्वेक्षक प्रबंधन प्रणाली, INLIAS प्रणाली, कार्यशाला यात्राओं और नए सेवा केंद्रों के

## Growth Initiatives

We followed a three pronged strategy for growth i.e. (i) focus on traditional channels for retail business, (ii) strengthening the Motor tie-ups and (iii) improving our digital distribution network.

The Agents / Intermediaries were incentivized to aggressively sell the motor policies through a premium growth based reward scheme. They were enabled by faster claim service from the servicing offices coupled with empowerment in discounts authority. We launched the much sought after Add on cover 'Engine Protect' for private car segment in the market.

Our dealer business under tie ups with OEMs /Brokers continued to do well and showed good results in growth as well as profitability. The MISP Guidelines for dealers were successfully implemented from November, 2017. We succeeded in not only retaining our existing dealership business but also added a large number of new motor dealers as our MISPs. Our Tie-up with Maruti Insurance Broking Pvt. Ltd. yielded excellent results by contributing Rs. 323 crores against last year base of Rs. 200 crores and we are now transacting business on Pan India basis. We also added Bajaj Auto Limited and Escorts Tractors as our new OEM Tie-ups.

Digital Insurance platforms are accelerating the Industry transformation and we ensured to leverage that as we added 10 New Portal tie-ups with Web Aggregators/ Web Portals, improving our reach in the segment. In fact in Motor Portfolio, 16.71% of total premium is being underwritten through online sales. Also, Motor contributed 56.5% to the Company's Direct Portal sales.

## Claim Settlement: Motor (OD)

The Regional Offices and SVCs were monitored for effective claim services to make the Company emerge as a key differentiator in settlement of claims. The department focused on faster, timely and transparent settlement of OD Claims to ensure a healthy 93% claims settlement ratio in Motor OD.

Our claims management strategy revolved around efficient surveyor management system, review of





उद्घाटन के माध्यम से सर्वेक्षकों के प्रदर्शन की समीक्षा के आसपास घूमती है। हमने लेनदेन कार्यालयों को उच्च वित्तीय प्राधिकरण को अधिकार दिया और बाजार की वर्तमान गतिशीलता के साथ दावा प्रक्रियाओं को संरेखित किया जिसके परिणामस्वरूप तेजी से निपटारे हुए। ग्राहकों के दावे सेवा के अनुभव को बढ़ाने के लिए वर्ष 2017-18 के दौरान तीन नए एसवीसी खोले गए, एक गुड़गांव, एक हैदराबाद और एक मारुति दावा हब नई दिल्ली में।

इन पहलुओं के परिणामस्वरूप 2017-18 में मोटर ओडी आईसीआर को 2017-18 में प्रीमियम 74% कर दिया जोकि वर्ष 2016-17 में 78% था।

### ‘दावा प्रबंधन’ के लिए प्रौद्योगिकी शुरू करने की पहल

वर्ष के दौरान ली गई एक बड़ी पहल मोटर वाहन क्षतिपूर्ति के आकलन के लिए 50,000/- तक की हानि के आकलन के लिए हानि आकलन एजेंसियों को सूचीबद्ध करना था। यह उम्मीद की जाती है कि इस पहल के साथ आने वाले दिनों में कंपनी को लाभान्वित किया जाएगा (1) दावेदार को तेजी से दावा सेवाएं प्रदान करना, (2) पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, (3) दावों के निपटारे में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, और (4) दावों की लागत को कम करना।

### मोटर टीपी

वित्तीय वर्ष 2017-18 मोटर टीपी विभाग के परिणामों के बारे में शानदार था। गतिविधियों को एक कार्य योजना के माध्यम से रणनीतिबद्ध किया गया था, जिसमें विभाग द्वारा हासिल किए जाने वाले मानकों और लक्ष्यों को निर्दिष्ट किया गया था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अखिल भारतीय और क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया गया था ताकि टीपी टीमों को हमारे लक्ष्य और रणनीति को प्राप्त करने की रणनीति के बारे में जानकारी हो।

टीपी दावों की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित मोटर टीपी कार्य योजना, अपील मामलों पर विशेष ध्यान देने के साथ डेटा साफ करना। समझौता समझौता, खासकर लोक अदालतों के माध्यम से एक और फोकस क्षेत्र था। टीपी हब्स के तहत सभी दावों के प्रसंस्करण कार्यालयों को लाने की योजना बनाई गई थी। कार्यान्वयन के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय से कार्य योजना की बारीकी से निगरानी की गई थी। लोक अदालतों के माध्यम से समझौता निपटान बढ़ाने के लिए एक और सक्षम निर्णय सभी कैडरों में वित्तीय अधिकारियों में वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप त्वरित और तेज निर्णय हुए।

performance of surveyors through the INLIAS system, workshop visits and opening of new Service Centers. We empowered the dealing offices with higher financial authority and aligning the claim procedures with the current dynamics of the market resulting in speedy settlements. Three new SVCs were opened during 2017-18, one each in Gurgaon and Hyderabad and a Maruti Claim Hub in New Delhi for enhancing the claim service experience of the customers.

These initiatives resulted in bringing down the Motor OD ICR to 74% in 2017-18 from 78% in 2016-17 on Net Earned Premium basis.

### Initiatives for introduction of technology for ‘Claims Management’

A major initiative taken during the year was to empanel Loss Assessment Agencies for assessment of motor own damage losses up to Rs 50,000/-. It is expected that the Company will be amply benefited in the coming days with this initiative by (1) providing faster claim services to the claimant, (2) ensuring protection of Policyholders’ interests, (3) ensuring transparency in claims settlement, and (4) reducing the claims costs.

### MOTOR TP

The Financial Year 2017-18 was spectacular regarding results for the Motor TP department. The activities were strategized through an Action Plan which specified the parameters and the targets sought to be achieved by the department. A number of All India and Zonal Conferences were organized to ensure that TP teams were made aware of our targets and strategy to achieve the same.

The Motor TP Action Plan focused on TP Claims review, data cleansing with special focus on appeal matters. Compromise settlements, especially through Lok Adalats were another focus area. It was planned to bring all claims processing offices under TP Hubs. The Action Plan was closely monitored from the Corporate Office for implementation. Another enabling decision for increasing compromise settlements through Lok Adalats was enhancement of financial authorities across all cadres resulting in quicker and speedier decisions.





हमारे द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण ने निश्चित परिणाम दिए और मोटर टीपी विभाग ने पिछले साल 160% की तुलना में नेट अर्जित प्रीमियम 65% दिया। डेटा समीक्षा और डेटा शोध के परिणामस्वरूप 53,820 मामलों का निपटान हुआ और बकाया दावों की कुल संख्या पिछले वर्ष 1,27,632 से कम होकर 1,16,257 हो गई। सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि लोक अदालतों के माध्यम से 17,012 मामलों का समझौता था। यहां 2016-17 में समझौता किए गए 9687 मामलों से 60% से अधिक की वृद्धि हुई थी। मोटर टीपी हब्स सभी मामलों को एक कार्यालय और एक टीम द्वारा निपटाया जा सकता है, इसलिए एक केंद्रित दृष्टिकोण को सुनिश्चित करना जो बचाव की गुणवत्ता में सुधार करता है। 2017-18 में 18 नए टीपी हब्स खोलने को मंजूरी दे दी गई और 10 मार्च 2018 तक कार्यान्वित किए गए।

चूंकि एक्शन प्लान ने 16% की वृद्धि दर्ज करने और मोटर विभाग में 68% की स्वस्थ आईसीआर दर्ज करके उत्कृष्ट परिणाम दिखाए हैं, हम इसे अगले वित्तीय वर्ष तक विस्तारित करने की योजना बना रहे हैं। एक्शन प्लान को ऑल इंडिया आधार पर प्रेरित टीमों द्वारा बहुत उत्साह के साथ चलाया जा रहा है।

The approach adopted gave definite results and Motor TP Department brought down the ICR on Net Earned Premium Basis to 65% as compared to 160% last year. Data review and data cleansing resulted in disposal of 53,820 cases and the total number of outstanding claims was reduced to 1,16,257 from 1,27,632 in the previous year. The most notable achievement was the compromise settlement of 17,012 cases through Lok Adalats. This was an increase of over 60% from 9687 cases compromised in 2016-17. Motor TP Hubs enable all cases to be dealt by one office and one team hence ensuring a focused approach which improves the quality of defense. In 2017-18 the opening of 18 New TP Hubs was approved, and 10 were made functional by 31<sup>st</sup> March 2018.

As the Action Plan has shown excellent results by registering a growth of 16% and healthy ICR of 68% in Motor department we plan to extend it to the next Financial Year. The Action Plan is being driven with great enthusiasm by motivated teams on an All India basis.







**अतुल सहाय**  
**महाप्रबंधक**  
**ATUL SAHAI**  
**GENERAL MANAGER**

**मानव संसाधन विभाग**

मानव संसाधन मूल्य निर्माण और प्रतिस्पर्धी लाभ का मुख्य स्रोत है। विभाग ने संगठनात्मक क्षमताओं में सुधार के लिए इष्टतम समर्थन प्रदान करना जारी रखा है।

विभाग ने मजबूत मानव संसाधन गतिविधियों और प्रदर्शन प्रबंधन की प्रक्रिया को जारी रखा, ताकि कार्य बल के प्रेरक स्तर में सुधार किया जा सके, प्रतिबद्ध प्रतिबद्धता स्तर और आंतरिक तकनीकी विशेषज्ञता को आगे बढ़ाने में मदद मिले। कंपनी संगठन की विस्तार योजनाओं के लिए भर्ती और प्रतिभा अधिग्रहण की निरंतर प्रक्रिया में है और बाजार चुनौतियों को पूरा करने के लिए परिचालन कार्यालयों को लैस करने के लिए विशेष और कुशल श्रमिकों की भर्ती के लिए है।

**HR DEPARTMENT**

Human Resource is the main source of value creation and competitive advantage. The Department has continued to provide optimum support for improving organizational efficiencies.

The Department continued with robust HR activities and process of performance management to improve the motivational levels of work force, enhanced commitment levels and helped further building in-house technical expertise. The Company is in the continuous process of recruitment and talent acquisition to man the organization's expansion plans and to recruit specialized and skilled workforce to equip operational offices for meeting the market challenges.





यह प्रासंगिक मानव संसाधन संबंधित कानूनों, आरक्षणों, नीतियों और प्रथाओं के उचित और उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का हमारा प्रयास भी रहा है।

हम अनुसूची पर पूरे पदोन्नति अभ्यास को पूरा कर सकते हैं। वर्ष के दौरान घोषित पदोन्नति की संख्या नीचे दी गई है:

जिस कैडर को पदोन्नत किया गया था	घोषित प्रचार की संख्या
स्केल I स्केल II	329
स्केल II से स्केल III	192
स्केल III से स्केल IV	106
स्केल चतुर्थ स्केल वी	39

स्केल VI और स्केल VII के कैडर के लिए प्रचार अभ्यास वर्ष के दौरान एक अंतर-कंपनी स्तर पर भी पूरा किया गया था।

### सीडीए सैल:

उत्सुक निगरानी संबंधित सीवीसी दिशानिर्देशों का पालन करना जारी रखा गया था।

सीडीए मामलों के शीघ्र निपटान के लिए, पूछताछ अधिकारी / प्रस्तुतिकरण अधिकारी के इन-हाउस पैनल की सेवाएं 2017-18 में भी जारी रहीं। विभिन्न स्तरों पर सीडीए मामलों के निपटान में तेजी लाने के लिए संवेदनशीलता की गई थी। इसके अलावा, जांच कार्यवाही पर समय पर पूरा होने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ नियमित अनुवर्ती किया गया था। छह महीने से अधिक समय के लिए पूछताछ चरण में लंबित सतर्कता मामलों के साथ-साथ पहल की गई पहल के परिणामस्वरूप; 31.03.2018 को केवल 3 मामले लंबित रहे।

### स्टाफ प्रमोशन 2017-18

अनुसूची के अनुसार कक्षा III से कक्षा 1 तक प्रचार अभ्यास आयोजित किया गया था और 196 कर्मचारियों को कक्षा-1 में पदोन्नत किया गया। कक्षा III के भीतर, पर्यवेक्षी, लिपिक और अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए पदोन्नति नीति के पैरा 25ए के तहत 649 कर्मचारियों को वरिष्ठ सहायक और 107 सहायक के रूप में पदोन्नत किया गया।

### अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के लिए कल्याण मामले

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए, भारत सरकार की नीति के अनुसार, एक आरक्षण कक्षा (एससी / एसटी) हेड कंपनी के मुख्यालय में सक्रिय रूप से और कुशलता से चलाया

It has also been our endeavour to ensure fair and just implementation of relevant HR related legislations, reservations, policies and practices.

We could complete the entire promotion exercise on schedule. The number of promotions declared during the year are as below:

The cadre to which promoted	No. of Promotions declared
Scale I to Scale II	329
Scale II to Scale III	192
Scale III to Scale IV	106
Scale IV to Scale V	39

Promotion exercise for the cadre of Scale VI & Scale VII was also completed during the year on an inter-Company level.

### CDA CELL:

Keen monitoring was continued to adhere to the related CVC guidelines.

For speedy disposal of CDA cases, the services of in-house panel of Enquiry Officers/Presenting Officers continued in 2017-18 as well. Sensitization for expediting the disposal of CDA cases were done at various level. Further, regular follow up was done with Regional Offices to ensure timely completion of enquiry proceedings. As a result of the initiatives taken vis-à-vis the Vigilance cases pending at Enquiry Stage for more than six months; only 3 cases were remained pending as on 31.03.2018.

### STAFF PROMOTIONS 2017-18

Promotional Exercise from Class III to Class I was conducted as per Schedule and 196 employees were promoted to Class-I. Within Class III, 649 employees including under Para 25 A of Promotion Policy for Supervisory, Clerical and Subordinate staff were promoted as Senior Assistants and 107 as Assistant.

### Welfare matters for SC/ST Employees

For welfare of SC/ST, in accordance with the policy of the Government of India, a Reservation Cell (SC/ST) is actively and efficiently functioning in the Company at Head Office to ensure that the Rules and Regulation





जा रहा है ताकि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरक्षण नीति पर नियम और विनियमन लागू है। आरक्षण कक्ष (एससी/एसटी) में मुख्य संपर्क अधिकारी और एडीएल है। संपर्क कार्यालय हेड ऑफिस में तैनात क्षेत्रीय स्तर पर आरक्षण नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए हमारे प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयों में एक संपर्क अधिकारी भी पोस्ट किये गए हैं। एचओ में आरक्षण कक्ष (एससी/एसटी) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के संबंध में सांख्यिकीय डेटा की जांच और समेकन करता है। मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों में संपर्क अधिकारी समीक्षा करते हैं और यदि आवश्यक हो तो रोस्टर में उचित सुधार का सुझाव देते हैं और डीओपीटी द्वारा समय-समय पर जारी आरक्षण नीति और दिशानिर्देशों के अनुसार एससी/एसटी के पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हैं। आरक्षण कक्ष कंपनी और क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रासंगिक जानकारी प्रदान करता है। मुख्यालय में आरक्षण कक्ष (एससी/एसटी) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के शिकायतों के निवारण का ख्याल रखता है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के लिए कार्यस्थलों पर सौहार्दपूर्ण संबंध और स्वस्थ वातावरण बनाए रखता है। आरक्षण कक्ष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सफाई करमचारी और संसदीय समितियों के माननीय राष्ट्रीय आयोग को समन्वय, आवश्यक नीति और आरक्षण नीति के कार्यान्वयन पर जांच के लिए आवश्यक डेटा प्रदान करते हैं।

सफाई करमचारी के लिए राष्ट्रीय आयोग ने 01.02.2018 को सफाई करमचारी के योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए हेड ऑफिस, नई दिल्ली का दौरा किया और इसे संतोषजनक पाया।

## रोस्टर

मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार आरक्षण कक्ष संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार पदोन्नति और भर्ती रोस्टर के रखरखाव और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। आरक्षण कक्ष यह भी सुनिश्चित करता है कि कंपनी की वेबसाइट, कर्मचारियों और संघों में रोस्टर अपलोड करने से सहकर्मियों का पोर्टल तक पहुंच हो और यह पता लगाया जा सके कि आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों को प्रदान किया गया आरक्षण क्या है। हेड ऑफिस में आरक्षण कक्ष ने हाल ही में पूर्वी क्षेत्र के रोस्टर के वार्षिक निरीक्षण का आयोजन किया है। शेष क्षेत्र के लिए रोस्टर के वार्षिक निरीक्षण जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा।

on Reservation Policy are implemented in accordance with constitutional provisions. The Reservation Cell (SC/ST) has Chief Liaison Officer and Addl. Liaison Officer posted at Head Office. A Liaison Officer is also posted in each of our Regional Offices to ensure implementation of Reservation Policy at Region level and also for prompt disposal of the grievances of SC/ST employees. Reservation Cell (SC/ST) at HO scrutinizes and consolidates the statistical data as regards to SC/ST Employees. The Liaison Officer at HO/ Regional Offices reviews and suggest appropriate corrections in the Rosters if required and ensures adequate representation of SCs/STs as provided by Reservation Policy and guidelines issued from time to time by DOPT. Reservation Cell provides relevant information to the Company and Regional Offices. The Reservation Cell (SC/ST) at HO takes care of redressal of grievances of SC/ST Employees and maintains cordial relations and healthy environment at work places for SC/ST Employees. The Reservation Cell (SC/ST) co-ordinates and provides necessary assistance to the Hon'able National Commission for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Safai Karamcharies and Parliamentary Committees and provides them required data for scrutiny on the implementation of Reservation Policy.

National Commission for Safai Karamcharies has visited Head Office, New Delhi on 01.02.2018 to review of implementation of schemes/programmes for safai karamcharies and found it satisfactory.

## Rosters

As per Ministry guidelines Reservation Cell ensure maintenance of promotions and recruitment rosters and adequate representation of SC/ST employees as per constitutional provisions. Reservation Cell also ensure uploading of Rosters at Company's website, employees and Associations have access to Co's portal and can ascertain whether reservation provided to SC/ST employees are in order as per reservation policy. Reservation Cell at Head Office has conducted Annual Inspection of Rosters of East Zone recently. Annual Inspection of Rosters for remaining zone will be completed at the earliest.





## बैठक

कंपनी के पास 'संरचित बैठक योजनाएं' हैं, जिसमें एससी/एसटी कर्मचारियों के सेवा मामलों और कल्याण के मुद्दों पर मुद्दों पर चर्चा और समाधान के लिए समय-समय पर एससी/एसटी कर्मचारियों के विभिन्न प्रतिनिधि निकायों के साथ प्रबंधन मिलता है। क्षेत्रीय स्तर पर हमारे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के शिकायतों/सेवा मामले/कल्याण से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए हमारे पास क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर हमारे क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर षतिमाही मीटिंग योजना भी है।

## प्रशिक्षण

कंपनी एससी / एसटी उम्मीदवारों के लिए प्री-भर्ती और प्री-प्रमोशन ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करती है।

एससी / एसटी कर्मचारियों के कौशल को अपग्रेड करने के लिए उन्हें विभिन्न प्रशिक्षण, सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ-साथ प्रसिद्ध एजेंसियों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में नामित किया जाता है।

मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार आरक्षण नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए गोवा में 01.12.2017 को योग्य कल्याण अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति संघों की जांच के आरओ के संपर्क अधिकारी और कार्यालय धारकों के लिए आरक्षण नीति पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम / कार्यशाला की व्यवस्था की गई थी।

## डॉ अम्बेडकर कल्याण ट्रस्ट योजनाएं

एससी / एसटी / ओबीसी कर्मचारियों के लाभ के लिए ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में डॉ। अम्बेडकर कल्याण ट्रस्ट द्वारा शुरू किए गए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / ओबीसी कर्मचारियों के लिए सात लाभ योजनाएं लागू की गई हैं।

कंपनी में एससी और एसटी कर्मचारियों के वर्गवार प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है:

वर्ग	कुल	एससी	एसटी
वर्ग- I	5463	1208	394
वर्ग-II	1076	129	41
वर्ग-III	5491	1277	481
वर्ग-IV	1637	795	119
कुल	13667	3409	1035

## Meetings

The Company has in place "Structured Meetings schemes" in which management meets with various representative bodies of SC/ST employees periodically at Head Office in order to discuss and resolved issues on service matters and welfare issues of SC/ST employees. We have also "Quarterly Meeting Scheme" at our Regional Offices level with Check off qualified SC/ST Associations in order to resolve issues related to grievances/service matter/welfare of our SC/ST employees at Regional level itself.

## Trainings

Company organizes Pre-recruitment and Pre-Promotion Training programs for the SC/ST candidates.

In order to upgrade skills of SC/ST employees they are nominated to various in-house, in service training programmes, as well as the programmes conducted by the renowned agencies.

A Training Programme/Workshop was arranged on Reservation Policy for RO's Liaison Officers and Office Bearers of Check off qualified Welfare SC/ST Associations on 01.12.2017 at Goa to ensure implementation of reservation policy as per Ministry guidelines.

## Dr. Ambedkar Welfare Trust Schemes

Seven benefit schemes for SC/ST/OBC employees launched by Dr. Ambedkar Welfare Trust are implemented in the Oriental Insurance Company Ltd. for the benefit of SC/ST/OBC employees.

The Class-wise representation of SC and ST employees in the Company are as under:

Class	Total	SC	ST
Class-I	5463	1208	394
Class-II	1076	129	41
Class-III	5491	1277	481
Class-IV	1637	795	119
TOTAL	13667	3409	1035







## भारती

संगठन की आवश्यकता को पूरा करने और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि के जुड़ने के उद्देश्य से भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के दौरान एक सतर्क दृष्टिकोण रहा है। वित्तीय वर्ष के दौरान 300 प्रत्यक्ष प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती की पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई है और अगली तिमाही में पोस्टिंग की संभावना है। इस भर्ती अभ्यास प्रक्रिया में कई नई विशेषताएं थीं जैसे कि दो चरणों में लिखित परीक्षा, उम्मीदवारों के बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग, ष्जैमरू का उपयोग, जहां भी वांछित और उम्मीदवारों को अंकों के प्रदर्शन के लिए खिड़की का निर्माण।

## अनुकम्पा नियुक्ति

कंपनी ने वर्ष 2017-18 के दौरान लिपिक और / या अधीनस्थ कर्मचारियों के कैडर में 28 योग्य उम्मीदवारों को अनुकम्पा नियुक्ति की पेशकश की है। अनुप्रयोगों को संसाधित करने के लिए एक मजबूत प्रणाली जगह पर है।

## मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली

एचआरएमएस विभाग ने वर्ष के दौरान वास्तविक प्रभाव डाला है। उपस्थिति प्रबंधन, वेतन रोल प्रशासन और भविष्य निधि जैसे महत्वपूर्ण मॉड्यूल प्रभावी और स्वचालित मानव संसाधन प्रशासन को सुविधाजनक बनाने, पूर्ण उपयोग में हैं। बेहतर और अद्यतन एचआरएमएस मॉड्यूल के साथ, कंपनी सभी हितधारकों को एक बहुत ही किफायती तरीके से विविध और सटीक एचआर जानकारी प्रदान करने में सक्षम है।

इसके अलावा, एचआरएमएस पहले से ही कर्मचारियों के संबंध में प्रबंधन को जानकारी की आवश्यकता को पूरा कर रहा है और एचआरएमएस के सभी मॉड्यूल लागू होने के बाद यह निश्चित रूप से अत्यधिक सहायता की जानकारी प्रदान करेगा। यह पारदर्शिता को भी मजबूत करेगा और विभिन्न मानव संसाधन गतिविधियों और प्रक्रियाओं को तेज करेगा। यह मानव संसाधनों से संबंधित कॉर्पोरेट निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए प्रबंधन के हाथों में एक उपकरण है।

एचआरएमएस कई एचआर मॉड्यूल को विकसित और मजबूत करने में सक्षम है। इसने प्रयासों, सटीकता और लागत प्रभावशीलता की अर्थव्यवस्था और प्रक्रिया में कोई कागजी कार्य नहीं लाया है। रोलआउट के लिए अंतिम चरण में मौजूद कुछ अन्य मॉड्यूल प्रशिक्षण, पेंशन, सीडीए हैं। मेजर मॉड्यूल के अन्य सेट श्जैसे। रोस्टर, वरिष्ठता, संवर्धन, और जनशक्ति योजना

## Recruitment

There has been a cautious approach while engaging in Recruitments process with the twin objective of catering to the need fo the Organization and increase in per employee productivity. During the Financial Year the entire process of recruitment of 300 Direct Administrative Officers is completed and postings are likely to be made in the next quarter. This Recruitment Exercise process had many new features: such as Written Examination in two phases, use of Biometric authentication of candidates, use of “Jammer “, wherever desired and creation of window for display of marks to the Candidates.

## Compassionate Appointment

The Company has offered Compassionate Appointments to 28 eligible candidates in cadre of Clerical and / or Subordinate Staff during the year 2017-18. A robust system to process the applications is in place.

## Human Resource Management System

The HRMS Department has made a real impact during the year. Vital modules like Attendance Management, Pay Roll Administration and Provident Fund are in complete use, facilitating effective and automated HR Administration. With improved and updated HRMS module, the Company is able to provide diversified and accurate HR information to all stakeholders in a very economical way.

Besides, the HRMS has already been catering the need of information to the management in respect of workforce and it would definitely provide the information of immense help once all the Modules of HRMS are implemented. It will also strengthen the transparency and hasten the various HR activities and processes. This is a tool in the hands of Management for implementation of corporate decisions concerning the human resources.

HRMS is able to develop and strengthen many HR modules. This has brought economy of efforts, accuracy and cost effectiveness and no paper work in the process. Some of the other modules which are in final stages for roll out are Training, Pension, CDA. The other set of Major Modules' viz. Roster, Seniority, Promotion,







विकास और यूएटी के विभिन्न चरणों में हैं।

हाल ही में, वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्केल -1 से 4 के कैंडर में अधिकारियों के लिए एपीएआर के लिए मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली को स्वचालित किया गया है। जीआईपीएस सदस्य कंपनियों के निर्णय के अनुसार स्केल -5 अधिकारियों के लिए केआए मॉड्यूल भी संशोधित किए गए हैं।

मानव पूंजीगत लागत को सटीक रूप से मापने और प्रतिभा प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए एचआर सूचना को मापने, वर्गीकृत करने और रिपोर्ट करने के लिए विभाग के पास एक ढांचा है।

### अग्नि और इंजीनियरिंग विभाग

कंपनी के प्रॉपर्टी इश्योरेंस सेगमेंट में तीव्र प्रतिस्पर्धी दबाव, कठिन बाजार स्थितियां और स्टंट किए गए व्यवसाय की वृद्धि देखी गई।

हालांकि हम उन समाधानों को डिजाइन और वितरित करना जारी रखते हैं जो जोखिम का प्रबंधन करते हैं, लाभ को अनुकूलित करते हैं और कंपनी को मजबूत करने के लिए पूंजी की शक्ति का विस्तार करते हैं। संपत्ति लाइनों में चल रही गिरावट दर प्रवृत्ति जारी रही और संपत्ति की दर और गिरावट आई है। मौजूदा जोखिमों के लिए मूल्य निर्धारण प्रमुख अंतरिम रहा। दर बढ़ने के लिए केवल प्रतिकूल जोखिम प्रोफाइल के लिए प्रेरित किया गया था। हालांकि, हमारी कंपनी का ध्यान लाभप्रद ग्राहकों के प्रतिधारण और दावे के रुझानों के आकलन को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम संभव दरों की पेशकश पर जारी रहा।

हमने लक्ष्य चुनौती, क्षमता परिनियोजन और मूल्य निर्धारण पर्याप्तता पर एक और विविध दृष्टिकोण के साथ इस चुनौती को संबोधित किया। हमारा ध्यान सामान्य प्रतिक्रिया के बजाए जोखिम की गुणवत्ता और जोखिम चयन द्वारा प्रेरित किया गया है जिसने हमें हमारे पोर्टफोलियो में अस्थिरता को कम करने के लिए प्रीमियम वॉल्यूम छोड़ने के लिए मजबूर किया है। इसने प्रतिकूल हानि अनुपात में ऊपर की प्रवृत्ति को गिरफ्तार कर लिया है।

इसके अतिरिक्त, कक्षा में कक्षा के अनुसार आईसीआर की निरंतर निगरानी करने के लिए हमारा जोर वर्तमान पुनर्वितरण व्यवस्था से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए किया गया है। मौजूदा बाजार प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए हमने सितंबर 2017 में अग्नि और इंजीनियरिंग अंडरराइटिंग के लिए आरओएस को छूट मंजूरी देने वाले अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल को और तर्कसंगत बना दिया है। किए गए प्रयासों ने परिणाम दिखाए हैं और फायर एंड इंजीनियरिंग दोनों में आईसीआर ने सुधार किया है अंतिम वित्तीय वर्ष।

and Manpower Planning are under various stages of Development and UAT.

Lately, Human Resource Management system has been automated for APAR for officers in the cadre of Scale-1 to 4 in the financial year 2017-18. KRA modules have also been revised for Scale-5 Officers as per the decision of GIPSA Member Companies.

The Department has a framework to quantify, categorize and report HR information to accurately measure human capital costs and optimize talent performance.

### FIRE AND ENGINEERING DEPARTMENT

The property insurance segment of the company continued to witness intense competitive pressure, tough market conditions and stunted business growth.

However we continued to design and deliver solutions that manage risk, optimize benefits and expand the power of capital to strengthen the company. In property lines the ongoing decline rate trend continued and property rates had fallen further. Pricing remained major differentiator for existing risks. Rate increases were driven largely only for adverse risk profiles. However, our company's focus continued on retention of profitable clients and offering of best possible rates keeping in view our assessment of the claim trends.

We addressed this challenge with a more diverse view on target business, capacity deployment and pricing adequacy. Our focus has been driven by risk quality and risk selection rather than a generic response which forced us to drop premium volume to reduce volatility in our portfolio. It has arrested the upward trend in adverse loss ratios.

In addition, our emphasis has been to continuously monitor the segment wise ICR within the class so as to derive the maximum advantage from the current reinsurance arrangements. Keeping in view of the prevailing market trends we have further rationalized the delegation of discount sanctioning authorities to ROs for Fire & Engineering underwriting in September 2017. The efforts made have shown results and the ICR in both Fire & Engineering has shown an improvement as compared to the last Financial Year.





फायर एंड इंजीनियरिंग विभाग का वित्तीय स्लैपशॉट नीचे दिया गया है;

The financial snapshot of the Fire & Engineering Department is given here below;

विवरण	अग्नि		इंजीनियरिंग	
	वर्ष समाप्त 31.03.2018	वर्ष समाप्त 31.03.2017	वर्ष समाप्त 31.03.2018	वर्ष समाप्त 31.03.2017
सकल प्रीमियम (करोड़ में प्रीमियम)	996.62	1042.89	232.11	291.13
सकल परिचालन परिणाम (करोड़ों में प्रीमियम)	295.04	145.15	235.31	225.89
सकल कमाई प्रीमियम (करोड़ में प्रीमियम)	1019.76	1045.21	261.62	311.39
संयुक्त अनुपात (सकल)	93.60%	101.55%	49.53%	56.92%
नेट प्रीमियम (करोड़ में प्रीमियम)	584.39	596.38	202.79	206.21
नेट ऑपरेटिंग परिणाम (करोड़ में प्रीमियम)	10.50	-111.85	187.26	122.77

Particulars	Fire		Engineering	
	Year Ended 31.03.2018	Year Ended upto 31.03.2017	Year Ended Upto 31.03.2018	Year Ended Upto 31.03.2017
Gross Premium (Premium in Crores)	996.62	1042.89	232.11	291.13
Gross Operating Result (Premium in Crores)	295.04	145.15	235.31	225.89
Gross Earned Premium (Premium in Crores)	1019.76	1045.21	261.62	311.39
Combined Ratio (Gross)	93.60%	101.55%	49.53%	56.92%
Net Premium (Premium in Crores)	584.39	596.38	202.79	206.21
Net Operating Result (Premium in Crores)	10.50	-111.85	187.26	122.77

विवरण	अग्नि		इंजीनियरिंग	
	वर्ष समाप्त 31.03.2018	वर्ष समाप्त 31.03.2017	वर्ष समाप्त 31.03.2018	वर्ष समाप्त 31.03.2017
सकल व्यय दावा अनुपात	65.70%	68.58%	23.28%	29.97%
शुद्ध व्यय दावा अनुपात	87.20%	93.13%	20.87%	61.80%
शुद्ध अर्जित दावा दावा अनुपात	86.31%	91.00%	20.70%	54.91%

Particulars	Fire		Engineering	
	Year Ended 31.03.2018	Year Ended upto 31.03.2017	Year Ended Upto 31.03.2018	Year Ended Upto 31.03.2017
Gross Incurred Claims ratio	65.70%	68.58%	23.28%	29.97%
Net Incurred Claims Ratio	87.20%	93.13%	20.87%	61.80%
Net Earned Incurred Claim Ratio	86.31%	91.00%	20.70%	54.91%

### स्वास्थ्य बीमा

स्वास्थ्य बीमा कारोबार वित्त वर्ष 2017-18 में कंपनी के जीडीपीआई को 31% से अधिक योगदान देने वाला एक प्रमुख विकास चालक बना रहा। बैंकाश्युरेंस उत्पादों और समूह स्वास्थ्य बीमा नवीकरण के मूल्य निर्धारण में बहुत आवश्यक पाठ्यक्रम सुधार किए गए थे। हमने वित्त वर्ष 2017-18 में 8.4% की वृद्धि देखी लेकिन अधिक महत्वपूर्ण रूप से हम आईसीआर को 106% से 102% तक कम करने में सक्षम थे। विशेष रूप से खुदरा सेगमेंट में आईसीआर काफी कम होकर 86.43% हो गया है।

### HEALTH INSURANCE

Health Insurance business remained a key growth driver, contributing more than 31% to the GDPI of the Company in FY 2017-18. Much needed course corrections were made in the pricing of bancassurance products and group health insurance renewals. We clocked a growth of 8.4% in the FY 2017-18 but more significantly we were able to reduce ICR from 106% to 102%. The ICR specifically in the retail segment has been substantially reduced to 86.43%.

स्वास्थ्य बीमा लाइन में तुलनात्मक विकास - भारतीय (करोड़ रुपये में)

Comparative Growth in Health Insurance Line of Business- Indian (Rs in Crore)

	2017-18	2016-17	वृद्धि/Growth	व्यय दावा अनुपात 17-18 ICR 17-18	व्यय दावा अनुपात 16-17 ICR 16-17	कुल स्वास्थ्य में अनुपात % IN TOTAL HEALTH
खुदरा / Retail	1286.41	1245.31	3.30	86.43	88.77	35.89
समूह / Group	2138.8	1914.59	11.71	108.04	115.08	59.66
बैंक आस्वासन/Bank assurance	126.05	109.23	15.40	167.66	145.84	3.52
कुल / Total	3551.26	3269.13	8.63	102.33	106.09	99.07
आरएसबीवाई/ आरआईडी / RSBY/RID	30.09	52.51	-36.30	143.30	41.91	0.93
कुल / TOTAL	3581.16	3321.87	7.81	102.67	105.08	100.00





वर्ष 2017-18 में स्वास्थ्य एलओबी (आरएसबीवाई सहित) का प्रदर्शन निम्नानुसार है:

स्वास्थ्य बीमा पोर्टफोलियो	वर्ष 2017-18 (करोड़ रुपये में)
सकल प्रीमियम-इंडियन	3581.17
सकल प्रीमियम-विदेशी	27.28
सकल प्रीमियम-ग्लोबल	3608.44
प्रीमियम सीड	193.48
नेट प्रीमियम	3415.15
अप्रत्याशित जोखिम में परिवर्तन के लिए समायोजन	128.91
अर्जित प्रीमियम नेट	3286.24

आगे बढ़ने और प्रगति के अगले स्तर के लिए तैयार करने के लिए, हमें खुदरा सेगमेंट में बढ़ने की जरूरत है जहां मार्जिन उपलब्ध हैं और व्यापार विकास के लिए पर्याप्त क्षमता है। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए खुदरा सेगमेंट में वृद्धि केवल 3.30% थी। आठ आरओ, अहमदाबाद, वडोदरा, एमआरओ-2, एनआरओ-1, एमआरओ-3, डीआरओ-2, कोलकाता और बंगलोर ने इस कारोबार का लगभग 70% योगदान दिया। अकेले गुजरात राज्य ने खुदरा कारोबार का लगभग 25% योगदान दिया। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को नीतियों की संख्या और कवर किए गए जीवन में वृद्धि के साथ-साथ खुदरा पोर्टफोलियो के विकास में वृद्धि लाने के लिए एक मजबूत फोकस की आवश्यकता होती है।

समूह स्वास्थ्य स्ट्रट में मूल्य निर्धारण एक प्रमुख चिंता है और हम मूल्य पर प्रतिस्पर्धा करके बाजार हिस्सेदारी को बनाए रखने में आक्रामक नहीं थे। ग्रुप सेगमेंट में मूल्य निर्धारण बाजार संचालित है और प्रतिस्पर्धा पर निर्भर है लेकिन हमने प्रत्येक नवीकरण पर पर्याप्त पुनरु मूल्य निर्धारण सुनिश्चित किया है और उन समूहों से भी दूर चले गए जहां हमें सही मूल्य नहीं मिला। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए समूह खंड में वृद्धि 11.70% थी। यह सेगमेंट बेहद खराब है और पुणे, बंगलोर और हैदराबाद के साथ चार मेट्रो समूह स्वास्थ्य बीमा कारोबार का लगभग 90% हिस्सा है। इन आरओ को इस काफी जटिल स्वास्थ्य बीमा बाजार के प्रतिस्पर्धी व्यवहार की लगातार सतर्क रहना आवश्यक है। उन्हें संभावित अनुशासन लाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए क्योंकि पोर्टफोलियो की स्थिरता के लिए मूल्य माना जाने वाला प्रमुख कारक बना हुआ है।

स्वास्थ्य बीमा बाजार के बदलते चेहरे वितरण के सभी चैनलों के साथ सार्थक सगाई के लिए बड़े, बेहतर और तेज कॉल। वित्त वर्ष 2017-18 में एजेंटों ने बेची गई नीतियों की संख्या में 75% और वॉल्यूम में 36% (1272.19 करोड़ रुपये) का

The performance of the Health LOB (inclusive of RSBY) in the year 2017-18 is as under:

Health Insurance Portfolio	FY 2017-18 (Rs. in Crore)
Gross Premium-Indian	3581.17
Gross Premium-Foreign	27.28
Gross Premium-Global	3608.44
Premium Ceded	193.48
Net Premium	3415.15
Adjustment for changes in unexpired risk	128.91
Earned Premium Net	3286.24

To gear up and prepare for next level of progression, we need to grow in Retail Segment where margins are available and there is substantial potential for business growth. The growth in retail segment for FY 2017-18 was only 3.30%. Eight ROs i.e., Ahmadabad, Vadodhara, MRO-2, NRO-1, MRO-3, DRO-2, Kolkata and Bangalore contributed approximately 70% of this business. Gujarat State alone contributed approximately 25% of retail business. All Regional Offices require a strong focus to bring growth both in number of policies and increase in covered lives as well as growth to retail portfolio.

Pricing in Group Health LOB is a major concern and we were not aggressive in maintaining the market share by competing on price. The pricing in Group segment is market driven and is dependent on competition but we ensured substantial re-pricing on every renewal and also moved away from groups where we did not get the right price. Growth in group segment for FY 2017-18 was 11.70%. This segment is highly skewed and four Metros with Pune, Bangalore & Hyderabad contributed approximately 90% plus of Group Health Insurance business. These ROs are required to remain constantly watchful of the competitive behaviour of this fairly complex health insurance market. They should keep trying their best to bring possible discipline as price remains the major factor to be considered for sustainability of portfolio.

The changing face of Health Insurance Market bigger, better and faster calls for meaningful engagement with all channels of distribution. In FY 2017-18 the Agents contributed 75% in number of policies sold and 36% in volume (Rs 1272.19 crore). They dominated the retail





योगदान दिया। उन्होंने खुदरा सेगमेंट पर हावी रहे। ब्रोकर समूह खंड में प्रभुत्व रखते थे और 31.86% यानी 1129.52 करोड़ रुपये का योगदान करते थे। हमारी ताकत प्रत्यक्ष बिक्री है और हमारी सीधी बिक्री टीम ने 27.90% यानी 989.32 करोड़ स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का योगदान दिया है। आरओ को प्रबंधन के सभी चैनलों के लिए उचित कार्य योजना तैयार करनी चाहिए, विशेष रूप से प्रत्यक्ष बिक्री टीम लाभदायक और टिकाऊ विकास के प्रयास में।

एचआईटीपीए सहित बारह टीपीए, हमारे खुदरा पॉलिसीधारकों को स्वास्थ्य बीमा सेवाएं प्रदान करते हैं। हालांकि स्वास्थ्य बीमा वर्टिकल में पुनर्गठन ने काफी मदद की है, लेकिन यह समय हमारे स्वास्थ्य के लिए टीपीए के साथ-साथ स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं पर निगरानी स्तर पर और सुधार करने का समय है। उन्हें व्यवसाय करने में आसानी लाने और बेहतर सेवा स्तर वाले ग्राहकों को सशक्त बनाना चाहिए।

हमारे पास स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के साथ टीपीए और नेटवर्क समझौतों के साथ सेवा स्तर समझौते के आकार में अच्छी तरह से संरचित ढांचा है। विभागीय कार्यालय में हमारी टीम दैनिक आधार पर टीपीए संसाधित दावा फाइलों की समीक्षा सुनिश्चित करती है और क्षेत्रीय टीम सभी एसएलए पैरामीटर्स पर टीपीए की प्रदर्शन समीक्षा की जिम्मेदारी लेती है। ये टीम अस्पतालों में होने वाले उपयोग की समीक्षा भी करती हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे लेनदेन सहमत दरों और छूट से विचलन के बिना हो रहे हैं।

हमारी टीम हमें और विभिन्न कानूनी मंचों पर निर्वाचित मामलों से शिकायतों से सार्थक अंतर्दृष्टि लेती है। हमारे पास प्रत्येक टीपीए और दावा दिशानिर्देश जारी किए गए एसएलए (सेवा स्तर समझौते) में हैं। हमारे पॉलिसीधारकों के लिए प्री-वार्तालाप दर समझौतों के अलावा मानकीकृत प्रोटोकॉल और मानक बिलिंग प्रक्रियाओं के लिए नेटवर्क प्रदाताओं के साथ त्रिकोणीय समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।

हम दिल्ली एनसीआर, जयपुर और चंडीगढ़ (लुधियाना, अमृतसर और मोहाली समेत) में पीपीएन (पसंदीदा प्रदाता नेटवर्क) के कार्यान्वयन के लिए अग्रणी बीमाकर्ता हैं। हमारी टीम ने तृतीयक, माध्यमिक और प्राथमिक देखभाल प्रदाताओं के साथ सहयोग करके किसी भी पीपीएन शहर में पहली बार दवाइयों और उपभोग्य सामग्रियों की लागत के खिलाफ छूट प्राप्त करने सहित उपचार लागत के सभी घटकों के लिए किरायेदार स्तर पर इलाज की लागत लाई है। वार्ता जो पहले 40 विषम शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं तक सीमित थीं अब पैकेज

segment. Brokers dominated in group segment and contributed 31.86% i.e. Rs 1129.52 crore. Our strength is Direct sales and our direct sales team contributed 27.90% i.e. Rs 989.32 crore of health insurance premium. ROs should draw proper action plan for all channels of management, especially the direct sales team in pursuit of profitable and sustainable growth.

Twelve TPAs, including HITPA, provide health insurance services to our Retail policyholders. Though the restructuring in Health Insurance vertical has helped considerably, it is time for our Health vertical to further improve upon the monitoring level both on TPAs as well as on Health Care Providers. They should bring ease in doing business and empower clients with improved service levels.

We have in place well-structured framework in shape of Service Level Agreement with TPAs and Network agreements with Health Care Providers. Our teams at Divisional office ensure review of TPA processed claim files on daily basis and Regional teams takes the responsibility of performance review of TPAs on all SLA Parameters. These teams also review the utilization happening in hospitals to ensure such transactions happening without deviation from agreed rates and discounts.

Our team takes meaningful insight from grievances reported to us and from the adjudicated cases at various legal forums. We have in place SLAs (Service Level Agreements) with every TPA and Claim guidelines have also been issued. Tri-partite agreements have also been signed with Network providers for standardized protocols and standard billing procedures in addition to pre-negotiated rate agreements for our policyholders.

We are lead insurer for implementation of PPN (Preferred Provider Network) in Delhi NCR, Jaipur and Chandigarh (including Ludhiana, Amritsar and Mohali). Our team has brought cost of treatment to affordable level for all components of treatment costs including obtaining discounts against cost of medicines and consumables first time in any PPN city by collaborating with tertiary, secondary and primary care providers. The negotiations that were earlier restricted to 40 odd surgical procedures are now done for 113 surgical







लागत (एपिसोड आधारित) पर 113 शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं और छूट के आधार पर अन्य शल्य चिकित्सा और चिकित्सा प्रबंधन प्रक्रियाओं के लिए की जाती हैं। चिकित्सा मुद्रास्फीति को गिरफ्तार करने के लिए टैरिफ दो साल तक जमे हुए हैं। आमतौर पर टैरिफ को कम से कम तीन साल तक मुद्रास्फीति को रोकने के लिए पिछले वर्ष भी चुना जाता है। हमने पीपीएन की प्रगति की समीक्षा के लिए उपयोग का मूल्यांकन करने के लिए एक ध्वनि डेटा प्रारूप विकसित किया है। यह समीक्षा एचओ में बनाई गई है।

हमने चिकित्सा क्षेत्रीय मुद्रास्फीति को गिरफ्तार करने के लिए अधिकतम छूट सुनिश्चित करने और कम से कम दो वर्षों के लिए शुल्क / अनुसूची शुल्क (एसओसी) जमा करने के लिए हमारी क्षेत्रीय टीमों के माध्यम से पीपीएन शहरों के अलावा सभी शहरों में टीपीए नेटवर्क की समीक्षा शुरू की है।

हमारी अन्य पहल (ए) बेंचमार्क, अस्पतालों के अनुसार और प्रक्रियात्मक तरीके से बनाने और हमारी दावे प्रक्रियाओं में इसका उपयोग करके लागत कंड्रम लाने के लिए हैं। (बी) धोखाधड़ी नियंत्रण गतिविधि में अन्य पीएसयू और टीपीए के साथ सहयोगी जुड़ाव। (सी) क्षेत्रीय, क्षेत्रीय और कॉर्पोरेट प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल उन्नयन कार्यक्रम।

स्वास्थ्य अत्यधिक विनियमित पोर्टफोलियो है। हमने आईआरडीएआई (स्वास्थ्य बीमा) विनियमन 2016 के साथ हमारे उत्पादों और प्रक्रियाओं को अनुपालन किया है और उत्पाद प्रबंधन समिति (पीएमसी) सालाना उत्पादों के प्रदर्शन की समीक्षा करती है।

इस वर्ष भारत सरकार ने 'आयुषम भारत' अर्थात् (i) राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना (एनएचपीएस) के प्रभावी निष्पादन के लिए 1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (एचडब्ल्यूसी) की स्थापना के रूप में स्वास्थ्य क्षेत्र में दो प्रमुख पहलों की घोषणा की और स्वास्थ्य देखभाल के लिए अधिक पहुंच प्राप्त करने के लिए प्रत्येक 3 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कम से कम एक मेडिकल कॉलेज। (ii) प्रधान मंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (पीएमआरएसएसएम), जो भारत में स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के लिए एक आदर्श अवसर होगा क्योंकि यह स्वास्थ्य देखभाल परिदृश्य को बदलने के लिए तैयार है। इस योजना में जनसंख्या के 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों और वंचित वर्ग (लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों) को कवर करने का इरादा है, जो माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक कवरेज प्रदान करते हैं। हम पीएमआरएसएसएम की सराहना करते हैं और

procedures on package cost (episode based) and for other surgical and medical management procedures on discount basis. To arrest medical inflation the tariffs are frozen for two years. The tariff generally is also picked that of previous year to curb inflation at least for three years. We have developed a sound data format to evaluate utilization to review the progress of PPN. This review is made at HO.

We have initiated review of TPA network in all cities other than PPN cities through our Regional teams to ensure maximum discounts and by freezing tariffs/ Schedule of Charges (SOCs) for at least two years in order to arrest medical inflation.

Our other initiatives are (a) to create bench-mark, hospitals wise and procedure wise and bringing the cost conundrum by using it in our claim processes. (b) Collaborative engagement with other PSUs and TPAs in Fraud Control Activity. (c) Skill up-gradation programmes at Zonal, Regional and Corporate training centres.

Health is highly regulated portfolio. We have made our products & processes compliant with IRDAI (Health Insurance) Regulation 2016 and the Product Management Committee (PMC) reviews the performance of products annually.

This year Government of India announced two major initiatives in health sector, as part of 'Ayushman Bharat' i.e (i) Setting up of 1.5 lakh Health and Wellness Centres (HWC) for effective execution of National Health Protection Scheme (NHPS) and of having at least one medical college for every 3 parliamentary constituencies to meet greater accessibility to health care. (ii) The Pradhan Mantri Rashtriya Swasthya Suraksha Mission (PMRSSM), which will an ideal opportunity for the health care sector in India as it is set to change the health care landscape. The scheme intends to cover over 10 crore poor and vulnerable families and disadvantaged section of the population (approximately 50 crore beneficiaries) providing coverage up to 5 lakh rupees per family for secondary and tertiary care hospitalization. We are appreciative of the PMRSSM and recognize the opportunity provided by the flagship scheme. We also understand the implementation at this





प्रमुख योजना द्वारा प्रदान किए गए अवसर को पहचानते हैं। हम यह भी समझते हैं कि इस पैमाने पर कार्यान्वयन पूंजी से संबंधित और ऐसी बड़ी संख्याओं को कवर करने की क्षमता सहित कई चुनौतियों का सामना करेगा।

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए एजेंडा टिकाऊ और लाभप्रद विकास को चलाने के लिए है। हमें ग्राहकों की खुशी पर ध्यान केंद्रित करने और उन्हें अभिनव समाधान और सेवाओं के साथ सशक्त बनाने की आवश्यकता है। हम अंतर को भरने के लिए खुदरा सेगमेंट में एक टॉप-अप उत्पाद पेश करेंगे। सभी वितरण चैनलों की बिक्री प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है और हम इसे पहचानते हैं। मुद्रास्फीति स्वास्थ्य देखभाल लागत को गिरफ्तार करने के लिए पीपीएन शहरों के अलावा सहयोगी प्रयास भी किए जाएंगे। एक मजबूत पर्यवेक्षी तंत्र के साथ हर आरओ में सर्वोत्तम कार्य योजना तैयार करना हम वित्त वर्ष 2018-19 में खुदरा सेगमेंट पर ध्यान केंद्रित करने के साथ एक लचीला स्वास्थ्य बीमा पोर्टफोलियो तैयार करेंगे।

### कॉर्पोरेट सोशल उत्तरदायित्व

वित्त वर्ष 2017-18 में, बजट का लक्ष्य। सीएसआरआईटी के लिए 9.78 करोड़ आवंटित किए गए थे। कॉर्पोरेट सीएसआर द्वारा द्वारा सीएसआर पहलों को शुरू करने की रणनीति ने कहा कि आयाम को मिला क्योंकि पूरे देश में सीएसआर का आयोजन किया गया था। सीएसआर पहियों के उपक्रम के लिए कई नए मार्गों की पहचान की गई परिणाम परिणामस्वरूप सीएसआरओटी के लाभ को समाज के सम्मानित और जरूरतमंद वर्गों से लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई।

शहरी झोपड़ी और ग्रामीण इलाकों के स्कूलों, विशेष बच्चों के लिए स्कूल, रात्रि आश्रय के कैंदियों, विकलांग लोगों के लिए कौशल विकास केंद्र, स्पष्ट रूप से विकलांग, महिलाओं और बच्चों में ऐजवाल, पलक्कड़, दिल्ली झोपड़ियों, चंदवाड़ा, स्कूल और पुनर्वास केंद्रों में गतिविधियां आयोजित की गईं। अलग-अलग, अनाथाश्रम, कैंसर रोगियों (दर्द निवारण देखभाल और बच्चे) आदि के लिए, उत्तराधिकार में दूसरे वर्ष के लिए देश भर में चुनिंदा स्कूलों में स्कूल समाचार पत्रों में हिंदी के समाचार पत्रों को पढ़ने और भाषा कौशल को बढ़ावा देने, स्कूलों में जल कूलर प्रदान करने के लिए, प्रशासनिक कर्मचारी के सहयोग से वारंगल में चुनिंदा 50 स्कूलों में बेघर व्यक्तियों और समाज के पिछड़े वर्ग के बच्चे, अलग-अलग बच्चे के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम, वाश (पानी, स्वच्छता और स्वच्छता) के चरण-1 के पूर्ण होने के लिए स्वास्थ्य शिविर

scale will pose many challenges on us including relating to the capital and capacity to cover such large numbers.

The agenda for FY 2018-19 is to drive sustainable and profitable growth. We need to focus on customer delight and empower them with innovative solutions and services. We shall be introducing a top-up product in retail segment to fill the gap. Technology has important role in the sale process of all distribution channels and we recognize it. To arrest inflationary health care costs collaborative efforts will also be made in other than PPN cities. Drawing best action plan in every RO with a strong supervisory mechanism we shall be creating a resilient health insurance portfolio with a focus on retail segment in FY 2018-19.

### CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

In the financial year 2017-18, a budget of Rs. 9.78 crores was allocated for CSR activities. The strategy of undertaking CSR initiatives by Corporate CSR department took new dimensions as CSR activities were conducted all across the Country. A lot of new avenues for undertaking CSR initiatives were identified resulting in passing the benefit of CSR activities to increased number of beneficiaries from underprivileged and needy sections of the society.

The activities were undertaken at schools in urban slums & rural areas, schools for special children, inmates of night shelters, skill development centers for hearing impaired, visibly impaired, women and children at Aizwal, Palakkad, Delhi slums, Chindwara, schools & rehabilitation centers for differently-abled, orphanages, cancer patients (palliative care & children) etc., promoting newspapers reading and language skills by associating for THE HINDU IN SCHOOL newspapers in select schools across the Country for the second year in succession, providing water coolers at schools, organizing health camps for homeless persons & children from backward section of the society, educational events for differently-abled & special children, completion of phase I of WASH (water, hygiene and sanitation) in select 50 schools in Warangal in association with Administrative Staff College of India and initiating phase II in all the 217 government schools of Warangal, special initiatives







आयोजित करना भारत के कॉलेज और वारंगल के सभी 217 सरकारी स्कूलों में चरण II शुरू करने के लिए विशेष पहल की गई स्वच्छ क्षेत्रों में ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में शौचालयों का निर्माण, दूरदराज के इलाकों में अस्पताल के लिए एम्बुलेंस, शारीरिक रूप से अक्षम आदि के लिए एड्स और उपकरण के वितरण के लिए एलीमको के साथ मिलकर।

वित्त वर्ष 2017-18 में कंपनी ने निम्नलिखित सीएसआर पहल का पालन किया है:

प्रायोजित शैक्षिक यात्रा / संक्षिप्त समाज के बच्चे और अलग-अलग बच्चों के लिए घटनाक्रम।

1. राष्ट्रीय बीमा अकादमी, पुणे में छात्रावास नं। के समर्थित नवीनीकरण
2. अस्सी लाइब्रेरी के अनाथ / वंचित बच्चों के समर्थित कंप्यूटर कौशल विकास कार्यक्रम
3. बालचंदन स्मारका केंद्र, पलक्कड़, केरल के कौशल विकास इकाई में योगदान दिया
4. अशोक लेलैंड ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर, चित्रकूट, मध्य प्रदेश के सहयोग से वंचित विशेषाधिकार के लिए प्रायोजित एलएमवी ड्राइविंग ट्रेनिंग कोर्स
5. नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड, उत्तराखंड के कैदियों के लिए नवीनीकृत कंप्यूटर लैब।
6. ग्वालियर, मध्य प्रदेश में गुडविल फाउंडेशन द्वारा संचालित प्रायोजित कटिंग और टेलरिंग स्किल डेवलपमेंट सेंटर
7. छत्तरपुर, दिल्ली में टीबी रोगियों के लिए रिकवरी आश्रय को बुनियादी ढांचागत समर्थन प्रदान किया गया।
8. नजफगढ़ की अपनी होम केयर टीमों के लिए कैंसर मरीजों को उपद्रव देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए समर्थित कैनसपोर्ट।
9. कैनसपोर्ट डे केयर सेंटर, पूर्वी दिल्ली के कैंसर रोगियों को पोषण सहायता प्रदान की गई।
10. एनजीओ द्वारा संचालित स्कूलों और इकाइयों को बुनियादी ढांचा सुविधाएं, शैक्षणिक सामान, खेल वस्तुएं प्रदान की गईं।
12. शहरी झोपड़ियों और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों की कक्षा के फर्निचर, कंप्यूटर, शैक्षिक आइटम, बैग, वर्दी, किताबें आदि प्रदान की गईं।

undertaken for Swachhh Bharat by building toilets in schools in rural areas, ambulance for hospital in remote areas, associating with ALIMCO for distribution of aids & appliances to physically disabled , etc.

The Company undertook following CSR initiatives in the financial year 2017-18 :

Sponsored Educational Trips / Events for the children of under-privileged societies and differently abled children.

1. Supported Renovation of Hostel No.IV at National Insurance Academy, Pune
2. Supported Computer Skill Development Program of Orphan/underprivileged children of Aseems Library
3. Contributed to Skill Development Unit of Balanchandran Smaraka Kendra, Palakkad, Kerala
4. Sponsored LMV Driving Training course for the under-privileged in association with Ashok Leyland Driving Training & Research Centre, Chitrakoot, Madhya Pradesh
5. Renovated Computer Lab for inmates of National Association of Blind, Uttarakhand.
6. Sponsored Cutting and Tailoring Skill Development Centre run by Goodwill Foundation at Gwalior, Madhya Pradesh
7. Provided infrastructural support to Recovery Shelter for TB patients at Chattarpur, Delhi.
8. Supported Cansupport for their Home Care Teams of Najafgarh to provide palliative care services to Cancer Patients.
9. Provided Nutritional support to cancer patients of Cansupport Day Care Centre, East Delhi.
10. Provided Infrastructure facilities, educational items, Sports items to Schools and units run by NGOs.
12. Provided Classroom furnitures, Computers, Educational Items, Bags, Uniforms Books etc to children of Urban Slums and Rural areas.





13. देश भर के विशेष विद्यालयों में अलग-अलग बच्चों के लिए फिजियोथेरेपी उपकरण, शैक्षणिक सामग्री, खेल उपकरण प्रदान किए जाते हैं।
14. राज शिक्षा संस्थान, सल्लारपुर गांव, वाराणसी में स्वच्छ भारत पहलों के तहत निर्मित शौचालय।
15. वारंगल, तेलंगाना के 50 सरकारी स्कूलों में ग्रेटर वारंगल नगर निगम और भारत के प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद के सहयोग से वाशिंग (जल, स्वच्छता और स्वच्छता) पहलों का पूरा चरण-1।
16. दक्षिणी राजस्थान में सेवा मंदिर द्वारा संचालित जनजातीय बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए 5 अन्य शिक्षा केन्द्रों का समर्थन किया गया।
17. भारत लोक शिक्षा परिषद के सहयोग से ग्रामीण/जनजातीय उत्तर प्रदेश के 10 एकल विद्यालयों का समर्थन किया।
18. चेन्नई में हिंदू मिशन अस्पताल में एनेस्थेसिया वर्क स्टेशन प्रदान किया गया।
19. चित्रकूट, मध्य प्रदेश में श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट द्वारा संचालित चैरिटेबल अस्पताल में एम्बुलेंस प्रदान किया गया।
20. अक्षय पत्र फाउंडेशन के वृंदावन रसोई में सब्जी वॉशिंग मशीन प्रदान की गई।
21. 'बेटी बचाओ – बेटी पढ़ो' अभियान के तहत सरकारी स्कूलों की लड़कियों के बच्चों को ई-स्लेट प्रदान की गई।
22. उत्तर गुजरात के बाढ़ पीड़ितों के लिए मुख्य मंत्री राहत निधि में योगदान दिया गया।
23. असम के बाढ़ पीड़ितों के लिए मुख्य मंत्री राहत निधि में योगदान दिया।
24. तमिलनाडु के निलाकोट्टाई में मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण लड़कियों के लिए इना उदयम में निर्मित कंपाउंड वॉल।
25. पूरे देश में सरकारी स्कूलों के छात्रों को 'द हिंदू इन स्कूल अखबार' वितरित किया गया।
26. कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (अलीमको) के सहयोग से दिव्यंगजन को वितरित एड्स और उपकरण।
13. Provided Physiotherapy equipments, educational materials, sports equipments to differently abled children in Special schools across the country.
14. Constructed Toilets under Swachh Bharat initiatives at Raj Shikshan Sansthan, Sallarpur Village, Varanasi.
15. Completed Phase I of WASH (Water, Sanitation & Hygiene) initiatives in 50 Government schools of Warangal, Telangana in association with Greater Warangal Municipal Corporation and Administrative Staff College of India, Hyderabad.
16. Supported 5 Nos. Shiksha Kendras for providing informal education to tribal children run by Seva Mandir in southern Rajasthan.
17. Supported 10 Ekal Vidyalayas of Rural / Tribal Uttarpradesh in association with Bharat Lok Shiksha Parishad.
18. Provided Anaesthesia Work Station to Hindu Mission Hospital at Chennai.
19. Provided Ambulance to Charitable Hospital run by Shri Sadguru Seva Sangh Trust in Chitrakoot, Madhya Pradesh.
20. Provided Vegetable Washing Machine to Vrindavan Kitchen of Akshaya Patra Foundation.
21. Provided E – Slates to girl children of Government schools under “Beti Bachao–Beti Padhao” Campaign.
22. Contributed to Chief Ministers Relief Fund for the flood victims of North Gujarat.
23. Contributed to Chief Ministers Relief Fund for the flood victims of Assam.
24. Constructed Compound Wall at Iniya Udayam, Home for the mentally challenged girls at Nilakottai, Tamil Nadu.
25. Distributed “The Hindu In School Newspaper “ to students of Governments schools across the country.
26. Distributed Aids and Appliances to Divyangjan in association with Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO).





27. कौशल विकास केंद्र की स्थापना के लिए दिल्ली एसोसिएशन ऑफ बधिर को बुनियादी ढांचागत समर्थन प्रदान किया गया।

उपर्युक्त सीएसआर पहलों के परिणामस्वरूप पूरे देश में कई स्थानों पर सीएसआर गतिविधियों को फैलाने के लगभग 236360 वंचित और जरूरतमंद व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया। रुपये की राशि रुपये के आवंटित बजट से 6.69 करोड़ खर्च किए गए थे। 9.78 करोड़ रुपये की राशि के लिए आगे की मंजूरी 2017-18 में विभिन्न सीएसआर पहलों के लिए समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के लगभग 35000 लोगों को लाभान्वित 2.06 करोड़ रुपये वित्तीय वर्ष 2018-19 में लागू किए जा रहे हैं। रुपये का आवंटित बजट सीएसआर पहलों के उपक्रम के लिए 1.03 करोड़ रुपये वित्त वर्ष 2018-19 में किए गए हैं।

27. Provided infrastructural support to Delhi Association of Deaf for setting up Skill Development Centre.

The above stated CSR initiatives resulted in benefiting around 236360 underprivileged and needy persons by spreading CSR activities in many locations across the Country. An amount of Rs. 6.69 crores was spent out of the budget allocated of Rs. 9.78 crores. Further approvals amounting to Rs. 2.06 crores benefiting approximately 35000 people from underprivileged and weaker sections of the society were accorded for various CSR initiatives in 2017-18 which are going to be implemented in financial year 2018-19. The unallocated budget of Rs. 1.03 crores has been carried over to FY 2018-19 for undertaking CSR initiatives.





## अतुल जेरथ महाप्रबंधक

### ATUL JERATH GENERAL MANAGER

#### खाते, बजट और कर

वर्ष 2017-18 के दौरान बीमा उद्योग में विभिन्न घटनाओं के बीच, हमारी कंपनी ने राजस्व के सभी हिस्सों में परिचालन लाभ में सुधार करके सीसीएटी में बेहतर प्रदर्शन से पिछले वर्ष के 2400 करोड़ रुपये के नुकसान के मुकाबले वर्ष 2017-18 में 1147 करोड़ रुपये का परिचालन लाभ अर्जित किया। पिछले 5 वर्षों से राजस्व खातों का विश्लेषण नीचे दिया गया है: -

रुपये करोड़ में

वर्ष	अग्नि	मरीन	विविध	कुल
2013-14	-20.85	69.05	155.96	204.16
2014-15	-24.82	117.12	-0.47	91.83
2015-16	-136.54	0.32	-375.65	-511.88
2016-17	-111.85	33.38	-2321.66	-2400.13
2017-18	10.50	112.50	1024.64	1147.64

#### ACCOUNTS, BUDGET & TAXATION

In the midst of various happenings in Insurance industry during the year 2017-18, our Company fared well in all the Segments of Revenue accounts by improving operating profit to Rs. 1147 crores in the year 2017-18 as against a loss of Rs.2400 crores in the previous year. Analysis of Revenue Accounts for the past 5 years is detailed below:-

Rs. in crores

Year	Fire	Marine	Miscellaneous	Total
2013-14	-20.85	69.05	155.96	204.16
2014-15	-24.82	117.12	-0.47	91.83
2015-16	-136.54	0.32	-375.65	-511.88
2016-17	-111.85	33.38	-2321.66	-2400.13
2017-18	10.50	112.50	1024.64	1147.64





वर्ष 2017-18 में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 5.58% की दर से मामूली रूप से बढ़कर गुणवत्ता वाले कारोबार में सुधार के कारण पिछले वर्ष 11117 करोड़ रुपये की तुलना में 1,1736 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। नेट अर्जित प्रीमियम 14.84% बढ़कर 9628 करोड़ रुपये हो गया। शुद्ध अर्जित प्रीमियम में कम वृद्धि फसल बीमा खंड बाहर होने के कारण थी। कुछ श्रेणियों में कमीशन दरों में वृद्धि के कारण शुद्ध कमीशन में बढ़त 2016-17 में रु. 500 करोड़ रुपये के मुकाबले 2017-18 में रु. 637 करोड़ कारोबार की थी। साथ ही, प्रबंधन खर्चों में 2016-17 में 2812 रुपये के मुकाबले 2017-18 में 2693 करोड़ रुपये की कमी आई, सेवानिवृत्ति में बढ़ोतरी के कारण मजदूरी बिल में चालू वर्ष 143 करोड़ रुपये की कमी आई। उचित निगरानी और दावों की समीक्षा के कारण 112.11% की तुलना में 2017-18 में अनुमानित दावों का अनुपात 85.39% तक बढ़ गया है।

उपरोक्त उल्लेखनीय रूप से 2016-17 में 1989 करोड़ रुपये के नकारात्मक आंकड़े की तुलना में 2017-18 में कर पूर्व लाभ 1382 करोड़ रुपये की हमारी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम बढ़ोतरी हुई, 2016-17 में आईटी रिफंड 298 करोड़ के बाद 1691 करोड़ रुपये नकारात्मक आंकड़े के मुकाबले 2017-18 में आईटी रिफंड 298 करोड़ रुपये के बाद के 1510 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की।

निवेश के मोर्चे पर, वर्ष के दौरान निवेश आय में नियमित वृद्धि हुई है। ब्याज, लाभांश और किराया से आय 2017-18 में 1318 करोड़ रुपये हो गई जो पिछले वर्ष 1189 करोड़ रुपये थी। शेयर बाजार में सकारात्मक रुझान के चलते निवेश की बिक्री पर लाभ 2007 करोड़ रुपये हो गया। पिछले वित्त वर्ष में 1156 करोड़ रुपये।

इस साल भी, आईआरडीएआई ने कंपनी को साल्वेंसी गणना के लिए तत्काल 5 वर्षों के दौरान सबसे कम उचित मूल्य परिवर्तन खाते का 30% का पारंपरिक समायोजन करने की अनुमति दी। तदनुसार, कंपनी ने सॉल्वेंसी गणना के लिए 2354 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया है। सॉल्वेंसी मार्जिन 31.03.2017 को 1.11 से बढ़कर 31.3.2018 को 1.67 हो गया, जिससे 1.50 के आईआरडीएआई बेंचमार्क को पार कर गया और हमारी कंपनी की वित्तीय ताकत पर सभी हितधारकों के आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ा दिया। कंपनी की नेटवर्थ 31.03.2017 को 1335 करोड़ रुपये से बढ़कर 31.03.2018 को रु.3157 करोड़ रुपये से बढ़ गया। जबकि, उचित मूल्य

Gross Direct premium increased marginally at the rate of 5.58% in the year 2017-18 to Rs.11736 crores as against Rs. 11117 crores at 29.09% growth in the previous year due to improvement in quality business. Net earned premium was up by 14.84% to Rs.9628 crores. Reduced growth in net earned premium was due to higher ceding out in Crop Insurance segment. Upward rise in net commission from Rs. 500 crores in 2016-17 to Rs. 637 crores in 2017-18 was on account of increase in commission rates in certain categories of business. At the same time, Management expenses decreased to Rs. 2693 crores in 2017-18 as against Rs. 2812 in 2016-17 due to reduction in wage bill by Rs. 143 crores in the current year on account of increased number of retirements. Incurred claims ratio also improved to 85.39% in 2017-18 as compared to 112.11% due to proper monitoring and review of claims.

Profit before tax rose to Rs. 1382 crores in 2017-18 as compared to negative figure of Rs. 1989 crores in 2016-17 due to above-mentioned favourable fact Rs. Profit After Tax, being the highest ever earned by our Company, also increased to Rs. 1510 crores after accounting IT refund of Rs. 376 crores in 2017-18 as against negative figure of Rs.1691 crores after accounting IT refund of Rs. 298 crores in 2016-17.

On the investment front, there has been regular increase in investment income during the year. Income from Interest, Dividend and Rent rose to Rs. 1318 crores in 2017-18 against Rs. 1189 crores in the previous year. Profit on sale of investment increased to Rs. 2007 crores due to positive trend in stock market as against Rs. 1156 crores previous fiscal.

This year also, IRDAI allowed the Company to take notional adjustment of 30% of the lowest fair value change account during the immediate past 5 years for solvency calculation. Accordingly, Company has factored Rs. 2354 crores for solvency calculation. Solvency margin as on 31.3.2018 improved to 1.67 from 1.11 as on 31.03.2017 thereby crossed the IRDAI benchmark of 1.50 and boosted the level of confidence of all stakeholders on the financial strength of our Company. The networth of the company rose to Rs. 3157 crores as on 31.03.2018 from Rs. 1335 crores as on 31.03.2017, whereas, Fair value change account







परिवर्तन खाता 31.03.2017 को रु.10330 करोड़ रुपये से घटकर 31.03.2018 को रु.8657 करोड़ रुपये हो गया।

हमारे योग्य श्री ए. वी. जीराजकुमार, अध्यक्ष—सह—प्रबंध निदेशक द्वारा व्यापार की गुणवत्ता में सुधार, वित्तीय ताकत का एकीकरण और हमारी कंपनी के 70वें फाउंडेशन वर्ष के पर उच्चतम लाभ को अर्जित करने के लिए स्मृति चिन्ह के रूप में रुपये 1510 का चेक जून, 2018 को सभी कर्मचारियों को उनके बेहतर योगदान के लिए के रूप में दिया गया।

### आयकर कर, सेवा कर और जीएसटी

निर्धारण वर्ष 2015–16 के लिए आयकर मूल्यांकन और वित्त वर्ष 2002–03 तक और उसके लिए सेवा कर निर्धारण और वित्त वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक पूरा कर लिया गया है। साल के दौरान, कंपनी ने रुपये की ब्याज आय बुक की। पिछले वर्षों के आकलन/अपील आदेश के आधार पर 9849.04 लाख।

कंपनी ने जीएसटी अधिनियम के नियमों और विनियमों के अनुपालन में 01.07.2017 से जीएसटी लागू किया।

### आंतरिक लेखा परीक्षा

क्षेत्रीय केंद्रों में कार्यरत 27 लेखा परीक्षा कक्षों द्वारा उपलब्ध कराई गई फीडबैक की सहायता से हेड ऑफिस पर आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण विभाग 'आईएआईडी, पैन इंडिया में स्थित अपने परिचालन कार्यालयों के कामकाज पर प्रबंधन को जानकारी प्रदान करने में सक्षम है।

वर्ष 2017–18 में, आईएडी ने 31 क्षेत्रीय कार्यालयों, 358 मंडल कार्यालयों, 451 शाखा कार्यालयों और 843 व्यापार केंद्रों के नियमित लेखा परीक्षा का आयोजन किया। इसके अलावा, इसने 27 सेवा केंद्रों और 39 टीपी हबों का लेखा परीक्षा किया (एसवीसी टीपी हब आधे वार्षिक आधार पर आयोजित किया जाता है, इसलिए एसवीसी के 54 लेखा परीक्षा और टीपी हब्स के 78 लेखा परीक्षा आयोजित किए गए)। सभी सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों से संबंधित पेंशन की 986 फाइलों के समवर्ती लेखापरीक्षा जिसमें नियमित पेंशन, पारिवारिक पेंशन इत्यादि को शामिल किया है, और वर्ष के दौरान इसका आयोजन किया गया।

ऑपरेटिंग कार्यालयों के नियमित लेखा परीक्षा के अलावा, हेड ऑफिस के सभी विभागों के लेखा परीक्षा जैसे कार्मिक और मानव संसाधन, संपत्ति, प्रतिष्ठान, आरआईडी, लेखा, निवेश संचालन, पुनःबीमा संधि, पुनः बीमा लेखा, सीएसडी, आईटी, विविध बीमा और दावा, प्रचार, समुद्री कार्गो और हल, मोटर

decreased from Rs. 10330 crores as on 31.03.2017 to Rs. 8657 crores as on 31.03.2018.

To cherish the memory of improvement in quality of our business, consolidation of financial strength and having earned highest ever profit during the 70<sup>th</sup> Foundation year of our Company, a gift cheque of Rs. 1510 was given as memento to all employees for their well-deserved contribution by our worthy Chairman-cum-Managing Director, Sh. A.V. Girijakumar in June, 2018.

### INCOME TAX, SERVICE TAX & GST

The income tax assessment for and up to the assessment year 2015-16 and service tax assessment for and upto FY 2002-03 and for the FY 2008-09 to 2010-11 have been completed. During the year, the Company booked an interest income of Rs. 9849.04 lakhs on the basis of Assessment/Appeal orders of earlier years.

Company has implemented GST in compliance to GST Act, rules and regulations w.e.f. 01.07. 2017.

### INTERNAL AUDIT

The Internal Audit & Inspection Department [IAID] at Head Office with the help of the feedback made available by its 27 Audit Cells functioning at Regional Centers have been able to provide information to the Management on the functioning of its operational offices situated at pan India.

In the year 2017-18, IAD conducted Regular Audit of 31 Regional Offices, 358 Divisional Offices, 451 Branch Offices & 843 Business Centers. In addition, it carried out audit of 27 Service Centers and 39 TP Hubs (SVC TP Hub is conducted on half yearly basis, hence 54 no. of audit of SVCs and 78 no. of audit of TP Hubs were conducted). Concurrent Audit of 986 files of Pension pertaining to all retired/deceased employees which consist of regular pension, Family Pension etc has also been carried out and conducted during the year.

In addition to Regular Audits of operating offices, audit of all departments of Head Office viz. Personnel & HRMS, Estate, Establishment, RID, Accounts, Investment Operations, Re-insurance Treaty, Re-insurance Accounts, CSD, IT, Miscellaneous Underwriting & Claims,





(टीपी), मोटर सहित विपणन (ओडी) बीमा और दावा, एसवीसी पर्यवेक्षण, मोटर (मार्केटिंग) सहित डीलर टाई-अप, फायर एंड इंजीनियरिंग, हेड ऑफिस के स्वास्थ्य विभाग और ओएसटीसी फरीदाबाद भी केपीए 2017-18 के अनुसार आयोजित किए गए हैं। विभिन्न लेखापरीक्षा रिपोर्टों का अनुपालन/निपटान किया गया है और दस लंबित उत्तरों पर विभिन्न लंबित लेखापरीक्षा रिपोर्ट का भी समपन्न किया गया।

फाइल और उपयोग पर आईआरडीए दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के तकनीकी लेखापरीक्षा (डी-टैरिफ अंडरराइटिंग ऑडिट) त्रैमासिक आधार पर और लेखापरीक्षा (असाधारण रिपोर्ट) समिति/बोर्ड के समक्ष रखना/सौंपना कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

वर्ष की शुरुआत में, 362 सीएंडएजी पैरा लंबित थे और वर्ष के दौरान किए गए लेखापरीक्षा से उत्पन्न होने वाले 113 नए पैरा जोड़े गए। आरओ/एचओ विभाग से सीएंडएजी को लंबित पैरा की अधिकतम संख्या के उत्तरों को सौंपने के लिए विशेष प्रयास और उनको आरंभ किया गया। 357 पैरा के संबंध में जवाब उनके विचार के लिए वर्ष के दौरान सीएंडएजी को सौंपे गये, जिनमें से 80 पैरा सीएंडएजी द्वारा तय किए गए हैं। वित्तीय वर्ष के अंत में 395 पैरा लंबित हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 में विशेष रूप से दक्षिणी क्षेत्र की सीएंडएजी पैरा की भारी लापरवाही को कम करने के लए एक लेखा परीक्षा समिति की बैठक 21.12.2017 को चेन्नई में आईएडी एचओ द्वारा दक्षिण क्षेत्र में बुलाई गई थी। सभी प्रयास किए जाने के बाद परिणामस्वरूप पीडीसीए चेन्नई द्वारा 58 और पैरा बनाए गए और बंद कर दिए गए।

01/04/2017 को, आंतरिक लेखापरीक्षा के 8107 अंक लंबित थे और वर्ष 16085 अंक जोड़े गए थे, जिनमें से 17725 अंक तय किए गए और बंद कर दिए गए थे। विशेष प्रयास शुरू किए गए और पुराने लेखापरीक्षा बिंदुओं को सम्पन्न करने के लिए सभी प्रयास किए गए और लंबित लेखापरीक्षा बिंदुओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उपयोगी परिणाम दिखाए गए हैं। वर्ष के अंत में लंबित लेखापरीक्षा अंक की संख्या 6467 के रिकार्ड आंकड़े से काफी नीचे आ गई है।

सीएंडएजी पैरा और आईएडी अंक की स्थिति लेखा परीक्षा समिति के समक्ष तिमाही आधार पर रखी जाती है।

### निवेश विभाग

अप्रैल 2017 से दशक में पहली बार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) और मूडी के अपग्रेड कार्यान्वयन ने बाजार की

Marketing including Publicity, Marine Cargo & Hull, Motor (TP), Motor (OD) underwriting & claims, SVC Supervision, Motor (Marketing) including Dealer Tie-ups, Fire & Engineering, Health Departments of Head Office and OSTC Faridabad have also been conducted as per KPA 2017-18. Compliance /settlement of various Audit Reports have been made and also closed various pending audit report on tenable replies.

As per IRDA guidelines on File & Use, Technical Audit (*De-tariff underwriting audit*) of all the Regional Offices have been conducted on quarterly basis and the findings (Exceptional Report) placed/submitted before the Audit Committee / Board.

At the beginning of the year, as many as **362** C&AG Paras were pending and **113** new paras were added, arising out of audits conducted, during the year. Special efforts have been made and initiated to ensure submission of replies of maximum number of pending paras to C&AG from ROs/HO Depts. Replies in respect of **357** Paras were submitted to C&AG during the year for their consideration, out of which **80** paras have been settled by C&AG. At the end of Financial Year **395** paras are pending. In the Financial Year 2017-18 especially an Audit Committee Meeting of South Zone was convened on 21.12.2017 at Chennai by the IAD HO to bring down the huge pendency of CAG paras of south zone. Being all out efforts were exerted and consequently **58** more paras were settled and closed by PDCA Chennai.

As on 01/04/2017, **8107** Internal Audit Points were pending and during the year **16085** points were added out of which **17725** points have been settled & closed. Special efforts initiated & all out efforts exerted to clear old audit points and to ensure compliance of pending audit points have shown fruitful result. The number of audit points pending at the end of the year has come down drastically to a record low figure of **6467**.

The status of C&AG paras and IAD Points is placed before the Audit Committee on quarterly basis.

### INVESTMENT DEPARTMENT

The implementation of the Goods and Services Tax





रैली में मदद की, भारत ने इन 12 महीनों में निवेशकों को आकर्षित कर वापस लाने में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर में एक घटनाक्रम देखा।

सरकार ने वित्तीय कुछ समेकन के मार्ग पर बने रहने के लिए पिछले कुछ सालों में एक मजबूत संकल्प लिया है, एक प्रयास जिसे अंत में मूडी के द्वारा एक संप्रभु रेटिंग अपग्रेड के साथ पुरस्कृत किया गया। साथ ही, राजकोषीय कमतर पर चिंता, जीएसटी राजस्व तनाव और सुधार उपायों के कारण बढ़ी है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए 2.11 ट्रिलियन बैंक पुनर्पूजीकरण योजना खराब ऋणों से कम हो गई। केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा राष्ट्रीय आय के दूसरे अग्रिम अनुमानों के मुताबिक वित्त वर्ष 2017-18 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.6% की वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.53% था, जबकि अप्रैल-फरवरी 2017-18 के लिए औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) वृद्धि का संचयी सूचकांक 4.3% था। अप्रैल-दिसंबर 2017 के दौरान भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी) 1.9% था और 2017-18 के लिए 2% से कम रहने का अनुमान है। कुछ वर्षों तक नकारात्मक क्षेत्र में रहने के बाद, 2016-17 के दौरान निर्यात की वृद्धि सकारात्मक जगह में बढ़ी और 2017-18 में इसे और मजबूत किया गया। मार्च 31, 2018 तक विदेशी मुद्रा भंडार के स्पॉट स्तर में 424.36 बिलियन अमरीकी डालर के करीब वृद्धि हुई। मार्च 2018 के अंत में म्यूचुअल फंड परिसंपत्ति आधार 21.36 ट्रिलियन (320.41 बिलियन अमरीकी डॉलर) था, जबकि रुपये के मुकाबले मार्च 2017 के अंत में 17.54 ट्रिलियन (263.19 अरब अमेरिकी डॉलर)।

इक्विटी बाजार के लिए 2017-18 एक उत्कृष्ट वर्ष था। भारत के अग्रणी इक्विटी बेंचमार्क, निफ्टी 50 इंडेक्स ने इस साल नए रिकॉर्ड स्तर को छुआ। बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 ने 28% की वापसी की, जबकि निफ्टी मिडकैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 क्रमशः 47% और 57% के रिटर्न के साथ बेहतर प्रदर्शन किया। यह एक बड़ी उपलब्धि है कि दो प्रमुख बदलाव थे – नोटबंदी और जीएसटी – जिसने अर्थव्यवस्था और बाजार पर असर डाला। कई भूगर्भीय मुद्दों के बावजूद, वैश्विक बाजार भी वित्त वर्ष 2017-18 में अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर पर आ गया। 2017-18 की हाइलाइट जीएसटी, दिवालियापन और दिवालियापन संहिता (आईबीसी), आरईआरए, आधारभूत संरचना विकास, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, सभी के लिए आवास, पीएसयू बैंक पुनर्पूजीकरण योजना आदि जैसे सुधारों पर सरकार का निरंतर ध्यान था; जो बाजार द्वारा बेहतर तरीके

(GST) and Moody's first upgrade in over a decade helped the markets rally, to bringing back Long-Term Capital Gains tax that spooked investors, India has witnessed an eventful 12 months starting April 2017.

Government has shown a strong resolve in the last few years to stay on the path of fiscal consolidation, an effort which was finally rewarded with a sovereign rating upgrade by Moody's. Simultaneously, concerns on fiscal slippages have risen due to GST revenue stress and reform measures like Rs. 2.11 trillion bank recapitalization plan for Public Sector Banks weighed down by bad loans. The Indian economy grew at 6.6% in FY 2017-18, as per the Second Advance Estimates of National Income by Central Statistics Office (CSO). India's fiscal deficit for FY 2017-18 came in at 3.53% of the GDP while cumulative Index of Industrial Production (IIP) growth for April-February 2017-18 was 4.3%. India's current account deficit (CAD) was 1.9% during April-December 2017 and is estimated to remain at under 2% for 2017-18. After remaining in negative territory for a couple of years, growth of exports rebounded into positive space during 2016-17 and it strengthened further in 2017-18. There was an augmentation in the spot levels of foreign exchange reserves to close to USD 424.36 billion as on March 31, 2018. Mutual Funds asset base stood at Rs.21.36 trillion (USD 320.41 billion) at the end of March 2018, as against Rs.17.54 trillion (USD 263.19 billion) at the end of March 2017.

Equity market had an outstanding year in 2017-18. India's leading equity benchmark, the Nifty 50 Index, touched fresh record levels in this year. Benchmark Index Nifty 50 gave a return of ~28% while the Nifty Midcap 100 and Nifty Small cap 100 outperformed with returns of 47% and 57% respectively. This is a great achievement given that they were on the backdrop of two major reforms – Demonetization and GST- which had impacted the economy as well as the market. Despite several geopolitical issues, global markets too climbed to their record highs in FY 2017-18. The highlight of 2017-18 was the government's continued focus on reforms like GST, Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), RERA, infrastructure development, Direct Benefit Transfer, Housing for All, PSU Bank recapitalization plan, etc.; which were well received by the market. Strong liquidity





से प्राप्त किया गया। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों दोनों का सहयोग वित्त वर्ष 2017-18 में भी सहायक थी। हालांकि, 29 जनवरी, 2018 के बाद, जिस दिन यह रिकॉर्ड उच्च पर बंद हुआ, 50 शेयर सूचकांक में लगभग 10% सुधार हुआ है। निफ्टी 50 दुनिया भर में उन लोगों में से एक था जिन्होंने वित्त वर्ष 2017-18 में दो अंकों के लाभ अर्जित किए और कई यूरोपीय सूचकांक से बेहतर प्रदर्शन किया।

इक्विटी मार्केट रैली का लाभ उठाते हुए, आपकी कंपनी सालाना 1515.84 करोड़ रुपये (म्यूचुअल रिडेम्प्शन से आय सहित) के दौरान निवेश की बिक्री (म्यूचुअल फंडों के रिडेम्प्शन से आय सहित फंड) से 2007.57 करोड़ रुपये का लाभ कमा सकी। पिछले वर्ष में, इस प्रकार वित्त वर्ष 2016-17 में 8.94% के मुकाबले 13.93% की वार्षिक उपज को प्रभावित किया। फिर भी, वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी ने 792.88 करोड़ रुपये की कीमत के शेयरों खरीदे।

वित्त वर्ष 2017-18 आईपीओ के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष था; 125 से अधिक सार्वजनिक पेशकश बाजार से लगभग 11.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बढ़ोतरी के साथ बाजार प्रभावित हुआ। इस वर्ष कई नए क्षेत्रों जैसे लाइफ इश्योरेंस, जनरल इश्योरेंस, एएमसी और न्यू-एज छोटे वित्त बैंकों की कंपनियों के इक्विटी जारी किए गए। आपकी कंपनी ने 2017-18 में भारत सरकार के विघटन कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया है और भविष्य में आगे भी भाग लेने की उम्मीद है।

2017 में भारत का बॉन्ड मार्केट अभूतपूर्व तरलता की लहर पर था। ग्लोबल उपज की तुलना में भारतीय बॉन्ड उपज बहुत आकर्षक थीं, विशेष रूप से यह मानते हुए कि रुपये उभरते बाजारों में सबसे स्थिर मुद्राओं में से एक है। यह चालू और राजकोषीय घाटे में सुधार के कारण था। वित्तीय क्रेडिट 2017-18 के दौरान बाजार की स्थिति कम क्रेडिट फैलाव के कारण कठिन थी; हालांकि आपकी कंपनी सभी बोर्ड में उच्च क्रेडिट गुणवत्ता पोर्टफोलियो बनाए रखने में कामयाब रही। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए औसत 10 साल का बेंचमार्क (जी-सेक) उपज 7.06% (वार्षिक) था जबकि औसत फंड (बुक वैल्यू) पर आय उपज पिछले वर्ष (निवेश लाभ / निवेश रिडेम्प्शन के बिना) 8.72% के मुकाबले 8.66% थी। हालांकि, निवेश की बिक्री / मोचन पर लाभ को ध्यान में रखते हुए, वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान कुल उपज में 22.59% की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष 17.66% थी।

both from domestic as well as international investors were also supportive throughout FY 2017-18. However, after January 29, 2018, the day when it closed at a record high, the 50-stock index has corrected nearly 10%. Nifty 50 was among those across the world that posted double digit gains in FY 2017-18; outperforming several European Indices.

Taking advantage of the Equity market rally, your Company was able to make a profit of Rs.2007.57 crores from Sale of Investments (including income from redemption of Mutual Funds) during the year as against Rs.1155.84 crores (including income from redemption of Mutual Funds) in previous year; thereby effecting an annualized yield of 13.93% as against 8.94% in FY 2016-17. Nonetheless, during FY 2017-18 the Company did value buying of Rs.792.88 crores of stocks.

FY 2017-18 was a landmark year for IPOs; with more than 125 public offering raising approximately USD 11.5 billion from the market. The year also saw equity issuances of companies from several new sectors, such as Life Insurance, General Insurance, AMC's and New-age Small Finance Banks. Your Company has actively participated in the Government of India divestment programme in 2017-18 and expects to further participate in future, as well.

In 2017 India's bond market was riding a wave of unprecedented liquidity. Indian Bond yields were very attractive compared to Global yields especially considering that the INR was one of the most stable currencies among emerging markets. This was due to improvement in current and fiscal deficit. The market conditions during the fiscal 2017-18 were tough on account of lower credit spreads; however your Company managed to maintain high credit quality portfolios across the board. The average 10 year benchmark (G-Sec) yield for FY 2017-18 was 7.06% (annualized) while the income yield on mean funds (Book Value) stood at 8.66% during the year as against 8.72% in the previous year (without considering the profit on sale/redemption of investments). However, taking into account the profit on sale/redemption of investments, the overall yield improved to 22.59% during FY 2017-18, as against 17.66% in the previous year.







वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, आपकी कंपनी ने ब्याज और लाभांश से आय अर्जित की थी। 1247.79 करोड़ रुपये के मुकाबले पिछले वर्ष 1128.57 करोड़ रुपये। लिक्विड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में निवेश ने वित्त वर्ष 2017-18 (पिछले वर्ष 35.81 करोड़ रुपये) के दौरान 43.62 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। पिछले वर्ष (2017-18) में बाजार मूल्य पर हमारा निवेश संपत्ति आधार रु. 23,826.00 करोड़ (पिछले वर्ष 23,98 9.38 करोड़ रुपये)। 31.03.2018 को कुल निवेश संपत्ति का बुक वैल्यू रु. 15,168.63 करोड़ (पिछले वर्ष 13,659.57 करोड़ रुपये), जिसके परिणामस्वरूप रुपये में शुद्ध वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 1509.06 करोड़ रुपये।

वर्ष 2017-18 के दौरान, आपकी कंपनी ने दो कंपनियों के टर्म लोन प्री-पेमेंट प्रस्ताव को रु. 8.21 करोड़ रुपये और परिसमापन के तहत नौ कंपनियों के संबंध में, आधिकारिक तरल पदार्थों से ऋण एक्सपोजर पर 142 करोड़ रुपये के लाभांश प्राप्त हुए। 31.03.2018 को सकल एनपीए (बुक वैल्यू) 28.83 करोड़ रुपये (0.19%) पर रु। 31.03.2017 को 39.59 करोड़ (0.29%)।

### पुनर्बीमा उपचार विभाग

पुनर्बीमा, जोखिम हस्तांतरण का एक तरीका है जो बीमाकर्ताओं को व्यक्तिगत जोखिमों और बड़ी संख्या में जोखिमों को प्रभावित करने वाले विनाशकारी नुकसान के प्रतिकूल प्रभाव के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा, पुनर्बीमा बीमा कंपनी को स्वचालित क्षमता भी प्रदान करता है जिससे इसे अपने नेट प्रतिधारण से परे जोखिमों को कम करने और प्रभावी रूप से अपने जोखिमों का प्रबंधन करने में सक्षम बनाता है, ताकि मार्केटिंग टीम वर्तमान चुनौतीपूर्ण बाजार स्थितियों में व्यापार स्वीकार करने और अपने विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की स्थिति में हो।

हमारे पुनर्बीमा कार्यक्रम का उद्देश्य न्यूनतम आउटगो पर अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करना और आनुपातिक और गैर-आनुपातिक संधि के उचित मिश्रण के माध्यम से स्वचालित पुनर्बीमा सुविधा प्रदान करना है।

जबकि आनुपातिक संधि स्वचालित क्षमता प्रदान करती है, गैर आनुपातिक/हानि संधि से अधिक, एक जोखिम हानि या अकस्मात घटना से उत्पन्न होने वाले कई नुकसान से उत्पन्न होने वाले भारी नुकसान के लिए कवर प्रदान करके कंपनी के नेट पर एक्सपोजर के संचय के जोखिम को कम करता है।

During the fiscal 2017-18, your Company achieved an Income from Interest & Dividend amounting to Rs. 1247.79 crores as against Rs. 1128.57 crores in previous year. The investment in Liquid Mutual Fund Portfolio yielded a profit of Rs.47.62 crores during FY 2017-18 (previous year Rs. 35.81 crores). In the bygone year (2017-18) our Investment Asset base at Market Value was Rs. 23,826.00 crores (previous year Rs. 23,989.38 crores). The Book Value of Total Investment Assets as on 31.03.2018 was at Rs. 15,168.63 crores (previous year Rs. 13,659.57 crores), resulting in a net accretion of Rs. 1509.06 crores during FY 2017-18.

During the year 2017-18, your Company concluded Term Loan pre-payment proposal of two Companies amounting to Rs. 8.21 crores and received dividends of Rs.1.42 crores on debt exposures from Official Liquidators, in respect of nine companies under liquidation. Gross NPA (Book Value) stood at Rs.28.83 crores (0.19%) as on 31.03.2018 as against Rs. 39.59 crores (0.29%) as on 31.03.2017.

### REINSURANCE TREATY DEPARTMENT

Reinsurance, is a methodical way of Risk Transfer which provides protection to Insurers against adverse impact of large losses on individual risks and of catastrophic losses effecting a large number of risks. Besides, Reinsurance also provides automatic capacity to an Insurance Company thereby enabling it to underwrite risks beyond its Net retention and manage its risks effectively, so that the marketing team is in a position to accept business in the present challenging market conditions and achieve its growth targets.

The aim of our Reinsurance Programme is to ensure maximum protection at minimum outgo and to provide automatic reinsurance facility through a proper mix of Proportional and Non-Proportional Treaties.

While the Proportional Treaties provide the automatic capacity the Non Proportional /excess of loss treaties mitigate the risk of accumulation of exposures on Company's Net by providing cover for huge losses arising out of a single risk loss or multiple losses arising out of a Cat Event.







हालांकि 2017-18 में, बाजार में कुछ जोखिम घाटे हुए फिर भी भारतीय बीमा बाजार पिछले साल के विपरीत आपदाजनक हानि की घटना से बचा हुआ था। हालांकि, हमारी कंपनी को नुकसान से अधिक जोखिम को प्रभावित करने वाली हानि नहीं हुई। मरीन एक्सएल नुकसान से प्रभावित हुआ है, हालांकि ओरिएंटल पर शुद्ध प्रभाव 7.5 करोड़ रुपये का होगा।

हालांकि, भारतीय बाजारों में लगातार नुकसान के मद्देनजर कठोर उपायों को लागू करने के लिए संधि संबंधी नियुक्तियों और पुनर्विक्रेताओं की प्रवृत्ति पर संधि की नियुक्ति पर तनाव बढ़ने के बावजूद, आगामी वर्ष 2018-19 के लिए समाप्त होने वाली संधि सीमाएं जारी रही हैं, इस प्रकार स्वचालित क्षमताओं को संरक्षित करना। देयता पोर्टफोलियो में अतिरिक्त क्षमताओं और व्यापार के विविध वर्ग की कुछ अन्य लाभदायक लाइनों में भी अतिरिक्त क्षमताएं बढ़ाई गई हैं। कृषि / फसल कोटा शेयर और स्टॉप लॉस पुनर्बीमा संधि को सफलतापूर्वक हमारे फसल बीमा संचालन के लिए क्षमता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी रखा गया है, इस प्रकार विभाग के इस बढ़ते वर्ग में संभावित क्षमता का फायदा उठाने के लिए विभाग को प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। व्यवसाय की अन्य वर्गों के लिए, आमतौर पर सीमाएं यथावत रही। संपत्ति एक्सएल संधि के लिए कवर सीमाएं यथावत रखी गई हैं।

हमारी कंपनी एक तेज गति से बढ़ रहा है। कंपनी द्वारा पेश किए गए पहलों और नियंत्रण उपायों को मूल्य निर्धारण में सुधार के लिए कुछ वर्षों पहले और जोखिमों के समझदार बीमा के साथ-साथ दावों के नियंत्रण के लिए संचालन का मार्गदर्शन जारी रखा गया है।

इस प्रकार, 2018-19 के लिए ओरिएंटल पुनर्बीमा प्रोग्राम, व्यक्तिगत पोर्टफोलियो की आवश्यकताओं के अनुरूप बहुत आवश्यक स्वचालित क्षमता प्रदान करता रहा है।

हमारी आनुपातिक और गैर आनुपातिक संधि को सफलतापूर्वक आईआरडीएआई विनियमों के दायरे में वित्तीय रूप से सुदृढ़ और रेटेड प्रतिभूतियों के साथ रखा गया है।

### विमानन

मंद बाजार स्थितियों के कारण, एक्सपोजर/एयरक्राफ्ट की संख्या में वृद्धि के बावजूद प्रीमियम में कमी आई है। विदेशी क्षमताओं जो बड़े पैमाने पर भारतीय विमानन व्यवसाय को नियंत्रित करती हैं, लगातार प्रीमियम दरों को कम कर रही हैं।

(-) 10.63% की उद्योग वृद्धि दर के खिलाफ, हमारी विकास दर

Though in 2017-18, Indian Insurance market was fortunate to have been spared the occurrence of a catastrophic loss event unlike previous years, there were few risk losses hitting the market. However, our Company did not have any loss impacting our Risk excess of loss. The Marine XL has been impacted by loss, however the impact on Oriental will be to absolute net only at 7.5 crores.

Despite, increasing stress on placement of Treaties, in particular, on Proportional treaties and propensity of reinsurers to introduce stricter measures in view of continued losses in Indian Markets, the expiring treaty limits have continued for the ensuing year 2018-19 thus preserving the automatic capacities. Additional capacities have been created in Liability portfolio as also in few other profitable lines of miscellaneous class of business. The agriculture/crop quota share and stop loss reinsurance treaties have also been successfully placed to provide capacity and protection for our Crop insurance operations, thus providing impetus to the department to exploit the potential in this growing class of business. For other lines of business, the limits are generally as expiring. The cover limits for Property XI treaties are maintained as expiring.

Our Company has been growing at a steady pace. The initiatives and controlling measures that were introduced by the Company a couple of years back for improvement in pricing and towards prudent underwriting of the risks as well for claims control continue to guide the operations.

Thus, Oriental's Reinsurance programme for 2018-19, continues to provide the much needed automatic capacity in line with the requirements of individual portfolios.

Our Proportional and Non Proportional Treaties have successfully been placed with financially sound and rated Securities within the ambit of IRDAI Regulations.

### AVIATION

Due to soft market conditions, there is decrease in premium despite increase in exposure/number of aircrafts. The overseas capacities which largely control the Indian Aviation business are consistently driving the premium rates down. Against the Industry growth





(-) 1.90% पर बेहतर थी। हम इस सेगमेंट में 22.74% बाजार हिस्सेदारी रखते हुए अपनी दूसरी स्थिति बनाए रखना जारी रखते हैं। भारत की प्रमुख वाणिज्यिक एयरलाइन, जेट एयरवेज पिछले 25 सालों से हमारे मूल्यवान ग्राहक हैं और हम कई अन्य विमानन खातों में अग्रणी बीमाकर्ता और सिक्केकार हैं।

सेवा की गुणवत्ता, लागत और यात्री हित पर निरंतर ध्यान देने के साथ, भारत 2025 तक तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की अपनी दृष्टि को हासिल करने के लिए तैयार है जो हमें चुनौती और विकास को हासिल करने और आने वाले वर्षों में बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए प्रयास करने का अवसर प्रदान करता है।

### विविध

विविध विभाग दिवालियापन पेशेवरों के लिए साइबर देयता, शीर्षक बीमा और पी एंड आई कवर जैसे नए कवर की मांग बाजार के साथ गुंजायमान रहा।

आधार प्रीमियम बड़े होने के बावजूद विभाग ने 5.07% की दर से सकल प्रीमियम वृद्धि दिखायी। हमने उत्तर प्रदेश सरकार को जारी किए गए विशाल समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी के साथ जारी रखा, जिसे मुख्य मंत्री सर्ववित बीमा योजना के रूप में पुनर्नामित किया गया। हानि बनाने वाली अन्य बड़ी समूह नीतियों को नवीनीकृत नहीं किया गया था। अन्य विविध व्यापार खंड जो उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला है, ने 8.70% की वृद्धि देखी है।

विविध विभाग के व्यापार प्रदर्शन का एक संक्षिप्त सनैपशॉट नीचे प्रस्तुत किया गया है:

खंड	खंड Segment	प्रीमियम राशि रूपये लाखों में Premium amount Rs. in Lakhs		वृद्धि (%) Growth (%)	सकल व्यय दावा अनुपात (%) Gross Incurred Claims Ratio (%)		बेची गई नीतियों की संख्या No. of Policies sold	
		2016-17	2017-18		2016-17	2017-18	2016-17	2017-18
निजी दुर्घटना	Personal Accident	47,468.73	49,873	5.06	76.65	139.43	6,16,172	5,85,356
नियोक्ता दायित्व	Employers' Liability	6,601.16	5,748.85	-12.91	26.92	33.61	56,422	47,970
अन्य देयता	Other Liability	6,602.3	6,800.14	3	35.04	3.85	62,183	63,697
अन्य विविध	Other Misc.	36,364.08	39,538.9	8.73	33.83	37.71	13,09,682	11,87,732

व्यक्तिगत दुर्घटना खंड में उच्च हानि अनुपात एक बड़ी सरकारी योजना के कारण है जिसमें उच्च आईसीआर है और नवीनीकृत नहीं किया गया है।

आईजीटी की अनुपलब्धता के बावजूद, वर्ष के लिए प्रतिधारण क्षमताओं को कम नहीं किया गया था।

rate of (-) 10.63%, our growth rate was better at (-) 1.90%. We continue to maintain our second position in this segment, holding 22.74% market share. India's premier commercial airline, Jet Airways are our valued client since past 25 years and we are lead insurers and coinsurers in several other aviation accounts.

With relentless focus on service quality, cost and passenger interest, India is set to achieve its vision of becoming the third-largest aviation market by 2025 which provides us both a challenge and an opportunity to strive for achieving growth and increasing our market share in the coming years.

### MISCELLANEOUS

Miscellaneous Department continued to be abuzz with market demanding new covers like, Cyber Liability, Title Insurance and P & I cover for Insolvency Professionals.

The Department showed the gross premium growth rate of 5.07% despite the base premium being large. We continued with the gigantic Group Personal Accident Insurance Policy issued to UP Government rechristened as Mukhya Mantri Sarvavit Bima Yojana. The other large group policies found to be loss making were not renewed. The Other Misc business segment which is a wide range of products, showed a growth of 8.70%.

A brief snapshot of the business performance of the Miscellaneous Department is presented below:

The high loss ratio in Personal Accident segment is due to a large government scheme which has high ICR and not renewed.

Despite non-availability of IGT, for the year the retention capacities were not lowered.





बाजार गतिशीलता को संभालने के लिए उन्हें तैयार करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में अंडरराइटर्स को प्रशिक्षण दिया गया था। सत्र अनुभवी संकाय द्वारा आयोजित किए गए थे और दलालों के साथ पारस्परिक वार्तालाप की व्यवस्था की गई ताकि प्रतिभागियों को बाजार का अनुभव हो। उन्हें नए उत्पादों के साथ बरकरार रखने के लिए, एक कार्यशाला आयोजित की गई थी।

आगे बढ़ते हुए, पसंदीदा चैनल होने के लिए पोर्टल के माध्यम से नीतियों की बिक्री करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। साथ ही, विभाग नए उत्पादों की फाइलिंग, नवीनीकरण को नियंत्रित करने और दावों की तेजी से निकासी का जोरदार प्रयास कर रहा है।

### तकनीकी कानूनी (गैर मोटर) विभाग

टेक्नो-लीगल डिपार्टमेंट को वित्त वर्ष 2015-16 के समापन महीनों में बनाया गया था, इस श्रेणी में नीतियों और दावों की विस्तृत विविधता पर विचार करते हुए गैर-मोटर उपभोक्ता, लोकपाल और मध्यस्थता मामलों से निपटने के लिए एक विशेष तरीके को सुझाया गया।

वित्त वर्ष 2017-18 के अंत में, विभाग राष्ट्रीय आयोग / सुप्रीम कोर्ट में मूल, अपील और संशोधन सूट सहित 372 उपभोक्ता मामले को सीधे संभाला जा रहा है। इनमें से 2015-16 में 87 और 2016-17 में 82 की तुलना में अकेले 2017-18 के दौरान मामले 51 हैं। संशोधन / अपील के लिए एनसीडीआरसी में जाने वाले मामलों की संख्या कमजोर / छोटे आधार पर अपील को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से संशोधन / अपील के लिए आरओ द्वारा संदर्भित मामलों की विभाग की जांच के कारण काफी हद तक कम किया गया। विवादास्पद प्रवृत्ति भविष्य में कम रहने की उम्मीद है। इस दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप धन, जनशक्ति और समय की भारी बचत हुई है, अन्यथा मुकदमेबाजी में बर्बादी निराशाजनक है।

वित्त वर्ष 2017-18 के अंत में 55 मध्यस्थता मामले / नोटिस हैं जिन पर कंपनी देश के विभिन्न हिस्सों में काम कर रही है। इनमें से, 2017-18 में अकेले 24 मामले दर्ज किए गए थे। इन मामलों को, हालांकि संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा संभाला जाता है, प्रभावी संचालन के लिए हेड ऑफिस विभाग द्वारा बारीकी से निगरानी की जाती है।

### विदेशी संचालन

नेपाल, कुवैत और दुबई में कंपनी के विदेशी परिचालन हैं। हम नेपाल में एक शाखा मॉडल पर काम करते हैं जबकि हमारे

Training was imparted to underwriters at Regional Offices to equip them to handle the market dynamism. Sessions were conducted by experienced faculty and interactions were arranged with brokers so that the participants got a feel of the market. For keeping them abreast with new products, a workshop was organized.

Going ahead, the focus is on making sale of policies through portal to be the preferred channel. Also, the Department is vigorously pursuing filing of new products, controlling renewals and faster clearance of claims.

### TECHNO LEGAL (NON MOTOR) DEPARTMENT

The Techno-Legal Department was created in the closing months of FY 2015-16, with a view to deal with Non -Motor Consumer, Ombudsman and Arbitration cases in an exclusive manner considering the wide variety of policies and claims in the category.

At the end of the FY 2017-18, the Department is directly handling 372 Consumer Cases in National Commission/ Supreme Court including Original, Appeal and Revision suits. Of these the cases reported during 2017-18 alone is 51 compared to 87 in 2015-16 and 82 in 2016-17. The number of cases going to NCDRC for revision/Appeal has reduced largely due to Department's scrutiny of cases referred to it by ROs for Revision/Appeal, with a view to discourage appeals on weak/frivolous grounds. The reducing litigious trend is expected to continue in future. The approach has resulted into huge savings of money, manpower and time, otherwise wasted in frivolous litigation.

At the end of FY 2017-18 there are 55 Arbitration cases/notices that the company is dealing with in different parts of the country. Of these, 24 cases were reported in 2017-18 alone. These case, though handled by respective concerned Regional Offices, are closely monitored by the Head Office Department for effective handling.

### FOREIGN OPERATIONS

The Company has foreign operations in Nepal, Kuwait and Dubai. We operate in Nepal on a branch model while we have agency operations in Dubai and Kuwait.





पास दुबई और कुवैत में एजेंसी संचालन है। बहुत जल्द, हम कतर में परिचालन शुरू करेंगे क्योंकि हमें कतर नियामक से हमारी शाखा खोलने के लिए प्राधिकरण प्राप्त हुआ है। हमने पहले ही वांछित जनशक्ति के साथ ही कार्यालय संचालन शुरू करने की प्रत्याशा में कार्यालय बुनियादी ढांचे को रखा है। हम जल्द ही आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यान्वयन को पूरा करने की उम्मीद करते हैं ताकि आने वाले वित्तीय वर्ष में कतर परिचालनों का संबंध रहे।

वर्ष 2017-18 के दौरान हमने रु. 262.11 करोड़ रुपये के मुकाबले वर्ष 2016-17 में 312.10 करोड़, (-) 16.01% की दर से बढ़ रहा है।

चालू वर्ष के लिए हमारा दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करना है कि हमारे सभी परिचालनों में वृद्धि हो और सभी कार्यालय अधिशेष उत्पन्न करें। चालू वर्ष में हमारा ध्यान लाभप्रदता के साथ विकास के जुड़ाव उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक बदलाव सुनिश्चित करने के लिए हमारी व्यावसायिक रणनीति और संचालन के मॉडल को संशोधित करना है।

हमारे विदेशी परिचालन का विस्तृत प्रदर्शन निम्नानुसार है: -

Very soon, we will start operations in Qatar as we have received authorization for opening of our Branch from the Qatar Regulator. We have already put in place the desired manpower as well as office infrastructure in anticipation of commencing operations. We anticipate completing IT infrastructure implementation shortly so as to go live as far as Qatar operations are concerned in the coming financial year..

During the year 2017-18 we have completed a foreign business of Rs. 262.11.Crores against Rs. 312.10 crores in the year 2016-17, growing at a rate of (-) 16.01%.

Our vision for the current year is to ensure that there is growth in all our operations and all offices generate surplus. Our focus in the current year is to revamp our business strategy and model of operations to ensure a turnaround to achieve the twin objectives of growth with profitability.

The detailed performance of our foreign operations is as under:-

(रुपये करोड़ों में) (Rs. in Crs)

खाता प्रमुख	Account Head	2017-18							
		नेपाल/Nepal		दुबई/ Dubai		कुवैत/ Kuwait		कुल/ Total	
		राशि Amount	%	राशि Amount	%	राशि Amount	%	राशि Amount	%
सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (सहित आरआईए)	Gross Direct Premium (incl. RIA)	43.24		190.85		50.74		284.83	
प्रीमियम (नेट)	Premium (Net)	42.63	98.57%	169.18	88.65%	50.3	99.07%	262.11	92.02%
आयोग (नेट)	Commission (Net)	0.38	0.90%	51.53	30.46%	15.88	31.58%	67.79	25.9%
व्यय दावा (नेट)	Incurred Claims (Net)	32.07	75.23%	110.49	65.31%	65.45	130.11%	208.01	79.36%
रिजर्व तनाव	Reserve Strain	0.17	0.40%	-27.16	-16.06%	1.08	2.15%	-25.91	-9.89%
प्रबंधकीय व्यय	M.E.	10.64	24.96%	6.5	3.84%	2.65	5.27%	22.46	8.57%
बीमाकिक अधिशेष / घाटा	U/w Surplus/Deficit	-0.63	-1.48%	27.82	16.45%	-34.76	-69.11%	-10.24	-3.91%
ब्याज और अन्य आय	Interest & Other Inc.	8.64	20.27%	1.77	1.05%	1.45	2.88%	11.86	4.52%
नेट अधिशेष (+) / घाटा (-)	Net Surplus(+)/ Deficit(-)	8.01	18.79%	29.59	17.48%	-33.31	-66.23%	1.62	0.62%

### प्रकाशन और संचार

वर्ष 2017-18 के लिए प्रचार विभाग ने कंपनी की ब्रांड छवि की स्थापना और हमारे साथ उपलब्ध उत्पादों की विविधता को प्रचारित करने पर जोर दिया। विभिन्न मेट्रो शहरों के साथ-साथ छोटे शहरों में आउटडोर, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और प्रायोजन जैसे विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया गया था। रेलवे स्टेशनों / मेट्रो रेल, बस स्टैंड, अंदर और बाहर ट्रेनों / बसों सहित प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग जैसे परंपरागत

### PUBLICITY AND COMMUNICATION

For the year 2017-18 publicity department emphasized on establishing Company's Brand Image and publicizing variety of products available with us. Various mediums like outdoor, electronic, digital and sponsorship were utilized in various metro cities as well as small towns. Apart from traditional media like hoardings at prominent locations including railway stations/metros, bus stands,







मीडिया के अलावा, एयरक्राफ्ट के अंदर ब्रांडिंग भी वित्तीय वर्ष के दौरान की जाती थी।

ट्रेनों की पूरी रैपिंग जैसी विभिन्न अभिनव परियोजनाओं के माध्यम से प्रचार, देश भर में एटीएम के माध्यम से विज्ञापन को टायर 3 और टायर 4 शहरों पर ध्यान केंद्रित किया गया, विशेष रूप से हमारे पास व्यापार केंद्रों के माध्यम से उपस्थिति है। हमारी कंपनी के लिए ब्रांड नाम बनाने के लिए, हम दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन के लिए डीएमआरसी के माध्यम से मेट्रो स्टेशन नामकरण, एक अनूठी अवधारणा के माध्यम से ब्रांडिंग के लिए गए थे, जिसे अब **दिल्ली गेट-ओरिएंटल इश्योरेंस** के नाम से जाना जाता है। हमारा मानना है कि इस स्टेशन पर बड़े पैमाने पर झुकाव के साथ-साथ बड़े ब्रांडिंग अवसरों की पेशकश के कारण, यह कंपनी को अत्यधिक दृश्यता प्रदान कर सकता है। आईएनए मेट्रो स्टेशन के लिए भी इसी तरह की पहल की गई थी, जिसे अब **ओरिएंटल इश्योरेंस-आईएनए** के नाम से जाना जाएगा जो हमारे प्रस्तावित आगामी हेड ऑफिस की साइट है। क्षेत्रीय कार्यालयों ने बाहरी गतिविधियों और मूल्यवान ग्राहकों के प्रायोजन पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। इन दो स्टेशनों की पूर्ण ब्रांडिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अगले वित्तीय वर्ष में पूरा हो जाएगा।

कॉल सेंटर ग्राहकों और कंपनी के बीच अपने कामकाज के पांचवें सफल वर्ष के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका इंटरफेस खेल रहा है। कॉल सेंटर एक सप्ताह में सभी सात दिनों में 14 घंटे जनता के लिए उपलब्ध है। कॉल सेंटर पहुंचने वाले ग्राहकों की औसत संख्या लगभग 45000 है। भविष्य की योजनाओं में कॉल सेंटर के दायरे को बढ़ाना शामिल है न केवल बेहतर कॉल प्रबंधन के लिए सीटों की संख्या में वृद्धि, बल्कि ऑनलाइन बिक्री के लिए डिजिटल धक्का देकर कॉल सेंटर का उपयोग करना आईआरडीएआई विनियमों के अनुरूप लाइन / दूर-विपणन के लिए इसका उपयोग करना।

### विदेशी संचालन

नेपाल, कुवैत और दुबई में कंपनी के विदेशी परिचालन हैं। हम नेपाल में एक शाखा मॉडल पर काम करते हैं जबकि हमारे पास दुबई और कुवैत में एजेंसी संचालन है। बहुत जल्द, हम कतर में परिचालन शुरू करेंगे क्योंकि हमें कतर नियामक से हमारी शाखा खोलने के लिए प्राधिकरण प्राप्त हुआ है। हमने पहले ही वांछित जनशक्ति के साथ ही कार्यालय संचालन शुरू करने की प्रत्याशा में कार्यालय बुनियादी ढांचे को रखा है। हम जल्द ही आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यान्वयन को पूरा करने की उम्मीद करते हैं ताकि आने वाले वित्तीय वर्ष में कतर

inside and outside trains/buses, branding inside aircrafts were also carried during the financial year.

Publicity through various innovative projects like full wrapping of trains, advertisement through ATMs across the country was carried out with focus on tier 3 and tier 4 cities especially we have presence by way of Business Centers. To create a brand name for our Company, we had gone for a branding through Metro Station Naming, a unique concept, through DMRC for Delhi Gate Metro Station which now is known as **Delhi Gate-Oriental Insurance**. We believe that in view of massive footfalls on this station as well as massive branding opportunities offered, this could provide immense visibility to the Company. Similar initiatives were also taken for INA Metro Station which now would be known as **Oriental Insurance-INA** which is the site of our proposed upcoming Head Office. Regional Offices focused more on outdoor activities and sponsorship of valuable clients. The process of full branding of these two stations has commenced and will be completed in the next financial year.

The Call center is playing a vital role interface between the customers and the company as completed fifth successful year of its functioning. The call center is available to the public 14 hours on all seven days in a week. The average number of customers approaching the call center is around 45000. Future plans include widening the scope of call center by not only increasing the number of seats for better call management but also utilizing the call center giving a digital push to online selling as well as using the same for distance / tele-marketing in line with IRDAI Regulations.

### FOREIGN OPERATIONS

The Company has foreign operations in Nepal, Kuwait and Dubai. We operate in Nepal on a branch model while we have agency operations in Dubai and Kuwait. Very soon, we will start operations in Qatar as we have received authorization for opening of our Branch from the Qatar Regulator. We have already put in place the desired manpower as well as office infrastructure in anticipation of commencing operations. We anticipate completing IT infrastructure implementation shortly so as to go live as far as Qatar operations are concerned in







परिचालनों का संबंध रहे।

वर्ष 2017-18 के दौरान हमने रु. 262.11 करोड़ रुपये के मुकाबले वर्ष 2016-17 में 312.10 करोड़, (-) 16.01% की दर से बढ़ रहा है।

चालू वर्ष के लिए हमारा दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करना है कि हमारे सभी परिचालनों में वृद्धि हो और सभी कार्यालय अधिशेष उत्पन्न करें। चालू वर्ष में हमारा ध्यान लाभप्रदता के साथ विकास के जुड़वां उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक बदलाव सुनिश्चित करने के लिए हमारी व्यावसायिक रणनीति और संचालन के मॉडल को संशोधित करना है।

हमारे विदेशी परिचालन का विस्तृत प्रदर्शन निम्नानुसार है: -

the coming financial year.

During the year 2017-18 we have completed a foreign business of Rs. 262.11.Crores against Rs. 312.10 crores in the year 2016-17, growing at a rate of (-)16.01%.

Our vision for the current year is to ensure that there is growth in all our operations and all offices generate surplus. Our focus in the current year is to revamp our business strategy and model of operations to ensure a turnaround to achieve the twin objectives of growth with profitability.

The detailed performance of our foreign operations is as under:-

(रुपये करोड़ों में) (Rs. in Crs)

खाता प्रमुख	Account Head	2017-18							
		नेपाल/Nepal		दुबई/ Dubai		कुवैत/ Kuwait		कुल/ Total	
		राशि Amount	%	राशि Amount	%	राशि Amount	%	राशि Amount	%
सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (सहित आरआईए)	Gross Direct Premium (incl. RIA)	43.24		190.85		50.74		284.83	
प्रीमियम (नेट)	Premium (Net)	42.63	98.57%	169.18	88.65%	50.3	99.07%	262.11	92.02%
आयोग (नेट)	Commission (Net)	0.38	0.90%	51.53	30.46%	15.88	31.58%	67.79	25.9%
व्यय दावा (नेट)	Incurred Claims (Net)	32.07	75.23%	110.49	65.31%	65.45	130.11%	208.01	79.36%
रिजर्व तनाव	Reserve Strain	0.17	0.40%	-27.16	-16.06%	1.08	2.15%	-25.91	-9.89%
प्रबंधकीय व्यय	M.E.	10.64	24.69%	6.5	3.84%	2.65	5.27%	22.46	8.57%
यू / डब्ल्यू अधिशेष / घाटा	U/w Surplus/Deficit	-0.63	-1.48%	27.82	16.45%	-34.76	-69.11%	-10.24	-3.91%
ब्याज और अन्य आय	Interest & Other Inc.	8.64	20.27%	1.77	1.05%	1.45	2.88%	11.86	4.52%
नेट अधिशेष (+) / घाटा (-)	Net Surplus(+)/ Deficit(-)	8.01	18.79%	29.59	17.48%	-33.31	-66.23%	1.62	0.62%





## सुस्मिता मुखर्जी

### महाप्रबंधक

#### SUSMITA MUKHERJEE GENERAL MANAGER

मुंबई का शहर, जो लचीलापन और व्यावसायिकता के लिए जाना जाता है, वित्तीय संस्थानों के लिए पसंदीदा स्थान है। ओरिएंटल इश्योरेंस को मुंबई में अपनी उत्पत्ति करने पर गर्व है, चूंकि कंपनी को 12 सितंबर, 1947 को बॉम्बे में स्थापना की गई। ओरिएंटल के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि ट्रस्ट अभी भी मुंबई से संचालित है। मुंबई के बीमा बाजार को 4 क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सेवा दी जाती है जिनमें प्रत्येक व्यवसाय और मध्यस्थों का अद्वितीय मिश्रण होता है। साथ में वे कंपनी की घरेलू प्रीमियम आय का लगभग 20% योगदान करते हैं।

एमआरओ-1 प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए प्रतिष्ठित क्षेत्रीय कार्यालय है। कॉरपोरेट्स के साथ साझेदारी और दीर्घकालिक संबंध-रेमंड, जॉनसन एंड जॉनसन, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जेट एयरवेज, वेदांत, वेल्सपुन, गोदरेज, अफकन्स, आईटीडी सीमेंटेशन, एचसीएल, आईएल एंड एफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क लिमिटेड (आईटीएनएल) ये सारे बाजार हमारी स्थिरता का आधार हैं।

The City of Mumbai, known for its Resilience and Professionalism is the preferred location for financial institutions. We at Oriental Insurance are proud to have our origins in Mumbai; as the Company was incorporated in Bombay on 12<sup>th</sup> September, 1947. Provident Fund Trust for Employees of Oriental is still operated from Mumbai. Insurance Market of Mumbai is serviced by 4 Regional Offices each having a unique blend of business and intermediaries. Together they contribute about 20% of the Company's Domestic Premium Income.

**MRO I** is the Prestigious Regional Office for Tied Corporate Clientele. Partnerships and Long Term Relationships with Corporates like – Raymond, Johnson & Johnson, Shipping Corporation of India, Jet Airways, Vedanta, Welspun, Godrej, Afcons, ITD Cementation, HCL, IL&FS Transportation Network Limited (ITNL) are the basis of our stability in this Market.





स्पोर्ट्स, फिल्मस, लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल क्षतिपूर्ति, टेलरमार्म देयता पैकेज नीतियों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ट्रांसमिशन विफलता इत्यादि जैसे बीमा की कुछ नई विकसित नीची लाइनों को भी इस आरओ द्वारा सेवा दी जाती है। लगभग 3 वर्षों के लिए नकारात्मक वक्र होने के बाद हमने मामूली वृद्धि पोस्ट करने के लिए कुल बदलाव प्राप्त किया है।

शुक्र है कि हम एमआरओ –1 लाभांविता वाले दिनों में आ गये हैं! एमआरओ II ने देश में सबसे ज्यादा राजस्व अर्जित किया है। रिलायंस, एचसीएल, अदानी पावर, एलआईसी, ब्रिटानिया, एलएंडटी परियोजनाओं जैसे आईपीसीए, एसीसी, सिडको, जेबी केमिकल्स इत्यादि जैसे कुछ निगमों के साथ इसे एमआरओ I से अलग बनाया गया था।

हम एक मजबूत एजेंसी फोर्स के साथ भी काम करते हैं। प्रीमियम का 38% लगभग 500 एजेंटों द्वारा विक्रय किया गया है। इनमें से 12 को सीएमडी क्लब के सदस्यों के रूप में मान्यता दी गई है।

हम कॉरपोरेट एजेंट्स: द ग्रेटर बॉम्बे को-ऑप बैंक लिमिटेड और महानगर को-ऑप बैंक लिमिटेड के साथ भी काम करते हैं, जो संपत्ति खंड में पर्याप्त प्रीमियम का योगदान करते हैं।

इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा बैंकिंग क्षेत्र को काफी हद तक सेवा दी जाती है। हमारे कुछ बीमाकृत बैंक एक्सिस, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा विदेशी परिचालन, अन्य कॉर्पोरेट क्षेत्र और अनुसूचित बैंक हैं। हम महत्वाकांक्षी आईबीए स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम में भी भाग ले रहे हैं।

यह आरओ मुख्य रूप से विशेष निर्माता जैसे ज्वैलर्स ब्लॉक, स्टॉक ब्रोकर्स पॉलिसी, ऑटोमोबाइल एक्सटेंडेड वारंटी, ऑटो निर्माता, विशेष आयोजन / त्योहारों के कवर के लिए जरूरत के मुताबिक निर्मित पीए कवर जारी कर रहा है।

एमआरओ III मुख्य रूप से एक उपनगरीय क्षेत्रीय कार्यालय है जिसमें व्यापक भौगोलिक खिंचाव खुदरा और व्यक्तिगत बीमा संभावित में समृद्ध है।

मोटर बिजनेस में हमारी पकड़ है जिनमें मुख्य हैं;

1. महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोबाइल निर्माता
2. कवरफॉक्स ब्रोकर्स
3. अन्य पहलों
  - i. मारुति ने भविष्य में बड़े राजस्व देने की अपेक्षा की एक छोटी शुरुआत शुरू की।
  - ii. एसवीसी शुरू किया जिसने 4 महीने के भीतर 93% निपटान दर के साथ 1600 से अधिक दावों को संभाला है।
  - iii. 51% से अधिक की वृद्धि दर के साथ अपने अस्तित्व के पहले वर्ष में 75 करोड़ रुपये के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ जोगेश्वरी में ब्रोकर्स मंडलीय कार्यालय स्थापित किए गए।

Certain newly developed Niche lines of Insurance such as Sports, Films, Long Term Professional Indemnity, Tailormade Liability Package Policies, Electronic Media Transmission Failure etc. are also serviced by this RO. After being on a negative curve for almost 3 years we have attained a total turnaround posting modest growth.

Thankfully we have gone back to our profit making days at MRO-I !

**MRO II** is the largest Revenue Earner in the Country. It was carved out of MRO I with few corporates like Reliance, HCL, Adani Power, LIC, Britannia, L&T projects IPCA, ACC, CIDCO, JB Chemicals etc.

We also work with a strong Agency Force. 38% of the premium is procured by around 500 agents. Out of these 12 are recognised as CMD Club members.

We also work with Corporate Agents: The Greater Bombay Co-op Bank Ltd. & The Mahanagar Co-op Bank Ltd., who contribute substantial premium in property segment.

The Banking Sector is largely serviced by this Regional Office. Some of our Insured Banks are Axis, HDFC, Kotak Mahindra, Union Bank of India, Central Bank, Bank of Baroda Foreign Operations, other Corporative Sectors & Scheduled Banks. We are also participating in the ambitious IBA Health Insurance Programme.

This RO is mainly issuing specialised policies such as Jewellers Block, Stock Brokers Policy, Automobile Extended Warranty, Tailor-made PA cover for Auto Manufacturer, Specialised Events/Festivals covers.

**MRO III** is predominantly a suburban Regional Office with extensive Geographical Stretch rich in Retail and Personal Insurance Potential.

Our thrust in Motor Business is spearheaded by;

1. Mahindra & Mahindra Automobile Manufacturer
2. Coverfox Brokers
3. Other Initiatives
  - i. Started Maruti tie up a small beginning expected to give large revenue in future.
  - ii. Started SVC which has handled more than 1600 claims with 93% settlement rate within 4 months.
  - iii. Carved out Brokers DO at Jogeswari with an ambitious target of 75 Crs in 1<sup>st</sup> year of its existence with a growth rate of more than 51%.





इस क्षेत्रीय कार्यालय ने 70% का उच्चतम लक्ष्य संवर्धन लिया है। सच में यह मुंबई का 'सूर्योदय' क्षेत्र है।

**कॉर्पोरेट और ब्रोकर्स क्षेत्रीय कार्यालय (सीबीआरओ)** – पूर्व परियोजना परियोजना जो 2010 में सीबीआरओ तक बढ़ी थी। उनकी व्यावसायिक संरचना में प्रत्यक्ष 70% और ब्रोकर्स 30% शामिल हैं।

सीबीआरओ एल एंड टी समूह, एस्सार समूह, टाटा स्टील, सुजलॉन, मैरिको आदि जैसे बड़े निगमों को खानपान कर रहा है। वित्त वर्ष 2017-18 में सीबीआरओ ने लाभ मार्जिन में रु. 59.11 करोड़ जो उनके सकल प्रीमियम का लगभग 30% है। सीबीआरओ एसएमई संपत्ति कारोबार की विशाल संभावना को टैप करने की कोशिश कर रहा है। वे इस साल काफी सफल रहे हैं।

### वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान

आरआरबी; सरकारी व्यवसाय; ब्रोकर संचालित, एसएमई, संपत्ति उत्पाद का विस्तार करके 30% ऑपरेटिंग अधिशेष उत्पन्न किया है। निगमों के पूरे पोर्टफोलियो को टैप करने के लिए, जीएमसी भी स्वीकार किया जाता है। हालांकि एचआर के साथ सख्त पर्यवेक्षण, समीक्षा और सहयोग ने लगभग 95% आईसीआर सुनिश्चित किया है। इस इकाई ने पिछले कुछ वर्षों में खुद को एक सतत बढ़ते जीव के रूप में स्थापित किया है और रु. 250 करोड़ से ज्यादा का वित्त वर्ष 2018-19 में परिचालन अधिशेष और संतुलित वृद्धि के साथ लक्ष्य रखा है।

हम एमआरओ 1 के तहत एक अलग समुद्री हल डिवीजनल ऑफिस का प्रबंधन भी करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र शिपिंग निगम भारत ओएनजीसी, एलएंडटी, अफकन्स, टैग ऑफशोर जैसे अन्य बड़े पसंदीदा नामों के साथ हमारी भागीदारी है, जो लंबे समय से हमारे साथ हैं।

हमें जेट एयरवेज के लिए कई वर्षों तक अग्रणी बीमाकर्ता होने का विशेष गर्व है। एविएशन पर एक विशेष सेल ने देश में दूसरे सबसे बड़े डायरेक्ट एविएशन इश्योरेंस के रूप में ओरिएंटल की स्थापना की है, हम जीएमआर, लिग एयर, जूम एयर एविएशन और एस्सार ग्रुप में भी भाग लेते हैं।

इस प्रकार मुंबई ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी में व्यावसायिकता और प्रतिबद्धता के साथ विविधता और नवीनता है।

हमें उम्मीद है कि आने वाले सालों में हम भी बेहतर योगदान दे पाएंगे।

This Regional Office has taken the highest Target Accretion of 70%. In the true sense this is the “sunrise” sector of Mumbai.

**Corporate & Brokers Regional Office (CBRO)** – Erstwhile Project DO which was elevated to CBRO in 2010. Their business composition consists of Direct 70% & Brokers 30%.

CBRO has been catering to Large Corporates such as L&T Group, Essar Group, Tata Steel, Suzlon, Marico etc. In the FY 2017-18 CBRO has improved profit margin to Rs. 59.11 crores which is approx. 30% of their Gross Premium. CBRO has been trying to tap the immense potential of SMEs property business. They have been reasonably successful this year.

### During FY 2017-18

Generated 30% operating surplus by expanding RRBs; Government Business; Broker driven, SMEs, Property Products. To tap entire portfolio of Corporates, GMC is also accepted. However strict supervision, review and collaboration with HR has ensured approximately 95% ICR. This unit has established itself as a Sustainable Growing Organism over the last few year and targets a premium of Rs. 250+ Crs. with operating surplus and balanced growth in FY 2018-19.

We also manage a separate Marine Hull Divisional Office under MRO I. The Public Sector Shipping Corporation of India is our most preferred Partner alongwith other big names like ONGC, L&T, Afcons, Tag Offshore have been on our books since long.

We have the proud privilege of being the lead insurer for Jet Airways for several years. A specialised Cell on Aviation has established Oriental as the second largest Direct Aviation Insurer in the country, we also participate in GMR, Lig Air, Zoom Air Aviation & Essar Groups.

Thus in Mumbai Oriental Insurance Company has Diversity and Innovation going hand in hand with Professionalism and Commitment.

We hope we shall be able to contribute even better in the coming years.







## अजीत कुमार महाप्रबंधक

### AJIT KUMAR GENERAL MANAGER

#### एस्टेट और स्थापना विभाग

##### कंपनी के स्वामित्व वाली संपत्ति का प्रबंधन

विभाग अपने सभी कामकाज के सभी पहलुओं में, सभी प्रयास करने और अतीत के अच्छे काम और गति को जारी रखने में प्रतिबद्ध है। स्वामित्व विभाग और लीज प्रोपर्टी का रखरखाव और नवीनीकरण का काम किया गया है। विभाग ने उचित अधिकारियों के साथ पंजीकृत विभिन्न लीज्ड परिसरों के सभी लीज्ड कार्य प्राप्त करने के लिए एक संज्ञान लिया है, ताकि भविष्य में मुकदमेबाजी और संपत्ति विवादों को रोक सके। कंपनी के साथ उपलब्ध स्थानों का इष्टतम उपयोग पर जोर दिया जा रहा है, ताकि कंपनी के किराए से बाहर निकलने और कंपनी के साथ उपलब्ध अतिरिक्त क्षेत्र को देकर किराए से आय का उत्पादन किया जा सके।

##### कार्यालय परिसर का नवीकरण

एस्टेट विभाग, हेड ऑफिस ने अपने सभी कर्मचारियों को अनुकूल

#### ESTATE & ESTABLISHMENT DEPARTMENT

##### Management of Company Owned Property

The Department is committed in making all out efforts and continue the good work & momentum of the past, in all aspects of its functioning. The Department has a renewed focus in Modernization & Maintenance of Company Owned as well as Leased Properties. The Department has taken a cognizance to get all the Leased Deeds of various Leased Premises registered with appropriate authorities, so as to curb litigation and property disputes in future. The Optimum Utilization of space available with Company is being stressed upon, so as to save on rental outgo of the Company and Generation of Rental Income through letting out excess area available with the Company.

##### Renovation of Office Premises

The Estate Dept., Head Office has continued its good







स्थितियों के साथ काम करने की और कंपनी की ब्रांड छवि को बढ़ावा देने के लिए अपने सभी कार्यालयों के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण में अपना अच्छा योगदान करने को काम जारी रखा है। विभाग ने इस दिशा में कठोर प्रयास किए हैं और एनबीसीसी केंद्र, ओखला, चरण 1, नई दिल्ली में कंपनी के विभिन्न कार्यालयों, आरओ रायपुर, आरओ जयपुर, ओएसटीसी चेन्नई और कंपनी के स्वामित्व वाले परिसर का आधुनिकीकरण किया है। इसके अलावा, विभाग ने देश भर में विभिन्न परिचालन कार्यालयों के नवीनीकरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। विभाग गैर नवीकरणीय संसाधनों पर तनाव को कम करने के लिए ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग करने के सभी प्रयास कर रहे हैं। ओएसटीसी फरीदाबाद में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना इस दिशा में एक विशाल कदम है।

### निर्माण और पुनर्विकास परियोजनाएं

अपने कठोर प्रयासों को जारी रखने में, संपत्ति विभाग, हेड ऑफिस ने कंपनी के साथ उपलब्ध आवास सुविधाओं को बढ़ावा देने में अच्छा प्रयास जारी रखा है। जीके I और जीके II, नई दिल्ली में कंपनी के स्वामित्व वाली संपत्तियों की पुनः विकास परियोजनाएं पूरी होने के करीब हैं। इसके अलावा, विभाग द्वारा उठाए गए द्वारका, नई दिल्ली में कंपनी के स्वामित्व वाली प्लॉट पर निर्माण परियोजना पूरी हो चुकी है और इसका उपयोग जल्द ही एक इष्टतम तरीके से किया जाएगा।

### कार्यालय परिसर - लीज मामले

हमारे प्रयासों को अधिकतम करने के लिए, सभी लीज परिसर का एग्रीमेंट समय पर पूरा करने को सुनिश्चित करने के अलावा, अब भारत के कार्यालयों द्वारा कब्जे वाले अतिरिक्त कार्पेट क्षेत्र को लाभप्रद उपयोगिता पर जोर दिया जा रहा है। जहां भी संभव हो अतिरिक्त क्षेत्र को आत्मसमर्पण करने की संभावना तलाशना या कार्यालयों द्वारा कब्जे वाले अतिरिक्त क्षेत्र का लाभदायक उपयोग लक्ष्य रहा है।

इस वित्त वर्ष के दौरान, संपत्ति विभाग की सिफारिशों के आधार पर, प्रधान कार्यालय परिसर समिति (एचओपीसी) ने मानदंडों से परे पट्टे के नवीनीकरण से संबंधित 77 प्रस्तावों के लिए अपनी मंजूरी दे दी, पट्टे पर नए परिसर का अधिग्रहण, कार्यालयों के स्थानान्तरण विभिन्न कारणों और कई अन्य विविध मामलों।

### कंपनी के स्वामित्व वाली इमारतों से लाभकारी उपयोग और आय उत्पादन

कंपनी के स्वामित्व वाली इमारतों से संचालित कंपनी के

work in renovation & modernization of all its offices, to provide all its employees with favourable working conditions and boost the brand image of the Company. The Department has made rigorous efforts in this direction and has taken up modernization of various offices of the Company, major ones being RO Raipur, RO Jaipur, OSTC Chennai & Company Owned Premises at NBCC Centre, Okhla, Phase I, New Delhi. Besides, the Department has taken up and successfully completed the renovation of various operational offices across the country. The Department is making all efforts to utilize the non-conventional sources of energy to reduce stress on non - renewable resources. The Installation of Solar Energy Plant at OSTC Faridabad is a giant step in this direction.

### Construction & Redevelopment Projects

In continuation of its rigorous efforts, the Estate Dept., Head Office has continued the good work in boosting the housing facilities available with the Company. The Redevelopment projects of Company Owned Properties in GK I & G K II, New Delhi, are nearing completion. Also, the Construction Project on Company Owned Plot at Dwarka, New Delhi taken up by the Department has been completed and the same will be utilized in an optimum manner very shortly.

### Office Premises – Lease Matters

Continuing on maximising our efforts, the department in addition to ensure the timely renewal of lease agreements of all leasehold premises, now has started looking afresh on gainful utilization of excess carpet area occupied by offices pan India. Exploring possibility of surrendering excess area wherever possible or gainful utilization of the excess area occupied by offices has been the target area.

Based on recommendations of the Estate Department, Head Office Premises Committee (HOPC), during this fiscal year, accorded its approval for as many as 77 proposals pertaining to renewal of lease beyond norms, acquiring new premises on lease hold, shifting of offices owing to various reasons and several other miscellaneous matters.

### Gainful utilization & Income generation from Company owned buildings

An endeavour has also been made to identify excess





कार्यालयों द्वारा कब्जा कर लिया गया अतिरिक्त क्षेत्र की पहचान करने के साथ-साथ अंतरिक्ष उपयोग के तर्कसंगत होने की संभावना की खोज करने के लिए एक प्रयास भी किया गया है। 'एक बार मुआवजे' के संग्रह से विवादित किरायेदारों को नियमित करने और खाली रिक्त स्थान देने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप कंपनी की स्वामित्व वाली इमारतों से अतिरिक्त राजस्व पैदा हुआ है।

### अनाधिकृत निवासियों का बेदखल

अनाधिकृत निवासियों से खाली परिसर प्राप्त करने के लिए पहल पहले से ही चल रही है। मुंबई और कोलकाता में अनाधिकृत निवासियों की पहचान की गई है, जिनके खिलाफ सार्वजनिक परिसर अधिनियम, 1971 के तहत बेदखल कार्यवाही शुरू की जा रही है। हालांकि कानूनी प्रक्रिया लंबे समय से तैयार की गई है लेकिन इस संबंध में केंद्रित प्रयास पहले से ही चल रहे हैं।

### स्वच्छ भारत मिशन

विभाग ने कार्यालयों के उचित रख-रखाव के बारे में हमारे सभी परिचालन कार्यालयों में जागरूकता पैदा की है, स्वच्छता पखवाड़ा के साथ-साथ नियमित आधार पर स्वच्छता अभियान आयोजित किया जा रहा है, हमारे कार्यालयों ने पुराने और अनुपयोगी फर्नीचर का निपटारा किया है, पुराने रिकॉर्डों को कम किया जा रहा है।

विभाग भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार 'स्वच्छ भारत मिशन' की पहल के कार्यान्वयन और कंपनी की 'इको-पॉलिसी' के अनुपालन पर केंद्रित है। समाज में इस मिशन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, हमारे विभाग ने पैन-इंडिया आधार पर प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया है और शीर्ष कलाकारों को उचित रूप से सम्मानित किया गया है।

### सूचना का अधिकार

हमारी कंपनी एक से अधिक तरीकों से आरटीआई मामलों से निपटने में अग्रणी रही है। हम 2009 में क्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर आरटीआई मामलों की प्रसंस्करण के विकेंद्रीकरण के साथ आगे बढ़े। 2015 में हम एलआईसी और सभी गैर-जीवन बीमा कंपनियों से पहले ऑनलाइन होने वाले पहले जनरल इश्योरेंस पीएसयू बन गए।

आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के तहत जरूरी स्वतः संज्ञान प्रकटीकरण हमारी वेबसाइट पर रखा गया है और नियमित रूप से हमारे द्वारा अपडेट किया जा रहा है। इसी तरह, अखिल भारतीय आधार पर उपलब्ध आंकड़ों से संकलित त्रैमासिक रिटर्न नियमित रूप से और समय पर सीआईसी पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे हैं।

area being occupied by Company's offices operating from Company owned buildings as well thereby exploring the possibility of rationalization of space utilization. Continuous efforts have been made to regularize disputed tenancies by collection of "ONE TIME COMPENSATION" and letting out vacant spaces which has resulted in generation of additional revenue from Company owned buildings.

### Eviction of unauthorized occupants

Initiative for getting premises vacated from unauthorized occupants is already underway. Unauthorized occupants have been identified at Mumbai and Kolkata against whom eviction proceedings are being initiated under Public Premises Act, 1971. Although legal process is long drawn but focussed efforts are already on in this respect.

### Swachh Bharat Mission

Department has created an awareness amongst all our operating offices about proper upkeep of offices, cleanliness drive is being conducted during swachhata pakhwara as well as on regular basis, our offices have disposed old & unusable furniture, old records are being weeded out.

The Department is focussed on adherence to Company's "Eco-Policy" and implementation of initiatives of "Swachh Bharat Mission" as per directives of Government of India. To create awareness about this mission in the society, our Department has organized Competition on Pan-India basis and top performers have been suitably awarded.

### RIGHT TO INFORMATION

Our company has been a pioneer in dealing with RTI matters in more than one way. We went ahead with decentralization of the processing of the RTI matters at Regional Offices level in 2009. In 2015 we became the first General Insurance PSU to go online ahead of LIC and all Non-Life General Insurance Companies.

The suo moto disclosures as mandated under Section 4 of the RTI Act have been placed on our web site and are being regularly updated by us. Likewise, the quarterly returns compiled on the basis of data available on All India basis are being uploaded on CIC Portal regularly and well in time.





पूरे भारत में हमारे विभिन्न कार्यालयों द्वारा आरटीआई आवेदनों और पहली अपीलों के बारे में जानकारी प्राप्त किया और निपटाया गया है:

	आवेदन	अपील
कंपनी द्वारा प्राप्त कुल आवेदन / अपील (01.04.2017 से 31.03.2018)	2251	329
कंपनी द्वारा निपटाए गए कुल आवेदन / अपील (01.04.2017 से 31.03.2018)	1785	294

आवेदनों के प्रसंस्करण को व्यवस्थित करने और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी प्रकटीकरण जानकारी प्रदान करने के हमारे प्रयासों के परिणामस्वरूप प्रथम और दूसरी अपीलों की संख्या में एक स्पष्ट कमी आई है। विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा जारी किए गए सभी आदेशों के साथ-साथ निर्देश पत्र और भावना में संकलित किए गए हैं

### आधिकारिक भाषा कार्यान्वयन

यह भारत सरकार की आधिकारिक भाषा नीति के अनुसार दिन-प्रति-दिन कार्यालय के काम में हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कंपनी का निरंतर प्रयास रहा है। हिंदी में मूल पत्राचार के लिए और भारत सरकार के आधिकारिक भाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अनुपालन के लिए, हमने वर्ष के दौरान उल्लेखनीय प्रगति की है। इसके अलावा, विभिन्न विभागों से प्राप्त आधिकारिक दस्तावेजों का हिंदी अनुवाद कार्य किया जा रहा है। हम, कंपनी में, अपने सभी कॉर्पोरेट, ग्रामीण क्षेत्र और व्यक्तिगत ग्राहकों की अपनी आवश्यकताओं के माध्यम से बीमा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने हिंदी में काम करने के लिए अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने और प्रेरित करने के लिए हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की हैं। हमने भारत सरकार द्वारा दिए गए वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हिंदी किताबों की अच्छी संख्या खरीदी है। हिंदी में कर्मचारियों की जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करने के लिए हमारे हाउस पत्रिका "ओरिएंटल संवाद" को भी प्रमुख कार्यालय स्तर पर तिमाही रूप से प्रकाशित किया जा रहा है। जुलाई 2017 से प्रभावी रूप से हिंदी में काम को अधिकतम करने के लिए, प्रत्येक महीने के पहले काम पर सभी अधिकारियों / कर्मचारियों को हिंदी में अपने सभी काम करने के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रेरित किया जाता है।

कंपनी के सभी कार्यालयों में 14-28 सितंबर, 2017, "हिंदी पखवाड़े" और 14 सितंबर, 2017 "हिंदी दिवस" के दौरान आयोजित किया गया था। पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया

Details of RTI Applications and First Appeals received and dealt with by our various Offices all over India is as under:

	Applications	Appeals
Total Applications/ Appeals received by the Company (01.04.2017 to 31.03.2018)	2251	329
Total Applications/ Appeals disposed of by the Company (01.04.2017 to 31.03.2018)	1785	294

Our efforts at streamlining the processing of the applications and providing all the disclosable information as per the provisions of the Act has resulted in a discernible dip in the number of First and Second Appeals. It is also ensured by the Department that all the orders as well as directives issued by the Central Information Commission are compiled in letter and spirit

### OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION

It has been Company's continuous endeavor to encourage the use of Hindi in day-to-day office work in accordance with the official language policy of Government of India. As for original correspondence in Hindi and compliance of Section 3(3) of the Official Language Act of Government of India, we have made a notable progress during the year. Besides, Hindi translation work of Official documents received from various departments is being done. We, in the Company, are committed to meet the insurance requirements of all our corporate, rural sector and individual clients through their own language. We have conducted Hindi workshops to train and motivate our employees to work in Hindi. We have purchased a good number of Hindi Books as per annual programme given by Government of India. To create awareness and sensitivity in employees towards Hindi our House magazine "Oriental Samvaad" is also being published quarterly at Head Office level. In order to maximise work in Hindi, with effect from July 2017, on the first working of each month all the officers/employees are individually motivated to do all their work in Hindi.

During 14-28 September, 2017, "Hindi Fortnight" and on 14 September, 2017 "Hindi Day" was organized in all the Offices of the Company. A Large number of employees participated and won prizes in various Hindi Competitions organized during the Fortnight. On this occasion 12 employees have been awarded cash prizes





और पुरस्कार जीते। इस अवसर पर 12 कर्मचारियों को हिंदी में काम करने के लिए नकद प्रोत्साहन योजना के तहत नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारी कंपनी ने **टाउन आधिकारिक भाषा कार्यान्वयन समिति** के तहत **“हिंदी संस्मरण लेखन”** प्रतियोगिता भी आयोजित की। इस प्रतियोगिता में, अन्य सरकारी उपक्रमों के प्रतिभागियों ने भी भाग लिया और इस प्रतियोगिता को आयोजित करने के लिए, हमारी कंपनी को शील्ड और एक प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ। वर्ष 2017-18 में, हमने 25 से 27 अगस्त, 2017 माउंट आबू में अखिल भारतीय हिंदी अधिकारियों का सम्मेलन भी आयोजित किया, जिसमें सभी आरओ के सभी हिंदी अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में हिंदी अधिकारियों ने हिंदी में काम करने में उत्कृष्ट योगदान दिया था, अपने संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में शिल्ड पुरस्कार और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया था।

वर्ष 2017-18 के दौरान, आधिकारिक भाषा पर संसद की समिति ने हमारे शाखा कार्यालय धर्मशाला और आधिकारिक भाषा विभाग, वित्त मंत्रालय के काम का निरीक्षण किया, डीओ-हल्दवानी, डीओ-गोरखपुर और डीओ-तिरुपति जैसे विभिन्न कार्यालयों के काम का निरीक्षण किया और वे इन ऑपरेटिंग कार्यालयों में आधिकारिक भाषा कार्यान्वयन की सराहना की।

### ग्रामीण बीमा

ग्रामीण बीमा विभाग 38 खुदरा उत्पादों और ग्रामीण, असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्र के साथ-साथ आर्थिक रूप से कमजोर या पिछड़े वर्गों की बीमा योग्य आवश्यकताओं को पूरा करने वाले नियामक के साथ दायर 16 माइक्रो बीमा उत्पादों से संबंधित है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, माइक्रो उत्पादों ने 45.78% की आईसीआर के साथ 2,2.75 लाख रुपये का सकल प्रीमियम अर्जित किया। कुल मिलाकर, विभाग ने कुल सकल प्रीमियम रु.170.80 करोड़ (-)0.57% की वृद्धि दर और 116% की आईसीआर दर्ज की। ग्रामीण बीमा व्यापार खंड की निम्न वृद्धि और उच्च आईसीआर सरकारी समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में 60 करोड़ रुपये के प्रीमियम की वापसी के कारण है, जिसमें प्रीमियम रिफंड क्लॉज थी।

हम अपने मौजूदा उत्पादों की विपणन क्षमता का मूल्यांकन करने और बाजार की आवश्यकता के अनुरूप नए उत्पादों को विकसित करने की प्रक्रिया में हैं। हम बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए अपने ग्राहकों के आधार का विस्तार करने की भी कोशिश कर रहे हैं।

under cash incentives scheme for working in Hindi. Our Company also organized **“Hindi Sansmaran Lekhan”** Competition, under the aegis of the **Town Official Language Implementation Committee**. In this competition, participants from the other Government Undertakings also participated and for organizing this competition, our Company received a Shield and a Certificate. In the year 2017-18, we also organized All India Hindi Officers Conference at Mount Abu w.e.f. 25<sup>th</sup> to 27<sup>th</sup> August, 2017, in which all the Hindi Officers of all the ROs took part. In this conference Hindi Officers who had made outstanding contribution to working in Hindi, in their respective Regional Offices, were awarded with the shields and certificates.

During the year 2017-18, Committee of Parliament on Official Language inspected the work of our Branch Office Dharmshala and Official Language Department, Ministry of Finance, inspected the work of various offices like DO-Haldwani, DO-Gorakhpur and DO-Tirupati and they appreciated the Official Language Implementation in these operating offices.

### RURAL INSURANCE

Rural Insurance Department deals with 38 retail products and 16 Micro Insurance products filed with the Regulator catering to the insurable needs of rural, unorganized and informal sector as well as economically vulnerable or backward classes. During the year under review, the Micro Products earned a gross premium of Rs.22.75 lacs with ICR of 45.78%. Altogether, the Dept. procured a total gross premium of Rs. 170.80 Crores with a growth rate of (-) 0.57 % and ICR of 116%. The low growth and high ICR of Rural Insurance business segment is on account of refund of premium of Rs 60 Crores in a Government Group Health Insurance Policy which had a Premium Refund Clause.

We are in the process of evaluating marketability of our existing products and develop new products in line with market requirement. We are also trying to expand our clients-base for obtaining better results.







ग्रामीण बीमा विभाग का प्रदर्शन / Performance of Rural Insurance Department										
वित्तीय वर्ष 2017-18 / Financial Year 2017-18										
नीति का नाम	Name of Policy	नीति की संख्या No. of Policies	संख्या शामिल Number Covered	प्रीमियम (लाख रुपये में) Premium (Rs. In lacs)	शुरुआत में दावों ओ / एस की संख्या No. of Claims O/S at the Beginning	दावों की संख्या No. of Claims Reported	निर्धारित किए गए दावों की संख्या No. of Claims Settled	अंत में दावों ओ / एस के दावों की संख्या No. of Claims O/S at the end	व्यय दावा (रुपये में) Incurred Claims (Rs. In lacs)	दावा अनुपात: Claims Ratio %
जनता व्यक्तिगत दुर्घटना	Janta Personal Accident	45815	14604867	5889.60	1156	5055	3516	2695	7772.01	131.96
ग्रामीण व्यक्तिगत दुर्घटना	Gramin Personal Accident	1030	40134	1.42	3	6	7	2	0.09	6.34
पशु	Cattle	69257	219937	6340.68	4153	19176	21167	2162	6252.67	98.61
कृषि नलकूप	Agri-Pumpset	1630	0	68.19	8	56	53	11	2.74	4.02
किसान पैकेज नीति	Kissan Package Policy	31710	5322	880.57	1877	776	1098	1555	1274.22	144.70
यूएचआईएस	UHS	26121	2623109	355.66	474	5752	5879	347	388.98	109.37
अन्य (ग्रामीण बीमा)	Others (Rural Insurance)	15900	23727978	562.75	3041	611	3213	439	292.69	52.01
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	RSBY	11	4131618	2981.97	2313	22410	22345	2378	3913.17	131.23
कुल	TOTAL	191474	45352965	17080.84	13025	53842	57278	9589	19896.57	116.48

ग्रामीण बीमा विभाग का प्रदर्शन / Performance of Rural Insurance Department										
वित्तीय वर्ष 2016-17 / Financial Year 2016-17										
नीति का नाम	Name of Policy	नीति की संख्या No. of Policies	संख्या शामिल Number Covered	प्रीमियम (लाख रुपये में) Premium (Rs. In lacs)	शुरुआत में दावों ओ / एस की संख्या No. of Claims O/S at the Beginning	दावों की संख्या No. of Claims Reported	निर्धारित किए गए दावों की संख्या No. of Claims Settled	अंत में दावों ओ / एस के दावों की संख्या No. of Claims O/S at the end	व्यय दावा (रुपये में) Incurred Claims (Rs. In lacs)	दावा अनुपात: Claims Ratio %
नीति का नाम	Name of Policy	49675	20739115	4977.12	1499	2182	2525	1156	2108.13	42.36
ग्रामीण व्यक्तिगत दुर्घटना	Gramin Personal Accident	2162	46168	1.83	4	4	5	3	-0.68	-37.16
पशु	Cattle	87138	266852	5320.74	6029	22225	24101	4153	6141.28	115.42
कृषि नलकूप	Agri-Pumpset	2886	0	78.70	9	27	28	8	2.53	3.22
किसान पैकेज नीति	Kissan Package Policy	47033	8062	1174.33	2113	1079	1315	1877	1295.26	110.30
यूएचआईएस	UHS	31478	2797383	433.82	522	6633	6681	474	473.26	109.09
अन्य (ग्रामीण बीमा)	Others (Rural Insurance)	16924	2579046	519.54	1399	3891	4483	807	796.00	153.21
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	RSBY	6	2116275	4807.73					1719.80	35.77
कुल	TOTAL	237302	28552901	125060.08	11575	36041	39138	8478	12535.58	72.40

\* रु। 29.7 9 कोर आने वाली सह बीमा कंपनी - कवर किए गए जीवन की संख्या केवल नेता द्वारा दिखाया जाएगा

\* Rs. 29.79 Corres incoming Co insurance-Number of Lives Covered will be shown only by leader

ग्रामीण बीमा विभाग का प्रदर्शन / Performance of Rural Insurance Department										
वित्तीय वर्ष 2015-16 / Financial Year 2015-16										
नीति का नाम	Name of Policy	नीति की संख्या No. of Policies	संख्या शामिल Number Covered	प्रीमियम (लाख रुपये में) Premium (Rs. In lacs)	शुरुआत में दावों ओ / एस की संख्या No. of Claims O/S at the Beginning	दावों की संख्या No. of Claims Reported	निर्धारित किए गए दावों की संख्या No. of Claims Settled	अंत में दावों ओ / एस के दावों की संख्या No. of Claims O/S at the end	व्यय दावा (रुपये में) Incurred Claims (Rs. In lacs)	दावा अनुपात: Claims Ratio %
जनता व्यक्तिगत दुर्घटना	Janta Personal Accident	65883	6396745	2018.30	1418	2323	2242	1499	1645.32	81.50
ग्रामीण व्यक्तिगत दुर्घटना	Gramin Personal Accident	6456	58106	2.34	4	13	13	4	1.04	45.00
पशु	Cattle	107450	433422	6985.00	3543	18616	16130	6029	5313.40	76.00
कृषि नलकूप	Agri-Pumpset	3957	0	69.57	13	37	41	9	1.80	2.58
किसान पैकेज नीति	Kissan Package Policy	73105	12095	1735.84	2483	1557	1927	2113	1407.18	81.06
यूएचआईएस	UHS	39342	441721	462.00	701	7515	7694	522	555.71	120.04
अन्य (ग्रामीण बीमा)	Others (Rural Insurance)	23680	3866512	573.82	933	5133	4667	1399	286.48	49.92
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	RSBY	15	14462936	1434.74	-	-	-	-	2564.55	178.75
कुल	TOTAL	319888	25671537	13282.45	9095	35194	32714	11575	11775.48	88.66







ग्रामीण बीमा विभाग का प्रदर्शन / Performance of Rural Insurance Department

वित्तीय वर्ष 2014-15 / Financial Year 2014-15

नीति का नाम	Name of Policy	नीति की संख्या No. of Policies	संख्या शामिल Number Covered	प्रीमियम (लाख रुपये में) Premium (Rs. In lacs)	शुरुआत में दावों ओ / एस की संख्या। No. of Claims O/S at the Beginning	दावों की संख्या Reported	निर्धारित किए गए दावों की संख्या No. of Claims Settled	अंत में दावों ओ / एस के दावों की संख्या No. of Claims O/S at the end	व्यय दावा (रुपये में रुपये) Incurred Claims (Rs. In lacs)	दावा अनुपात: Claims Ratio %
जनता व्यक्तिगत दुर्घटना	Janta Personal Accident	75054	6851448	2091.00	1647	2482	2711	1418	1543.06	74.00
ग्रामीण व्यक्तिगत दुर्घटना	Gramin Personal Accident	10229	65763	2.70	6	10	12	4	(-1.46400)	-54.00
पशु	Cattle	83978	280401	5252.41	3145	15469	15071	3543	3233.59	61.56
कृषि नलकूप	Agri-Pumpset	4457	0	83.49	17	42	46	13	1.26	2.00
किसान पैकेज नीति	Kissan Package Policy	108037	18498	2399.48	2727	2127	2371	2483	1560.18	65.00
यूएचआईएस	UHS	46117	436025	529.28	681	9773	9753	701	716.16	135.00
अन्य (ग्रामीण बीमा)	Others (Rural Insurance)	53954	3098178	1250.11	896	4172	4135	933	289.81	23.32
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	RSBY	35	15442444	5289.35	-	-	-	-	22840.55	431.82
कुल	<b>TOTAL</b>	<b>381861</b>	<b>26192757</b>	<b>16897.82</b>	<b>9119</b>	<b>34075</b>	<b>34099</b>	<b>9095</b>	<b>30183.13</b>	<b>178.62</b>





## अनिल श्रीवास्तव महाप्रबंधक

### ANIL SRIVASTAVA GENERAL MANAGER

#### सूचान प्रौद्योगिकी

'ओरिएंटल' पर आईटी सेटअप हमारे व्यापार संचालन के लिए सुरक्षित, मजबूत और कुशल समर्थन प्रदान करता रहा है और आईटी सक्षम सेवाओं के माध्यम से ग्राहक संतुष्टि पर जोर जारी है। अतीत में, आईटी बुनियादी ढांचे और अनुप्रयोगों को अद्यतन रखने और आईटी कार्यान्वयन में बाजार नेता बने रहने के लिए सक्रिय उपाय करने का हमारा निरंतर प्रयास है।

हमारी कंपनी ने एंटरप्राइज़ वाइड 'एंटरप्राइज़ कंटेंट मैनेजमेंट' (ईसीएम) समाधान को कार्यान्वित करके एक बड़ा कदम उठाया है। ईसीएम समाधान इलेक्ट्रॉनिक रूप में दस्तावेजों को संग्रहित और बनाए रखने और व्यापार संचालन के समर्थन के लिए उनके आसान पुनर्प्राप्ति के लिए लागू किया गया है। ईसीएम को हमारे मूल बीमा आवेदन के साथ एकीकृत किया गया है और हमारे वेब पोर्टल के साथ भी ऑपरेटिंग कार्यालयों को ऑनलाइन दस्तावेजों

#### INFORMATION TECHNOLOGY

The IT setup at "Oriental" continues to provide secure, robust and efficient support to our business operations and the thrust continues to be on client satisfaction through IT enabled services. As in the past, it is our constant endeavour to take proactive measures to keep the IT infrastructure and Applications updated and to remain a market leader in IT implementation.

Our Company has taken a major step forward by implementing an enterprise wide "Enterprise Content Management" (ECM) solution. The ECM solution has been implemented for archiving and maintaining the documents in electronic form and their easy retrieval for supporting the business operations. The ECM has been integrated with our core insurance application and also with our Web Portal which enables the operating offices





को स्टोर, पुनर्प्राप्त करने और संदर्भित करने में सक्षम बनाता है ताकि दावों के निपटारे में प्रतिक्रिया समय को कम किया जा सके और हमारे ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकें। यह प्रणाली हमारे कार्यालयों द्वारा आगे की प्रक्रिया के लिए हमारे पोर्टल के माध्यम से दस्तावेजों को अपलोड / स्टोर करने के लिए ग्राहकों, सर्वेक्षकों और अन्य हितधारकों तक आसानी से पहुंच प्रदान करती है। इस प्रकार हमारे वेब पोर्टल के माध्यम से अपलोड किए गए दस्तावेज हमारे मूल बीमा आवेदन में वास्तविक समय में उपलब्ध हैं और यह बदले में त्वरित प्रतिक्रिया समय और लेनदेन की तेजी से प्रसंस्करण सुनिश्चित करता है।

कंपनी ने आईटी सुरक्षा परिदृश्य की भी समीक्षा की है और उद्योग में सर्वोत्तम प्रथाओं के मुकाबले अंतराल को सक्रिय रूप से ब्रिजिंग कर रहा है ताकि एक मजबूत IT सुरक्षा ढांचा हो। समग्र आईटी सुरक्षा ढांचे में विभिन्न महत्वपूर्ण घटकों को शामिल किया गया है, जिनमें अन्य बातों के साथ अंत बिंदु और साइबर सुरक्षा और व्यावसायिक महत्वपूर्ण डेटा की सुरक्षा भी शामिल है। इस संबंध में व्यापार महत्वपूर्ण डेटा की पर्याप्त सुरक्षा के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। कुछ पहलुओं में डाटा एन्क्रिप्शन, डेटा वॉल्ट, डेटा लॉस प्रिवेंशन सेटअप, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल (एनएसी), डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस (डीडीओएस) के खिलाफ सुरक्षा और सुरक्षा संचालन केंद्र (एसओसी) की स्थापना के उन्नत स्तर शामिल हैं।

मौजूदा सूचना सुरक्षा नीति की समीक्षा और 'सूचना और साइबर सुरक्षा नीति 2018' के रूप में अपनाया गया है। यह जानकारी और साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित समग्र रूपरेखा प्रदान करता है। कुछ महत्वपूर्ण घटकों में सूचना संपत्ति प्रबंधन, डेटा सुरक्षा, उद्यम सुरक्षा, सूचना सुरक्षा जोखिम प्रबंधन, शारीरिक और पर्यावरण सुरक्षा, मानव संसाधन सुरक्षा, सिस्टम अधिग्रहण विकास और रखरखाव, आवेदन सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, प्लेटफार्म / इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, क्रिप्टोग्राफी और कुंजी प्रबंधन, सुरक्षा लॉगिंग और प्रबंधन, घटना प्रबंधन, एंडपॉइंट सुरक्षा, वर्चुअलाइजेशन, क्लाउड सुरक्षा और मोबाइल सुरक्षा।

'ओरिएंटल' ने व्यापक 'व्यापार निरंतरता और प्रबंधन नीति' और 'साइबर संकट प्रबंधन नीति' को भी तैयार और अपनाया है।

अतीत में, आईटी आधारभूत संरचना को अद्यतन रखने के लिए सक्रिय उपाय करने का हमारा निरंतर प्रयास है। इस दृष्टि से हमने अपने डेटा केंद्रों में आईटी आधारभूत संरचना का एक संशोधन किया है। नई आईटी सेट अप में कंपनी की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कला प्रौद्योगिकी की स्थिति है। आईटी परिदृश्य को अपग्रेड कर दिया

to store, retrieve and refer to the documents online so as to minimize the response time in settlement of claims and facilitates improved services to our customers. The system also provides easy access to the customers, surveyors and other stakeholders to upload / store documents through our Portal for further processing by our offices. Thus the documents uploaded through our Web Portal are accessible in real time in our core insurance application and this in turn ensures a quicker response time and faster processing of transactions.

The Company has also reviewed the IT security landscape and is proactively bridging the gaps vis-à-vis the best practices in the industry so as to have a robust I.T. security framework in place. The overall IT Security framework encompasses various critical components which inter alia includes end point and cyber security as also the protection of business critical data. In this regard various measures are being taken to adequately safeguard business critical data. Some of the initiatives include enhanced levels of Data Encryption, Data Vault, Data Loss Prevention setup, Network Access Control (NAC), protection against Distributed Denial of Service (DDOS) and Setting up of Security Operation Centre (SOC).

The existing Information Security Policy has been reviewed and adopted as "Information and Cyber Security Policy 2018". This provides the overall framework related with various facets of information and cyber security. Some of the critical components include Information Asset Management, Data Security, Enterprise Security, Information Security Risk Management, Physical and Environmental Security, Human Resource Security, System Acquisition development and maintenance, Application Security, Cyber Security, Platform / Infrastructure Security, Network Security, Cryptography & Key Management, Security Logging and Management, Incident Management, Endpoint Security, Virtualization, Cloud Security and Mobile Security.

"Oriental" has also formulated and adopted a comprehensive "Business Continuity and Management Policy" and "Cyber Crisis Management Policy".

As in the past, it is our constant endeavour to take proactive measures to keep the IT infrastructure updated. With this in view we have already carried out a revamp of the IT infrastructure at our Data Centres. The





गया है और सिस्टम को आपदा रिकवरी साइटों पर 100% उपलब्धता प्रदान करने के लिए कॉन्फिगर किया गया है। हमारे मौजूदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाधान को भी संशोधित किया जा रहा है ताकि संगठन के भीतर और बाहर निर्बाध संचार प्रदान किया जा सके।

एक उद्यम व्यापक, व्यापक और केंद्रीकृत मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) लागू किया गया है जो एचआर से संबंधित गतिविधियों के पूरे स्पेक्ट्रम को पूरा करता है। एसएपी निवेश प्रणाली जो कंपनी के पूरे निवेश संचालन को संभालने में सक्षम है, को आपदा रिकवरी सेटअप करके भी मजबूत किया गया है।

हमारी ऑनलाइन बिक्री स्थिर गति से बढ़ती जा रही है और अब हमारे मोटर प्रीमियम का लगभग एक तिहाई ऑनलाइन बिक्री के माध्यम से प्राप्त होता है, जिसमें हमारे वेब पोर्टल के माध्यम से बिक्री और डीलर पॉइंट्स / ओईएम (मूल उपकरण निर्माता) टाई-अप पर नीतियों को ऑनलाइन जारी करना शामिल है। / वेब एग्रीगेटर और ब्रोकर पोर्टल के साथ एकीकरण। वर्ष 2017-18 में, कुल ऑनलाइन बिक्री रु। 850 करोड़ और 15 लाख से अधिक नीतियां ऑनलाइन जारी की गईं। पिछले वित्त वर्ष में हमारे वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन बिक्री 2017-18 में 92% बढ़ी और बिक्री स्थिर गति से बढ़ती जा रही है।

ऑनलाइन सेवाओं को एंड्रॉइड मंच पर मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से आगे बढ़ाया गया है। यह एप्लिकेशन नई नीतियों, नीतियों का नवीकरण, दावों की सूचना, डैशबोर्ड सुविधाओं, और दावा दस्तावेजों के अपलोड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई-वाललेट, आईएमपीएस और यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान जारी करने के लिए प्रदान करता है। मोबाइल एप्लिकेशन हमारे ग्राहकों, एजेंटों, ब्रोकर्स, सर्वेक्षक और कर्मचारियों के लिए लॉग इन प्रदान करता है। हमारे कोर बीमा आवेदन को पोर्टल ऑफ वेब एग्रीगेटर्स और ब्रोकर्स के साथ-साथ प्रमुख ऑटो ओईएम की प्रणालियों के साथ एकीकृत किया गया है ताकि ऑनलाइन बिक्री, दावों का त्वरित निपटान और सेवाओं की कुशल डिलीवरी के लिए व्यापक उपस्थिति प्रदान की जा सके। स्वास्थ्य टीपीए को हमारे मूल बीमा आवेदन में डेटा अपलोड करने के लिए ऑनलाइन पहुंच प्रदान की गई है, जिसने बदलाव के समय में काफी कमी आई है और दावों के त्वरित निपटारे में मदद की है।

आईटी कार्यान्वयन और आईटी सक्षम सेवाओं के मामले में प्रमुख जोर हमारे ग्राहक और सभी हितधारकों को कुशल ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करना जारी रहेगा। डिजिटल पदचिह्न

new IT set up has state of the art technology to cater to the present and future requirements of the Company. The IT landscape has been upgraded and the systems have been configured to provide 100% availability at the Disaster Recovery sites. Our existing Video Conferencing solution is also being revamped so as to provide seamless communication within and outside the organization.

An enterprise wide, comprehensive and centralized Human Resource Management System (HRMS) has been implemented which caters to the entire spectrum of HR related activities. The SAP Investment System which handles the entire Investment operation of the Company has also been strengthened by having a Disaster Recovery setup.

Our online sales continue to grow at a steady pace and now about one third of our Motor premium is received through online sales, which includes sales through our Web Portal and online issuance of policies at Dealer points / OEM (Original Equipment Manufacturer) Tie-ups/ integration with Web Aggregator & Broker Portals. In the year 2017-18, the overall online sales were Rs. 850 Crores and over 15 Lakh policies were issued online. The online sales through our Web Portal went up by 92% in 2017-18 over the previous financial year and the sales continue to grow at a steady pace.

The online services have been further extended through a Mobile Application on Android platform. This application provides for online issuance of new policies, renewal of policies, and intimation of claims, Dashboard features, and upload of claim documents, online payments through Credit Cards, Debit Cards, Net Banking, E-Wallets, IMPS and UPI. The Mobile Application provides for logins for our Customers, Agents, Brokers, Surveyors and Employees. Our core insurance application has been integrated with the Portals of Web Aggregators and Brokers as also with the systems of major Auto OEMs so as to provide wider presence for online sales, quicker settlement of claims and efficient delivery of services. The Health TPAs have also been provided with online access for uploading data into our core insurance application which has significantly reduced the turnaround time and has helped in quicker settlement of claims.

The major thrust in terms of IT implementation and IT enabled services will continue to be on providing







या “ओरिएंटल” बीमा डोमेन में एक महत्वपूर्ण उपस्थिति है और यह हमारे संचालन के सभी क्षेत्रों में डिजिटल इंटरफेस को बढ़ाने के लिए हमारा निरंतर प्रयास होगा।

### आईआरडीएआई अनुपालन / आईआईबी डेटा अनुपालन

आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित बीमा विनियमों और डेटा आवश्यकताओं के संदर्भ में, कंपनी सक्रिय रूप से आवश्यक अनुपालन कर रही है और डेटा जमा करने सहित विभिन्न रिटर्न के समय पर जमा करने को सुनिश्चित कर रही है।

व्यापक रूप से, अनुपालन को दो में वर्गीकृत किया जा सकता है: (i) आवधिक रिटर्न/आईआरडीएआई को डेटा सबमिशन (ii) बीमा सूचना ब्यूरो (आईआईबी) को डेटा जमा करना।

#### आईआरडीआई रिटर्न:

निर्दिष्ट प्रारूपों के अनुसार, विभागवार डेटा / सूचना जमा करने के लिए ये अनिवार्य नियामक रिटर्न हैं। ये रिटर्न हमारे परिचालन के लगभग सभी पहलुओं को कवर करते हैं और विभिन्न उत्पादों और व्यापार की रेखाओं के संदर्भ में प्रदर्शन का स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। आईआरडीएआई द्वारा अनिवार्य आवश्यक सार्वजनिक प्रकटीकरण आम जनता की जानकारी के लिए हमारे वेब पोर्टल के माध्यम से भी किया जाता है। इसके अलावा निर्दिष्ट प्रारूपों के अनुसार मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक और वार्षिक डेटा जमा करना ऑनलाइन फ़ैशन में आईआरडीएआई के बिजनेस एनालिटिक्स प्रोजेक्ट (बीएपी) पोर्टल के माध्यम से भी किया जाता है।

#### आईआईबी डेटा सबमिशन:

प्रत्येक नीति और दावे के लिए उत्पादवार अंडरराइटिंग और दावा संबंधित डेटा IIB (बीमा सूचना ब्यूरो) के पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। डेटा अंडरराइटिंग डेटा के दैनिक जमा करने के लिए वेब सेवाओं के माध्यम से एकीकरण के माध्यम से डेटा जमा करना भी स्वचालित हो गया है और जल्द ही मोटर ओडी (स्वयं की क्षति) दावों के डेटा को ऑनलाइन तरीके से भी प्रस्तुत किया जाएगा। विभिन्न उत्पादों के संबंध में विस्तृत अंडरराइटिंग और दावा संबंधित डेटा मासिक आधार पर आईआईबी के पोर्टल के माध्यम से जमा किया जाता है। डेटा की विशाल मात्रा के बावजूद हम सुनिश्चित करते हैं कि आगे के विश्लेषण के लिए आईआईबी को निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार डेटा प्रदान किया जाता है।

efficient online services to our customer and all stakeholders. The digital footprint or “Oriental” has a significant presence in the insurance domain and it shall be our constant endeavour to enhance the digital interface in all spheres of our operations.

### IRDAI COMPLIANCE/IIB DATA COMPLIANCE

In terms of the Insurance Regulations and data requirements as laid down by IRDAI, the Company has been taking up the required compliance in a proactive manner and ensuring timely submission of various returns including submission of data.

Broadly, the compliances can be categorized into two: (i) Periodic Returns / Data submission to IRDAI (ii) Data submission to Insurance Information Bureau (IIB).

#### IRDAI RETURNS:


These are mandatory regulatory returns for submission of department-wise data / information, as per the specified formats. These returns cover almost all facets of our operations and provide a clear view of the performance in terms of various products and lines of business. The required Public Disclosures as mandated by IRDAI are also done through our web portal for information of the general public at large. Moreover the submission of Monthly / Quarterly/ Half-yearly and annual data as per the specified formats is also carried out through the Business Analytics Project (BAP) Portal of IRDAI in an online fashion.

#### IIB DATA SUBMISSION:

The product wise underwriting and claims related data for each policy and claim is uploaded to the Portal of IIB (Insurance Information Bureau). The submission of data has also been automated by way of integration through web services for daily submission of Motor underwriting data and very shortly the Motor OD (Own Damage) claims data will also be submitted in an online manner. The detailed underwriting and claims related data in respect of various products is submitted through the Portal of IIB on a monthly basis. Despite the mammoth volume of data we ensure that the data is provided as per the stipulated timelines to IIB for further analysis.







**एम. पी. नागपाल**  
**मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं महाप्रबंधक**  
**M. P. NAGPAL**

**CHIEF VIGILANCE OFFICER & GENERAL MANAGER**

सतर्कता प्रबंधन का एक अभिन्न उपकरण है। इसका उपयोग बेहतर औद्योगिक संबंधों और बेहतर उत्पादकता के लिए भी किया जा सकता है। यदि सही भावना में लिया जाए तो सतर्कता प्रबंधन को उनके कर्मचारियों के साथ गहन बंधन बनाने में मदद कर सकती है जिसके परिणामस्वरूप निवारक सतर्कता के माध्यम से अनुशासनात्मकता मामलों में बेहतर आईआर हो सकता है। यह संदेश सतर्कता विभागों द्वारा डीओ और शाखाओं के सतर्कता अधिकारियों की नियमित यात्राओं के माध्यम से फैलाया गया। इसके अलावा, सीवीओ ने कर्मचारियों और सदस्यों को रोजाना गतिविधियों में सतर्क रहने के महत्व के बारे में कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए भी दौरा किया। सीवीओ ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार कार्यालयों दौरा कर और कर्मचारियों के सदस्यों से बातचीत की:

Vigilance is an integral tool of management. It can also be used for better Industrial relations and Improved Productivity. If taken in the right spirit Vigilance can help the Management in forging deeper bonds with their employees resulting in better IR by avoiding disciplinary cases through preventive vigilance. This message was spread by Vigilance Department through the regular visits of Vigilance Officers to DOs and Branches. Besides this, CVO also visited ROs and other offices to sensitise the staff members about the importance of being vigilant in our day-to-day activities. CVO visited the offices and interacted with the staff members as per following details:

**Meetings at Oriental staff Training college, Faridabad**

**ओरिएंटल स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज, फरीदाबाद में बैठकें**

समूह संबोधित	3
प्रतिभागियों की संख्या	136

Groups addressed	3
Number of participants	136





### एचओ कर्मचारियों के साथ बैठक

सतर्कता जागरूकता पर बैठक	01
संबोधित व्यक्तियों की संख्या	427

### क्षेत्रीय कार्यालयों में बैठकें (स्थानीय डीओ /बीओ/ एसवीसी और टीपी-हब्स सहित)

क्षेत्रीय कार्यालयों को कवर किया गया	09
--------------------------------------	----

सतर्कता विभाग एक मूल्य प्रणाली स्थापित करने में सक्षम रहा है जहां खतरनाक इरादे वाले लोगों को सतर्कता के भय का डर है, सतर्कता मामलों में लगातार कमी / गिरावट से स्पष्ट है।

### एक नज़र में सतर्कता

01.	01.04.2017 को मामलों की संख्या	45
02.	01.04.2017 से 31.03.2018 की अवधि के दौरान जोड़े गए मामले	32
03.	01.04.2017 से 31.03.2018 की अवधि के दौरान निपटान मामले	34
04.	31.03.2018 को बकाया	43

सतर्कता अधिकारियों ने आश्चर्यजनक निरीक्षण किए और कर्मचारियों को निवारक सतर्कता पर भी शिक्षित किया और बेहतर अंडरराइटिंग के लिए उनके बीच जागरूकता पैदा की, निम्नलिखित विवरणों के अनुसार संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वित्तीय समझदारी का प्रयोग किया

### आश्चर्य निरीक्षण निरीक्षण किया

साल	2016-17	2017-18
आयोजित आश्चर्य निरीक्षण की संख्या	292	358

सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2017 विषय "माई विजन – भ्रष्टाचार मुक्त भारत" विषय के साथ मनाया गया था। पैडफलेट वितरण, कोटटेबल कोट्स स्टिकर, निबंध लेखन प्रतियोगिता, बहस प्रतियोगिता और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आदि जैसे आउटरीच गतिविधियां मुख्य कार्यालय में आयोजित की गई थीं और क्षेत्रीय कार्यालय। इसके अलावा, मेट्रो स्टेशनों और बाजारों जैसे प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग / पोस्टर / बैनर प्रदर्शित किए गए थे। हेड ऑफिस में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का समापन समारोह आयोजित किया गया था। डॉ. टी.एम. भसीन, सतर्कता आयुक्त ने समारोह की सराहना की।

### Meeting with HO Employees

Meeting on Vigilance Awareness	01
Number of persons addressed	427

### Meetings at Regional Offices ( including local DOs/ BOs/SVCs and TP-Hubs)

Regional Offices covered	09
--------------------------	----

Vigilance Department has been able to instill a value system where people with malafide intention have fear of Vigilance, as corroborated by constant reduction/ drop in Vigilance cases.

### Vigilance at a glance

01.	Number of cases as on 01.04.2017	45
02.	Cases added during the period 01.04.2017 to 31.03.2018	32
03.	Cases disposed during the period 01.04.2017 to 31.03.2018	34
04.	Closing balance as on 31.03.2018	43

Vigilance Officers carried out Surprise inspections and also educated the employees on preventive vigilance and created awareness among them for better underwriting, exercising financial prudence to achieve the organizational goals as per following details:

### Surprise inspections conducted

year	2016-17	2017-18
Number of surprise inspections conducted	292	358

As per CVC directions, Vigilance Awareness Week 2017 was celebrated with the theme "My vision – Corruption Free India." Outreach activities such as pamphlets distribution, Quotable Quotes Stickers, Essay Writing competition, Debate competition & Quiz Competition etc were conducted at Head Office and Regional Offices. Besides this, Hoarding/ Poster/ Banners were displayed at prominent places like Metro Stations & Markets. Closing Ceremony of Vigilance Awareness Week was organised at the Head office. Dr. T M Bhasin, Vigilance Commissioner graced the function.





## सोम्या मुखर्जी महाप्रबंधक

### SOUMYA MUKHERJEE GENERAL MANAGER

#### ग्राहक सेवा विभाग

कंपनी ने शिकायत के निवारण को अत्यंत महत्व दिया है और हमेशा ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपनी तंत्र को अच्छी तरह से बनाए रखा है।

कंपनी के पोर्टल (आईजीएमएस) में पंजीकृत शिकायतों के संबंध में हमने पिछले वर्ष (99.64%) के अनुपात में सुधार दिखाते हुए 99.78% का निपटान अनुपात हासिल किया है। हम केन्द्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएमएस) में पंजीकृत शिकायतों का निवारण करते हैं और हाल ही में आईएनजीएमएस पोर्टल पेश करते हैं, दोनों को भारत सरकार द्वारा बनाए रखा जाता है। सीपीजीआरएमएस में हमने पिछले वर्ष (96.38%) के मुकाबले 98.

#### Customer Service Department

The company has given utmost importance for redressal of the grievance and always keep its mechanism well geared up to meet the requirement of customers.

In regard to the grievances registered in the Company's portal (IGMS) we have achieved a disposal ratio of 99.78% showing an improvement over the ratio for the last year (99.64%). We further redress the grievances that are registered in the Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System (CPGRAMS) and also recently introduced INGRAM portal i.e both are maintained by of Government of India. In CPGRAM We have registered a disposal ratio of 98.53% against





53% का निपटान अनुपात पंजीकृत किया है।

last year (96.38%).

इसका सारांश नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

The summary of the same is given herein the below table.

फॉर्म शिकायत स्रोत के शीर्ष फॉर्म का शीर्ष Top of Form Grievance Source Bottom of Form	फॉर्म के नीचे छवछव 01.04.2017 को लंबित शिकायतें नहीं थीं Bottom of Form NoNoNo No of Grievances Pending as on 01.04.2017	वर्ष के दौरान पंजीकृत शिकायतों में से कोई नहीं No of Grievances registered during the Year	अवधि के दौरान हल की गई शिकायतों का कोई नहीं No of Grievances Resolved during the Period	शिकायतें 31/03/2018 को लंबित नहीं हैं No of Grievances Pending as on 31/03/2018	निपटान अनुपात Disposal Ratio
आईजीएमएस पोर्टल IGMS Portal	9	2777	2780	6	99.78
सीपीजीआरएम पोर्टल CPGRAM Portal	33	713	735	11	98.53

इनग्राम पोर्टल, सरकार द्वारा एक नया मंच पेश किया गया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत का। हमने इस तंत्र को पूर्ण स्विंग के साथ कार्यान्वित किया है और 89.80% का निपटान अनुपात हासिल किया है।

INGRAM Portal, a new platform has been introduced by Govt. of India during the current financial year. We have implemented this mechanism with full swing and achieved a disposal ratio of 89.80%.

दावा 78.18% के साथ शिकायतों का प्रमुख स्रोत है और विभाग समयरेखा में कमी के लिए गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अपना पूरा प्रयास दे रहा है।

Claims stands to be the major source of complaints with 78.18% and department is giving its fullest endeavor to bring improvement in the quality simultaneously for reduction in timeline.

पॉलिसीधारकों को सेवाओं में सुधार लाने के लिए कंपनी ने भावनाओं को जानने के लिए ईमेल, पोर्टल और ट्विटर जैसे संचार की सभी आधुनिक प्रणाली को अपनाया है। ईमेल शिकायत शिकायतों की संख्या में सबसे ऊपर है।

Company has adopted all modern system of communication like email, portal and twitter to know customer sentiments to bring improvement in services to the policyholders. Email complaints tops in number of grievances.

इस वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने 31.03.2017 को सभी अनिवार्य राशि के लिए जो 30.09.2007 से पहले पॉलिसीधारक फंड खाते में था और नियामक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि अधिनियम 2015 एससीडब्ल्यूएफ में रु. 5.52 करोड़ 25.07.2017 को जमा किये गये। इसकी सूची कंपनी की वेबसाइट में भी प्रदर्शित की गई है।

During this financial year The company has accounted for all unclaimed amount as on 31.03.2017 that was laying in policyholder fund account prior to 30.09.2007 and deposited Rs. 5.52 Cr in SCWF in compliance of Regulator's guidelines dt. 25.07.2017 in consonance with Senior Citizens Welfare Fund Act 2015. The list thereof has also been displayed in the company's website.

### लेखापरीक्षा अनुपालन तंत्र

### Audit Compliance Mechanism

कंपनी ने ऑपरेटिंग और कंट्रोलिंग कार्यालयों में अपनी अनुपालन टीम को पुनर्जीवित करके अपनी तंत्र तैयार की है।

The company has geared up its mechanism by reviving its Compliance team at Operating and Controlling offices.

वित्तीय वर्ष वर्ष के दौरान 16085 पैरा के साथ 8107 आंतरिक लेखापरीक्षा पैरा की लंबित सूची के साथ शुरू हुआ है और 31.03.2018 को 6467 के साथ समाप्त हुआ है, इस प्रकार 73.26% पर निकासी राशन के साथ 17725 की मंजूरी दिखा रही है। प्रधान कार्यालय की देखरेख में लेखा परीक्षा बिंदुओं के अनुपालन में आरओ स्तर पर विशेष प्रयास किए गए हैं।

The financial year has started with a pending list of 8107 Internal Audit Paras with addition of 16085 paras during the year and ended with 6467 as on 31.03.2018 thus showing clearance of 17725 with clearance ration at 73.26%. Special efforts have been made at RO level in compliance of audit points under supervision of Head office.







## उत्पाद विकास

वित्तीय वर्ष 2017-18 काफी उत्पादक रहा है और विभाग द्वारा तैयार और दायर किए गए नए और संशोधित उत्पादों के संदर्भ में हो रहा है। विभाग ने 2017-18 में उत्पादों के बाद आईआरडीएआई अनुमोदन के लिए डिजाइन और दायर किया है:

1. पीएनबी-ओरिएंटल रॉयल मेडिक्लेम – 2017
2. ओबीसी- ओरिएंटल मेडिक्लेम पॉलिसी- 2017
3. इंजन सुरक्षा कवर- एक निजी कार नीति में जोड़े
4. प्रवासी भारतीय बीमा योजना –2017
5. पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा पॉलिसी
6. ओरिएंटल सुपर हेल्थ टॉप अप पॉलिसी
7. दीर्घकालिक दो व्हीलर पैकेज नीति

दायर सात उत्पादों में से कंपनी को पहले पांच के लिए आईआरडीएआई की मंजूरी मिली है। इसके अलावा, कुंजी प्रतिस्थापन के संबंध में काम का एक बड़ा हिस्सा – निजी कार पैकेज नीति में एक ऐड-ऑन, वर्ष 2017-18 में किया गया था, हालांकि हम अप्रैल 2018 के पहले पखवाड़े में ही इस उत्पाद को दर्ज करने में सक्षम थे ।

यह सरल भाषा में उत्पादों को शब्द देने के लिए विभाग का केंद्र रहा है ताकि ग्राहक द्वारा आसानी से समझ सकें। इस उद्देश्य के साथ, उत्पादों के कवरज, नियम और बहिष्करण पर कुल स्पष्टता लाने, अधिकांश उत्पादों में एफएक्यू फॉर्म में बिक्री साहित्य तैयार किए गए हैं।

इन पहलुओं के परिणामस्वरूप, हमारे कुछ उत्पादों को वेब एग्रीगेटर साइट्स द्वारा कक्षा में सर्वश्रेष्ठ में रेट किया गया है।

## जोखिम प्रबंधन और वास्तविक विभाग

जोखिम प्रबंधन और वास्तविक विभाग, जो वर्ष 2009 में अस्तित्व में आया था, केवल एक अधिकारी के साथ, अब छह अधिकारियों के साथ एक पूर्ण विकसित विभाग के रूप में उभरा है। इस प्रकार, इस विभाग में जोखिम प्रबंधन और वास्तविक मूल्यांकन के संदर्भ में भविष्य की आवश्यकताओं का ख्याल रखने के लिए आवश्यक तकनीकी क्षमता और कौशल के साथ एक मजबूत टीम है।

यह विभाग मुख्य रूप से दो प्रकार की गतिविधियों में संलग्न है जैसे कि। आईआरडीएआई अनिवार्य और अन्य जोखिम प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों। विभाग द्वारा किए गए मुख्य आईआरडीएआई अनिवार्य गतिविधियां निम्नलिखित हैं:

- आईबीएनआर, पीडीआर, टर्मिनल लाभ इत्यादि जैसी देनदारियों का आकलन
- आर्थिक पूंजी के जरूरत की गणना करना
- वित्तीय हालत रिपोर्टिंग की तैयारी (एफसीआर)
- संपत्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) कार्य

## PRODUCT DEVELOPMENT

Financial Year 2017-18 has been quite productive and happening in terms of new and revised products prepared and filed by the department. The department has designed and filed for IRDAI approval following products in 2017-18:

1. PNB-Oriental Royal Mediclaim – 2017
2. OBC- Oriental Mediclaim Policy- 2017
3. Engine Protect Cover- an Add on to Private Car Policy
4. Pravasi Bharatiya Bima Yojana -2017
5. Restructured Weather Based Crop Insurance Policy
6. Oriental Super Health Top Up Policy
7. Long term Two Wheeler Package Policy

Of the seven products filed, the Company has got IRDAI approval for the first five. In addition, a major part of work in respect of the Key Replacement - an add-on to Private Car package Policy, was done in the year 2017-18, however we were able to file this product only in the first fortnight of April 2018.

It has been the focus of the department to word the products in simple language so that it is easily understandable by the customer. With this objective, Sales Literatures have been prepared in FAQ form in most of the products, bringing total clarity on the coverage, terms & exclusions of the products.

As a result of these initiatives, some of our products have been rated amongst the best in the class by web aggregator sites.

## Risk Management and Actuarial Department

Risk Management and Actuarial Department, which came into existence in the year 2009 with only one officer, has, now, emerged as a fully developed department with six officers. Thus, this department has a strong team with requisite technical competence and skills to take care of the future requirements in terms of Risk Management and actuarial evaluation.

This department is, mainly engaged in two types of activities viz. IRDAI mandated and other risk management related activities. The main IRDAI mandated activities performed by the department are following:

- Estimation of liabilities like IBNR, PDR, Terminal benefits etc.
- Working out Economic Capital requirement
- Preparation of Financial Condition Reporting (FCR)
- Asset Liability Management (ALM) working







- उत्पाद प्रदर्शन समीक्षा
- मूल्य निर्धारण समर्थन – नए उत्पादों और मौजूदा लोगों की समीक्षा

विभाग निम्नलिखित के संबंध में तकनीकी / उत्पाद विकास विभागों को वास्तविक मूल्य निर्धारण समर्थन प्रदान करता है।

- आरएसबीवाई मूल्य निर्धारण
- पीएमएफबीवाई और डब्ल्यूबीसीआईएस
- मौजूदा हानिकारक उत्पादों की समीक्षा
- एड-ऑन कवर सहित नए / संशोधित उत्पाद

दावे की लागत को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए अंडरराइटिंग विभागों की सहायता के लिए, विभाग डेटा के सेगमेंट-वार और उत्पाद-वार विश्लेषण करता है और उत्पाद प्रदर्शन पर आवश्यक इनपुट प्रदान करता है।

अतीत में, हमारा ध्यान बीमांकि प्रथाओं का उपयोग करके गहन डेटा विश्लेषण पर जारी रहेगा ताकि हमारे तकनीकी विभागों को आवश्यक इनपुट और समर्थन प्रदान किया जा सके और कंपनी के समग्र प्रदर्शन में सुधार करने में सहायता मिल सके।

गैर-जीवन बीमा के कभी भी बदलते जोखिम परिदृश्य से उत्पन्न चुनौतियों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए एंटरप्राइज़ जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ढांचा स्थापित किया गया है। ढांचे में व्यापक रूप से शामिल हैं-

- नई जोखिम प्रशासन संरचना
- जोखिम वक्तव्य
- जोखिम आकलन ढांचा
- जोखिम रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क

### एंटी-फ्रॉड फ्रेमवर्क

'धोखाधड़ी जोखिम निगरानी फ्रेमवर्क' के सामने, निम्नलिखित आयामों के साथ विभागीय गतिविधियों को देखा जा सकता है:

- बोर्ड स्वीकृत एंटी-धोखाधड़ी नीति मौजूद है
- धोखाधड़ी के मामलों की समीक्षा समिति जीएम (जोखिम प्रबंधन), वित्तीय सलाहकार और महाप्रबंधक (तकनीकी) शामिल है
- आईआरडीएआई को धोखाधड़ी के मामलों की रिपोर्टिंग
- धोखाधड़ी के मामले की जीआई काउंसिल पोर्टल को रिपोर्टिंग
- धोखाधड़ी निगरानी मैनुअल का संकलन

### आउटसोर्सिंग

'आउटसोर्सिंग फ्रंट' पर, हमारी गतिविधियों को निम्नलिखित पंक्तियों के साथ देखा जा सकता है:

- आउटसोर्सिंग कमेटी के समक्ष आउटसोर्सिंग गतिविधियों (जैसा कि विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तावित किया गया है) रखने के लिए एक नोडल बिंदु के रूप में कार्य करना
- आउटसोर्स किए गए अनुबंधों से उत्पन्न होने वाले भौतिक जोखिमों की वार्षिक समीक्षा।

- Product Performance Review
- Pricing support-New products & review of existing ones

The department provides actuarial pricing support to technical / Product Development departments in respect of following-

- RSBY pricing
- PMFBY & WBCIS
- Review of existing loss making products
- New / Revised Products, including add-on Covers

In order to help underwriting departments to effectively control claim costs, the department does segment-wise and product-wise analysis of the data and provides necessary inputs on product performance.

As in the past, our focus will continue to be on intensive data analysis using Actuarial practices so as to provide the required inputs and support to our Technical Departments and help improve the overall performance of the Company.

Enterprise Risk Management (ERM) framework has been put in place to effectively meet the challenges posed by the ever changing risk landscape of non-life insurance. The framework broadly includes-

- New Risk Governance Structure
- Risk appetite Statement
- Risk Assessment Framework
- Risk Reporting Framework
- Risk Management Policy

### Anti-Fraud Framework

On the 'Fraud Risk Monitoring Framework' front, departmental activities can be seen along the following dimensions:

- Board Approved Anti-Fraud Policy is in place.
- Fraud cases Review Committee consisting of GM (Risk Management), Financial Advisor & General Manager (Technical)
- Fraud cases reporting to IRDAI
- Fraud cases reporting to GI Council portal
- Compilation of Fraud Monitoring Manual

### Outsourcing

On the 'Outsourcing front', our activities can be seen along the following lines:

- Acting as a nodal point for placing Outsourcing activities (as proposed by various departments) before the Outsourcing Committee
- Annual review of the material risks arising out of Outsourced contracts.





- नियामक को सभी प्रासंगिक आउटसोर्सिंग व्यवस्था की रिपोर्टिंग।

### प्रशिक्षण

कॉर्पोरेट प्रशिक्षण विभाग लगातार कर्मचारियों के प्रतिभा प्रबंधन और कर्मियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए नए और अभिनव प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने पर केंद्रित रहा है। संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी संगठन की प्रशिक्षण नीति का मूल उद्देश्य कर्मचारियों को प्रतिस्पर्धी, वफादार और उपयुक्त नौकरी कौशल से लैस करना है। इस मूल दर्शन को ध्यान में रखते हुए और कॉर्पोरेट विजन दस्तावेज़ में निर्धारित प्रशिक्षण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, बड़ी संख्या में प्रशिक्षण कार्यक्रम, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं को वर्ष 2017-18 के दौरान हमारे इन-हाउस प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा डिजाइन और आयोजित किया गया था। और प्रशिक्षण की बाहरी एजेंसियां, हमारे संगठन की वर्तमान और भविष्य की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।

प्रशिक्षण के विभिन्न क्षेत्रों में एकसपोजर प्राप्त करने के लिए, हम मौजूदा चार स्तरीय प्रशिक्षण प्रणाली के अनुसार हमारे अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं: -

- ओरिएंटल स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज फरीदाबाद और चेन्नई।
- 30 क्षेत्रीय कार्यालयों को कवर करने वाले 24 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र।
- नेशनल इंड्योरेंस अकादमी, पुणे।
- अन्य व्यावसायिक संस्थान जैसे भारत के कार्यकारी संस्थान, भारतीय बीमा संस्थान, आईसीडीब्ल्यूए, प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद, फिक्की, एससीओपीई, आईएसएबीएस, आईएसटीएम, वाईएमसीए इत्यादि।

### ओएसटीसी फरीदाबाद

ओएसटीसी वर्ष के बाद हमारे कर्मचारियों को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है और उद्योग के साथ-साथ कार्यबल की जरूरतों के साथ सरेखित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ओएसटीसी द्वारा आयोजित कुछ महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं— नए शामिल किए गए प्रत्यक्ष भर्ती अधिकारियों के लिए बुनियादी प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम, कक्षा III और कक्षा II से प्रचारित अधिकारियों के लिए फाउंडेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम, नए पोस्ट डिवीजनल और शाखा प्रबंधकों के लिए अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम, बीसी के लिए कार्यक्रम प्रभारी, प्रत्यक्ष भर्ती के लिए रिक्रेशर पाठ्यक्रम, स्केल वी अधिकारियों के लिए संक्रमण प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्केल II / III अधिकारियों के लिए दृष्टि प्रशिक्षण कार्यक्रम, अधिकारियों सेवानिवृत्त करने के लिए कार्यक्रम।

प्रशिक्षण ओएसटीसी के अलावा कंपनी का एक संसाधन और ज्ञान केंद्र भी है और वे कंपनी के अधिकारियों को निरंतर और लगातार तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं, जब उन्हें इसकी आवश्यकता होती है।

ओएसटीसी में वर्ष 2017-18 के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम / कार्यशालाओं / संगोष्ठियों का विवरण निम्नानुसार है -

- Reporting to Regulator all the relevant outsourcing arrangements.

### TRAINING

The Corporate Training Department has been constantly focused on introducing new and innovative training programs to promote talent management and personnel growth of the employees. The basic objective of training policy of any organization is to make the employees competitive, loyal & well equipped with appropriate job skills so as to achieve the Organizational Goals. With this basic philosophy in mind and taking into account the objective of training as laid down in the Corporate Vision Document, a large number of training programs, seminars and workshops were designed and conducted during the year 2017-18 by our in-House training centers and external agencies of training, catering to the present and future training needs of our organization.

In order to get the exposure in different areas of training, we impart training to our officers/employees as per the existing four tier training system consisting of:-

- Oriental Staff Training College Faridabad and Chennai.
- 24 Regional Training Centers covering 30 Regional Offices.
- National Insurance Academy, Pune.
- Other Professional Institutes like Institute of Actuaries of India, Insurance Institute of India, ICWA, Administrative Staff College of India, Hyderabad, FICCI, SCOPE, ISABS, ISTM, YMCA etc.

### OSTC Faridabad

OSTC has been providing quality training to our employees year after year & is committed to provide the kind of training that aligns with industry as well as workforce needs. Some of the important training programs conducted by OSTC are – Basic Induction Training Program for newly inducted Direct Recruit Officers, Foundation Training Program for Promoted officers from class III & class II, Orientation Training Program for the newly posted Divisional & Branch Managers, Program for BC In-charges, Refresher Courses for Direct Recruits, Transition Training Program for scale V officers, Vision Training Program for Scale II/III officers, Program for Retiring executives.

Apart from the Training OSTC is also a resource & knowledge hub of the company & they are providing continuous & consistent technical support to the officers of the company as & when it is required by them.

The details of Training programs/workshops/Seminars conducted for the year 2017-18 at OSTC are as under -





Training Programs / Workshops / Meet / Conferences														
मापनात्का / Scale Wise							लिंगीकृत / Gender Wise			वर्गीकृत / Category Wise				
I	II	III	IV	V	VI	Total	Male	Female	Total	SC	ST	OBC	UR	PH
867	379	393	100	175	19	1933	1494	439	1933	426	145	295	1059	8

		आयोजित कार्यक्रमों की संख्या No. of Programs conducted	अधिकारियों की संख्या ने भाग लिया No. of Officers Attended
प्रशिक्षण	Training	30	1142
कार्यशाला / सेमिनार	Workshop/ Seminar	18	791
कुल	TOTAL	48	1933

### ओएसटीसी चेन्नई

ओएसटीसी चेन्नई की स्थापना 2013-14 में कंपनी के दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात अधिकारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई थी। 2017-18 के दौरान, ओएसटीसी, चेन्नई ने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें 172 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। विवरण निम्नानुसार हैं:

प्रतियोगियों की कुल संख्या TOTAL NO. OF PARTICIPANTS	अनु. जा. SC	अनु.ज.जा. ST	अ.पि.व. OBC	सामान्य GEN	महिला FEMALE	पुरुष MALE
172	38	12	44	78	122	50

### क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र

क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कक्षा II, III, IV और आंशिक रूप से स्केल I कैडर में कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित करते हैं। आरटीसी नई भर्ती सहायकों के लिए फाउंडेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम, तकनीकी, आईटी और एचआर में नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी कर्मचारियों के लिए पूर्व पदोन्नति प्रशिक्षण प्रदान करते हुए अपनी अधिकतम क्षमता के लिए काम कर रहे हैं। पहली बार, आरटीसी ने प्रत्यक्ष भर्ती अधिकारी परीक्षा के लिए उपस्थित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी उम्मीदवारों के लिए पूर्व भर्ती प्रशिक्षण शुरू किया। निम्नलिखित डेटा 2017-18 में हमारे 24 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों की प्रशिक्षण गतिविधियों को सारांशित करता है:-

प्रतियोगियों की कुल संख्या TOTAL NO. OF PARTICIPANTS	अनु. जा. SC	अनु.ज.जा. ST	अ.पि.व. OBC	सामान्य GEN	महिला FEMALE	पुरुष MALE
4609	1407	445	970	1787	1199	3410

### राष्ट्रीय बीमा अकादमी

एनआईए बीमा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान है। वर्ष 2017-18 के दौरान, तकनीकी, मानव संसाधन, विपणन, सूचना प्रौद्योगिकी, लेखा आदि सहित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एनआईए में 511 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया था। एनआईए द्वारा आयोजित सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण का उपयोग कंपनी द्वारा अधिकारियों के लिए किया जाता है स्केल IV से स्केल VIIA एनआईए प्रशिक्षण का विवरण निम्नानुसार है:

### OSTC Chennai

OSTC Chennai was established in 2013-14 to cater to the training needs of the officers posted in southern regional offices of the Company. During 2017-18, OSTC, Chennai conducted training programs, in which 172 officers were imparted training. The details are as under:

### REGIONAL TRAINING CENTERS

Regional Training Centers conduct regular training sessions for the employees in Class II, III, IV and partly Scale I cadres. RTC are working to their maximum capacity while imparting foundation training programs for newly recruited Assistants, pre-promotion training for SC/ST/OBC employees apart from regular training programs in technical, IT and HR. For the first time, RTC initiated Pre-recruitment Training for SC / ST / OBC candidates appearing for the Direct Recruit Officers Examination. Following data summarizes the training activities of our 24 Regional Training Centers in 2017-18:-

### NATIONAL INSURANCE ACADEMY

NIA is a premier institute in the field of insurance education, training and research. During the year 2017-18, 511 officers were imparted training at NIA in their various training programs including technical, HR, Marketing, Information technology, Accounts, etc. The training for Retiring Executives conducted by NIA is utilized by the Company for the officers from Scale IV to Scale VII. The details of NIA training are as under:





प्रतियोगियों की कुल संख्या TOTAL NO. OF PARTICIPANTS	अनु. जा. SC	अनु.ज.जा. ST	अ.पि.व. OBC	सामान्य GEN	महिला FEMALE	पुरुष MALE
511	110	78	56	303	104	473

कॉर्पोरेट स्तर से प्रशिक्षण पहल: –

- नए प्रचारित स्केल वी अधिकारियों के लिए संक्रमणकालीन प्रशिक्षण
- स्केल III और IV के लिए दृष्टि प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- स्केल I से IV और कक्षा III के लिए एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग
- स्केल I अधिकारियों के लिए पूर्व भर्ती प्रशिक्षण
- सहायक के लिए प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम
- कर्मचारियों को एंटी मनी लॉडरिंग प्रशिक्षण।
- सभी एससी/एसटी/ओबीसी को पूर्व-पदोन्नति प्रशिक्षण

2017-18 के दौरान प्रशिक्षित कर्मचारियों का समेकित विवरण निम्नानुसार है: –

ट्रेनिंग सेंटर	प्रशिक्षकों / कर्मचारियों की संख्या प्रशिक्षित
राष्ट्रीय बीमा अकादमी	511
ओएसटीसी फरीदाबाद	1933
ओएसटीसी चेन्नई	172
आरटीसी	4609
कुल	7225

### फसल बीमा

प्रधान मंत्री फासल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना केंद्र सरकार की प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को फसल हानि / अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न होने वाली क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के माध्यम से कृषि में सतत उत्पादन का समर्थन करना है। किसानों की आय, किसानों को आधुनिक और अभिनव कृषि प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, कृषि क्षेत्र को ऋण प्रवाह सुनिश्चित करती है जिससे खाद्य सुरक्षा और फसलों के विविधीकरण और कृषि क्षेत्र की वृद्धि होती है।

हमारी कंपनी 02.06.2017 को पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआईएस के कार्यान्वयन के लिए तैयार की गई थी। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, कंपनी ने वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 6.58 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष कारोबार के मुकाबले 521 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष फसल बीमा कारोबार किया है। सह-बीमा (आने वाली और जाने वाली) सहित 2017-18 के लिए कुल प्रीमियम रुपये 825.22 करोड़ है।

### Training initiatives from Corporate Level:-

- Transitional Training for Newly promoted Scale V officers
- Vision Training program for Scale III and IV.
- Advance Excel Training for Scale I to IV and Class III
- Pre- recruitment training for scale I officers
- Induction training program for Assistant
- Anti money laundering training to employees.
- Pre- promotion training to all SC/ST/OBC

The consolidated details of the employees trained during 2017-18 are as under:-

TRAINING CENTRES	NUMBERS OF OFFICERS/ EMPLOYEES TRAINED
NATIONAL INSURANCE ACADEMY	511
OSTC FARIDABAD	1933
OSTC CHENNAI	172
RTC	4609
<b>TOTAL</b>	<b>7225</b>

### Crop Insurance

The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana and the Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme are the flagship scheme of the Central Government which aims at supporting sustainable production in agriculture by way of providing financial support to farmers suffering crop loss/damage arising out of unforeseen events, stabilizing the income of farmers, encouraging farmers to adopt modern and innovative agricultural practices, ensuring flow of credit to the agricultural sector leading to food security and diversification of crops and growth of the agricultural sector.

Our Company was empanelled for implementation of PMFBY and RWBCIS on 02. 06. 2017. During the FY 2017-18, the Company has done direct Crop Insurance business of Rs.521 Crores against the direct business of Rs.6.58 Crores during the FY 2016-17. The total premium for 2017-18 inclusive of Co-insurance (incoming and outgoing) is Rs. 825.22 Crores.





हमारे पास एक भौगोलिक स्थिति समस्त भारत जैसे उत्तर में जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड राज्य, पूर्व में झारखंड और असम राज्य, पश्चिम में महाराष्ट्र राज्य और दक्षिण में कर्नाटक राज्य के खरीफ और रबी दोनों मौसमों की फसल को कवर करते हुए संतुलित पोर्टफोलियो है। हमने झारखंड राज्य के साथ 5,64,099 ऋणी किसानों और 16,07,891 गैर ऋणी किसानों को देश में गैर ऋण नामांकन में अग्रणी बनाया। हमारे द्वारा बीमा किए तथा बोए गए कुल क्षेत्र 11,52,833 हेक्टेयर थे।

आने वाले सालों में हम देश और हमारे किसान भाइयों की सेवा करने के उद्देश्य से 'आखिरी तक' उद्देश्य प्राप्त करने के उद्देश्य से आने वाले वर्षों में व्यापार की इस पंक्ति में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार हैं।

We had a well balanced portfolio with a geographical spread pan India in the States of Jammu & Kashmir and Uttarakhand in the North, Jharkhand and Assam in the East, Maharashtra in the West and Karnataka in the South covering both Kharif and Rabi seasons. We covered 5,64,099 Loanee Farmers and 16,07,891 Non Loanee Farmers with the State of Jharkhand leading in Non Loanee enrollment in the country. The total sown area insured by us was 11,52,833 Hectares.

We are poised at taking a big leap into this line of business in the coming years with the aim of serving the nation and our farmer brethren to achieve the objective of "unto the last".







**रश्मि बाजपेयी**  
**कंपनी सचिव और उप महाप्रबंधक**  
**RASHMI BAJPAI**

**COMPANY SECRETARY & DEPUTY GENERAL MANAGER**

**निगम से संबंधित शासन प्रणाली**

**1. शासन संहिता पर कंपनी का दर्शन**

हम ओरिएंटल में विश्वास करते हैं कि अच्छी कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाएं कंपनी के पूरे दौर के विकास के लिए सबसे अच्छी सामग्री हैं जो न केवल शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करेगी बल्कि संगठन के निरंतर और दीर्घकालिक विकास भी बनाएगी। निदेशक मंडल कॉर्पोरेट प्रशासन के उच्चतम मानकों को प्राप्त करने में नैतिक मूल्यों और उच्च नैतिक मानकों में विश्वास करता है।

कंपनी ने 18 मई, 2016 के आईआरडीए/एफएंडए/जीडीएल/सीजी/100/05/2016 के माध्यम से आईआरडीएआई द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर संशोधित दिशानिर्देश अपनाए हैं।

कंपनी न केवल कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वैधानिक आवश्यकताओं

**Corporate Governance**

**1. Company's philosophy on Code of Governance**

We at "Oriental" believe that good Corporate Governance practices are the best ingredients for all round development of the Company which would not only maximize the shareholders value but would also have sustained and long lasting development of the organization. The Board of Directors believes in ethical values and high moral standards in achieving the highest standards of Corporate Governance.

The Company has adopted Revised Guidelines on Corporate Governance issued by IRDAI vide its circular ref: IRDA/F&A/GDL/CG/100/05/2016 dated 18<sup>th</sup> May, 2016.

The Company not only complies with statutory





का अनुपालन करती है बल्कि अपने हितधारकों यानी शेयरधारकों, ग्राहकों, सरकार और जनता के हितों को सर्वोत्तम तरीके से पूरा करने के लिए स्वेच्छा से कॉर्पोरेट शासन के सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करने का प्रयास करती है।

कंपनी ने समय-समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 के सभी लागू प्रावधानों का पालन करने के लिए अपने स्वयं के अनुपालन मैनुअल को तैयार और अद्यतन किया है। भारत के कंपनी सचिवों द्वारा जारी बोर्ड और सामान्य बैठक के लिए संशोधित सचिवीय मानकों के सभी प्रावधानों का भी पालन किया जा रहा है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 के अनुसार, वित्त वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी का सचिवालय लेखा परीक्षा मैसर्स नीलम गुप्ता एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा आयोजित की गई थी। उनकी रिपोर्ट बोर्ड की रिपोर्ट से जुड़ी हुई है।

## 2. निदेशक मंडल

कंपनी की 100% पेड-अप शेयर पूंजी केंद्र सरकार द्वारा ग्रहण की जाती है और कंपनी के बोर्ड पर निदेशक केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वर्तमान में, बोर्ड में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और छह निदेशक शामिल हैं।

### 2.1 निदेशकों के विवरण

निदेशकों के विवरण संलग्न हैं:

## 3. बोर्ड और समिति मीटिंग्स

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बोर्ड के निदेशक मंडल / समिति की बैठकें नीचे दी गई थीं:

बोर्ड बैठक BOARD MEETING	AUDIT COMMITTEE	लेखा परीक्षा समिति INVESTMENT COMMITTEE	सीएसआर समिति CSR COMMITTEE	जोखिम प्रबंधन समिति RISK MANAGEMENT COMMITTEE	पॉलिसीधारक के सुरक्षा समिति POLICYHOLDER'S PROTECTION COMMITTEE	संपत्ति समीक्षा समिति PROPERTY REVIEW COMMITTEE	आईटी कमेटी IT COMMITTEE	मुआवजा समिति REMUNERATION COMMITTEE	अपील और मेमोरियल APPEAL & MEMORIAL
				28.04.2017	28.04.2017	28.04.2017	28.04.2017		
05.05.2017	05.05.2017	05.05.2017	05.05.2017						
14.06.2017	14.06.2017								
				27.07.2017	27.07.2017	27.07.2017	27.07.2017		
10.08.2017	10.08.2017	10.08.2017	10.08.2017						
25.09.2017	25.09.2017								
				09.11.2017	09.11.2017	09.11.2017	09.11.2017		
13.11.2017	13.11.2017	13.11.2017	13.11.2017					13.11.2017	13.11.2017
11.01.2018	11.01.2018	11.01.2018	11.01.2018						
12.02.2018	12.02.2018			12.02.2018	12.02.2018	12.02.2018	12.02.2018		

requirements of Corporate Governance but shall also earnestly attempts to follow voluntarily the best practices of Corporate Governance in order to serve the interests of its stakeholders i.e. Shareholders, Customers, Government and Public at large, in best possible manner.

The Company had prepared and updated its own compliance manual to ensure that all the applicable provisions of Companies Act, 2013 as amended from time to time are complied with. All the provisions of Revised Secretarial Standards for Board & General Meetings issued by The Institute of Company Secretaries of India are also being complied with. In accordance with section 203 of the Companies Act, 2013, the Secretarial Audit of the Company for the FY 2017-18 was conducted by M/s. Neelam Gupta & Associates, Practicing Company Secretaries. Their report is annexed to the Board's report.

## 2. Board of Directors

The 100% paid-up share capital of the Company is held by the Central Government and the Directors on the Board of the Company are appointed by the Central Government. Presently, the Board comprises of the Chairman-cum-Managing Director and six Directors.

### 2.1 Particulars of Directors

The particulars of Directors are annexed:

## 3. Board and Committee Meetings

During the year under review, the Meetings of the Board of Directors / Committee of the Board were held as detailed below:





#### 4. निदेशकों की समितियां (31.3.2018 को)

##### 4.1 बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

31 मार्च, 2018 तक बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति में निम्न निदेशकों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया था:

1. डॉ एन श्रीनिवास राव, आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय,
2. श्री मिलिंद खरात, गैर-अधिकारी निदेशक, और
3. श्री असीम चावला, गैर-अधिकारी निदेशक

लेखापरीक्षा समिति के कार्यों में तिमाही, अर्धवार्षिक और वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का अनुपालन, सिस्टम की समीक्षा और कंपनी के बाद की प्रक्रियाओं और समय-समय पर कंपनी अधिनियम के तहत दिए जाने वाले अतिरिक्त कार्यों की समीक्षा शामिल है।

##### 4.2 बोर्ड की निवेश समिति

बोर्ड के निवेश समिति ने 31 मार्च, 2018 को अपने सदस्यों के रूप में निम्नलिखित शामिल किया था:

1. श्री ए वी गिरिजाकुमार, सीएमडी,
2. डॉ एन श्रीनिवास राव, आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय
3. श्री पी नायक, गैर-अधिकारी निदेशक
4. श्री वी. ई. कैमल, पूरे समय के निदेशक और महाप्रबंधक
5. श्री अतुल जेरथ, महाप्रबंधक (निवेश संचालन)
6. श्री सौम्य मुखर्जी, मुख्य जोखिम अधिकारी और महाप्रबंधक
7. श्री साकेत सिंघल, नियुक्त अभ्यारण्य

निवेश समिति का मुख्य कार्य बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश नीति को लागू करना है और समय-समय पर निवेश प्रस्ताव को मंजूरी देना है।

##### 4.3 बोर्ड की अपील और मेमोरियल कमेटी

31 मार्च, 2018 तक बोर्ड की अपील और स्मारक समिति में निम्नलिखित निदेशकों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया था:

1. डॉ एन श्रीनिवास राव, आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय,
2. सुश्री मुदिता मिश्रा, निदेशक, वित्त मंत्रालय
3. श्री मिलिंद खरात, गैर-अधिकारी निदेशक, और
4. श्री असीम चावला, गैर-अधिकारी निदेशक

#### 4. Committees of Directors (as on 31.3.2018)

##### 4.1 Audit Committee of the Board

The Audit Committee of the Board as on 31<sup>st</sup> March, 2018 consisted of the following Directors as Members:

1. Dr. N. Srinivasa Rao, Economic Advisor, Ministry of Finance,
2. Shri Milind Kharat, Non-Officio Director, and
3. Shri Aseem Chawla, Non-Officio Director

The functions of Audit Committee includes review of quarterly, half yearly and annual financial statements, compliance of internal control systems, review of systems and procedures followed by the Company and such additional functions as may be assigned under The Companies Act from time to time.

##### 4.2 Investment Committee of the Board

The Investment Committee of the Board as on 31<sup>st</sup> March, 2018 consisted of following as its Members:

1. Shri A. V. Girijakumar, CMD,
2. Dr. N. Srinivasa Rao, Economic Advisor, Ministry of Finance
3. Shri P. Nayak, Non-Officio Director
4. Shri V. E. Kaimal, Whole-time Director & General Manager
5. Shri Atul Jerath, General Manager (Investment Operations)
6. Shri Soumya Mukherjee, Chief Risk Officer & General Manager
7. Shri Saket Singhal, Appointed Actuary

The main functions of the Investment Committee are to implement the Investment Policy as approved by the Board and clear the Investment proposal from time to time.

##### 4.3 Appeal and Memorial Committee of the Board

The Appeal & Memorial Committee of the Board as on 31<sup>st</sup> March, 2018 consisted of the following Directors as Members:

1. Dr. N. Srinivasa Rao, Economic Advisor, Ministry of Finance,
2. Ms. Mudita Mishra, Director, Ministry of Finance
3. Shri Milind Kharat, Non-Officio Director, and
4. Shri Aseem Chawla, Non-Officio Director





बोर्ड की उप-समिति को अपीलीय प्राधिकरण और कर्मचारियों / मामलों की कुछ श्रेणियों के लिए स्मारक प्राधिकरण के रूप में निर्धारित किया गया है। उप-समिति का गठन सामान्य बीमा (आचरण, अनुशासन और अपील) नियम, 1975 के संशोधन के परिणामस्वरूप किया गया था जिसे 23.12.2004 को आयोजित 351 वीं बोर्ड मीटिंग में विधिवत अनुमोदित किया गया था। सामान्य बीमा (आचरण, अनुशासन और अपील) नियम, 1975 को अब ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी (आचरण, अनुशासन और अपील) नियम, 2014 के साथ बदल दिया गया है जो 24/04/2014 को आयोजित 419वीं बोर्ड मीटिंग में अनुमोदित है।

#### 4.4 बोर्ड की पारिश्रमिक समिति

बोर्ड के पारिश्रमिक समिति ने 31 मार्च, 2018 को निम्नलिखित निदेशकों को सदस्यों के रूप में शामिल किया था:

1. डॉ एन श्रीनिवास राव, आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय,
2. सुश्री मुदित मिश्रा, निदेशक, वित्त मंत्रालय
3. श्री मिलिंद खरात, गैर-अधिकारी निदेशक,
4. श्री पी नायक, गैर-अधिकारी निदेशक, और
5. श्री असीम चावला, गैर-अधिकारी निदेशक

प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) के भुगतान के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्देशित पत्र सं. F-No-S-11012/01/2007-Ins-III दिनांक 20 जुलाई, 2007, रेफरी के माध्यम से अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए पारिश्रमिक समिति गठित की गई थी।।

#### 4.5 बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति

31 मार्च, 2018 तक बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति में निम्न निदेशकों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया था:

1. श्री ए वी गिरिजाकुमार, सीएमडी,
2. डॉ एन श्रीनिवास राव, आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय,
3. श्री मिलिंद खरात, गैर-अधिकारी निदेशक, और
4. श्री असीम चावला, गैर-अधिकारी निदेशक

जोखिम प्रबंधन समिति का गठन आईआरडीएआई द्वारा जारी किए गए कॉर्पोरेट शासन पर दिशानिर्देशों के अनुसार गठित किया गया था, इसके परिपत्र रेफरी आईआरडीए/एफएंडए/सीआईआर/025/2009-10 दिनांक 5 अगस्त, 2009।

The sub-committee of the Board has been prescribed as the Appellate Authority and the Authority for Memorial for certain categories of employees / cases. The Sub-committee was constituted consequent upon the amendment of General Insurance (Conduct, Discipline & Appeal) Rules, 1975 which was duly approved in the 351<sup>st</sup> Board Meeting held on 23.12.2004. The General Insurance (Conduct, Discipline & Appeal) Rules, 1975 is now replaced with The Oriental Insurance Company (Conduct, Discipline & Appeal) Rules, 2014 duly approved in the 419<sup>th</sup> Board Meeting held on 24/04/2014.

#### 4.4 Remuneration Committee of the Board

The Remuneration Committee of the Board as on 31<sup>st</sup> March, 2018 consisted of the following Directors as Members:

1. Dr. N. Srinivasa Rao, Economic Advisor, Ministry of Finance,
2. Ms. Mudita Mishra, Director, Ministry of Finance
3. Shri Milind Kharat, Non-Officio Director,
4. Shri P. Nayak, Non-Officio Director, and
5. Shri Aseem Chawla, Non-Officio Director

The Remuneration Committee was constituted to evaluate performance of the Chairman-cum-Managing Director, for payment of Performance Linked Incentive (PLI) as directed by The Department of Financial Services, Ministry of Finance, vide letter Ref. No. F.No.S-11012/01/2007-Ins.III dated 20<sup>th</sup> July, 2007.

#### 4.5 Risk Management Committee of the Board

The Risk Management Committee of the Board as on 31<sup>st</sup> March, 2018 consisted of the following Directors as Members:

1. Shri A. V. Girijakumar, CMD,
2. Dr. N. Srinivasa Rao, Economic Advisor, Ministry of Finance,
3. Shri Milind Kharat, Non-Officio Director, and
4. Shri Aseem Chawla, Non-Officio Director

The Risk Management Committee was constituted in accordance with the guidelines on Corporate Governance issued by IRDAI vide its circular ref: IRDA/F&A/CIR/025/2009-10 dated 5<sup>th</sup> August, 2009.







#### 4.6 बोर्ड की पॉलिसीधारक की सुरक्षा समिति

31 मार्च, 2018 तक बोर्ड की पॉलिसीधारक की सुरक्षा समिति में निम्न निदेशकों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया था:

1. श्री ए वी गिरिजाकुमार, सीएमडी,
2. श्री मिलिंद खरात, गैर-अधिकारी निदेशक,
3. श्री पी नायक, गैर-अधिकारी निदेशक, और
4. श्री असीम चावला, गैर-अधिकारी निदेशक

पॉलिसीधारक की सुरक्षा समिति का गठन आईआरडीएआई द्वारा जारी किए गए कॉर्पोरेट शासन पर दिशानिर्देशों के अनुसार गठित किया गया था, इसके परिपत्र रेफरी: आईआरडीए/एफएंडए/सीआईआर/025/2009-10 दिनांक 5 अगस्त, 2009।

#### 4.7 बोर्ड की आईटी कमेटी

31 मार्च, 2018 तक बोर्ड की आईटी कमेटी ने निम्न निदेशकों को सदस्यों के रूप में शामिल किया था:

1. श्री ए वी गिरिजाकुमार, सीएमडी,
2. श्री मिलिंद खरात, गैर-अधिकारी निदेशक,
3. श्री असीम चावला, गैर-अधिकारी निदेशक, और
4. श्री अनिल श्रीवास्तव, महाप्रबंधक (आईटी)

समिति का गठन कंपनी के आईटी पहलों पर अधिक ध्यान देने के लिए किया गया था और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आईटी पहल व्यावसायिक उद्देश्यों के अनुरूप हैं।

#### 4.8 बोर्ड की संपत्ति समीक्षा समिति

बोर्ड की संपत्ति समीक्षा समिति का गठन वित्त मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के संदर्भ में किया गया था और 31 मार्च, 2018 तक निम्नलिखित निदेशकों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया था:

1. श्री ए वी गिरिजाकुमार, सीएमडी,
2. श्री मिलिंद खरात, गैर-अधिकारी निदेशक, और
3. श्री पी नायक, गैर-अधिकारी निदेशक

कंपनी और अन्य एस्टेट संबंधित मामलों द्वारा आयोजित संपत्तियों के मामलों की समीक्षा के लिए समिति गठित की गई थी

#### 4.6 Policyholder's Protection Committee of the Board

The Policyholder's Protection Committee of the Board as on 31<sup>st</sup> March, 2018 consisted of the following Directors as Members:

1. Shri A. V. Girijakumar, CMD,
2. Shri Milind Kharat, Non-Officio Director,
3. Shri P. Nayak, Non-Officio Director, and
4. Shri Aseem Chawla, Non-Officio Director

The Policyholder's Protection Committee was constituted in accordance with the guidelines on Corporate Governance issued by IRDAI vide its circular ref: IRDA/F&A/CIR/025/2009-10 dated 5<sup>th</sup> August, 2009.

#### 4.7 IT Committee of the Board

The IT Committee of the Board as on 31<sup>st</sup> March, 2018 consisted of the following Directors as Members:

1. Shri A. V. Girijakumar, CMD,
2. Shri Milind Kharat, Non-Officio Director,
3. Shri Aseem Chawla, Non-Officio Director, and
4. Shri Anil Srivastava, General Manager (IT)

The Committee was constituted to lend more focus to the IT initiatives of the Company and also to ensure that the IT initiatives are in tune with the business objectives.

#### 4.8 Property Review Committee of the Board

The Property Review Committee of the Board was constituted in terms of the directives received from Ministry of Finance and as on 31<sup>st</sup> March, 2018 consisted of the following Directors as Members:

1. Shri A. V. Girijakumar, CMD,
2. Shri Milind Kharat, Non-Officio Director, and
3. Shri P. Nayak, Non-Officio Director

The Committee was constituted to review the matters of properties held by the Company and other Estate related Matters







#### 4.9 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी

बोर्ड की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी गजेट अधिसूचना सं. जी एसआर 129 (ई) और 31 मार्च, 2018 के तहत अधिसूचित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के संदर्भ में गठित की गई थी। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी 27 फरवरी, 2014 को निम्नलिखित निदेशकों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया था:

1. श्री ए वी गिरिजाकुमार, सीएमडी,
2. डॉ एन श्रीनिवास राव, आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय, और
3. सुश्री मुदित मिश्रा, निदेशक, वित्त मंत्रालय

समिति का गठन कंपनी की सीएसआर नीति को मंजूरी देने और इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था।

#### 5. निदेशकों का पारिश्रमिक

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को भारत सरकार द्वारा तय वेतन / पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है और कार्यकारी निदेशकों को उनके वेतनमान के अनुसार वेतन / पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। पार्ट-टाइम गैर-अधिकारियों के निदेशकों को उनके द्वारा उपस्थित बैठकों के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैठे शुल्क का भुगतान किया गया था। सीएमडी, पूरे समय के निदेशकों, बैंक निदेशक और भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले उम्मीदवारों को कोई भी शुल्क नहीं देय है।

#### 6. कुंजी प्रबंधकीय कार्मिक

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 203 (1) के अनुसार कंपनियों के नियम 8 (प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम 2014 के साथ पढ़ा गया है, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का विवरण निम्नानुसार है:

1. श्री ए वी गिरिजाकुमार, सीएमडी (31.05.2017 से)
2. श्री सुजय बनर्जी, पूर्णकालिक निदेशक (11.8.2016 से 31.05.2017 तक)
3. श्रीमती रश्मि बाजपेयी, कंपनी सचिव (20.08.2007 से)
4. श्री वी. ई. कैमल, पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी (01.04.2017 से 31.12.2017 तक) और
5. श्री अजय गुप्ता, डीजीएम और मुख्य वित्तीय अधिकारी (11.01.2018 से)

#### 4.9 Corporate Social Responsibility Committee

The Corporate Social Responsibility Committee of the Board was constituted in terms of the Section 135 of Companies Act 2013 notified vide Gazette notification no. G. S. R. 129 (E) dated 27<sup>th</sup> February, 2014 issued by Ministry of Corporate Affairs and as on 31<sup>st</sup> March, 2018 consisted of the following Directors as Members:

1. Shri A. V. Girijakumar, CMD,
2. Dr. N. Srinivasa Rao, Economic Advisor, Ministry of Finance, and
3. Ms. Mudita Mishra, Director, Ministry of Finance

The Committee was constituted to approve the CSR Policy of the Company and ensure its implementation.

#### 5. Remuneration of Directors

The Chairman & Managing Director is paid salary / remuneration as fixed by the Government of India and the Executive Directors are paid salary / remuneration as per their scale of pay. The Part-time Non-Officio directors were paid sitting fee in accordance with guidelines issued by ministry of finance for the Meetings attended by them. No sitting fees is payable to CMD, Whole-time Directors, Bank-Director and nominees representing Government of India.

#### 6. Key Managerial Personnel

Pursuant to Section 203(1) of the Companies Act 2013 read with Rule 8 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial personnel) Rule 2014, the details of Key Managerial Personnel are as follows;

1. Shri A. V. Girijakumar, CMD (from 31.05.2017)
2. Shri Sujay Banarji, Whole-time Director (from 11.8.2016 to 31.05.2017),
3. Mrs. Rashmi Bajpai, Company Secretary (from 20.08.2007)
4. Shri V. E. Kaimal, Whole-time Director & Chief Financial Officer (from 01.04.2017 to 31.12.2017) and
5. Shri Ajay Gupta, DGM & Chief Financial Officer (from 11.01.2018)





## 7. व्हीसल ब्लोअर पॉलिसी

कंपनी की व्हीसल ब्लोअर पॉलिसी को आईआरडीएआई द्वारा जारी किए गए कॉर्पोरेट गवर्नंस के दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधित किया गया था, इसके परिपत्र रेफरी: आईआरडीए / एफएंडए / जीडीएल / सीजी / 100/05/2016 दिनांक 18 मई, 2016 और बोर्ड द्वारा अनुमोदित 13 फरवरी, 2017 को आयोजित 434वीं बैठक में।

## 8. संबंधित पार्टी लेनदेन नीति

कंपनी की संबंधित पार्टी लेनदेन नीति को आईआरडीएआई द्वारा जारी किए गए कॉर्पोरेट शासन पर दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किया गया था, इसके परिपत्र रेफरी: आईआरडीए / एफएंडए / जीडीएल / सीजी / 100/05/2016 दिनांक 18 मई, 2016 और बोर्ड द्वारा अनुमोदित 13 फरवरी, 2017 को आयोजित 434 वीं बैठक में।

## 8. सामान्य बैठक

कंपनी की अंतिम तीन वार्षिक जनरल बॉडी मीटिंग्स कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में ए -25/27, असफ अली रोड, नई दिल्ली में निम्नलिखित तिथियों पर आयोजित की गई थीं:

25 सितंबर, 2017

11 अगस्त, 2016

1 9 अगस्त, 2015

## ‘कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए प्रमाणन’

मैं, रश्मि बाजपेयी इस प्रकार प्रमाणित करते हैं कि ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने समय-समय पर संशोधित बीमा कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों का पालन किया है और कुछ भी छुपाया या दबाया नहीं गया है।

हस्ता/-  
रश्मि बाजपेयी  
कंपनी सचिव

## 7. Whistle Blower Policy

The Whistle Blower Policy of the Company was revised in accordance with the the guidelines on Corporate Governance issued by IRDAI vide its circular ref: IRDA/F&A/GDL/CG/100/05/2016 dated 18<sup>th</sup> May, 2016 and got approved by the Board in its 434<sup>th</sup> Meeting held on 13<sup>th</sup> February, 2017.

## 8. Related Party Transactions Policy

The Related Party Transactions Policy of the Company was drafted in accordance with the guidelines on Corporate Governance issued by IRDAI vide its circular ref: IRDA/F&A/GDL/CG/100/05/2016 dated 18<sup>th</sup> May, 2016 and got approved by the Board in its 434<sup>th</sup> Meeting held on 13<sup>th</sup> February, 2017.

## 8. General Body Meeting

The last three Annual General Body Meetings of the Company were held at the Registered Office of the Company, at A-25/27, Asaf Ali Road, New Delhi on the following dates:

25<sup>th</sup> September, 2017

11<sup>th</sup> August, 2016

19<sup>th</sup> August, 2015

## “Certification for compliance of the Corporate Governance Guidelines”

I, RASHMI BAJPAI hereby certify that The Oriental Insurance Company Limited has complied with the corporate governance guidelines for Insurance Companies as amended from time to time and nothing has been concealed or suppressed.

Sd/-

RASHMI BAJPAI  
COMPANY SECRETARY





निदेशकों के विवरण (17.05.2018 को)

क्र.सं.	निदेशक का नाम	योग्यता	निदेशालय की श्रेणी	ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में समितियों की सदस्यता	अन्य संगठनों में निदेशालय
1	श्री ए वी गिरिजाकुमार	बी कॉम, एमबीए, एआईआईआई	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	1) निवेश समिति 2) जोखिम प्रबंधन समिति 3) पॉलिसीधारक की सुरक्षा समिति 4) संपत्ति समीक्षा समिति 5) आईटी कमेटी 6) सीएसआर समिति	1) स्वास्थ्य बीमा टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड 2) कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड लिमिटेड 3) इंडिया इंटरनेशनल इश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर 4) जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
2	श्री मुकेश कुमार जैन	बी कॉम (ऑनर्स), अंतर्राष्ट्रीय व्यापार / व्यापार / वाणिज्य में स्नातकोत्तर, सीए,	गैर आधिकारिक निदेशक	1) लेखा परीक्षा समिति 2) निवेश समिति 3) अपील और मेमोरियल कमेटी 4) पारिश्रमिक समिति 5) सीएसआर समिति	1) ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 2) कैनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इश्योरेंस कंपनी लि
3	डॉ एन श्रीनिवास राव	बी कॉम, एमए (इको., पीएच.डी.)	सरकारी नामांकित निदेशक	1) निवेश समिति 2) लेखा परीक्षा समिति 3) जोखिम प्रबंधन समिति 4) पारिश्रमिक समिति 5) सीएसआर समिति 6) अपील और मेमोरियल कमेटी	1) विजया बैंक 2) भारत के कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड 3) औद्योगिक निवेश बैंक ऑफ इंडिया 4) बीमा सलाहकार समिति, आईआरडीएआई (सदस्य) 5) भारत के अधिनियम (सदस्य) संस्थान।
4	सुश्री मुदित मिश्रा	बीई, एमबीए	सरकारी नामांकित निदेशक	1) अपील और मेमोरियल कमेटी 2) सीएसआर समिति 3) पारिश्रमिक समिति	1) इंडियन बैंक
5	श्री पंचानन नायक	बी एससी. (ऑनर्स), एआईआईआई	गैर आधिकारिक निदेशक	1) निवेश समिति 2) अपील और मेमोरियल कमेटी 3) पारिश्रमिक समिति 4) संपत्ति समीक्षा समिति 5) पॉलिसीधारक के संरक्षण समिति	
6	श्री असीम चावला	बी कॉम (ऑनर्स), एफसीए, एलएलबी, टीईपी	गैर आधिकारिक निदेशक	1) लेखा परीक्षा समिति 2) पारिश्रमिक समिति 3) आईटी कमेटी 4) पॉलिसी धारक संरक्षण समिति 5) जोखिम प्रबंधन समिति	1) एक्सप्लोरो परामर्श प्रा। लिमिटेड 2) एएससी कानूनी सॉलिसिटर और वकील (मालिक)
7	श्री बलवंत सिंह	बी कॉम (ऑनर्स.), एआईआईआई	पूर्णकालीन निदेशक	1) निवेश समिति 2) सीएसआर समिति 3) आईटी कमेटी 4) पॉलिसी धारक संरक्षण समिति 5) जोखिम प्रबंधन समिति 6) संपत्ति समीक्षा समिति	
<b>पूर्व (17.05.2018 को)</b>					
1	श्री जतिंदरबीर सिंह, आईएसएस (सुपरव्यूएशन प्राप्त करने पर 31.12.2017 को निदेशक बनना बंद कर दिया)	एमए (अंग्रेजी), एमबीए	पंजाब और सिंध बैंक के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	1) निवेश समिति 2) लेखा परीक्षा समिति 3) अपील और मेमोरियल कमेटी 4) पारिश्रमिक समिति 5) सीएसआर समिति	1) पंजाब और सिंध बैंक
2	श्री मिलिंद खरात (29.09.2017 को एक एक निदेशक नियुक्त और उनके ई-मेल के माध्यम से उनके इस्तीफे के परिणामस्वरूप मुंबई और गोवा के लिए बीमा लोकपाल के रूप में सेवानिवृत्ति 04.05.2018)	एमए, एलएलबी, FII	गैर आधिकारिक निदेशक	1) लेखा परीक्षा समिति 2) अपील और मेमोरियल कमेटी 3) पारिश्रमिक समिति 4) आईटी कमेटी 5) पॉलिसी धारक की सुरक्षा समिति 6) जोखिम प्रबंधन समिति 7) संपत्ति समीक्षा समिति	





क्र.सं.	निदेशक का नाम	योग्यता	निदेशालय की श्रेणी	ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में समितियों की सदस्यता	अन्य संगठनों में निदेशालय
3.	श्री सुजय बनर्जी (सुपरन्यूएशन प्राप्त करने पर 31.01.2018 को निदेशक पद मुक्त हुए)	एमए, एआईआईआई	पूर्णकालीन निदेशक	1) जोखिम प्रबंधन समिति 2) पॉलिसीधारक की सुरक्षा समिति 3) संपत्ति समीक्षा समिति 4) आईटी कमेटी 5) सीएसआर समिति 6) निवेश समिति	1) स्वास्थ्य बीमा टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड 2) कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड लिमिटेड
4.	श्री वी. ई. कैमल (सुपरन्यूएशन प्राप्त करने पर 31.12.2017 को निदेशक पद मुक्त हुए)	बी कॉम, एलएलबी	पूर्णकालीन निदेशक	1) निवेश समिति 2) संपत्ति समीक्षा समिति 3) सीएसआर समिति	

### Particulars of Directors (As on 17.05.2018)

S. No.	Name Of The Director	Qualification	Category Of Directorship	Membership of Committees in The Oriental Insurance Company Limited	Directorship in Other Organisations
1	Shri A. V. Girijakumar	B. Com, MBA, AIII	Chairman cum Managing Director	1) Investment Committee 2) Risk Management Committee 3) Policyholder's Protection Committee 4) Property Review Committee 5) IT Committee 6) CSR Committee	1) Health Insurance TPA of India Ltd. 2) Agriculture Insurance Company of India Limited 3) India International Insurance Pte Ltd., Singapore 4) GIC Housing Finance Ltd.
2	Shri Mukesh Kumar Jain	B Com (Hons), Post Graduation in International Business/Trade/ Commerce CA,	Non Official Director	1) Audit Committee 2) Investment Committee 3) Appeal & Memorial Committee 4) Remuneration Committee 5) CSR Committee	1) Oriental Bank of Commerce 2) Canara HSBC Oriental Bank Of Commerce Life Insurance Company Ltd
3	Dr. N. Srinivasa Rao	B.Com, MA (Eco.), Ph.D	Government Nominee Director	1) Investment Committee 2) Audit Committee 3) Risk Management Committee 4) Remuneration Committee 5) CSR Committee 6) Appeal & Memorial Committee	1) Vijaya Bank 2) Agriculture Insurance Co. of India Ltd 3) Industrial Investment Bank of India 4) Insurance Advisory Committee, IRDAI ( Member) 5) Institute of Actuaries of India (Member).
4	Ms. Mudita Mishra	BE, MBA	Government Nominee Director	1) Appeal & Memorial Committee 2) CSR Committee 3) Remuneration Committee	1) Indian Bank
5.	Shri Panchanan Nayak	B. SC. (Hons.), AIII	Non Official Director	1) Investment Committee 2) Appeal & Memorial Committee 3) Remuneration Committee 4) Property Review Committee 5) Policyholder's Protection Committee	
6.	Shri Aseem Chawla	B. Com (Hons.), FCA, LL. B., TEP	Non Official Director	1) Audit Committee 2) Remuneration Committee 3) IT Committee 4) Policy Holders Protection Committee 5) Risk Management Committee	1) Explico Consulting Pvt. Ltd 2) ASC Legal Solicitors & Advocates (Proprietor)





S. No.	Name Of The Director	Qualification	Category Of Directorship	Membership of Committees in The Oriental Insurance Company Limited	Directorship in Other Organisations
7.	Shri Balwant Singh	B. Com (Hons.), AIII	Whole Time Director	1) Investment Committee 2) CSR Committee 3) IT Committee 4) Policy Holders Protection Committee 5) Risk Management Committee 6) Property Review Committee	
<b>Past (As on 17.05.2018)</b>					
1	Shri Jatinderbir Singh, IAS (ceased to be a Director on 31.12.2017 on attaining superannuation)	MA (English), MBA	Chairman cum Managing Director, Punjab & Sind Bank	1) Investment Committee 2) Audit Committee 3) Appeal & Memorial Committee 4) Remuneration Committee 5) CSR Committee	1) Punjab & Sind Bank
2.	Shri Milind Kharat (Appointed on 29.09.2017 & ceased to be a Director w.e.f. 04.05.2018 on tendering his resignation vide e-mail dated 04.05.2018 consequent to his appointment as Insurance Ombudsman for Mumbai & Goa)	MA, LL.B., FIII	Non Official Director	1) Audit Committee 2) Appeal & Memorial Committee 3) Remuneration Committee 4) IT Committee 5) Policy Holder's Protection Committee 6) Risk Management Committee 7) Property Review Committee	
3.	Shri Sujay Banarji (ceased to be a Director on 31.01.2018 on attaining superannuation)	MA, AIII	Whole Time Director	1) Risk Management Committee 2) Policyholder's Protection Committee 3) Property Review Committee 4) IT Committee 5) CSR Committee 6) Investment Committee	1) Health Insurance TPA of India Limited 2) Agriculture Insurance Company of India Limited
4.	Shri V. E. Kaimal (ceased to be a Director on 31.12.2017 on attaining superannuation)	B. Com, LL.B	Whole Time Director	1) Investment Committee 2) Property Review Committee 3) CSR Committee	







## स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सदस्यों के लिए

### स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट करें

हमने मूल बीमा कंपनी लिमिटेड ('कंपनी') के साथ-साथ बैलेंस शीट के साथ-साथ बैलेंस शीट, जिसमें लाभ और हानि, राजस्व खाते और वर्ष के लिए केश फ्लो स्टेटमेंट का विवरण शामिल है, के साथ-साथ बैलेंस शीट भी शामिल है। फिर समाप्त हो गया, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश। इन वित्तीय विवरणों में हमारे द्वारा ऑडिट किए गए हेड ऑफिस का रिटर्न, 31 क्षेत्रीय कार्यालय, 1 ओएसटीसी, 361 संभागीय कार्यालय 500 शाखाओं सहित, 980 बिजनेस सेंटर, 1 विदेशी शाखा और 2 विदेशी एजेंसियों सहित विभागीय कार्यालय, सभी अपने संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित हैं। एक विदेशी रन ऑफ एजेंसी और प्रबंधन और पुनर्मिलन संधि द्वारा विधिवत प्रमाणित एक विदेशी शाखा लेखा नीति में पूर्ण प्राप्ति तक दर्शाए गए हैं।

### स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी के निदेशक मंडल इन अधिनियमीय वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में समय-समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013, बीमा अधिनियम, 1938, आईआरडीएआई विनियम 2002 की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है। जो अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानक समेत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकद प्रवाह के बारे में एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है, जो कंपनियों के नियम 7 के साथ पढ़ता है (लेखा) नियम, 2014. इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पहचानने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; निर्णय और अनुमान बनाना जो उचित और समझदार हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से परिचालन कर रहे थे, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक, जो एक वास्तविक और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और भौतिक गलती से मुक्त होते हैं चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण।

## INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT TO THE MEMBERS OF THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

### Report on the Standalone Financial Statements

We have audited the accompanying standalone financial statements of **THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED** ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31ST March, 2018, the Statement of Profit and Loss, Revenue accounts & the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information. In these financial statements are the returns of Head Office audited by us, 31 Regional Offices, 1 OSTC, 361 Divisional Offices including 500 Branches, 980 Business Centers, 1 Foreign Branch and 2 Foreign agencies, all audited by their respective Auditors. One Foreign Run off agency and one foreign branch duly certified by the Management and reinsurance treaty returns to the extent received as indicated in Accounting Policy.

### Management's Responsibility for the Standalone Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013, The Insurance Act, 1938, IRDAI Regulations 2002, as amended from time to time with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.





## लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लेखा परीक्षा के आधार पर इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करें। हमने समय-समय पर संशोधित बीमा अधिनियम 1938, आईआरडीएआई विनियमन, 2002 के प्रावधानों के साथ-साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133, लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों और मामलों में शामिल किए जाने वाले मामलों के प्रावधानों को ध्यान में रखा है। अधिनियम के प्रावधानों और नियमों के तहत लेखापरीक्षा रिपोर्ट।

हमने अधिनियम के धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा का आयोजन किया। उन मानकों की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और योजना का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि वित्तीय विवरण गलत तरीके से मुक्त हैं या नहीं।

एन लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशि और प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षकों के फैसले पर निर्भर हैं, जिसमें धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों के भौतिक गलतफहमी के जोखिमों का आकलन शामिल है। जोखिम आकलन करने में, लेखा परीक्षक वित्तीय विवरणों की कंपनी की तैयारी से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को मानता है जो परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है। एक लेखापरीक्षा में उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उचित और कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करने का भी मूल्यांकन शामिल है।

हमारा मानना है कि हमने प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के आधार के लिए पर्याप्त और उचित है।

## योग्य राय के लिए आधार

1. बीमा कारोबार पर ले जाने वाले अन्य व्यक्तियों या निकायों के कारण राशि, सीडिंग कंपनियों के साथ रिजर्व जमा, एजेंट शेष, प्रीमियम जमा और एजेंटों का प्रीमियम, सुंदरी देनदार, सुंदरी क्रेडिटर्स, अंतर-कार्यालय शेष, बैंक में अज्ञात डेबिट और क्रेडिट प्रविष्टियां खाते, कर्मचारी शेष और अग्रिम कुछ मामलों में सुलह / पुष्टि लंबित हैं (नोट नंबर 2 देखें)। 31 मार्च, 2018 तक राजस्व खातों, लाभ और हानि खाते और रिजर्व और अधिशेष पर उपर्युक्त की पुष्टि / सुलह पर समायोजन के परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, तो पता नहीं है और इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

## Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these standalone financial statements based on our audit. We have taken into account the provisions of The Insurance Act 1938, the IRDAI Regulations, 2002 as amended from time to time as well as section 133 of the Companies Act, 2013, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made there under.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the standalone financial statements.

## Basis for Qualified Opinion

1. Amount due to/from other persons or bodies carrying on Insurance business, Reserve Deposit with ceding companies, Agent balances, Premium Deposits and Agents' Premium, Sundry Debtors, Sundry Creditors, Inter-Office balances, Unidentified debit & credit entries in bank accounts, Employees Balances & Advances are pending reconciliation/confirmation in certain cases (Refer Note No.22). Consequential effect, if any, of adjustments upon confirmation/reconciliation of the above on Revenue Accounts, Profit and Loss Account and Reserves and Surplus as on 31st March, 2018, is not ascertainable and cannot be commented upon.





## योग्य राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त योग्य राय अनुच्छेद के लिए आधार में वर्णित मामलों के संभावित प्रभावों को छोड़कर, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण बीमा अधिनियम द्वारा आवश्यक जानकारी देते हैं 1938, आईआरडीएआई विनियमन, 2002, समय-समय पर संशोधित, साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अनुसार आवश्यक रूप से आवश्यक है और आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है।

- ए) 31 मार्च 2018 तक कंपनी के मामलों की बैलेंस शीट के मामले में
- बी) 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ के राजस्व खातों के मामले में।
- सी) 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लाभ के लाभ और हानि खाते के मामले में।
- डी) 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कैश फ्लो के कैश फ्लो स्टेटमेंट के मामले में।

## मामलों का जोर

हम वित्तीय विवरणों के नोट्स में निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकर्षित करते हैं:

- ए) कंपनी द्वारा समय-समय पर विभिन्न दावों को अस्वीकार कर दिया गया है। दावेदारों की इन निश्चित संख्याओं में से विभिन्न मंचों पर मुकदमा चला गया है। अगर इन मुकदमेबाजी के कारण वित्तीय विवरणों पर वित्तीय प्रभाव पड़ता है तो वित्तीय प्रभाव अनिश्चित रहता है।
- बी) पुनर्स्थापना बीमा प्रीमियम की राशि बकाया खाते पर किए गए दावों पर समान प्रभाव डालती है जिसके लिए क्वांटम अनिश्चित रहता है।
- सी) कंपनी ने माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के तहत प्रकटीकरण की आवश्यकताओं का पालन नहीं किया है। (नोट नंबर 4 देखें)
- डी) कुछ गुणों के शीर्षक दस्तावेजों की अनुपलब्धता—(नोट नंबर 21 देखें)
- ई) अचल संपत्तियों सहित फिक्स्ड एसेट्स के रिकॉर्ड्स कुछ मामलों में आवश्यक नहीं हैं और / या बनाए रखा नहीं है।
- एफ) कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली लेखा परीक्षा कवरेज और अनुपालन के क्षेत्रों में पर्याप्त मजबूती की आवश्यकता है।

## Qualified Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, the aforesaid standalone financial statements give the information required by The Insurance Act 1938, the IRDAI Regulations, 2002, as amended from time to time, as well as Section 133 of The Companies Act, 2013 in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India.

- a) In the case of Balance Sheet of the state of affairs of the company as at 31st March 2018
- b) In the case of Revenue Accounts of the profit, for the year ended 31st March 2018.
- c) In the case of Profit & Loss account of the profit for the year ended on 31st March, 2018.
- d) In the case of Cash Flow statement of the Cash Flows for the year ended on 31st March, 2018.

## Emphasis of Matters

We draw attention to the following matters in the Notes to the financial statements:

- a) Various claims have been repudiated by the company from time to time. Out of these certain numbers of claimants have gone into litigations at various forums. Financial impact if any, on the financial statements on account of these litigations remains indeterminate.
- b) Amount of reinstatement insurance premium remains unaccounted having corresponding effect on the claims incurred account for which quantum remains indeterminate.
- c) The company has not complied with the requirements of disclosure under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006. (Refer Note no.41)
- d) Non availability of title documents of certain properties – (Refer Note no. 21)
- e) Records of Fixed Assets including immovable properties are not complete and/or not maintained as required in certain cases.
- f) The Internal Audit System of the company requires substantial strengthening in the areas of audit coverage and compliance.





जी) इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए वित्तीय वक्तव्यों में शामिल विदेशी शाखाओं और एजेंसियों के रिटर्न को आम तौर पर संबंधित स्थानों / देशों में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के आधार पर संकलित किया जाता है। भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का अनुपालन इन विदेशी शाखाओं / एजेंसियों के संबंध में लंबित है, जिनके प्रभाव का पता नहीं लगाया गया है। इसके अलावा विदेशी शाखा के संबंध में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार आईआरडीएआई विनियमन 2002 के साथ पढ़ी जाने वाली जानकारी शामिल नहीं है।

एच) आरएसबीवाई का गैर प्रावधान प्राप्य प्रीमियम रु.1957 लाख – (नोट नंबर 3 देखें)

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

### अन्य मामला

हमने 31 क्षेत्रीय कार्यालयों, 1 ओएसटीसी, 361 डिवीजनल कार्यालयों सहित 500 शाखाओं, 980 व्यापार केंद्रों, 1 विदेशी शाखा और 2 विदेशी एजेंसियों के वित्तीय वक्तव्य/सूचना का लेखा परीक्षा नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी कंपनी के स्टैंडअलोन और कुल राजस्व वित्तीय विवरणों में शामिल है जो 31 मार्च, 2018 को 1968.52 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति दर्शाती है। उस तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए 11360.53 करोड़, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में दिया गया है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरण/जानकारी का लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा किया गया है जिनकी रिपोर्ट हमें दी गई है, और हमारी राय इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण का संबंध पूरी तरह से रिपोर्ट पर आधारित है।

हमारी राय इस मामले के संबंध में संशोधित नहीं है।

### अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अनुसार, हम यहां 'अनुलग्नक-ए' के साथ संलग्न हैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी उप-निर्देशों सहित दिशा-निर्देश।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) और बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरणों की तैयारी और बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) विनियमन, 2002 के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(ए) हमने योग्य राय के लिए बेसिस में वर्णित मामलों की मांग की है और छोड़कर उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है जो हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए हमारे ज्ञान और विश्वास के सर्वोत्तम थे।

g) The returns of foreign branches and agencies incorporated in the financial statements dealt with by this report, are compiled based on the accounting principles generally accepted at the respective locations/countries. Compliance of Generally Accepted Accounting Principles in India is pending in respect of these foreign branch/agencies, effect of which has not been ascertained. Further the auditor's report in respect of foreign branch do not contain the information required to be stated in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 read with IRDAI Regulations 2002.

h) Non provisioning of premium receivable of RSBY amounting to Rs. 1957 Lakhs – (Refer Note no. 39)

Our opinion is not modified in respect of these matters.

### Other Matter

We did not audit the financial statements/information of 31 Regional Offices, 1 OSTC, 361 Divisional Offices including 500 Branches, 980 business centers, 1 foreign branch and 2 foreign agencies, included in the standalone financial statements of the Company whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs. 1968.52 Crores as at 31st March, 2018 and total revenue of Rs. 11360.53 Crores for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. The financial statements/ information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these branches, is based solely on the report of such branch auditors.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

### Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by section 143(5) of the companies Act, 2013, we enclose here with in "Annexure-A", the directions including sub- directions issued by the Comptroller & Auditor General of India.
2. As required by Section 143 (3) of the Companies Act, 2013 and the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002, we report that:

(a) We have sought and except for the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.







- (बी) उपरोक्त योग्य राय अनुच्छेद के लिए आधार में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, कानून द्वारा आवश्यक खाते की उचित किताबें कंपनी द्वारा रखी गई हैं, जहां तक यह उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा से दिखाई देती है और क्षेत्रीय कार्यालयों, विभागीय कार्यालयों, शाखाओं और अन्य कार्यालयों से लेखापरीक्षित और अवांछित दोनों उचित रिटर्न, हमारे द्वारा देखे गए कार्यालयों से प्राप्त नहीं किए गए हैं, जो हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त हैं।
- (सी) विभागीय लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को समेकित क्षेत्रीय लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143 (8) के तहत लेखापरीक्षित विदेशी शाखा और विदेशी एजेंसी कार्यालयों की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और तैयारी में हमारे द्वारा उचित तरीके से निपटारा गया है इस रिपोर्ट को हमारे द्वारा आवश्यक तरीके से माना जाता है।
- (डी) बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण, राजस्व खाते और इस रिपोर्ट द्वारा निपटारा गया कैश फ्लो स्टेटमेंट खाते की किताबों और हमारे द्वारा देखे गए कार्यालयों से प्राप्त रिटर्न के साथ समझौते में है।
- (ई) हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4), बीमा नियामक और विकास अधिनियम, 1999 (1999 का 41) और कंपनी अधिनियम, 2013 की लागू सीमा तक और जिस तरह से आवश्यक है के अनुसार तैयार किए गए हैं।
- (एफ) योग्य राय के लिए बेसिस में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, कंपनियों के नियम 7 के साथ पढ़ते हैं )
- (जी) उपरोक्त योग्य राय अनुच्छेद के लिए बेसिस में वर्णित मामला, हमारी राय में, कंपनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
- (एच) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) के प्रावधान कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं। जीएसआर 463 (ई) के संदर्भ में कंपनी के निदेशकों पर लागू नहीं हैं, भारत सरकार।
- (I) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग और ऐसे नियंत्रणों की ऑपरेटिंग प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण
- (b) Except for the possible effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion Paragraph above, In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books and proper returns both audited and unaudited from regional offices, divisional offices, branches and other offices, have been received from the offices not visited by us are adequate for the purposes of our audit.
- (c) The reports of Regional Auditors consolidating the Divisional Auditors report, Reports of foreign branch and foreign agency offices , audited under Section 143 (8) of the Act by auditors have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report in the manner considered necessary by us.
- (d) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, Revenue accounts and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account and with the returns received from the offices not visited by us.
- (e) In our opinion, the aforesaid standalone financial statements have been prepared in accordance with the requirements of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), the Insurance Regulatory and Development Act, 1999 (41 of 1999) and the Companies Act, 2013 to the extent applicable and in the manner so required.
- (f) Except for the possible effects to the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, in our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014
- (g) The matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, in our opinion, may have adverse effects on the functioning of the company.
- (h) The provisions of section 164(2) of the Companies Act, 2013 are not applicable to the directors of the company in view of Notification No. GSR 463(E) dated 5th June, 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India.
- (i) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness







की पर्याप्तता के संबंध में, अनुलग्नक बी७ में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

3. अन्य मामलों के संबंध में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षकों) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दी गई स्पष्टीकरण के अनुसार:

- i. कंपनी ने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमे के प्रभाव का खुलासा किया है – वित्तीय विवरणों के लिए नोट बी -1 (सी एंड ई) देखें।
- ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंध सहित दीर्घकालिक अनुबंधों पर कोई भौतिक रूप से हानिकारक नुकसान नहीं था।
- iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी।

#### 4. विनियमों के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(ए) 'दावा किए गए दावों पर हस्ताक्षर किए गए लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए' (आईबीएनआर) के संबंध में देनदारियों का वास्तविक मूल्यांकन, 'दावा किए गए दावों पर पर्याप्त रिपोर्ट नहीं है' (आईबीएनईआर) और अन्य देनदारियों के रूप में कर्मचारी लाभों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एएस- एमसीए द्वारा अधिसूचित 15 को कंपनी के नियुक्त अभ्यारण्य और सर्वोत्तम जानकारी के लिए विधिवत प्रमाणित किया गया है और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार इस तरह के मूल्यांकन के लिए उनके द्वारा विचार की गई धारणा आईआरडीएआई और एक्ट्यूअरीअल सोसाइटी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों और मानदंडों के अनुसार है। भारत आईआरडीएआई के साथ सहमति में है।

(बी) बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधानों और आईआरडीएआई द्वारा जारी नियमों, आदेशों और निर्देशों के अनुसार निवेश का मूल्य निर्धारण किया गया है।

(सी) कंपनी द्वारा चुने गए लेखांकन नीतियां उचित हैं और इन नियमों में उल्लिखित लेखांकन सिद्धांतों के साथ लागू लेखांकन मानकों और इस ओर से प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश या दिशा के अनुपालन में हैं।

of such controls, refer to our separate Report in "Annexure B".

3. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

- i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements – Refer Note B-1 (c & e) to the financial statements.
- ii. The Company did not have any material foreseeable losses on long-term contracts including derivative contracts.
- iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

4. As required by Regulations, we report that:

(a) The actuarial valuation of liabilities in respect of "Claims Incurred but not reported"(IBNR) including "Claims incurred but not enough reported"(IBNER) and other liabilities as required for the purpose of ascertaining employee benefits in accordance with AS-15 notified by MCA are duly certified by the company's appointed actuary and to the best of information and according to the explanations given to us the assumption considered by him for such valuation is in accordance with the guidelines and norms prescribed by IRDAI and the Actuarial Society of India in concurrence with IRDAI.

(b) Investments have been valued in accordance with the provisions of Insurance Act, 1938 and the regulations, orders and directions issued by IRDAI in the regard.

(c) The accounting policies selected by the Company are appropriate and are in compliance with the applicable accounting standards and with the accounting principles, as prescribed in these Regulations or any order or direction issued by the Authority in this behalf.





**5. आईआरडीएआई नियम 2002 के अनुसार, हम इसे प्रमाणित करते हैं**

- (ए) हमने वित्तीय विवरणों से जुड़ी प्रबंधन रिपोर्ट की समीक्षा की है और प्रबंधन रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों के बीच कोई स्पष्ट गलती या भौतिक असंगतता नहीं है
- (बी) कंपनी ने प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए प्रतिनिधित्व के आधार पर बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पंजीकरण के नियमों और शर्तों का पालन किया है।
- (सी) हमने नोट संख्या 20.2 में बताई गई सीमा को छोड़कर नकद और बैंक शेष, ऋण से संबंधित प्रतिभूतियों, वास्तविक निरीक्षण द्वारा निवेश या प्रमाण पत्र के उत्पादन और/या अन्य वृत्तचित्र साक्ष्य सत्यापित किए हैं।
- (डी) कंपनी ने ट्रस्टी के रूप में किसी भी ट्रस्ट से संबंधित कोई निवेश या लेनदेन नहीं किया है, और
- (ई) हमारी सर्वोत्तम जानकारी के लिए और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी द्वारा किए गए प्रस्तावों के आधार पर, पॉलिसीधारकों के निधि की संपत्ति का कोई भी हिस्सा सीधे या परोक्ष रूप से प्रावधानों के उल्लंघन में लागू नहीं किया गया है पॉलिसीधारकों के फंड के आवेदन और निवेश से संबंधित बीमा अधिनियम, 1938।

5. As required by IRDAI regulations 2002, we certify that

- (a) We have reviewed the Management report attached with the financial statements and there are no apparent mistakes or material inconsistencies between the Management report and the financial statements
- (b) The company has complied with the terms and conditions of the registration stipulated by the Insurance Regulatory and Development Authority based on the representation provided by the Management.
- (c) We have verified cash and bank balances, securities relating to loans, investments by actual inspection or by the production of certificates and/or other documentary evidences except to the extent stated in Note No.20.2 .
- (d) The company has not undertaken any investment or transaction relating to any trust as trustee, and
- (e) To the best of our information and according to the explanation given to us and on the basis of representations made by the company, no part of the assets of the Policyholders' Funds has been directly or indirectly applied in contravention of the provisions of the Insurance Act, 1938 relating to the application and investments of the Policyholders' Fund.

एस मान एंड कं. के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
For S. MANN & CO.  
Chartered Accountants

एचके चौधरी और सीओ के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
एफआरएन नं. 000075एन  
For H.K.CHAUDHRY & CO.  
Chartered Accountants  
FRN NO. 000075N

सीए सुभाष मान  
साझेदार  
मेम्बरशिप नं. 080500  
CA SUBHASH MANN  
Partner  
M.No. 080500  
Place: New Delhi  
Dated : 17.05.2018

सीए मोनीश बावेजा  
साझेदार  
मेम्बरशिप नं. 087384  
CA MONISH BAWEJA  
Partner  
M.No. 087384





ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड  
वैधानिक को जारी निर्देशों के जवाब

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत लेखा परीक्षक

S. No.	निर्देश जारी किए गए	जबाब									
1.	क्या कंपनी के पास क्रमशः फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड के लिए स्पष्ट शीर्षक / पट्टा कार्य है। यदि नहीं, तो कृपया फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि का क्षेत्र बताएं जिसके लिए शीर्षक / पट्टा कार्य उपलब्ध नहीं हैं?	निम्नलिखित के अलावा कंपनी के पास फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड के लिए स्पष्ट शीर्षक / पट्टा दस्तावेज है।  <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>संख्या</th> <th>बुक वैल्यू</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>क) फ्रीहोल्ड संपत्ति -</td> <td>26</td> <td>₹. 591.32 लाख</td> </tr> <tr> <td>क) लीजहोल्ड संपत्ति-</td> <td>50</td> <td>₹. 95.72 लाख</td> </tr> </tbody> </table>		संख्या	बुक वैल्यू	क) फ्रीहोल्ड संपत्ति -	26	₹. 591.32 लाख	क) लीजहोल्ड संपत्ति-	50	₹. 95.72 लाख
	संख्या	बुक वैल्यू									
क) फ्रीहोल्ड संपत्ति -	26	₹. 591.32 लाख									
क) लीजहोल्ड संपत्ति-	50	₹. 95.72 लाख									
2.	कृपया रिपोर्ट करें कि ऋण / ऋण / ब्याज इत्यादि के छूट / लिखने के मामले हैं या नहीं। यदि हां, वहां के कारण और शामिल राशि।	ऋण / ऋण / ब्याज इत्यादि के छूट / लिखने के मामले निम्नानुसार हैं: - <b>अवधि ऋण:</b> रूपये के लिए छूट का 1 मामला है 1,20,990.00 <b>डिबेंचर:</b> शून्य <b>इक्विटी:</b> निवेश के 13 मामले पहले ही लिखे गए हैं। लेखांकन नीति संख्या 10.6 के अनुसार 15,82,91,939.15 <b>प्रक्रिया के कर्ता-धर्ता:</b> निवेश के 3 मामले पहले ही लिखे गए हैं। लेखांकन नीति संख्या के अनुसार 41,74,493.00। 10.6।									
3.	चाहे सरकार से उपहार के रूप में प्राप्त तृतीय पक्षों और संपत्तियों के साथ छूट बोलने वाली सूची के लिए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा जाए। या अन्य अधिकारियों।	जैसा कि हमें सूचित किया गया है, कंपनी के पास तीसरे पक्ष और सरकार से उपहार के रूप में प्राप्त संपत्तियों के साथ कोई सूची नहीं है। या अन्य अधिकारियों को बचाओ जो केवल कंपनी के कब्जे में आयोजित है। इसलिए, किसी भी अलग सूची रिकॉर्ड बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।									

Annexure- A1

ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

Replies to the Directions issued to Statutory

Auditors under section 143(5) of the Companies Act, 2013 for the Financial Year 2017-18

S. No.	Directions Issued	Reply									
1.	Whether the Company has clear title/lease deeds for freehold and leasehold respectively. If not, please state the area of freehold and leasehold land for which title/lease deeds are not available?	The company has clear title/ lease deeds for freehold & leasehold property, except the following:  <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>No.s</th> <th>Book Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) Freehold Property -</td> <td>26</td> <td>Rs. 591.32 Lacs</td> </tr> <tr> <td>b) Leasehold Property -</td> <td>50</td> <td>Rs. 95.72 Lacs</td> </tr> </tbody> </table>		No.s	Book Value	a) Freehold Property -	26	Rs. 591.32 Lacs	b) Leasehold Property -	50	Rs. 95.72 Lacs
	No.s	Book Value									
a) Freehold Property -	26	Rs. 591.32 Lacs									
b) Leasehold Property -	50	Rs. 95.72 Lacs									
2.	Please report whether there are any cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. If yes, the reasons there for and the amount involved.	The cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. are as under:- <b>Term loan:</b> There is 1 case of waiver amounting to Rs. 1,20,990.00 <b>Debenture: NIL</b> <b>Equity :</b> There are 13 cases of investment already written off amounting to Rs. 15,82,91,939.15 as per accounting policy no. 10.6. <b>Preference Shares :</b> There are 3 cases of investment already written off amounting to Rs. 41,74,493.00 as per accounting policy no. 10.6.									
3.	Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties and assets received as gift from Govt. or other authorities.	As informed to us, the company does not have any inventory lying with third party and assets received as gift from Govt. or other authorities except salvage which is held in company's possession only. Therefore, there is no need for maintaining any separate inventory records.									





**ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED**

**Replies to the Directions issued to Statutory**

**Auditors under section 143(5) of the Companies Act, 2013 for the Financial Year 2017-18**

क्र.सं.	उप-निर्देश जारी किए गए	जबाब
1.	क्या कंपनी के पास भौतिक / डीमैट फॉर्म में उपलब्ध सीजीएस / एसजीएस / बॉन्ड / डिबेंचर इत्यादि के संबंध में स्वामित्व के शीर्षक हैं और इन मामलों में से जो कंपनी की खातों की किताबों में दिखाए गए संबंधित राशियों के साथ समझौते में नहीं हैं सत्यापित किया जा सकता है और पाया गया विसंगति उचित रूप से रिपोर्ट की जा सकती है।	इक्विटी और वरीयता शेयरों के संबंध में कंपनी की खातों और संरक्षक (एसएचसीआईएल) प्रमाण पत्र की किताबों में मतभेदों का उल्लेख किया गया है: ए) अतिरिक्त (कंपनी की किताबों में) – इक्विटी शेयर –30 मामले कुल मूल्य– 3935.9 5 वरीयता शेयर– 17 मामले कुल मूल्य– रु. 26.00 बी) लघु (कंपनी की किताबों में) – इक्विटी शेयर – 6 मामले कुल मूल्य– रु.1,77,926.07 वरीयता शेयर– 1 मामला कुल मूल्य– रु. 0 सीजीएस / एसजीएस / बॉन्ड / डिबेंचर इत्यादि के संबंध में कोई विसंगतियां नहीं देखी गई।
2	क्या निवेश के सम्मान में स्टॉप लॉस सीमा निर्धारित की गई है— यदि हां, सीमा का पालन किया गया था या नहीं – यदि नहीं, विवरण दिया जा सकता है—	बोर्ड द्वारा अनुमोदित कंपनी की निवेश नीति में निवेश के संबंध में निर्धारित कोई स्टॉप लॉस सीमा नहीं है।
3.	क्या कंपनी ने अन्य पीएसयू बीमा कंपनियों के साथ अपने वित्तीय विवरणों में परिलक्षित इंटर-कंपनी शेषों के लिए सुलह अभ्यास किया है और क्या उनके द्वारा शेष राशि के लिए अन्य पीएसयू बीमा कंपनियों से पुष्टि प्राप्त की गई है।	हाँ पुष्टि की गई शेष राशि – भारत के सामान्य बीमा निगम रुपये 85, 05, 50, 522 / और (ड्रैड न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड— रुपये— 1 9 4, 32, 75, 75 9 / और (ड्रैड राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड— रुपये 67, 13, 05, 9 86 / और (ड्रैड यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रुपये 585, 07, 18, 280 / और () पुष्टिकरण शेष भारत के सामान्य बीमा निगम रुपये— 2 9 7, 78, 44, 357 / और ()) न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड— रुपये— 432, 70, 06, 206 / और ( ड्रैड राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड— रुपये 18, 04, 7 9, 485 / और ( सीआर—) यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रुपये 244, 65, 48, 004 / और ( सीआर—) बैलेंस पुष्टिकरण प्राप्त नहीं किया गया है
4(a).	यदि कंपनी प्रधान मंत्री फासल बीमा योजना में भाग ले रही है, तो यह कहा जा सकता है कि प्रीमियम और रिपोर्ट किए गए दावों के लेखांकन की विधि समझौते / योजना की शर्तों के अनुसार है।	हां, कंपनी प्रधान मंत्री फासल बीमा योजना में हिस्सा ले रही है और समझौते / योजना की शर्तों के अनुसार प्रीमियम और रिपोर्ट किए गए दावों के हिसाब से निर्देशों का पालन कर रही है।
4(b).	यदि कंपनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में भाग ले रही है, तो यह कहा जा सकता है कि प्रीमियम और रिपोर्ट किए गए दावों के लेखांकन की विधि समझौते / योजना की शर्तों के अनुसार है।	हां, कंपनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में भाग ले रही है और समझौते / योजना की शर्तों के अनुसार प्रीमियम और रिपोर्ट किए गए दावों के हिसाब से निर्देशों का पालन कर रही है।





**ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED**

**Replies to the Directions issued to Statutory**

**Auditors under section 143(5) of the Companies Act, 2013 for the Financial Year 2017-18**

S.No.	Sub-directions Issued	Reply
1.	Is the Company having number of titles of ownership in respect of CGS/SGS/Bonds/Debentures etc. available in physical/Demat form and out of these number of cases which are not in agreement with the respective amounts shown in the company's books of accounts may be verified and discrepancy found may be suitably reported.	Differences has been noted in the company's books of Accounts & the custodian's (SHCIL) certificate in respect of equity and preference shares which are as under: A) Excess (in company's books) – Equity shares-30 cases Total value- Rs.3935.95 Preference shares- 17 cases Total value- Rs. 26.00 B) Short(in company's books)- Equity Shares - 6 cases Total value- Rs. 1,77,926.07 Preference Shares- 1 case Total value- Rs. 0 No discrepancies were observed in respect of CGS/SGS/Bonds/Debentures etc.
2	Whether stop loss limits have been prescribed in Respect of the investments. If Yes, whether or not the limit was adhered to. If no, details may be given.	There is no stop loss limits prescribed in respect of the investments in the Investment Policy of the Company approved by the Board.
3.	Whether company has carried out reconciliation exercise for inter-company balances reflected in their financial statements with other PSU insurers and whether confirmation has been obtained from other PSU insurers for balances due from them.	YES <b>Confirmed balances</b> – General Insurance Corporation of India Rs. 85,05,50,522/- (Dr) New India Assurance Co Ltd. Rs. 194,32,75,759/-(Dr) National Insurance Co. Ltd. Rs. 67,13,05,986/-(Dr) United India Insurance Co. Ltd. Rs. 585,07,18,280/-(Dr) <b>Unconfirmed balances-</b> General Insurance Corporation of India Rs. 297,78,44,357/- (Dr) New India Assurance Co Ltd. Rs. 432,70,06,206/-(Dr) National Insurance Co. Ltd. Rs. 18,04,79,485/- (Cr.) United India Insurance Co. Ltd. Rs. 244,65,48,004/- (Cr.) Balance confirmation has not been obtained
4(a).	In case the company is taking part in Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, it may be stated whether method of accounting of premium and reported claims are as per the conditions of the agreement/scheme.	Yes, the company is taking part in Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana and following the instructions in accounting of premium and reported claims as per conditions of the agreement/ scheme.
4(b).	In case the company is taking part in Rashtriya Swasthya Bima Yojana , it may be stated whether method of accounting of premium and reported claims are as per the conditions of the agreement/scheme.	Yes, the company is taking part in Rashtriya Swasthya Bima Yojana and following the instructions in accounting of premium and reported claims as per conditions of the agreement/ scheme.







## अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ए -25 / 27, असफ अली रोड, दिल्ली - 110002 के खातों के लेखापरीक्षा का आयोजन किया है, जिसमें भारत के सीएंडजी द्वारा जारी दिशा-निर्देश / उप-निर्देशों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) और प्रमाणित करें कि हमने हमें जारी सभी दिशा-निर्देश / उप-निर्देशों का पालन किया है।

**एस मान एंड कं. के लिए**

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन नं. 000075एन

**एचके चौधरी और सीओ के लिए**

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन नं. 006154एन

**सीए सुभाष मान**

पार्टनर

सदस्यता संख्या 080500

**सीए मोनीश बावेजा**

पार्टनर

सदस्यता संख्या 087384

हस्ताक्षर का स्थान: नई दिल्ली

रिपोर्ट की तिथि: 17 मई, 2018

## Compliance Certificate

We have conducted the audit of accounts of **The Oriental Insurance Company Limited, A-25/27, Asaf Ali Road, Delhi – 110002** for the year ended **31 March 2018** in accordance with the directions/sub-directions issued by the C&AG of India under Section 143(5) of the Companies Act, 2013 and certify that we have complied with all the Directions/Sub-directions issued to us.

**For S. MANN & CO.**

Chartered Accountants

FRN NO. 000075N

**For H.K.CHAUDHRY & CO.**

Chartered Accountants

FRN NO. 006154N

**CA SUBHASH MANN**

Partner

Membership No. 080500

**CA MONISH BAWEJA**

Partner

Membership No. 087384

Place of Signature: New Delhi

Date of Report: 17<sup>th</sup> May, 2018





## स्वतंत्र ऑडिटर की रिपोर्ट के लिए अनुबंध-बी

### कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के उपधारा 3 के खंड (प) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट करें

हमने उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के साथ 31 मार्च, 2017 तक ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षा किया है। इन वित्तीय विवरणों में हमारे द्वारा ऑडिट किए गए हेड ऑफिस का रिटर्न, 31 क्षेत्रीय कार्यालय, 1 ओएसटीसी, 351 डिव। 975 बिजनेस सेंटर, 49 9 शाखाएं, 1 विदेशी शाखा और 2 विदेशी एजेंसियों सहित कार्यालय, सभी अपने संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित। प्रबंधन और पुनर्मिलन संधि द्वारा विधिवत प्रमाणित एक विदेशी रन ऑफ एजेंसी लेखा नीति संख्या 5 (बी) और 6.1.ए में दर्शाए गए हद तक प्राप्त होती है।

### आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करता है, जो कि वित्तीय रिपोर्टिंग द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर "भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान"। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और रख-रखाव शामिल हैं जो कंपनी के नीतियों का पालन करने, अपनी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान सहित अपने व्यापार के व्यवस्थित और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से परिचालन कर रहे थे, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी।

### लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करें। हमने आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित सीमा तक लागू मानदंडों पर निर्धारित वित्तीय वित्तीय

## ANNEXURE-B TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

### Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013

We have audited the internal financial controls over financial reporting of The Oriental Insurance Company Limited as of March 31, 2017 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Company for the year ended on that date. In these financial statements are the returns of Head Office audited by us, 31 Regional Offices, 1 OSTC, 351 Div. Offices including 975 Business Centres, 499 Branches, 1 Foreign Branch and 2 Foreign agencies, all audited by their respective Auditors. One Foreign Run off agency duly certified by the Management and reinsurance treaty returns to the extent received as indicated in Accounting Policy No. 5(B) and 6.1.a.

### Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the "Institute of Chartered Accountants of India". These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

### Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit





नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा का आयोजन किया। आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा के लिए, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा के लिए लागू होते हैं, और दोनों चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए जाते हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और योजना का पालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गए हैं और बनाए रखा गया है और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक सम्मानों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी ऑपरेटिंग प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ, भौतिक कमजोरी के जोखिम का आकलन करने और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और ऑपरेटिंग प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षकों के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों के भौतिक गलतफहमी के जोखिमों का आकलन शामिल है।

कुछ कपअ से संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट। कार्यालयों और विदेशी कार्यालयों अर्थात नेपाल, दुबई, कुवैत और कतर शाखाएं प्राप्त नहीं हुई हैं और क्योंकि हमारी समीक्षा के लिए यह उपलब्ध नहीं था और इसलिए इन कार्यालयों से संबंधित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण इस रिपोर्ट में नहीं माना गया है और इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती।

जैसा ऊपर बताया गया है, रिपोर्टों की अनुपलब्धता के संभावित प्रभाव को छोड़कर, हम मानते हैं कि हमने प्राप्त लेखापरीक्षा सबूत वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के आधार के लिए पर्याप्त और उचित है।

### वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और वित्तीय तैयारी के

in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

***Report of branch auditors relating to few Div. Offices' and foreign offices i.e. Nepal, Dubai, Kuwait and Qatar Branches have not been received and as such was not available for our review and therefore the internal controls over financial reporting relating to these offices have not been considered in this report and cannot be commented upon.***

Except for the possible effect of non-availability of reports as stated above, we believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

### Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial





संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई एक प्रक्रिया है।

आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए बयान। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं में शामिल हैं

- (1) रिकॉर्ड्स के रखरखाव के लिए सुनिश्चित करें कि, उचित विस्तार से, कंपनी की संपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से प्रतिबिंबित करें;
- (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेनदेन आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, और वह रसीदें और  
  
कंपनी के व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा
- (3) कंपनी के परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या स्वभाव की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें जो वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकता है।

### वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं की वजह से, नियंत्रण की अनुचित या अनुचित प्रबंधन ओवरसाइड की संभावना, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलतफहमी हो सकती है और पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में बदलावों के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकता है

### क्वालिफाइड राय

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर, निम्नलिखित सामग्री कमजोरियों की पहचान 31 मार्च, 2017 को की गई है:

reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial

statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that

- (1) Pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company;
- (2) Provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and  
  
Expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and
- (3) Provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

### Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

### Qualified Opinion

According to the information and explanations given to us and based on our audit, the following material weaknesses have been identified as at March 31, 2017:





- ए) कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को निश्चित रूप से फिक्स्ड एसेट्स, अज्ञात बैंक प्रविष्टियों की रिकॉर्डिंग और कंपनी को कार्यालयों में सूचित दावों की रिकॉर्डिंग के क्षेत्र में विशेष रूप से मजबूत करने की आवश्यकता है।
- बी) सह बीमाकर्ताओं, पुनर्विक्रेताओं, दलालों, बैंक खातों, अंतर कार्यालय खातों और अन्य नियंत्रण खातों से संबंधित विभिन्न शेषों की पुष्टि और सुलह लंबित हैं और सुलह / समायोजन के विभिन्न चरणों में हैं।
- सी) पार्टी के अनुसार विवरणों की उपलब्धता और पुनर्वित्त प्राप्तियां / देय राशि की उम्र बढ़ने के संबंध में अपर्याप्त नियंत्रण मनाए जाते हैं;
- डी) विदेशी शाखा (नेपाल) में संपत्ति के मामले में आंकड़ों के प्रवासन के साथ-साथ मूल लागत की अनुपलब्धता में शामिल असंगतताएं शामिल हैं।
- ई) लेखांकन सॉफ्टवेयर की दक्षता, पुस्तकों के रखरखाव और पुनर्वित्त लेखा विभाग के बीच समन्वय के संबंध में अपर्याप्त नियंत्रण मनाया जाता है। और पुनर्वित्त संधि विभाग।

एक श्मौतिक कमजोरी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में कमी की कमी है, या कमियों का संयोजन है, जैसे कि उचित संभावना है कि कंपनी के वित्तीय विवरण की भौतिक गलत स्थिति को समय-समय पर रोका या पता नहीं लगाया जाएगा।

हमारी राय में, नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों की उपलब्धि पर ऊपर वर्णित सामग्री कमजोरी के संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने सभी भौतिक सम्मानों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और वित्तीय पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा है संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2017 तक रिपोर्टिंग प्रभावी ढंग से परिचालन कर रही थी। भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स।

- a) *The company's internal control system requires strengthening specially in area of recording of Fixed Assets, unidentified Bank entries and recording of intimated claims at the offices to the company.*
- b) *Confirmation and reconciliation of various balances relating to co insurers, reinsurers, brokers, bank accounts, inter office accounts and other control accounts are pending and are in various stages of reconciliation/adjustments.;*
- c) *Inadequate controls are observed with regards to non availability of party wise details and ageing of Reinsurance receivables/payables ;*
- d) *Inconsistencies involved in the migration of data as well as non-availability of original cost in case of assets at Foreign Branch (Nepal).*
- e) *Inadequate controls are observed with regards to efficiency of accounting software, maintenance of books and coordination between Reinsurance Accounts Deptt. and Reinsurance Treaty Deptt.*

*A 'material weakness' is a deficiency, or a combination of deficiencies, in internal financial control over financial reporting, such that there is a reasonable possibility that a material misstatement of the company's financial statement will not be prevented or detected on a timely basis.*

In our opinion, except for the possible effects of the material weakness described above on the achievement of the objectives of the control criteria, the Company has maintained, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as of March 31, 2017, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by The Institute of Chartered Accountants of India.







## अन्य मामले

हमने कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल 90 बिजनेस सेंटर, 503 शाखाएं, 2 विदेशी शाखाएं, और 2 विदेशी एजेंसियों सहित 31 क्षेत्रीय कार्यालयों, 1 ओएसटीसी, 355 डिवीजनल कार्यालयों के वित्तीय विवरण / जानकारी का लेखा परीक्षा नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी 3353 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति को दर्शाती है। 31 मार्च, 2017 को और कुल राजस्व रु। 11117 करोड़ उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में माना जाता है। इन शाखाओं और कार्यालयों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शाखा लेखा परीक्षकों (कुछ डिवीजनल कार्यालय, एक विदेशी कार्यालय और दो विदेशी एजेंसियों को छोड़कर) द्वारा लेखा परीक्षित किया गया है, जिनकी रिपोर्ट हमें दी गई है, और हमारी राय अब तक इन शाखाओं और कार्यालयों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित, पूरी तरह से इस तरह के शाखा लेखा परीक्षकों और कार्यालयों की रिपोर्ट पर आधारित है।

## Other Matter

We did not audit the financial statements/information of 31 Regional Offices, 1 OSTC, 355 Divisional Offices including 990 business centers, 503 Branches, 2 foreign branches, and 2 foreign agencies, included in the standalone financial statements of the Company whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs.3353Cr. as at 31st March, 2017 and total revenues of Rs. 11117 Crs. for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. The internal financial controls over financial reporting of these branches and offices have been audited by the branch auditors (except Few Divisional Office, one Foreign Office and Two Foreign Agencies), whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the internal financial controls in respect of these branches and offices, is based solely on the report of such branch auditors and offices.

एस मान एंड कं. के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
For S. MANN & CO.  
Chartered Accountants

एवके चौधरी और सीओ के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
एफआरएन नं. 000075एन  
For H.K.CHAUDHRY & CO.  
Chartered Accountants  
FRN NO. 000075N

सीए सुभाष मान  
साझेदार  
मेम्बरशिप नं. 080500  
CA SUBHASH MANN  
Partner  
M.No. 080500

सीए मोनीश बावेजा  
साझेदार  
मेम्बरशिप नं. 087384  
CA MONISH BAWEJA  
Partner  
M.No. 087384

Place: New Delhi  
Dated : 17.05.2018





## 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए द ओरिएंटल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों के सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए दि ओरिएंटल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के वित्तीय विवरण बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (बीमा कम्पनियों के वित्तीय विवरण तथा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तैयार किया जाना) विनियम, 2002 तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसरण में तैयार किया जाना कम्पनी के प्रबन्धन की जिम्मेदारी है। भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(4) के साथ पठित धारा 139(5) के तहत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अन्तर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा सम्बन्धी मानकों के अनुसरण में स्वतन्त्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के अन्तर्गत वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा दिनांक 17 मई, 2018 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट द्वारा किया गया है।

मैंने, भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(क) के तहत 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए ओरिएंटल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। हमने, द इण्डस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेड और हैल्थ इश्योरेंस टीपीए ऑफ इण्डिया लिमिटेड के उसी तारीख को समाप्त वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 139(5) और 143(6)(ख) इण्डिया इंटरनेशनल इश्योरेंस पीटीई लिमिटेड पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति अथवा अनुपूरक लेखापरीक्षा के संचालन के लिए सम्बन्धित कानूनों के तहत लागू नहीं होते हैं, क्योंकि यह वहाँ लागू कानूनों के तहत विदेश में निगमित एक प्राइवेट कम्पनी है। तदनुसार, भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक ने न तो इस कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की है और न ही इस कम्पनी की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के दस्तावेजों तक पहुँच के बगैर स्वतन्त्र रूप से की गई है और यह मुख्यतः लेखापरीक्षकों की जाँच तथा कम्पनी के कार्मिकों और कुछ लेखा रिकॉर्डों की चुनिन्दा परीक्षण तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातों को उजागर करना चाहूँगा जो मेरे संज्ञान में आई हैं और जो वित्तीय विवरणों और सम्बन्धित लेखा परीक्षा रिपोर्ट को बेहतर समझने के लिए मेरे विचार में आवश्यक है।





## क) वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

### क.1 तुलन पत्र

निवेश— रु. 22803.67 करोड़ (अनुसूची 8 एवं 8ए)

शेयरधारकों के निवेश— रुपये 2159.51 करोड़ (अनुसूची 8)

पॉलिसी धारकों के निवेश— रु. 20644.16 करोड़ (अनुसूची 8ए)

उचित मूल्य परिवर्तन खाता:

पॉलिसीधारक— रु. 7837.52 करोड़

शेयरधारक —रु. 819.85 करोड़

(क) आईआरडीए दिनांक 4 अप्रैल 2016 के परिपत्र और निवेश विनियम, 2016 को शेयरधारकों के फंड और पॉलिसीधारकों के फंडों के साथ-साथ बैलेंस शीट तिथि पर इन फंडों से निवेश की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, 12 जनवरी 2017 के परिपत्र के माध्यम से आईआरडीए ने शेयरधारकों के फंड और पॉलिसीधारकों के फंडों के पृथक्करण को दोहराया।

कंपनी ने शेयरधारकों के फंड और पॉलिसीधारकों के फंड से किए गए निवेश को बांट दिया है। हालांकि, यह क्लोजिंग बैलेंस के बजाय शेयरधारकों के फंड और पॉलिसीधारकों के फंड के घटकों के बैलेंस खोलने के आधार पर गलत तरीके से किया गया था। नतीजतन, शेयरधारकों के निवेश और पॉलिसीधारकों के निवेश को 4362.34 करोड़ रुपये और 18441.33 करोड़ रुपये की बजाय क्रमशः 2159.51 करोड़ रुपये और रु. 20644.16 करोड़ पृथक कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप 2202.83 करोड़ रुपये की पॉलिसीधारकों के निवेश में बढ़ोतरी और शेयरधारकों के निवेश में कमी की गई है।

(ख) शेयरधारकों के फंड और पॉलिसीधारकों के फंडों के पृथक्करण की उपरोक्त आवश्यकता के अलावा, आईआरडीए ने पॉलिसीधारकों के फंड और शेयरधारकों के फंड के तहत फेयर वैल्यू चेंज (एफवीसी) खाते को विभाजित करने का भी निर्देश दिया। नतीजतन, शेयरधारकों के फंड और पॉलिसीधारकों के फंड को 1656.15 करोड़ रुपये और 7001.22 करोड़ रुपये के बजाय क्रमशः 819.85 करोड़ रुपये और 7837.52 करोड़ रुपये में बांटा गया था। इसके परिणामस्वरूप 836.30 करोड़ रुपये की पॉलिसीधारकों के निवेश में बढ़ोतरी और शेयरधारकों के निवेश में कमी की गई है।

कृते तथा की ओर से  
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

ह./—

(नंदना मुंशी)

वाणिज्यिक लेखापरीक्षा निदेशक  
और पदेन सदस्य लेखापरीक्षक बोर्ड—II  
नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली  
तिथि: 25.07.2018





**क) वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ**

**क.1 तुलन पत्र**

निवेश— रु. 3173.90 करोड़ (अनुसूची 8)  
शेयरधारकों के निवेश— रुपये 294.57 करोड़ (अनुसूची 8)  
पॉलिसी धारकों के निवेश— रु. 20979.3 करोड़ (अनुसूची 8 ए)  
उचित मूल्य परिवर्तन खाता:  
पॉलिसीधारक— रु. 7837.52 करोड़  
शेयरधारक —रु. 819.85 करोड़

(क) आईआरडीए दिनांक 4 अप्रैल 2016 के परिपत्र और निवेश विनियम, 2016 को शेयरधारकों के फंड और पॉलिसीधारकों के फंडों के साथ-साथ बैलेंस शीट तिथि पर इन फंडों से निवेश की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, 12 जनवरी 2017 के परिपत्र के माध्यम से आईआरडीए ने शेयरधारकों के फंड और पॉलिसीधारकों के फंडों के पृथक्करण को दोहराया।

कंपनी ने शेयरधारकों के फंड और पॉलिसीधारकों के फंड से किए गए निवेश को बांट दिया है। हालांकि, यह क्लोजिंग बैलेंस के बजाय शेयरधारकों के फंड और पॉलिसीधारकों के फंड के घटकों के बैलेंस खोलने के आधार पर गलत तरीके से किया गया था। नतीजतन, शेयरधारकों के निवेश और पॉलिसीधारकों के निवेश को 4845.66 करोड़ रुपये और 18318.24 करोड़ रुपये की बजाय क्रमशः 2194.57 करोड़ रुपये और रु. 20979.334 करोड़ पृथक कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप 2,651.09 करोड़ रुपये की पॉलिसीधारकों के निवेश में बढ़ोतरी और शेयरधारकों के निवेश में कमी की गई है।

(ख) शेयरधारकों के फंड और पॉलिसीधारकों के फंडों के पृथक्करण की उपरोक्त आवश्यकता के अलावा, आईआरडीए ने पॉलिसीधारकों के फंड और शेयरधारकों के फंड के तहत फेयर वैल्यू चेंज (एफवीसी) खाते को विभाजित करने का भी निर्देश दिया। नतीजतन, शेयरधारकों के फंड और पॉलिसीधारकों के फंड को 1810.25 करोड़ रुपये और 6847.12 करोड़ रुपये के बजाय क्रमशः 819.85 करोड़ रुपये और 7837.52 करोड़ रुपये में बांटा गया था। इसके परिणामस्वरूप 990.40 करोड़ रुपये की पॉलिसीधारकों के निवेश में बढ़ोतरी और शेयरधारकों के निवेश में कमी की गई है।

**प्रबंधन उत्तर क .1 (क) और (ख):**

परिपत्र दिनांक 12.01.2017 ने शेयरधारकों के फंड और पॉलिसीधारकों के फंडों के बीच निवेश के पृथक्करण को दोहराया लेकिन परिपत्र दिनांक 04.04.2016 में 'बैलेंस शीट तिथि के रूप में' शब्दों को हटाने सहित संशोधन किया। इसलिए कंपनी ने पॉलिसीधारकों और शेयरधारकों के निवेश और उचित मूल्य परिवर्तन खाते को पॉलिसीधारकों और शेयरधारकों कोष के प्रारंभिक बैलेंस पर गणना अनुपात के आधार पर जारी रखा, जो पिछले कई सालों से चलन में था।

हालांकि, कंपनी ने सीएजी लेखा परीक्षा को आश्वासन दिया है कि शेयरधारकों और पॉलिसीधारकों के बीच निवेश संपत्तियों और फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट का आवंटन प्रत्येक तिमाही के अंत में दोनों फंडों के समापन संतुलन पर गणना अनुपात के आधार पर किया जाएगा।





**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143 (6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS OF THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2018**

The preparation of Financial Statements of The Oriental Insurance Company Limited for the year ended 31 March 2018 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Insurance Act, 1938 read with the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 and the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 17 May 2018.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 143(6)(a) of the Act of the Standalone Financial Statements of The Oriental Insurance Company Limited for the year ended 31 March 2018. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related Audit Report:

**A. Comments on Financial Position**

**A.1. Balance sheet**

**Investments-Rs.22803.67 crore (Schedule 8 & 8 A)**  
**Shareholders' investments-Rs.2159.51 crore (Schedule 8)**  
**Policyholders' investments-Rs.20644.16 crore (Schedule 8A)**  
**Fair Value Change Account**  
**Policyholders -Rs.7837.52 crore**  
**Shareholders -Rs. 819.85 crore**

- (a) IRDA vide circular dated 4 April 2016 and Investments Regulations, 2016 required segregation of Shareholders' Funds and Policyholders' Funds as well as investments made from these funds







on the balance sheet date. Further, IRDA vide circular dated 12 January 2017 reiterated the segregation of Shareholders' Funds and Policyholders' Funds.

The Company has bifurcated the Investments made out of Shareholders' fund and Policyholders' fund. However, the same was incorrectly done on the basis of opening balances of components of Shareholders' fund and Policyholders' fund instead of on the closing balances. Consequently, Shareholders' Investment and Policyholders' Investments were bifurcated at Rs.2159.51 crore and Rs.20644.16 crore instead of Rs.4362.34 crore and Rs.18441.33 crore respectively. This has resulted in overstatement of Policyholders' Investments and understatement of Shareholders' Investments by Rs.2202.83 crore.

- (b) In addition to above requirement of segregation of Shareholders' Funds and Policyholders' Funds, IRDA also directed to bifurcate the Fair Value Change (FVC) Account under the Policyholders' Funds and Shareholders' Funds. Consequently, Shareholders' Funds and Policyholders' Funds were bifurcated at Rs.819.85 crore and Rs.7837.52 crore instead of Rs.1656.15 crore and Rs.7001.22 crore respectively. This has resulted in overstatement of Policyholders' Funds and understatement of Shareholders' Funds by Rs.836.30 crore.

**For and on the behalf of the  
Comptroller & Auditor General of India**

SD/-

**(Nandana Munshi)  
Director General of Commercial Audit  
& Ex-officio Member, Audit Board – II,  
New Delhi**

**Place: New Delhi**

**Date: 25.07.2018**





## A. Comments on Financial Position

### A.1 Balance Sheet

**Investments –Rs. 23173.90 crore (Schedule 8)**

**Shareholders’ Investments -Rs. 2194.57 crore (Schedule 8)**

**Policyholders’ investments -Rs. 20979.33 crore (Schedule 8A)**

**Fair Value Change Account**

**Policyholders -Rs. 7837.52 crore**

**Shareholders -Rs. 819.85 crore**

- (a) IRDA vide circular dated 4 April 2016 and Investments Regulations, 2016 required segregation of Shareholders Funds and Policyholders’ Funds as well as investments made from these funds on the balance sheet date. Further, IRDA vide circular dated 12 January, 2017 reiterated the segregation of Shareholders Funds and policyholders’ funds.

The Company has bifurcated the investments made out of shareholders’ fund and Policyholders’ fund. However, the same was incorrectly done on the basis of opening balances of components of Shareholders’ funds and Policyholders’ funds instead of on the closing balances. Consequently, shareholders investments and Policyholders’ Investments were bifurcated at Rs. 2194.57 crore and 20979.33 crore instead of Rs. 4845.66 crore and 18328.24 crore respectively. This has resulted in overstatements by Rs. 2651.09 crore.

- (b) In addition to above requirement of segregation of shareholders’ funds and policyholders’ funds, IRDA also directed to bifurcate the fair value Change (FVC) account under the Policyholders’ Funds. Consequently, Shareholders’ funds and Policyholders’ funds were bifurcated at Rs. 819.85 crore and Rs. 7837.52 crore instead of Rs. 1810.25 crore and Rs. 6847.12 crore respectively. This has resulted in overstatement of policyholders’ funds and understatement of Shareholders’ Funds by Rs. 990.40 crore.

#### **MANAGEMENT REPLY A.1 (a) and (b):**

The circular dt. 12.01.2017 reiterated the segregation of Investments between Shareholders’ Funds and Policyholders’ Funds but had made amendment to the circular dt. 04.04.2016 including removing the words “As on Balance Sheet Date”. The company therefore continued bifurcating the Policyholders and Shareholders Investments and Fair Value Change Account on the basis of ratios calculated on the opening balance of Policyholders and Shareholders Fund, which had been the practice for past several years.

However, company has assured the CAG audit that allocation of Investment assets and Fair Value Change account between shareholders and policyholders funds will be done on the basis of ratios calculated on closing balance of both funds at the end of each quarter, henceforth.





ओरिएंटल बीमा कंपनी लिमिटेड  
पंजीकरण क्रमांक 556 और दिनांक 25.02.2014 आईआरडीए के साथ नवीनीकरण  
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए अग्नि बीमा राशि खाता

**THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED**  
**REGISTRATION NO. 556 AND DATE 25.02.2014 OF RENEWAL WITH IRDA**  
**FIRE INSURANCE REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2018**

(₹. '000) (Rs. '000)

विवरण	Particulars	अनुसूची Schedule	31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
1. अर्जित प्रीमियम (नेट)	1. Premium earned (Net)	1	5903810	6103896
2. निवेश/बिक्री पर लाभ/हानि पर लाभ/हानि	2. Profit/Loss on sale/redemption of Investments		1399943	802492
3. अन्य - विनिमय पर लाभ/(हानि)	3. Others -Profit/(Loss) on exchange		1899	(1297)
4. ब्याज, लाभांश और किराया-सकल	4. Interest, Dividend & Rent - Gross		917177	823137
<b>कुल (ए)</b>	<b>Total (A)</b>		<b>8222829</b>	<b>7728228</b>
1. दावा किया गया दावा (नेट)	1. Claims Incurred (Net)	2	5095663	5554334
2. आयोग	2. Commission	3	960705	686956
3. बीमा कारोबार से संबंधित परिचालन व्यय	3. Operating Expenses related to Insurance Business	4	2040155	2594539
4. अन्य	4. Others			
ए) मानक संपत्ति/एनपीए के लिए प्रावधान	a) Provision for Standard Assets/NPA		(7154)	(3267)
बी) शेयरों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	b) Provision for Diminution in Value of Shares		(1297)	24
सी) अमूर्त खर्च	c) Amortization Expenses		19213	10476
डी) निवेश लिखित बंद (नेट)	d) Investment Written Off (Net)		10515	3686
ई) प्रीमियम की कमी	e) Premium deficiency		0	0
<b>कुल (बी)</b>	<b>Total (B)</b>		<b>8117800</b>	<b>8846748</b>
आग्नि व्यापार से ऑपरेटिंग लाभ/(हानि) सी = (ए-बी)	Operating Profit/(Loss) from fire business C = (A - B)		105029	(1118520)
विनियोग	Appropriations			
शेयरधारकों के खाते में स्थानांतरण	Transfer to shareholders' Account		105029	(1118520)
आपदा रिजर्व में स्थानांतरण	Transfer to Catastrophe Reserve		NIL	NIL
सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण	Transfer to General Reserve		NIL	NIL
<b>कुल (सी)</b>	<b>Total (C)</b>		<b>105029</b>	<b>(1118520)</b>

उपरोक्त अनुसूची बैलेंस शीट के अभिन्न अंग के रूप में संदर्भित है।

The Schedules referred to above form integral part of the Balance Sheet.

एस मान एंड कं. के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
एफआरएन नं. 000075एन  
For S. MANN & CO.  
Chartered Accountants  
FRN NO. 000075N

एच.के. चौधरी एंड कं. के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
एफआरएन नं. 006154एन  
For H.K.CHAUDHRY & CO.  
Chartered Accountants  
FRN NO. 006154

ए. वी. गिरिजाकुमार  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
A.V. Girijakumar  
Chairman-cum-Managing Director

सीए सुभाष मान  
साझेदार  
मेम्बरशिप नं. 080500  
CA SUBHASH MANN  
Partner  
M.No. 080500

सीए मोनीश बावेजा  
साझेदार  
मेम्बरशिप नं. 087384  
CA MONISH BAWEJA  
Partner  
M.No. 087384

बलवंत सिंह  
निदेशक एवं महाप्रबंधक  
BALWANT SINGH  
Director & General Manager

स्थान: नई दिल्ली  
दिनांक: 17.05.2018  
Place: New Delhi  
Dated : 17.05.2018

अतुल जेरथ  
महाप्रबंधक और वित्तीय सलाहकार  
ATUL JERATH  
General Manager & Financial Advisor

रश्मि बाजपेयी  
कंपनी सचिव  
सदस्यता नं. एफसीएस 8799  
RASHMI BAJPAI  
Company Secretary  
M.No. FCS 8799

सीए अजय गुप्ता  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
CA Ajay Gupta  
Chief Financial Officer





ओरिएंटल बीमा कंपनी लिमिटेड  
पंजीकरण क्रमांक 556 और दिनांक 25.02.2014 आईआरडीए के साथ नवीनीकरण  
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए मरीन बीमा राशि खाता

**THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED**  
**REGISTRATION NO. 556 AND DATE 25.02.2014 OF RENEWAL WITH IRDA**  
**MARINE INSURANCE REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2018**

(₹. '000) (Rs. '000)

विवरण	Particulars	अनुसूची Schedule	31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
1. अर्जित प्रीमियम (नेट)	1. Premium earned (Net)	1	2301536	2470270
2. निवेश / बिक्री पर लाभ / हानि पर लाभ / हानि	2. Profit/Loss on sale/redemption of Investments		547369	335433
3. अन्य - विनिमय पर लाभ / (हानि)	3. Others - Profit/(Loss) on exchange		1408	(4738)
4. ब्याज, लाभांश और किराया - सकल	4. Interest, Dividend & Rent - Gross		358611	344062
<b>कुल (ए)</b>	<b>Total (A)</b>		<b>3208924</b>	<b>3145027</b>
1. दावा किया गया दावा (नेट)	1. Claims Incurred (Net)	2	1609051	2099635
2. आयोग	2. Commission	3	215142	246349
3. बीमा कारोबार से संबंधित परिचालन व्यय	3. Operating Expenses related to Insurance Business	4	295331	416748
4. अन्य	4. Others			
ए) मानक संपत्ति / एनपीए के लिए प्रावधान	a) Provision for Standard Assets/NPA		(2797)	(1366)
बी) शेयरों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	b) Provision for Diminution in Value of Shares		(507)	10
सी) अमूर्त खर्च	c) Amortization Expenses		7512	4379
डी) निवेश लिखित बंद (नेट)	d) Investment Written Off (Net)		4111	1541
ई) प्रीमियम की कमी	e) Premium deficiency		(43947)	43947
<b>कुल (बी)</b>	<b>Total (B)</b>		<b>2083896</b>	<b>2811243</b>
समुद्री व्यापार से परिचालन लाभ / (हानि) सी = (ए - बी)	Operating Profit/(Loss) from Marine business C = (A - B)		1125028	333784
विनियोग	Appropriations			
शेयरधारकों के खाते में स्थानांतरण	Transfer to shareholders' Account		1125028	333784
आपदा रिजर्व में स्थानांतरण	Transfer to Catastrophe Reserve		NIL	NIL
अन्य भंडार में स्थानांतरित करें	Transfer to other reserves		NIL	NIL

एस मान एंड कं. के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
एफआरएन नं. 000075एन  
For S. MANN & CO.  
Chartered Accountants  
FRN NO. 000075N

एच.के. चौधरी एंड कं. के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
एफआरएन नं. 006154एन  
For H.K.CHAUDHRY & CO.  
Chartered Accountants  
FRN NO. 006154

ए. वी. गिरिजाकुमार  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
A.V. Girijakumar  
Chairman-cum-Managing Director

सीए सुभाष मान  
साझेदार  
मेम्बरशिप नं. 080500  
CA SUBHASH MANN  
Partner  
M.No. 080500

सीए मोनीश बावेजा  
साझेदार  
मेम्बरशिप नं. 087384  
CA MONISH BAWEJA  
Partner  
M.No. 087384

बलवंत सिंह  
निदेशक एवं महाप्रबंधक  
BALWANT SINGH  
Director & General Manager

स्थान: नई दिल्ली  
दिनांक: 17.05.2018  
Place: New Delhi  
Dated : 17.05.2018

अतुल जेरथ  
महाप्रबंधक और वित्तीय सलाहकार  
ATUL JERATH  
General Manager & Financial Advisor

रश्मि बाजपेयी  
कंपनी सचिव  
सदस्यता नं. एफसीएस 8799  
RASHMI BAJPAI  
Company Secretary  
M.No. FCS 8799

सीए अजय गुप्ता  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
CA Ajay Gupta  
Chief Financial Officer





ओरिएंटल बीमा कंपनी लिमिटेड  
पंजीकरण क्रमांक 556 और दिनांक 25.02.2014 आईआरडीए के साथ नवीनीकरण  
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए विविध बीमा राशि खाता  
THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED  
REGISTRATION NO. 556 AND DATE 25.02.2014 OF RENEWAL WITH IRDA  
MISCELLANEOUS INSURANCE REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2018

(₹. '000) (Rs. '000)

विवरण	Particulars	Schedule	31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
1. अर्जित प्रीमियम (नेट)	1. Premium earned (Net)	1	88074718	75258479
2. निवेश / बिक्री पर लाभ / हानि पर लाभ / हानि	2. Profit/Loss on sale/redemption of Investments		16226331	8173343
3. अन्य - विनिमय पर लाभ / (हानि)	3. Others - Profit/(Loss) on exchange		23686	19586
4. ब्याज, लाभांश और किराया - सकल	4. Interest, Dividend & Rent - Gross		10630732	8383612
<b>कुल (ए)</b>	<b>Total (A)</b>		<b>114955467</b>	<b>91835020</b>
1. दावा किया गया दावा (नेट)	1. Claims Incurred (Net)	2	75507423	86327048
2. आयोग	2. Commission	3	5196171	4069243
3. बीमा कारोबार से संबंधित परिचालन व्यय	3. Operating Expenses related to Insurance Business	4	23758840	24544159
4. अन्य	4. Others			
ए) मानक संपत्ति / एनपीए के लिए प्रावधान	a) Provision for Standard Assets/NPA		(82923)	(33278)
बी) शेयरों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	b) Provision for Diminution in Value of Shares		(15035)	245
सी) अमूर्त खर्च	c) Amortization Expenses		222689	106701
डी) निवेश लिखित बंद (नेट)	d) Investment Written Off (Net)		121880	37542
ई) प्रीमियम की कमी	e) Premium deficiency		0	0
<b>कुल (बी)</b>	<b>Total (B)</b>		<b>104709046</b>	<b>115051659</b>
विविध व्यवसाय से परिचालन लाभ / (हानि) सी = (ए - बी)	Operating Profit/(Loss) from miscellaneous business C = (A - B)		10246421	(23216639)
विनियोग	Appropriations			
शेयरधारकों के खाते में स्थानांतरण	Transfer to shareholders' Account		10246421	(23216639)
आपदा रिजर्व में स्थानांतरण	Transfer to Catastrophe Reserve		शून्य/NIL	शून्य/NIL
अन्य भंडार में स्थानांतरित करें	Transfer to other reserves		शून्य/NIL	शून्य/NIL
<b>कुल (सी)</b>	<b>Total (C)</b>		<b>10246421</b>	<b>(23216639)</b>

उपरोक्त अनुसूची बैलेंस शीट के अभिन्न अंग के रूप में संदर्भित है  
The Schedules referred to above form integral part of the Balance Sheet

एस मान एंड कं. के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
एफआरएन नं. 000075एन  
For S. MANN & CO.  
Chartered Accountants  
FRN NO. 000075N

एच.के. चौधरी एंड कं. के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
एफआरएन नं. 006154एन  
For H.K.CHAUDHRY & CO.  
Chartered Accountants  
FRN NO. 006154

ए. वी. गिरिजाकुमार  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
A.V. Girijakumar  
Chairman-cum-Managing Director

सीए सुभाष मान  
साझेदार  
मेम्बरशिप नं. 080500  
CA SUBHASH MANN  
Partner  
M.No. 080500

सीए मोनीश बावेजा  
साझेदार  
मेम्बरशिप नं. 087384  
CA MONISH BAWEJA  
Partner  
M.No. 087384

बलवंत सिंह  
निदेशक एवं महाप्रबंधक  
BALWANT SINGH  
Director & General Manager

स्थान: नई दिल्ली  
दिनांक: 17.05.2018  
Place: New Delhi  
Dated : 17.05.2018

अतुल जेरथ  
महाप्रबंधक और वित्तीय सलाहकार  
ATUL JERATH  
General Manager & Financial Advisor

रश्मि बाजपेयी  
कंपनी सचिव  
सदस्यता नं. एफसीएस 8799  
RASHMI BAJPAI  
Company Secretary  
M.No. FCS 8799

सीए अजय गुप्ता  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
CA Ajay Gupta  
Chief Financial Officer







**ओरिएंटल बीमा कंपनी लिमिटेड**  
**पंजीकरण क्रमांक 556 और दिनांक 25.02.2014 आईआरडीए के साथ नवीनीकरण**  
**31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता**  
**THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED**  
**REGISTRATION NO. 556 AND DATE 25.02.2014 OF RENEWAL WITH IRDA**  
**PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2018**

(₹. '000) (Rs. '000)

S.No.	विवरण	Particulars	31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
1	ऑपरेटिंग लाभ / (नुकसान)	OPERATING PROFIT /(LOSS)		
	(ए) अग्नि बीमा	(a) Fire Insurance	105029	(1118520)
	(बी) समुद्री बीमा	(b) Marine Insurance	1125028	333783
	(सी) विविध बीमा	(c) Miscellaneous Insurance	10246421	(23216638)
2	निवेश से आय	<b>INCOME FROM INVESTMENTS</b>		
	(ए) ब्याज, लाभांश और किराया - सकल	(a) Interest, Dividend & Rent - Gross	1246158	2304922
	(बी) निवेश पर बिक्री / रिडेम्पशन पर लाभ	(b) Profit on sale/redemption of investment	1902086	2247112
	कमरू बिक्री पर नुकसान / निवेश की कमी	Less: Loss on sale/redemption of investment	0	0
3	अन्य आय	<b>OTHER INCOME</b>		
	निश्चित संपत्तियों की बिक्री पर लाभ / (हानि)	Profit/(Loss) on sale of fixed assets	(24064)	(17380)
	विविध आय	Miscellaneous Income	38566	56707
	पुराना / दावा न किए गए बैलेंस लिखित बैक	Old/Unclaimed Balance Written Back	45152	55424
	एक्सचेंज लाभ / (हानि)	Exchange Gain/(Loss)	(26089)	(34524)
	आयकर रिफंड पर ब्याज	Interest on income-tax refunds	984904	812059
	कुल (ए)	<b>TOTAL (A)</b>	<b>15643190</b>	<b>(18577055)</b>
4	प्रावधान (कराधान के अलावा)	<b>PROVISIONS (Other than taxation)</b>		
	(ए) निवेश के मूल्य में कमी के लिए	(a) For diminution in the value of investments	(1762)	67
	(बी) बुरे और संदिग्ध ऋण ? निवेश के लिए	(b) For bad and doubtful debts\Investment	46992	563403
	(सी) अमूर्त खर्च	(c) Amortisation Expenses	26104	29335
5	अन्य खर्च	<b>OTHER EXPENSES</b>		
	ए) बीमा कारोबार से संबंधित अन्य के अलावा व्यय	a) Expenses other than those relating to Insurance Business	0	0
	बी) पुराने / अपरिवर्तनीय शेष राशि लिखी गई	b)Old/Irrecoverable balances written off	2070	115
	सी) मानक संपत्ति / एनपीए पर प्रावधान	c) Provision on Standard Assets/NPA	(9720)	(9149)
	डी) निवेश (नेट)	d) Investments written off (Net)	14287	10322
	ई) सीएसआर व्यय	e) CSR Expendiure	66874	40699
	एफ) आयकर / सेवा कर भुगतान पर ब्याज	f) Interest on income-tax/service tax paid	16656	5451
	जी) स्वीकार्य सीमाओं पर ईओएम की अतिरिक्त	g) Excess of EoM over allowable limits	835575	656953
	एच) जोड़ें / (कम)रू पहले अवधि आय	h) Add/(Less): Prior Period Income	3170	(2679)
	आई) जोड़ें / (कम): पहले अवधि व्यय	i) Add/(Less): Prior Period Expenses	820079	21001
	कुल (बी)	<b>TOTAL (B)</b>	<b>1820324</b>	<b>1315518</b>
	कुल (बी)	<b>TOTAL (B)</b>	<b>1820324</b>	<b>1315518</b>
	कर देने से पूर्व लाभ	Profit Before Tax	13822866	(19892573)
	जोड़ें / (कम)रू फ्रिज लाभ कर के लिए प्रावधान	Add/(Less): Provision for Fringe Benefit Tax	0	0





S.No.	विवरण	Particulars	31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
	जोड़ें / (कम)रु कराधान के लिए प्रावधान - वर्तमान वर्ष	Add/(Less): Provision for taxation - Current Year	(2480000)	0
	जोड़ें / (कम)रु स्थगित कराधान के लिए प्रावधान	Add/(Less): Provision for Deferred Taxation	0	0
	जोड़ें / (कम)रु पिछले वर्षों के संबंध में कर के लिए प्रावधान	Add/(Less): Provision for tax in respect of earlier years	3756051	2981579
	कर अदायगी के बाद लाभ	Profit after Tax	15098917	(16910994)
	विनियोग	APPROPRIATIONS		
	(ए) वर्ष की शुरुआत में संतुलन	(a) Balance at the beginning of the year	0	0
	(बी) वर्ष के दौरान भुगतान अंतरिम लाभांश	(b) Interim dividends paid during the year	0	0
	(सी) प्रस्तावित अंतिम लाभांश	(c) Proposed final dividend	0	0
	(डी) लाभांश वितरण कर	(d) Dividend distribution tax	0	0
	(ई) रिजर्व / अन्य खातों में स्थानांतरणरु	(e) Transfer to reserves/ other accounts:		
	(प) सामान्य भंडार	(i) General Reserves	0	0
	(पप) अप्रत्याशित जोखिमों के लिए आकस्मिक रिजर्व	(ii) Contingency Reserve for Unexpired Risks	0	0
	लाभ / हानि का संतुलन पिछले साल से आगे लाया गया	Balance of profit/loss brought forward from last year	0	0
	शेष राशि बैलेंस शीट में आगे बढ़ी	Balance carried forward to Balance Sheet	15098917	(16910994)
	रुपये में बेसिक / पतला कमाई प्रति शेयर (ईपीएस) रु।	Basic/Diluted Earning Per Share (EPS) in Rs.	75.49	(84.55)

उपरोक्त अनुसूची बैलेंस शीट के अभिन्न अंग के रूप में संदर्भित है

The Schedules referred to above form integral part of the Balance Sheet

एस मान एंड कं. के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
एफआरएन नं. 000075एन  
For S. MANN & CO.  
Chartered Accountants  
FRN NO. 000075N

एच.के. चौधरी एंड कं. के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
एफआरएन नं. 006154एन  
For H.K.CHAUDHRY & CO.  
Chartered Accountants  
FRN NO. 006154

ए. वी. गिरिजाकुमार  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
A.V. Girijakumar  
Chairman-cum-Managing Director

सीए सुभाष मान  
साझेदार  
मेम्बरशिप नं. 080500  
CA SUBHASH MANN  
Partner  
M.No. 080500

सीए मोनीश बावेजा  
साझेदार  
मेम्बरशिप नं. 087384  
CA MONISH BAWEJA  
Partner  
M.No. 087384

बलवंत सिंह  
निदेशक एवं महाप्रबंधक  
BALWANT SINGH  
Director & General Manager

स्थान: नई दिल्ली  
दिनांक: 17.05.2018  
Place: New Delhi  
Dated : 17.05.2018

अतुल जेरथ  
महाप्रबंधक और वित्तीय सलाहकार  
ATUL JERATH  
General Manager & Financial Advisor

रश्मि बाजपेयी  
कंपनी सचिव  
सदस्यता नं. एफसीएस 8799  
RASHMI BAJPAI  
Company Secretary  
M.No. FCS 8799

सीए अजय गुप्ता  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
CA Ajay Gupta  
Chief Financial Officer





ओरिएंटल बीमा कंपनी लिमिटेड  
पंजीकरण क्रमांक 556 और दिनांक 25.02.2014 आईआरडीए के साथ नवीनीकरण  
31 मार्च 2018 को समाप्त को तुलन पत्र  
**THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED**  
**REGISTRATION NO. 556 AND DATE 25.02.2014 OF RENEWAL WITH IRDA**  
**BALANCE SHEET AS AT 31 MARCH 2018**

(₹. '000) (Rs. '000)

ब्यौरा	PARTICULARS	अनुसूची Schedule	31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
निधियों का स्रोत	SOURCES OF FUNDS			
होचर पूंजी	SHARE CAPITAL	5	2000000	2000000
आरक्षण और सर्पिल	RESERVES AND SURPLUS	6	29566886	14467969
विलम्बित टैक्स देयता	Deferred Tax Liability		0	0
उचित मूल्य परिवर्तन खाता	FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT			
पॉलिसीधारकों	POLICYHOLDERS		78375205	93515734
होचरधारकों	SHAREHOLDERS		8198533	9782326
उधारी	BORROWINGS	7	0	0
<b>कुल</b>	<b>TOTAL</b>		<b>118140624</b>	<b>119766029</b>
फंडों का आवेदन	APPLICATION OF FUNDS			
निवेश	INVESTMENTS	8 & 8A	228036679	228022027
ऋण	LOANS	9	1453961	1496960
अचल संपत्तियां	FIXED ASSETS	10	2157844	1961925
प्रगति में पूंजीगत कार्य	Capital Work In Progress	10	2906622	2336350
आस्थगित कर परिसंपत्ति	Deferred Tax Assets		0	0
वर्तमान संपत्तियां	CURRENT ASSETS:			
नकद और बैंक शेष	Cash and Bank Balances	11	22641841	23565923
अग्रिम और अन्य संपत्तियां	Advances and Other Assets	12	42643934	36239470
<b>उप-कुल (ए)</b>	<b>Sub-Total (A)</b>		<b>65285775</b>	<b>59805393</b>
वर्तमान देनदारियां	CURRENT LIABILITIES	13	120811288	120091180
प्रावधान	PROVISIONS	14	60888969	56888643
<b>उप-कुल (बी)</b>	<b>Sub-Total (B)</b>		<b>181700257</b>	<b>176979823</b>
नेट वर्तमान संपत्ति = (ए-बी)	NET CURRENT ASSETS = (A-B)		(116414482)	(117174430)
मस्तिष्क व्यय	MISCELLANEOUS EXPENDITURE			
(जहां लिखित या समायोजित नहीं किया गया है)	(to the extent not written off or adjusted)	15	0	3123197
लाभ और हानि खाते में जमा राशि	DEBIT BALANCE IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT		0	0
<b>कुल</b>	<b>TOTAL</b>		<b>118140624</b>	<b>119766029</b>

एस मान एंड कंपनी के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
एफआरएन नं. 000075एन  
For S. MANN & CO.  
Chartered Accountants  
FRN NO. 000075N

एच.के. चौधरी एंड कंपनी के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
एफआरएन नं. 006154एन  
For H.K.CHAUDHRY & CO.  
Chartered Accountants  
FRN NO. 006154

ए. वी. गिरिजाकुमार  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
A.V. Girijakumar  
Chairman-cum-Managing Director

सीए सुभाष मान  
साझेदार  
मेम्बरशिप नं. 080500  
CA SUBHASH MANN  
Partner  
M.No. 080500

सीए मोनीश बावेजा  
साझेदार  
मेम्बरशिप नं. 087384  
CA MONISH BAWEJA  
Partner  
M.No. 087384

बलवंत सिंह  
निदेशक एवं महाप्रबंधक  
BALWANT SINGH  
Director & General Manager

स्थान: नई दिल्ली  
दिनांक: 17.05.2018  
Place: New Delhi  
Dated : 17.05.2018

अतुल जेरथ  
महाप्रबंधक और वित्तीय सलाहकार  
ATUL JERATH  
General Manager & Financial Advisor

रश्मि बाजपेयी  
कंपनी सचिव  
सदस्यता नं. एफसीएस 8799  
RASHMI BAJPAI  
Company Secretary  
M.No. FCS 8799

सीए अजय गुप्ता  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
CA Ajay Gupta  
Chief Financial Officer





ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड  
अनुसूची 1

31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए प्रीमियम कमाई (नेट)  
THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

SCHEDULE -1

PREMIUM EARNED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2018

विवरण	Particulars	अग्नि/ FIRE		मरीन/ MARINE		विविध/MISCELLANEOUS						GRAND TOTAL	
		Year Ended	31.03.2017	Year Ended	31.03.2018	वर्ष 31.03.2017 समाप्त हुआ / Year Ended 31.03.2017		वर्ष समाप्त Year Ended	वर्ष समाप्त Year Ended	वर्ष समाप्त Year Ended	वर्ष समाप्त Year Ended	वर्ष समाप्त Year Ended	वर्ष समाप्त Year Ended
		31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017	TOTAL	Marine Hull	Marine Cargo	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017	
प्रत्यक्ष व्यापार से प्रीमियम	Premium from direct business	9966243	10428854	2130683	3146414	2251730	1688005	104255728	96801618	117368385	111170207		
जोड़े: पुनर्बीमा पर प्रीमियम स्वीकार किया गया	Add: Premium on reinsurance accepted	1744311	1607917	16677	60908	10451	91037	1773658	2048743	3578877	3758148		
घटाये: पुनर्बीमा पर प्रीमियम संपूर्ण नी	Less: Premium on reinsurance ceded	5866688	6073017	381496	1036636	342636	1320211	13761678	14968635	20665002	22704499		
नेट प्रीमियम	Net Premium	5843866	5963754	1765864	2170686	1919545	458831	92267708	83881726	100282260	92223856		
अप्रत्याशित जोखिम के लिए आरक्षित में परिवर्तन के लिए समायोजन।	Adjustment for changes in reserve for unexpired risk.	-59944	-140142	-76841	-130850	-87876	-4018	4192990	8623247	4002196	8391211		
कुल प्रीमियम अर्जित (नेट)	Total Premium Earned (Net)	5903810	6103896	1842705	2301536	2007421	462849	88074718	75258479	96280064	83832645		
भारत में व्यापार से प्रीमियम आय	Premium Income from business effected In India	5090646	5239262	1556022	1945290	1702285	430806	90380529	81673349	97416465	89045702		
भारत के बाहर नेट प्रीमियम	Outside India Net Premium	753220	724492	209842	225396	217260	28025	1887179	2208377	2865795	3178154		
		5843866	5963754	1765864	2170686	1919545	458831	92267708	83881726	100282260	92223856		





**ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड**  
**31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए मल्टिप्ल प्रीमियम अर्जित (नेट)**  
**THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED**  
**MISCELLANEOUS PREMIUM EARNED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2018**

(₹. '000) (Rs. '000)

विवरण	Particulars	मोटर/ MOTOR						कुल/ TOTAL	
		वर्ष 31.03.2018 का समापन Year Ended 31.03.2018		वर्ष 31.03.2017 का समापन Year Ended 31.03.2017		सीपी डीआर पूल TP D.R. POOL	सीपी कुल/ TP आर पूल TP D.R. POOL		
		ओडि/OD	सीपी नोन पूल TP - Non Pool	सीपी पूल TP POOL	सीपी डीआर पूल TP D.R. POOL				सीपी नोन पूल TP - Non Pool
सीधे व्यापार से प्रीमियम	Premium from direct business written	16684930	28282598	0	44967528	15611289	23681945	0	39293234
जोड़े-पुनर्बीमा पर प्रीमियम स्वीकार किया गया	Add: Premium on reinsurance accepted	9130	276	0	9406	4073	98	0	236401
घटाए: पुनर्बीमा पर प्रीमियम सौंपना	Less: Premium on reinsurance ceded	867878	1482867	0	2350745	801234	1255512	0	97992
नेट प्रीमियम	Net Premium	15826182	26800007	0	42626189	14814128	22426531	0	138409
में बदलाव के लिए समायोजन	Adjustment for changes in								
अप्रत्याशित जोखिम के लिए आरक्षित	reserve for unexpired risk.	506027	2186738	0	-69205	740708	2272907	0	-138363
कुल प्रीमियम अर्जित (नेट)	Total Premium Earned (Net)	15320155	24613269	0	69205	14073420	20153624	0	276772
व्यापार से प्रीमियम आय प्रभावित	Premium Income from business effected								
भारत में	In India	14673238	26646391	0	41319629	13509348	21960650	0	138409
भारत के बाहर	Outside India	1152944	153616	0	1306560	1304780	465881	0	0
नेट प्रीमियम	Net Premium	15826182	26800007	0	42626189	14814128	22426531	0	138409

विवरण	Particulars	इंजीनियरिंग/ ENGINEERING		विमानन/ AVIATION		कामगार की क्षतिपूर्ति/ WORKMEN'S COMPENSATION		निजी दुर्घटना/ PERSONAL ACCIDENT	
		वर्ष समाप्त Year Ended	वर्ष समाप्त Year Ended	वर्ष समाप्त Year Ended	वर्ष समाप्त Year Ended	वर्ष समाप्त Year Ended	वर्ष समाप्त Year Ended	वर्ष समाप्त Year Ended	वर्ष समाप्त Year Ended
		31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
सीधे व्यापार से प्रीमियम लिखा है	Premium from direct business written	2321128	2911278	881188	897953	613756	704731	5596105	5268987
जोड़े-पुनर्बीमा पर प्रीमियम स्वीकार किया गया	Add: Premium on reinsurance accepted	420515	314886	232833	211436	50	52	1209	11850
कमरू पुनर्बीमा पर प्रीमियम सुपूर्दी	Less: Premium on reinsurance ceded	713698	1164050	887689	912646	29087	34511	576093	1016377
नेट प्रीमियम	Net Premium	2027945	2062114	226332	196743	584719	670272	5021221	4264460
में बदलाव के लिए समायोजन	Adjustment for changes in								
अप्रत्याशित जोखिम के लिए आरक्षित	reserve for unexpired risk.	-17085	-258837	14795	3954	-42777	-43912	378381	1381232
कुल प्रीमियम अर्जित (नेट)	Total Premium Earned (Net)	2045030	2320951	211537	192789	627496	714184	4642840	2883228
व्यापार से प्रीमियम आय प्रभावित	Premium Income from business effected								
भारत में	In India	1891115	1967387	52607	58368	546143	627113	5006138	4235398
भारत के बाहर	Outside India	136830	94727	173725	138375	38576	43159	15083	29062
नेट प्रीमियम	Net Premium	2027945	2062114	226332	196743	584719	670272	5021221	4264460







ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए मस्तिष्क प्रीमियम अर्जित (नेट)

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

MISCELLANEOUS PREMIUM EARNED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2018

(₹. '000) (Rs. '000)

विवरण	स्वास्थ्य/ HEALTH		व्यय/LIABILITY		अन्य विविध/OTHER MISC.		कुल/TOTAL	
	वर्ष समाप्त Year Ended 31.03.2018	वर्ष समाप्त Year Ended 31.03.2017	वर्ष समाप्त Year Ended 31.03.2018	वर्ष समाप्त Year Ended 31.03.2017	वर्ष समाप्त Year Ended 31.03.2018	वर्ष समाप्त Year Ended 31.03.2017	वर्ष समाप्त Year Ended 31.03.2018	वर्ष समाप्त Year Ended 31.03.2017
सही व्यापार से प्रीमियम लिखा है	36084440	33233925	727765	705399	13063818	13786111	104255728	96801618
जोड़ें: पुनर्बीमा पर प्रीमियम स्वीकार किया गया	1936	0	60635	59670	1047074	1210277	1773658	2048743
कमः पुनर्बीमा पर प्रीमियम बमकमक	1934840	1660673	221817	206814	7047709	7818826	13761678	14968635
नेट प्रीमियम	34151536	31573252	566583	558255	7063183	7177562	92267708	83881726
जें बदलाव के लिए समायोजन								
अप्रत्याशित जोखिम के लिए आरक्षित।	1289142	3360151	4164	42381	-57190	1263027	4192990	8623247
कुल प्रीमियम अर्जित (नेट)	32862394	28213101	562419	515874	7120373	5914535	88074718	75258479
व्यापार से प्रीमियम आय								
आयत में	34034942	31557995	520752	515249	7009203	7103432	90380529	81673349
आयत के बाहर	116594	15257	45831	43006	53980	74130	1887179	2208377
नेट प्रीमियम	34151536	31573252	566583	558255	7063183	7177562	92267708	83881726





ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड  
अनुसूची - 2

31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए दावा (नेट)

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED  
SCHEDULE - 2

CLAIMS INCURRED (NET) FOR YEAR ENDED 31.03.2018

(₹. '000) (Rs. '000)

विवरण	Particulars	FIRE		MARINE				MISCELLANEOUS		GRAND TOTAL	
		वर्ष समाप्त Year Ended 31.03.2018	वर्ष समाप्त Year Ended 31.03.2017	वर्ष समाप्त/ Year Ended 31.03.2018	वर्ष समाप्त/ Year Ended 31.03.2017	वर्ष समाप्त Year Ended 31.03.2018	वर्ष समाप्त Year Ended 31.03.2017	वर्ष समाप्त Year Ended 31.03.2018	वर्ष समाप्त Year Ended 31.03.2017	वर्ष समाप्त Year Ended 31.03.2018	वर्ष समाप्त Year Ended 31.03.2017
भुगतान का भूगतान	Claims Paid										
प्रत्यक्ष	Direct	6548949	7134368	1417379	1164993	1164993	790570	2122325	84803247	68518466	93934568
जोड़े: पूर्ववर्तीमा स्वीकृत	Add: Reinsurance Accepted	1192588	930542	7658	65107	72765	-67	126194	694107	2155429	1959460
घटाएँ: पूर्ववर्तीमा संसाधित	Less: Reinsurance Ceded	3564296	4228542	198188	63898	837186	-27975	624101	12749506	7632925	17150988
शुद्ध दावों का भुगतान किया गया	Net Claims paid	4177241	3836368	1226849	591102	1817951	1359663	292730	72747849	63040970	78743041
जोड़े: चालू वर्ष के अंत में बकाया राशि	ADD: Claims Outstanding at the end of Current Year										
प्रत्यक्ष	Direct	17661145	17662844	1257171	5756962	7014133	1524341	6419577	119161032	105184949	143836310
जोड़े: पूर्ववर्तीमा स्वीकृत	Add: Reinsurance Accepted	2449647	2051369	6178	921656	983374	49282	647568	2865281	2912527	6298302
घटाएँ: पूर्ववर्तीमा स्वीकृत	Less: Reinsurance Ceded	10906801	11428644	310612	4908896	5219508	350829	5303040	30609931	19440668	46736240
चालू वर्ष के अंत में शुद्ध दावा बकाया	Net Claims Outstanding at the end of Current Year	9203991	8285569	1008277	1769722	2777999	1222794	1764105	91416382	88656807	103598372
घटाएँ: पिछले वर्ष के अंत में बकाया राशि	LESS: Claims Outstanding at the end of Prev. Year										
प्रत्यक्ष	Direct	17662844	17644696	1524341	6419577	7943918	1710329	592460	105184949	78500918	130791711
जोड़े: पूर्ववर्तीमा स्वीकृत	Add: Reinsurance Accepted	2051369	2106275	49282	647568	696850	53991	525904	2912527	2379490	5660746
घटाएँ: पूर्ववर्तीमा संसाधित	Less: Reinsurance Ceded	11428644	13183368	350829	5303040	5653869	444674	4898353	19440668	15509680	36523181
पिछले वर्ष के अंत में शुद्ध दावा बकाया	Net Claims Outstanding as at the end of the Previous Year	8285569	6567603	1222794	1764105	2986899	1319646	1220011	88656808	65370728	99929276
शुद्ध दावा किया गया	Net Claims Incurred										
प्रत्यक्ष	Direct	6547250	7152516	1150209	502378	1652587	1145767	1617687	98779329	95202496	106979166
जोड़े: पूर्ववर्तीमा स्वीकृत	Add: Reinsurance accepted	1590866	875636	20094	339195	359289	-4776	247925	646861	2688465	2597016
घटाएँ: पूर्ववर्तीमा संसाधित	Less: Reinsurance Ceded	3042453	2473818	157971	244854	402825	-121820	1028788	23918768	11563914	27364046
निवल दावे	NET CLAIMS INCURRED	5095663	5554334	1012332	596719	1609051	1262811	836824	75507423	86327048	82212137
दावेदारों को भुगतान किया	Claims paid to claimants										
भारत में	In India	3351316	3282349	1172716	584085	1756801	1312059	239899	70842158	61104657	75950275
भारत के बाहर	Outside India	825925	554019	54133	7017	61150	47604	52831	1905691	1936313	2792766
नेट दावा भुगतान किया	NET CLAIMS PAID	4177241	3836368	1226849	591102	1817951	1359663	292730	72747849	63040970	78743041





31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए दावा (नेट)  
CLAIMS INCURRED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2018

(₹. '000) (Rs. '000)

विवरण	मोटार/मोटोर										इंजीनियरिंग/ENGINEERING			
	अधि(OD)		टीपी नॉन टीपी - Non Pool		टीपी पूल TP POOL		अधि(OD)		टीपी नॉन टीपी - Non Pool		टीपी पूल TP POOL		समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2018	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2017
	अधि(OD)	टीपी नॉन टीपी - Non Pool	टीपी पूल TP POOL	टीपी अग्र पूल TP D.R. POOL	अधि(OD)	टीपी नॉन टीपी - Non Pool	टीपी पूल TP POOL	अधि(OD)	टीपी नॉन टीपी - Non Pool	टीपी पूल TP POOL	टीपी अग्र पूल TP D.R. POOL	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2018	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2017	
भुगतान का भुगतान														
प्रत्यक्ष	12070131	14267640	3283006	354103	29974880	10495832	11567696	3768805	361494	26193828	1406196	1677660		
जोड़े: पुनर्बीमा स्वीकृत	5074	0	1	0	5075	1541	209	0	339759	341509	222882	356895		
घटायें: पुनर्बीमा संसाधित	571650	1559359	0	23424	2154434	519964	1071219	0	1085468	2676651	528563	581791		
शुद्ध दावों का भुगतान किया गया	11503555	12708281	3283008	330678	27825521	9977409	10496687	3768805	-384215	23858686	1100514	1452764		
जोड़े: चालू वर्ष के अंत में बकाया दावा														
प्रत्यक्ष	5036822	7555570	10605654	1894716	93092762	5296617	58670180	13225133	5382245	82574175	4141255	5007097		
जोड़े: पुनर्बीमा स्वीकृत	78851	0	0	0	78851	23124	0	0	0	23124	929002	1226024		
कमरू पुनर्बीमा संसाधित	253848	20821456	0	39555	21114859	246138	9703324	0	44075	9993538	1710687	2196314		
शुद्ध दावा बकाया वर्तमान वर्ष	4861825	54734114	10605654	1855161	72056754	5073602	48966856	13225133	5338171	72603761	3359570	4036807		
घटायें: पिछले वर्ष के अंत में बकाया दावा														
प्रत्यक्ष	5296617	58670180	13225133	5382245	82574175	4244280	36330263	16054477	5931086	62560104	5007097	5812113		
जोड़े: पुनर्बीमा स्वीकृत	23124	0	0	0	23124	23712	0	0	0	23712	1226024	1023089		
घटायें: पुनर्बीमा संसाधित	246138	9703324	0	44075	9993538	275357	9505718	0	43596	9824671	2196314	2619955		
पिछले साल बकाया शुद्ध दावा	5073603	48966856	13225133	5338170	72603762	3992635	26824545	16054477	5887489	52759145	4036807	4215248		
शुद्ध दावा किया गया														
प्रत्यक्ष	11810337	31153030	663527	-3133426	40493467	11548169	33907614	939462	-187347	46207898	540353	872644		
जोड़े: पुनर्बीमा स्वीकार कर लिया	60800	0	1	0	60802	953	209	0	339759	340921	-74139	559830		
कमरू पुनर्बीमा सुपुर्दीनी	579360	12677491	0	18904	13275755	490745	1268825	0	1085947	2845517	42936	158150		
कुल दावों में शामिल	11291777	18475539	663528	-3152331	27278513	11058377	32638998	939462	-933534	43703302	423278	1274323		
दावेदारों को भुगतान दावा														
भारत में	10401774	12200842	3283008	330678	26216302	8953363	9731071	3768805	-384215	22069025	1038128	1404468		
भारत के बाहर	1101780	507439	0	1609219	1609219	1024045	765616	0	0	1789661	62386	48296		
कुल दावा भुगतान किया गया	11503555	12708281	3283008	330678	27825521	9977409	10496687	3768805	-384215	23858686	1100514	1452764		





31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए दावा (नेट)  
CLAIMS INCURRED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2018

(रु. '000) (Rs. '000)

विवरण	Particulars	कामगार की क्षतिपूर्ति/ WORKMEN'S COMPENSATION		विमानन/AVIATION		निजी दुर्घटना/PERSONAL ACCIDENT		स्वास्थ्य/HEALTH	
		वर्ष समाप्त/Year Ended 31.03.2018	वर्ष समाप्त/Year Ended 31.03.2017	वर्ष समाप्त/Year Ended 31.03.2018	वर्ष समाप्त/Year Ended 31.03.2017	वर्ष समाप्त/Year Ended 31.03.2018	वर्ष समाप्त/Year Ended 31.03.2017	वर्ष समाप्त/Year Ended 31.03.2018	वर्ष समाप्त/Year Ended 31.03.2017
दावा का भुगतान	Claims Paid								
प्रत्यक्ष	Direct	199487	176815	1053200	1263343	7988258	2127725	35749764	35062145
जोड़े: पुनर्बीमा स्वीकृत	Add: Reinsurance Accepted	0	0	259352	209669	1715	2491	0	0
घटायें: पुनर्बीमा सुपूर्दगी	Less: Reinsurance Ceded	12359	12773	1013351	1251158	2257526	1124581	1783050	1762605
शुद्ध दावों का भुगतान किया गया	Net Claims paid	187129	164042	299202	221854	5732448	1005635	33966714	33299540
जोड़े: चालू वर्ष के अंत में बकाया दावा	ADD: Claims Outstanding at the end of Current Year								
प्रत्यक्ष	Direct	392588	377507	1194171	1389577	3340485	3147991	7177989	4764495
जोड़े: पुनर्बीमा स्वीकृत	Add: Reinsurance Accepted	0	0	370743	275894	83	7817	31	16
घटायें: पुनर्बीमा सुपूर्दगी	Less: Reinsurance Ceded	23485	22278	1145818	1255582	488060	1000564	347740	243057
शुद्ध दावा बकाया वर्तमान वर्ष	Net Claims Outstanding Current Year	369103	355230	419096	409888	2852509	2155244	6830280	4521454
घटायें: पिछले साल के अंत में बकाया	LESS: Claims Outstanding at the end of Prev. Year								
प्रत्यक्ष	Direct	377507	308268	1389577	1268190	3147991	922534	4764495	3616441
जोड़े: पुनर्बीमा स्वीकृत	Add: Reinsurance Accepted	0	9143	275894	382468	7817	6266	16	16
घटायें: पुनर्बीमा सुपूर्दगी	Less: Reinsurance Ceded	22278	14039	1255582	1245128	1000564	176623	243057	150814
मिच्छे साल बकाया शुद्ध दावा	Net Claims Outstanding Previous Year	355230	303373	409888	405531	2155245	752178	4521454	3465644
शुद्ध दावा किया गया	Net Claims Incurred								
प्रत्यक्ष	Direct	214568	246054	857795	1384729	8180752	4353182	38163259	36210199
जोड़े: पुनर्बीमा स्वीकार कर लिया	Add: Reinsurance accepted	0	-9143	354201	103094	-6018	4041	15	0
घटायें: पुनर्बीमा सुपूर्दगी	Less: Reinsurance Ceded	13565	21012	903586	1261612	1745021	1948522	1887733	1854849
कुल दावों में शामिल	TOTAL CLAIMS IN-CURRED	201002	215899	308409	226211	6429712	2408702	36275541	34355350
दावेदारों को भुगतान दावा	Claims paid to claimants								
भारत में	In India	183139	156638	121663	143476	5728649	998054	33936417	33286405
भारत के बाहर	Outside India	3990	7403	177539	78377	3799	7582	30297	13135
कुल दावा भुगतान किया गया	Total Claims Paid	187129	164042	299202	221854	5732448	1005635	33966714	33299540





31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए दावा (नेट)  
CLAIMS INCURRED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2018

(₹. '000) (Rs. '000)

विवरण	Particulars		व्यय/LIABILITY		अन्य विविध OTHER MISCELLANEOUS		कुल/TOTAL	
	वर्ष समाप्त/ Year Ended 31.03.2018	वर्ष समाप्त/ Year Ended 31.03.2017	वर्ष समाप्त/ Year Ended 31.03.2018	वर्ष समाप्त/ Year Ended 31.03.2017	वर्ष समाप्त/ Year Ended 31.03.2018	वर्ष समाप्त/ Year Ended 31.03.2017	वर्ष समाप्त/ Year Ended 31.03.2018	वर्ष समाप्त/ Year Ended 31.03.2017
भुगतान का भुगतान								
प्रत्यक्ष	141577	45658	8289885	1971291	84803247	84803247	68518466	
जोड़े: पुनर्बीमा स्वीकृत	0	0	205083	1244866	694107	694107	2155429	
कमरू पुनर्बीमा संसाधित	88209	11829	4912014	211538	12749506	12749506	7632925	
शुद्ध दावों का भुगतान किया गया	53367	33830	3582953	3004618	72747849	72747849	63040970	
जोड़े: चारू वर्ष के अंत में बकाया दावा								
प्रत्यक्ष	1324321	1425646	8497460	6498461	119161032	119161032	105184949	
जोड़े: पुनर्बीमा स्वीकृत	5160	8372	1481411	1371280	2865281	2865281	2912527	
कमरू पुनर्बीमा संसाधित	1037426	1151607	4741856	3577728	30609931	30609931	19440668	
शुद्ध दावा बकाया वर्तमान वर्ष	292056	282410	5237015	4292013	91416382	91416382	88656808	
कम: पिछले वर्ष के अंत में बकाया दावा								
प्रत्यक्ष	1425646	1227234	6498461	2786032	105184949	105184949	78500918	
जोड़े: पुनर्बीमा सुपूर्दगी	8372	3003	1371280	931793	2912527	2912527	2379490	
घटायें: पुनर्बीमा सुपूर्दगी	1151607	975396	3577728	503056	19440668	19440668	15509680	
पिछले साल बकाया शुद्ध दावा	282410	254841	4292013	3214769	88656808	88656808	65370728	
शुद्ध दावा किया गया								
प्रत्यक्ष	40252	244070	10288884	5683720	98779329	98779329	95202496	
जोड़े: पुनर्बीमा स्वीकार कर लिया	-3212	5369	315213	1684353	646861	646861	2688465	
कमरू पुनर्बीमा सुपूर्दगी	-25972	188040	6076142	3286210	23918768	23918768	11563914	
कुल दावों में शामिल	63013	61399	4527955	4081863	75507423	75507423	86327047	
दावेदारों को भुगतान दावा								
भारत में	52923	33432	3564936	3013158	70842158	70842158	61104657	
भारत के बाहर	444	398	18017	-8540	1905691	1905691	1936313	
कुल दावा भुगतान किया गया	53367	33830	3582953	3004618	72747849	72747849	63040970	







ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड  
अनुसूची -3

31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए आयोग शामिल (नेट)  
THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED  
SCHEDULE -3

COMMISSION INCURRED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2018

विवरण	Particulars	FIRE		MARINE				MISCELLANEOUS		GRAND TOTAL	
		वर्ष समाप्त/ Year Ended 31.03.2018	वर्ष समाप्त/ Year Ended 31.03.2017	वर्ष समाप्त/ Year Ended 31.03.2018	TOTAL	Marine Cargo	Marine Hull	वर्ष समाप्त/ Year Ended 31.03.2018	वर्ष समाप्त/ Year Ended 31.03.2017	वर्ष समाप्त Year Ended 31.03.2018	वर्ष समाप्त Year Ended 31.03.2017
कमीशन का भुगतान	Commission paid										
प्रत्यक्ष	Direct	957487	867015	264932	290525	288671	29109	317780	6238143	4790021	7486155
नोट: पुनर्बीमा स्वीकृत	Add: Re-insurance Accepted	309085	303527	4760	6190	1880	14723	16603	310503	300330	630538
घटकों: पुनर्बीमा संकायित	Less: Re-Insurance Ceded	305867	483586	40974	43359	31247	56787	88034	1352475	1021108	1744675
नेट कमीशन	Net commission	960705	686956	228718	(13576)	259304	(12955)	246349	5196171	4069243	6372018
											5002548

(₹. '000) (Rs. '000)

31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए मसिक्त आयोग (नेट)

MISCELLANEOUS COMMISSION INCURRED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2018

विवरण	Particulars	MOTOR									
		ऑडि/OD	वैसी नोन पूल TP- Non Pool	वैसी डीआर पूल TP D.R. POOL	वैसी पूल TP POOL	ऑडि/OD	वैसी नोन पूल TP- Non Pool	वैसी डीआर पूल TP D.R. POOL			
कमीशन का भुगतान	Commission paid										
प्रत्यक्ष	Direct	2467319	238026	0	2705345	1556227	124006	0	1680233		
नोट: पुनर्बीमा स्वीकृत	Add: On Re-insurance Accepted	2352	41	0	2393	862	(608)	0	254		
घटकों: पुनर्बीमा सुपुर्तनी	Less: On Re-Insurance Ceded	143319	70311	0	213630	190456	0	0	190456		
नेट कमीशन	Net commission	2326352	167756	0	2494108	1366633	123398	0	1490031		





विवरण	Particulars	ENGINEERING		WORKMEN'S COMPENSATION		AVIATION	
		समाप्त वर्ष/ Year Ended 31.03.2018	समाप्त वर्ष/ Year Ended 31.03.2017	समाप्त वर्ष/ Year Ended 31.03.2018	समाप्त वर्ष/ Year Ended 31.03.2017	समाप्त वर्ष/ Year Ended 31.03.2018	समाप्त वर्ष/ Year Ended 31.03.2017
कमीशन का भुगतान	Commission paid						
प्रत्यक्ष	Direct	173352	156615	94725	76220	11448	10279
जोड़ें: पुनर्बीमा स्वीकृत	Add: On Re-insurance Accepted	94437	70847	11	17	35194	35689
घटाएँ: पुनर्बीमा संकाधित	Less: On Re-Insurance Ceded	68081	234349	4406	5369	24553	21766
नेट कमीशन	Net commission	199708	(6887)	90330	70868	22089	24202

विवरण	Particulars	इंजीनियरिंग/ENGINEERING		कामगार क्षतिपूर्ति/WORKMEN'S COMPENSATION		विमान/AVIATION	
		समाप्त वर्ष/ Year Ended 31.03.2018	समाप्त वर्ष/ Year Ended 31.03.2017	समाप्त वर्ष/ Year Ended 31.03.2018	समाप्त वर्ष/ Year Ended 31.03.2017	समाप्त वर्ष/ Year Ended 31.03.2018	समाप्त वर्ष/ Year Ended 31.03.2017
कमीशन का भुगतान	Commission paid						
प्रत्यक्ष	Direct	118783	170576	2533315	2089583	71993	86305
जोड़ें: पुनर्बीमा स्वीकृत	Add: On Re-insurance Accepted	340	6393	194	0	233	101
घटाएँ: पुनर्बीमा संकाधित	Less: On Re-Insurance Ceded	83710	216509	252905	166067	5744	5934
नेट कमीशन	Net commission	35413	(39540)	2280604	1923516	66482	80472

विवरण	Particulars	अन्य विविध/OTHER MISCELLANEOUS		कुल/TOTAL	
		समाप्त वर्ष/ Year Ended 31.03.2018	समाप्त वर्ष/ Year Ended 31.03.2017	समाप्त वर्ष/ Year Ended 31.03.2018	समाप्त वर्ष/ Year Ended 31.03.2017
कमीशन का भुगतान	Commission paid				
प्रत्यक्ष	Direct	529182	520210	6238143	4790021
जोड़ें: पुनर्बीमा स्वीकृत	Add: On Re-insurance Accepted	177701	187029	310503	300330
घटाएँ: पुनर्बीमा सुपुर्दगी	Less: On Re-Insurance Ceded	699446	180658	1352475	1021108
नेट कमीशन	Net commission	7437	526581	5196171	4069243





ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड  
अनुसूची -3

31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए एजेंटों की कमीशन और ब्रोकरेज की अनुसूची (केवल सकल)

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

SCHEDULE -3

**SCHEDULE OF AGENTS COMMISSION AND BROKERAGE FOR THE YEAR ENDED 31.03.2018 (GROSS ONLY)**

(₹. '000) (Rs. '000)

व्यौरा	PARTICULARS	अग्नि/Fire	मरीन कर्गो M. Cargo	मरीन हल M. Hull	मोटर ओडी Motor OD	मोटर टीपी नोन- Pool	मोटर टीपी डी Motor DR Pool	मोटर टीपी (जीआईसी) पूल Motor TP (GIC Pool)
एजेंट	Agents	730363	179063	5683	1667474	226293	0	0
ब्रोकर	Brokers	222728	85861	19910	538170	11734	0	0
कॉर्पोरेट एजेंसी	Corporate Agency	4397	8	0	0	0	0	0
एमआईएसपी को पारिश्रमिक	Remuneration to MISIP	0	0	0	261675	0	0	0
अन्य, अगर कोई है	Others, if any	0	0	0	0	0	0	0
कुल ₹.	<b>Total Rs.</b>	<b>957488</b>	<b>264932</b>	<b>25593</b>	<b>2467319</b>	<b>238027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

व्यौरा	PARTICULARS	विमानन Aviation	डब्ल्यू सी W.C.	व्याज Liability	स्वास्थ्य Health	पीए P.A.	अन्य विविध Other Misc.	कुल TOTAL
एजेंट	Agents	316	87658	55877	1951960	94220	366120	5458086
ब्रोकर	Brokers	11132	7067	16116	581354	24563	138656	1737584
कॉर्पोरेट एजेंसी	Corporate Agency	0	0	0	0	0	24405	28810
एमआईएसपी को पारिश्रमिक	Remuneration to MISIP	0	0	0	0	0	0	261675
अन्य, अगर कोई है	Others, if any	0	0	0	0	0	0	0
कुल ₹.	<b>Total Rs.</b>	<b>11448</b>	<b>94725</b>	<b>71993</b>	<b>2533314</b>	<b>118783</b>	<b>529181</b>	<b>7486155</b>





अनुसूची - 4

31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए बीमा कारोबार से संबंधित ऑपरेटिंग खर्च

SCHEDULE - 4

OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS FOR THE YEAR ENDED  
31.03.2018

(₹. '000) (Rs. '000)

विवरण	Particulars	समाप्त वर्ष/ Year Ended 31.03.2018		समाप्त वर्ष/ Year Ended 31.03.2017	
		राशि/ AMOUNT	राशि/ AMOUNT	राशि/ AMOUNT	राशि/ AMOUNT
कर्मचारी पारिश्रमिक और कल्याण लाभ	Employees remuneration & Welfare Benefits		19974638		21406972
यात्रा, वाहन और वाहन चलने का खर्च	Travel, Conveyance and Vehicle Running Expenses		447600		425962
प्रशिक्षण	Training		59097		67290
किराया, दरें और कर	Rent, Rates & Taxes		835293		781931
मरम्मत	Repairs		189298		154750
छपाई और स्टेशनरी	Printing & Stationery		211615		202971
संचार	Communication		190731		201821
कानूनी और व्यावसायिक व्यय ₹	Legal & Professional Expenses #		88012		61151
लेखा परीक्षकों की फीस, व्यय आदि	Auditors' fees, expenses etc.				
(ए) लेखा परीक्षक के रूप में	(a) as auditor		44047		44617
(बी) सलाहकार के रूप में या किसी अन्य क्षमता में, के संबंध में	(b) as adviser or in any other capacity, in respect of				
i) कराधान मामलों	i) taxation matters		0		0
ii) बीमा मामलों	ii) insurance matters		115		345
iii) प्रबंधन सेवाएं	iii) management services		8		38
(सी) किसी अन्य क्षमता में	(c) in any other capacity		1336		1505
विज्ञापन और प्रचार	Advertisement & Publicity		246123		122814
ब्याज और बैंक शुल्क	Interest & Bank Charges		80542		90207
अन्य लोग	Others				
ए) विद्युत शुल्क	a) Electricity Charges	150026		150590	
बी) बीमा और कंपनी अधिनियम आदि के तहत शुल्क	b) Fee under Insurance & Company Act etc.	95135		135640	
सी) एलपीए सदस्यता	c) LPA Subscription	0		95	
डी) पॉलिसी टिकटों का खर्च	d) Policy Stamps Expenses	29497		29662	
ई) अन्य	e) Others	1901658	2176316	1746179	2062166
मूल्यह्रास	Depreciation		459031		233600
सेवा कर खाता	Service Tax A/c		491805		379089
आउटसोर्सिंग / इंफ्रास्ट्रक्चर व्यय	Outsourcing/Infrastructure Expenses		1434295		1975169
बीमा कारोबार से संबंधित कुल ऑपरेटिंग खर्च	TOTAL OPERATING EXPENSES RELATING TO INSURANCE BUSINESS		26929901		28212398





**अनुसूची -5**  
**31.03.2018 को कैपिटल शेयर करें**  
**SCHEDULE -5**  
**SHARE CAPITAL AS AT 31.03.2018**

(₹. '000) (Rs. '000)

क्र.सं. Sl. No.	विवरण	Particulars	As at 31.03.2018 को	As at 31.03.2017 को
1	अधिकृत पूंजी	Authorised Capital		
	प्रत्येक 10 रुपये के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर	20,00,00,000 Equity Shares of Rs 10 each	2000000	2000000
2	जारी पूंजी	Issued Capital		
	प्रत्येक 10 रुपये के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर	20,00,00,000 Equity Shares of Rs 10 each	2000000	2000000
3	अभिदत्त पूंजी	Subscribed Capital		
	प्रत्येक 10 रुपये के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर	20,00,00,000 Equity Shares of Rs 10 each	2000000	2000000
4	बुलाया और भुगतान पूंजी	Called and Paid-up Capital		
	प्रत्येक 10 रुपये के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर	20,00,00,000 Equity Shares of Rs 10 each	2000000	2000000
5	कमरु भुगतान न किए गए कॉल	Less: Calls Unpaid	0	0
	जोड़ेंरु इक्विटी शेयर जब्त (मूल रूप से भुगतान किया गया राशि)	Add: Equity Shares Forfeited (Amount Originally Paid up)	0	0
	कम: प्रारंभिक व्यय	Less: Preliminary Expenses	0	0
	अंडरराइटिंग पर कमिशन या ब्रोकरेज सहित व्यय	Expenses including commission or brokerage on underwriting		
	या शेयरों की सदस्यता	or subscription of shares		
	कुल	<b>Total</b>	<b>2000000</b>	<b>2000000</b>

**अनुसूची - 5 ए**  
**31.03.2018 को शेयरहोल्डिंग के पैटर्न**  
**खर्बंधन द्वारा प्रमाणित के रूप में,**  
**SCHEDULE - 5A**  
**PATTERN OF SHAREHOLDING AS AT 31.03.2018**  
**[As certified by the Management]**

(₹. '000) (Rs. '000)

शेयरहोल्डर	Shareholder	As at 31.03.2018		As at 31.03.2017	
		Number of Shares	% of Holding	Number of Shares	% of Holding
प्रमोटर्स	Promoters				
भारतीय	Indian	200000000	100%	200000000	100%
विदेशी	Foreign	0	0	0	0
अन्य लोग	Others	0	0	0	0
कुल	<b>Total</b>	<b>200000000</b>	<b>100%</b>	<b>200000000</b>	<b>100%</b>







अनुसूची-6  
ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड  
31.03.2018 को रिजर्व एवं अधिशेष  
SCHEDULE -6

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED  
RESERVES AND SURPLUS AS AT 31.03.2018

(₹. '000) (Rs. '000)

Sl.No.	विवरण	Particulars	As at 31.03.2018	As at 31.03.2017
1	संपत्ति कोष	Capital Reserve	2565	2565
2	पूंजी रिडेम्पशन रिजर्व	Capital Redemption Reserve		
3	अंश बढौती	Share Premium		
4	सामान्य भंडार	General Reserves	14465404	31376398
	कमरू लाभ और हानि खाते में डेबिट बैलेंस	Less: Debit Balance in Profit & Loss Account	0	-16910994
	कमरू खरीद-बैक के लिए उपयोग की गई राशि	Less: Amount Utilised for Buy-Back		
5	आपदा रिजर्व	Catastrophe Reserve		
6	अप्रत्याशित जोखिमों के लिए आकरिमक रिजर्व	Contingency Reserve for Unexpired Risks	0	0
7	लाभ और हानि खाते में लाभ का शेष	Balance of Profit in Profit & Loss Account	15098917	0
	कुल	Total	29566886	14467969

अनुसूची -7  
ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड  
31.03.2018 को बोरवॉइंग  
SCHEDULE -7

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED  
BORROWINGS AS AT 31.03.2018

(₹. '000) (Rs. '000)

S. No.	विवरण	Particulars	As at 31.03.2018	As at 31.03.2017
1	डिबेंचर / बांड	Debentures / Bonds	0	0
2	बैंकों	Banks	0	0
3	वित्तीय संस्थाएँ	Financial Institutions	0	0
4	अन्य (निर्दिष्ट करने के लिए)	Others (to be specified)	0	0
	कुल	Total	0	0

अनुसूची -8  
ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड  
31.03.2018 को निवेश-शेयरधारकों के निवेश  
SCHEDULE -8

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED  
Investments-Shareholders Investments as at 31.03.2018

(₹. '000) (Rs. '000)

S.No.	विवरण	Particulars	As at 31.03.2018 को	As at 31.03.2017 को
	लंबी अवधि के निवेश	Long Term Investments		
1	ट्रेजरी बिल सहित सरकारी प्रतिभूतियां और सरकारी गारंटीकृत बांड	Government Securities and Government Guaranteed Bonds including Treasury Bills	5877180	9391348
2	अन्य स्वीकृत सिक्क्योरिटीज	Other Approved Securities	60887	0
3	अन्य निवेश	Other Investments		





S.No.	विवरण	Particulars	As at 31.03.2018 को	As at 31.03.2017 को
	ए) शेयर	a) Shares		
	(प) इक्विटी	(i) Equity	9655255	21986846
	(पप) प्राथमिकता शेयर	(ii) Preference shares	6154	19260
	बी) म्यूचुअल फंड	b) Mutual Funds	0	0
	सी) डिबेंचर / बांड	c) Debentures / Bonds	1416784	5223032
	डी) निवेश संपत्ति - रियल एस्टेट	d) Investment Properties - Real Estate	0	0
	ई) अन्य प्रतिभूतियां (निर्दिष्ट करने के लिए)	e) Other Securities (to be specified)		
	प) सहायक	i) Subsidiaries	47	97
	पप) वेंचर फंड	ii) Venture Fund	50673	116220
4	इंफ्रास्ट्रक्चर और आवास में निवेश	Investment in Infrastructure & Housing		
	ए) डिबेंचर (अन्य)	a) Debentures (others)	1930108	2542978
	बी) इक्विटी	b) Equity	1306824	2708197
	लघु अवधि के निवेश	<b>Short Term Investments</b>		
1	ट्रेजरी बिल सहित सरकारी प्रतिभूतियां और सरकारी गारंटीकृत बांड	Government Securities and Government Guaranteed Bonds including Treasury Bills	201857	476758
2	अन्य स्वीकृत सिक्क्योरिटीज	Other Approved Securities	0	309
3	अन्य निवेश	Other Investments		
	ए) शेयर	a) Shares		
	(प) इक्विटी	(i) Equity	0	0
	(पप) प्राथमिकता शेयर	(ii) Preference shares	15576	2521
	बी) म्यूचुअल फंड	b) Mutual Funds	280309	827179
	सी) डिबेंचर / बांड	c) Debentures / Bonds	274048	789364
	डी) निवेश संपत्ति - रियल एस्टेट	d) Investment Properties - Real Estate	0	0
	ई) अन्य प्रतिभूतियां (निर्दिष्ट करने के लिए)	e) Other Securities (to be specified)		
	प) सहायक	i) Subsidiaries	0	0
	पप) वेंचर फंड	ii) Venture Fund	0	0
4	इंफ्रास्ट्रक्चर और आवास में निवेश	Investment in Infrastructure & Housing		
	ए) डिबेंचर (अन्य)	a) Debentures (others)	519369	243373
	बी) इक्विटी	b) Equity	0	0
	<b>कुल निवेश</b>	<b>Total Investments</b>	<b>21595071</b>	<b>44327482</b>
	निवेश	Investments		
1	भारत में	In India	21575790	44287883
2	भारत के बाहर	Outside India	19281	39599
	<b>कुल</b>	<b>Total</b>	<b>21595071</b>	<b>44327482</b>

नोट: आईआरडीए परिपत्र आईआरडीए / एफएंडए / सीआईआर / सीपीएम / 010/01/2017 डीटी के अनुसार प्रारूप में बदलाव के संदर्भ में जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़े फिर से समूहित किए गए हैं। 12 जनवरी, 2017।

- सूचीबद्ध इक्विटी शेयर / म्यूचुअल फंड के अलावा कंपनी के निवेश की कुल राशि 1,04,217.09 लाख रुपये है और बाजार मूल्य 1,03,782.17 लाख रुपये है।
- डिबेंचर में निवेश के खिलाफ 1,25.07 लाख रुपये का प्रावधान अनुसूची 14 में खराब और संदिग्ध ऋण के प्रावधान के तहत समूहीकृत किया गया है।
- डिबेंचर में निवेश के खिलाफ 1,65.07 लाख रुपये का प्रावधान अनुसूची 14 में मानक संपत्ति पर प्रावधानों के तहत समूहीकृत किया गया है।
- इक्विटी में निवेश के खिलाफ 50.79 लाख रुपये का प्रावधान अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्य में कमी के प्रावधान के तहत समूहीकृत किया गया है।
- वेंचर कैपिटल में निवेश के खिलाफ 85.28 लाख रुपये का प्रावधान अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्य में कमी के प्रावधानों के तहत समूहीकृत किया गया है।

Note: Figures of previous year have been re-grouped wherever necessary in view of the change in the format as per IRDA Circular IRDA/F&A/CIR/CPM/010/01/2017 dt. Jan 12, 2017.

- Aggregate amount of company's Investments other than listed Equity Shares/Mutual Funds is Rs1,04,217.09 lacs and Market Value thereof is Rs 1,03,782.17 lacs.
- Provision of Rs.125.07 lacs against Investment in debenture is grouped under Provision for Bad & Doubtful Debts in Schedule 14.
- Provision of Rs165.07 lacs against Investment in debenture is grouped under Provisions on Standard Assets in Schedule 14.
- Provision of Rs50.79 lacs against investment in equity is grouped under Provision for Diminution in value of shares in Schedule 14.
- Provision of Rs85.28 lacs against investment in Venture Capital is grouped under Provisions for Diminution in value of shares in Schedule 14.





- vi) सहायक कंपनियों में निवेश रु 0.47 लाख रुपये का प्रावधान अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्य में कमी के प्रावधानों के तहत समूहित किया गया है।
- vii) प्रीफ में निवेश के खिलाफ 8.24 लाख रुपये का प्रावधान। अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधानों के तहत शेयरों को समूहीकृत किया गया है।
- viii) एसोसिएट में कंपनी के निवेश की राशि जैसे कि इंटरनेशनल इश्योरेंस पीटीई लिमिटेड 37.04 लाख है और भारत का स्वास्थ्य बीमा टीपीए 187.58 लाख है और इसे दीर्घकालिक निवेश शेयरों के तहत समूहीकृत किया जाता है – इक्विटी
- vi) Provision of Rs.0.47 lacs against investment in subsidiaries is grouped under Provisions for Diminution in value of shares in Schedule 14.
- vii) Provision of Rs.8.24 lacs against investment in Pref. Shares is grouped under Provisions for Diminution in value of shares in Schedule 14.
- viii) Amount of company's Investment in Associate viz India International Insurance PTE Ltd is 37.04 lacs and Health Insurance TPA of india is 187.58 lacs and is grouped under Long Term Investments Shares - Equity

**अनुसूची -8 ए**  
**ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड**  
**31.03.2018 को निवेश-पॉलिसीधारक निवेश**  
**SCHEDULE -8 A**  
**THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED**  
**Investments-Policyholders Investments as at 31.03.2018**

(रु. '000) (Rs. '000)

S.No.	विवरण	Particulars	As at 31.03.2018 को	As at 31.03.2017 को
	<b>लंबी अवधि के निवेश</b>	<b>Long Term Investments</b>		
1	ट्रेजरी बिल सहित सरकारी प्रतिभूतियां और सरकारी गारंटीकृत बांड	Government Securities and Government Guaranteed Bonds including Treasury Bills	56183859	38918054
2	अन्य स्वीकृत सिक्योरिटीज	Other Approved Securities	582063	0
3	अन्य निवेश	Other Investments		
	ए) शेयर	a) Shares		
	(i) इक्विटी	(i) Equity	92300979	91114215
	(ii) प्राथमिकता शेयर	(ii) Preference shares	58833	79812
	बी) म्यूचुअल फंड	b) Mutual Funds	0	0
	सी) डिबेंचर / बांड	c) Debentures / Bonds	13543972	21644414
	डी) निवेश संपत्ति - रियल एस्टेट	d) Investment Properties - Real Estate	0	0
	ई) अन्य प्रतिभूतियां (निर्दिष्ट करने के लिए)	e) Other Securities (to be specified)		
	i) सहायक	i) Subsidiaries	453	403
	ii) वेंचर फंड	ii) Venture Fund	484415	481620
4	इंफ्रास्ट्रक्चर और आवास में निवेश	Investment in Infrastructure & Housing		
	ए) डिबेंचर (अन्य)	a) Debentures (others)	18451181	10538182
	बी) इक्विटी	b) Equity	12492797	11222858
	<b>लघु अवधि के निवेश</b>	<b>Short Term Investments</b>		
1	ट्रेजरी बिल सहित सरकारी प्रतिभूतियां और सरकारी गारंटीकृत बांड	Government Securities and Government Guaranteed Bonds including Treasury Bills	1929686	1975701
2	अन्य स्वीकृत सिक्योरिटीज	Other Approved Securities	0	1282
3	अन्य निवेश	Other Investments		
	ए) शेयर	a) Shares		
	(i) इक्विटी	(i) Equity	0	0
	(ii) प्राथमिकता शेयर	(ii) Preference shares	148902	10449
	बी) म्यूचुअल फंड	b) Mutual Funds	2679664	3427856
	सी) डिबेंचर / बांड	c) Debentures / Bonds	2619811	3271151
	डी) निवेश संपत्ति - रियल एस्टेट	d) Investment Properties - Real Estate	0	0
	ई) अन्य प्रतिभूतियां (निर्दिष्ट करने के लिए)	e) Other Securities (to be specified)		
	i) सहायक	i) Subsidiaries	0	0





S.No.	विवरण	Particulars	As at 31.03.2018 को	As at 31.03.2017 को
	ii) वेंचर फंड	ii) Venture Fund	0	0
4	इंफ्रास्ट्रक्चर और आवास में निवेश	Investment in Infrastructure & Housing		
	ए) डिबेंचर (अन्य)	a) Debentures (others)	4964993	1008548
	बी) इक्विटी	b) Equity	0	0
	कुल निवेश	Total Investments	206441608	183694545
	निवेश	Investments		
1	भारत में	In India	206257263	183530444
2	भारत के बाहर	Outside India	184345	164101

नोट आईआरडीए परिपत्र आईआरडीए / एफएंडए / सीआईआर / सीपीएम / 010/01/2017 दिनांक 12 जनवरी, 2017 के अनुसार प्रारूप में बदलाव के संदर्भ में जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़े फिर से समूहित किए गए हैं।।

- सूचीबद्ध इक्विटी शेयर / म्यूचुअल फंड के अलावा कंपनी के निवेश की कुल राशि 996,280.18 लाख रुपये है और बाजार मूल्य 992,122.48 लाख रुपये है।
- डिबेंचर में निवेश के खिलाफ 195.67 लाख रुपये का प्रावधान अनुसूची 14 में खराब और संदिग्ध ऋण के प्रावधान के तहत समूहीकृत किया गया है।
- डिबेंचर में निवेश के खिलाफ 1577.97 लाख रुपये का प्रावधान अनुसूची 14 में मानक संपत्ति पर प्रावधानों के तहत समूहीकृत किया गया है।
- इक्विटी में निवेश के खिलाफ 485.49 लाख रुपये का प्रावधान अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्य में कमी के प्रावधान के तहत समूहीकृत किया गया है।
- वेंचर कैपिटल में निवेश के खिलाफ 815.29 एक्स के प्रावधान को अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्य में कमी के प्रावधानों के तहत समूहीकृत किया गया है।
- सहायक कंपनियों में निवेश के खिलाफ 4.53 लाख रुपये का प्रावधान अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्य में कमी के प्रावधानों के तहत समूहीकृत किया गया है।
- ग्रीफ में निवेश के खिलाफ 7.81 लाख रुपये का प्रावधान। अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधानों के तहत शेयरों को समूहीकृत किया गया है।
- एसोसिएट में कंपनी के निवेश की राशि जैसे कि इंटरनेशनल इश्योरेंस पीटीई लिमिटेड 354.07 लाख है और भारत का स्वास्थ्य बीमा टीपीए 1793.17 लाख है और इसे दीर्घकालिक निवेश शेयरों के तहत समूहीकृत किया जाता है – इक्विटी

Note Figures of previous year have been re-grouped wherever necessary in view of the change in the format as per IRDA Circular IRDA/ F&A/CIR/CPM/010/01/2017 dt. Jan 12, 2017.

- Aggregate amount of company's Investments other than listed Equity Shares/Mutual Funds is Rs996,280.18/- lacs and Market Value thereof is Rs 992,122.48 lacs.
- Provision of Rs.1195.67 lacs against Investment in debenture is grouped under Provision for Bad & Doubtful Debts in Schedule 14.
- Provision of Rs1577.97 lacs against Investment in debenture is grouped under Provisions on Standard Assets in Schedule 14.
- Provision of Rs485.49/- lacs against investment in equity is grouped under Provision for Diminution in value of shares in Schedule 14.
- Provision of Rs815.29 lacs against investment in Venture Capital is grouped under Provisions for Diminution in value of shares in Schedule 14.
- Provision of Rs.4.53 lacs against investment in subsidiaries is grouped under Provisions for Diminution in value of shares in Schedule 14.
- Provision of Rs.78.81 lacs against investment in Pref. Shares is grouped under Provisions for Diminution in value of shares in Schedule 14.
- Amount of company's Investment in Associate viz India International Insurance PTE Ltd is 354.07 lacs and Health Insurance TPA of India is 1793.17 lacs and is grouped under Long Term Investments Shares - Equity

**अनुसूची -9**  
**ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड**  
**31.03.2018 को ऋण**  
**SCHEDULE -9**

**THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED**  
**LOANS AS AT 31.03.2018**

(रु. '000) (Rs. '000)

क्र.सं. S.No.	विवरण	Particulars	As at 31.03.2018 को	As at 31.03.2017 को
1	सुरक्षा-वार वर्गीकरण	Security-Wise Classification		
	सुरक्षित	Secured		
	(ए) संपत्ति के बंधक पर	(a) On Mortgage of Property		
	(i) भारत में	(i) In India	0	0
	(ii) भारत के बाहर	(ii) Outside India	0	0
	(बी) शेयरों, बांड, सरकारी प्रतिभूतियों पर	(b) On Shares, Bonds, Government Securities	0	0
	(सी) अन्य	(c) Others	1003666	896249
	(i) आवास के लिए आवास ऋण	(i) Housing Loans to Staff		
	(ii) राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत आवास और एफएफई के लिए राज्य सरकारों को सावधि ऋण और ऋण।	(ii) Term Loans and loans to state govts for housing & FFES, guaranteed by State Govts.	385995	536412





क्र.सं. S.No.	विवरण	Particulars	As at 31.03.2018 को	As at 31.03.2017 को
	असुरक्षित (टर्म लोन, ब्रिज लोन, सर्टिफिकेट जमा, वाणिज्यिक कागज)	Unsecured (Term loans, Bridge loans, Certificate of deposit, Commercial paper )	64299	64299
	<b>कुल</b>	<b>Total</b>	<b>1453960</b>	<b>1496960</b>
2	उधारकर्ता-वार वर्गीकरण	Borrower-Wise Classification		
	(ए) केंद्रीय और राज्य सरकारें	(a) Central and State Governments	294672	347100
	(बी) बैंक और वित्तीय संस्थान	(b) Banks and Financial Institutions	0	0
	(सी) सहायक	(c) Subsidiaries	0	0
	(डी) कंपनियां / औद्योगिक उपक्रम	(d) Companies/Industrial Undertakings	155622	253611
	(ई) नीतियों के खिलाफ ऋण	(e) Loan against policies	0	0
	(एफ) अन्य	(f) Others (i) Staff	1003666	896249
	(i) कर्मचारी			
	(ii) वाणिज्यिक पत्र	(ii) Commercial Papers	0	0
	<b>कुल</b>	<b>Total</b>	<b>1453960</b>	<b>1496960</b>
3	प्रदर्शन-वार वर्गीकरण	Performance-Wise Classification		
	(ए) मानक के रूप में वर्गीकृत ऋण	(a) Loans classified as standard		
	(ए) भारत में	(a) In India	1310118	1255729
	(बी) भारत के बाहर	(b) Outside India	0	0
	(बी) गैर-निष्पादित ऋण कम प्रावधान	(b) Non-Performing loans less provisions		
	(ए) भारत में	(a) In India	452	11856
	(बी) भारत के बाहर	(b) Outside India	0	0
	प्रावधान	Provision	143390	229375
	<b>कुल</b>	<b>Total</b>	<b>1453960</b>	<b>1496960</b>
4	परिपक्वता-बुद्धि वर्गीकरण	Maturity-Wise Classification		
	(ए) शॉर्ट टर्म	(a) Short-Term	54270	20656
	(बी) लंबी अवधि	(b) Long-Term	1399690	1476304
	<b>कुल</b>	<b>Total</b>	<b>1453960</b>	<b>1496960</b>

अनुसूची -10  
ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड  
31.03.2018 को तय संपत्तियों की अनुसूची  
SCHEDULE -10

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED  
SCHEDULE OF FIXED ASSETS AS AT 31.03.2018

(₹. '000) (Rs. '000)

विवरण	Particulars	लागत / समूह ब्लॉक / COST/GROSS BLOCK				नियन्त्रण रिजर्व / DEPRECIATION RESERVE				नेट ब्लॉक NET BLOCK	
		प्रारंभिक बकाया Opening Balance	परिवर्धन दौरान अवधि Additions during the period	कटौती और अवधि में किए गए समायोजन Deductions and Adjustments made in the period	अंतिम बकाया Closing Balance	प्रारंभिक बकाया Opening Balance	परिवर्धन दौरान अवधि Additions during the period	कटौती और अवधि में किए गए समायोजन Deductions and Adjustments made in the period	अंतिम बकाया Closing Balance	As at 31.03.2018 को	As at 31.03.2017 को
मूर्त संपत्ति	Tangible Assets										
भूमि फ्रीहोल्ड	Land Freehold	1109	0	0	1109	0	0	0	0	1109	1109
लीजहोल्ड संपत्ति	Leasehold Property	174089	30604	0	204693	103684	3028	97	106809	97884	70405
फ्रीहोल्ड संपत्ति	Freehold Property	960012	24989	0	985001	354056	11402	4781	360677	624324	605956
फर्नीचर फिटिंग	Furniture & Fittings	470692	14990	400	486082	394741	12608	3262	404087	81995	75950
सूचना और प्रौद्योगिकी उपकरण	Information & Technology Equipment	1733673	260167	205114	1788726	1310649	94038	202485	1202202	586524	423024
वाहन	Vehicles	796434	260612	174443	882603	312616	166949	116704	362861	519742	483818
दफ्तर के उपकरण	Office Equipment	178762	2691	4863	176590	161905	4086	4797	161194	15395	16857
अन्य लोग	Others	439528	20399	5772	454155	361919	13708	4977	370650	83505	77609
कुल निश्चित संपत्तियां	Total Fixed Assets	4754299	614452	390592	4978959	2999570	305819	337103	2968480	2010478	1754728
अमूर्त संपत्ति (सॉफ्टवेयर)	Intangible Assets (Software)	686704	93379	3	780080	479505	153212	3	632714	147366	207197
उप कुल	Sub Total	5441003	707831	390595	5759039	3479075	459031	337106	3601194	2157844	1961925
प्रगति में पूंजीगत कार्य	Capital Work in Progress	2336350	691628	121356	2906622	0	0	0	0	2906622	2336350
कुल	<b>Total</b>	<b>7777353</b>	<b>1399459</b>	<b>511951</b>	<b>8665661</b>	<b>3479075</b>	<b>459031</b>	<b>337106</b>	<b>3601194</b>	<b>5064466</b>	<b>4298275</b>
पिछले वर्ष (31.03.2017)	Previous Year(31.03.2017)	6471431	1755489	470539	7777353	3384688	233600	147540	3479075	4298275	3086739







अनुसूची -11  
ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड  
31.03.2018 को कैश और बैंक बैलेंस

SCHEDULE -11  
THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED  
CASH & BANK BALANCES AS AT 31.03.2018

(₹. '000) (Rs. '000)

S.No.	विवरण	Particulars	As at 31.03.2018 को	As at 31.03.2017 को
1	नकद (चेक, ड्राफ्ट और टिकट सहित)	Cash (including cheques, drafts and stamps)	1001916	1341307
2	बैंक शेष	Bank Balances		
	(ए) जमा खाते	(a) Deposit Accounts		
	(एए) अल्पकालिक (12 महीने के भीतर देय)	(aa) Short-term (due within 12 months)	14386424	16106019
	(बीबी) अन्य	(bb) others	0	0
	(बी) चालू खाते	(b) Current Accounts	7253501	6118597
	(सी) अन्य	(c) Others	0	0
3	कॉल और लघु सूचना पर पैसा	Money at Call and Short Notice		
	(ए) बैंकों के साथ	(a) With Banks	0	0
	(बी) अन्य संस्थानों के साथ	(b) With other Institutions	0	0
4	अन्य लोग	Others	0	0
	कुल	TOTAL	22641841	23565923
	गैर अनुसूचित बैंकों के साथ शेष 2 और 3 में शामिल है	Balance with non-scheduled banks included in 2 and 3 above	0	0
	नकद और बैंक शेष	Cash & Bank Balances		
1	भारत में	In India	20314941	20994616
2	भारत के बाहर	Outside India	2326900	2571307
	कुल	TOTAL	22641841	23565923

अनुसूची -12  
ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड  
31.03.2018 को एडवांस और अन्य संपत्तियां

SCHEDULE -12  
THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED  
ADVANCES AND OTHER ASSETS AS AT 31.03.2018

(₹. '000) (Rs. '000)

क्र.सं. S.No.	विवरण	Particulars	31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
	अग्रिम	Advances		
1	सीडिंग कंपनियों के साथ रिजर्व जमा	Reserve deposits with ceding companies	175376	169446
2	निवेश के लिए आवेदन पैसे	Application money for investments	0	0
3	पूर्वभुगतान	Prepayments	139267	120689
4	निदेशकों / अधिकारियों के लिए अग्रिम	Advances to Directors/Officers	492002	584224
5	स्रोत पर भुगतान कर चुकाया गया कर और कटौती, (प्रावधान का नेट)	Advance tax paid and taxes deducted at source, (Net of Provision for Taxation)/ Amount Recoverable from Tax Deptt.	9213217	6269519
6	कराधान) / कर विभाग से पुनर्प्राप्त राशि।	Others	374437	281598
	अन्य लोग	Total (A)	10394299	7425476





क्र.सं. S.No.	विवरण	Particulars	31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
1	कुल (ए)	Income accrued on investments	3858955	3873573
2	निवेश पर अर्जित आय	Outstanding Premiums	399784	383520
3	उत्कृष्ट प्रीमियम	Agents' Balances	0	0
4	एजेंटों की शेष राशि	Foreign Agencies' Balances	493565	346493
5	विदेशी एजेंसियों के शेष	Due from other entities carrying on insurance business (including reinsurers)	21874304	20119203
6	बीमा कारोबार पर ले जाने वाली अन्य संस्थाओं के कारण	Due from subsidiaries/holding company	822	655
7	(पुनर्विक्रेताओं सहित)	Deposit with Reserve Bank of India, [Pursuant to section-7 of Insurance Act, 1938]*	0	0
8	सहायक / होल्डिंग कंपनी के कारण	Others #	5622205	4090550
	भारतीय रिजर्व बैंक के साथ जमा, खबीमा अधिनियम, 1938 की धारा 7 के अनुसार, 'अन्य रु'	<b>Total (B)</b>	<b>32249635</b>	<b>28813994</b>
		<b>Total (A + B)</b>	<b>42643934</b>	<b>36239470</b>
	कुल (बी)			
	कुल (ए + बी)			

# अन्य में सेवा कर अप्रयुक्त क्रेडिट शामिल है

# Others include "Service Tax Unutilized Credit"

अनुसूची -13

ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

31.03.2018 को मौजूदा दायित्वों के रूप में

SCHEDULE -13

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

CURRENT LIABILITIES AS AT 31.03.2018

(रु. '000) (Rs. '000)

क्र.सं. S.No.	विवरण	Particulars	31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
1	एजेंट बैलेंस (नेट)	Agents Balances (Net)	899347	639692
2	अन्य बीमा कंपनियों के कारण शेष	Balances due to other insurance companies	91838	81240
3	पुनर्वास पर आयोजित जमा राशि	Deposits held on reinsurance ceded	754350	454988
4	अग्रिम में प्रीमियम प्राप्त हुआ	Premium received in advance	1129473	929930
5	आवंटित प्रीमियम	Unallocated Premium	0	0
6	विविध लेनदार	Sundry Creditors	13162569	16425615
7	सहायक / होल्डिंग कंपनी के कारण	Due to subsidiaries/holding company	0	0
8	बकाया दावा	Claims Outstanding	103398373	99929276
9	अधिकारियों / निदेशकों के कारण	Due to Officers / Directors	0	0
10	पॉलिसी धारकों के कारण	Due to Policy Holders	730729	680748
11	नई पेंशन योजना पर देयता	Liability on New Pension Scheme	86745	390571
12	अन्य	Others	557864	559121
	कुल	Total	120811288	120091180





**अनुसूची -14**  
**ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड**  
**31.03.2018 को प्रावधान**  
**SCHEDULE -14**  
**THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED**  
**Provisions as at 31.03.2018**

(₹. '000) (Rs. '000)

		Reserve for Unexpired Risk	50343552	46341349
2	कराधान के लिए (स्रोत पर कम अग्रिम कर भुगतान और कर कटौती)	For taxation (less advance tax paid and tax deducted at source)	0	0
3	प्रस्तावित लाभांश के लिए	For proposed dividends	0	0
4	लाभांश वितरण कर के लिए	For dividend distribution tax	0	0
5	अन्य लोग	Others		
	(ए) छुट्टी एनकैशमेंट / एलटीएस / बीमार छुट्टी के लिए प्रावधान	(a) Provision for Leave Encashment/ LTS/ Sick Leave	7743811	7627353
	(बी) मजदूरी संशोधन के लिए प्रावधान	(b) Provision for Wage revision	0	0
	(सी) खराब और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	(c) Provision for Bad & Doubtful Debts	2473192	2522636
	(डी) मानक संपत्ति के लिए प्रावधान	(d) Provision for Standard Assets	175529	181870
	(ई) शेयरों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	(e) Provision for Diminution in Value of Shares	152885	171487
	(एफ) ब्याज सरपेंस	(f) Interest Suspense	0	0
6	प्रीमियम की कमी के लिए रिजर्व	Reserve for Premium Deficiency	0	43947
	कुल	Total	60888969	56888643

**अनुसूची -15**  
**ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड**  
**31.03.2018 को विविध व्यय**  
**(एक्सप्रेस को बंद या समायोजित नहीं किया गया है)**  
**SCHEDULE -15**  
**THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED**  
**Miscellaneous Expenditure as at 31.03.2018**  
**(TO THE EXTENT NOT WRITTEN OFF OR ADJUSTED)**

(₹. '000) (Rs. '000)

S. No.	विवरण	Particulars	As at 31.03.2018 को	As at 31.03.2017 को
1	छूट / डिबेंचरों के मुद्दे में छूट दी गई	Discount Allowed in issue of shares/ debentures	0	0
2	अन्य	Others		
	ए) पेंशन और ग्रेच्युइटी का अमूर्तकरण	a) Amortisation of Pension & Gratuity	0	3123197
	कुल	Total	0	3123197





अनुसूची - 16  
विशिष्ट लेखा नीतियां और खातों के लिए नोट्स

क. विशिष्ट लेखा नीतियां

1. लेखा सम्मेलन:

वित्तीय विवरण बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए जाते हैं, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के साथ पढ़ते हैं, और बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के अनुसार। कहा गया है कि ऐतिहासिक बयान तैयार किए गए हैं एक बढ़ती चिंता के रूप में लागत सम्मेलन और संचय आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 में उल्लिखित लेखांकन मानकों और बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरणों की तैयारी और बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) विनियमन, 2002 और मास्टर आईआरडीए द्वारा जारी परिपत्र 2012, लागू होने तक और भारत में सामान्य बीमा उद्योग में प्रचलित प्रथाओं के अनुरूप अन्यथा बताए गए अनुसार।

2. एसिमेट्स का उपयोग

वित्तीय विवरणों, अनुमानों और धारणाओं की तैयारी के लिए जहां भी आवश्यक हो, समझदार आधार पर विचार किया जाता है। लेखांकन अनुमानों में कोई भी संशोधन संभावित रूप से पहचाना जाता है।

3. शेयरधारकों और पॉलिसीधारकों के फंड

शेयरधारकों के फंड में शेयर पूंजी, सामान्य रिजर्व और पूंजी रिजर्व शामिल है। पॉलिसीधारकों के फंड में आईबीएनआर और आईबीएनईआर, अप्रत्याशित जोखिम रिजर्व (यूआरआर), प्रीमियम की कमी, यदि कोई हो, तो आपदाजनक रिजर्व, यदि कोई हो और अन्य देयताएं अन्य संपत्तियों को बंद कर सहित उत्कृष्ट दावों के लिए अनुमानित दायित्व शामिल हैं।

4. विदेशी मुद्रा लेनदेन / रूपांतरण:

- 4.1 लेखांकन मानक के अनुसार 11 'विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव (संशोधित 2003), विदेशी शाखाओं / एजेंसियों को' इंटीग्रल विदेशी परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- 4.2 विदेशी मुद्राओं में अधिग्रहित निश्चित संपत्तियों और निवेश का मूल्य, अधिग्रहण की तारीख पर विनिमय दरों में परिवर्तित / अनुवादित किया जाता है।

SCHEDULE - 16

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS

A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1 Accounting Convention:

The Financial Statements are drawn up in accordance with the provisions of the Insurance Act, 1938 read with the provisions of The Companies Act, 2013, and as per the provisions of Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999. The said statements are prepared on historical cost convention as a going concern and on accrual basis comply with the accounting standards referred to in section 133 of The Companies Act, 2013 and The Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 and Master Circular 2012 issued by IRDA, to the extent applicable and conform to practices prevailing in the General Insurance Industry in India except as otherwise stated.

2. Use of Esimates

For preparation of financial statements, estimates and assumptions wherever necessary are considered on prudent basis. Any revision to the accounting estimates is recognized prospectively.

3. Shareholders' and Policyholders' Fund:

The Shareholders' Fund comprises of Share Capital, General Reserve and Capital Reserve. The Policyholders' Fund comprises of Estimated Liability for Outstanding Claims including IBNR and IBNER, Unexpired Risk Reserve (URR), Premium Deficiency, if any, Catastrophe Reserve, if any and Other Liabilities net off Other Assets.

4. Foreign Currency Transactions / Conversion:

- 4.1 As per Accounting Standard 11 "the effects of changes in foreign exchange rates (revised 2003), Foreign branches/agencies are classified as "Integral Foreign Operations".
- 4.2 Value of fixed assets and investments acquired in foreign currencies, is converted/ translated at the exchange rates on the date of acquisition.





- 4.3 विदेशी मुद्राओं में व्यक्त की गई सभी अन्य संपत्तियों और देनदारियों का मूल्य वर्ष-अंत में बंद खरीद बोली दर में परिवर्तित / अनुवादित किया जाता है।
- 4.4 विदेशी मुद्राओं में व्यक्त विदेशी शाखाओं और एजेंसियों की आय और व्यय के आइटम वित्तीय वर्ष के दौरान चार तिमाही दरों की औसत विनिमय दर में परिवर्तित / अनुवादित होते हैं, जो दैनिक बंद खरीद बोली दरों का औसत होते हैं।
- 4.5 पुनर्वित्त व्यापार और निवेश से संबंधित राजस्व लेनदेन वित्तीय वर्ष की उस विशेष तिमाही में सभी व्यापारिक दिनों के लिए दैनिक बंद खरीद बोली दरों की औसत विनिमय दर में परिवर्तित / अनुवादित होते हैं।
- 4.6 विदेशी मुद्रा लेनदेन के रूपांतरण पर विनिमय लाभ / हानि आय / व्यय के रूप में की गई है।

## 5. राजस्व मान्यता:

### 5.1 आयोग

पुनर्बीमा सत्रों पर आयोग की आय वर्ष में आय के रूप में पहचानी जाती है जिसमें पुनर्वित्त प्रीमियम का भुगतान किया जाता है।

जहां भी लागू हो, पुनर्बीमा संधि के तहत लाभ आयोग, वास्तव में संधि अवधि के बाद वर्ष में गणना की जाती है। लाभ आयोग के बाद के किसी भी संशोधन को वर्ष में भी मान्यता प्राप्त है जिसमें लाभ का अंतिम निर्धारण किया जाता है।

### 5.2 अप्रत्याशित जोखिम के लिए आरक्षित

प्रत्येक संबंधित राजस्व खाते में जोखिमों की धारणा के आधार पर प्रीमियम रिकॉर्ड किए जाते हैं, पुनर्बीमा का शुद्ध अप्रत्याशित जोखिमों के लिए रिजर्व इसके प्रतिशत पर आधारित है, अग्नि, मरीन कार्गो और विविध व्यवसाय के मामले में 50% और मरीन हॉल व्यवसाय के मामले में 100% है। यह लगातार वित्तीय वर्ष के लिए जिम्मेदार शुद्ध प्रीमियम का प्रतिनिधित्व करता है।

### 5.3 पुनर्बीमा स्वीकृत

भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं के संबंध में प्रीमियम आय खातों को अंतिम रूप देने के लिए प्राप्त रिटर्न के आधार पर पहचानी जाती है, और विदेशी पुनर्बीमा के मामले में, आय 31 मार्च तक प्राप्त रिटर्न के आधार पर होती है।

- 4.3 Value of all other assets and liabilities expressed in foreign currencies, is converted/translated at the year-end closing purchase bid rate.
- 4.4 Items of income and expenditure of foreign branches and agencies expressed in foreign currencies are converted/ translated at the mean exchange rate of four quarterly rates during the financial year, which are the average of daily closing purchase bid rates.
- 4.5 Revenue transactions relating to reinsurance business and investments are converted/ translated at the average exchange rate of daily closing purchase bid rates for all the trading days in that particular quarter of the financial year.
- 4.6 Exchange Gain/Loss on conversion of foreign currency transactions is recognized as income/expense.

## 5. Revenue Recognition:

### 5.1 Commission

Commission income on reinsurance cessions is recognized as income in the year in which reinsurance premium is ceded.

Profit commission under reinsurance treaties wherever applicable, is recognized when actually calculated in the year subsequent to the Treaty period. Any subsequent revisions of profit commission also are recognized for in the year in which final determination of the profits is made.

### 5.2 Reserves for Unexpired risk/s

Premiums are recorded, net of reinsurances, based on assumption of risks in each related Revenue account. Reserve for Unexpired Risks is based on a percentage thereof, being 50 % in case of Fire, Marine Cargo and Miscellaneous business and 100% in case of Marine Hull business. It represents the net premium attributable to the successive financial year/s.

### 5.3 Reinsurance Accepted

Premium income in respect of Indian Reinsurers is recognized based on returns received upto finalization of accounts, and in case of foreign reinsurance, the income is accounted for on the basis of returns received upto 31<sup>st</sup> March.







#### 5.4 पुनर्बीमा सुपूर्दगी

पुनर्बीमा सत्र वास्तविकताओं के आधार पर जिम्मेदार हैं। जहां भी पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं हैं, उपलब्ध जानकारी के आधार पर पुनर्बीमा स्वीकृति / सत्र अनुमानों पर किए जाते हैं।

#### 5.5 प्रीमियम अग्रिम में प्राप्त हुआ

अग्रिम में प्राप्त प्रीमियम वर्ष के दौरान जारी नीतियों के संबंध में प्राप्त प्रीमियम का प्रतिनिधित्व करता है, जहां जोखिम बैलेंस शीट की तारीख के बाद शुरू होता है।

#### 5.6 लाभांश

1. लाभांश की गणना उस वर्ष की जाती है जिसमें में लाभ को प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है।
2. आपत्ति/लंबित वितरण के तहत शेयरों पर लाभांश को प्राप्ति किया जाता है। अंतरिम लाभांश की गणना तभी की जाती है जहां पूर्व लाभांश दिनांक 31 मार्च को या उससे पहले है।
3. विदेशी कंपनियों (चाहे अंतरिम या अंतिम) से लाभांश प्राप्ति के आधार पर लिया जाता है।

#### 5.7 ब्याज आय

- ए) ऋण, बांड और डिबेंचरों के संबंध में ब्याज आय आय मान्यता, संपत्ति वर्गीकरण और आईआरडीएआई द्वारा जारी प्रावधान के लिए समझदार मानदंडों के दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है।
- बी) आयकर रिफंड पर ब्याज आय ऑर्डर मिलने के वर्ष में होती है।

#### 5.8 वेंचर कैपिटल फंड

वेंचर कैपिटल फंड के संबंध में राजस्व प्राप्ति के आधार पर मान्यता प्राप्त है

#### 5.9 प्रीमियम की कमी

प्रीमियम की कमी की गणना की जाती है जहां अपेक्षित दावों की लागत, संबंधित व्यय और रखरखाव लागत संबंधित राशि से संबंधित अनधिकृत प्रीमियम से अधिक होती है। प्रीमियम की कमी आईआरडीए दिशानिर्देशों के अनुसार पहचानी जाती है और अप्रत्याशित जोखिम रिजर्व का हिस्सा बनती है।

#### 5.4 Reinsurance Ceded

Reinsurance cessions are accounted for on the basis of actuals. Wherever full particulars are not available, reinsurance acceptances/ cessions are made on estimates based on available information.

#### 5.5 Premium received in Advance

Premium received in advance represents premium received in respect of policies issued during the year, where the risk commences subsequent to the balance sheet date.

#### 5.6 Dividend

1. Dividend is accounted for in the year in which right to receive is established.
2. Dividend on shares under objection/ pending delivery is Accounted for on realization. Interim dividend is accounted where the ex-dividend date is on or before 31<sup>st</sup> March.
3. Dividend from foreign companies (whether interim or final) is accounted for on collection basis.

#### 5.7 Interest Income

- a) Interest income in respect of loans, bonds and debentures is recognized as per the guidelines for prudential norms for income recognition, asset classification and provisioning issued by IRDAI.
- b) Interest income on Income Tax Refunds is accounted in the year of receipt of order.

#### 5.8 Venture Capital Fund

Revenue in respect of Venture capital Fund is recognized on receipt basis

#### 5.9 Premium Deficiency

Premium deficiency is calculated where the sum of expected claims costs, related expenses and maintenance costs exceed the related unearned premium. The premium deficiency is recognized as per IRDA guidelines and forms part of unexpired risk reserve.





### 5.10 निवेश से आय— विभाजन का आधार

बिक्री/रिडेम्प्शन के पिछले दिन के करीब औसत लागत ले कर लाभ/लाभ पर लाभ/हानि की गणना की जाती है।

वर्ष की शुरुआत में इन फंडों के शेष के अनुपात में निवेश आय (व्यय का शुद्ध) शेयरधारकों के धन और पॉलिसीधारकों के धन के बीच विभाजित किया जाता है।

पॉलिसीधारकों से संबंधित निवेश आय (व्यय का शुद्ध) वर्ष की शुरुआत में संबंधित तकनीकी रिजर्व संतुलन के अनुपात में अग्नि, मरीन और विविध खंडों के लिए आगे विभाजित है।

इस उद्देश्य के लिए पॉलिसीधारकों कोष में आईबीएनआर और आईबीएनआर, अप्रत्याशित जोखिम आरक्षित (यूआरआर), प्रीमियम कमी (यदि कोई है), आपदा रिजर्व (यदि कोई है) और अन्य परिसंपत्तियों के अन्य दायित्वों (पॉलिसीधारकों से संबंधित) सहित उत्कृष्ट दावों के लिए अनुमानित देयता शामिल है आईआरडीए के दिशानिर्देशों के अनुसार। अवशिष्ट शेयरधारक के फंड के होते हैं।

5.11 निवेश की बिक्री पर लाभ/बिक्री पर छूट, गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के प्रावधान, शेयरों के मूल्य में कमी के प्रावधान, ऋण प्रतिभूतियों पर प्रीमियम का अमूर्तकरण और ब्याज, लाभांश और किराए के माध्यम से आय राजस्व खातों और लाभ और हानि के बीच आवंटित की जाती है वर्ष की शुरुआत में पॉलिसीधारकों के फंड और शेयरधारकों के फंड के आधार पर खाता।

5.12 बीमा अनुबंधों के नए / नवीनीकरण के अधिग्रहण से संबंधित अधिग्रहण लागत उस वर्ष में ली जाती है, जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

### 6. बकाया दावे:

6.1.क दावों की गणना सूचित होने पर की जाती है।

वर्ष के अंत में बकाया दावों के लिए अनुमानित देयता सर्वेक्षण रिपोर्ट, ग्राहकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और अंतिम स्रोत, पिछले अनुभव और अन्य लागू कानूनों तक अन्य स्रोतों पर आधारित है। अनुमानों की निरंतर समीक्षा की जाती है और तदनुसार प्रावधान किए जाते हैं। हालांकि, अंतिम देयता, प्रदान की गई राशि से अधिक या उससे कम हो सकती है, जिसके लिए कोई भी समायोजन उस अवधि में दिखाई देगा, जिसमें वे ज्ञात हो जाते हैं। उत्कृष्ट दावों के लिए अनुमानित देयता में शामिल हैं

### 5.10 Income from Investments- Basis of Apportionment

Profit/Loss on sale/redemption of investments is computed by taking the average cost as at the close of the preceding day of sale/redemption.

Investment income (net of expenses) is apportioned between Shareholders' funds and Policyholders' funds in proportion to the balance of these funds at the beginning of the year.

Investment income (Net of expenses) belonging to Policyholders is further apportioned to Fire, Marine and Miscellaneous segments in proportion to respective technical reserve balance at the beginning of the year.

Policyholders Fund for this purpose consist of Estimated Liability for outstanding claims including IBNR and IBENR, unexpired risk reserve (URR), premium deficiency (if any), Catastrophe Reserve (if any) and other Liabilities net of other assets (relating to policyholders) as per the guidelines of IRDA. The residual consists of the Shareholder's fund.

5.11 Profit/loss on sale/redemption of investments, provisions for non performing assets, provision for diminution in value of shares, amortization of premium on debt securities and income by way of Interest, Dividend and Rent are allocated between Revenue accounts and Profit & Loss account on the basis of Policyholders' Fund and Shareholders' Fund as at the beginning of the year.

5.12. The acquisition cost relating to acquisition of new/renewal of insurance contracts is charged in the year in which they are incurred.

### 6. Outstanding Claims:

6.1.a Claims are recognized as and when reported.

Estimated liability for outstanding claims at the year end are based on survey reports, information provided by clients, advices of Leaders and other sources upto the date of finalization, past experience and other applicable laws. The estimates are continually reviewed and provisions made accordingly. However, the final liability may be in excess of, or less than, the amount provided, for which any adjustments will be reflected in the periods in which they become known. Estimated liability for outstanding claims include





- 6.1.ख प्रत्यक्ष व्यापार के संबंध में, साल के अंत तक जिन दावों की सूचनाएं प्राप्त हुईं।
- 6.1.ग पुनर्वित्त स्वीकृति के संबंध में, अगले वर्ष की अलग-अलग तिथियों के रूप में प्राप्त सलाह, खातों को अंतिम रूप देने की तारीख तक प्राप्त सलाह और अनुमान के आधार पर जहां भी सलाह प्राप्त नहीं हुई है।
- 6.1.घ मोटर थर्ड पार्टी के दावों के संबंध में कंपनी की देयता स्थापित करने के लिए पर्याप्त नीतिगत विवरण के बिना कंपनी पर अदालत के सम्मनों की सेवा की गई है, प्रावधान निम्नानुसार है:
- i) अनुमानित देयता का 100: जहां ऐसे दावे 1 वर्ष से अधिक के लिए बकाया हैं
- ii) ऐसे सभी दावों के लिए अनुमानित देयता का 1/3 जहां वर्ष के दौरान कंपनी में अदालत के सम्मन की सेवा की गई है।
- 6.1.ङ दावों के लिए प्रावधान, लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए (आईबीएनआर) और दावों के प्रावधानों के लिए प्रावधान लेकिन पर्याप्त रिपोर्ट नहीं (आईबीएनईआर) एक्चुरियल मूल्यांकन के अनुसार किए जाते हैं।
- 6.1.च कंपनी द्वारा अस्वीकार किए गए दावों के प्रावधान, लेकिन अदालतों/लोकपाल/मध्यस्थता आदि में दावेदारों द्वारा चुनाव किया गया है, जहां यह कहा गया है कि कुछ विकास या अतिरिक्त साक्ष्य के कारण पुरस्कार/निर्णय कंपनी के खिलाफ होने की संभावना है।

## 7. बचाव और दावा पुनर्प्राप्ति

दावों के तहत बचाव/पुनर्प्राप्ति का निपटान, प्राप्ति के लिए जिम्मेदार है और दावों को जमा किया जाता है।

## 8. प्रबंधन-व्यय का व्यय

पॉलिसी स्टैम्प के अलावा प्रबंधन के व्यय को भारत में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के आधार पर राजस्व खातों के लिए विभाजित किया जाता है और पुनर्वित्त प्रीमियम ने स्वीकार किया कि भारत आग और विविध व्यापार के लिए प्रत्येक 100% वेटेज और समुद्री व्यापार के लिए 75% का भार देता है। पॉलिसी टिकट, एजेंसी कमीशन, एमआईएसपी वितरण शुल्क और ब्रोकरेज से संबंधित व्यय सीधे संबंधित राजस्व खातों में आवंटित किए जाते हैं। विविधता के 100% बुनियादी ढांचे खर्च आवंटित किए जा रहे हैं। सेगमेंट के रूप में इन खर्चों को विशेष

6.1.b In respect of direct business, claims intimations received up to the year end.

6.1.c In respect of reinsurance acceptances, advices received as of different dates of subsequent year upto the date of finalization of accounts and on estimation basis wherever advices are not received.

6.1.d In respect of Motor Third Party claims where court summons have been served on the company without adequate policy particulars to establish liability of the company, provision is made as under:

- i) 100% of estimated liability where such claims are outstanding for more than 1 year
- ii) 1/3<sup>rd</sup> of the estimated liability for all such claims where court summons have been served in the company during the year.

6.1.e Provisions for claims incurred but not reported (IBNR) and provisions for claims incurred but not enough reported (IBNER) are made as per actuarial valuation.

6.1.f Provisions for claims repudiated by the company but contested by the claimants in courts/ombudsman/ arbitration etc. have been made where it is opined that the awards/decision are likely to be against the company because of certain developments or additional evidence.

## 7. Salvage and claim Recoveries

Disposal of salvage / recoveries under claims, are accounted for on realization and credited to claims.

## 8. Expenses of Management-Apportionment:

Expenses of Management other than policy stamps are apportioned to the Revenue Accounts on the basis of the gross direct premium in India plus reinsurance premium accepted India giving weightage of 100% each for Fire and Miscellaneous business and 75% for Marine business. Expenses relating to Policy Stamps, Agency Commission, MISP distribution fee and Brokerage are directly allocated to respective Revenue Accounts. 100% of the Infrastructure Expenses are being allocated to Misc. Segment as these expenses were exclusively incurred to procure Motor Business. The allocation





रूप से मोटर बिजनेस खरीदने के लिए खर्च किया गया था। राजस्व खातों और पी एंड एल खाते में खर्चों का आवंटन आईआरडीएआई दिनांक 2016/04/24 नियमों के अनुसार किया जाता है।

## 9. सावधि संपत्ति और मूल्यह्रास

- 9.1 संपत्ति (अधिग्रहित संपत्ति अधिकारों के लिए सहकारी समितियों में शेयरों की लागत सहित) प्रमुख 'लीजहोल्ड संपत्ति/फ्रीहोल्ड बिल्डिंग' के तहत शामिल हैं।
- 9.2 फिक्स्ड परिसंपत्तियों का मूल्य कम मूल्यह्रास पर मूल्यवान होता है। लागत में अधिग्रहण की लागत और परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किए गए अन्य प्रत्यक्ष व्यय शामिल हैं।
- 9.3 संपत्तियों को पूरा करने के तहत अधिग्रहण किया जाता है लेकिन उपयोग में नहीं रखा जाता है 'प्रगति में पूंजीगत कार्य' के तहत वर्गीकृत किया जाता है।
- 9.4 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के तहत अनुसूची II में निर्धारित एसएलएम आधार पर उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है। हालांकि, कंपनी के वाहन योजना के अनुसार वाहनों के लिए उपयोगी जीवन 5 साल तय किया गया है।
- 9.5 अमूर्त संपत्तियों को अधिग्रहण की लागत के लिए जिम्मेदार माना जाता है और एस 26 के संदर्भ में कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार 3 वित्तीय वर्षों के अनुमानित उपयोगी जीवन पर अमूर्त किया जाता है।
- 9.6 लीज होल्ड गुण पट्टे की अवधि में उवतजप्रमक हैं।

### 9ए.1 जहां कंपनी पट्टेदार है

पट्टे जहां पट्टेदार प्रभावी रूप से लीज्ड अवधि के स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को प्रभावी रूप से बरकरार रखता है, को ऑपरेटिंग पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पट्टे की अवधि के दौरान सीधे लीज भुगतान लाभ और हानि खाते के विवरण में एक व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है।

### 9ए2 जहां कंपनी कर्म है

परिचालन पट्टे के अधीन संपत्तियां निश्चित संपत्तियों में शामिल हैं। समझौते में उल्लिखित शर्तों के अनुसार पी एंड एल खाते में लीज आय मान्यता प्राप्त है। मूल्यह्रास समेत लागत लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में पहचानी जाती है।

of expenses to revenue accounts and P & L Account is done as per IRDAI regulations dt. 24.04.2016.

## 9. Fixed Assets & Depreciation:

- 9.1 Properties (inclusive of cost of shares in Co-operative societies for property rights acquired) are included under the head "Leasehold property/ Freehold Buildings".
- 9.2 Fixed assets are valued at cost less depreciation. Cost includes cost of acquisition and other direct expenditure incurred for acquisition of assets.
- 9.3 Assets under completion acquired but not put to use are classified under "Capital Work in Progress".
- 9.4 Depreciation is provided on the basis of useful life on SLM basis as prescribed in Schedule II under section 123 of The Companies Act, 2013. However, useful life for Vehicles is fixed at 5 years as per the conveyance scheme of the company.
- 9.5 Intangible Assets are accounted for at their cost of acquisition and amortized over the estimated useful life of 3 financial years in accordance with The Companies Act, 2013 with reference to AS 26.
- 9.6 Lease hold properties are amortized over the lease period.

### 9A.1 Where the Company is the lessee:

Leases where the lessor effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership of the leased term, are classified as operating leases. Operating lease payments are recognized as an expense in the Statement of Profit & Loss Account on a straight line basis over the lease term.

### 9A.2 Where the Company is the lessor:

Assets subject to operating leases are included in fixed assets. Lease income is recognized in the P & L Account as per the terms specified in the agreement. Costs, including depreciation are recognized as an expense in the Profit & Loss Account.





## 10. निवेश

- 10.1 लागत में अधिग्रहण पर प्रीमियम, ब्रोकरेज और जीएसटी, ट्रांसफर स्टैप, ट्रांसफर शुल्क इत्यादि जैसे खर्च शामिल हैं, और यदि कोई हो, तो प्रोत्साहन / शुल्क का शुद्ध है।
- 10.2 शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रुमेंट्स जैसे कि जमा प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक कागजात, जिन्हें सहमत दरों पर अनुबंध के समय छूट दी जाती है, को रियायती मूल्य पर माना जाता है।
- 10.3 ऋण प्रतिभूतियां: सरकारी प्रतिभूतियों और रिडीम करने योग्य वरीयता शेयरों सहित ऋण प्रतिभूतियों में निवेश को 'परिपक्वता के लिए आयोजित' माना जाता है और लागत पर मूल्यवान होता है और प्रतिभूतियों पर भुगतान प्रीमियम परिपक्वता की अवशिष्ट अवधि में बढ़ाया जाता है।
- 10.4 इक्विटी सिक्वोरिटीज: इक्विटी शेयरों के संबंध में निवेश पोर्टफोलियो को सक्रिय रूप से व्यापार, पतले व्यापार और असूचीबद्ध में विभाजित किया जाता है।
- 10.4.1 भारत में सक्रिय रूप से कारोबार किए गए इक्विटी शेयर मार्च के महीने में एनएसई में अंतिम उद्धृत बंद मूल्य पर मूल्यवान हैं, जिन्हें प्राथमिक एक्सचेंज के रूप में चुना जाता है और यदि ऐसी सुरक्षा प्राथमिक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं है/नहीं, तो वही बीएसई में मार्च के महीने में अंतिम उद्धृत बंद मूल्य पर मूल्यवान होगा जिसका चयन माध्यमिक एक्सचेंज के रूप में किया जाता है। अवास्तविक लाभ / हानि फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट में जिम्मेदार हैं। ६
- 10.4.2 भारत के बाहर शामिल कंपनियों में आयोजित पतली व्यापार / असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश लागत पर मूल्यवान है। हालांकि, इस तरह के निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान किया जाता है जब कंपनी के नवीनतम वार्षिक खातों के अनुसार ब्रेक-अप मूल्य लागत से नीचे आता है जो पिछले तीन वर्षों से पहले नहीं था। यदि ब्रेक-अप मान नकारात्मक है या जहां वर्तमान ब्रेक-अप मान उपलब्ध नहीं है, तो पुस्तक मूल्य के बराबर राशि के लिए प्रावधान किया जाता है।
- 10.5 वरीयता शेयरों के मामले में, जहां रिडेम्प्शन आय तीन साल से अधिक के लिए होती है, देय राशि के लिए प्रावधान किया जाता है।

## 10. Investments:

- 10.1 The cost includes premium on acquisition, expenses like brokerage and GST, transfer stamps, transfer charges etc., and is net of incentive/fee, if any, received thereon.
- 10.2 Short Term Money Market instruments such as certificates of deposit and commercial papers, which are discounted at the time of contract at the agreed rates, are accounted at the discounted value.
- 10.3 **Debt Securities:** Investments in debt securities including Government securities and redeemable preference shares are considered as "held to maturity" and are valued at cost and the premium paid on securities is amortized over the residual period of maturity.
- 10.4 **Equity Securities:** Investment Portfolio in respect of Equity Shares is segregated into actively traded, thinly traded and unlisted.
- 10.4.1 Actively traded equity shares in India, are valued at the last quoted closing price at NSE in the month of March which is selected as the Primary Exchange and in case such security is not listed/not traded on the Primary Exchange, the same will be valued at the last quoted closing price at BSE in the month of March which is selected as the Secondary Exchange. The unrealized gain/losses are accounted in Fair Value Change Account."
- 10.4.2 Investment in thinly traded/unlisted equity shares including held in Companies incorporated outside India are valued at cost. However, provision is made for diminution in value of such investments when the break-up value falls below the cost as per the latest annual accounts of the company not earlier than the three immediately preceding years. In case the break-up value is negative or where the current break-up value is not available, provision is made for an amount equivalent to the book value.
- 10.5 In case of Preference Shares, where redemption proceeds are due for more than three years, provision is made for the amount due.







## 10.6 हानि

इक्विटी इक्विटी और वरीयता शेयरों में मान्यता प्राप्त है, जहां कंपनियां लगातार पिछले तीन वर्षों के लिए लगातार नुकसान कर रही हैं और जिनकी पूंजी आंशिक रूप से / पूरी तरह से अक्षम है या जहां पिछले तीन वर्षों के लिए वार्षिक खाते उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी कंपनियों के शेयरों में निवेश निम्नानुसार है:

### 10.6.1 इक्विटी शेयर

- ए) सक्रिय रूप से कारोबार किए गए इक्विटी शेयरों के मामले में, अंतिम उद्धृत समापन मूल्य (ऊपर लेखांकन नीति 10.4.1 के अनुसार), या बुक वैल्यू जो भी कम हो।
- बी) कंपनी के नवीनतम वार्षिक खातों के मुकाबले ब्रेक-अप वैल्यू के मामले में, कम से कम तीन साल पहले की तुलना में ब्रेक-अप वैल्यू के मामले में— जहां ब्रेक-अप वैल्यू नकारात्मक है या जहां वार्षिक खाते हैं प्रति वर्ष पिछले तीन वर्षों के लिए उपलब्ध नहीं हैं, प्रति कंपनी 1/- के मामूली मूल्य के लिए।

### 10.6.2 वरीयता शेयर

- ए) यदि किसी कंपनी के इक्विटी शेयर सक्रिय रूप से कारोबार कर रहे हैं, तो इसके वरीयता शेयर एक मूल्य पर लिखे गए हैं जो समान अनुपात में है क्योंकि इक्विटी शेयर का बाजार मूल्य उसके फेस वैल्यू पर निर्भर करता है।
- बी) यदि किसी कंपनी के इक्विटी शेयर असूचीबद्ध / पतले कारोबार वाले होते हैं, तो इसके वरीयता शेयर एक मूल्य पर लिखे जाते हैं, जो समान अनुपात में होता है क्योंकि इक्विटी शेयर के ब्रेक-अप वैल्यू उसके फेस वैल्यू पर भालू होते हैं; जहां इक्विटी शेयर का ब्रेक अप वैल्यू ऋणात्मक है या जहां प्रति वर्ष तीन साल के लिए वार्षिक खाते उपलब्ध नहीं हैं, प्रति कंपनी 1/- के मामूली मूल्य के लिए।

10.6.3 लेखांकन नीति के मामले में प्रदान की गई हानि हानि, 01/04/2000 के बाद, 10.6.6, वापस लिखी गई है और राजस्व / लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त है, यदि संचित घाटे पूरी तरह से मिटा दिए जाते हैं और पूंजी पूरी तरह से बहाल हो जाती है नवीनतम उपलब्ध प्रकाशित खाते। हालांकि, हानि हानि का उलट उन मामलों में इक्विटी और वरीयता शेयर दोनों के लिए मान्यता प्राप्त नहीं है जहां वरीयता शेयरों की रिडेम्प्शन आय तीन साल से अधिक के लिए होती है।

## 10.6 Impairment

Impairment is recognized in equity and preference shares, where the companies have been making losses continuously for the three immediately preceding years and whose capital is impaired partially/ fully or where the annual accounts for the three immediately preceding years are not available. Investments in shares of such companies are valued as under:

### 10.6.1 Equity Shares:

- a) In the case of actively traded equity shares, at the last quoted closing price( as per Accounting Policy 10.4.1 above),or book value whichever is lower.
- b) In case of thinly traded/unlisted equity shares, at the break-up value as per latest annual accounts of the company not earlier than the three immediately preceding years.- Where the break-up value is negative or where the annual accounts are not available for the three immediately preceding years, to a nominal value of Re 1/- per company.

### 10.6.2 Preference shares:

- a) If the equity shares of a company are actively traded, its preference shares are written down to a value which is in the same proportion as the market value of the equity share bears to its face value.
- b) If the equity shares of a Company are unlisted/thinly traded, its preference shares are written down to a value, which is in the same proportion as the break-up value of equity share bears to its face value; where the break up value of equity share is negative or where the annual accounts are not available for the three immediately preceding years, to a nominal value of Re 1/- per company.

10.6.3 Impairment loss, provided in terms of accounting policy NO 10.6, after 01/04/2000, is written back and recognized in Revenue / Profit and Loss Account only in case the accumulated losses are fully wiped out and capital fully restored as per the latest available published accounts. However, reversal of impairment loss is not recognized for both equity and preference shares in cases where the redemption proceeds of preference shares are due for more than three years.





- 10.7 म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश का मूल्यांकन नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) पर किया जाता है और अवास्तविक लाभ/हानि "फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट" में होती है।
- 10.8 वेंचर कैपिटल फंड की इकाइयों में निवेश लागत पर मूल्यवान है। हालांकि यदि नवीनतम नेट एसेट वैल्यू (पिछले 18 महीनों के दौरान उपलब्ध) लागत से नीचे है, तो निवेश और मूल्य संपत्ति के बीच अंतर की सीमा तक निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान किया गया है। पहले मान्यता प्राप्त हानि की सीमा तक एनएवी में कोई भी प्रशंसा राजस्व में ली जाती है।
- 10.9 मानक/गैर-निष्पादित ऋण/जमा/डिबेंचरों के लिए प्रावधान आय मान्यता, संपत्ति वर्गीकरण और आईआरडीए/संबंधित आरबीआई दिशानिर्देशों द्वारा जारी प्रावधान के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर किए जाते हैं।
- बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के तहत ऋण / निवेश को दीर्घकालिक श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया है क्योंकि उनकी प्राप्ति निश्चित नहीं है।

## 11. कर्मचारी लाभ

- 11.1 कर्मचारियों को ग्रैच्युइटी और पेंशन लाभ की देयता वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार संचित आधार पर निर्धारित की जाती है और इसे अनुमोदित निधि के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। छुट्टी एनकैशमेंट और अन्य परिभाषित कर्मचारी लाभ के प्रावधान साल के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किए जाते हैं।
- 11.2 कंपनी पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि में एक अलग ट्रस्ट में निश्चित योगदान देता है, जो अनुमत प्रतिभूतियों में धन का निवेश करता है। अवधि के लिए फंड में योगदान व्यय के रूप में पहचाना जाता है और लाभ और हानि खाते से लिया जाता है। कंपनी का दायित्व इस तरह के निश्चित योगदान तक ही सीमित है।

## 12. कराधान

कर व्यय (कर बचत) चालू वर्ष कर (यानी आयकर कानून के अनुसार निर्धारित अवधि के लिए कर की राशि), पिछले वर्ष कर और स्थगित कर (लेखा आय के बीच समय अंतर के कर प्रभाव को दर्शाता है) का कुल योग है। अवधि के लिए कर योग्य आय)। इन्हें लाभ और हानि खाते में चार्ज किया जाता है (या जमा)।

10.7 Investments in units of Mutual Funds are valued at Net Asset Value (NAV) and the unrealized gains/losses are accounted in "Fair Value Change Account".

10.8 Investments in units of Venture Capital Fund is valued at cost. However in case the latest Net Asset Value (available during last 18 months) is below Cost, the provision is made for diminution in the Value of Investment to the extent of difference between Cost and Net Asset Value. Any appreciation in the NAV to the extent of loss earlier recognized is taken to revenue.

10.9 Provisions for standard/non-performing loans/deposits/ debentures are made on the basis of prudential norms for income recognition, asset classification and provisioning issued by IRDA / related RBI Guidelines

Loans/investments under non-performing assets as on the date of Balance Sheet have been classified under long term category as their realisability is not certain.

## 11. Employees' Benefits:

11.1 The liability for gratuity and pension benefits to employees is determined on accrual basis as per the actuarial valuation at the year end and is administered through an approved fund. Provisions for leave encashment and other defined employee benefits are made on the basis of actuarial valuation at the year end.

11.2 The Company pays fixed contribution to Provident Fund at predetermined rates to a separate trust, which invests the funds in permitted securities. The contribution to the fund for the period is recognized as expense and is charged to the Profit & Loss Account. The obligation of the Company is limited to such fixed contribution.

## 12. Taxation:

Tax expense (tax saving) is the aggregate of current year tax (i.e. amount of tax for the period determined in accordance with the income tax law), earlier year tax and deferred tax (reflecting the tax effects of timing differences between the accounting income and taxable income for the period). These are charged (or credited) to the Profit and Loss Account.





### 12.1 वर्तमान वर्ष शुल्क

वर्तमान कर के लिए प्रावधान कंपनी के काउंसिल से लागू न्यायिक घोषणाओं और राय के उचित विचार के बाद आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित कंपनी के निर्धारणीय मुनाफे पर किया जाता है।

### 12.2 पहले साल कर

प्रावधानों को अस्वीकार करने या अन्य कारणों से अपील के तहत मामलों के लिए उचित मानी जाती है।

### 12.3 स्थगित कर

(ए) स्थगित कर शुल्क या क्रेडिट और संबंधित स्थगित कर देनदारियां कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच उत्पन्न होने वाले समय अंतर के लिए मान्यता प्राप्त हैं जो बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार अधिनियमित या पर्याप्त रूप से लागू की गई हैं।

(बी) स्थगित कर संपत्तियां केवल इस हद तक मान्यता प्राप्त हैं कि एक निश्चित निश्चितता है कि संपत्ति भविष्य में महसूस की जा सकती है। अप्रत्याशित मूल्यह्रास के मामले में और कराधान कानूनों के तहत घाटे को आगे बढ़ाने के मामले में, स्थगित कर संपत्ति केवल उस सीमा तक पहचानी जाती है जब एक आभासी निश्चितता है कि संपत्ति भविष्य में महसूस की जा सकती है। प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर स्थगित कर संपत्ति की समीक्षा की जाती है।

### 13. दावा न किए गए क्रेडिट शेष राशि

जारी करने की तारीख से 3 साल से अधिक के लिए बाध्य चेक, वैधानिक भुगतान, एमएसीटी दावों से संबंधित या प्रीमियम, धनवापसी भुगतान या अन्य बकाया राशि की वापसी के लिए पॉलिसीधारकों को जारी किए गए को छोड़कर, वापस लिखे गए हैं। मामले के आधार पर 3 साल से अधिक समय तक अनधिकृत अन्य पुराने क्रेडिट शेष वापस लिखे गए हैं। पॉलिसीधारकों के बकाया से संबंधित दावा न किए गए चेक पॉलिसीधारकों के बकाया खाते में स्थानांतरित किए जाते हैं।

### 14. निवेश आय

कंपनी के कुल निवेश के मीन फंड पर अर्जित समान प्रतिशत के आधार पर गणना की गई प्रशासन और प्रबंधन शुल्कों के लिए 0.5% की वसूली के बाद दावा न किए गए पॉलिसीधारक के बकाया पर अर्जित निवेश आय को पॉलिसीधारकों के खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

### 12.1 Current Year Charge:

Provision for current tax is made on the assessable profits of the company as determined under The Income Tax act, 1961 after due consideration of the applicable judicial pronouncements and opinion from the Company's Counsel.

### 12.2 Earlier year Tax:

Provisions are recorded as considered appropriate, for matters under appeal due to disallowances or for other reasons.

### 12.3 Deferred Tax:

(a) The deferred tax charge or credit and the corresponding deferred tax liabilities are recognized for timing differences arising between taxable income and accounting income using the tax rate that has been enacted or substantively enacted as on the date of the Balance Sheet.

(b) Deferred tax assets are recognized only to the extent there is a reasonable certainty that the assets can be realized in future. In the case of unabsorbed depreciation and carry forward of losses under taxation laws, deferred tax assets are recognized only to the extent there is a virtual certainty that the assets can be realized in future. Deferred Tax assets are reviewed at each Balance Sheet date.

### 13. Unclaimed Credit Balances:

Stale cheques unclaimed for more than 3 years from the date of issue, except those related to Statutory Payments, MACT Claims or issued to policyholders towards refund of premium, claims payment or other dues, are written back. Other old credit balances unclaimed for more than 3 years are written back on case to case basis. Unclaimed Cheques related to policyholders' dues are transferred to "Policyholders' Dues Account".

### 14. Investment income

Investment income accrued on the unclaimed policyholder's dues after recovery of 0.5% towards administration & management charges calculated on the basis of the same percentage as earned on the Mean funds of the company's total investment is then transferred to Policyholders' Account.





**बी. मत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां**

आईआरडीएआई द्वारा आवश्यक विवरणों के प्रकटीकरण।

**1. आकरिमक देयताएं**

**B. Notes forming part of Accounts**

Disclosures of particulars as required by IRDAI.

**1. Contingent Liabilities**

(रुपये लाखों में) (Rs. in Lakhs)

Sl. No.	विवरण	Particulars	31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
a.	आंशिक भुगतान निवेश	Partly Paid Investments	204.90	384.07
b.	हामीदारी प्रतिबद्धता बकाया	Underwriting Commitment Outstanding	NIL	NIL
c.	नीतियों के तहत उन लोगों के अलावा दावा, ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है	Claims, other than those under policies, not acknowledged as Debt	2783.39	1997.80
d.	कंपनी द्वारा या उसकी ओर से दी गई गारंटी	Guarantee given by or on behalf of the Company	143.21	137.89
e.	विवाद में वैधानिक मांग / देनदारियां, प्रदान नहीं की गईं	Statutory demands/ liabilities, in dispute, not provided for	123400.13#	94948.63**
f.	खातों में प्रदान की गई सीमा तक पुनर्मिलन दायित्वों	Reinsurance obligations to the extent not provided for in Accounts	NIL	NIL
g.	अन्य लोग	Others	551.78*	NIL

- # 123400.13 लाख रुपये का सेवा कर विभाग द्वारा उठाए गए मांग, जुर्माना और ब्याज के रूप में 74658.49 लाख रुपये वर्ष 2011-12 और 2012-13 से संबंधित और एवाय 2005-06 और 2007-08 के लिए आई। टैक्स मांग के मुकाबले रु. 33720.30 लाख रुपये और वित्त वर्ष 2007-08 और 2011-12 के लिए रु. 368.82 लाख रुपये जुर्माना शामिल हैं।
- # 123400.13 लाख रुपये भारत के कमीशन प्रतिस्पर्धा द्वारा जिसमें दंड के लिए 10052.00 लाख रुपये शामिल हैं।
- \*आईआरडीए परिपत्र संख्या आईआरडीए/एफएंडए/सीआईआर/ एमआईएससी/173/07/2017 के अनुपालन में 01.10.2007 (10 वर्षों से अधिक) से पहले मौजूद पॉलिसीधारक के फंड से रुपये 551.78 लाख, वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि में स्थानांतरित हो गए।
- \*\* रु. 94948.63 लाख रुपये में वित्त वर्ष 2007-08 और वित्त वर्ष 2011-12 और आय 2011-12 के लिए आयकर प्राधिकरणों द्वारा उठाए गए दंड के रूप में 53702.04 लाख रुपये और रु. 40441.60 लाख सेवा कर प्राधिकरणों द्वारा उठाए गए मांग और जुर्माना के रूप में।
- #Rs. 123400.13 Lakhs includes Rs. 74658.49 Lakhs as demand, penalty and interest thereon raised by Service Tax Deptt. pertaining to years 2011-12 & 2012-13 and Rs. 33720.30 Lakhs as against I.Tax demand for AY 2005-06 & 2007-08 and Rs. 368.82 Lakhs as penalty for AY 2007-08 & 2011-12.
- # Rs. 123400.13 Lakhs includes Rs. 10052.00 lakhs for penalty by Competition Commission of India.
- \*Rs. 551.78 Lakhs transferred to Senior Citizen welfare fund from policy holder's fund lying prior to 01.10.2007 (more than 10 years) in compliance to IRDA circular ref. no. IRDA / F&A / CIR / MISC / 173 / 07 / 2017
- \*\* Rs. 94948.63 Lakhs includes Rs. 53702.04 Lakhs as penalty raised by the Income Tax Authorities for AY 2007-08 and AY 2011-12 and Rs. 40441.60 Lakhs as demand and penalty raised by Service Tax Authorities.





2. भारत में और बाहर कंपनी की संपत्तियों के लिए असंतुलन  
2. Encumbrances to assets of the Company in and outside India

(रूपये लाखों में) (Rs. in Lakhs)

		31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
क. अदालत के आदेश के अनुसार जमा बैंक खाते	a. Bank Accounts frozen as per Court Orders	55.14	121.61
ख. सरकार की तरफ से पर्यावरण राहत निधि के तहत जमा जमा	b. Deposits held under Environment Relief fund on behalf of the Government	NIL	NIL

3. ऋण, निवेश और फिक्स्ड एसेट्स के लिए प्रतिबद्ध और बकाया प्रतिबद्धताएं  
3. Commitments made and outstanding for loans, investments and Fixed Assets

(रूपये लाखों में) (Rs. in Lakhs)

		31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
क. ऋण	a. Loans	1.80	1.80
ख. आंशिक भुगतान शेयर	b. Partly Paid Shares	662.70	15.13
ग. पूंजी प्रतिबद्धता अग्रिम का नेट	c. Capital Commitments Net of Advances	5910.95	14207.49

4. कम पुनर्वित्त का दावा करता है, भुगतान किया जाता है  
4. Claims less Reinsurance, paid to

		31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
क. भारत में दावेदार	a. Claimants in India	759502.75	659389.64
ख. भारत के बाहर दावेदार	b. Claimants outside India	27927.66	25907.67
ग. कुल	c. Total	787430.41	685297.31

सिस्टम जनरेटेड स्टेटमेंट्स एक्सएल सहित आरआई रिकवरीज के लेखांकन के आधार के रूप में उपयोग किए जाते हैं।

System generated statements are used as a basis for accounting of RI recoveries including XL.

5. दावा दावों की अवधि दावों के मामले में दावा देनदारियों के निर्धारण के लिए वास्तविक धारणाएं जहां दावा भुगतान अवधि चार वर्ष से अधिक हो जाती है।

5. Actuarial assumptions for the determination of claim liabilities in the case of claims where the claim payment period exceed four years.

दावा दावों की अवधि चार साल से अधिक होने वाले दावों के मामले में दावा दायित्वों को पूरा करने के लिए कोई अलग धारणा नहीं की जा रही है। सभी दावों का संरक्षण सामान्य त्रिभुज विधि के माध्यम से किया जाता है।

No separate assumptions are being taken to work out claims liabilities in the case of claims where the claims payment period exceed four years. Reserving of all claims are done through normal triangulation method.

6. दावों का एजिंग (आईबीएनआर को छोड़कर प्रत्यक्ष)  
क) भारत के भीतर

6. Ageing of claims (Direct excluding IBNR)

a) Within India

(रूपये लाखों में) (Rs. in Lakhs)

व्यवसाय की कक्षा	Class of Business	वर्ष/ Year	के लिए बकाया दावा / Claims outstanding for					
			छह महीने से अधिक More than six months		छह महीने से कम Less than six months		कुल Total	
			संख्या/Number	राशि/Amount	संख्या/Number	राशि/Amount	संख्या/Number	राशि/Amount
अग्नि	Fire	As at 31.3.18	1883	132632	814	33681	2697	166313
		As at 31.3.17	2587	139622	1086	30463	3673	170086
मरीन	Marine	As at 31.3.18	1284	55816	1063	6770	2347	62586
		As at 31.3.17	1924	64859	1857	7462	3781	72321
विविध	Misc	As at 31.3.18	135159	444753	98394	187137	233553	631890
		As at 31.3.17	153754	436344	112076	124775	265830	561119
कुल	Total	As at 31.3.18	138326	633201	100271	227588	238597	860789
		As at 31.3.17	158265	640825	115019	162701	273284	803526







b) भारत के बाहर / Outside India

(रूपये लाखों में) (Rs. in Lakhs)

व्यवसाय की कक्षा	Class of Business	वर्ष/ Year	के लिए बकाया दावा / Claims outstanding for					
			छह महीने से अधिक More than six months		छह महीने से कम Less than six months		कुल Total	
			संख्या/ Number	राशि/Amount	संख्या/ Number	राशि/Amount	संख्या/ Number	राशि/Amount
अग्नि	Fire	As at 31.3.18	115	4935	59	3645	174	8580
		As at 31.3.17	115	3351	73	1683	188	5035
मरीन	Marine	As at 31.3.18	100	2135	62	371	162	2506
		As at 31.3.17	99	422	72	1249	171	1671
विविध	Misc	As at 31.3.18	3891	5255	13378	3852	17269	9107
		As at 31.3.17	3861	6790	5349	5344	9210	12134
कुल	Total	As at 31.3.18	4106	12325	13499	7868	17605	20193
		As at 31.3.17	4075	10564	5494	8275	9569	18839

c) कुल / Total

(रूपये लाखों में) (Rs. in Lakhs)

व्यवसाय की कक्षा	Class of Business	वर्ष/ Year	के लिए बकाया दावा / Claims outstanding for					
			छह महीने से अधिक More than six months		छह महीने से कम Less than six months		कुल Total	
			संख्या/ Number	राशि/Amount	संख्या/ Number	राशि/Amount	संख्या/ Number	राशि/Amount
अग्नि	Fire	As at 31.3.18	1998	137567	873	37326	2871	174893
		As at 31.3.17	2702	142974	1159	32146	3861	175120
मरीन	Marine	As at 31.3.18	1384	57951	1125	7141	2509	65092
		As at 31.3.17	2023	65281	1929	8711	3952	73992
विविध	Misc	As at 31.3.18	139050	450008	111772	190989	250822	640997
		As at 31.3.17	157615	443134	117425	130119	275040	573253
कुल	Total	As at 31.3.18	142432	645526	113770	235456	256202	880982
		As at 31.3.17	162340	651389	120513	170976	282853	822366

7. प्रीमियम कम पुनर्वित्त से अंडरराइट किया गया / Premium less Reinsurance underwritten from

(रूपये लाखों में) (Rs. in Lakhs)

		As at 31.03.2018 को	As at 31.03.2017 को
क. भारत में व्यापार	a. Business in India	974164.65	890457.02
ख. भारत के बाहर व्यापार	b. Business outside India	28657.95	31781.54
ग. कुल	c. Total	1002822.60	922238.56

8. निवेश के संबंध में अनुबंधों का मूल्य / Value of contracts in relation to investments for

(रूपये लाखों में) (Rs. in Lakhs)

		As at 31.03.2018 को	As at 31.03.2017 को
क. खरीद जहां डिलीवरी लंबित है	a. Purchases where deliveries are pending	NIL	NIL
ख. बिक्री जहां भुगतान अतिरिक्त है	b. Sales where payments are overdue	NIL	NIL





9. फेयर वैल्यू बेसिस पर मूल्यवान इक्विटी शेयरों / म्यूचुअल फंड की इकाइयों की ऐतिहासिक लागत  
9. Historical cost of Equity Shares/ Units of Mutual Funds valued on Fair Value Basis

(रुपये लाखों में) (Rs. In Lakhs)

		As at 31.03.2018 को	As at 31.03.2017 को
फेयर वैल्यू बेसिस पर मूल्यवान इक्विटी शेयरों / म्यूचुअल फंड की इकाइयों की ऐतिहासिक लागत	Historical cost of Equity Shares/ Units of Mutual Funds valued on Fair Value Basis	313260.63	272665.11

10. प्रबंधकीय पारिश्रमिक की गणना

अधिसूचना संख्या के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की 05.06.2015 धारा 197 की जीएसआर 463(ई), प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों को देय पारिश्रमिक पर प्रतिबंध, सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है।

11. निवेश संपत्ति का उचित मूल्य और इसके आधार पर

जैसा कि आईआरडीएआई (वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षकों की बीमा कंपनियों की रिपोर्ट) विनियमन, 2000 के तहत आवश्यक है, निवेश संपत्ति का मूल्य ऐतिहासिक लागत पर कम संचित मूल्यह्रास और हानि हानि, यदि कोई हो, पर मूल्यवान है।

12. दावा निपटारे और बकाया बकाया

		As at 31.03.2018 को	As at 31.03.2017 को
बैलेंस शीट तिथि के अनुसार 6 महीने से अधिक समय के लिए दावा निपटारे और बकाया शेष	Claims settled and remaining unpaid for more than 6 months as on the Balance Sheet date	शून्य NIL	शून्य NIL

13. वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार किए गए निवेश

13. Investments made in accordance with statutory requirements

(रुपये लाखों में) (Rs. In Lakhs)

		As at 31.03.2018 को	As at 31.03.2017 को
क. स्थानीय कानूनों के तहत वैधानिक जमा के माध्यम से भारत के बाहर किए गए निवेश	a. Investments made outside India by way of Statutory Deposits under local laws	12841.00	10079.23
ख. एसईबीआई निर्देशों के अनुसार संस्थागत व्यापार के लिए मार्जिन के रूप में सावधि जमा	b. Fixed Deposits as margins for Institutional Trades as per SEBI directives	500.00	500.00





14. लेखांकन नीति संख्या 10.9 के अनुसार आय मान्यता के उद्देश्य के लिए ऋण सहित 'और गैर निष्पादित' निवेश करना निम्नानुसार है:

14. Performing\* and non-performing\* investments including loans for the purpose of income recognition as per Accounting Policy No. 10.9 are as under:

(रूपये लाखों में) (Rs. In Lakhs)

		31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
क. निवेश करना	a. Performing Investments	1086472.42	961586.64
ख. गैर-निष्पादित निवेश	b. Non-Performing Investments	2883.12	3959.69
ग. कुल	c. Total	1089355.54	965546.33

\* म्यूचुअल फंड, उद्यम निधि, इक्विटी और वरीयता शेयरों को छोड़कर।

\* Excluding mutual fund, venture fund, equity and preference shares.

15. पिछले 5 वर्षों के लिए वित्तीय विवरणों का सारांश:

पिछले पांच वर्षों से कंपनी के वित्तीय विवरणों का सारांश निम्नानुसार है:  
वित्तीय वक्तव्य का सारांश

15. Summary of financial statements for the last 5 years:

The summary of financial statements of the Company for the last five years are as under:

Summary of Financial Statements

(रूपये लाखों में) (Rs. In Lakhs)

Sl. No.	विवरण परिचालन परिणाम	Particulars OPERATING RESULTS	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
1	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	Gross Direct Premium	1173684	1111702	861159	756193	728254
2	नेट प्रीमियम	Net Premium	1002823	922239	754374	647238	638147
3	निवेश से आय (शुद्ध)	Income from Investment (net)	329233	232568	182268	210054	191740
4	अन्य आय	Other Income	10360	8931	26611	4894	3325
5	कुल आय	Total Income	1342416	1163738	963253	862186	833212
6	कमीशन (नेट) (ब्रोकरेज सहित)	Commission(Net)(Including Brokerage)	63720	50025	46310	34782	35744
7	परिचालन खर्च	Operating Expenses	269299	282124	258009	234798	177543
8	शुद्ध व्यय दावा	Net Incurred Claims	822121	939810	587959	526150	511102
9	अप्रत्याशित जोखिम रिजर्व में बदलें	Change in Unexpired Risk Reserve	40022	83912	51984	4722	42750
10	ऑपरेटिंग लाभ / हानि	Operating Profit/Loss	147254	(192133)	18991	61734	66073
	नॉन ऑपरेटिंग परिणाम	NON OPERATING RESULT					
11	शेयरधारक के खाते के तहत कुल आय सीएसआर स्वीकार्य सीमा से ईओएम अधिकता	Total Income under Shareholder's account C.S.R Excess of EOM over allowable limit	(669) (8356)	(407) (6569)			
12	कर से पहले लाभ / (हानि) (घटायें: पहले अवधि के आइटम)	Profit/(loss) before tax (less: Prior period items)	138229	(198926)	18926	62035	65381
13	कर के लिए प्रावधान (पिछले वर्षों और डीटीए/डीटीएल के प्रावधान सहित)	Provision for tax (including provision for earlier years and DTA/DTL)	12760	29816	(11123)	22825	19352
14	कर के बाद लाभ/(हानि)	Profit/(loss) after tax	150989	(169110)	30049	39210	46029
15	पॉलिसीधारक का खातारू	Policyholder's Account:					
16	कुल धन	Total funds	1537419	1463145	1124281	1053979	1031090
17	कुल निवेश	Total Investments	2064416	1836945	1505420	1609782	899955





Sl. No.	विवरण परिचालन परिणाम	Particulars OPERATING RESULTS	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
18	निवेश पर पैदावार	Yield on Investments	8.92%	8.72%	9.10%	9.12%	8.92%
19	शेयरधारक का खाता	Shareholder's Account					
20	कुल धन	Total funds	315669	164680	333790	318183	292174
21	कुल निवेश	Total Investments	215951	443275	454508	456160	251766
22	निवेश पर पैदावार	Yield on Investments	8.92%	8.72%	9.10%	9.12%	8.92%
23	इक्विटी पूंजी का भुगतान किया	Paid up Equity Capital	20000	20000	20000	20000	15000
24	कुल मूल्य	Net Worth	315669	133448	271326	318183	289202
25	कुल संपत्ति	Total Assets	299841	2936227	2554416	2628486	2390805
26	कुल निवेश पर पैदावार	Yield on total investments	8.92%	8.72%	9.10%	9.12%	8.92%
27	कमाई प्रति शेयर (रु।)	Earning per share (Rs.)	75.49	(84.55)	15.02	19.60	30.69
28	बुक वैल्यू प्रति शेयर (रु।)	Book Value per share (Rs.)	157.83	66.72	135.66	159.09	192.80
29	कुल लाभांश	Total Dividend	-	-	12000.00	11000.00	10800.00
30	प्रति शेयर लाभांश (रुपये)	Dividend per share (Rs)	-	-	6.00	5.50	7.20

16. गैर जीवन विश्लेषणात्मक अनुपात / NON LIFE ANALYTICAL RATIOS

(रुपये लाखों में) (Rs. in Lakhs)

क्र.सं. Sl. No.	विवरण	Particulars	गणना का तरीका Method of computation	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2018 Gross Direct Premium 31.03.2018	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2017 Gross Direct Premium 31.03.2017	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2016 Gross Direct Premium 31.03.2016	31.03.2018 को समाप्त होने वाले 12 महीनों के लिए वृद्धि Growth for 12 months ending 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त होने वाले 12 महीनों के लिए वृद्धि Growth for 12 months ending 31.03.2017
1	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर (कुल)	Gross Direct Premium Growth Rate (Total)					%	%
	अग्नि	Fire	(जीडीपीआई (सीवाई) - जीडीपीआई (पीवाई)) / जीडीपीआई (पीवाई) (GDPI (CY)-GDPI (PY))/ GDPI (PY)	99662	104289	104754	-4.44	-0.44
	मरीन कार्गो	Marine Cargo		21307	22517	24327	-5.38	-7.44
	मरीन हल	Marine Hull		10157	16880	19928	-39.83	-15.29
	मोटर ओडी	Motor OD		166849	156113	140152	6.88	11.39
	मोटर टीपी (गैर पूल)	Motor TP (Non- Pool)		282826	236819	188448	19.43	25.67
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)		0	0	0	0.00	0.00
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP (D.R. Pool)		0	0	4841	0.00	-100.00
	अभियांत्रिकी	Engineering		23211	29113	33164	-20.27	-12.22
	विमानन	Aviation		8812	8980	9725	-1.87	-7.67
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation		6138	7047	7981	-12.91	-11.69
	निजी दुर्घटना	Personal Accident		55961	52690	16509	6.21	219.15
	स्वास्थ्य	Health		360844	332339	261599	8.58	27.04
	देयता	Liability		7278	7054	5451	3.17	29.41
	अन्य विविध	Other Miscellaneous		130638	137861	44281	-5.24	211.33
	कुल	Total		1173684	1111702	861159	5.58	29.09





क्र.सं. Sl. No.	विवरण	Particulars	गणना का तरीका Method of computation	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2018 Gross Direct Premium 31.03.2018	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2017 Gross Direct Premium 31.03.2017	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2016 Gross Direct Premium 31.03.2016	31.03.2018 को समाप्त होने वाले 12 महीनों के लिए वृद्धि Growth for 12 months ending 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त होने वाले 12 महीनों के लिए वृद्धि Growth for 12 months ending 31.03.2017
1a	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर (केवल भारतीय)	Gross Direct Premium Growth Rate (Indian Only)					%	%
	अग्नि	Fire	(जीडीपीआई (सीवाई) - जीडीपीआई (पीवाई)) / जीडीपीआई (पीवाई) (GDPI (CY)-GDPI (PY))/GDPI (PY)	92296	96636	98403	-4.49	-1.80
	मरीन कार्गो	Marine Cargo		19246	20272	22246	-5.06	-8.87
	मरीन हल	Marine Hull		10128	16833	19787	-39.83	-14.93
	मोटर ओडी	Motor OD		154455	142202	127369	8.62	11.65
	मोटर टीपी (गैर पूल)	Motor TP(Non- Pool)		281293	232162	182853	21.16	26.97
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)		0	0	0	0.00	0.00
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)		0	0	4841	0.00	-100.00
	अभियांत्रिकी	Engineering		22633	28307	32295	-20.04	-12.35
	विमानन	Aviation		8812	8980	9725	-1.87	-7.67
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation		5749	6601	7423	-12.91	-11.07
	निजी दुर्घटना	Personal Accident		55765	52449	16348	6.32	220.83
	स्वास्थ्य	Health		358117	332187	261467	7.81	27.05
	देयता	Liability		6800	6602	5114	3.00	29.10
	अन्य विविध	Other Miscellaneous		129904	137104	43602	-5.25	214.44
	कुल	Total		1145197	1080334	831474	6.00	29.93
1b	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर (केवल विदेशी)	Gross Direct Premium Growth Rate (Foreign Only)					%	%
	अग्नि	Fire	(जीडीपीआई (सीवाई) - जीडीपीआई (पीवाई)) / जीडीपीआई (पीवाई) (GDPI (CY)-GDPI (PY))/GDPI (PY)	7367	7653	6351	-3.74	20.50
	मरीन कार्गो	Marine Cargo		2061	2245	2081	-8.18	7.88
	मरीन हल	Marine Hull		29	48	141	-38.66	-66.19
	मोटर ओडी	Motor OD		12394	13911	12783	-10.90	8.82
	मोटर टीपी (गैर पूल)	Motor TP(Non- Pool)		1533	4658	5595	-67.08	-16.74
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)		0	0	0	0.00	0.00
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)		0	0	0	0.00	0.00
	अभियांत्रिकी	Engineering		578	806	869	-28.27	-7.29
	विमानन	Aviation		0	0	0	0.00	0.00
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation		389	446	558	-12.87	-20.01







क्र.सं. Sl. No.	विवरण	Particulars	गणना का तरीका Method of computation	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2018 Gross Direct Premium 31.03.2018	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2017 Gross Direct Premium 31.03.2017	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2016 Gross Direct Premium 31.03.2016	31.03.2018 को समाप्त होने वाले 12 महीनों के लिए वृद्धि Growth for 12 months ending 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त होने वाले 12 महीनों के लिए वृद्धि Growth for 12 months ending 31.03.2017
	निजी दुर्घटना	Personal Accident		196	241	161	-18.61	49.47
	स्वास्थ्य	Health		2727	153	131	1687.81	16.24
	देयता	Liability		478	452	337	5.69	34.08
	अन्य विविध	Other Miscellaneous		734	757	679	-3.01	11.58
	कुल	Total		28487	31369	29685	-9.19	5.67
2	सकल लिखित प्रीमियम वृद्धि दर (कुल)	Gross Written Premium Growth Rate (Total)					%	%
	अग्नि	Fire	(जीडीपीआई (सीवाई) - जीडीपीआई (पीवाई)) / जीडीपीआई (पीवाई) (GWPI (CY)- GWPI (PY))/ GWPI (PY)	117106	120368	117698	-2.71	2.27
	मरीन कार्गो	Marine Cargo		21474	22622	24460	-5.08	-7.51
	मरीन हल	Marine Hull		10600	17790	20902	-40.42	-14.89
	मोटर ओडी	Motor OD		166941	156154	140216	6.91	11.37
	मोटर टीपी (नैर पूल)	Motor TP(Non- Pool)		282829	236820	188450	19.43	25.67
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)		0	0	0	0.00	0.00
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)		0	2364	7045	-100.00	-66.44
	अभियांत्रिकी	Engineering		27416	32262	37449	-15.02	-13.85
	विमानन	Aviation		11140	11094	11767	0.42	-5.72
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation		6138	7048	7981	-12.91	-11.69
	निजी दुर्घटना	Personal Accident		55973	52808	16525	5.99	219.57
	स्वास्थ्य	Health		360864	332339	261600	8.58	27.04
	देयता	Liability		7884	7651	5474	3.05	39.76
	अन्य विविध	Other Miscellaneous		141109	149964	51605	-5.90	190.60
	कुल	Total		1209473	1149284	891172	5.24	28.96
2a	सकल लिखित प्रीमियम वृद्धि दर (केवल भारतीय)	Gross Written Premium Growth Rate (Indian Only)					%	%
	अग्नि	Fire	(जीडीपीआई (सीवाई) - जीडीपीआई (पीवाई)) / जीडीपीआई (पीवाई) (GWPI (CY)- GWPI (PY))/ GWPI (PY)	105296	109126	108351	-3.51	0.71
	मरीन कार्गो	Marine Cargo		19249	20272	22246	-5.05	-8.87
	मरीन हल	Marine Hull		10443	17509	20589	-40.35	-14.96
	मोटर ओडी	Motor OD		154455	142202	127369	8.62	11.65
	मोटर टीपी (नैर पूल)	Motor TP(Non- Pool)		281293	232162	182853	21.16	26.97
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)		0	0	0	0.00	0.00





क्र.सं. Sl. No.	विवरण	Particulars	गणना का तरीका Method of computation	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2018 Gross Direct Premium 31.03.2018	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2017 Gross Direct Premium 31.03.2017	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2016 Gross Direct Premium 31.03.2016	31.03.2018 को समाप्त होने वाले 12 महीनों के लिए वृद्धि Growth for 12 months ending 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त होने वाले 12 महीनों के लिए वृद्धि Growth for 12 months ending 31.03.2017
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)		0	2364	7045	-100.00	-66.44
	अभियांत्रिकी	Engineering		25911	31019	36101	-16.47	-14.08
	विमानन	Aviation		9305	9610	9974	-3.16	-3.65
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation		5749	6601	7423	-12.91	-11.07
	निजी दुर्घटना	Personal Accident		55774	52458	16361	6.32	220.62
	स्वास्थ्य	Health		358117	332187	261467	7.81	27.05
	देयता	Liability		7401	7194	5131	2.87	40.22
	अन्य विविध	Other Miscellaneous		140226	148982	50736	-5.88	193.64
	कुल	Total		1173220	1111686	855645	5.54	29.92
2b	सकल लिखित प्रीमियम वृद्धि दर (केवल विदेशी)	Gross Written Premium Growth Rate (Foreign Only)					%	%
	अग्नि	Fire	(जीडीपीआई (सीवाई) - जीडीपीआई (पीवाई)) / जीडीपीआई (पीवाई) (GWPI (CY)- GWPI (PY))/ GWPI (PY)	11809	11242	9347	5.05	20.28
	मरीन कार्गो	Marine Cargo		2225	2349	2214	-5.31	6.11
	मरीन हल	Marine Hull		156	281	312	-44.45	-9.93
	मोटर ओडी	Motor OD		12485	13951	12847	-10.51	8.60
	मोटर टीपी (गैर पूल)	Motor TP(Non- Pool)		1536	4659	5597	-67.03	-16.76
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)		0	0	0	0.00	0.00
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)		0	0	0	0.00	0.00
	अभियांत्रिकी	Engineering		1505	1243	1349	21.09	-7.85
	विमानन	Aviation		1835	1484	1794	23.61	-17.25
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation		389	447	558	-12.86	-19.91
	निजी दुर्घटना	Personal Accident		199	350	164	-43.23	114.13
	स्वास्थ्य	Health		2747	153	133	1700.50	14.57
	देयता	Liability		483	456	343	5.92	32.95
	अन्य विविध	Other Miscellaneous		883	982	870	-10.09	12.84
	कुल	Total		36252	37598	35527	-3.58	5.83
	सकल प्रीमियम	Gross Premium	जीडीपीआई / नेट वर्ष GDPI/Net Worth	1173684	1111702	861159		
	कुल मूल्य	Net Worth		315669	133448	271326		
	सकल प्रीमियम का अनुपात शुद्ध मूल्य (समय)	Ratio of Gross Premium to Net Worth (times)		3.72	8.33	3.17		





क्र.सं. Sl. No.	विवरण	Particulars	गणना का तरीका Method of computation	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2018 Gross Direct Premium 31.03.2018	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2017 Gross Direct Premium 31.03.2017	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2016 Gross Direct Premium 31.03.2016	31.03.2018 को समाप्त होने वाले 12 महीनों के लिए वृद्धि Growth for 12 months ending 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त होने वाले 12 महीनों के लिए वृद्धि Growth for 12 months ending 31.03.2017
4	नेट वर्थ की वृद्धि दर	Growth rate of Net Worth		31.03.2018 को समाप्त होने वाले 12 महीने 12 months ending 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त होने वाले 12 महीने 12 months ending 31.03.2017	31.03.2016 को समाप्त होने वाले 12 महीने 12 months ending 31.03.2016	%	%
	चालू वर्ष / अवधि के अंत में नेट वर्थ	Net Worth at the end of current year/period	[पीवाई के सीवाई-नेट वर्थ का नेट वर्थ] / नेट वर्थ-पीवाई [Net Worth of CY-Net Worth of PY)/Net Worth-PY	315669	133448	271326		
	पिछले वर्ष / अवधि के अंत में नेट वर्थ	Net Worth at the end of previous year/period		133448	271326	318183		
	विकास और विकास दर (%)	Growth and Growth rate (%)		182221	-137878	-46857	136.55	-50.82
5	नेट प्रतिधारण अनुपात (कुल)	Net Retention Ratio (Total)		नेट प्रीमियम Net Premium 31.03.2018	नेट प्रीमियम Net Premium 31.03.2017	नेट प्रीमियम Net Premium 31.03.2016	प्रतिधारण अनुपात(%) Retention Ratio(%)	प्रतिधारण अनुपात(%) Retention Ratio(%)
	अग्नि	Fire	नेट लिखित प्रीमियम / (सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय + पुनर्मिलन स्वीकृत) Net Written Premium / (Gross Direct Premium Income+ Reinsurance Accepted)	58439	59638	62440	49.90	49.55
	मरीन कार्गो	Marine Cargo		17659	19195	20953	82.23	84.85
	मरीन हल	Marine Hull		4048	4588	4628	38.19	25.79
	मोटर ओडी	Motor OD		158262	148141	133327	94.80	94.87
	मोटर टीपी (गैर पूल)	Motor TP(Non- Pool)		268000	224265	178807	94.76	94.70
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)		0	0	0	0.00	0.00
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)		0	1384	4151	0.00	58.55
	अभियांत्रिकी	Engineering		20279	20621	25798	73.97	63.92
	विमानन	Aviation		2263	1967	1888	20.32	17.73
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation		5847	6703	7581	95.26	95.10
	निजी दुर्घटना	Personal Accident		50212	42645	15020	89.71	80.75
	स्वास्थ्य	Health		341515	315733	248530	94.64	95.00
	देयता	Liability		5666	5583	4735	71.86	72.97
	अन्य विविध	Other Miscellaneous		70632	71776	46515	50.05	47.86
	सभी विभाग	All Departments		1002823	922239	754374	82.91	80.24





क्र.सं. Sl. No.	विवरण	Particulars	गणना का तरीका Method of computation	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2018 Gross Direct Premium 31.03.2018	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2017 Gross Direct Premium 31.03.2017	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2016 Gross Direct Premium 31.03.2016	31.03.2018 को समाप्त होने वाले 12 महीनों के लिए वृद्धि Growth for 12 months ending 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त होने वाले 12 महीनों के लिए वृद्धि Growth for 12 months ending 31.03.2017
5a	नेट प्रतिधारण अनुपात (केवल भारतीय)	Net Retention Ratio (Indian Only)		नेट प्रीमियम Net Premium 31.03.2018	नेट प्रीमियम Net Premium 31.03.2017	नेट प्रीमियम Net Premium 31.03.2016	प्रतिधारण अनुपात(%) Retention Ratio(%)	प्रतिधारण अनुपात(%) Retention Ratio(%)
	अग्नि	Fire	नेट लिखित प्रीमियम / (सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय + पुनर्मिलन स्वीकृत) Net Written Premium / (Gross Direct Premium Income+ Reinsurance Accepted)	50906	52393	55733	48.35	48.01
	मरीन कार्गो	Marine Cargo		15560	17023	18870	80.84	83.97
	मरीन हल	Marine Hull		3893	4308	4335	37.27	24.60
	मोटर ओडी	Motor OD		146732	135093	121000	95.00	95.00
	मोटर टीपी (नैर पूल)	Motor TP(Non- Pool)		266464	219607	173234	94.73	94.59
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)		0	0	0	0.00	0.00
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)		0	1384	4151	0.00	58.55
	अभियांत्रिकी	Engineering		18911	19674	24724	72.98	63.43
	विमानन	Aviation		526	584	150	5.65	6.07
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation		5461	6271	7052	95.00	95.00
	निजी दुर्घटना	Personal Accident		50061	42354	14893	89.76	80.74
	स्वास्थ्य	Health		340349	315580	248396	95.04	95.00
	देयता	Liability		5208	5152	4406	70.37	71.62
	अन्य विविध	Other Miscellaneous		70092	71034	45854	49.98	47.68
	सभी विभाग	All Departments		974165	890457	722800	83.03	80.10
5b	नेट प्रतिधारण अनुपात (केवल विदेशी)	Net Retention Ratio (Foreign Only)		नेट प्रीमियम Net Premium 31.03.2018	नेट प्रीमियम Net Premium 31.03.2017	नेट प्रीमियम Net Premium 31.03.2016	प्रतिधारण अनुपात(%) Retention Ratio(%)	प्रतिधारण अनुपात(%) Retention Ratio(%)
	अग्नि	Fire	नेट लिखित प्रीमियम / (सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय + पुनर्मिलन स्वीकृत) Net Written Premium / (Gross Direct Premium Income+ Reinsurance Accepted)	7532	7245	6707	63.78	64.44
	मरीन कार्गो	Marine Cargo		2098	2173	2083	94.32	92.47
	मरीन हल	Marine Hull		156	280	293	99.53	99.61
	मोटर ओडी	Motor OD		11529	13048	12327	92.34	93.52
	मोटर टीपी (नैर पूल)	Motor TP(Non- Pool)		1536	4659	5573	100.00	100.00
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)		0	0	0	0.00	0.00
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)		0	0	0	0.00	0.00
	अभियांत्रिकी	Engineering		1368	947	1074	90.92	76.21





क्र.सं. Sl. No.	विवरण	Particulars	गणना का तरीका Method of computation	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2018 Gross Direct Premium 31.03.2018	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2017 Gross Direct Premium 31.03.2017	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2016 Gross Direct Premium 31.03.2016	31.03.2018 को समाप्त होने वाले 12 महीनों के लिए वृद्धि Growth for 12 months ending 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त होने वाले 12 महीनों के लिए वृद्धि Growth for 12 months ending 31.03.2017
	विमानन	Aviation		1737	1384	1738	94.69	93.22
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation		386	432	529	99.12	96.63
	निजी दुर्घटना	Personal Accident		151	291	127	75.87	83.00
	स्वास्थ्य	Health		1166	153	133	42.45	100.00
	देयता	Liability		458	430	329	94.83	94.25
	अन्य विविध	Other Miscellaneous		540	741	662	61.16	75.52
	सभी विभाग	All Departments		28658	31781	31574	79.05	84.53
6	नेट कमिशन अनुपात - कुल (%)	NET COMMISSION RATIO - TOTAL (%)		नेट कमिशन Net Commission 31.03.2018	नेट कमिशन Net Commission 31.03.2017	नेट कमिशन Net Commission 31.03.2016	नेट कमिशन Net Commission Ratio(%)	नेट कमिशन Net Commission Ratio (%)
	अग्नि	Fire	नेट कमिशन / नेट लिखित प्रीमियम Net Commission/ Net Written Premium	9607	6870	5267	16.44	11.52
	मरीन कार्गो	Marine Cargo		2287	2593	2782	12.95	13.51
	मरीन हल	Marine Hull		-136	-130	-569	-3.35	-2.82
	मोटर ओडी	Motor OD		23264	13666	12504	14.70	9.23
	मोटर टीपी (नैर पूल)	Motor TP(Non- Pool)		1678	1234	1548	0.63	0.55
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)		0	0	0	0.00	0.00
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)		0	0	0	0.00	0.00
	अभियांत्रिकी	Engineering		1997	-69	1250	9.85	-0.33
	विमानन	Aviation		221	242	169	9.76	12.30
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation		903	709	797	15.45	10.57
	निजी दुर्घटना	Personal Accident		354	-395	1090	0.71	-0.93
	स्वास्थ्य	Health		22806	19235	14764	6.68	6.09
	देयता	Liability		665	805	746	11.73	14.41
	अन्य विविध	Other Miscellaneous		74	5266	5963	0.11	7.34
	सभी विभाग	All Departments		63720	50025	46310	6.35	5.42
6a	नेट कमिशन अनुपात - भारतीय केवल (%)	NET COMMISSION RATIO - Indian Only (%)		नेट कमिशन Net Commission 31.03.2018	नेट कमिशन Net Commission 31.03.2017	नेट कमिशन Net Commission 31.03.2016	नेट कमिशन Net Commission Ratio(%)	नेट कमिशन Net Commission Ratio (%)
	अग्नि	Fire	नेट कमिशन / नेट लिखित प्रीमियम Net Commission/ Net Written Premium	7168	4059	3052	14.08	7.75
	मरीन कार्गो	Marine Cargo		1962	2241	2400	12.61	13.17
	मरीन हल	Marine Hull		-152	-161	-619	-3.91	-3.74
	मोटर ओडी	Motor OD		19944	9941	9007	13.59	7.36
	मोटर टीपी (नैर पूल)	Motor TP(Non- Pool)		1355	-7	0	0.51	0.00







क्र.सं. Sl. No.	विवरण	Particulars	गणना का तरीका Method of computation	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2018 Gross Direct Premium 31.03.2018	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2017 Gross Direct Premium 31.03.2017	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2016 Gross Direct Premium 31.03.2016	31.03.2018 को समाप्त होने वाले 12 महीनों के लिए वृद्धि Growth for 12 months ending 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त होने वाले 12 महीनों के लिए वृद्धि Growth for 12 months ending 31.03.2017
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)		0	0	0	0.00	0.00
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)		0	0	0	0.00	0.00
	अभियांत्रिकी	Engineering		1855	-217	1066	9.81	-1.10
	विमानन	Aviation		-84	-43	-117	-16.02	-7.45
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation		788	582	644	14.43	9.27
	निजी दुर्घटना	Personal Accident		335	-493	1071	0.67	-1.16
	स्वास्थ्य	Health		22551	19222	14760	6.63	6.09
	देयता	Liability		514	664	639	9.88	12.89
	अन्य विविध	Other Miscellaneous		-47	5065	5759	-0.07	7.13
	सभी विभाग	All Departments		56189	40853	37660	5.77	4.59
6b	नेट कमीशन अनुपात - विदेशी केवल (%)	NET COMMISSION RATIO - Foreign Only (%)		नेट कमीशन Net Commission 31.03.2018	नेट कमीशन Net Commission 31.03.2017	नेट कमीशन Net Commission 31.03.2016	नेट कमीशन Net Commission Ratio(%)	नेट कमीशन Net Commission Ratio (%)
	अग्नि	Fire	नेट कमीशन / नेट लिखित प्रीमियम Net Commission/ Net Written Premium	2439	2811	2215	32.38	38.80
	मरीन कार्गो	Marine Cargo		325	352	382	15.49	16.19
	मरीन हल	Marine Hull		16	32	50	10.54	11.28
	मोटर ओडी	Motor OD		3320	3725	3498	28.79	28.55
	मोटर टीपी (नैर पूल)	Motor TP(Non- Pool)		323	1241	1548	21.00	26.63
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)		0	0	0	0.00	0.00
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)		0	0	0	0.00	0.00
	अभियांत्रिकी	Engineering		142	148	185	10.39	15.61
	विमानन	Aviation		305	286	286	17.57	20.63
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation		115	127	153	29.91	29.44
	निजी दुर्घटना	Personal Accident		19	98	19	12.54	33.55
	स्वास्थ्य	Health		255	13	4	21.87	8.43
	देयता	Liability		150	141	107	32.82	32.69
	अन्य विविध	Other Miscellaneous		121	201	204	22.47	27.08
	सभी विभाग	All Departments		7531	9172	8650	26.28	28.86
7	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अनुपात में प्रबंधन का खर्च	Expense of Management to Gross Direct Premium Ratio		31.03.2018 को समाप्त होने वाले 12 महीने 12 months ending 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त होने वाले 12 महीने 12 months ending 31.03.2017			
	प्रबंधन का व्यय (प्रत्यक्ष कमीशन)	Expenses of Management (incl. Direct Commission)	प्रबंधन / जीडीपीआई का व्यय Expenses of Management/ GDPI	344161	341872			





क्र.सं. Sl. No.	विवरण	Particulars	गणना का तरीका Method of computation	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2018 Gross Direct Premium 31.03.2018	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2017 Gross Direct Premium 31.03.2017	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2016 Gross Direct Premium 31.03.2016	31.03.2018 को समाप्त होने वाले 12 महीनों के लिए वृद्धि Growth for 12 months ending 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त होने वाले 12 महीनों के लिए वृद्धि Growth for 12 months ending 31.03.2017
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	Gross Direct Premium		1173684	1111702			
	अनुपात (%)	Ratio (%)		29.32	30.75			
8	नेट लिखित प्रीमियम अनुपात में प्रबंधन का खर्च	Expense of Management to Net Written Premium Ratio		31.03.2018 को समाप्त होने वाले 12 महीने 12 months ending 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त होने वाले 12 महीने 12 months ending 31.03.2017			
	प्रबंधन का व्यय (प्रत्यक्ष कमीशन सहित)	Expenses of Management (incl. Direct Commission)	प्रबंधन / एनडब्ल्यूपीआई का व्यय Expenses of Management/ NWPI	344161	341872			
	नेट लिखित प्रीमियम आय	Net Written Premium Income		1002823	922239			
	अनुपात (%)	Ratio(%)		34.32	37.07			
9	नेट समेकित दायित अनुपात (%)	NET INCURRED CLAIMS RATIO (%)		शुद्ध व्यय दावा 31.03.2018 Net Incurred Claims 31.03.2018	नेट अर्जित प्रीमियम 31.03.2018 Net Earned Premium 31.03.2018	शुद्ध व्यय दावा 31.03.2017 Net Incurred Claims 31.03.2017	नेट अर्जित प्रीमियम 31.03.2017 Net Earned Premium 31.03.2017	31.03.18 (%) के रूप में नेट आईसीआर Net ICR as at 31.03.18 (%)
	अग्नि	Fire	शुद्ध व्यय दावा / शुद्ध अर्जित प्रीमियम Net Incurred Claims/ Net Earned Premium	50957	59038	55543	61039	86.31
	मरीन कार्गो	Marine Cargo		10123	18427	12628	20074	54.94
	मरीन हल	Marine Hull		5967	4588	8368	4628	130.05
	मोटर ओडी	Motor OD		112918	153202	110584	140734	73.71
	मोटर टीपी (गैर पूल)	Motor TP(Non- Pool)		184755	246133	326390	201536	75.06
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)		6635	0	9395	0	0.00
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)		-31523	692	-9335	2768	-4555.06
	अभियांत्रिकी	Engineering		4233	20450	12743	23210	20.70
	विमानन	Aviation		3084	2115	2262	1928	145.79
	कामगार क्षति प्रशिक्षण	Workmen Compensation		2010	6275	2159	7142	32.03
	निजी दुर्घटना	Personal Accident		64297	46428	24087	28832	138.49
	स्वास्थ्य	Health		362755	328624	343553	282131	110.39
	देयता	Liability		630	5624	614	5159	11.20
	अन्य विविध	Other Miscellaneous		45280	71204	40819	59145	63.59
	सभी एशिया	All Departments		822121	962801	939810	838326	85.39
10	संयुक्त अनुपात	Combined Ratio		Total 31.03.2018	Total 31.03.2017	Indian 31.03.2018	Indian 31.03.2017	Foreign 31.03.2018





क्र.सं. Sl. No.	विवरण	Particulars	गणना का तरीका Method of computation	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2018 Gross Direct Premium 31.03.2018	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2017 Gross Direct Premium 31.03.2017	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2016 Gross Direct Premium 31.03.2016	31.03.2018 को समाप्त होने वाले 12 महीनों के लिए वृद्धि Growth for 12 months ending 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त होने वाले 12 महीनों के लिए वृद्धि Growth for 12 months ending 31.03.2017
	शुद्ध व्यय दावा	Net Incurred Claims	शुद्ध व्यय दावा / शुद्ध कमाई प्रीमियम, + खर्चबंधन के खर्च (नेट कमीशन सहित) / नेट लिखित प्रीमियम, [Net incurred claims/ Net Earned Premium] + [Expenses of management (including net commission)/ Net written premium]	822121	939810	789081	911567	33041
	नेट अर्जित प्रीमियम	Net Earned Premium		962801	838326	932518	806638	30283
	शुद्ध व्यय दावा अनुपात (%)	Net Incurred Claims Ratio (%)		85.39	112.11	84.62	113.01	109.11
	नेट कमीशन भुगतान किया	Net Commission Paid		63720	50025	56190	40850	7530
	ऑपरेटिंग प्रबंधन खर्च	Operating Management Expenses		269299	282124	267109	280030	2190
	नेट लिखित प्रीमियम	Net Written Premium		1002823	922239	974165	890451	28658
	नेट ऑपरेटिंग व्यय अनुपात (%)	Net Operating Expenses Ratio (%)		33.21	36.02	33.19	36.04	33.92
	संयुक्त अनुपात (%)	Combined Ratio (%)		118.60	148.13	117.81	149.05	143.03
11	शुद्ध प्रीमियम अनुपात के लिए तकनीकी भंडार	Technical Reserves to Net Premium Ratio		31.03.2018 को समाप्त होने वाले 12 महीने ending 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त होने वाले 12 महीने ending 31.03.2017			
	अप्रत्याशित जोखिम के लिए रिजर्व	Reserve for Unexpired Risks	(प्रीमियम कमी के लिए यूआरआर + रिजर्व + आईबीएनआर और आईबीएनआर सहित उत्कृष्ट दावों के लिए रिजर्व) / नेट लिखित प्रीमियम (URR + Reserve for premium deficiency + Reserve for outstanding claims including IBNR and IBNER) / Net Written Premium	503436	463413			
	प्रीमियम कमी रिजर्व	Premium Deficiency Reserve		0	439			
	उत्कृष्ट दावों के लिए रिजर्व	Reserve for Outstanding Claims		1033984	999293			
	कुल	Total		1537420	1463145			
	नेट प्रीमियम	Net Premium		1002823	922239			
	अनुपात (टाइम्स)	Ratio (Times)		1.53	1.59			





क्र.सं. Sl. No.	विवरण	Particulars	गणना का तरीका Method of computation	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2018 Gross Direct Premium 31.03.2018	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2017 Gross Direct Premium 31.03.2017	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2016 Gross Direct Premium 31.03.2016	31.03.2018 को समाप्त होने वाले 12 महीनों के लिए वृद्धि Growth for 12 months ending 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त होने वाले 12 महीनों के लिए वृद्धि Growth for 12 months ending 31.03.2017
12	अंडरराइटिंग बैलेंस अनुपात	Underwriting Balance Ratio		31.03.2018 को समाप्त होने वाले 12 महीने 12 months ending 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त होने वाले 12 महीने 12 months ending 31.03.2017		U/W Balance Ratio (Times)	U/W Balance Ratio (Times)
	अग्नि	Fire	(अंडरराइटिंग लाभ / हानि) / नेट अर्जित प्रीमियम (Underwriting profit/ loss)/ Net earned premium	-26350	-29068		-0.45	-0.48
	मरीन कार्गो	Marine Cargo		2603	950		0.14	0.05
	मरीन हल	Marine Hull		-2928	-6680		-0.64	-1.44
	मोटर ओडी	Motor OD		-32754	-39238		-0.21	-0.28
	मोटर टीपी (गेर पूल)	Motor TP(Non- Pool)		-327	-180644		0.00	-0.90
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)		-6635	-9395		0.00	0.00
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)		32215	11563		46.55	4.18
	अभियांत्रिकी	Engineering		8402	3104		0.41	0.13
	विमानन	Aviation		-3554	-3132		-1.68	-1.62
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation		2059	2651		0.33	0.37
	निजी दुर्घटना	Personal Accident		-30102	-7024		-0.65	-0.24
	स्वास्थ्य	Health		-133526	-157213		-0.41	-0.56
	देयता	Liability		2656	1978		0.47	0.38
	अन्य विविध	Other Miscellaneous		-4099	-21484		-0.06	-0.36
	कुल	TOTAL		-192340	-433633		-0.20	-0.52
13	ऑपरेटिंग लाभ अनुपात	Operating Profit Ratio		31.03.2018 को समाप्त होने वाले 12 महीने 12 months ending 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त होने वाले 12 महीने 12 months ending 31.03.2017			
	बीमांकिक लाभ	Underwriting Profit	(बीमा लाभ / हानि + निवेश आय) / नेट अर्जित प्रीमियम (Underwriting Profit/Loss+ Investment Income)/ Net earned Premium	-192340	-433633			
	निवेश आय	Investment Income		329233	232568			
	परिचालन लाभ	Operating Profits		136893	-201065			
	नेट अर्जित प्रीमियम अनुपात(%)	Net Earned Premium Ratio(%)		962801	838326			
				14.22	-23.98			





क्र.सं. Sl. No.	विवरण	Particulars	गणना का तरीका Method of computation	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2018 Gross Direct Premium 31.03.2018	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2017 Gross Direct Premium 31.03.2017	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2016 Gross Direct Premium 31.03.2016	31.03.2018 को समाप्त होने वाले 12 महीनों के लिए वृद्धि Growth for 12 months ending 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त होने वाले 12 महीनों के लिए वृद्धि Growth for 12 months ending 31.03.2017
14	देयता अनुपात के लिए तरल संपत्ति	Liquid Assets to Liabilities Ratio		31.03.2018 को समाप्त होने वाले 12 महीने 12 months ending 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त होने वाले 12 महीने 12 months ending 31.03.2017			
	तरल संपत्ति	Liquid Assets	तरल संपत्ति / पॉलिसीधारकों देयताएं Liquid Assets/ Policyholders Liabilities	363303	355815			
	पॉलिसीधारकों की देयताएं	Policyholders' Liabilities		1334199	1475417			
	अनुपात (टाइम्स)	Ratio (Times)		0.27	0.28			
15	शुद्ध कमाई अनुपात	Net Earnings Ratio		31.03.2018 को समाप्त होने वाले 12 महीने 12 months ending 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त होने वाले 12 महीने 12 months ending 31.03.2017			
	कर अदायगी के बाद लाभ	Profit after Tax		150989	-169110			
	नेट प्रीमियम अनुपात (%)	Net Premium Ratio (%)		1002823 15.06	922239 -18.34			
16	नेट वर्थ पर वापसी	Return on Net Worth		31.03.2018 को समाप्त होने वाले 12 महीने 12 months ending 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त होने वाले 12 महीने 12 months ending 31.03.2017			
	कर अदायगी के बाद लाभ	Profit after Tax	टैक्स / नेट प्रीमियम के बाद लाभ Profit after Tax/ Net Premium	150989	-169110			
	कुल मूल्य अनुपात (%)	Networth Ratio (%)		315669 47.83	133448 -126.72			
17	आवश्यक सॉल्वेंसी मार्जिन आवश्यक सॉल्वेंसी मार्जिन अनुपात के लिए	Available Solvency Margin to required Solvency Margin Ratio		31.03.2018 को समाप्त होने वाले 12 महीने 12 months ending 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त होने वाले 12 महीने 12 months ending 31.03.2017			







क्र.सं. Sl. No.	विवरण	Particulars	गणना का तरीका Method of computation	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2018 Gross Direct Premium 31.03.2018	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2017 Gross Direct Premium 31.03.2017	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2016 Gross Direct Premium 31.03.2016	31.03.2018 को समाप्त होने वाले 12 महीनों के लिए वृद्धि Growth for 12 months ending 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त होने वाले 12 महीनों के लिए वृद्धि Growth for 12 months ending 31.03.2017
	उपलब्ध सॉल्वेंसी मार्जिन	Available Solvency Margin	एसएम / आरएसएम ASM/RSM	449765	328405			
	आवश्यक सॉल्वेंसी मार्जिन	Required Solvency Margin		269093	294827			
	सॉल्वेंसी मार्जिन अनुपात (टाइम्स)	Solvency Margin Ratio (Times)		1.67	1.11			
18	एनपीए अनुपात (%)	NPA Ratio (%)		31.03.2018 को समाप्त होने वाले 12 महीने 12 months ending 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त होने वाले 12 महीने 12 months ending 31.03.2017			
	सकल एनपीए अनुपात - पॉलिसीधारकों के धन	Gross NPA Ratio - Policyholders' funds		0.17	0.29			
	सकल एनपीए अनुपात - शेयरधारकों के फंड	Gross NPA Ratio - Shareholders' Funds		0.02	0.09			
	नेट एनपीए अनुपात - पॉलिसीधारकों के फंड	Net NPA Ratio - Policyholders' Funds		0	0			
	नेट एनपीए अनुपात - शेयरधारकों के फंड	Net NPA Ratio - Shareholders' Funds		0	0			

17. भारतीय प्रत्यक्ष प्रीमियम के क्षेत्रवार टूटने

17. Sector-wise break-up of Indian Direct Premium

(रूपये लाखों में) (Rs. in Lakhs)

		31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
क. ग्रामीण क्षेत्र	a. Rural Sector	182390.67	154261.00
ख. सामाजिक क्षेत्र	b. Social Sector	107522.61	119629.50
ग. अन्य लोग	c. Others	855283.49	806443.50
घ. कुल	d. Total	1145196.77	1080334.00

18. पुनर्गठन के अधीन निवेश का तोड़ना

विभिन्न श्रेणियों के तहत पुनर्गठित कुल संपत्तियों के आंकड़े संकलित किए जा रहे हैं। वर्ष के दौरान और पिछले वर्ष के दौरान संबंधित श्रेणियों के तहत पुनर्गठित और कार्यान्वित संपत्तियां नीचे दी गई हैं:

18. Break-up of investments subjected to restructuring

The figures of total assets restructured under various categories are being compiled. The assets restructured and implemented during the year and during previous year, under respective categories, are given below:

क्र.सं. Sr. No.	संपत्ति की श्रेणी	Category of Asset	संपत्ति पुनर्गठन और कार्यान्वित (वर्ष के दौरान) के अधीन (रूपये में) Assets subjected to Restructuring and implemented (during the year) (Rs. In Lakhs)	
			2017-18	2016-17
1	मानक	Standard	शून्य/NIL	837.70
2	उप मानक	Sub Standard	शून्य/NIL	0.00
3	संदिग्ध	Doubtful	821.57	9.33
4	नुकसान	Loss	61.86	45.00
	कुल	Total	883.43	892.03





19. व्यापार अधिग्रहण लागत का तोड़ो

भारतीय प्रत्यक्ष व्यापार के संबंध में वर्ष 2017-18 के दौरान किए गए कमीशन / ब्रोकरेज को नीचे दिया गया है:

19. Break up of Business Acquisition Cost

The Commission/Brokerage incurred during the year 2017-18 in respect of Indian Direct Business is given below:

Sr. No.	वर्ग	Category	2017-18	2016-17
			रुपये लाखों में/Rs. in Lakhs	रुपये लाखों में/Rs. in Lakhs
1	एजेंटों	Agents	43964.82	33646.15
2	दलाल	Brokers	17375.83	14050.31
3	कॉर्पोरेट एजेंसी	Corporate Agency	3361.02	3517.32
4	अन्य लोग	Others	2616.75*	0
	कुल	<b>Total</b>	<b>67318.42</b>	<b>51213.78</b>

\* वित्त वर्ष 2017-18 में नई व्यवस्था एमआईएसपी शुरू की गई है।

\* New arrangement MISP has been started in FY 2017-18.

20. निवेश

- 20.1 4.27 लाख रुपये (पिछले वर्ष 4.23 लाख) के खरीद मूल्य वाले कंपनी के नाम पर 32.79 लाख रुपये (पिछले वर्ष 31.46 लाख) के बुक वैल्यू (उचित मूल्य) के शेयरों को शेयर के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया है, क्योंकि 1998 से पहले की अवधि के लिए स्थानांतरण आपत्ति के तहत हैं।
- 20.2 एसएचसीआईएल किताबों में 0.04 लाख रुपये (लघु) के बुक वैल्यू (उचित मूल्य) के स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (संरक्षक) द्वारा जारी प्रमाणपत्रों के साथ कंपनी की किताबों के अनुसार निवेश में विसंगतियां हैं) और एसएचसीआईएल किताबों में रु.1.78 लाख (अतिरिक्त) (पिछले वर्ष क्रमशः 0.04 लाख रुपये और 2.12 लाख अतिरिक्त)। अन्तर का मिलान किया जा रहा है।
- 20.3 वन टाइम निपटान / पुनर्गठन / ऋण के रिडेम्प्शन के कारण 962.53 लाख रुपये (पिछले वर्ष 530.98 लाख) के खराब और संदिग्ध ऋण के प्रावधानों में शुद्ध मोचन है।
- 20.4 बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के तहत ऋण / निवेश को दीर्घकालिक श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया है क्योंकि उनकी वास्तविकता निश्चित नहीं है।
- 20.5 निवेश पर आईआरडीएआई मानदंडों के अनुसार, सूचीबद्ध इक्विटी और म्यूचुअल फंड के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले 865737.38 लाख रुपये (पिछले वर्ष रुपये 1032980.60 लाख) के गैर-वसूल लाभ/ हानि को निवेश के लिए बनाया गया है और इसके लिए 'उचित मूल्य परिवर्तन खाता' के रूप में समान रिजर्व बनाया गया है। लाभ और हानि खाते पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ऐसे रिजर्व वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है।

20. Investments

- 20.1 Shares of the book value (fair value) of Rs 32.79 Lakhs (Previous year Rs 31.46 Lakhs.) having purchase value of Rs 4.23 Lakhs (Previous year Rs. 4.23 Lakhs) have not been registered in the name of the company, as the transfers are under objection for the period prior to 1998.
- 20.2 There are discrepancies in investments as per company's books with the certificates issued by Stock Holding Corporation of India (custodian) of book value (fair value) of Rs 0.04 Lakhs (Short) in SHCIL books) and Rs. 1.78 Lakhs (Excess) in SHCIL books (Previous year Rs. 0.04 Lakhs short and Rs 2.12 Lakhs excess respectively). The differences are under reconciliation.
- 20.3 There is a net release in provisions for bad & doubtful debts of Rs 962.53 Lakhs (Previous year Rs. 530.98 Lakhs) on account of One Time Settlements/ Restructuring/ Redemption of debts.
- 20.4 Loans/investments under non-performing assets as on the date of Balance Sheet have been classified under long term category as their realisability is not certain.
- 20.5 In accordance with IRDAI norms on investments, unrealized gains/ loss of Rs 865737.38 Lakhs (Previous year Rs. 1032980.60 Lakhs ) arising due to change in fair value of listed equities and mutual funds are taken to investment and corresponding equal reserve created for the same as " Fair Value Change Account". There is no effect on Profit and Loss account and such reserve is not available for distribution.





- 20.6 निवेश की बिक्री पर लाभ 200757 लाख रुपये में 31.03.2018 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान 197474.66 लाख रुपये का लाभ (पिछले वर्ष 11137 9.66 लाख) दीर्घकालिक निवेश की बिक्री पर शामिल है।
- 20.7 खंड संख्या के अनुपालन में। निवेश विनियमन, 2016 पर 03 मई 2017 के आईआरडीएआई के मास्टर सर्कुलर के 5.1, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों और कॉर्पोरेट बॉन्ड में रेपो और रिवर्स रेपो के संबंध में किए गए लेनदेन की स्थिति निम्नानुसार है:

विवरण	साल के दौरान न्यूनतम बकाया	साल के दौरान अधिकतम बकाया	साल के दौरान दैनिक औसत औसत	31 मार्च, 2018 को बकाया
रेपो के तहत सिक्योरिटीज बेची गई 1. सरकारी प्रतिभूतियां 2. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां 1. सरकारी प्रतिभूतियां 2. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

- 20.8 आईआरडीएआई नियमों में इसके परिपत्र डीटी के अनुसार परिवर्तन का पालन करने के लिए। 12.01.2017, निवेश आय का आवंटन वर्तमान वर्ष में शेयरधारकों और पॉलिसीधारकों के बीच किया जाता है। इसके परिवर्तन के परिणामस्वरूप, शेयरधारक कोष में आवंटित निवेश आय रुपये से कम है। 23347 लाख शेयरधारकों को आवंटित आय में इसी वृद्धि / कमी के साथ। चालू वर्ष में निवेश संपत्तियों को शेयरधारकों और पॉलिसीधारकों के बीच उपरोक्त आधार पर आईआरडीएआई नियमों के अनुसार शआधार स्तर पर विभाजित किया गया है।

## 21. अचल संपत्ति

फिक्स्ड परिसंपत्तियों में 767.04 लाख रुपये (पिछले वर्ष 81 संपत्ति 1325.64 लाख रुपये) की लागत वाली संपत्तियां शामिल हैं, जिनके लिए शीर्षक कार्य रिकॉर्ड पर नहीं हैं या पंजीकरण लंबित है। पंजीकरण / स्टाम्प ड्यूटी शुल्क, जो कि खाते में नहीं है, पंजीकरण के समय जिम्मेदार होगा।

- 20.6 Profit on sale of investments of Rs. 200757 lakhs include profit on sale of long term investments amounted to Rs. 195748.66 Lakhs (Previous year Rs. 111379.66 Lakhs) during the financial year ended 31.03.2018.
- 20.7 In compliance to clause no. 5.1 of the IRDAI's Master Circular dated 03 May 2017 on Investment Regulations, 2016, status of transactions done in respect of Repo and Reverse Repo in Government securities and Corporate Bonds during financial year 2017-18 is as under :

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Outstanding as on March 31, 2018
<b>Securities Sold under repo</b>	NIL	NIL	NIL	NIL
1. Government Securities				
2. Corporate Debt Securities				
<b>Securities purchased under reverse repo</b>	NIL	NIL	NIL	NIL
1. Government Securities				
2. Corporate Debt Securities				

- 20.8 To comply with the change in IRDAI regulations as per its circular dt. 12.01.2017, the allocation of Investment Income is made between Shareholders and Policyholders in the current year. Consequent to the change of same, the Investment Income allocated to the share holder Fund is lower by Rs. 23347 lakhs with the corresponding increase/decrease in income allocated to Shareholders. Investment assets in the current year are also bifurcated between Shareholders and Policyholders at 'fund' level on notional basis in accordance with above IRDAI Regulations.

## 21. Immovable Properties

Fixed assets include 76 properties costing Rs 687.04 Lakhs (previous year 81 properties for Rs. 1325.64 Lakhs) for which either title deeds are not on record or registration is pending. The registration/stamp duty charges, to the extent not accounted will be accounted for at the time of registration.





**22. कुछ मामलों में निम्नलिखित प्रमुखों के तहत शेष राशि सुलह / पुष्टि लंबित हैं**

- एजेंटों की शेष राशि (नेट)
- प्रीमियम जमा और एजेंटों का प्रीमियम।
- सीडिंग कंपनियों के साथ रिजर्व जमा।
- बीमा कारोबार पर ले जाने वाले अन्य व्यक्तियों या निकायों के कारण/से संबंधित राशि।
- कर्मचारियों के लिए/से होने वाली रकम।
- विविध देनदार
- अज्ञात डेबिट/क्रेडिट बैंक प्रविष्टियां
- विविध लेनदार
- अग्रिम
- इंटर ऑफिस बैलेंस

उपरोक्त के संबंध में समायोजन, यदि कोई हो, तो पुष्टि/ विश्लेषण/सुलह पर किया जाएगा।

**23. आयकर और सेवा कर आकलन की स्थिति**

- i) निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए आयकर मूल्यांकन और सेवा कर निर्धारण वित्त वर्ष 2002-03 तक और उसके लिए और वित्त वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक पूरा कर लिया गया है। आयकर और सेवा कर से संबंधित कुछ अपील पिछले वर्षों के लिए लंबित हैं। आकलन / अपील के पूरा होने के बाद आवश्यक समायोजन किए जाएंगे।
- ii) आयकर प्राधिकरणों द्वारा आदेश के आधार पर जहां भी आवश्यक माना जाता है, आयकर मांग की ओर देयताएं पूरी तरह से प्रदान की गई हैं।
- iii) कंपनी ने रु. 6518 लाख रुपये वसूली योग्य आकलन वर्ष 1974-75, 1976-77, 1977-78 और 1979-80 के लिए आयकर कर है जिसके लिए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील को प्राथमिकता दी गई थी। वही राशि के लिए प्रावधान खराब ऋण के तहत किया गया था क्योंकि इसकी वसूली योग्यता संदिग्ध थी। वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंपनी के पक्ष में निर्णय पारित किया। हालांकि, माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले को प्रभावित करने वाले आयकर विभाग के अंतिम आदेश की प्राप्ति लंबित है, वही इन खातों में प्राप्त नहीं हुआ और अभी भी खराब ऋण के प्रावधान में पड़े हैं।
- iv) पिछले वर्षों के आकलन / अपील आदेश के आधार पर वर्ष के दौरान, कंपनी ने रुपये 9849.04 लाख की ब्याज आय बुक की।

**22. Balances under the following heads in certain cases are pending reconciliation / confirmation**

- Agents' Balances (Net)
- Premium Deposits and Agents' Premium.
- Reserve Deposits with ceding companies.
- Amounts due to /from other persons or bodies carrying on Insurance Business.
- Amounts due to/ from employees.
- Sundry Debtors
- Unidentified Debit/Credit Bank Entries
- Sundry Creditors
- Advances
- Inter Office Balances

The adjustments, if any, in respect of above will be made upon confirmation/analysis/ reconciliation.

**23. Status of income tax and service tax assessments**

- i) The income tax assessment for and up to the assessment year 2015-16 and service tax assessment for and upto FY 2002-03 and for the FY 2008-09 to 2010-11 have been completed. Certain appeals pertaining to Income Tax and service Tax are pending for the earlier years. The necessary adjustments shall be carried out after the completion of assessments/appeals.
- ii) Liabilities towards Income Tax Demand have been fully provided for, wherever considered necessary based on the order by the Income Tax Authorities.
- iii) The Company had provided Rs. 6518 Lakhs under the head Income Tax recoverable for Assessment Years 1974-75, 1976-77, 1977-78 and 1979-80 for which appeal were preferred in the Hon'ble Supreme Court of India. Provision for the same amount was made under Bad Debts as the recoverability of the same was doubtful. During the FY 2007-08 the Hon'ble Supreme Court passed the judgment in favour of the Company. However, pending the receipt of the final order from the Income Tax Department giving effect to the judgment of the Hon'ble Supreme Court, the same has not been recognized in these accounts and is still lying in provision for bad debts.
- iv) During the year, the Company booked an interest income of Rs. 9849.04 lakhs on the basis of Assessment/Appeal orders of earlier years.





v) चालू वर्ष 2017-18 कर प्रावधान के लिए 24800 लाख रुपये है।

vi) स्थगित कर

चालू वर्ष और पिछले वर्ष (तुलना के लिए) के लिए स्थगित कर की गणना निम्नानुसार है:

विवरण	वर्तमान साल (रुपये में रुपये)	पिछला साल (रुपये में रुपये)
आस्थगित कर परिसंपत्ति:		
नकदीकरण छोड़े	369.12	2035.96
पोलिसी टिकटों अफिक्सेबल	102	102.66
एनपीएस	0	209
अनाथ दावा	1395.31	995.53
उपहार	0	7.75
घटार्ये: स्थगित कर देयता:		
मूल्यह्रास	(238.07)	(237.81)
नेट स्थगित कर संपत्तियां	1628.45	3113.40

#### टिप्पणियाँ

- उपर्युक्त प्रावधान वर्तमान में अधिनियमित दरों पर कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच उत्पन्न होने वाले समय के अंतर के लिए किया गया है।
  - आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कंपनी के पास आगे ले जाए गये फंड के हानि और असंबद्ध मूल्यह्रास है, जो स्थगित कर संपत्तियों को जन्म देती है। हालांकि, समझदारी के मामले में, भविष्य में कर योग्य आय पर अनिश्चितता के कारण लेखांकन मानक -22 (आय पर करों का लेखा) की आवश्यकताओं के अनुसार वित्तीय विवरणों में स्थगित कर संपत्ति को मान्यता नहीं दी गई है।
- vii) कंपनी ने जीएसटी अधिनियम, नियमों और विनियमों के अनुपालन में जीएसटी 01.07.2017 से लागू किया है और 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पंजीकरण मिला।

#### 24. आउटस्टैंडिंग दावों के लिए प्रावधान:

अक्टूबर 2012 में जारी किए गए मास्टर परिपत्र के अनुसार, नियुक्ति अभ्यारण्य ने स्वास्थ्य सेगमेंट के तहत चालू वर्ष 2017-18 के लिए रु. 0.98 लाख (पिछले वर्ष रुपये 188 लाख) के प्रावधान का आंकलन किया गया है।

#### 25. प्रीमियम की कमी

प्रीमियम की कमी चालू वर्ष में एक्चूरियल रिपोर्ट के आधार

v) Provision for tax is Rs. 24800 Lakhs for current year 2017-18.

vi) Deferred Tax

The calculation for deferred tax for the current year and previous year (for comparison) is as follows:

Particulars	Current Year (Rs. in lakhs)	Previous Year (Rs. in lakhs)
Deferred Tax Assets:		
Leave encashment	369.12	2035.96
Policy Stamps Affixable	102	102.66
NPS	0	209
Orphan Claims	1395.31	995.53
Gratuity	0	7.75
Less : Deferred Tax Liability:		
Depreciation	(238.07)	(237.81)
Net Deferred Tax Assets	1628.45	3113.40

#### NOTES:

- The above provision is made for timing differences arising between taxable income and accounting income at currently enacted rates.
- The company has substantial carry forward losses and unabsorbed depreciation under The Income Tax Act, 1961, giving rise to Deferred Tax Assets. However, as a matter of prudence, the deferred tax asset has not been recognized in the financial statements as per the requirements of Accounting Standard -22 (Accounting of taxes on income) owing to uncertainty over future taxable income.

vii) Company has implemented GST in compliance to GST Act , rules and regulations w.e.f. 01.07.2017 and got registration for 33 states & Union Territories.

#### 24. PROVISIONS FOR OUTSTANDING CLAIMS:

In accordance with Master Circular issued in October' 2012, the Appointed Actuary has valued the provision for Free Look Period under the Health Segment as Rs. 0.98 Lakhs for the current year 2017-18 (Previous year Rs.1.28 Lakhs)

#### 25. Premium Deficiency

The Premium deficiency is recognized on Net Basis in







पर मान्यता प्राप्त है (जबकि पिछले वर्ष के दौरान सकल आधार पर यह मान्यता प्राप्त थी) यदि दावों से निपटने से संबंधित दावों की लागत, संबंधित खर्च और रखरखाव लागत की राशि अनदेखा प्रीमियम से अधिक है व्यापार के संबंधित वर्ग।

कुल मिलाकर अग्नि, मरीन और विविध राजस्व खातों में कोई प्रीमियम कमी नहीं है। हालांकि, विमानन में 119.31 लाख रुपये (सकल आधार पर पिछले वर्ष 2438.02 लाख रुपये) आधार की प्रीमियम कमी है। स्वास्थ्य क्षेत्र में रु. 23251.71 लाख निवल आधार (पिछले वर्ष 38242.46 सकल आधार पर लाख) स्वास्थ्य खंड में और शुद्ध आधार पर रु. 11736.62 लाख (सकल आधार पर पिछले वर्ष 7564.48 लाख) पीए खंड में।

मरीन हल सेगमेंट में प्रीमियम की कमी रु. 338.44 लाख (पिछले साल मरीन हल में 439.47 लाख रुपये) है।

1. निम्नलिखित प्रमुखों के तहत व्यय व्यय

(क) आउटसोर्सिंग व्यय 14342.95 लाख रुपये

विपणन सहायता रु. शून्य

(ख) आईआरडीएआई के अनुपालन में (बीमाकर्ताओं के प्रबंधन का खर्च सामान्य या स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय) विनियमन, 2016. एफ.नं.आईआरडीएआई/रेग/12/124/2016 दिनांक 27.04.2016, को निम्नलिखित खंडों के तहत स्वीकार्य सीमाओं से अधिक प्रबंधन के खर्चों के खातों पर 8355.75 लाख रुपये की राशि शोयरधारकों के खाते से शुल्क लिया गया है:-

(रुपये लाखों में)

खंड	वास्तविक व्यय	स्वीकार्य व्यय	अतिरिक्त चार्ज शोयरधारकों ए / सी
अग्नि	35524.07	31101.27	4422.80
मरीन कार्गो	6875.13	4741.79	2133.34
मरीन हल	2584.75	2572.62	12.13
स्वास्थ्य खुदरा	53670.67	51883.19	1787.48
कुल अतिरिक्त	98654.62	90298.87	8355.75

27. 13153.26 लाख रुपये (पिछले वर्ष 5030.49 लाख रुपये) की देनदारी जिसमें एमएसीटी मामलों में स्रोत पर कर की कटौती के लिए आयकर मांग के कारण रु. 260.76 लाख रुपये (पिछले वर्ष 263.16 लाख रुपये) आयकर (विभाग) को भुगतान किया गया था, जो बकाया बकाया है और इसके लिए 245.92 लाख रुपये के प्रावधान बनाये गये हैं।

Current Year based on Actuarial Report (whereas the same was recognized on gross basis during last year) if the sum of expected claims cost, related expenses and maintenance costs related to claims handling exceeds the unearned premium for the related class of business.

Overall there is no Premium Deficiency in Fire, Marine and Miscellaneous Revenue Accounts put together. However, there is a premium deficiency of Rs. 119.31 Lakhs on net basis (Previous Year Rs. 2438.02 Lakhs on gross basis) in Aviation, Rs. 23251.71 Lakhs on net basis (Previous year Rs 38242.46 Lakhs on gross basis) in Health segment and Rs. 11736.62 Lakhs on net basis ( Previous Year Rs. 7564.48 Lakhs on gross basis ) in P.A. segment.

There is a premium deficiency in Marine Hull segment amounting to Rs. 338.44 Lakhs (Previous year Rs. 439.47 Lakhs in Marine Hull)

1. Expenses Incurred Under Following Heads

(a) Outsourcing Expenses Rs 14342.95 Lakhs

Marketing Support Rs. NIL

(b) IncompliancetoIRDAI(ExpensesofManagement of Insurers transacting General or Health Insurance Business) Regulation,2016.F.No. IRDAI /Reg / 12 / 124 / 2016 dated 27.04.2016, an amount of Rs. 8355.75 Lakhs on accounts of expenses of management exceeding the allowable limits under the following segments has been charged to Shareholders' account :-

(Rs. In Lakhs)

Segment	Actual Expenses	Allowable Expenses	Excess charged to shareholders A/C
Fire	35524.07	31101.27	4422.80
Marine Cargo	6875.13	4741.79	2133.34
Marine Hull	2584.75	2572.62	12.13
Health Retail	53670.67	51883.19	1787.48
Total Excess	98654.62	90298.87	8355.75

27. Sundry debtors of Rs 13153.26 Lakhs (Rs. 5030.49 Lakhs previous year) includes Rs. 260.76 Lakhs (Rs. 263.16 Lakhs previous year) paid to income tax (department) on account of income tax demand for non deduction of tax at source in MACT cases, which remains outstanding and a provision of Rs. 245.92 lakhs is made against the same.





28. पुनर्गठन खातों और तकनीकी विभागों के समूह अंडरराइटिंग सेल (जीयूसी) द्वारा बनाए गए खातों के बीच संकाय प्रीमियम सुपुर्दगी और संकाय दावों की भुगतान वसूली की राशि का कोई समाधान नहीं है।

31.03.2018 तक संकाय प्रीमियम के लिए शुद्ध अंतर 7382.05 लाख रुपये (पिछले वर्ष 15230.54 लाख) और वसूली के लिए 2098.93 लाख रुपये (पिछले वर्ष 4428.84 लाख रुपये) के लिए है।

### 29. लेखा मानक 3: कैश फ्लो स्टेटमेंट

कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रत्यक्ष विधि के तहत तैयार किया गया है।

### 30.क) लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन

लेखांकन नीति 6.1.ए पर ध्यान आकर्षित किया गया है, जिसमें यह विशेष रूप से कहा गया है कि वर्ष के अंत में उत्कृष्ट दावों के लिए अनुमानित देयता सर्वेक्षण रिपोर्टों, ग्राहकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और अंतिम स्रोत की तारीख तक, पिछले अनुभव और अन्य लागू कानून स्रोतों पर आधारित होती है। अनुमानों की लगातार समीक्षा की जाती है और तदनुसार प्रावधान किए जाते हैं। हालांकि, अंतिम देयता, प्रदान की गई राशि से अधिक या उससे कम हो सकती है, जिसके लिए कोई भी समायोजन उस अवधि में दिखाई देगा, जिसमें वे ज्ञात हो जाते हैं। खीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा पत्र के माध्यम से इसे भी स्पष्ट किया गया है 25 मई 2004 को अनुमानों में ऐसे परिवर्तनों का असर, बकाया दावों के प्रावधान के तरीके में कोई बदलाव नहीं होने पर प्रकटीकरण के लिए कॉल न करें। चूंकि चालू वर्ष में उत्कृष्ट दावों के प्रावधान के तरीके में कोई बदलाव नहीं आया है, इसलिए कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

### ख) मुकदमेबाजी निपटान

31.03.2018 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए मुकदमेबाजी के कारण सुलह की राशि रु. 182195.61 लाख (पिछले वर्ष 1626 99.36 लाख) की है।

### ग) निश्चित संपत्ति का निपटान

वर्ष के दौरान निश्चित परिसंपत्तियों की बिक्री पर शुद्ध आय रु. 329.06 लाख (पिछले वर्ष रुपये 390.76

28. There is non reconciliation of amount of facultative premium ceded and facultative claims paid recoveries between the accounts maintained by the reinsurance accounts and the group underwriting cells (GUC) of technical departments.

As on 31.03.2018 the net difference for facultative premium ceded comes to Rs 7382.05 Lakhs (previous year Rs. 15230.54 Lakhs) and for recoveries it comes to Rs 2098.93 Lakhs (previous year Rs 4428.84 Lakhs).

### 29. Accounting Standard 3: Cash Flow Statement

The Cash Flow statement of the Company has been prepared under the direct method.

### 30. a) Changes in Accounting Estimates

Attention is drawn to Accounting Policy 6.1.a, wherein it has been specifically stated that “Estimated liability for outstanding claims at the year end are based on survey reports, information provided by clients, advices of the leader and other sources upto the date of finalization, past experience and other applicable laws. The estimates are continuously reviewed and provisions made accordingly. However, the final liability may be in excess of, or less than, the amount provided, for which any adjustments will be reflected in the periods in which they become known.” It has also been clarified by the Insurance Regulatory and Development Authority vide letter dated 25th May 2004 that impact of such changes in estimates, do not call for disclosure so long as there is no change in the method of provisioning for outstanding claims. As there has been no change in the method of provisioning for outstanding claims in the current year, no disclosure has been separately made.

### b) Litigation Settlements

The settlements made on account of litigations for the financial year ended on 31.03.2018 amounted to Rs. 182195.61 Lakhs (previous year Rs 162699.36 Lakhs).

### c) Disposal of Fixed Assets

The net proceeds on sale of fixed assets during the year amounted to Rs. 329.06 Lakhs (previous year Rs. 390.76 Lakhs) and the net loss on





लाख) और निश्चित संपत्तियों की बिक्री पर शुद्ध घाटा रु. 240.64 लाख (पिछले वर्ष 173.80 लाख) है।

- घ) कंपनी की योजना 9 (क)(v) के तहत आवंटित मोटर कारों के लिए उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित 8 साल के बजाय 5 साल में लिया जाता है और इसका प्रभाव रुपये है। 599.4 लाख रुपये वर्ष के दौरान अतिरिक्त मूल्यह्रास के रूप में किया गया।
- ड़) पहले अवधि के खर्च में रु. 8012.46 लाखों सेवा कर सेनवैट नियम 6 डी के तहत अस्वीकृत पिछले साल राजस्व से शुल्क नहीं लिया गया था।

### 31. लेखा मानक 15 (संशोधित)

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2007-2008 के बाद से लेखा मानक, एएस-15 (संशोधित 2005) 'कर्मचारी लाभ' अपनाया है।

परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाएं निम्नानुसार हैं:

#### 1. सेवा अवधि के दौरान कर्मचारियों को लाभ

बीमारी छुट्टी और एलटीएस के लिए देयता एक्चूरियल मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

- (क) एलटीएस देयता में वर्ष के दौरान रु. 51.68 लाख (पिछले वर्ष 81.67 लाख रुपये) की वृद्धि हुई और उन्हें क्रमशः लाभ और हानि खाते में जमा/डेबिट कर दिया गया है। 31.03.2018 को एलटीएस के लिए कुल देयता 949.5 लाख रुपये (पिछले वर्ष 897.87 लाख रुपये) है।

- (ख) चालू वर्ष के लिए बीमार छुट्टी के लिए उत्तरदायित्व में रु। 1233.72 लाख (पिछले वर्ष 4671.20 लाख रुपये की वृद्धि हुई) और लाभ और हानि खाते में जमा किया गया है। 31-03-2018 को बीमार छुट्टी के लिए कुल देयता रुपये 19609.87 लाख (पिछले वर्ष रुपये 20843.59 लाख) है।

#### 2. कर्मचारियों को लाभान्वित लाभ;

इसमें पेंशन, ग्रैच्युइटी और लीव एनकैशमेंट शामिल है।

##### पेंशन:

कंपनी की एक निश्चित पेंशन योजना है। इस योजना के तहत, पेंशन उन कर्मचारियों को देय है जिन्होंने पेंशन योजना का चयन किया है। कंपनी ने अलग फंड योजना बनायी है, जो कंपनी द्वारा वित्त पोषित है और अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित की जाती है। इसके लिए

sale of fixed assets amounting to Rs. 240.64 Lakhs (previous year Rs. 173.80 Lakhs).

- d) The useful life for Motor Cars allotted under scheme 9(a)(v) of the company is taken at 5 years instead of 8 years as stipulated under The Companies Act 2013 and the impact of the same is Rs. 599.49 Lakhs as additional depreciation charged during the year.
- e) Prior period expenses includes Rs. 8012.46 Lakhs of Service Tax CENVAT disallowed under Rule 6D not charged to revenue earlier years.

### 31. Accounting Standard 15 (Revised)

The Company has adopted Accounting Standard, AS-15 (Revised 2005) 'Employee Benefits' since the financial year 2007-2008.

The defined Employees benefits schemes are as under:

#### 1. EMPLOYEES BENEFITS DURING SERVICE PERIOD

The liability for Sick Leave and LTS is recognized based on Actuarial Valuation.

- (a) LTS Liability has increased by Rs. 51.68 Lakhs during the year (previous year increased by Rs. 81.67 Lakhs) and has been credited/debited to Profit & Loss Account respectively. Total liability for LTS as on 31.03.2018 is Rs 949.55 Lakhs (previous year Rs. 897.87 Lakhs).

- (b) Liability for sick leave for the current year has decreased by Rs. 1233.72 Lakhs (previous year increased by Rs 4671.20 Lakhs) and has been credited to Profit and Loss Account. Total liability for sick leave as on 31-03-2018 is Rs. 19609.87 Lakhs (previous year Rs. 20843.59 Lakhs).

#### 2. EMPLOYEES RETIREMENT BENEFITS ;

This includes Pension, Gratuity and Leave Encashment.

##### Pension:

Company has a Defined Pension Scheme. Under this scheme, Pension is payable to Employees who have opted for Pension Scheme. Company has created separate Fund for the scheme which is funded by the Company and managed by separate Trust. The





उत्तरदायित्व मूल्यांकन मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।

01.01.2004 के बाद सेवा में शामिल कर्मचारियों को नई पेंशन योजना के तहत कवर किया गया था, जिसमें कंपनी की दायित्व केवल आवधिक योगदान तक ही सीमित थी। हालांकि, 23.01.2016 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, यह प्रभावी तिथि 01.04.2010 को बदल दी गई है। नई पेंशन योजना के तहत खाता खोला गया है।

#### उपदान

कंपनी के कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के लिए परिभाषित लाभ ग्रैच्युइटी योजना है। निरंतर सेवा के 5 साल बाद ग्रैच्युइटी देय है। कंपनी ने ग्रैच्युइटी के प्रबंधन के लिए एक अलग ट्रस्ट बनाया है जिसे कंपनी द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, इसके लिए उत्तरदायित्व एकचूरियल मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

ग्रैच्युइटी और पेंशन देयताओं का परिशोधन:

सर्कुलर नं. आईआरडीएआई/एफएंडए/एलआर /001/2016/9 डीटी 19.04.2016 के अनुसार आईआरडीएआई ने पीएसयू जनरल इंश्योरेंसर्स को अतिरिक्त पेंशन देनदारियों (उपर्युक्त के अलावा) और वेतन संशोधन के कारण उत्पन्न होने वाली संपूर्ण ग्रैच्युइटी देनदारियों को वित्तीय वर्ष 2015-16 से तीन साल की अवधि में अमूर्त करने की अनुमति दी है। इस तरह के अतिरिक्त ग्रैच्युइटी रुपये कुल हैं। कंपनी ने 8273.91 लाख रुपये वर्ष के दौरान 2757.97 लाख अतिरिक्त ग्रैच्युइटी देयता का 1/3 हिस्सा है (31.03.2018 तक जमा 8273.91 लाख रुपये) लाभ और हानि खाते में डेबिट कर दिया है।

सर्कुलर नो आईआरडीएआई/एफएंडए/एलआर /001 /2016/9 डीटी 19.04.2016 के अनुसार आईआरडीएआई ने पीएसयू जनरल इंश्योरेंसर्स को अतिरिक्त पेंशन देनदारियों (उपर्युक्त के अलावा) और वेतन संशोधन के कारण उत्पन्न होने वाली पूरी पेंशन देनदारियों को अमूर्त करने की अनुमति दी है। वित्तीय वर्ष 2015-16 से तीन साल की अवधि शुरू हो रही है। इस तरह के अतिरिक्त पेंशन रुपये हैं। 85421.99 लाख वर्ष के दौरान कंपनी ने लाभ और हानि खाते में डेबिट कर दिया है। 28473.99 लाख अतिरिक्त पेंशन देयता का 1/3 हिस्सा है (31.03.2018 रुपये 85421.99 लाख रुपये तक जमा हुआ)।

liability for the same is recognized on the basis of actuarial valuation.

Employees who joined service after 01.01.2004, were covered under New Pension Scheme, wherein company's obligation was restricted only to the periodic contributions. However, as per the gazette notification dated 23.01.2016, this effective date is changed to 01.04.2010. Account under New Pension Scheme has been opened.

#### Gratuity:

Company has Defined Benefit Gratuity Plan for all categories of employees. Gratuity is payable after 5 years of continuous service. Company has created a separate Trust for management of gratuity which is funded by the Company.. The liability for same is recognized on the basis of actuarial valuation.

Amortization of Gratuity and Pension Liabilities:

As per Circular No IRDAI/F&A/LR/001/2016/9 dt 19.04.2016 IRDAI has further permitted PSU General Insurers to amortize the additional entire Pension Liabilities (other than above ) and the entire gratuity liabilities arising on account of pay revision over a period of three years starting from financial year 2015-16. The total of such additional Gratuity is Rs. 8273.91 Lakhs. The Company has debited to Profit & Loss Account during the year a sum of Rs. 2757.97 lakhs being the 1/3<sup>rd</sup> share of additional Gratuity liability (Accumulated amortised upto 31.03.2018 Rs. 8273.91 lakhs).

As per Circular No IRDAI/F&A/LR/001/2016/9 dt 19.04.2016 IRDAI has further permitted PSU General Insurers to amortize the additional entire Pension Liabilities (other than above ) and the entire pension liabilities arising on account of pay revision over a period of three years starting from financial year 2015-16. The total of such additional Pension is Rs. 85421.99 Lakhs. The Company has debited to Profit & Loss Account during the year a sum of Rs. 28473.99 lakhs being the 1/3<sup>rd</sup> share of additional Pension liability(Accumulated amortised upto 31.03.2018 Rs. 85421.99 lakhs).





**अवकाश नकदीकरण**

सेवा अवधि और सेवानिवृत्ति के दौरान दोनों कर्मचारियों के सभी वर्गों को विशेषाधिकार अवकाश (पीएल) की अनुमति है। सेवा अवधि के दौरान, 2 साल में 15 दिनों के लिए एनकैशमेंट की अनुमति है और सेवानिवृत्ति पर यह 240 दिनों तक पीएल तक सीमित है। यह अपव्ययी और एक्चुरिय मूल्यांकन के आधार पर है।

लाभ एवं हानि खाते और बैलेंस शीट में उपरोक्त कर्मचारियों के लाभ की सारांशित स्थिति निम्नानुसार है:

**निर्धारित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन**

**Leave Encashment:**

Encashment of Privilege Leave (PL) is allowed to all class of employees, both during service period and on retirement. During service period, encashment is allowed for 15 days PL once in 2 years and on retirement, it is restricted to 240 days PL. This is unfunded and recognized on the basis of actuarial valuation.

The summarized position of the above Employees benefits recognized in the Profit and Loss Account and Balance Sheet are as under:

**CHANGE IN THE PRESENT VALUE OF THE DEFINED BENEFIT OBLIGATIONS**

(रूपये लाखों में)

Rs. in Lakhs)

विवरण PARTICULARS	पेंशन / PENSION				गैच्युटी/GRATUITY				अवकाश नगदीकरण LEAVE ENCASHMENT			
	17-18	16-17	15-16	14-15	17-18	16-17	15-16	14-15	17-18	16-17	15-16	14-15
1 अप्रैल, 2017 को परिभाषित लाभ दायित्व Defined benefit obligations as at 1 <sup>st</sup> April,2017	309138	293306	208043	171743	94119*	79148	68576	62082	54179	45403	35151	30619
वर्तमान सेवा लागत Current Service Cost	20261	19935	17289	11838	5225	5122	5046	3843	4686	4351	7821	5510
ब्याज लागत Interest Cost	22747	22438	15328	12651	6775	5910	4955	4723	3879	3389	2469	2275
दायित्व पर बीमाकिक (लाभ) / नुकसान Actuarial (gain) / loss on obligation	(1515)	11948	80661	35001	(1055)	11810	7628	2521	41	7013	5285	394
लाभ भुगतान Benefits paid	(35949)	(38489)	(28016)	(23190)	(7078)	(7871)	(6781)	(4593)	(6325)	(5977)	(5323)	(3647)
निर्धारित लाभ 31 मार्च, 2018 को दायित्व Defined benefit obligation as at 31 <sup>st</sup> March,2018	314683	309138	293306	208043	97986	94119	79424	68576	56461	54179	45403	35151

\* केवल भारतीय दायित्व / Indian Obligation only

**योजना संपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन/ CHANGE IN FAIR VALUE OF PLAN ASSETS**

(रूपये लाखों में) (Rs. in Lakhs)

विवरण PARTICULARS	पेंशन / PENSION				गैच्युटी/GRATUITY			
	17-18	16-17	15-16	14-15	17-18	16-17	15-16	14-15
1 अप्रैल, 2017 को योजना संपत्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets as at 1 <sup>st</sup> April,2017	279289	206669	164906	144680	86382 #	67712#	64131	62906
योजना संपत्ति पर वास्तविक वापसी Actual return on plan assets	23798	20124	15303	3123	6722	5976	6197	5332
नियोक्ता का योगदान/Employer's contribution	-	-	-	2871	-	-	-	-
अतिरिक्त योगदान/Additional contribution	35349*	93150*	54082	27179	7566	11436	4455	43
लाभ भुगतान/Benefits paid	(35949)	(38489)	(28016)	(23190)	(7078)	(7871)	(6847)	(4593)
एक्चुरियल लाभ/हानि/Actuarial Gain/Loss	(3028)	(2165)	395	244	785	9129	624	443
31 मार्च, 2018 को योजना संपत्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets as at 31 <sup>st</sup> March, 2018	299458	279289	206669	164906	94377	86382	67939	64131

\* वर्तमान और पिछले वर्ष पेंशन योगदान कुल में दिया गया है (नियोक्ता योगदान + अतिरिक्त योगदान)

# भारतीय दायित्व केवल।

\*In Current & Previous Year pension contribution is given in Total (Employer contribution + Additional contribution)

# Indian obligation only.







**लाभ और हानि खाते में अर्जित खर्च/EXPENSES RECOGNISED IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT**

(रूपये लाखों में) (Rs. in Lakhs)

विवरण PARTICULARS	पेंशन / PENSION				गैरुच्ची/GRATUITY			
	17-18	16-17	15-16	14-15	17-18	16-17	15-16	14-15
वर्तमान सेवा लागत Current Service Cost	20261	19935	17289	11838	5225	5122	5046	3843
ब्याज लागत Interest Cost	22748	22438	15329	12652	6775	5911	4955	4723
योजना संपत्ति पर वास्तविक वापसी Actual return on plan assets	(23798)	(20124)	(15303)	(13123)	(6722)	(5976)	(5573)	(5333)
नेट बीमांकि (लाभ) / हानि Net Actuarial (Gain)/Loss	1513	14112	80266	34757	(1839)	2681	7005	(2079)
शुद्ध आवधिक लागत Net Periodic Cost		20724	36362	97581	3438	7737	11433	4430
अपरिचित क्रेडिट शेष राशि Unrecognized credit balance				46124	-	-	5516	-
चालू वर्ष में मान्यता प्राप्त है Recognized in current year				56948	-	-	2758	2972
गैर-आवर्तित शेष राशि Unamortized balance				28474				

**बैलेंस शीट में स्वीकृत राशि/AMOUNT RECOGNISED IN BALANCE SHEET**

(रूपये लाखों में) (Rs. in Lakhs)

विवरण PARTICULARS	पेंशन / PENSION				गैरुच्ची/GRATUITY				अवकाश नगदीकरण LEAVE ENCASHMENT			
	17-18	16-17	15-16	14-15	17-18	16-17	15-16	14-15	17-18	16-17	15-16	14-15
	31 मार्च, 2018 को परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य Present value of defined benefit obligations as at 31 <sup>st</sup> March, 2018	314683	309138	293306	208043	97986	94119	79424	68576	56461	54179	45403
31 मार्च, 2018 को योजना संपत्तियों का उचित मूल्य (वर्तमान वर्ष कंपनी के योगदान सहित) Fair value of plan assets as at 31 <sup>st</sup> March, 2018 (including current year Company's contribution)	299458	279289	206669	164906	94377	86382	67939	64131	-	-	-	-
बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त उत्तरदायित्व Liability recognized in Balance Sheet	15224	29849	86637	43137	3609	7737	11486	5302	56461	54179	45403	35151

नोट: उपरोक्त तालिकाओं में आंकड़े लाखों में निकटतम रूप में बंद हो गए हैं।

Note: The figures in the above tables are rounded off to nearest Rupees in Lakhs.





## वास्तविक आकलन

### ACTUARIAL ASSUMPTION

The Principal Assumptions used for Actuarial Valuation are:

विवरण PARTICULARS	पेंशन PENSION				गैच्युटी GRATUITY				अवकाश नगदीकरण LEAVE ENCASHMENT			
विधि लागू i) Method used	प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट विधि Projected Unit Credit Method 17-18 16-17 15-16 14-15				प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट विधि Projected Unit Credit Method 17-18 16-17 15-16 14-15				प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट विधि Projected Unit Credit Method 17-18 16-17 15-16 14-15			
छूट दर % ii) Discount rate %	7.85	7.55	7.90	7.90	7.76	7.27	7.60	-	7.76	7.27	7.60	7.90
iii) परिसंपत्तियों पर वापसी की अपेक्षित दर *% (iii) Expected rate of return on assets* %	7.85	8.53	8.60	8.86	8.60	8.60	8.86	-	-	-	-	-
iv) भविष्य वेतन वृद्धि #% iv) Future Salary Increase # %	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
(v) मृत्यु दर (v) Mortality	..LIC (1996-98).. Table		..LIC (1994-96).. Table		..IAL(2006-08).. Ultimate Table		..LIC (1994-96).. Table		..IAL(2006-08).. Ultimate Table		..LIC (1994-96).. Table	
अप) कर्मचारी टर्नओवर vi) Employees Turnover	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
vii) कामकाजी जीवन शेष वर्ष vii) Remaining working life yearst	-	-	12.33	11.69	-	-	10.38	10.71	-	-	10.38	10.71

\* योजना परिसंपत्तियों पर वापसी की अपेक्षित दर वर्ष की शुरुआत में बाजार की अपेक्षाओं पर आधारित है, जो संबंधित दायित्व के पूरे जीवन में वापसी के लिए है।

# अभियंता, देयता का अनुमान लगाने हुए मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार किया गया है।

\* Expected rate of return on plan assets is based on market expectation, at the beginning of the year, for return over the entire life of the related obligation.

# Actuary, while estimating liability has taken into consideration inflation, seniority, promotion and other relevant factors.

31 मार्च, 2018 को ट्रस्ट द्वारा बनाए गए योजना संपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है:

Details of Plan Assets maintained by the trust as on 31<sup>st</sup> March, 2018 are as follows:

(प्रतिशत में)/(In Percentage)

	पेंशन/PENSION				गैच्युटी/ GRATUITY*			
	17-18	16-17	15-16	14-15	17-18	16-17	15-16	14-15
(i) विशेष जमा (i) Special Deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	4.66	5.28	6.11	6.66
(ii) सरकारी प्रतिभूतियां (ii) Government Securities	54.54	55.61	54.54	54.24	35.76	55.30	56.68	56.90
(iii) बांड / डिबेंचर्स (iii) Bonds/debentures	39.69	36.37	45.13	39.89	35.76	36.54	34.12	34.53
(iv) बैंकों में जमा (iv) Deposits in Banks	2.73	0.63	0.39	-	0.48	0.06	0.00	0.00
	4.98	5.29	5.18	-	1.13	1.99	3.70	4.13

\* बिना जाँचा

\*unaudited





**सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ:**

कंपनी के पास कोई पोस्ट सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ योजना नहीं है। हालांकि कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों (जो कंपनी के पूर्णकालिक कर्मचारी हैं) उनके और उनके परिवार के लिए मेडिकल व्यय (दोनों अस्पताल में भर्ती और ओपी खर्च) कंपनी द्वारा वहन किये जाते हैं, निर्देशक कंपनी के निदेशक / कर्मचारी न रहने के बाद भी कंपनी द्वारा मिलते हैं, बशर्ते कंपनी ऐसे पूर्व कर्मचारियों की मूल कंपनी है। इस लाभ के लिए संबंधित पूर्व-अधिकारियों से कोई प्रीमियम नहीं लिया जा रहा है।

क्लॉज 09.2.1 और 09.2.2 के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारी और पति/पत्नी के संबंध में अपने वास्तविक समायोजित मूल वेतन के आधार पर ग्रुप मेडिकलेम पॉलिसी 2015 जो कि कर्मचारी के लिए लागू योग्य बीमा राशि के आधार पर गणना की गई है कंपनी 75% मेडिकलेम प्रीमियम का वहन करेगी।

**32. लेखा मानक 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग**

बैलेंस शीट के अनुसूची 1, 2 और 3 के अनुसार, सेगमेंटल रिपोर्टिंग पर आईआरडीएआई (वित्तीय विवरणों और बीमा कंपनियों की बीमा कंपनियों की रिपोर्ट) विनियमन, 2002 द्वारा निर्धारित निम्नलिखित प्रारूप में विभागीय जानकारी दी गई है।

**Post Retirement Medical Benefits:**

Company does not have any Post Retirement Medical Benefit Scheme. However medical expenses (both hospitalization and OP expenses) incurred by full time directors of the Company (who are full time employees of the company) for self and family are met by the Company even after the directors cease to be directors/ employees of the Company, provided the Company is the Parent Company of such ex-employees. No premium is being charged from the ex-executives concerned for this benefit.

The Company shall bear 75% of the mediclaim premium payable computed on the basis of eligible Sum Insured applicable for the employee based on his notionally adjusted Basic Pay in respect of retired employee and spouse as per clause 09.2.1 and 09.2.2 of the New Group Mediclaim policy which is effective from 2015.

**32. Accounting Standard 17 Segment Reporting :**

Segmental information has been given in the following format prescribed by IRDAI (Preparation of Financial Statements and Auditor’s Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 on Segmental Reporting, as per Schedules 1, 2 and 3 of Balance Sheet.

(रूपये लाखों में) (Rs. in Lakhs)

खंड	Segment	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वित्त वर्ष 2017-18 Gross Direct Premium FY 2017-18	कुल व्यापार का प्रतिशत Percentage to Total Business	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वित्त वर्ष 2016-17 Gross Direct Premium FY 2016-17	कुल व्यापार का प्रतिशत Percentage to Total Business
अग्नि	Fire	99962.43	8.49	104288.54 101	9.38
मरीन कार्गो	Marine Cargo	21306.83	1.82	22517.30	2.03
मरीन हल	Marine Hull	10157.31	0.87	16880.05	1.52
मोटर ओडी	Motor OD	166849.30	14.22	156112.89	14.04
मोटर टीपी (गैर पूल)	Motor TP(Non- Pool)	282825.98	24.10	236819.45	21.30
मोटर टीपी (पूल) और डीआर पूल	Motor TP(Pool) & D.R. Pool				
अभियांत्रिकी	Engineering	23211.28	1.98	29112.78	2.62
विमानन	Aviation	8811.88	0.75	8979.53	0.81
कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation	6137.56	0.52	7047.31	0.63
निजी दुर्घटना	Personal Accident	55961.05	4.77	52689.87	4.74
स्वास्थ्य	Health	360844.40	30.74	332339.25	29.89
देयता	Liability	7277.65	0.62	7053.99	0.63
अन्य विविध	Other Miscellaneous	130638.18	11.13	137861.11	12.41
कुल सकल प्रीमियम	<b>Total Gross Premium</b>	<b>1173683.85</b>	<b>100</b>	<b>1111702.07</b>	<b>100</b>





**33. लेखा मानक 18:**

**संबंधित पार्टी प्रकटीकरण:**

1. लेखांकन मानक 18 के अनुसार संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

**क. सहायक**

औद्योगिक क्रेडिट कंपनी लिमिटेड।

**ख. एसोसिएट्स**

इंडिया इंटरनेशनल इश्योरेंस प्रा. लिमिटेड,  
सिंगापुर हेल्थ इश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया

**ग. जिन संस्थाओं पर नियंत्रण मौजूद है**

- ओआईसीएल कर्मचारी भविष्य निधि
- ओआईसीएल पेंशन फंड
- ओआईसीएल कर्मचारी ग्रैच्युइटी फंड

**घ. मुख्य प्रबंधन कार्मिक**

- श्री ए वी गिरिजाकुमार, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (31.05.2017 से)
- श्री सुजय बनर्जी, निदेशक और महाप्रबंधक (01.04.2017 से 31.01.2018 तक)
- सुश्री रश्मि बाजपेयी, कंपनी सचिव (20.08.2007 से)
- श्री वी.ई. कैमल, निदेशक, महाप्रबंधक, सीएफओ और एफए (01.04.2017 से 31.12.2017 तक)
- श्री अजय गुप्ता, सीएफओ (11.01.2018 से)

**संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन:**

(रुपये लाखों में)

कंपनी की प्रकृति	लेनदेन की प्रकृति	2017-18	2016-17
सहायक	से देय राशि	8.22	6.55
	सहायक कंपनी		
	सहायक के लिए अधिम सहायक में निवेश	1.67 5.00	0.26 5.00
एसोसिएट्स	क) इंडिया इंटरनेशनल इश्योरेंस प्रा. लिमिटेड, सिंगापुर: -		
	i) लाभांश आय प्राप्त हुई	474.86	480.77
	ii) शेयरों में निवेश	391.10	391.10
	iii) वर्ष के दौरान आरआई आवक	370.19	-
	ख) हेल्थ इश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया: -		
	i) शेयरों में निवेश	1980.75	1170.40
	ii) एचआईटीपीए के कारण राशि	165.42	42.05
	iii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	30.47	30.29
	iv) वर्ष के दौरान लेनदेन: किराया प्राप्त हुआ	3.42	-
	टीपीए शुल्क भुगतान / देय।	466.91	248.15
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	वेतन और भत्ते	94.67	81.60

**33. Accounting Standard 18:**

**Related Party Disclosure:**

1. Related party disclosures as per Accounting Standard 18

**a. Subsidiaries**

The Industrial Credit Company Limited.

**b. Associates**

India International Insurance Pvt. Ltd.,  
Singapore Health Insurance TPA of India

**c. Entities over which control exists**

- OICL Staff Provident Fund
- OICL Pension Fund
- OICL Employees Gratuity Fund

**d. Key Management Personnel:**

- Mr. A.V.Girijakumar, Chairman-cum-Managing Director (from 31.05.2017)
- Mr. Sujay Banarji, Director & General Manager (from 01.04.2017 to 31.01.2018)
- Ms.Rashmi Bajpai, Company Secretary ( from 20.08.2007)
- Mr. V.E.Kaimal, Director, General Manager, CFO & F.A.(from 01.04.2017 to 31.12.2017)
- Mr. Ajay Gupta, CFO (from 11.01.2018)

**Transactions with related parties :**

(Rs. in Lakhs)

Nature of Relationship	Nature of Transaction	2017-18	2016-17
Subsidiary	Amount Due from Subsidiary Company	8.22	6.55
	Advance to Subsidiary	1.67	0.26
	Investment in Subsidiary	5.00	5.00
Associates	<b>a) India International Insurance Pvt. Ltd., Singapore :-</b>		
	i) Dividend Income received	474.86	480.77
	ii) Investment in shares	391.10	391.10
	iii) RI Inward during the yr	370.19	-
	<b>b) Health Insurance TPA of India :-</b>		
	i) Investment in shares	1980.75	1170.40
	ii) Amount Due to HITPA	165.42	42.05
	iii) Key Managerial Personnel	30.47	30.29
	iv) Transaction during the yr: Rent Received	3.42	-
	TPA Fees Paid/payable.	466.91	248.15
Key Managerial Personnel:	Salary & Allowances	94.67	81.60





### 34. पट्टे

कर्मचारियों के लिए कंपनी के कार्यालय परिसर और आवासीय प्लैटों को पट्टा पर प्राप्त किया जाता है और आपसी सहमति पर नवीकरणीय / रद्द करने योग्य होते हैं। पट्टे समझौतों द्वारा लगाए गए कोई प्रतिबंध नहीं हैं। लीज शर्तें अलग-अलग समझौतों पर आधारित होती हैं। परिसर के लिए पट्टे के संबंध में महत्वपूर्ण पट्टे की व्यवस्था हैं। कुल पट्टा किराया रुपये की राशि। चालू वर्ष में 7837.87 लाख रुपये (पिछले वर्ष 7367.99 लाख) पट्टा के तहत दायित्व के संबंध में चालू वर्ष में राजस्व खाते से लिया जाता है।

### 35. लेखा मानक 20 – “प्रति शेयर कमाई”:

	31.03.2018 को	31.03.2017 को
शेयरधारकों के लिए जिम्मेदार शुद्ध लाभ (लाखों रुपये)	150989.17	(169109.96)
जारी इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या	20,00,00,000	20,00,00,000
रुपये के प्रति शेयर बेसिक और डायल्यूटिड कमाई 10 / - प्रत्येक	75.49	(84.55)

### 36. लेखा मानक 22

आगे की हानि लाने के मद्देनजर, स्थगित कर संपत्ति उभर रही है जिसे भविष्य में मुनाफे की अनिश्चितता के कारण कंपनी द्वारा नहीं माना गया है।

### 37. लेखा मानक 28

लेखा मानक -28 के अनुसार, प्रबंधन ने परिसंपत्तियों की हानि की संभावना का आकलन किया है और निश्चित परिसंपत्तियों के मूल्य में कोई हानि नहीं है।

### 38. पुनर्वास स्वीकृति से संबंधित बकाया दावों के प्रावधानों के संबंध में (लेखांकन नीति संख्या 6.1.ब देखें), निम्नलिखित तिथियां वर्ष के दौरान अपनाई गई थीं:

- वित्तीय विवरण के अंतिम रूप देने की तारीख तक भारतीय व्यापार के संबंध में
- विदेशी व्यापार के संबंध में:
  - वर्ष के अंत तक किए गए सभी नुकसान और तत्काल सफल वर्ष के 30 अप्रैल तक संचार प्राप्त हुए।
  - रद्द संधि के मामले में, विदेशी कंपनियों द्वारा चुकाए गए दावों को 15 मई तक प्राप्त किए गए पुनर्मिलन

### 34. Leases

The company's office premises and residential flats for employees are obtained on lease and are renewable/ cancellable at mutual consent. There are no restrictions imposed by lease agreements. Lease terms are based on individual agreements. Significant leasing arrangements are in respect of lease for premises. Aggregate lease rentals amounting to Rs. 7837.87 Lakhs in the current year (previous year Rs. 7367.99 Lakhs) in respect of obligation under lease are charged to Revenue Account in the current year.

### 35. Accounting Standard 20 – “Earnings Per Share”:

	As at 31.03.2018	As at 31.03.2017
Net Profit attributable to Shareholders (Rs. in Lakhs)	150989.17	(169109.96)
Weighted Average Number of Equity Shares issued	20,00,00,000	20,00,00,000
Basic & Diluted Earnings per Share of Rs. 10/- each	75.49	(84.55)

### 36. Accounting Standard 22

In view of brought forward Losses, the Deferred Tax Assets is emerging which has not been considered by the company due to uncertainty of future profits.

### 37. Accounting Standard 28

In accordance with Accounting Standard-28, the Management has assessed the possibility of impairment of assets and there is no impairment in the value of fixed assets.

### 38. In respect of outstanding claim provisions relating to reinsurance acceptances (Refer Accounting Policy no.6.1.c), the following dates were adopted during the year:

- In respect on Indian business up to the date of finalization of financial statement
- In respect on Foreign business:
  - All losses incurred up to the year-end and communications received up to 30<sup>th</sup> April of the immediately succeeding year.
  - In the case of cancelled treaties, claims paid by the foreign companies as reported







रिटर्न में रिपोर्ट या पहले के खातों को अंतिम रूप देने के लिए बकाया दावों के रूप में माना जाता था।

39. पिछले वित्तीय वर्षों से संबंधित 1,957 लाख रुपये के आरएसबीवाई प्रीमियम, सरकार से वसूली योग्य है, जिनमें से केंद्र सरकार से रु. 1563 लाख और राज्य सरकार से रु. 394 लाख वसूली योग्य है। कंपनी इसके लिए प्रयासरत है और निकट भविष्य में वसूली की उम्मीद है। इसलिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
40. कंपनी ने बीमा कानून, 1938 की धारा 3 ए के साथ धारा 3 के प्रावधानों और बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 के तहत 23 मार्च, 2015 की अधिसूचना के साथ अनुपालन किया है।
41. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के तहत आपूर्तिकर्ताओं के कारण राशि के बारे में जानकारी कंपनी के साथ आसानी से उपलब्ध नहीं है और इसलिए ब्याज चुकाया / देय ब्याज के साथ वर्ष के अंत में भुगतान न किए गए रकम से संबंधित प्रकटीकरण, यदि कोई है, जैसा कि कहा गया अधिनियम के तहत आवश्यक नहीं है।
42. वर्ष के दौरान विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों द्वारा उठाए गए दंड कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:

in reinsurance returns received up to 15<sup>th</sup> May or finalization of accounts which ever is earlier, was considered as outstanding claims.

39. RSBY premium of Rs.1957 lakhs, pertaining to previous financial years, is recoverable from Government, out of which Rs. 1563 lakhs is recoverable from Central Government and Rs. 394 lakhs from State Govt. Company is perusing for the same and is hopeful of recovery in near future. Hence no provision is considered.
40. The Company has complied with the provisions of Section 3 read with Section 3A of the Insurance Act, 1938, and the notification dated 23 rd March, 2015 under the Insurance Laws (Amendment) Act,2015.
41. The information as to amount due to suppliers under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006 is not readily available with the company and hence disclosures, if any, relating to amounts unpaid as at the year end together with interest paid/ payable as required under the said Act have not been given.
42. Details of penal actions taken by the various Government Authorities during the year are as under:

(रुपये लाखों में)

(Rs. in Lakhs)

क्र.सं. Sl.No.	अधिकार	Authority	Non Compliance/ Violation	Penalty Awarded		Penalty Paid		Penalty waived/ reduced	
				2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
1	आईआरडीएआई	IRDAI		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
2	सेवा कर प्राधिकरण	Service Tax Authorities	विभाग द्वारा उठाई गई सेवा कर मांग Service Tax demand raised by Deptt.	955.44**	401.63	0.93	NIL	NIL	NIL
3	आयकर प्राधिकरण	Income Tax Authorities	धारा 271 (1) (सी) के तहत जुर्माना .. कर अधिनियम, 1961 Penalty under Section 271(1) (c) of I. Tax Act, 1961	1.50	53726.12#	5142.86*	2913.58	53333.23#	NIL
4	कोई अन्य कर प्राधिकरण	Any other Tax Authorities		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL





क्र.सं. Sl.No.	अधिकार	Authority	Non Compliance/ Violation	Penalty Awarded		Penalty Paid		Penalty waived/ reduced	
				2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
5	फेमा के तहत प्रवर्तन निदेशालय / अभियोजन प्राधिकरण / ट्रिब्यूनल या किसी प्राधिकरण	Enforcement Directorate/ Adjudicating Authority/Tribunal or any Authority under FEMA		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
6	आरओसी / सीएलबी / एमसीए	ROC/CLB/MCA		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
7	दावे निपटारे सहित किसी भी मामले के लिए किसी भी न्यायालय / न्यायाधिकरण द्वारा मुआवजा दिया गया लेकिन मुआवजे को छोड़कर	Penalty awarded by any Court/Tribunal for any matter including claim settlement but excluding compensation		10	NIL	10	NIL	NIL	NIL
8	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड	Securities and Exchange Board of India		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
9	भारत का प्रतिस्पर्धा कमीशन	Competition Commission of India		NIL	10056	NIL	4	NIL	10052
10	कोई अन्य केंद्रीय / राज्य / स्थानीय सरकार / वैधानिक प्राधिकरण	Any other Central/State/ Local Government/ Statutory Authority		NIL	0.08	NIL	0.08	NIL	NIL

\* वित्त वर्ष 2013-14 में 5123.79 लाख की वापसी समायोजित किए जा रहे हैं आदेश दिनांक 23.05.2017

\* दिनांक 01.05.2017 के आदेश के अनुसार वित्त वर्ष 2000-01 में 18.01 लाख की वापसी समायोजित किए जा रहे हैं

# पेनल्टी छूट 2007-08 = 1 9187.34 लाख और वित्त वर्ष 2011-12 = 34145.89 लाखों को माफ कर दिया, कुल = 533333.23 लाख

\*\* एसटीएक्स डिप्टी के दंड के खिलाफ ” 955.44 लाख एसटीएक्स पुरस्कार। एस.एस.एस. की छोटी कटौती के लिए और साल के लिए मोटर डीलर इंफ्रा पर सेनवैट की अस्वीकृति। 2011-12 और 2012 -13। कंपनी ने सीईएसटीएटी में अपील दायर की।

\*5123.79 Lakhs is being adjusted against refund of AY 2013-14 vide order dt 23.05.2017

\*18.01 Lakhs is being adjusted against refund of AY 2000-01 vide order dt 23.05.2017

# Penalty waived 2007-08 = 19187.34 Lakhs and AY 2011-12= 34145.89 Lakhs , Total – 533333.23 Lakhs

\*\* 955.44 Lakhs S.Tax award against penalty of S.tax deptt. For short deduction of S.Tax and disallowance of CENVAT on Motor Dealer Infra for the yrs. 2011-12 & 2012-13. Company filed appeal in CESTAT.

### 43. पॉलिसीधारकों की बकाया राशि:

पॉलिसीधारकों की देनदारियों के आयुगत विश्लेषण यहां दिए गए हैं:

(प्रबंधन द्वारा संकलित और लेखा परीक्षकों द्वारा भरोसा)

बकाया

### 43. Policyholders dues:

Age wise analysis of Policyholders dues is given hereunder:

(compiled by the Management and relied upon by Auditors)

Outstanding

(रुपये लाखों में) (Rs. in Lakhs)

Particulars	Upto 3 months	4-12 months	13-18 months	19-24 months	25-30 months	31-36 months	> 36 months	Total
A. Claim settled but not paid to the Policyholders / insured due to any reasons except under litigation from the insured / policyholders.	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Any excess collection of premium / tax or any other charges which is refundable to the policyholder/s either as per term of conditions of the policy or as per law or as per the direction of the Authority but not refundable so far.	507.10	267.13	196.48	194.81	188.68	178.38	1298.52	2831.10





Particulars	Upto 3 months	4-12 months	13-18 months	19-24 months	25-30 months	31-36 months	> 36 months	Total
C. Any other sum due / payable to the insured / policyholders on completion of the policy terms or otherwise.	1519.47	2.34	7.39	1.66	2.97	0.85	31.06	1565.74
D. Cheques issued by the company under “A”, “B” or “C” and cheques have not been encashed by the policyholders/ insured.	93.75	533.96	166.64	98.54	130.27	104.71	1876.32	2980.82
Total	2120.32	803.43	370.51	295.01	321.92	283.94	3205.91	7401.04

**टिप्पणियाँ:-**

- पॉलिसीधारकों को जारी किए गए चेक 3 महीने से कम समय के लिए वैधता वाले नकद के अधीन पॉलिसीधारकों के बकाया राशि में स्थानांतरित नहीं किए जाते हैं क्योंकि ये चेक बेवकूफ नहीं बनते हैं। हालांकि, उपरोक्त कथन में इन राशियों को शामिल / दिखाया गया है।
- आईआरडीएआई परिपत्र सं. के अनुपालन में। आईआरडीएआई / एफ एंड ए / सीआईआर / सीएलडी / 114 / 05 / 2015 डीटी। 28.05.2015 रुपये की राशि 567.54 लाख रुपये के प्रशासन और फंड प्रबंधन व्यय को पुनर्प्राप्त करने के बाद कंपनी की निवेश आय से दावा न किए गए पॉलिसीधारक निधि में स्थानांतरित कर दिया गया है। 2.84 लाख उपरोक्त राशि का 0.5%।

**Notes:-**

- Cheques issued to policyholders subject to encashment having validity for less than 3 months are not transferred to policyholders dues as these cheques have not become stale. However, these amounts are included/shown in the above statement.
- In compliance of IRDAI circular no. IRDAI/F&A/CIR/CLD/114/05/2015 dt. 28.05.2015 an amount of Rs. 567.54 Lakhs is transferred to unclaimed Policy holder funds from Company's Investment Income after recovering administration and fund management expenses of Rs. 2.84 Lakhs @ 0.5% of above amount.

**31.03.2018 को पॉलिसी धारक की देनदारी**

**Policy Holder Dues AS AT 31.03.2018**

(रुपये लाखों में) (Rs. In Lakhs)

विवरण	Particulars	वर्तमान वित्तवर्ष Current FY	पिछला वित्तवर्ष Previous FY
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	6807.48	5886.37
जोड़ें: राशि अनधिकृत राशि में स्थानांतरित की गई	Add: Amount transferred to unclaimed amount	8982.40	7160.74
पॉलिसीधारकों द्वारा नकद नहीं किया गया (केवल तभी शामिल किया जाना चाहिए जब गतावधि चेक हो)	Add: Cheques issued out of the unclaimed amount but not encashed by the Policyholders (To be included only when the cheques are stale)	394.61	85.18
निवेश आय जोड़ें	Add Investment Income:	509.08	564.70
घटायें: वर्ष के दौरान भुगतान की गई राशि	Less: Amount paid during the year	9386.28	6889.51
अनधिकृत राशि का समापन शेष राशि	Closing Balance of Unclaimed Amount	7307.29	6807.48

44. कंपनी ने एकीकृत गैर जीवन बीमा आवेदन सॉफ्टवेयर (आईएनआईएलएएस) पेश किया है जिसे कुछ मॉड्यूल, जैसे हेड ऑफिस अकाउंट कंसोलिडेशन मॉड्यूल, जीयूसी मॉड्यूल और री-इश्योरेंस अकाउंट्स मॉड्यूल के रूप में पूरी तरह कार्यान्वित नहीं किया गया है जो विकास / परीक्षण के अधीन हैं। कंपनी आईएनआईएलएएस में शेष मॉड्यूल के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।

44. The Company has introduced Integrated Non Life Insurance Application Software (INLIAS) which has not been fully implemented as some Modules, such as Head Office Accounts Consolidation Module, GUC Module and Re- insurance Accounts Module which are under development/ testing. Company is taking necessary steps for implementation of remaining Modules in INLIAS.





**45. कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी**  
**कंपनी के अधिनियम, 2013 के 135 / के रूप में आवश्यक है**  
**45. Corporate Social Responsibility**  
**As required u/s 135 of the Company's Act, 2013**

(रूपये लाखों में) (Rs. in Lakhs)

	सीएसआर गतिविधियां	CSR Activities	01.04.2017 को खर्च होने की राशि Amount to be spent as on 01.04.2017	वित्त वर्ष 2017-18 के लिए खर्च की जाने वाली राशि Amount to be spent for FY 2017-18	खर्च करने के लिए कुल राशि Total Amount to be spent	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि Amount spent during the year	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि Amount yet to be spent
(i)	किसी भी संपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	Construction/acquisition of any asset	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
(ii)	उपरोक्त (प) के अलावा अन्य उद्देश्य पर	On purpose other than (i) above	1202.27 *	NIL#	1202.27	668.73	533.54*

\* रूपये शामिल है। 226.25 उत्तरी रेलवे को फिरोजपुर डिवीजन को यात्री सुविधाएं प्रदान करने के लिए भुगतान किया गया जिसके लिए काम चल रहा है और अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

# वित्त वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गणना की गई सीएसआर बजट शून्य है। बोर्ड ने पिछले वित्त वर्ष से अनुचित राशि को 2017-18 में उपयोग करने के लिए अनुमोदित किया।

46. 31.03.2018 को हाथ में रक्षित रुपये रु.719.05 लाख, और हमारे लेखा नीति संख्या 7 के अनुसार केवल वसूली पर जाएगा।

47. जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़े फिर से समूहित और पुनः वर्गीकृत किए गए हैं।

\* Includes Rs. 226.25 paid to Northern Railways for providing passenger amenities to Firozpur Divison for which work is underway and not completed yet.

# The CSR Budget calculated in accordance with provisions of Companies Act for the FY 2017-18 is NIL. The Board approved to carry over the amount unspent from the previous financial years to be utilized in the year 2017-18.

46. The salvage in hand as on 31.03.2018 was Rs. 719.05 Lakhs, and will be accounted for only on realization as per our Accounting Policy No. 7.

47. Previous year's figures have been regrouped and reclassified wherever required.

एस मान एंड कं. के लिए  
 चार्टर्ड अकाउंटेंट  
 एफआरएन नं. 000075एन  
 For S. MANN & CO.  
 Chartered Accountants  
 FRN NO. 000075N

एच.के. चौधरी एंड कं. के लिए  
 चार्टर्ड अकाउंटेंट  
 एफआरएन नं. 006154एन  
 For H.K.CHAUDHRY & CO.  
 Chartered Accountants  
 FRN NO. 006154

ए. वी. गिरिजाकुमार  
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
 A.V. Girijakumar  
 Chairman-cum-Managing Director

सीए सुभाष मान  
 साझेदार  
 मेम्बरशिप नं. 080500  
 CA SUBHASH MANN  
 Partner  
 M.No. 080500

सीए मोनीश बावेजा  
 साझेदार  
 मेम्बरशिप नं. 087384  
 CA MONISH BAWEJA  
 Partner  
 M.No. 087384

बलवंत सिंह  
 निदेशक एवं महाप्रबंधक  
 BALWANT SINGH  
 Director & General Manager

स्थान: नई दिल्ली  
 दिनांक: 17.05.2018  
 Place: New Delhi  
 Dated : 17.05.2018

अतुल जेरथ  
 महाप्रबंधक और वित्तीय सलाहकार  
 ATUL JERATH  
 General Manager & Financial Advisor

रश्मि बाजपेयी  
 कंपनी सचिव  
 सदस्यता नं. एफसीएस 8799  
 RASHMI BAJPAI  
 Company Secretary  
 M.No. FCS 8799

सीए अजय गुप्ता  
 मुख्य वित्तीय अधिकारी  
 CA Ajay Gupta  
 Chief Financial Officer





गैर जीवन विश्लेषणात्मक अनुपात  
NON LIFE ANALYTICAL RATIOS

Sl. No.	विवरण	Particulars	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2018 Gross Direct Premium 31.03.2018	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2017 Gross Direct Premium 31.03.2017	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2016 Gross Direct Premium 31.03.2016	31.03.2018 को समाप्त होने वाले 12 महीनों के लिए वृद्धि Growth for 12 months ending 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त होने वाले 12 महीनों के लिए वृद्धि Growth for 12 months ending 31.03.2017
1	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर (कुल)	Gross Direct Premium Growth Rate (Total)				%	%
	अग्नि	Fire	99662	104289	104754	-4.44	-0.44
	मरीन कार्गो	Marine Cargo	21307	22517	24327	-5.38	-7.44
	मरीन हल	Marine Hull	10157	16880	19928	-39.83	-15.29
	मोटर ओडी	Motor OD	166849	156113	140152	6.88	11.39
	मोटर टीपी (गैर पूल)	Motor TP(Non- Pool)	282826	236819	188448	19.43	25.67
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)	0	0	4841	#DIV/0!	-100.00
	अभियांत्रिकी	Engineering	23211	29113	33164	-20.27	-12.22
	विमानन	Aviation	8812	8980	9725	-1.87	-7.67
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation	6138	7047	7981	-12.91	-11.69
	निजी दुर्घटना	Personal Accident	55961	52690	16509	6.21	219.15
	स्वास्थ्य	Health	360844	332339	261599	8.58	27.04
	देयता	Liability	7278	7054	5451	3.17	29.41
	अन्य विविध	Other Miscellaneous	130638	137861	44281	-5.24	211.33
	कुल	Total	1173684	1111702	861159	5.58	29.09
1a	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर (केवल भारतीय)	Gross Direct Premium Growth Rate (Indian Only)				%	%
	अग्नि	Fire	92296	96636	98403	-4.49	-1.80
	मरीन कार्गो	Marine Cargo	19246	20272	22246	-5.06	-8.87
	मरीन हल	Marine Hull	10128	16833	19787	-39.83	-14.93
	मोटर ओडी	Motor OD	154455	142202	127369	8.62	11.65
	मोटर टीपी (गैर पूल)	Motor TP(Non- Pool)	281293	232162	182853	21.16	26.97
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)	0	0	4841	#DIV/0!	-100.00
	अभियांत्रिकी	Engineering	22633	28307	32295	-20.04	-12.35
	विमानन	Aviation	8812	8980	9725	-1.87	-7.67
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation	5749	6601	7423	-12.91	-11.07
	निजी दुर्घटना	Personal Accident	55765	52449	16348	6.32	220.83
	स्वास्थ्य	Health	358117	332187	261467	7.81	27.05
	देयता	Liability	6800	6602	5114	3.00	29.10
	अन्य विविध	Other Miscellaneous	129904	137104	43602	-5.25	214.44
	कुल	Total	1145197	1080334	831474	6.00	29.93
1b	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर (केवल विदेशी)	Gross Direct Premium Growth Rate (Foreign Only)				%	%
	अग्नि	Fire	7367	7653	6351	-3.74	20.50
	मरीन कार्गो	Marine Cargo	2061	2245	2081	-8.18	7.88
	मरीन हल	Marine Hull	29	48	141	-38.66	-66.19
	मोटर ओडी	Motor OD	12394	13911	12783	-10.90	8.82
	मोटर टीपी (गैर पूल)	Motor TP(Non- Pool)	1533	4658	5595	-67.08	-16.74







Sl. No.	विवरण	Particulars	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2018 Gross Direct Premium 31.03.2018	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2017 Gross Direct Premium 31.03.2017	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2016 Gross Direct Premium 31.03.2016	31.03.2018 को समाप्त होने वाले 12 महीनों के लिए वृद्धि Growth for 12 months ending 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त होने वाले 12 महीनों के लिए वृद्धि Growth for 12 months ending 31.03.2017
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	अभियांत्रिकी	Engineering	578	806	869	-28.27	-7.29
	विमानन	Aviation	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation	389	446	558	-12.87	-20.01
	निजी दुर्घटना	Personal Accident	196	241	161	-18.61	49.47
	स्वास्थ्य	Health	2727	153	131	1687.81	16.24
	देयता	Liability	478	452	337	5.69	34.08
	अन्य विविध	Other Miscellaneous	734	757	679	-3.01	11.58
	कुल	Total	28487	31369	29685	-9.19	5.67
2	सकल लिखित प्रीमियम वृद्धि दर (कुल)	Gross Written Premium Growth Rate (Total)				%	%
	अग्नि	Fire	117106	120368	117698	-2.71	2.27
	मरीन कार्गो	Marine Cargo	21474	22622	24460	-5.08	-7.51
	मरीन हल	Marine Hull	10600	17790	20902	-40.42	-14.89
	मोटर ओडी	Motor OD	166941	156154	140216	6.91	11.37
	मोटर टीपी (गैर पूल)	Motor TP(Non- Pool)	282829	236820	188450	19.43	25.67
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)	0	2364	7045	-100.00	-66.44
	अभियांत्रिकी	Engineering	27416	32262	37449	-15.02	-13.85
	विमानन	Aviation	11140	11094	11767	0.42	-5.72
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation	6138	7048	7981	-12.91	-11.69
	निजी दुर्घटना	Personal Accident	55973	52808	16525	5.99	219.57
	स्वास्थ्य	Health	360864	332339	261600	8.58	27.04
	देयता	Liability	7884	7651	5474	3.05	39.76
	अन्य विविध	Other Miscellaneous	141109	149964	51605	-5.90	190.60
	कुल	Total	1209473	1149284	891172	5.24	28.96
2a	सकल लिखित प्रीमियम वृद्धि दर (केवल भारतीय)	Gross Written Premium Growth Rate (Indian Only)				%	%
	अग्नि	Fire	105296	109126	108351	-3.51	0.71
	मरीन कार्गो	Marine Cargo	19249	20272	22246	-5.05	-8.87
	मरीन हल	Marine Hull	10443	17509	20589	-40.35	-14.96
	मोटर ओडी	Motor OD	154455	142202	127369	8.62	11.65
	मोटर टीपी (गैर पूल)	Motor TP(Non- Pool)	281293	232162	182853	21.16	26.97
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)	0	2364	7045	-100.00	-66.44
	अभियांत्रिकी	Engineering	25911	31019	36101	-16.47	-14.08
	विमानन	Aviation	9305	9610	9974	-3.16	-3.65
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation	5749	6601	7423	-12.91	-11.07
	निजी दुर्घटना	Personal Accident	55774	52458	16361	6.32	220.62
	स्वास्थ्य	Health	358117	332187	261467	7.81	27.05
	देयता	Liability	7401	7194	5131	2.87	40.22
	अन्य विविध	Other Miscellaneous	140226	148982	50736	-5.88	193.64





Sl. No.	विवरण	Particulars	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2018 Gross Direct Premium 31.03.2018	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2017 Gross Direct Premium 31.03.2017	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2016 Gross Direct Premium 31.03.2016	31.03.2018 को समाप्त होने वाले 12 महीनों के लिए वृद्धि Growth for 12 months ending 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त होने वाले 12 महीनों के लिए वृद्धि Growth for 12 months ending 31.03.2017
	कुल	Total	1173220	1111686	855645	5.54	29.92
2b	सकल लिखित प्रीमियम वृद्धि दर (केवल विदेशी)	Gross Written Premium Growth Rate (Foreign Only)				%	%
	अग्नि	Fire	11809	11242	9347	5.05	20.28
	मरीन कार्गो	Marine Cargo	2225	2349	2214	-5.31	6.11
	मरीन हल	Marine Hull	156	281	312	-44.45	-9.93
	मोटर ओडी	Motor OD	12485	13951	12847	-10.51	8.60
	मोटर टीपी (नैर पूल)	Motor TP(Non- Pool)	1536	4659	5597	-67.03	-16.76
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	अभियांत्रिकी	Engineering	1505	1243	1349	21.09	-7.85
	विमानन	Aviation	1835	1484	1794	23.61	-17.25
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation	389	447	558	-12.86	-19.91
	निजी दुर्घटना	Personal Accident	199	350	164	-43.23	114.13
	स्वास्थ्य	Health	2747	153	133	1700.50	14.57
	देयता	Liability	483	456	343	5.92	32.95
	अन्य विविध	Other Miscellaneous	883	982	870	-10.09	12.84
	कुल	Total	36252	37598	35527	-3.58	5.83

क्र.सं. Sl. No.	विवरण	Particulars	31.03.2018 को समाप्त होने वाले 12 महीने 12 months ending 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त होने वाले 12 महीने 12 months ending 31.03.2017	31.03.2016 को समाप्त होने वाले 12 महीने 12 months ending 31.03.2016	%	%
3	सकल प्रीमियम	Gross Premium	1173684	1111702	861159		
	कुल मूल्य	Net Worth	315669	133448	271326		
	सकल प्रीमियम का अनुपात शुद्ध मूल्य (समय)	Ratio of Gross Premium to Net Worth (times)	3.72	8.33	3.17		
4	नेट वर्थ की वृद्धि दर	Growth rate of Net Worth					
	चालू वर्ष / अवधि के अंत में नेट वर्थ	Net Worth at the end of current year/period	315669	133448	271326		
	पिछले वर्ष / अवधि के अंत में नेट वर्थ	Net Worth at the end of previous year/period	133448	271326	318183		
	विकास और विकास दर (%)	Growth and Growth rate (%)	182221	-137878	-46857	136.55	-50.82
5	नेट प्रतिधारण अनुपात (कुल)	Net Retention Ratio (Total)					
	अग्नि	Fire	58439	59638	62440	49.90	49.55
	मरीन कार्गो	Marine Cargo	17659	19195	20953	82.23	84.85
	मरीन हल	Marine Hull	4048	4588	4628	38.19	25.79
	मोटर ओडी	Motor OD	158262	148141	133327	94.80	94.87
	मोटर टीपी (नैर पूल)	Motor TP(Non- Pool)	268000	224265	178807	94.76	94.70
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)	0	1384	4151	#DIV/0!	58.55
	अभियांत्रिकी	Engineering	20279	20621	25798	73.97	63.92
	विमानन	Aviation	2263	1967	1888	20.32	17.73
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation	5847	6703	7581	95.26	95.10





क्र.सं. Sl. No.	विवरण	Particulars	31.03.2018 को समाप्त होने वाले 12 महीने 12 months end- ing 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त होने वाले 12 महीने 12 months end- ing 31.03.2017	31.03.2016 को समाप्त होने वाले 12 महीने 12 months end- ing 31.03.2016	%	%
	निजी दुर्घटना	Personal Accident	50212	42645	15020	89.71	80.75
	स्वास्थ्य	Health	341515	315733	248530	94.64	95.00
	देयता	Liability	5666	5583	4735	71.86	72.97
	अन्य विविध	Other Miscellaneous	70632	71776	46515	50.05	47.86
	सभी विभाग	All Departments	1002823	922239	754374	82.91	80.24
5a	नेट प्रतिधारण अनुपात (केवल भारतीय)	Net Retention Ratio (Indian Only)					
	अग्नि	Fire	50906	52393	55733	48.35	48.01
	मरीन कार्गो	Marine Cargo	15560	17023	18870	80.84	83.97
	मरीन हल	Marine Hull	3893	4308	4335	37.27	24.60
	मोटर ओडी	Motor OD	146732	135093	121000	95.00	95.00
	मोटर टीपी (नैर पूल)	Motor TP(Non- Pool)	266464	219607	173234	94.73	94.59
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)	0	1384	4151	#DIV/0!	58.55
	अभियांत्रिकी	Engineering	18911	19674	24724	72.98	63.43
	विमानन	Aviation	526	584	150	5.65	6.07
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation	5461	6271	7052	95.00	95.00
	निजी दुर्घटना	Personal Accident	50061	42354	14893	89.76	80.74
	स्वास्थ्य	Health	340349	315580	248396	95.04	95.00
	देयता	Liability	5208	5152	4406	70.37	71.62
	अन्य विविध	Other Miscellaneous	70092	71034	45854	49.98	47.68
	सभी विभाग	All Departments	974165	890457	722800	83.03	80.10
5b	नेट प्रतिधारण अनुपात (केवल विदेशी)	Net Retention Ratio (Foreign Only)					
	अग्नि	Fire	7532	7245	6707	63.78	64.44
	मरीन कार्गो	Marine Cargo	2098	2173	2083	94.32	92.47
	मरीन हल	Marine Hull	156	280	293	99.53	99.61
	मोटर ओडी	Motor OD	11529	13048	12327	92.34	93.52
	मोटर टीपी (नैर पूल)	Motor TP(Non- Pool)	1536	4659	5573	100.00	100.00
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	अभियांत्रिकी	Engineering	1368	947	1074	90.92	76.21
	विमानन	Aviation	1737	1384	1738	94.69	93.22
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation	386	432	529	99.12	96.63
	निजी दुर्घटना	Personal Accident	151	291	127	75.87	83.00
	स्वास्थ्य	Health	1166	153	133	42.45	100.00
	देयता	Liability	458	430	329	94.83	94.25
	अन्य विविध	Other Miscellaneous	540	741	662	61.16	75.52
	सभी विभाग	All Departments	28658	31781	31574	79.05	84.53
6	नेट कमिशन अनुपात - कुल (%)	NET COMMISSION RATIO - TOTAL (%)					
	अग्नि	Fire	9607	6870	5267	16.44	11.52
	मरीन कार्गो	Marine Cargo	2287	2593	2782	12.95	13.51
	मरीन हल	Marine Hull	-136	-130	-569	-3.35	-2.82
	मोटर ओडी	Motor OD	23264	13666	12504	14.70	9.23
	मोटर टीपी (नैर पूल)	Motor TP(Non- Pool)	1678	1234	1548	0.63	0.55
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)	0	0	0	#DIV/0!	0.00





क्र.सं. Sl. No.	विवरण	Particulars	31.03.2018 को समाप्त होने वाले 12 महीने 12 months ending 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त होने वाले 12 महीने 12 months ending 31.03.2017	31.03.2016 को समाप्त होने वाले 12 महीने 12 months ending 31.03.2016	%	%
	अभियांत्रिकी	Engineering	1997	-69	1250	9.85	-0.33
	विमानन	Aviation	221	242	169	9.76	12.30
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation	903	709	797	15.45	10.57
	निजी दुर्घटना	Personal Accident	354	-395	1090	0.71	-0.93
	स्वास्थ्य	Health	22806	19235	14764	6.68	6.09
	देयता	Liability	665	805	746	11.73	14.41
	अन्य विविध	Other Miscellaneous	74	5266	5963	0.11	7.34
	सभी विभाग	All Departments	63720	50025	46310	6.35	5.42
6a	नेट कमीशन अनुपात - भारतीय केवल (%)	NET COMMISSION RATIO - Indian Only (%)					
	अग्नि	Fire	7168	4059	3052	14.08	7.75
	मरीन कार्गो	Marine Cargo	1962	2241	2400	12.61	13.17
	मरीन हल	Marine Hull	-152	-161	-619	-3.91	-3.74
	मोटर ओडी	Motor OD	19944	9941	9007	13.59	7.36
	मोटर टीपी (गैर पूल)	Motor TP(Non- Pool)	1355	-7	0	0.51	0.00
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)	0	0	0	#DIV/0!	0.00
	अभियांत्रिकी	Engineering	1855	-217	1066	9.81	-1.10
	विमानन	Aviation	-84	-43	-117	-16.02	-7.45
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation	788	582	644	14.43	9.27
	निजी दुर्घटना	Personal Accident	335	-493	1071	0.67	-1.16
	स्वास्थ्य	Health	22551	19222	14760	6.63	6.09
	देयता	Liability	514	664	639	9.88	12.89
	अन्य विविध	Other Miscellaneous	-47	5065	5759	-0.07	7.13
	सभी विभाग	All Departments	56189	40853	37660	5.77	4.59
6b	नेट कमीशन अनुपात - विदेशी केवल (%)	NET COMMISSION RATIO - Foreign Only (%)					
	अग्नि	Fire	2439	2811	2215	32.38	38.80
	मरीन कार्गो	Marine Cargo	325	352	382	15.49	16.19
	मरीन हल	Marine Hull	16	32	50	10.54	11.28
	मोटर ओडी	Motor OD	3320	3725	3498	28.79	28.55
	मोटर टीपी (गैर पूल)	Motor TP(Non- Pool)	323	1241	1548	21.00	26.63
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	अभियांत्रिकी	Engineering	142	148	185	10.39	15.61
	विमानन	Aviation	305	286	286	17.57	20.63
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation	115	127	153	29.91	29.44
	निजी दुर्घटना	Personal Accident	19	98	19	12.54	33.55
	स्वास्थ्य	Health	255	13	4	21.87	8.43
	देयता	Liability	150	141	107	32.82	32.69
	अन्य विविध	Other Miscellaneous	121	201	204	22.47	27.08
	सभी विभाग	All Departments	7531	9172	8650	26.28	28.86





क्र.सं. SI.No.	विवरण	Particulars	31.03.2018 को समाप्त होने वाले 12 महीने 12 months ending 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त होने वाले 12 महीने 12 months ending 31.03.2017		%	%
7	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अनुपात में प्रबंधन का खर्च	Expense of Management to Gross Direct Premium Ratio					
	प्रबंधन का व्यय (प्रत्यक्ष कमीशन)	Expenses of Management (incl. Direct Commission)	344161	341872			
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	Gross Direct Premium	1173684	1111702			
	अनुपात (%)	Ratio(%)	29.32	30.75			
8	नेट लिखित प्रीमियम अनुपात में प्रबंधन का खर्च	Expense of Management to Net Written Premium Ratio					
	प्रबंधन का व्यय (प्रत्यक्ष कमीशन)	Expenses of Management (incl. Direct Commission)	344161	341872			
	नेट लिखित प्रीमियम आय	Net Written Premium Income	1002823	922239			
	अनुपात (%)	Ratio(%)	34.32	37.07			

क्र.सं. SI.	विवरण	Particulars	Net Incurred Claims 31.03.2018	Net Earned Premium 31.03.2018	Net Incurred Claims 31.03.2017	Net Earned Premium 31.03.2017	Net ICR as at 31.03.18 (%)	Net ICR as at 31.03.17 (%)
9	नेट समेकित दायित्व अनुपात (%)	NET INCURRED CLAIMS RATIO (%)						
	अग्नि	Fire	50957	59038	55543	61039	86.31	91.00
	मरीन कार्गो	Marine Cargo	10123	18427	12628	20074	54.94	62.91
	मरीन हल	Marine Hull	5967	4588	8368	4628	130.05	180.80
	मोटर ओडी	Motor OD	112918	153202	110584	140734	73.71	78.58
	मोटर टीपी (नैर पूल)	Motor TP (Non- Pool)	184755	246133	326390	201536	75.06	161.95
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)	6635	0	9395	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP (D.R. Pool)	-31523	692	-9335	2768	-4555.06	-337.29
	अभियांत्रिकी	Engineering	4233	20450	12743	23210	20.70	54.91
	विमानन	Aviation	3084	2115	2262	1928	145.79	117.34
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation	2010	6275	2159	7142	32.03	30.23
	निजी दुर्घटना	Personal Accident	64297	46428	24087	28832	138.49	83.54
	स्वास्थ्य	Health	362755	328624	343553	282131	110.39	121.77
	देयता	Liability	630	5624	614	5159	11.20	11.90
	अन्य विविध	Other Miscellaneous	45280	71204	40819	59145	63.59	69.01
	सभी विभाग	All Departments	822121	962801	939810	838326	85.39	112.11

SI.	विवरण	Particulars	Total 31.03.2018	Total 31.03.2017	Indian 31.03.2018	Indian 31.03.2017	Foreign 31.03.2018	Foreign 31.03.2017
10	संयुक्त अनुपात	Combined Ratio						
	शुद्ध व्यय दावा	Net Incurred Claims	822121	939810	789081	911563	#REF!	#REF!
	नेट अर्जित प्रीमियम	Net Earned Premium	962801	838326	932518	806641	#REF!	#REF!
	शुद्ध व्यय दावा अनुपात (%)	Net Incurred Claims Ratio (%)	85.39	112.11	84.62	113.01	#REF!	#REF!
	नेट कमीशन भुगतान किया	Net Commission Paid	63720	50025	56190	40850	#REF!	#REF!
	ऑपरेटिंग प्रबंधन खर्च	Operating Management Expenses	269299	282124	267109	280030	2190	2094
	नेट लिखित प्रीमियम	Net Written Premium	1002823	922239	974165	890456	28658	#REF!
	नेट ऑपरेटिंग व्यय अनुपात (%)	Net Operating Expenses Ratio (%)	33.21	36.02	33.19	36.04	#REF!	#REF!
	संयुक्त अनुपात (%)	Combined Ratio (%)	118.60	148.13	117.81	149.05	#REF!	#REF!







Sl. No.	विवरण	Particulars	31.03.2018 को समाप्त होने वाले 12 महीने 12 months ending 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त होने वाले 12 महीने 12 months ending 31.03.2017
11	शुद्ध प्रीमियम अनुपात के लिए तकनीकी भंडार	Technical Reserves to Net Premium Ratio		
	अप्रत्याशित जोखिम के लिए रिजर्व	Reserve for Unexpired Risks	503436	463413
	प्रीमियम कमी रिजर्व	Premium Deficiency Reserve	0	439
	उत्कृष्ट दावों के लिए रिजर्व	Reserve for Outstanding Claims	1033984	999293
	कुल	Total	1537420	1463145
	नेट प्रीमियम	Net Premium	1002823	922239
	अनुपात (टाइम्स)	Ratio (Times)	1.53	1.59

Sl.	अंडरराइटिंग बैलेंस अनुपात	Underwriting Balance Ratio	31.03.2018 को समाप्त होने वाले 12 महीने 12 months ending 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त होने वाले 12 महीने 12 months ending 31.03.2017	यू / डब्ल्यू बैलेंस अनुपात (टाइम्स) U/W Balance Ratio (Times)	यू / डब्ल्यू बैलेंस अनुपात (टाइम्स) U/W Balance Ratio (Times)
12	अंडरराइटिंग बैलेंस अनुपात	Underwriting Balance Ratio				
	अग्नि	Fire	-26350	-29068	-0.45	-0.48
	मरीन कार्गो	Marine Cargo	2603	950	0.14	0.05
	मरीन हल	Marine Hull	-2928	-6680	-0.64	-1.44
	मोटर ओडी	Motor OD	-32754	-39238	-0.21	-0.28
	मोटर टीपी (नैर पूल)	Motor TP(Non- Pool)	-327	-180644	0.00	-0.90
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)	-6635	-9395	#DIV/0!	#DIV/0!
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)	32215	11563	46.55	4.18
	अभियांत्रिकी	Engineering	8402	3104	0.41	0.13
	विमानन	Aviation	-3554	-3132	-1.68	-1.62
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation	2059	2651	0.33	0.37
	निजी दुर्घटना	Personal Accident	-30102	-7024	-0.65	-0.24
	स्वास्थ्य	Health	-133526	-157213	-0.41	-0.56
	देयता	Liability	2656	1978	0.47	0.38
	अन्य विविध	Other Miscellaneous	-4099	-21484	-0.06	-0.36
	कुल	TOTAL	-192340	-433633	-0.20	-0.52

Sl. No.	विवरण	Particulars	31.03.2018 को समाप्त होने वाले 12 महीने 12 months ending 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त होने वाले 12 महीने 12 months ending 31.03.2017
13	ऑपरेटिंग लाभ अनुपात	Operating Profit Ratio		
	हामीदारी लाभ	Underwriting Profit	-192340	-433633
	निवेश आय	Investment Income	329233	232568
	परिचालन लाभ	Operating Profits	136893	-201065
	नेट अर्जित प्रीमियम	Net Earned Premium	962801	838326
	अनुपात(%)	Ratio(%)	14.22	-23.98
14	देयता अनुपात के लिए तरल संपत्ति	Liquid Assets to Liabilities Ratio		
	तरल संपत्ति	Liquid Assets	363303	356211
	पॉलिसीधारकों की देयताएं	Policyholders' Liabilities	1334199	1275038
	अनुपात (टाइम्स)	Ratio (Times)	0.27	0.28
15	शुद्ध कमाई अनुपात	Net Earnings Ratio		





Sl. No.	विवरण	Particulars	31.03.2018 को समाप्त होने वाले 12 महीने 12 months ending 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त होने वाले 12 महीने 12 months ending 31.03.2017
	कर अदायगी के बाद लाभ	Profit after Tax	150989	-169110
	नेट प्रीमियम	Net Premium	1002823	922239
	अनुपात (%)	Ratio (%)	15.06	-18.34
16	नेट वर्थ पर वापसी	Return on Net Worth		
	कर अदायगी के बाद लाभ	Profit after Tax	150989	-169110
	कुल मूल्य	Networth	315669	133448
	अनुपात (%)	Ratio (%)	47.83	-126.72
17	सॉल्वेन्सी मार्जिन अनुपात के लिए उपलब्ध योग्य सॉल्वेन्सी मार्जिन	Available Solvency Margin to required Solvency Margin Ratio		
	उपलब्ध सॉल्वेन्सी मार्जिन	Available Solvency Margin	449765	326845
	आवश्यक सॉल्वेन्सी मार्जिन	Required Solvency Margin	269093	294827
	सॉल्वेन्सी मार्जिन अनुपात (टाइम्स)	Solvency Margin Ratio (Times)	1.67	1.11
18	एनपीए अनुपात (%)	NPA Ratio (%)		
	सकल एनपीए अनुपात - पॉलिसीधारकों के धन	Gross NPA Ratio - Policyholders' funds	0.17	0.23
	सकल एनपीए अनुपात - शेयरधारकों के फंड	Gross NPA Ratio - Shareholders' Funds	0.02	0.06
	नेट एनपीए अनुपात - पॉलिसीधारकों के फंड	Net NPA Ratio - Policyholders' Funds	0.00	0.00
	नेट एनपीए अनुपात - शेयरधारकों के फंड	Net NPA Ratio - Shareholders' Funds	0.00	0.00





## आईआरडीए विनियमों के अनुसार वित्तीय वक्तव्यों पर प्रबंधन रिपोर्ट

1. हम पुष्टि करते हैं कि आईआरडीए द्वारा दिए गए पंजीकरण को वर्ष 2018-19 के लिए उनके पंजीकरण संख्या 556 के अनुसार नवीनीकृत किया गया है।
2. वैधानिक प्राधिकरणों को देय सभी बकाया राशि का भुगतान किया गया है।
3. शेयरधारक पैटर्न और 2017-18 के दौरान शेयरों के सभी स्थानान्तरण सांविधिक और नियामक आवश्यकताओं के अनुसार हैं।
4. 2017-18 के दौरान, प्रबंधन ने भारत में जारी नीतियों के धारकों के धन, भारत के बाहर सीधे या परोक्ष रूप से निवेश नहीं किया है।
5. कंपनी ने आवश्यक सॉल्वेंसी मार्जिन हासिल किया है।
6. हम प्रमाणित करते हैं कि सभी परिसंपत्तियों के मूल्यों की समीक्षा बैलेंस शीट की तारीख पर की गई है और हमारी धारणा में बैलेंस शीट में बताई गई संपत्ति वास्तविक या बाजार मूल्य से अधिक नहीं है और आईआरडीए विनियमों और लेखांकन नीति के अनुसार हैं।
7. पुनर्बीमा, जोखिम हस्तांतरण का एक तरीका है जो बीमाकर्ताओं को विशेष जोखिमों और बड़ी संख्या में जोखिमों पर हानियों के बड़े नुकसान के प्रतिकूल प्रभाव के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा, पुनर्बीमा कंपनी को स्वचालित क्षमता भी प्रदान करता है जिससे इसे अपने नेट प्रतिधारण से परे जोखिमों को कम करने और प्रभावी रूप से अपने जोखिमों का प्रबंधन करने में सक्षम बनाता है, ताकि मार्केटिंग टीम व्यवसाय को बहुत चुनौतीपूर्ण बाजार स्थितियों में स्वीकार करने और अपने विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की स्थिति में हो। ।

हमारे पुनर्बीमा कार्यक्रम का उद्देश्य न्यूनतम बहिष्कार पर अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करना और आनुपातिक और गैर-आनुपातिक संधि के उचित मिश्रण के माध्यम से स्वतः पुनर्बीमा सुविधा प्रदान करना है।

जबकि आनुपातिक संधि स्वचालित क्षमता प्रदान करती है, गैर आनुपातिक/हानि संधि से अधिक, एक जोखिम हानि या अकस्मात होने वाले कई नुकसान से उत्पन्न होने वाले भारी नुकसान के लिए कवर प्रदान करके कंपनी के नेट पर एक्सपोजर के संचय के जोखिम को कम करता है।

## Management Report on Financial Statements as per IRDA Regulations

1. We confirm that the registration granted by IRDA has been renewed for the year 2018-19 vide their Registration no. 556.
2. All dues payable to statutory authorities have been duly paid.
3. The shareholding pattern and all transfers of shares during 2017-18 are in accordance with statutory and regulatory requirements.
4. During 2017-18, the management has not directly or indirectly invested outside India, the funds of the holders of policies issued in India.
5. Company has achieved the required Solvency Margin.
6. We certify that the values of all assets have been reviewed on the date of balance sheet and in our belief the assets stated in the Balance Sheet do not exceed the realizable or market value and are in accordance with IRDA Regulations and accounting policy.
7. Reinsurance, is a methodical way of Risk Transfer which provides protection to Insurers against adverse impact of large losses on particular risks and of catastrophic losses on a large number of risks. Besides, Reinsurance also provides automatic capacity to an Insurance Company thereby enabling it to underwrite risks beyond its Net retention and manage its risks effectively, so that the marketing team is in a position to accept business in a very challenging market conditions and achieve its growth targets.

The aim of our Reinsurance Programme is to ensure maximum protection at minimum outgo and to provide automatic reinsurance facility through a proper mix of Proportional and Non-Proportional Treaties

While the Proportional Treaties provide the automatic capacity the Non Proportional /excess of loss treaties mitigate the risk of accumulation of exposures on Company's Net by providing cover for huge losses arising out of a single risk loss or multiple losses arising out of a Cat Event.





हालांकि 2017-18 में, भारतीय बीमा बाजार पिछले कुछ वर्षों के विपरीत आपदाजनक हानि घटना की घटना से बचने के लिए भाग्यशाली था, बाजार में कुछ जोखिम घाटे हुए थे। हालांकि, हमारी कंपनी के नुकसान से अधिक हमारे जोखिम को प्रभावित करने में कोई हानि नहीं थी। मरीन एक्सएल को नुकसान से प्रभावित किया गया है, हालांकि ओरिएंटल पर प्रभाव केवल 7.5 करोड़ रुपये पर शुद्ध नेट होगा।

भारतीय बाजारों में लगातार घाटे को देखते हुए, विशेष रूप से, आनुपातिक संधि और पुनर्विक्रेताओं की प्रवृत्ति पर संधि की नियुक्ति पर तनाव बढ़ने के बावजूद, समाप्त होने वाली संधि सीमाएं स्वचालित क्षमताओं को संरक्षित करती रही हैं। देयता पोर्टफोलियो में अतिरिक्त क्षमताओं और व्यापार के विविध वर्ग की कुछ अन्य लाभदायक लाइनों में भी अतिरिक्त क्षमताएं बनाई गई हैं। कृषि / फसल कोटा शेयर और स्टॉप लॉस रीइंसुरेंस संधि को क्षमता और संरक्षण प्रदान करने के लिए सफलतापूर्वक रखा गया है, इस प्रकार फसल विभाग को इस बढ़ते क्षेत्र में संभावित क्षमता का फायदा उठाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। व्यवसाय की अन्य लाइनों के लिए, आमतौर पर सीमा समाप्त होने की अवधि होती है। संपत्ति एक्सएल संधि के लिए कवर सीमा समाप्त होने के रूप में रखी जाती है।

इस प्रकार, 2018-19 के लिए ओरिएंटल का पुनर्मिलन कार्यक्रम, व्यक्तिगत पोर्टफोलियो की आवश्यकताओं के अनुरूप बहुत आवश्यक स्वचालित क्षमता प्रदान करता रहा है।

हमारी आनुपातिक और गैर आनुपातिक संधि को सफलतापूर्वक आईआरडीएआई विनियमों के दायरे में वित्तीय रूप से सुदृढ़ और रेटेड प्रतिभूतियों के साथ रखा गया है।

8. कंपनी के वर्तमान विदेशी परिचालन दुबई, कुवैत और नेपाल में हैं। कतर में एक कार्यालय खोला गया है। कंपनी की सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय में विदेशी कार्यालयों का योगदान निम्न है। इसलिए विदेशी परिचालन के कारण जोखिम बहुत कम है।
9. दावों के निपटारे में दावों और प्रवृत्तियों की अवधि: भारत में उत्कृष्ट दावों के अवधि-वार विश्लेषण और औसत दावों के निपटारे में रुझान अनुलग्नक 1 में दिए गए हैं।
10. स्टॉक और शेयर समेत सभी निवेशों के मूल्य आईआरडीएआई विनियमों के अनुसार हैं। भारत में सक्रिय रूप से कारोबार किए गए इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन मार्च के महीने में

Though in 2017-18, Indian Insurance market was fortunate to have been spared the occurrence of a Catastrophic loss event unlike previous years, there were few risk losses hitting the market. However, our Company did not have any loss impacting our Risk excess of loss. The marine XL has been impacted by loss, however the impact on Oriental will be to absolute net only at 7.5 crs.

Despite, increasing stress on placement of Treaties, in particular, on Proportional treaties and propensity of reinsurers to introduce stricter measures in view of continued losses in Indian Markets, the expiring treaty limits have continued thus preserving the automatic capacities. Additional capacities have been created in Liability portfolio as also in few other profitable lines of Miscellaneous class of business. The agriculture/crop quota share and stop loss reinsurance treaties have also been successfully placed to provide capacity and protection, thus providing impetus to crop department to exploit the potential in this growing class of business. For other lines of business, the limits are generally as expiring. The cover limits for Property XI treaties are maintained as expiring.

Thus, Oriental's Reinsurance Programme for 2018-19, continues to provide the much needed automatic capacity in line with the requirements of individual portfolios.

Our Proportional and Non Proportional Treaties have successfully been placed with financially sound and rated Securities within the ambit of IRDAI Regulations.

8. The present overseas operations of the Company are in Dubai, Kuwait and Nepal. An office at Qatar has been opened. The foreign offices' contribution to Gross Direct Premium income of the Company is not substantial. Therefore the risk exposure on account of the foreign operations is very minimal.
9. **Ageing of claims and trends in settlement of claims:** Age-wise analysis of Outstanding Claims in India and trends in average claims settlement is given in Annexure 1.
10. The values of all investments including stock and shares





एनएसई में अंतिम उद्धृत बंद मूल्य पर किया जाता है, जिसे प्राथमिक एक्सचेंज के रूप में चुना जाता है और यदि ऐसी सिक्यूरिटी प्राइमरी एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं है/व्यापार न किया हो, तो इसका मूल्य भी बीएसई में मार्च के महीने में अंतिम उद्धृत समापन मूल्य पर जिसे सेकेंडरी एक्सचेंज के रूप में चुना गया हो।

11. पोर्टफोलियो के मामले में संपत्ति की गुणवत्ता और निवेश के प्रदर्शन की समीक्षा नीचे दी गई है:

विवरण	Particulars	निवेश (रुपये में करोड़) Investment (Rs. in Crores)	कुल निवेश के लिए प्रतिशत % to Total Investments	अर्जित प्रतिशत वित्तवर्ष 2017-18 Yield % FY 2017-18	अर्जित प्रतिशत वित्तवर्ष 2016-17 Yield % FY 2016-17	अर्जित प्रतिशत वित्तवर्ष 2015-16 Yield % FY 2015-16	अर्जित प्रतिशत वित्तवर्ष 2014-15 Yield % FY 2014-15	अर्जित प्रतिशत वित्तवर्ष 2013-14 Yield % FY 2013-14
सरकारी प्रतिभूतियां	Govt Securities	6,412.20	42.27	8.77	8.40	8.52	8.64	8.24
बांड और डिबेंचर	Bonds & Debenture	4,436.32	29.25	9.03	9.13	9.41	9.44	9.37
म्यूचुअल फंड और वेंचर फंड	Mutual Funds & Venture Funds	338.93	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ऋण	Loans	38.85	0.26	73.89	24.46	15.49	12.29	16.63
प्रक्रिया के कर्त - धर्त	Preference Shares	22.95	0.15	2.58	2.18	2.33	2.6	2.37
इक्विटी	Equity	2,928.83	19.31	9.28	10.05	9.86	9.34	9.78
मनी मार्केट इंस्ट्रुमेंट्स	Money Market Instruments	984.36	6.49	5.32	7.28	9.5	10.4	9.15
अल्पकालिक ऋण	Short Term Loan	6.18	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आवेदन धन	Application Money	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	<b>Total</b>	<b>15,168.63</b>	<b>100.00</b>	<b>8.66</b>	<b>8.72</b>	<b>9.1</b>	<b>9.12</b>	<b>8.92</b>

इक्विटी / म्यूचुअल फंड में उचित मूल्य परिवर्तन खाता को नहीं रखा गया है।

## 12. हम पुष्टि करते हैं कि:

- (ए) वित्तीय विवरणों की तैयारी में, लागू लेखांकन मानकों, सिद्धांतों और नीतियों का पालन भौतिक प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ किया गया है, यदि कोई हो।
- (बी) प्रबंधन ने लेखांकन नीतियों को अपनाया है और उन्हें लगातार लागू किया है और निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और समझदार हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके। ऑपरेटिंग लाभ या हानि और वर्ष के लिए कंपनी के लाभ या हानि;
- (सी) प्रबंधन ने परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) / कंपनी अधिनियम, 2013 (1956 का 1) के लागू प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा

have been arrived at in accordance with IRDA Regulations. The actively traded Equity shares in India, are valued at the last quoted closing price at NSE in the month of March which is selected as the Primary Exchange and in case such Security is not listed/not traded on the Primary Exchange, the same are valued at the last quoted closing price at BSE in the month of March which is selected as the Secondary Exchange.

11. A review of asset quality and performance of investment in terms of portfolios are given below:

Fair Value Change Account is not considered in Equity/Mutual Funds.

## 12. We confirm that :

- (a) In the preparation of financial statements, the applicable accounting standards, principles and policies have been followed along with proper explanations relating to material departures, if any.
- (b) The management has adopted accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the operating profit or loss and of the profit or loss of the company for the year;
- (c) the management has taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the applicable provisions of the Insurance Act, 1938(4 of 1938)/ Companies Act,







गया है। कंपनी के संपत्तियों की एवं धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पहचानने के लिए;

(डी) प्रबंधन ने एक सतत चिंता के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किए हैं;

(ई) प्रबंधन ने यह सुनिश्चित किया है कि व्यापार की आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली मौजूद है और प्रभावी ढंग से परिचालन कर रही है।

13. हम पुष्टि करते हैं कि व्यक्तियों, फर्मों, कंपनियों और संगठनों को कोई भुगतान नहीं किया गया है जिसमें कंपनी के निदेशक रुचि रखते हैं।

2013 (1 of 1956), for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

(d) the management has prepared the financial statements on a going concern basis;

(e) the management has ensured that an internal audit system commensurate with the size and nature of the business exists and is operating effectively.

13 We confirm that no payments have been made to individuals, firms, companies and organizations in which directors of the company are interested.

(ए वी गिरिजाकुमार)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(A V GIRIJAKUMAR )  
Chairman-cum-Managing Director

(अतुल जेरथ)  
महाप्रबंधक और एफए

(बलवंत सिंह)  
निदेशक

(ATUL JERATH)  
General Manager & FA

(BALWANT SINGH)  
Director

(सीए अजय गुप्ता)  
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(रश्मि बाजपेयी)  
कंपनी सचिव

(CA AJAY GUPTA)  
Chief Financial Officer

(Rashmi Bajpai)  
Company Secretary

स्थान: नई दिल्ली  
दिनांक: 17.05.2018

Place: New Delhi  
Dated: 17.05.2018





अनुबंध I

ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

31/03/2018 को भारत में दासता के बड़े पैमाने पर विश्लेषण

ANNEXURE I

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

AGE WISE ANALYSIS OF CLAIMS OUTSTANDING IN INDIA AS AT 31/03/2018

	Claims O/s for			समाप्त वर्ष/Year ending 31/03/2018					
				अग्नि/FIRE		मरीन/MARINE		विविध/MISC.	
				NO.	AMOUNT	NO.	AMOUNT	NO.	AMOUNT
30 दिनों से कम	Less than 30 days	सूट	Suit	14	327.08	4	7.81	3702	12264.26
		गैर सूट	Non suit	291	6913.24	311	1480.48	41813	54165.48
30 दिन से 6 महीने	30 days to 6 months	सूट	Suit	10	156.69	2	0.07	8906	32280.87
		गैर सूट	Non suit	499	25877.33	746	4174.78	43973	82038.04
6 महीने से 1 वर्ष	6 months to 1 year	सूट	Suit	34	783.69	10	184	16047	58031.9
		गैर सूट	Non suit	645	22918.2	568	5221.85	15381	29802.69
1 साल से 5 साल	1 year to 5 years	सूट	Suit	165	2264.38	46	60.4	50156	177560.92
		गैर सूट	Non suit	602	60402.26	406	13628.68	7393	38923.92
5 साल और ऊपर	5 years and above	सूट	Suit	229	2943.9	84	21921.06	44271	119023.87
		गैर सूट	Non suit	123	3587.47	43	2129.1	920	5430.47
आने वाले सह-बीमा	Incoming co-insurance	सूट	Suit	4	15673.42	4	257.86	460	1295.31
		गैर सूट	Non suit	81	24058.33	123	12413.22	531	14684.58
सर्वेक्षण / कानूनी शुल्क	Survey / Legal Fee	सूट	Suit		131.79	0	26.54	0	5134.28
		गैर सूट	Non suit		274.56	0	1080.57	0	1253.62
कुल	TOTAL	सूट	Suit	456	22280.96	150	22457.74	123542	405591.39
		गैर सूट	Non suit	2241	144031.4	2197	40128.67	110011	226298.8
कुल योग	GRAND TOTAL			2697	166312.36	2347	62586.41	233553	631890.19

ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

31/03/2017 को भारत में दायित्वों का विश्लेषण

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

AGEWISE ANALYSIS OF CLAIMS OUTSTANDING IN INDIA AS AT 31/03/2017

बकाया दावों के लिए	Claims O/s for			समाप्त वर्ष/Year ending 31/03/2017					
				अग्नि/FIRE		मरीन/MARINE		विविध/MISC.	
				NO.	AMOUNT	NO.	AMOUNT	NO.	AMOUNT
30 दिनों से कम	Less than 30 days	सूट	Suit	5	4.22	3	14.80	3936	12856.79
		गैर सूट	Non- suit	209	5452.63	644	2292.24	39634	35832.81
30 दिन से 6 महीने	30 Days to 6 Months	सूट	Suit	13	43.87	13	30.68	11511	36252.80
		गैर सूट	Non- suit	859	24962.67	1197	5124.32	56995	39832.92
6 महीने से 1 वर्ष	6 Months to 1 Year	सूट	Suit	24	743.26	18	34.56	16779	50518.64
		गैर सूट	Non- suit	1078	51692.92	909	5674.75	21376	36995.05
1 साल से 5 साल	1 Year to 5 Years	सूट	Suit	165	2146.02	84	230.74	54228	161941.28
		गैर सूट	Non- suit	903	42182.78	698	16778.68	10045	35528.90
5 साल और ऊपर	5 years and above	सूट	Suit	190	2001.49	104	4379.66	47683	106489.48
		गैर सूट	Non- suit	46	2368.75	31	671.54	757	5187.71
आने वाली सह-बीमा	Incoming Co-insurance	सूट	Suit	3	15144.82	4	283.16	2520	11320.91
		गैर सूट	Non- suit	178	22910.90	76	16382.32	366	15254.37





बकाया दावों के लिए	Claims O/s for			समाप्त वर्ष/Year ending 31/03/2017					
				अग्नि/FIRE		मरीन/MARINE		विविध/MISC.	
				NO.	AMOUNT	NO.	AMOUNT	NO.	AMOUNT
सर्वेक्षण / काबूनी शुल्क	Survey / Legal Fee	सूट	Suit		63.64		20189.40		5941.35
		गैर सूट	Non- suit		367.83		234.18		7166.33
कुल	TOTAL	सूट	Suit	400	20147.32	226	25163.00	136657	385321.25
		गैर सूट	Non- suit	3273	149938.48	3555	47158.03	129173	175798.09
कुल योग	GRAND TOTAL			3673	170085.80	3781	72321.03	265830	561119.34

ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

भारत में दायित्वों का विश्लेषण

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

AGEWISE ANALYSIS OF CLAIMS OUTSTANDING IN INDIA

दावा ओ / एस के लिए	Claims O/s for		31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष/Year Ending 31st March 2016						31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष/Year Ending 31st March 2015					
			अग्नि मरीन		विविध अग्नि		मरीन विविध		अग्नि मरीन		विविध अग्नि		मरीन विविध	
			FIRE	MARINE	MISC.	FIRE	MARINE	MISC.	FIRE	MARINE	MISC.	FIRE	MARINE	MISC.
			NO.	AMOUNT	NO.	AMOUNT	NO.	AMOUNT	NO.	AMOUNT	NO.	AMOUNT	NO.	AMOUNT
30 दिनों से कम	Less than 30 days	सूट/Suit	8	15.47	17	12.62	2981	14950.14	11	62.25	3	13	4451	11170.94
		गैर सूट Non- suit	303	10513.7	533	1463.58	35658	20236.39	520	10213.89	705	2126.50	33072	46100.91
30 दिन से 6 महीने	30 Days to 6 Months	सूट/Suit	25	221.19	28	20.37	11276	31451.53	3	8.38	7	33	12318	30566.83
		गैर सूट Non- suit	1210	31099.07	1248	7767.3	48060	48529.49	1094	42166.40	1612	10800	37118	46161.45
6 महीने से 1 वर्ष	6 Months to 1 Year	सूट/Suit	15	2839.36	18	22.58	16749	45885.23	19	294.45	10	32.70	14947	35026.33
		गैर सूट Non- suit	983	24938.1	960	4842	21635	29049.12	803	54971.02	990	4844	17815	40541.08
1 साल से 5 साल	1 Year to 5 Years	सूट/Suit	93	2012.75	45	382.93	60235	156648	146	418.86	64	329	68061	160259.70
		गैर सूट Non- suit	546	50891.15	664	19544.13	10059	40629.12	637	49627.54	600	11070	11936	38832.79
5 साल और ऊपर	5 years and above	सूट/Suit	174	2485.01	90	4372.65	49606	93455.97	133	16621.28	64	5852.28	49393	94081.20
		गैर सूट Non- suit	87	4437.02	35	370.2	719	4290.81	95	2393.79	48	1067	1186	2099.31
आने वाली सह-बीमा	Incoming Co-insurance	सूट/Suit	2	14556.82	5	137.68	822	2591.68	0	0	5	139	406	827.83
		गैर सूट Non- suit	109	19820.36	37	8170	446	22613.73	150	13486.81	97	7152	519	-52137.20
सर्वेक्षण / काबूनी शुल्क	Survey / Legal Fee	सूट/Suit		49.90		19391.71		4801.98		320		84	0	5604.7
		गैर सूट Non- suit		1068.20		340.06		1309.19		445.98		18844	0	10680.7
कुल	TOTAL	सूट/Suit	317	22180.5	203	24940.55	141669	349784	312	17725.22	153	6482.98	149576	337537.6
		गैर सूट Non- suit	3238	142767.6	3477	41897.27	116577	166657.8	3299	173305.40	4052	55903.50	101646	132279
कुल योग	GRAND TOTAL		3555	164948.1	3680	66837.82	258246	516441.8	3611	191030.65	4205	62386.48	251222	469816.59





ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड  
भारत में दायित्वों का विश्लेषण

**THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED**  
**AGEWISE ANALYSIS OF CLAIMS OUTSTANDING IN INDIA**

दावा ओ / एस के लिए	Claims O/s for			समाप्त वर्ष/ Year Ending 31st March 2014					
				अग्नि/FIRE		मरीन/MARINE		विविध/MISC.	
				NO.	AMOUNT	NO.	AMOUNT	NO.	AMOUNT
30 दिनों से कम	Less than 30 days	सूट	Suit	4	0.22	4	1.95	3794	12233.97
		गैर सूट	Non- suit	453	8683.34	663	2626.52	31936	30955.12
30 दिन से 6 महीने	30 Days to 6 Months	सूट	Suit	4	7.63	4	12.27	14154	29125.01
		गैर सूट	Non- suit	1017	27453.20	1295	6539.03	56599	69491.79
6 महीने से 1 वर्ष	6 Months to 1 Year	सूट	Suit	23	273.78	5	3.07	19961	41705.83
		गैर सूट	Non- suit	768	44495.49	962	3922.35	22487	66264.67
1 साल से 5 साल	1 Year to 5 Years	सूट	Suit	111	462.41	68	297.56	73781	141920.12
		गैर सूट	Non- suit	733	36573.02	719	12605.07	16209	81486.38
5 साल और ऊपर	5 years and above	सूट	Suit	109	15060.87	41	4705.28	52851	104160.96
		गैर सूट	Non- suit	61	1054.21	72	2047.38	1445	15566.89
आने वाली सह-बीमा	Incoming Co-insurance	सूट	Suit	2	6.18	5	138.95	729	3440.22
		गैर सूट	Non- suit	129	26080.76	70	9767.44	508	41532.15
सर्वेक्षण / कानूनी शुल्क	Survey / Legal Fee	सूट	Suit		195.04		17806.77		21733.50
		गैर सूट	Non- suit		330.91		393.35		1793.54
कुल	TOTAL	सूट	Suit	253	16006.13	127	22965.84	165270	354319.61
		गैर सूट	Non- suit	3161	144670.93	3781	37901.14	129184	307090.54
कुल योग	GRAND TOTAL			3414	160677.06	3908	60866.99	294454	661410.15

ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड  
औसत दावा निपटारे का समय

**THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED**  
**AVERAGE CLAIM SETTLEMENT TIME**

समय/Period	For the year ended 31.03.2018 को समाप्त वर्ष		For the year ended 31.03.2017 को समाप्त वर्ष		For the year ended 31.03.2016 को समाप्त वर्ष		For the year ended 31.03.2015 को समाप्त वर्ष		For the year ended 31.03.2014 को समाप्त वर्ष	
उत्पाद/Product	दावों का कोई निपटारा नहीं हुआ No of Claims settled	औसत निपटान समय (दिन) Average Settlement Time (Days)	दावों का कोई निपटारा नहीं हुआ No of Claims settled	औसत निपटान समय (दिन) Average Settlement Time (Days)	दावों का कोई निपटारा नहीं हुआ No of Claims settled	औसत निपटान समय (दिन) Average Settlement Time (Days)	दावों का कोई निपटारा नहीं हुआ No of Claims settled	औसत निपटान समय (दिन) Average Settlement Time (Days)	दावों का कोई निपटारा नहीं हुआ No of Claims settled	औसत निपटान समय (दिन) Average Settlement Time (Days)
अग्नि/Fire	6466	331.48	6595	318.21	6729	289.12	6916	285.13	6789	308.22
मरनी/Marine	13329	188.29	13437	183.00	14197	173.31	15149	171.10	15753	157.16
विविध Miscellaneous	1587102	1193.66	1569612	1106.89	1204862	1123.24	1136498	1248.69	912830	1245.87
कुल योग Grand Total	1606897	1181.85	1589644	1095.81	1225788	1126.83	1158563	1252.63	935372	1220.73





## ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए रसीदें और भुगतान खाता (यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट) (अकेले खड़े रहें)

### THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

Receipts and Payments Account (i.e. Cash Flow Statement) for the Year Ended 31.03.2018 (Stand Alone)

(₹.'000) (Rs.'000)

		31.03.2018	31.03.2017
<b>ए ऑपरेटिंग गतिविधियों से कैश फ्लो</b>	<b>A. Cash Flow from Operating Activities</b>		
1. अग्रिम रसीद सहित पॉलिसीधारकों से प्राप्त प्रीमियम	1. Premium received from Policyholders, including advance receipts	119551741	115655002
2. अन्य रसीदें (नेट)	2. Other receipts ( net )	1823139	1608961
3. पुनर्विक्रताओं को भुगतान, कमीशन और दावों का शुद्ध	3. Payment to reinsurers, net of commissions and claims	-1369918	-2372032
4. दावाकर्ताओं को भुगतान, दावों की वसूली का शुद्ध	4. Payment to coinsurers, net of claims recovery	-1781571	-11038818
5. दावों का भुगतान	5. Payment of claims	-95768027	-81630702
6. कमीशन और ब्रोकरेज का भुगतान	6. Payment of commission and brokerage	-7841613	-6456069
7. अन्य परिचालन खर्चों का भुगतान	7. Payments of other operating expenses	-31604098	-25445231
8. प्रारंभिक और पूर्व-संचालन व्यय	8. Preliminary and pre-operative expenses	0	0
9. जमा, अग्रिम और कर्मचारी ऋण	9. Deposits, advances and staff loans	-730039	517108
10. आयकर भुगतान (नेट)	10. Income taxes paid (net)	-662516	3350775
11. सेवा कर एकत्र / भुगतान (नेट)	11. Service Tax collected / paid (net)	3481589	1647653
12. अन्य भुगतान (नेट)	12. Other payments (net)	0	0
13. असाधारण वस्तुओं से पहले नकद प्रवाह	13. Cash flow before extraordinary items	-14901313	-4163353
14. असाधारण परिचालन से नकदी प्रवाह	14. Cash flow from extraordinary operations	0	0
15. ऑपरेटिंग गतिविधियों से नेट नकदी प्रवाह	15. Net cash flow from operating activities	-14901313	-4163353
<b>निवेश गतिविधियों से बी कैश फ्लो</b>	<b>B. Cash Flow from Investing Activities</b>		
1. निश्चित संपत्तियों की खरीद (नेट)	1. Purchase of fixed assets (net)	-1231709	-1628906
2. निश्चित संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय	2. Proceeds from sale of fixed assets	32906	39076
3. निवेश की खरीद	3. Purchase of investments	-29813078	-21912132
4. ऋण वितरित किया गया	4. Loans disbursed	0	0
5. निवेश की बिक्री	5. Sale of Investments	22512538	13067538
6. चुकौती प्राप्त की	6. Repayments received	8286785	10200620
7. किराए / ब्याज / लाभांश प्राप्त	7. Rents/Interests/Dividends received	12460199	11145117
8. मनी मार्केट इंस्ट्रुमेंट्स और तरल म्यूचुअल फंड (नेट) में निवेश	8. Investments in money market instruments & liquid mutual funds (net)	1779098	-2763017
9. निवेश से संबंधित व्यय	9. Expenses relating to investments	-50412	-43703
10. निवेश गतिविधियों से नेट नकदी प्रवाह	10. Net cash flow from the investing activities	13976327	8104593
<b>सी वित्त पोषण गतिविधियों से कैश फ्लो</b>	<b>C. Cash Flow from Financing Activities</b>		
1. शेयर पूंजी जारी करने से प्राप्त आय	1. Proceeds from issuance of share capital	0	0
2. उधार लेने से आय	2. Proceeds from borrowing	0	0
3. उधार लेने की चुकौती	3. Repayments of borrowing	0	0
4. ब्याज / लाभांश (वितरण कर सहित) भुगतान किया	4. Interest/dividends(including distribution tax) paid	0	-1444296
5. वित्त पोषण गतिविधियों से नेट नकदी प्रवाह	5. Net cash flow from the financing activities	0	-1444296
<b>डी. नकद और नकद समकक्षों (शुद्ध) पर विदेशी मुद्रा दरों का प्रभाव</b>	<b>D. Effect of foreign exchange rates on cash and cash equivalents (net)</b>	904	-20973
<b>ई. नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि (+) / कमी (-)</b>	<b>E. Net increase(+)/decrease(-) in cash and cash equivalents</b>	-924082	2475971
1. वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष	1. Cash and Cash equivalents at the beginning of the year	23565923	21089952
2. वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष	2. Cash and Cash equivalents at the end of the year	22641841	23565923

नोट: (+) आकृति प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती है और (-) बहिर्वाह का प्रतिनिधित्व करती है

Note : (+) figure represents inflow and (-) represents outflow







ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड  
बैलेंस शीट एबस्ट्रैक्ट एंड कंपनी की सामान्य प्रोफाइल  
THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED  
BALANCE SHEET ABSTRACT AND COMPANY'S GENERAL PROFILE

(₹.'000) (Rs.'000)

<b>I.</b>	पंजीकरण के विवरण	<b>REGISTRATION DETAILS</b>			
	पंजीकरण संख्या	Registration Number	00556	राज्य कोड/ State Code	55
	बैलेंस शीट तिथि	Balance Sheet Date	31.03.2018		
<b>II.</b>	वर्ष के दौरान कैपिटल राइज (आरएस हजारों में राशि)	<b>CAPITAL RAISED DURING THE YEAR (AMOUNT IN RS. THOUSANDS)</b>			
	सार्वजनिक मुद्रा	Public Issue	शून्य/NIL		
	सही मुद्रा	Right Issue	शून्य/ NIL		
	बोनस अंक	Bonus Issue	शून्य/ NIL		
	निजी कार्य नियुक्ति	Private Placement	शून्य/ NIL		
<b>III.</b>	आंदोलन और धन की रोकथाम की स्थिति (हजारों राशियों में राशि)	<b>POSITION OF MOBILISATION AND DEPLOYMENT OF FUNDS (AMOUNT IN RUPEES THOUSANDS)</b>			
	कुल देयताएँ	Total Liabilities	118140624	कुल संपत्ति/Total Assets	118140624
	धन के स्रोत	<b>Source of Funds</b>			
	प्रदत्त पूंजी	Paid up Capital	2000000	रिजर्व और अधिशेष और उचित मूल्य परिवर्तन Reserve & Surplus and Fair Value Change	86573738
	वर्तमान देनदारियाँ	Current Liabilities	181700257		
	निधि का आवेदन	<b>Application of Funds</b>			
	शुद्ध नियत संपत्तियाँ	Net Fixed Assets	5064466	निवेश Investments	229490640
	कुल वर्तमान परिसंपत्तियाँ	Net Current Assets	59805393	विविध व्यय Misc. Expenditure	0
	संचित घाटा	Accumulated Losses	Nil		
<b>IV.</b>	कंपनी का प्रदर्शन (₹। हजारों में राशि)	<b>PERFORMANCE OF COMPANY (AMOUNT IN Rs. THOUSANDS)</b>			
	टर्नओवर	Turnover	100282260	कुल व्यय Total Expenditure	86459394
	कर से पहले लाभ / हानि	Profit/Loss before Tax	13822866	कर पश्चात लाभ / हानि Profit/Loss after Tax	15098917
	लाभांश	Dividend	शून्य/ Nil		
<b>V.</b>	तीन प्रिंसिपल उत्पादों / सीओ की सेवाओं के सामान्य नाम (मासिक शर्तों के अनुसार)	<b>GENERIC NAMES OF THREE PRINCIPAL PRODUCTS/SERVICES OF CO. (AS PER MONETARY TERMS)</b>			
	आइटम कोड संख्या	Items Code No.	शून्य/ NIL		
	उत्पाद वर्णन	Product Description	गैर जीवन बीमा व्यापार Non Life Insurance Business		





# इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड विवरण

## Industrial Credit *Company Limited* Statements





## स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

### औद्योगिक क्रेडिट कंपनी लिमिटेड के सदस्यों के लिए

#### वित्तीय वक्तव्यों पर रिपोर्ट करें

हमने इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड ('कंपनी') के वित्तीय विवरण जिसमें 31 मार्च 2018 को बैलेंस शीट, लाभ और हानि का वक्तव्य, वर्ष के लिए केश फ्लो स्टेटमेंट समाप्त और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का ऑडिट किया है।

#### वित्तीय वक्तव्यों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी के निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है जो वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, अधिनियम के धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित आम तौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन और नकद प्रवाह।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पहचानने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; निर्णय और अनुमान बनाना जो उचित और नीतिज्ञ हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से परिचालन कर रहे थे, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और भौतिक गलती से मुक्त होते हैं चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण।

#### लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय वक्तव्यों पर एक राय व्यक्त करें।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों और मामलों के प्रावधानों को ध्यान में रखा है जिन्हें अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल करने की आवश्यकता है।

हमने अधिनियम के धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा का आयोजन किया।

## INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

### TO THE MEMBERS OF INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED

#### Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of **INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED** ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31 March 2018, the Statement of Profit and Loss, the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.

#### Management's Responsibility for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act.

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

#### Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made thereunder.





उन मानकों की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और योजना का अनुपालन करते हैं और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करते हैं कि वित्तीय विवरण गलत तरीके से मुक्त हैं या नहीं। एक लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशि और प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षा सबूत प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षकों के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है। उन जोखिम आकलन करने में, लेखा परीक्षक वित्तीय विवरणों की कंपनी की तैयारी से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को मानता है जो परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है। एक लेखापरीक्षा में उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उचितता और कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करने का भी मूल्यांकन शामिल है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारे योग्य लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

### क्वालिफाइड राय के लिए आधार

हम आकस्मिक देयता रुपये 1,16,04,928 के संदर्भ में वित्तीय विवरणों के नोट II (ए) (1) पर ध्यान आकर्षित करते हैं कि कंपनी ने पिछले कई सालों से कोई परिचालन नहीं किया है और रुपये 214,522 का घाटा बनाया है। कंपनी का शुद्ध मूल्य पूरी तरह खत्म हो गया है। 31 मार्च 2018 तक, मौजूदा देनदारियां अपनी वर्तमान संपत्तियों से अधिक रु. 399,713 और वर्ष के दौरान कंपनी को रु. 214,522 हानि हुई। ये निम्न कारक कंपनी की क्षमता में पर्याप्त संदेह बढ़ाते हैं और इसलिए, अपनी संपत्ति का एहसास करने और व्यापार के सामान्य क्रम में अपनी देनदारियों को निर्वहन करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। वित्तीय विवरणों में वसुलनीय और वसुलनीय एसेट रकम के वर्गीकरण और देनदारियों के वर्गीकरण से संबंधित कोई समायोजन शामिल नहीं है, यदि आवश्यक हो तो कंपनी जरूर इस विषय पर ध्यान दें।

### क्वालिफाइड राय

हमारी राय में, क्वालिफाइड राय अनुच्छेद के आधार पर वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा आवश्यक जानकारी को आवश्यक तरीके से प्रदान

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified audit opinion.

### Basis for Qualified Opinion

We draw attention to note II (a) (1) of the financial statements with reference to a contingent liability of Rs. 1,16,04,928 and the fact that the Company has not undertaken any operations for past several years and has accumulated losses of Rs. 214,522. The net worth of the Company has been fully eroded. As at 31 March 2018, the current liabilities exceed its current assets by Rs. 399,713 and the Company has incurred a loss of Rs. 214,522 during the year. These factors raise substantial doubt as to the Company's ability to continue as going concern and therefore, may not be able to realise its assets and discharge its liabilities in the normal course of business. The financial statements do not include any adjustments relating to the recoverability and classification of recorded asset amounts and classification of liabilities that may be necessary if the Company is unable to continue as a going concern.

### Qualified Opinion

In our opinion, except for the effects of the matters described in the basis for qualified opinion paragraph,





करते हैं और साथ ही साथ एक वास्तविक और निष्पक्ष दृष्टिकोण भी देते हैं 31 मार्च 2018 को कंपनी के मामलों के मामले में आम तौर पर लेखांकन सिद्धांतों को स्वीकार किया जाता है, और उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इसका नुकसान और उसकी नकदी प्रवाह।

### अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 (11) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी कंपनियों (लेखा परीक्षक) आदेश, 2016 ('आदेश') द्वारा आवश्यक, हम 'अनुलग्नक ए' में एक बयान देते हैं आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों।
2. अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
  - ए) हमने सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों की मांग की है और हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए आवश्यक थे;
  - बी) उपरोक्त योग्य राय अनुच्छेद के आधार पर वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, कानून द्वारा आवश्यक खाते की उचित खाते कंपनी द्वारा तब तक रखी गई हैं जब तक कि वे उन खातों की हमारी परीक्षण के लिए प्रकट नहीं हुए;
  - सी) बैलेंस शीट, लाभ और हानि का बयान, और इस रिपोर्ट द्वारा निपटारा गया कैश फ्लो स्टेटमेंट खाते के साथ एग्रीमेंट में है;
  - डी) उपरोक्त क्वालिफाइड राय अनुच्छेद के आधार पर वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानक का अनुपालन करते हैं;
  - ई) निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड पर 31 मार्च 2018 को निदेशकों द्वारा प्राप्त लिखित प्रस्तावों के आधार पर, धारा 164 (2) के तहत निदेशक के रूप में नियुक्त होने से 31 मार्च 2018 को किसी भी निदेशकों को अयोग्य घोषित नहीं किया गया है अधिनियम के);
  - एफ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग और ऐसे नियंत्रणों की ऑपरेटिंग प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में, 'अनुलग्नक बी' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

the financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 in the manner so required and also give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India of the state of affairs of the Company as at 31 March 2018, and its loss and its cash flows for the year ended on that date.

### Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of Section 143(11) of the Act, we give in the "Annexure A" a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.
2. As required by Section 143 (3) of the Act, we report that:
  - a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;
  - b) Except for the effects of the matter described in the Basis of Qualified Opinion paragraph above, in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books;
  - c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account;
  - d) Except for the effects of the matter described in the Basis of Qualified Opinion paragraph above, in our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act;
  - e) On the basis of written representations received from the directors as on 31 March 2018 taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on 31 March 2018 from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Act;
  - f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls,







जी) कंपनियों (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षकों) संशोधन नियम, 2017, हमारी राय में संशोधित कंपनियों और (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षकों) संशोधन नियम, 2017 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल अन्य मामलों के संबंध में हमारी जानकारी का सर्वोत्तम और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

- i. कंपनी ने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमे के प्रभाव का खुलासा किया है – वित्तीय विवरणों के लिए नोट II(क) देखें;
- ii. कॉन्ट्रैक्ट्स सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है जिसके लिए प्रावधान करना आवश्यक है;
- iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की कोई एक राशि का प्रावधान नहीं है;

3. अधिनियम की धारा 143 (5) के अनुसार, हम भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी दिशानिर्देशों और उप-दिशाओं में निहित मामलों पर हमारी रिपोर्ट ध्वनिलग्नक सीए में संलग्न हैं।

### एस एस कोठारी मेहता एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फर्म का पंजीकरण संख्या 000756 एन

### नीरज बंसल

साथी

सदस्यता संख्या 0956060

स्थान: नई दिल्ली

तिथि: 23 अप्रैल 2018

refer to our separate Report in “Annexure B”.

g) With respect to the other matters to be included in the Auditor’s Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 as amended by Companies (Audit and Auditors) Amendment Rules, 2017, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

- i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements – Refer Note II (a) to the financial statements;
- ii. There are no long term contracts including derivative contracts for which provision is required to be made;
- iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company;

3. As required by Section 143(5) of the Act, we enclose herewith in “Annexure C”, our report on the matters contained in the directions and sub-directions issued by the Comptroller & Auditor General of India.

### For S S Kothari Mehta & Co

Chartered Accountants

Firm’s Registration No. 000756N

### Neeraj Bansal

Partner

Membership No. 095960

Place : New Delhi

Date : 23 April 2018





## 23 अप्रैल 2018 के औद्योगिक क्रेडिट कंपनी लिमिटेड के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में अनुलग्नक ए

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 (11) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी की गई कंपनियों (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ('आदेश') के अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट मामलों पर रिपोर्ट करें। ) जैसा कि 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के अनुच्छेद 1 में उल्लिखित है

- (i) कंपनी के पास निश्चित संपत्ति नहीं है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 के खंड (i) (ए), (i) (बी) और (i) (सी) कंपनी के लिए लागू नहीं हैं;
- (ii) कंपनी की कोई इन्वेन्ट्री नहीं है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 के खंड (ii) कंपनी के लिए लागू नहीं है;
- (iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पार्टियों को ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं दिया है। तदनुसार, खंड (iii) (ए), (iii) (बी) और (iii) (सी) आदेश के अनुच्छेद 3 की कंपनी के लिए लागू नहीं हैं;
- (iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी का किसी प्रकार का अग्रिम ऋण नहीं है या कोई गारंटी या सुरक्षा नहीं दी है या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 में कोई निवेश नहीं किया है, इसलिए खंड (iv) आदेश के अनुच्छेद 3 की कंपनी के लिए लागू नहीं है;
- (v) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान सार्वजनिक जमा को स्वीकार नहीं किया है। इसके अलावा, हम इस तरह के किसी भी जमा (ओं) में नहीं आए हैं और न ही प्रबंधन ने किसी जमा राशि की सूचना दी है, जहां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देश और धारा 73 से 76 के प्रावधान या कंपनियों के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान अधिनियम, 2013 या इनके किसी भी नियम के तहत अनुपालन की आवश्यकता हो। साथ ही, हमें प्रदान की गई स्पष्टीकरण और जानकारी के अनुसार, कंपनी लॉ बोर्ड या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी भी अदालत या किसी अन्य ट्रिब्यूनल के आदेश नहीं हैं जिन्हें कंपनी द्वारा अनुपालन किया जाना आवश्यक था;

## Annexure A to the Independent Auditor's Report to the members of Industrial Credit Company Limited dated 23 April 2018

Report on the matters specified in paragraph 3 of the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of section 143(11) of the Companies Act, 2013 ("the Act") as referred to in paragraph 1 of 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section

- (i) The Company does not have fixed assets. Accordingly, clauses (i)(a), (i)(b) and (i)(c) of paragraph 3 of the Order are not applicable to the Company;
- (ii) The Company does not have any inventory. Accordingly, clause (ii) of paragraph 3 of the Order is not applicable to the Company;
- (iii) According to the information and explanation given to us, the Company has not granted loans, secured or unsecured to companies, firms, Limited Liability Partnerships or other parties covered in the register maintained under section 189 of the Companies Act, 2013. Accordingly, clauses (iii)(a), (iii)(b) and (iii)(c) of paragraph 3 of the Order are not applicable to the Company;
- (iv) According to the information and explanation given to us, the Company has not advanced any loan or given any guarantee or security or made any investment to which section 185 & 186 of the Companies Act, 2013 are applicable, hence clause (iv) of paragraph 3 of the Order is not applicable to the Company;
- (v) As per information and explanation provided to us, the Company has not accepted any public deposits during the year. Further, we have not come across any such deposit(s) nor the management has reported any deposit(s), where the directives issued by the Reserve Bank of India and the provisions of sections 73 to 76 or any other relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the rules framed there under needs any compliance. Also, as per explanation and information provided to us, there are no orders of Company Law Board or National Company Law Tribunal or Reserve Bank of India or any court





- (vi) केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के उपधारा (1) के तहत 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किए गए गतिविधियों के लिए लागत रिकॉर्ड रखरखाव निर्धारित नहीं किया है, इसलिए खंड (iv)) आदेश के अनुच्छेद 3 की कंपनी के लिए लागू नहीं है;
- (vii) (ए) कंपनी आम तौर पर निर्विवाद निधि, कर्मचारियों के राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क का शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, सेस और निर्विवाद सांविधिक बकाया जमा करने में नियमित है। देय तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए संबंधित वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन के रूप में बकाया सांविधिक बकाया राशि का कोई बकाया नहीं है;
- (बी) कंपनी के पास आयकर या बिक्री कर या सेवा कर या सीमा शुल्क का शुल्क या उत्पाद शुल्क या मूल्य वर्धित कर का बकाया नहीं है जो किसी भी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है;
- (viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर, कंपनी के पास वित्तीय संस्थान, बैंक या सरकार से कोई ऋण या उधार नहीं है। कंपनी ने कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है, इसलिए आदेश के अनुच्छेद 3 के खंड (viii) कंपनी के लिए लागू नहीं है;
- (ix) कंपनी ने शुरुआती सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) या वर्ष के दौरान सावधि ऋण के माध्यम से कोई पैसा नहीं उठाया, इसलिए आदेश के अनुच्छेद 3 के खंड (ix) कंपनी के लिए लागू नहीं है;
- (x) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी धोखाधड़ी या कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी को वर्ष के दौरान देखा या रिपोर्ट नहीं किया गया है;
- (xi) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया है इसलिए आदेश के खंड (xii) अनुच्छेद 3 कंपनी के लिए लागू नहीं है;
- or any other tribunal which were required to be complied by the company;
- (vi) The Central Government has not prescribed the maintenance of cost records for the activities carried out by the Company during the year ended 31 March 2018 under sub-section (1) of section 148 of the Companies Act, 2013, hence clause (iv) of paragraph 3 of the Order is not applicable to the Company;
- (vii)(a) The Company is generally regular in depositing undisputed statutory dues including provident fund, employees' state insurance, income-tax, sales-tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and any other statutory dues as applicable to the appropriate authorities. There are no arrears of outstanding statutory dues as on the last day of the financial year concerned for a period of more than six months from the date they became payable;
- (b) The Company has no dues of income tax or sales tax or service tax or duty of customs or duty of excise or value added tax that have not been deposited on account of any dispute;
- (viii) According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the company, the Company does not have any loan or borrowing from a financial institution, bank or Government. The Company has not issued any debentures, hence clause (viii) of paragraph 3 of the Order is not applicable to the Company;
- (ix) The Company did not raise any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) or term loans during the year, hence clause (ix) of paragraph 3 of the Order is not applicable to the Company;
- (x) According to information and explanation given to us, no fraud by the Company or fraud on the Company by its officers or employees has been noticed or reported during the year;
- (xi) The Company has not paid any managerial remuneration during the year hence clause (xii) paragraph 3 of the Order is not applicable to the Company;





- (xii) कंपनी निधि कंपनी नहीं है, इसलिए आदेश के अनुच्छेद 3 के खंड (xii) कंपनी के लिए लागू नहीं है;
- (xiii) संबंधित पार्टियों के साथ सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, लागू होने वाले लेखा मानकों द्वारा आवश्यक वित्तीय विवरणों में विवरण का खुलासा किया गया है;
- (xiv) कंपनी ने लेखापरीक्षा के तहत वर्ष के दौरान किसी भी अधिमाम्य आवंटन या शेयरों की पूरी नियुक्ति या पूरी तरह से या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं किए हैं, इसलिए आदेश के अनुच्छेद 3 के खंड (xiv) कंपनी के लिए लागू नहीं है;
- (xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उससे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर-नकदी लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 के खंड (xv) लागू नहीं है;
- (xvi) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत कंपनी को पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है;

- (xii) The Company is not a Nidhi Company, hence clause (xii) of paragraph 3 of the Order is not applicable to the Company;
- (xiii) All transactions with the related parties are in compliance with sections 177 and 188 of Companies Act, 2013, as applicable and the details have been disclosed in these Financial Statements as required by the applicable accounting standards;
- (xiv) The company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year under audit, hence clause (xiv) of paragraph 3 of the Order is not applicable to the Company;
- (xv) According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the Company has not entered into non-cash transactions with directors or persons connected with him. Accordingly, clause (xv) of paragraph 3 of the Order is not applicable;
- (xvi) The Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934;

**कृते एस एस कोठारी मेहता एंड कं.**

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म का पंजीकरण संख्या 000756एन

सदस्यता संख्या 0956060

**नीरज**

पार्टनर

**For S S Kothari Mehta & Co**

Chartered Accountants

Firm's Registration

No. 000756N

**Neeraj Bansal**

**Partner**

Membership No. 095960

स्थान: नई दिल्ली

तिथि: 23 अप्रैल 2018

**Place : New Delhi**

**Date : 23 April 2018**





## 23 अप्रैल 2018 के औद्योगिक क्रेडिट कंपनी लिमिटेड के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में अनुलग्नक-बी

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 के उपधारा 3 के उपधारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट, जैसा कि अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं के अनुभाग अनुच्छेद 2 (एफ) में उल्लिखित है।

हमने उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के साथ 31 मार्च 2018 तक औद्योगिक क्रेडिट कंपनी लिमिटेड ('कंपनी') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षा किया है।

### आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, 'कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए वित्तीय रिपोर्टिंग पर जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान'। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और रख-रखाव शामिल हैं जो कंपनी के नीतियों का पालन करने, अपनी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान सहित अपने व्यापार के व्यवस्थित और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से परिचालन कर रहे थे, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी।

### लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करें।

हमने वित्तीय रिपोर्टिंग ('मार्गदर्शन नोट') पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा पर मानदंडों पर लेखा परीक्षा के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा का आयोजन किया और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित समझा गया, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक,

## Annexure B to the Independent Auditor's Report to the members of Industrial Credit Company Limited dated 23 April 2018

### Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act") as referred to in paragraph 2(f) of 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED** ("the Company") as of 31 March 2018 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

### Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on "the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India". These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

### Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit.

We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to







दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा के लिए लागू होते हैं, और दोनों चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और योजना का पालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गए हैं और बनाए रखा गया है और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक सम्मानों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी ऑपरेटिंग प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ, भौतिक कमजोरी के जोखिम का आकलन करने और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और ऑपरेटिंग प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षकों के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरणों के जोखिमों का आकलन शामिल है।

हमारा मानना है कि हमने प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के आधार के लिए पर्याप्त और उचित है।

### वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं में शामिल हैं जो:

- ए) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित है कि, उचित विस्तार से, कंपनी की संपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से प्रतिबिंबित करता है;
- बी) उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी

an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness.

Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

### Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that:

- a) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company;
- b) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and





करने के लिए लेनदेन आवश्यक है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा

सी) कंपनी के परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या स्वभाव की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें जो वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकता है।

### वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं की वजह से, नियंत्रण की अनुचित या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलतफहमी हो सकती है और पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में बदलावों के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की सत्र बिगड़ सकता है

### राय

हमारी राय में, कंपनी ने सभी भौतिक सम्मानों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को आम तौर पर 31 मार्च 2018 तक प्रभावी ढंग से परिचालन कर रहे थे, 'वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण' भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित।

### कृते एस एस कोठारी मेहता एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म का पंजीकरण संख्या 000756 एन

### नीरज बंसल

साझेदार

सदस्यता संख्या 0 9 56060

स्थान: नई दिल्ली

तिथि: 23 अप्रैल 2018

expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and

c) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

### Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

### Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were generally operating effectively as at 31 March 2018, based on "the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India".

### For S S Kothari Mehta & Co

Chartered Accountants

Firm's Registration No. 000756N

### Neeraj Bansal

Partner

Membership No. 095960

Place : New Delhi

Date : 23 April 2018





**23 अप्रैल 2018 के औद्योगिक क्रेडिट कंपनी लिमिटेड के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में अनुलग्नक सी**

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और उप-दिशाओं में निहित मामलों पर रिपोर्ट करें, जैसा कि अनुच्छेद 3 में उल्लिखित है। अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताएं अनुभाग पर रिपोर्ट करें

क्र.सं.	निर्देश जारी किए गए	हमारी प्रतिक्रिया / टिप्पणियां
1.	क्या कंपनी के पास क्रमशः फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि के लिए स्पष्ट शीर्षक / पट्टा कार्य है? यदि नहीं, तो कृपया फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि का क्षेत्र बताएं जिसके लिए शीर्षक / पट्टा कार्य उपलब्ध नहीं हैं।	कंपनी के पास कोई फ्रीहोल्ड या लीजहोल्ड भूमि नहीं है। इसलिए, यह लागू नहीं है।
2.	क्या ऋण / ऋण / ब्याज इत्यादि के छूट / लिखने के मामले हैं? यदि हां, इसके कारणों और इसमें शामिल राशि।	लेखापरीक्षा के तहत वर्ष के दौरान ऋण / ऋण / ब्याज इत्यादि के छूट / लिखने का कोई मामला नहीं है।
3.	चाहे सरकार या अन्य अधिकारियों से उपहार / अनुदान (ओं) के रूप में प्राप्त तृतीय पक्षों और संपत्तियों के साथ झूठ बोलने वाली सूची के लिए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा जाए?	कंपनी के पास कोई सूची नहीं है, इसलिए, यह प्रश्न लागू नहीं है।

S. No.	उप-निर्देश जारी किए गए	हमारी प्रतिक्रिया / टिप्पणियां
1.	स्वतंत्र सत्यापन अभ्यारण्य को दी गई सूचना / इनपुट से किया जा सकता है, जैसे। सेवानिवृत्ति लाभ की देयता की स्थिति में पहुंचने के लिए कर्मचारियों की संख्या, औसत वेतन, सेवानिवृत्ति की आयु, और अभ्यारण्य द्वारा छूट दर, भविष्य में लागत में वृद्धि, मृत्यु दर आदि के संबंध में धारण जाएं, जैसे। ग्रेच्युटी, एनकैशमेंट छोड़ें, सेवानिवृत्ति लाभ आदि के बाद	कंपनी के पास कोई कर्मचारी नहीं है। इसलिए, यह लागू नहीं है।

**कृते एस एस कोठारी मेहता एंड कंपनी**  
 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
 फर्म का पंजीकरण संख्या 000756एन

**नीरज बंसल**  
 साझेदार  
 सदस्यता संख्या 0956060

जगह: नई दिल्ली  
 तिथि: 23 अप्रैल 2018

**Annexure C to the Independent Auditor's Report to the members of Industrial Credit Company Limited dated 23 April 2018**

Report on the matters contained in the directions and sub-directions issued by the Office of the Comptroller & Auditor General of India under Section 143(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") as referred to in paragraph 3 of 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section

S. No.	Directions issued	Our response/ comments
1.	Whether the Company has clear title/ lease deeds for freehold and leasehold land respectively? If not please state the area of freehold and leasehold land for which title/ lease deeds are not available.	The Company does not have any freehold or leasehold land. Hence, this is not applicable.
2.	Whether there are any cases of waiver/ write off of debts/ loans/ interest etc.? If yes, state reasons thereof and the amount involved.	There is no case of waiver/ write off of debts/ loans/ interest etc. during the year under audit.
3.	Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties & assets received as gift/ grant(s) from Government or other authorities?	The Company does not have any inventory, therefore, this question is not applicable.

S. No.	Sub-directions issued	Our response/ comments
1.	Independent verification may be made of information/ inputs furnished to Actuary, viz. number of employees, average salary, retirement age, and assumptions made by the Actuary regarding discount rate, future cost increase, mortality rate, etc. for arriving at the position for liability of retirement benefits, viz. gratuity, leave encashment, post-retirement benefits etc.	The Company does not have any employee. Hence, this is not applicable.

**For S S Kothari Mehta & Co**  
 Chartered Accountants  
 Firm's Registration No. 000756N

**Neeraj Bansal**  
 Partner  
 Membership No. 095960

Place : New Delhi  
 Date : 23 April 2018





## 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों के सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड के वित्तीय विवरण बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (बीमा कम्पनियों के वित्तीय विवरण तथा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तैयार किया जाना) विनियम, 2002 तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसरण में तैयार किया जाना कम्पनी के प्रबन्धन की जिम्मेदारी है। भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(4) के साथ पठित धारा 139(5) के तहत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अन्तर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा सम्बन्धी मानकों के अनुसरण में स्वतन्त्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के अन्तर्गत वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा दिनांक 17 मई, 2018 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट द्वारा किया गया है।

मैंने, भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(क) के तहत 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। हमने, इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड के उसी तारीख को समाप्त वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के दस्तावेजों तक पहुँच के बगैर स्वतन्त्र रूप से की गई है और यह मुख्यतः लेखापरीक्षकों की जाँच तथा कम्पनी के कार्मिकों और कुछ लेखा रिकॉर्डों की चुनिन्दा परीक्षण तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) के तहत कोई महत्वपूर्ण बात मेरे संज्ञान में नहीं आई है और जो वित्तीय विवरणों और सम्बन्धित लेखा परीक्षा रिपोर्ट में आवश्यक हो।

कृते तथा की ओर से  
भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक

ह./—

(नंदना मुंशी)

वाणिज्यिक लेखापरीक्षा निदेशक  
और पदेन सदस्य लेखापरीक्षक बोर्ड—II  
नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली  
तिथि: 02.07.2018





**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2018.**

The preparation of financial statements of The Industrial Credit Company Limited for the year ended 31 March 2018 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 23 April 2018.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 143(6) (a) of the financial statements of The Industrial Credit Company Limited for the year ended 31 March 2018. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report.

**For and on behalf of the  
Comptroller and Auditor General of India**

Sd/-

**(Nandana Munshi)  
Director General of Commercial Audit  
& ex-officio Member, Audit Board – II,  
New Delhi**

**Place: New Delhi**

**Date: 02.07.18**







## इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

CIN-U65921DL1930GOI000216

मार्च 31, 2018 को समाप्त वर्ष तुलन पत्र

## THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED

(CIN-U65921DL1930GOI000216)

Balance Sheet as at March 31, 2018

क्र.सं.	विवरण	Particulars	नोट नं. Note No.	31 मार्च, 2018 को रुपये As at March 31, 2018 Rs.	31 मार्च, 2017 को रुपये As at March 31, 2017 Rs.
<b>I</b>	इक्विटी और देयता	<b>EQUITY AND LIABILITIES</b>			
<b>1</b>	अंशधारी निधि	<b>Shareholders' Funds</b>			
	(ए) शेयर पूंजी	(a) Share Capital	2	500,000	500,000
	(बी) रिजर्व और अधिशेष	(b) Reserves and Surplus	3	(899,713)	(685,191)
<b>3</b>	वर्तमान देनदारियां	<b>Current Liabilities</b>			
	(ए) अल्पकालिक उधार	(a) Short-term Borrowings	4	821,827	654,757
	(बी) अन्य वर्तमान देयताएं	(b) Other Current Liabilities	5	114,836	38,750
	कुल	<b>Total</b>		<b>536,950</b>	<b>508,316</b>
<b>II.</b>	संपत्ति	<b>Assets</b>			
<b>2</b>	वर्तमान संपत्ति	<b>Current Assets</b>			
	(ए) व्यापार प्राप्तियां	(a) Trade Receivables	6	-	-
	(बी) नकद और नकद समकक्ष	(b) Cash and Cash Equivalents	7	510,070	487,315
	(सी) अन्य वर्तमान संपत्तियां	(c) Other Current Assets	8	26,880	21,001
	कुल	<b>Total</b>		<b>536,950</b>	<b>508,316</b>
	वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स	Significant accounting policies and notes to financial statements	1		

संलग्न तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार  
As per our report of even date attached.

कृते एस एस कोठारी मेहता और कं.  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
फर्म पंजीकरण संख्या: 000756 एन  
**For S S KOTHARI MEHTA & CO.**  
Chartered Accountants  
Firm Registration No. : 000756N

स्थान: नई दिल्ली  
Place : New Delhi  
दिनांक: 23/04/2018  
Date:23/04/2018

बोर्ड के पक्ष से और उसके लिए  
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

चक्रधर सिंह  
डीआईएन नं. 7172668  
**Chakradhar Singh**  
DIN NO.7172668

अतुल जेरथ  
डीआईएन नं. 7172664  
**Atul Jerath**  
DIN NO.7172664

नीरज बंसल  
साझेदार  
सदस्यता संख्या 0956060  
**Neeraj Bansal**  
Partner  
Membership No. 095960

अजय गुप्ता  
डीन नं. 7172655  
**Ajay Gupta**  
DIN NO. 7172655

अनिल श्रीवास्तव  
डीआईएन नं. 07172660  
**Anil Srivastava**  
DIN NO.07172660





इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

CIN-U65921DL1930GOI000216

मार्च 31, 2018 को समाप्त वर्ष लाभ/हानि विवरण

THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED

(CIN-U65921DL1930GOI000216)

Statement of Profit and Loss for the year ended March 31, 2018

	विवरण	Particulars	अनु. सं. Note No.	31 मार्च, 2018 को रूपये As at March 31, 2018 Rs.	31 मार्च, 2017 को रूपये As at March 31, 2017 Rs.
I	व्यय:	Expenses:	9	28,744	31,701
II	अन्य खर्च	Other Expenses			
	कुल खर्च	Total Expenses	10	243,266	44,916
	असाधारण वस्तुओं, पहले अवधि वस्तुओं और कर से पहले लाभ / (हानि)	Profit/(Loss) before Extraordinary items, Prior Period Items and Tax		243,266	44,916
III	जोड़ें/(घटायें): अतिरिक्त सामान्य आइटम, पहले अवधि आइटम और कर व्यय	Add/ ( Less): Extra ordinary items, Prior Period Item and Tax Expenses		(214,522)	(13,215)
	कर से पहले लाभ / (हानि)	Profit/ (Loss) before tax		-	-
IV	कर व्यय	Tax Expense		(214,522)	(13,215)
V	नेट कर कर	Net Current Tax			
	वर्ष के लिए लाभ / (हानि)	Profit/(Loss) for the year		-	-
VI	प्रति इक्विटी शेयर कमाई:	Earning per equity share:		(214,522)	(13,215)
	बुनियादी	Basic			
	पतला	Diluted		(42.90)	(2.64)
	वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स	Significant accounting policies and notes to financial statements		(42.90)	(2.64)

संलग्न तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार  
As per our report of even date attached.

कृते एस एस कोठारी मेहता और कं.

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म पंजीकरण संख्या: 000756 एन

For S S KOTHARI MEHTA & CO.

Chartered Accountants

Firm Registration No. : 000756N

स्थान: नई दिल्ली

Place : New Delhi

दिनांक: 23/04/2018

Date:23/04/2018

बोर्ड के पक्ष से और उसके लिए

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

चक्रधर सिंह

डीआईएन नं. 7172668

Chakradhar Singh

DIN NO.7172668

अतुल जेरथ

डीआईएन नं. 7172664

Atul Jerath

DIN NO.7172664

नीरज बंसल

साझेदार

सदस्यता संख्या 0956060

Neeraj Bansal

Partner

Membership No. 095960

अजय गुप्ता

डीआईएन नं. 7172655

Ajay Gupta

DIN NO. 7172655

अनिल श्रीवास्तव

डीआईएन नं. 07172660

Anil Srivastava

DIN NO.07172660





## इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

CIN-U65921DL1930GOI000216

मार्च 31, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण

## THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED

CIN-U65921DL1930GOI000216

### CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2018

विवरण	Particulars	मार्च 31,2018 को रूपये As at March 31,2018 Rs.	मार्च 31,2017 को रूपये As at March 31,2017 Rs.
संचालनीय गतिविधियों से प्राप्त रोकड़	<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>		
कराधान से पहले साल के लिए लाभ	Profit for the year before Taxation	(214,522)	(13,215)
के लिए समायोजन	Adjustments for		
सावधि जमा पर ब्याज आय	Interest income on fixed deposit	110	31,691
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले ऑपरेटिंग लाभ	Operating profit before Working Capital changes	(214,632)	(44,906)
वर्ष के दौरान आयकर भुगतान / (धनवापसी)	Income Tax payment / (refund) during the year	-	-
कैश ऑपरेटिंग गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाता है	Cash used in operating activities	(214,632)	(44,906)
अन्य मौजूदा देनदारियों में वृद्धि / (कमी)	Increase/ (Decrease) in Other Current Liabilities	76,086	18,660
अन्य मौजूदा संपत्तियों में वृद्धि / (कमी)	Increase/ (Decrease) in Other Current Assets	(28,744)	(6,468)
ऑपरेटिंग गतिविधियों में इस्तेमाल नेट नकद	Net cash used in operating activities	(167,290)	(32,714)
निवेश गतिविधियों से कैश फ्लो	<b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>		
होल्डिंग कंपनी से उधार लेने में वृद्धि	Increase in borrowing from holding company	167,070	25,942
वित्त पोषण गतिविधियों द्वारा प्रदान की गई शुद्ध नकद	Net cash provided by Financing Activities	167,070	25,942
वित्तीय गतिविधियों से कैश फ्लो	<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>		
सावधि जमा पर ब्याज आय	Interest income on fixed deposit	110	31,691
नेट (डिक्रीस) / वर्ष के दौरान कैश और कैश इक्विवलेंट्स में वृद्धि	NET (DECREASE)/ INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS DURING THE YEAR	(110)	24,919
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष	Cash and Cash Equivalents at the beginning of the year	87,315	62,396
वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष	Cash and Cash Equivalents at the end of the year	87,205	87,315

ध्यान दें :

1. कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अधिसूचित नकदी प्रवाह वक्तव्य पर लेखा मानक (एस -3) में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया गया है।
2. नकद और नकद समकक्ष अनुवर्ती शामिल हैं:

Note :

1. The Cash Flow Statement has been prepared as per the indirect method as set out in the Accounting Standard (AS-3) on cash Flow Statement notified under the Companies Act, 2013.





2. The Cash and Cash equivalents comprise of the followings :

विवरण Particulars	मार्च 31,2016 को रूपये As at March 31, 2018 Rs.	मार्च 31,2015 को रूपये As at March 31, 2017 Rs.
अनुसूची बैंकों में शेष/Balances in schedule banks	87,315	62,396
	87,315	62,396

Previous year figures have been regrouped and/or reclassified wherever necessary to conform to current year classification

पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष वर्गीकरण के अनुरूप होने के लिए जहां भी जरूरी हो, फिर से समूहित किया गया है और / या पुनः वर्गीकृत किया गया है

संलग्न तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार  
As per our report of even date attached.

कृते एस एस कोठारी मेहता और कं.

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म पंजीकरण संख्या: 000756 एन

**For S S KOTHARI MEHTA & CO.**

Chartered Accountants

Firm Registration No. : 000756N

स्थान: नई दिल्ली

Place : New Delhi

दिनांक: 23/04/2018

Date:23/04/2018

बोर्ड के पक्ष से और उसके लिए

**FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD**

चक्रधर सिंह

डीआईएन नं. 7172668

**Chakradhar Singh**

DIN NO.7172668

अतुल जेराथ

डीआईएन नं. 7172664

**Atul Jerath**

DIN NO.7172664

नीरज बंसल

साझेदार

सदस्यता संख्या 0956060

**Neeraj Bansal**

Partner

Membership No. 095960

अजय गुप्ता

डीआईएन नं. 7172655

**Ajay Gupta**

DIN NO. 7172655

अनिल श्रीवास्तव

डीआईएन नं. 07172660

**Anil Srivastava**

DIN NO.07172660





इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

CIN-U65921DL1930GOI000216

31 मार्च, 2015 को बैलेंस शीट का हिस्सा बनाने वाली नोट्स

THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED

CIN-U65921DL1930GOI000216

Notes forming part of the Balance Sheet as at March 31, 2018

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2018 को रूपये As at March 31, 2018 Rs.	31 मार्च, 2017 को रूपये As at March 31, 2017 Rs.
नोट -2 शेयर पूंजी	Note-2 Share Capital		
अधिकार दिया गया	Authorised		
10,000 (पिछले वर्ष 10,000) इक्विटी शेयर रु. 100 / - प्रत्येक	10,000 (Previous Year 10,000) Equity Shares of Rs. 100/- each	1,000,000	1,000,000
जारी किए गए	Issued		
5,050 (पिछला वर्ष 5,050) रूपये 100 / - के इक्विटी शेयर	5,050 (Previous Year 5,050) Equity Shares of Rs. 100/-	505,000	505,000
सब्सक्राइब और पेड-अप	Subscribed and Paid-up		
5,000 (5,000) इक्विटी शेयर रु. 100 / -	5,000 (5,000) Equity Shares of Rs. 100/-		
प्रत्येक पूरी तरह से भुगतान (ऊपर शेयरों, 5,000 के	each fully paid up (of the above Shares, 5,000		
(पिछले वर्ष 5,000) इक्विटी शेयरों द्वारा आयोजित किया जाता है	(Previous Year 5,000) Equity Shares are held by		
होल्डिंग कंपनी और इसके नामांकित निदेशक)	Holding Company & its nominee Directors)	500,000	500,000
कुल	Total	500,000	500,000
शेयरों की संख्या का पुनर्मूल्यांकन	Reconciliation of Number of Shares		
सामान्य शेयर:	Equity Shares:		
वर्ष की शुरुआत में संतुलन	Balance at the beginning of the year	5,000	5,000
जोड़े: जारी किए गए शेयरों की संख्या	Add: Number of Shares Issued	-	-
साल के अंत में संतुलन	Balance at the end of the year	5,000	5,000
कंपनी में कुल शेयरों के 5% से अधिक रखने वाले शेयरधारकों के शेयरों का विवरण	Details of shares held of shareholders holding more than 5% of the aggregate shares in the Company		
सामान्य शेयर:	Equity Shares:		
ओरिएंटल इंड्योरेंस कंपनी लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) और इसके नामांकित निदेशकों	The Oriental Insurance Company Limited (Holding Company) & its nominee directors	5,000 (100%)	5,000 (100%)
नोट -3: रिजर्व और अधिशेष	Note-3: Reserves & Surplus		
लाभ और हानि के वक्तव्य में अधिशेष / (घाटा)	Surplus/(Deficit) in Statement of Profit & Loss		
साल की शुरुआत में	as at the beginning of the year	(685,191)	(671,976)
जोड़े: वर्ष के लिए शुद्ध लाभ / (हानि)	Add: Net Profit / (Loss) for the year	(214,522)	(13,215)
वर्ष के अंत में बकाया	Balance as at the end of the year	(899,713)	(685,191)
कुल	Total	(899,713)	(685,191)
औद्योगिक क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (CIN-U65921DL1930GOI000216)	THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED (CIN-U65921DL1930GOI000216)		
असुरक्षित ऋण:	Unsecured Loan:		
- होल्डिंग कंपनी 'ओरिएंटल इंड्योरेंस कंपनी लिमिटेड' से	- From the Holding Company "The Oriental Insurance Company Ltd"	821,827	654,757
कुल	Total	821,827	654,757
नोट -5: अन्य वर्तमान देयताएं	Note-5 : Other Current Liabilities		
अन्य देनदारियां	Other payables	114,836	38,750
नोट - 6: व्यापार प्राप्तियां	Note - 6 : Trade Receivables		
असुरक्षित, संदिग्ध माना गया	Unsecured, Considered doubtful		
तिथि से छह महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया	Outstanding for a period exceeding six months from the date		







विवरण	Particulars	31 मार्च, 2018 को रूपये As at March 31, 2018 Rs.	31 मार्च, 2017 को रूपये As at March 31, 2017 Rs.
वे भुगतान के लिए देय हैं	they are due for payment	37,973	37,973
घटायें: संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	Less : Provision for doubtful debts	37,973	37,973
कुल	Total	-	-
नोट - 7 नकद और नकद समकक्ष	Note - 7 Cash and Cash Equivalents		
नकद और नकद समकक्ष	Cash and Cash Equivalents		
बैंक शेष	Bank balances		
- चालू खाते में	- In Current Account	87,205	87,315
बैंक के साथ सावधि जमा	Fixed deposits with bank	422,865	400,000
कुल	Total	510,070	487,315
नोट -8 अन्य वर्तमान संपत्तियां	Note -8 Other Current Assets		
ब्याज प्राप्तियां	Interst Receivables	88	88
टीडीएस प्राप्तियां	TDS Receivables	26,792	20,913
कुल	Total	26,880	21,001

इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

CIN-U65921DL1930GOI000216

31 मार्च, 2015 को बैलेंस शीट का हिस्सा बनाने वाली नोट्स

**THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED**

CIN-U65921DL1930GOI000216

**Notes forming part of the Profit and Loss Account as at March 31,2018**

नोट -9: अन्य आय	Note -9 : Other Income		
सावधि जमा पर ब्याज	Interest on fixed deposits	28,744	31,701
उप कुल	Sub Total	28,744	31,701
नोट -10: अन्य व्यय	Note -10 : Other Expenses		
परामर्श शुल्क	Consultancy charges	225,456	27,352
ऑडिट फीस	Audit fee	17,700	17,250
बैंक शुल्क	Bank charge	110	314
उप कुल	Sub Total	243,266	44,916

संलग्न तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार  
As per our report of even date attached.

कृते एस एस कोठारी मेहता और कं.

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या: 000756 एन

**For S S KOTHARI MEHTA & CO.**

Chartered Accountants

Firm Registration No. : 000756N

स्थान: नई दिल्ली

Place : New Delhi

दिनांक: 23/04/2018

Date:23/04/2018

बोर्ड के पक्ष से और उसके लिए

**FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD**

चक्रधर सिंह

डीआईएन नं. 7172668

**Chakradhar Singh**

DIN NO.7172668

अतुल जेरथ

डीआईएन नं. 7172664

**Atul Jerath**

DIN NO.7172664

नीरज बंसल

साझेदार

सदस्यता संख्या 0956060

**Neeraj Bansal**

Partner

Membership No. 095960

अजय गुप्ता

डीआईएन नं. 7172655

**Ajay Gupta**

DIN NO. 7172655

अनिल श्रीवास्तव

डीआईएन नं. 07172660

**Anil Srivastava**

DIN NO.07172660





**इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड**  
(CIN:U65921DL1930GOI000216)

31 मार्च, 2018 को वित्तीय वक्तव्यों का हिस्सा बनाने वाली  
नोट्स

**नोट्स: 1 वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियां:**

**I. विशिष्ट लेखा नीतियां**

**क. वित्तीय वक्तव्य तैयार करने का आधार:**

इन वित्तीय विवरणों को एकत्रित आधार पर ऐतिहासिक लागत अभिसमय के तहत भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अनुसार।

सभी संपत्तियों और देनदारियों को कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 2013 को अनुसूची III में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार वर्तमान या गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उत्पादों की प्रकृति और संपत्ति के अधिग्रहण के बीच का समय प्रसंस्करण और नकद और नकद समकक्षों में उनकी प्राप्ति के लिए, कंपनी ने चालू और प्रयोजनों के मौजूदा – गैर-वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए 12 महीने के रूप में अपने परिचालन चक्र का है।

**ख. राजस्व मान्यता:**

ब्याज आय बकाया राशि और लागू ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए एक समय अनुपात आधार पर मान्यता प्राप्त है।

**ग. कर लगाना:**

**i) वर्तमान कर**

वर्तमान आयकर भारत में लागू आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कर प्राधिकरणों को भुगतान की जाने वाली राशि पर मापा जाता है और संबंधित कर क्षेत्राधिकारों में प्रचलित कर कानून जहां कंपनी संचालित होती है। रिपोर्ट की तारीख पर राशि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कर दरें और कर कानून वे हैं जो अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित होते हैं।

**THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY  
LIMITED**  
(CIN:U65921DL1930GOI000216)

Notes forming part of Financial Statements as on  
March 31, 2018

**NOTES: 1 ACCOMPANYING NOTES TO THE  
FINANCIAL STATEMENTS:**

**I. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

**a. Basis of preparation of Financial Statements:**

These financial statements have been prepared in accordance with the generally accepted accounting principles in India under the historical cost convention on accrual basis. Pursuant to section 133 of the Companies Act, 2013.

All assets and liabilities have been classified as current or non-current as per the Company's normal operating cycle and other criteria set out in the Schedule III to the Companies Act, 2013. Based on the nature of products and the time between the acquisition of assets for processing and their realization in cash and cash equivalents, the Company has ascertained its operating cycle as 12 months for the purpose of current – non-current classification of assets and liabilities.

**b. Revenue Recognition:**

Interest income is recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the applicable interest rate.

**c. Taxation:**

**i) Current Tax**

Current income-tax is measured at the amount expected to be paid to the tax authorities in accordance with the Income-tax Act, 1961 enacted in India and tax laws prevailing in the respective tax jurisdictions where the company operates. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that are enacted or substantively enacted, at the reporting date.





ii) स्थगित कर

लेखांकन मानक के अनुसार 22- भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आय पर करों के लिए लेखांकन, वर्ष के लिए पुस्तक और कर लाभ के बीच समय अंतर के लिए स्थगित कर को कर दरों और कानूनों का उपयोग करके जिम्मेदार माना जाता है बैलेंस शीट तिथि के रूप में अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित।

अस्थायी समय में अंतर से उत्पन्न होने वाली स्थगित कर संपत्तियां इस हद तक की गई हैं कि भविष्य में उसे संपत्ति बनाई जा सके।

घ. प्रावधान और आकस्मिक देनदारियां

माप में पर्याप्त मात्रा में अनुमान शामिल प्रावधानों को मान्यता दी जाती है जब पिछले कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और संभव है कि संसाधनों का बहिर्वाह होगा।

ई. प्रति शेयर आय

कंपनी ईपीएस का पता लगाने में लगाई गई आय में इक्विटी शेयरधारकों के लिए कर (और किसी भी सामान्य सामान के बाद कर प्रभाव शामिल) के बाद शुद्ध लाभ शामिल है। बेसिक ईपीएस की गणना में उपयोग किए जाने वाले शेयरों की संख्या वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या है। संभावित तरल इक्विटी शेयरों के प्रभाव के समायोजन के बाद तरल ईपीएस की गणना मूल ईपीएस के समान होती है।

II. खाते में नोट्स

क. आकस्मिक देयताएं

कंपनी के खिलाफ दावा रु. 1,16,04,928 (पिछले वर्ष 1,08,45,727/-) ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया।

नोट: 06 मई, 1999 को एक पूर्व-पार्टी मध्यस्थता पुरस्कार सुश्री सरस्वती वर्षानी (स्वर्गीय श्रीमती राम देवी वर्षानी की बेटी) के पक्ष में पारित किया गया था, जिसे 20 अगस्त, 1999 को अदालत का शासन बनाया गया (पूर्व पार्टी स्व. श्रीमती राम देवी वर्षानी के 277/71 मूल आदेश सूट के अनुसार) और एक डिक्री रुपये 30,82,541.82

ii) Deferred Taxes

In accordance with Accounting Standard 22- Accounting for Taxes on Income, issued by The Institute of Chartered Accountants of India, the deferred tax for timing differences between the book and tax profits for the year is accounted by using the tax rates and laws that have been enacted or substantially enacted as of the balance sheet date.

Deferred Tax Assets arising from temporary timing differences are recognized to the extent there is reasonable certainty that the assets can be realized in future.

d. Provisions and Contingent liabilities

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when there is a present obligation as a result of past events and are probable that there will be an outflow of resources.

e. Earnings Per Share

The earning considered in ascertaining the Company EPS comprises the net profit after tax (and include the post-tax effect of any extra ordinary items) attributable to equity shareholders. The number of shares used in computing Basic EPS is the weighted average number of shares outstanding during the year. The diluted EPS is calculated on the same as basic EPS, after adjusting for the effect of potential dilutive equity shares.

II. Notes to Account

A. CONTINGENT LIABILITIES:

Claims against the Company not acknowledged as debts Rs. 1,16,04,928/- (Previous year Rs. 1,08,45,727/-).

Note: An ex-party arbitration award dated May 06, 1999 was passed in favour of Ms. Saraswati Varshney (daughter of Late Smt. Rama Devi Varshney), which was made a rule of court on August 20, 1999 (vide original order suit no. 277/71 of ex-party Late Smt. Rama Devi Varshney) and a decree for Rs. 30,82,541.82





82 कंपनी के खिलाफ पारित किया गया था। 03 मार्च, 2000 के बाद दिए गए राशि पर लागू दर पर भावी ब्याज के साथ उपर्युक्त राशि की वसूली के लिए डिक्री धारक द्वारा 11/2000 दायर किया गया था। इसके अलावा, कंपनी ने मांग की है और दूसरे सिविल न्यायाधीश, अलीगढ़ से पहले मामला दायर किया है।

15/02/2018 के अपने आदेश के अनुसार सीखा एसीजे द्वितीय एनडी (सीनियर डिवीजन) अलीगढ़ ने उपर्युक्त मामले को खारिज कर दिया है और फाइल को सौंपा गया है, जिसके परिणामस्वरूप तारीख को रिपोर्ट करने के लिए कोई मामला कंपनी के खिलाफ नहीं है और कोई वित्तीय उत्तरदायित्व उसके खिलाफ नहीं चल रहा है उस मामले के खाते पर कंपनी। 31 मार्च, 2018 तक, आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के लिए समय-अवधि समाप्त नहीं हुई है और इसलिए वित्तीय वक्तव्यों में आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट और खुलासा किया गया है।

was passed against the Company. An execution case bearing no. was filed by the decree holder for recovery of the aforesaid amount along with future interest at applicable rate on the awarded amount after March 03, 2000. Further, the company has contested the demand and filed a case before II nd Additional Civil Judge, Aligarh.

The learned ACJ II nd (Senior Division) Aligarh vide its order dated 15/02/2018 has dismissed the aforesaid case and file has been consigned, resulting **AS ON REPORTING DATE NO CASE IS PENDING AGAINST THE COMPANY AND NO FINANCIAL LIABILITY IS STANDING AGAINST THE COMPANY ON ACCOUNT OF THAT CASE. As on March 31, 2018, the time-period for filing the appeal against the order has not expired and hence contingent liability has been carried and disclosed in the financial statements.**

**ख. लेखा परीक्षकों को भुगतान**

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष
	रूपये	रूपये
(i) ऑडिट फीस	15,000/-	15,000/-

\* सेवा कर के विशिष्ट

\*Exclusive of service tax

**B. PAYMENT TO AUDITORS**

Particulars	For the year ended March 31, 2018	For the year ended March 31, 2017
	(Rs)	(Rs)
(i) Audit Fee	15,000/-	15,000/-

\*Exclusive of service tax

**ग. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण**

संबंधित पार्टियों की सूची

पार्टी का नाम	संबंध
ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	होल्डिंग कंपनी

**c. RELATED PARTY DISCLOSURES**

List of related parties

Name of Party	Relationship
The Oriental Insurance Co. Ltd.	Holding Company

वर्ष के दौरान संबंधित दलों के साथ लेनदेन

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष
	(Rs)	(Rs)
लेन-देन		
होल्डिंग कंपनी से ऋण	1,67,070/-	25,942/-
खर्च किए गए खर्च होल्डिंग कंपनी ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा पैदा किए जाते हैं।	8,21,827/-	6,54,757/-
जमा शेष		

Transactions with Related Parties during the year

Particulars	For the year ended March 31, 2018	For the year ended March 31, 2017
	(Rs)	(Rs)
Transactions		
Loan from Holding Company	1,67,070/-	25,942/-
Expenses Incurred are borne by the holding Company "The Oriental Insurance Co. Ltd."		
Closing balance	8,21,827/-	6,54,757/-





**घ. कमाई प्रति शेयर (ईपीएस)**

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष
	रुपये	रुपये
वर्ष के लिए लाभ / (हानि) (ए)	(2,14,522)	(13,215)
इक्विटी शेयरों की संख्या (बी)	5,000	5,000
प्रति शेयर लाभ (ए / बी)	(42.90)	(2.64)

**ई. निर्दिष्ट बैंक नोट्स ('एसबीएन') से संबंधित जानकारी**

	एसबीएन	अन्य मूल्यवर्ग नोट्स	कुल
08.11.2016 अंतिम नकदी	शून्य	शून्य	शून्य
(+) अनुमत रसीदें	शून्य	शून्य	शून्य
(-) अनुमत भुगतान	शून्य	शून्य	शून्य
(-) बैंकों में जमा राशि	शून्य	शून्य	शून्य
30.12.2016 अंतिम नकदी	शून्य	शून्य	शून्य

च. निदेशक ने बोर्ड मीटिंग में भाग लेने के लिए बैठे शुल्क को माफ कर दिया है।

छ. 37,973 रुपये की बकाया राशि पर ब्याज देनदारी नहीं है क्योंकि बकाया राशि को संदिग्ध ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ज. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं के कारण कोई कारण नहीं है।

झ. पिछले वर्ष के आंकड़े जहां भी जरूरी हो, पुनः व्यवस्थित और पुनःवर्गीकृत किए गए हैं।

संलग्न तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार  
As per our report of even date attached.

एस एस कोठारी मेहता एंड कं. के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म पंजीकरण संख्या: 000756 एन

**For S S KOTHARI MEHTA & CO.**

Chartered Accountants

Firm Registration No. : 000756N

स्थान: नई दिल्ली

Place : New Delhi

दिनांक: 23/04/2018

Date:23/04/2018

बोर्ड के पक्ष से और उसके लिए

**FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD**

चक्रधर सिंह

डीआईएन नं. 7172668

**Chakradhar Singh**

DIN NO.7172668

नीरज बंसल

साझेदार

सदस्यता संख्या 0956060

**Neeraj Bansal**

Partner

Membership No. 095960

अतुल जेरथ

डीआईएन नं. 7172664

**Atul Jerath**

DIN NO.7172664

अजय गुप्ता

डीआईएन नं. 7172655

**Ajay Gupta**

DIN NO. 7172655

अनिल श्रीवास्तव

डीआईएन नं. 07172660

**Anil Srivastava**

DIN NO.07172660

**D. EARNING PER SHARE (EPS)**

Particulars	For the year ended March 31, 2018	For the year ended March 31, 2017
	(Rs)	(Rs)
Profit/(Loss) for the year(A)	(2,14,522)	(13,215)
Number of Equity Shares (B)	5,000	5,000
Profit Per Share (A/B)	(42.90)	(2.64)

**e. Information pertaining to Specified Bank Notes ('SBNs')**

	SBNs	Other Denomination Notes	Total
Closing cash in hand as on 08.11.2016	Nil	Nil	Nil
(+) Permitted receipts	Nil	Nil	Nil
(-) Permitted payments	Nil	Nil	Nil
(-) Amount deposited in Banks	Nil	Nil	Nil
Closing cash in hand as on 30.12.2016	Nil	Nil	Nil

f. The directors have waived the sitting fee for attending the Board Meeting.

g. Interest on outstanding amount of Rs. 37,973 with the debtor has not been accounted for since the outstanding amount has been classified as doubtful debt.

h. According to the information and explanations given to us, the Company has no due to suppliers registered under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.

i. Previous year's figures have been regrouped, rearranged and reclassified wherever necessary.







## इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

पंजीकृत और प्रमुख कार्यालय, ओरिएंटल हाउस

ए-25/27, एएसएएफ अली रोड, नई दिल्ली।  
टेली नंबर: 011-43659595, फैक्स नंबर 011-23287192  
सीआईएन-यू65921डीएल1930डीएल10000216

### प्रबंधन प्रतिनिधित्व पत्र

05 अप्रैल, 2018

मैसर्स एसएस कोठारी मेहता एंड कं  
चार्टर्ड अकाउंटेंट

आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या:000756 एन  
प्लॉट संख्या 6, ओखला औद्योगिक क्षेत्र,  
चरण-3, नई दिल्ली -110020

**प्रकार की सावधानी: नीरज बंसल, पार्टनर, एस एस कोथरी  
मेहता और सीओ।**

**विषय: औद्योगिक क्रेडिट कंपनी लिमिटेड - सांख्यिकी ऑडिट -  
वर्ष 31 2018 को समाप्त किया गया**

महोदय,

यह प्रतिनिधित्व पत्र 31.03.18 को समाप्त वर्ष के लिए औद्योगिक क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (इकंपनीश) के वित्तीय विवरणों के आपके लेखापरीक्षा के संबंध में प्रदान किया गया है ताकि यह विचार किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही और निष्पक्ष हैं या नहीं 31.03.2018 को कंपनी की वित्तीय स्थिति के बारे में, संचालन के परिणाम और वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण समाप्त हो गया। हम अधिनियम अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं और मान्यता प्राप्त लेखांकन नीतियों और प्रथाओं के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए हमारी ज़िम्मेदारी स्वीकार करते हैं।

हम धोखाधड़ी और त्रुटि को रोकने और पहचानने के लिए आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और कार्यान्वयन के लिए हमारी ज़िम्मेदारी को और अधिक स्वीकार करते हैं।

हम पुष्टि करते हैं, हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए निम्नलिखित है:

#### 1. लेखा नीतियां

लेखांकन नीतियां, जो साल या वित्तीय स्थिति के लिए संचालन के परिणामों को निर्धारित करने में भौतिक या

## THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED

REGISTERED & HEAD OFFICE, 'ORIENTAL HOUSE

A-25/27, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI.  
Tel No: 011-43659595, Fax No. 011-23287192  
CIN - U65921DL1930GO10000216

### MANAGEMENT REPRESENTATION LETTER

05<sup>th</sup> April, 2018

M/s S.S. Kothari Mehta & Co.  
Chartered Accountants

ICAI Firm Registration No.: 000756N  
Plot No.68, Okhla Industrial Area,  
Phase -3, New Delhi-110020

**KIND ATTENTION: NEERAJ BANSAL,  
PARTNER, S S KOTHARI MEHTA & CO.**

**SUBJECT: INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED - STATUTORY AUDIT - YEAR ENDED MARCH 31 2018**

Dear Sirs,

This representation letter is provided in connection with your audit of the financial statements of **INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED** ('the Company') for the year ended 31.03.18 for the purpose of expressing an opinion as to whether the financial statements give a true and fair view of the financial position of the Company as on 31.03.2018, the results of operations and the cash flow statement for the year then ended. We acknowledge our responsibility for preparation of financial statements in accordance with the requirements of the Companies Act, 2013 and recognized accounting policies and practices, including Accounting Standards specified under section 133 of the Act.

We further acknowledge our responsibility for the design and implementation of internal control to prevent and detect fraud and error.

We confirm, to the best of our knowledge and belief, the following representations:

#### 1. ACCOUNTING POLICIES

The accounting policies, which are material or critical in determining the results of operations





महत्वपूर्ण हैं, वित्तीय विवरणों में निर्धारित की जाती हैं और पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों में अपनाए गए लोगों के अनुरूप होती हैं। वित्तीय विवरण अर्जित आधार पर तैयार किए जाते हैं।

## 2. निश्चित संपत्तियां

भूमि सहित समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के पास किसी भी समय कोई निश्चित संपत्ति नहीं है।

## 3. व्यापार प्राप्तियां

31 मार्च, 2018 को पुस्तकों में दिखाई देने वाले व्यापार प्राप्तियां पूर्ण और षंदिग्ध के रूप में दिखाई देती हैं इसलिए वित्तीय विवरणों में संदिग्ध ऋण के प्रावधान किए जाते हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी भी ऋण को नहीं लिखा है।

विशेष	राशि
असुरक्षित, संदिग्ध माना गया है	37,973
भुगतान की देय तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए अदत	37,973
<b>कुल</b>	

## 4. ऋण और अग्रिम

संबंधित पार्टियों या किसी अन्य पार्टी को कोई ऋण और अग्रिम नहीं है। इसके अलावा, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी ऋण या अग्रिम के लिए प्रदान नहीं किया है या लिखा है।

## 5. अन्य वर्तमान संपत्तियां

निदेशक मंडल की राय में, अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों के पास कंपनी के व्यवसाय के बट्टे खाते के प्राप्ति पर मूल्य होता है, जो कम से कम उस राशि के बराबर होता है जिस पर उन्हें बैलेंस शीट में बताया गया है।

विशेष	राशि
ब्याज प्राप्तियां	88
टीडीएस प्राप्तियां	26,792
<b>कुल</b>	<b>26,880</b>

## 6. उधारी

क. पूरे अल्पकालिक उधार होल्डिंग कंपनी से हैं। हम पुष्टि करते हैं कि साल के दौरान अल्पकालिक ऋण पर प्रिंसिपल या ब्याज की चुकौती में कोई डिफॉल्ट नहीं है। अल्पकालिक आधार पर उठाए गए धन का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।

for the year or financial position are set out in the financial statements and are consistent with those, adopted in the financial statements for the previous year. The financial statements are prepared on accrual basis.

## 2. Fixed Assets

The Company does not have any fixed assets at any time during the period under review including land.

## 3. Trade receivables

Trade receivables which are appearing in the books as at 31<sup>st</sup> March, 2018 are complete and shown as “doubtful” therefore provision for doubtful debts is made in the financial statements. The Company has not written off any debt during the year under review.

Particular	Amount.
Unsecured, Considered doubtful Outstanding for a period exceeding six months from the date they are due for payment	37,973
<b>Total</b>	<b>37,973</b>

## 4. Loans and Advances

There are no loans and advances to related parties or any other party. Further, the Company has not provided for or written off any loan or advance during the year.

## 5. Other Current Assets

In the opinion of the Board of Directors, other current assets have a value on realization in the ordinary course of the company’s business, which is at least equal to the amount at which they are stated in the balance sheet.

Particular	Amount
Interest Receivables	88
TDS Receivables	26,792
<b>Total</b>	<b>26,880</b>

## 6. Borrowings

a. The entire short term borrowings are from the holding company. We confirm that there is no default in repayment of principal or interest on





ख. कंपनी के पास वित्तीय संस्थान, बैंक या सरकार से कोई ऋण या उधार नहीं है।

ग. कंपनी ने कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।

विशेष	राशि
होलिंग कंपनी 'ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड' से	821,827
<b>कुल</b>	<b>821,827</b>

## 7. सार्वजनिक जमा

हम पुष्टि करते हैं कि कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देशों और धारा 73 से 76 के प्रावधानों या कंपनी अधिनियम 2013 के किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के अर्थ में कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। हम आगे पुष्टि करते हैं कि वहां कंपनी लॉ बोर्ड या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी भी अदालत या किसी अन्य ट्रिब्यूनल के आदेश नहीं हैं जिन्हें सार्वजनिक जमा के संबंध में कंपनी द्वारा अनुपालन की आवश्यकता होती है।

## 8. देयताएं

क. हमने वित्तीय विवरणों में सभी ज्ञात देनदारियों को रिकॉर्ड किया है।

ख. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संबंध में देय कोई देय नहीं है।

## 9. दावों और घाटे के लिए प्रावधान

क. सभी ज्ञात नुकसान और भौतिक रकम के दावों के लिए खातों में प्रावधान किया गया है।

ख. बैलेंस शीट तिथि के बाद कोई घटना नहीं हुई है जिसके लिए वित्तीय विवरण या नोट्स में समायोजन, या प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है।

## 10. लाभ और हानि का बयान

वित्तीय विवरणों में खुलासा के अलावा, वर्ष के परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित नहीं थे:

क. प्रकृति के लेन-देन आमतौर पर कंपनी द्वारा नहीं किए जाते हैं;

ख. एक असाधारण या गैर आवर्ती प्रकृति की परिस्थितियों;

ग. पिछले वर्षों से संबंधित शुल्क या क्रेडिट;

घ. लेखांकन नीतियों में परिवर्तन।

ङ. वित्तीय विवरण में सभी खर्च और आय दर्ज की जाती है

short term loans during the year. The funds raised on short term basis have not been used for long term purposes.

b. The Company does not have any loan or borrowing from a financial institution, bank or Government.

c. The Company has not issued any debentures.

Particular	Amount
From the Holding Company "The Oriental Insurance Company Ltd"	821,827
<b>Total</b>	<b>821,827</b>

## 7. Public Deposit

We confirm that the Company has not accepted any deposit within the meaning of directives issued by the Reserve Bank of India and provisions of sections 73 to 76 or any other relevant provisions of the Companies Act 2013 and the rules framed thereunder. We further confirm that there are no orders of Company Law Board or National Company Law Tribunal or Reserve Bank of India or any court or any other tribunal which were required to be complied by the company in relation to public deposits.

## 8. Liabilities

a. We have recorded all known liabilities in the financial statements.

b. There are no dues payable in respect of Micro, Small and Medium Enterprises.

## 9. Provisions for claims and losses

a. Provision has been made in the accounts for all known losses and claims of material amounts.

b. There have been no events subsequent to the balance sheet date which require adjustment of, or disclosure in, the financial statements or notes thereto.

## 10. Statement of Profit and Loss

Except as disclosed in the financial statements, the results for the year were not materially affected by:

a. transactions of a nature not usually undertaken by the company;

b. circumstances of an exceptional or non-recurring nature;

c. charges or credits relating to prior years;





### 11. प्रबंधकीय पारिश्रमिक

कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी प्रबंधकीय पारिश्रमिक के लिए भुगतान / प्रदान नहीं किया है। बोर्ड मीटिंग में भाग लेने के लिए निदेशकों बैठक शुल्क माफ हैं।

### 12. सांविधिक देयता

- क. कंपनी के पास ऐसा कोई निर्विवाद सांविधिक बकाया नहीं है जो बैलेंस शीट तिथि पर छह महीने से अधिक के लिए बकाया है।
- ख. भविष्य निधि, आयकर, निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष, कर्मचारी राज्य बीमा, बिक्री कर, धन कर, कस्टम शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, सेस, सामान और सेवा करदाता सहित वैधानिक बकाया आम तौर पर उचित रूप से उचित रूप से जमा किए जाते हैं अधिकारियों ने वर्ष के दौरान और बैलेंस शीट की तारीख को बकाया तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया ऐसी कोई निर्विवाद सांविधिक बकाया नहीं है।
- ग. आयकर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, संपत्ति कर, सेवा कर, मूल्यवर्धित कर और सेस प्रदान करने की कोई देनदारी नहीं है, यदि कोई विवाद हो तो खाता पर जमा नहीं किया गया है।

### 13. निकटतम नुकसान

कंपनी ने आकलन किया है और व्युत्पन्न अनुबंध सहित दीर्घकालिक अनुबंधों पर किसी भी संभावित नुकसान को नहीं मिला है, इसलिए कंपनी ने लागू कानून या लेखांकन मानकों के तहत आवश्यक कोई प्रावधान नहीं किया है।

### 14. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(51) के अनुसार प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी निम्नलिखित हैं:

- क. नामांकित निदेशक – श्री अतुल जेराथ  
– श्री चक्रधर सिंह  
– श्री अजय गुप्ता  
– श्रीमान अनिल श्रीवास्तव
- ख. कंपनी सचिव – नहीं
- ग. मुख्य वित्तीय अधिकारी – नहीं

- d. changes in accounting policies.  
e. All expenses and income are recorded in the financial statement

### 11. Managerial Remuneration

The Company has not paid/ provided for any managerial remuneration during the year. The directors have the sitting fee for attending the board meetings.

### 12. Statutory Liability

- a. The company has no undisputed statutory dues which is outstanding for more than six months at the balance sheet date.
- b. Statutory dues including Provident Fund, Income Tax, Investor Education and Protection Fund, Employees State Insurance, Sales-tax, Wealth-tax, Custom Duty, Excise Duty, value added tax, Cess, Goods and service tax have been generally regularly deposited with the appropriate authorities during the year and there are no such undisputed statutory dues outstanding as on the date of Balance Sheet for a period exceeding six months from the date they became payable.
- c. There are no dues of Provide income tax, excise duty, customs duty, wealth tax, service tax, value added tax and cess which has not been deposited on account if any dispute.

### 13. Foreseeable losses

The Company has assessed and not found any foreseeable losses, on long term contracts, including derivative contracts, therefore the Company has not made any provision, required under the applicable law or accounting standards.

### 14. Key Managerial Personnel

The following are the key managerial personnel in accordance with section 2(51) of the Companies Act, 2013:

- a. Nominee Directors – Mr. Atul Jerath  
– Mr. Chakradhar Singh  
– Mr. Ajay Gupta  
– Mr. Anil Srivastava
- b. Company Secretary – No
- c. Chief Financial Officer – No





## 15. संबंधित पार्टी लेनदेन

कंपनी ने धारा 184, 188, 189 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रासंगिक वर्गों और संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन के संबंध में इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रक्रिया का पालन किया है। हम पुष्टि करते हैं कि संबंधित पार्टियों के साथ सभी लेनदेन लागू होने पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं। हम आगे पुष्टि करते हैं कि वित्तीय विवरणों में दिए गए संबंधित पार्टी लेनदेन के ब्योरे लागू लेखांकन मानकों की आवश्यकता के अनुसार हैं और सभी सम्मान में पूर्ण और सही हैं।

## 16. वर्तमान कर और स्थगित कर

हम पुष्टि करते हैं कि कर अधिनियम 1961 के अनुसार मौजूदा कर का प्रावधान किया गया है, कंपनी ने स्थगित कर के प्रावधान के संबंध में लेखा मानक एएस-22 के प्रावधानों का पालन किया है और मूल्यांकन किया है कि कोई स्थगित नहीं है कर संपत्तियां वित्तीय में बनाई जा सकती हैं।

## 17. आकरिन्नक देनदारियां

कंपनी के खिलाफ दावा ऋण के रूप में शून्य (पिछला वर्ष रु. 10845727/-) स्वीकार नहीं किया गया।

नोट: 06 मई, 1999 को एक पूर्व-पार्टी मध्यस्थता पुरस्कार मैसर्स सरस्वती वारशनी (स्वर्गीय श्रीमती राम देवी वर्षानी की पुत्री) के पक्ष में पारित किया गया था, जिसने 20 अगस्त, 1999 को अदालत का शासन किया था (मूल आदेश सूट संख्या के अनुसार पूर्व पार्टी लेट श्रीमती राम देवी वर्षानी के 277/71) और रुपये के लिए एक डिक्री। कंपनी के खिलाफ 30,82,541.82 पारित किया गया था। एक निष्पादन मामला असर नहीं। 03/2000 के बाद से सम्मानित राशि पर लागू दर पर भावी ब्याज के साथ उपरोक्त राशि की वसूली के लिए डिक्री धारक द्वारा 11/2000 दायर किया गया है। इसके अलावा, कंपनी ने मांग लड़ी है और वर्तमान में मामला द्वितीय अतिरिक्त से पहले लंबित है सिविल जज, अलीगढ़। 15/02/2018 के आदेश के अनुसार सीखा एसीजे 1 (सीनियर डिवीजन) अलीगढ़ ने उपर्युक्त मामले को खारिज कर दिया है और फाइल को प्रेषित कर दिया गया है।

## 18. पूंजी प्रतिबद्धता

बैलेंस शीट तिथि पर, पूंजीगत व्यय के लिए कोई उत्कृष्ट प्रतिबद्धता नहीं थी।

## 15. Related party transactions

The Company has followed the procedure as per the provisions of sections 184, 188, 189 and other relevant sections of the Companies Act, 2013 and rules framed thereunder in relation to transactions with related parties. We confirm that all transactions with the related parties are in compliance with sections 177 and 188 of Companies Act, 2013, as applicable. We further confirm that details of related party transactions given in the financial statements are as per the requirement of the applicable accounting standards and are complete and correct in all respect.

## 16. Current Tax and Deferred Tax

We confirm that the provision of current tax, if any, has been made in accordance with Income Tax Act 1961, the company has complied with the provisions of Accounting Standard AS-22 in respect of provision for deferred tax and assessed that there is no deferred tax assets can be created in the financials.

## 17. Contingent liabilities

Claims against the Company not acknowledged as debts Rs. Nil (Previous year Rs. 10845727/-).

Note: An ex-party arbitration award dated May 06, 1999 was passed in favour of M/s SaraswatiVarshney (daughter of Late Smt. Rama Devi Varshney), which made a rule of court on August 20, 1999 (vide original order suit no. 277/71 of ex-party Late Smt. Rama Devi Varshney) and a decree for Rs. 30,82,541.82 was passed against the Company. An execution case bearing no. 11/2000 has filed by the decree holder for recovery of the aforesaid amount along with future interest at applicable rate on the awarded amount after March 03, 2000. Further, the company has contested the demand and at present the case is pending before IInd Additional Civil Judge, Aligarh. The learned ACJ1st (Senior Division) Aligarh vide its order dated 15/02/2018 has dismiss the aforesaid case and file has been cognisigned.

## 18. Capital Commitments

At the balance sheet date, there were no outstanding commitments for capital expenditure.







## 19. आंतरिक नियंत्रण

कंपनी के आकार और उसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं हैं। हम पुष्टि करते हैं कि उपर्युक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में बड़ी कमजोरी की कोई घटना नहीं है।

## 20. लागत रिकॉर्ड्स

कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनियों (लागत रिकॉर्ड और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 की धारा 148 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को लागत रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।

## 21. बाद की घटना

ऐसी कोई भी घटना नहीं है जिसके लिए लेखा मानक (एएस-4) के अनुसार प्रकटीकरण या मान्यता की आवश्यकता है '31 मार्च, 2017 तक बैलेंस शीट तिथि के बाद होने वाली आकस्मिकताओं और घटनाक्रम।

## 22. निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष

हम पुष्टि करते हैं कि वर्ष के दौरान निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की कोई रकम नहीं थी।

## 23. धोखाधड़ी

क) हम स्वीकार करते हैं कि एक लेखापरीक्षा की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, आंतरिक नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के साथ, एक अपरिहार्य जोखिम है कि धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत विवरण हो सकता है और पता नहीं लगाया जा सकता है, भले ही लेखापरीक्षा ठीक से योजनाबद्ध है और लेखापरीक्षा पर मानक के अनुसार लेखा परीक्षक द्वारा प्रदर्शन किया।

ख) हम धोखाधड़ी की रोकथाम और पहचान के लिए हमारी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। हमारी जिम्मेदारी में प्रबंधन द्वारा पता लगाए गए किसी भी धोखाधड़ी और सतर्क तंत्र के माध्यम से या किसी अन्य आंतरिक या बाहरी स्रोतों के माध्यम से धोखाधड़ी की किसी भी घटना के बारे में आपको सूचित करने में भी शामिल है। हम स्वीकार करते हैं कि किसी भी स्रोत के माध्यम से धोखाधड़ी का पता चला या रिपोर्ट होने पर हम उचित कार्रवाई करने के लिए भी जिम्मेदार हैं।

ग) विशेष रूप से हम पुष्टि करते हैं कि हम निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार हैं:

i. वित्तीय विवरणों की तैयारी और निष्पक्ष प्रस्तुति के

## 19. Internal Controls

There are adequate internal controls procedures commensurate with the size of the Company and the nature of its business. We confirm that there are no incidents of major weakness in the aforesaid internal control system.

## 20. Cost Records

The company is not required to maintain cost records as per the provisions of section 148 of the Companies act, 2013 and Companies (Cost Record and Audit) Rule, 2014.

## 21. Subsequent Event

There are no subsequent events which need disclosure or recognition as per Accounting Standard (AS-4) "Contingencies and Events occurring after the Balance Sheet date as at 31<sup>st</sup> March, 2017.

## 22. Investor Education and Protection Fund

We confirm that there were no amounts required to be transferred to investor education and Protection Fund during the year.

## 23. Fraud

a) We acknowledge that because of the inherent limitations of an audit, together with the inherent limitations of internal controls, there is an unavoidable risk that material misstatements due to fraud or error may occur and not be detected, even though the audit is properly planned and performed by the auditor in accordance with the Standards on Auditing.

b) We acknowledge our responsibility for the prevention and detection of fraud. Our responsibility also includes informing you about any fraud detected and remedied by the management, any incidence of fraud reported through the vigil mechanism or through any other internal or external sources. We acknowledge that we are also responsible to take appropriate action when a fraud is detected or reported through any of the sources.

c) In particular we confirm that we are responsible for the following:

i. Designing, implementing, and maintaining





- लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रणों को डिजाइन करना, कार्यान्वित करना और बनाए रखना, जो भौतिक गलतियों से मुक्त हैं, भले ही धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण।
- ii. संदिग्ध धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग के लिए एक सतर्क तंत्र स्थापित करने और तंत्र को प्रभावी ढंग से प्रशासित करने के लिए।
  - iii. धोखाधड़ी के कारण होने वाली धोखाधड़ी और गलत लाभ या हानि, यदि कोई हो, का पता लगाने के लिए उचित कार्रवाई करें।
  - iv. धोखाधड़ी करने वाले के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए।
  - v. नियंत्रण कमजोरियों को ठीक करने करने जो धोखाधड़ी के मूल कारण हैं और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने के लिए।

**घ. हमें इसका कोई ज्ञान नहीं है:**

- i. धोखाधड़ी, जिसमें अधिनियम की धारा 447, या कंपनी द्वारा या संदिग्ध धोखाधड़ी में समझाया गया है, उस कंपनी को प्रभावित करने वाले वर्ष के दौरान देखा या रिपोर्ट किया गया है:
  - प्रबंधन
  - कर्मचारी जो आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, या
  - अन्य लोग जहां धोखाधड़ी वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकती है;
- ii. धोखाधड़ी, या संदिग्ध धोखाधड़ी का कोई आरोप, कर्मचारियों, पूर्व कर्मचारियों, विश्लेषकों, नियामकों या अन्य द्वारा सूचित जो कंपनी के वित्तीय विवरणों को प्रभावित करता है।
- ई) हम किसी भी उल्लंघन या कानूनों और विनियमों के संभावित उल्लंघनों से अवगत नहीं हैं जिनके प्रभाव वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण के लिए या हानि आकस्मिकता रिकॉर्ड करने के आधार के रूप में माना जाना चाहिए। वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाओं में अनुपालन या कमियों के संबंध में नियामक एजेंसियों से कोई संचार नहीं हुआ है, जो अनुपालन की स्थिति में वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकते हैं। हम किसी भी अनियमितताओं, या अनियमितताओं के आरोपों से अवगत नहीं हैं, जिनमें प्रबंधन या कर्मचारी शामिल हैं जिनके पास लेखांकन और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है, या जिनके वित्तीय

internal controls relevant to the preparation and fair presentation of the financial statements which are free from material misstatements, whether due to fraud or error.

- ii. To set up a vigil mechanism for reporting suspected fraud and administer the mechanism effectively.
- iii. Take appropriate action to detect the fraud and wrongful gain or loss, if any, incurred on account of the fraud.
- iv. Take appropriate action against the fraudsters.
- v. Address the control weaknesses which were the root cause for fraud and strengthen the internal control system.

**d) We have no knowledge of:**

- i. fraud, including that explained in Section 447 of the Act, or suspected fraud, on or by the Company, noticed or reported during the year affecting the Company involving:
  - Management
  - Employees who have significant roles in internal control, or
  - Others where the fraud could have a material effect on the financial statements;
- ii. any allegations of fraud, or suspected fraud, affecting the Company's financial statements communicated by employees, former employees, analysts, regulators or others.
- e) We are not aware of any violations or possible violations of laws and regulations the effect of which should be considered for disclosure in the financial statements or as a basis for recording a loss contingency. There have been no communications from regulatory agencies concerning non-compliance with or deficiencies in financial reporting practices that could have a material effect on the financial statements in the event of non-compliance. We are not aware of any irregularities, or allegations of irregularities, involving Management or employees who have a significant role in the accounting and internal financial control systems, or that could have a material effect on the financial statements.





विवरणों पर भौतिक प्रभाव हो सकता है।

एफ) हम किसी लंबित या धमकी दी गई मुकदमे, कार्यवाही, सुनवाई या दावों या वार्ताओं से अवगत नहीं हैं जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को महत्वपूर्ण नुकसान हो सकता है।

जी) कंपनी द्वारा किए गए सभी लेनदेन को उचित रूप से प्रतिबिंबित किया गया है और खाते की किताबों में दर्ज किया गया है और ऑडिट के लिए हमारे द्वारा तैयार वित्तीय विवरणों में उचित रूप से खुलासा किया गया है। खाते की किताबें, जिसमें इन लेनदेन को संबंधित रिकॉर्ड और दस्तावेजीकरण के साथ रिकॉर्ड किया गया है, आपके ऑडिट के उद्देश्य के लिए आपको उपलब्ध कराए गए हैं। अन्य सभी रिकॉर्ड्स और संबंधित सूचना जो कि निदेशकों, शेयरधारकों और प्रासंगिक प्रबंधन मीटिंग्स सहित वित्तीय विवरणों में सत्य और निष्पक्षता, या आवश्यक प्रकटीकरण को प्रभावित कर सकती हैं, आपको उपलब्ध कराई गई हैं और ऐसी कोई जानकारी रोक दी गई है। कोई प्रासंगिक लेखा परीक्षा जानकारी नहीं है जिसके बारे में आप अनजान हैं। तीसरे पक्ष के साथ कंपनी द्वारा दर्ज सभी संविदात्मक व्यवस्था (अनुबंधों के लिए साइड-पत्र समेत) लेखांकन रिकॉर्ड में सही ढंग से परिलक्षित होती है, या जहां वित्तीय विवरणों के लिए सामग्री (या संभावित सामग्री) का खुलासा किया गया है। हमने आपको उस इकाई के भीतर व्यक्तियों के लिए अप्रतिबंधित पहुंच भी प्रदान की है, जिनसे आपने ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक निर्धारित किया है। हम किसी भी खाते, लेनदेन या भौतिक समझौतों से अवगत नहीं हैं जो वित्तीय विवरणों के तहत वित्तीय और लेखांकन रिकॉर्ड में उचित रूप से वर्णित और उचित रूप से दर्ज नहीं हैं।

#### 24. विशिष्ट प्रतिनिधित्व

- इस अवधि की शुरुआत में या वर्ष के दौरान किसी भी समय कंपनी के पास कोई निश्चित संपत्ति नहीं है।
- इस अवधि की शुरुआत में या वर्ष के दौरान किसी भी समय कंपनी की कोई सूची नहीं है।
- कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पार्टियों को ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं दिया है।

f) We are not aware of any pending or threatened litigation, proceedings, hearings or claims or negotiations which may result in significant loss to the Company.

g) All transactions undertaken by the Company have been properly reflected and recorded in its books of account and have been properly disclosed in the financial statements prepared by us for audit. The books of account, in which these transactions have been recorded along with the related records and documentation, have been made available to you for the purpose of your audit. All other records and related information which might affect the truth and fairness of, or necessary disclosure in, the financial statements, including minutes of directors', shareholders' and relevant Management meetings, have been made available to you and no such information has been withheld. There is no relevant audit information of which you are unaware. All contractual arrangements (including side-letters to agreements) entered into by the Company with third parties have been properly reflected in the accounting records or, where material (or potentially material) to the financial statements, have been disclosed to you. We have also provided you unrestricted access to persons within the entity from whom you determined it necessary to obtain audit evidence. We are not aware of any accounts, transactions or material agreements not fairly described and properly recorded in the financial and accounting records underlying the financial statements.

#### 24. Specific representations

- The company does not have any fixed assets either at the beginning of the period or at any time during the year.
- The company does not have any inventory either at the beginning of the period or at any time during the year.
- The Company has not granted loans, secured or unsecured to companies, firms, Limited Liability Partnerships or other parties covered in the register maintained under section 189 of the Companies Act, 2013.





- iv. कंपनी ने कोई ऋण नहीं बढ़ाया है या कोई गारंटी या सुरक्षा दी है या कोई निवेश नहीं किया है
- v. कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी सार्वजनिक जमा को स्वीकार नहीं किया है। इसके अलावा, हम इस तरह के किसी भी जमा (ओं) में नहीं आए हैं और न ही प्रबंधन ने किसी जमा राशि की सूचना दी है, जहां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देश और धारा 73 से 76 के प्रावधान या कंपनियों के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान अधिनियम, 2013 और किसी भी अनुपालन की आवश्यकता के तहत तैयार नियम।
- vi. कंपनी के पास वित्तीय संस्थान, बैंक या सरकार से कोई ऋण या उधार नहीं है। कंपनी ने कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।
- vii. कंपनी ने शुरुआती सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण प्रपत्रों सहित) या वर्ष के दौरान सावधि ऋण के माध्यम से कोई पैसा नहीं उठाया।
- viii. कंपनी द्वारा किसी भी धोखाधड़ी या कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी को वर्ष के दौरान देखा या रिपोर्ट किया गया है;
- ix. कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया है।
- x. कंपनी निधि कंपनी नहीं है।
- xi. संबंधित पार्टियों के साथ सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में लागू होते हैं और लागू वित्तीय मानकों के अनुसार इन वित्तीय वक्तव्यों में विवरण का खुलासा किया गया है;
- xii. कंपनी ने लेखापरीक्षा के तहत वर्ष के दौरान किसी भी अधिमाम्य आवंटन या शेयरों की पूरी नियुक्ति या पूरी तरह से या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं किए हैं;
- xiii. कंपनी ने निदेशकों या उनके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर-नकदी लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है;
- iv. The Company has not advanced any loan or given any guarantee or security or made any investment
- v. The Company has not accepted any public deposits during the year. Further, we have not come across any such deposit(s) nor the management has reported any deposit(s), where the directives issued by the Reserve Bank of India and the provisions of sections 73 to 76 or any other relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the rules framed there under needs any compliance.
- vi. The Company does not have any loan or borrowing from a financial institution, bank or Government. The Company has not issued any debentures.
- vii. The Company did not raise any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) or term loans during the year.
- viii. No fraud by the Company or fraud on the Company by its officers or employees has been noticed or reported during the year;
- ix. The Company has not paid any managerial remuneration during the year.
- x. The Company is not a Nidhi Company.
- xi. All transactions with the related parties are in compliance with sections 177 and 188 of Companies Act, 2013, as applicable and the details have been disclosed in these Financial Statements as required by the applicable accounting standards;
- xii. The company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year under audit;
- xiii. The Company has not entered into non-cash transactions with directors or persons connected with him;
- xiv. The Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.





- xiv भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1ए के तहत कंपनी को पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

## 25. जनरल

- i. प्रबंधन या कर्मचारियों से जुड़े अनियमितताओं में कोई अनियमितता नहीं है, जिनके पास आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है, जो वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकती हैं।
- ii. वित्तीय विवरण, चूक सहित भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं।
- iii. कंपनी ने संविदात्मक समझौतों के सभी पहलुओं का पालन किया है जो अनुपालन की स्थिति में वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकते हैं। नियामक प्राधिकरणों की आवश्यकताओं के साथ कोई अनुपालन नहीं किया गया है जो गैर अनुपालन की स्थिति में वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकता है।
- iv. हमारे पास कोई योजना या इरादे नहीं हैं जो वित्तीय विवरणों में प्रतिबिंबित संपत्तियों और देनदारियों के वाहक मूल्य या वर्गीकरण को भौतिक रूप से प्रभावित कर सकती हैं।
- v. कंपनी का कोई निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के उपनियम (2) के तहत निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
- vi. हम पुष्टि करते हैं कि कंपनी ने बैंक या वित्तीय संस्थानों से दूसरों द्वारा उठाए गए ऋणों की कोई गारंटी नहीं दी है।
- vii. वर्ष के दौरान कोई भी अवधि ऋण नहीं उठाया गया है।
- viii. हम कंपनी अधिनियम, 2013 (यथा संशोधित) के प्रासंगिक प्रावधानों के उल्लंघन में हैं कि कुछ भी नहीं है इस बात की पुष्टि, खंड 73, 119, 123, 128, 129, 133, 134, 143, 148, 177, 179, 180 के और अधिक विशेष रूप से, 180।, 185, 186, 187, 188, 189, 197 और 203, वर्ष के दौरान हुआ है।

आपका धन्यवाद,

आपका आभारी,  
इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड के लिए  
निदेशक

## 25. General

- i. There have been no irregularities involving management or employees who have a significant role in the system of internal control that could have a material effect on the financial statements.
- ii. The financial statements are free of material misstatements, including omissions.
- iii. The company has complied with all aspects of contractual agreements that could have a material effect on the financial statements in the event of non-compliance. There has been no non-compliance with requirements of regulatory authorities that could have a material effect on the financial statements in the event of non-compliance.
- iv. We have no plans or intentions that may materially affect the carrying value or classification of assets and liabilities reflected in the financial statements.
- v. No director of the company is disqualified from being appointed as director under subsection (2) of section 164 of the Companies Act, 2013.
- vi. We confirm that the Company has not given any guarantee for loans taken by others from bank or financial institutions.
- vii. No term loans have been raised during the year.
- viii. We confirm that nothing in contravention of the relevant provisions of the Companies Act, 2013 (as amended), more particularly of section 73, 119, 123, 128, 129, 133, 134, 143, 148, 177, 179, 180, 180A, 185, 186, 187, 188, 189, 197 and 203, has taken place during the year.

Thanking you,

Yours faithfully,

**For INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED**  
**Director**







समेकित  
वित्तीय  
विवरण

Consolidated  
*Financial*  
Statements





## स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

### ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सदस्यों के लिए समेकित वित्तीय वक्तव्य पर रिपोर्ट करें

हमने ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ("इसके बाद" होल्डिंग कंपनी "के रूप में संदर्भित) के साथ समेकित वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा किया है और इसकी सहायक कंपनी को समूह के रूप में संदर्भित किया जाता है) और उसके सहयोगी समेकित बैलेंस शीट सहित 31 मार्च को, 2018 लाभ और हानि के समेकित वक्तव्य, समेकित राजस्व खाते और वर्ष के लिए समेकित कैश फ्लो स्टेटमेंट समाप्त हो गया, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य स्पष्टीकरण संबंधी जानकारी का सारांश (इसके बाद 'समेकित वित्तीय विवरण' के रूप में संदर्भित किया गया।

### समेकित वित्तीय वक्तव्यों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है, बीमा अधिनियम, 1938, आईआरडीएआई विनियमन 2002, इन समेकित वित्तीय की तैयारी के संबंध में समय-समय पर संशोधित ऐसे बयान जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और समूह के नकद प्रवाह के साथ अपने सहयोगियों सहित आम तौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार एक वास्तविक और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, जिसमें अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानक शामिल हैं, नियम के साथ पढ़ा गया है 7 कंपनियों (लेखा) नियम, 2014. समूह और उसके सहयोगियों में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल की संपत्ति की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं। समूह और उसके सहयोगी और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पहचानने के लिए; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; निर्णय और अनुमान बनाना जो उचित और समझदार हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से परिचालन कर रहे थे, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक, जो एक वास्तविक और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और भौतिक गलती से मुक्त होते हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, जो होल्डिंग कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित

## INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

### TO THE MEMBERS OF THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

### Report on the Consolidated Financial Statements

We have audited the accompanying Consolidated financial statements of THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED ("hereinafter referred to as "the Holding Company") and its subsidiary together refer to as "the Group") and its associates comprising the Consolidated Balance sheet as at 31<sup>st</sup> March, 2018 the Consolidated Statement of Profit and Loss, the Consolidated Revenue accounts & the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the consolidated financial statements").

### Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

The Holding Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013, The Insurance Act, 1938, IRDAI Regulations 2002, as amended from time to time with respect to the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Group including its associates in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. The respective Board of Directors of the companies included in the Group and of its associates are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Group and its associates and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of





वित्तीय विवरणों की तैयारी के उद्देश्य से उपरोक्त के रूप में उपयोग किया गया है।

### लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय वक्तव्यों पर एक राय व्यक्त करना है। लेखापरीक्षा आयोजित करते समय, हमने समय-समय पर संशोधित बीमा अधिनियम 1938, आईआरडीएआई विनियमन, 2002 के प्रावधानों के साथ-साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133, लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों और मामलों को ध्यान में रखा है अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल होना आवश्यक है।

हमने अधिनियम के धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा का आयोजन किया। उन मानकों की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और योजना का अनुपालन करते हैं और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करते हैं कि क्या वित्तीय विवरण सामग्री गलत से मुक्त हैं या नहीं।

एक लेखापरीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों में राशि और प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षा सबूत प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षकों के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों के भौतिक गलतफहमी के जोखिमों का आकलन शामिल है। उन जोखिम आकलन करने में, लेखा परीक्षक होल्डिंग कंपनी की वित्तीय बयानों की तैयारी के लिए प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को मानता है जो परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है। एक लेखापरीक्षा में लेखांकन नीतियों की उचितता और होल्डिंग कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता के साथ-साथ समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करने का भी मूल्यांकन शामिल है।

हमारा मानना है कि हमने प्राप्त लेखापरीक्षा सबूत समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के आधार के लिए पर्याप्त और उचित है।

### योग्य राय के लिए आधार

1.ए)बीमा कारोबार पर ले जाने वाले व्यक्तियों या निकायों के कारण राशि, सीडिंग कंपनियों के साथ रिजर्व जमा,

the consolidated financials statements by the Directors of the Holding Company, as aforesaid.

### Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. While conducting the audit, we have taken into account the provisions of The Insurance Act 1938, the IRDAI Regulations, 2002 as amended from time to time as well as section 133 of the Companies Act, 2013, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made there under.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material Misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Holding Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Holding Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the consolidated financial statements.

### Basis for Qualified Opinion

1.a) Amount due to/from persons or bodies carrying on Insurance business, Reserve Deposit with ceding companies, Agent balances, Premium Deposits and Agents' Premium, Sundry Debtors, Sundry





एजेंट शेष, प्रीमियम जमा और एजेंटों का प्रीमियम, सुंदरी देनदार, क्रेडिटर्स, अंतर-कार्यालय शेष, अज्ञात डेबिट और क्रेडिट प्रविष्टियां बैंक खाते, कर्मचारी शेष और अग्रिम कुछ मामलों में सुलह / पुष्टि लंबित हैं (नोट नंबर 2 देखें)। 31 मार्च, 2018 तक राजस्व खाते, लाभ और हानि खाते और रिजर्व और अधिशेष पर उपरोक्त की पुष्टि / सुलह पर समायोजन के परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, तो पता नहीं है और इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

बी) भारत इंटरनेशनल इश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए वित्तीय विवरण सिंगापुर वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (एफआरएस) के अनुसार सिंगापुर कंपनी अधिनियम, कैप 50 के अनुसार तैयार किया गया है जो कि वित्तीय तैयार करने में इस्तेमाल किए गए ढांचे से अलग है। होल्डिंग कंपनी की, समेकन लेखांकन समायोजन की प्रक्रिया के दौरान कंपनी के खातों को संरेखित करने के लिए नहीं बनाया गया है, जिसका प्रभाव पता लगाने योग्य नहीं है।

सी) हम इंडियन क्रेडिट कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा राय के लिए निम्नलिखित योग्यता पर भी ध्यान देते हैं, एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक, मैसर्स एसएस कोठारी मेहता एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा जारी होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक 23/04/2018 के रूप में पुनःउत्पन्न:

“हम आकस्मिक देयता 1,16,04,928 रुपये के संदर्भ में वित्तीय विवरणों के नोट II (ए) (1) पर ध्यान आकर्षित करते हैं। और तथ्य यह है कि कंपनी ने पिछले कई सालों से कोई परिचालन नहीं किया है और 2,14,522 रुपये का घाटा अर्जित किया है। कंपनी का शुद्ध मूल्य पूरी तरह खराब हो गया है। कंपनी को 31 मार्च, 2018 तक, वर्तमान संपत्तियों से अधिक मौजूदा देनदारियों रु. 3,99,713 और वर्ष के दौरान कंपनी को रु.2,14,522 हानि हुई है। ये कारक चिंता के रूप में जारी रखने की कंपनी की क्षमता के रूप में पर्याप्त संदेह बढ़ाते हैं और इसलिए, अपनी संपत्ति का एहसास करने और व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में अपनी देनदारियों को निर्वहन करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। वित्तीय विवरणों में रिकार्डेबिलिटी और रिकार्डेबिलिटी रकम की वर्गीकरण और देनदारियों के वर्गीकरण से संबंधित कोई समायोजन शामिल नहीं है, यदि आवश्यक हो तो कंपनी आवश्यक चिंता के रूप में जारी रखने में असमर्थ है।

*Creditors, Inter-Office balances, Unidentified debit & credit entries in bank accounts, Employees Balances & Advances are pending reconciliation/confirmation in certain cases (Refer Note No.22). Consequential effect, if any, of adjustments upon confirmation/reconciliation of the above on Revenue Account, Profit and Loss Account and Reserves and Surplus as on 31<sup>st</sup> March, 2018, is not ascertainable and cannot be commented upon.*

b) The financial statement for the India International Insurance Pte Ltd, an associate have been prepared in accordance with Singapore Financial Reporting Standards( FRS) as required by the Singapore Companies Act, Cap.50 which is different from the framework used in preparation of financials of Holding company, during the process of consolidation accounting adjustment have not been made to align the accounts of company, the effect of which is not ascertainable.

c) We also draw attention to the following qualification to the audit opinion of the financial statements of Industrial Credit Company Limited, a subsidiary of holding company issued by an independent auditor ,M/s S S Kothari Mehta & Co, Chartered Accountants vide its report dated 23/04/2018 reproduced as under:

“We draw attention to note II(a)(1) of the financial statements with reference to a contingent liability of Rs. 1,16,04,928 and the fact that the Company has not undertaken any operations for past several years and has accumulated losses of Rs. 2,14,522. The net worth of the Company has fully eroded. As at 31<sup>st</sup> March, 2018, the current liabilities exceed its current assets by Rs. 3,99,713 and the company has incurred a loss of Rs. 2,14,522 during the year. These factors raise substantial doubt as to the Company’s ability to continue as going concern and therefore, may not be able to realize its assets and discharge its liabilities in the normal course of business. The financial statements do not include any adjustments relating to the recoverability and classification of recorded assets amounts and classification of liabilities that may be necessary if the Company is unable to continue as a going concern”.





2 पैरा 1 (ए) से 1 (सी) के समग्र प्रभाव और समेकित राजस्व खातों, समेकित लाभ और हानि खाते और संपत्ति, देनदारियों और रिजर्व और अधिशेष पर परिणामी प्रभाव 31 मार्च 2018 तक समेकित बैलेंस शीट में बताए गए हैं पता लगाने योग्य नहीं है।

### योग्य राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और अलग-अलग वित्तीय विवरणों और सहायक और सहयोगियों की अन्य जानकारी पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के विचारों के आधार पर, वर्णित मामलों के संभावित प्रभावों को छोड़कर उपरोक्त योग्य राय अनुच्छेद के लिए आधार, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण समय-समय पर संशोधित बीमा अधिनियम 1938, आईआरडीएआई विनियम, 2002 द्वारा आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं, साथ ही साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 इसलिए आवश्यक है कि समूह में समेकित राज्य के समूह, और उसके सहयोगियों को 31 मार्च, 2018 और उनके समेकित राजस्व खाते, समेकित लाभ और हानि के रूप में आम तौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दें। उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उनके समेकित नकदी प्रवाह।

### मामलों का जोर

हम वित्तीय विवरणों के नोट्स में निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकर्षित करते हैं:

- ए) कंपनी द्वारा समय-समय पर विभिन्न दावों को अस्वीकार कर दिया गया है। दावेदारों की इन निश्चित संख्याओं में से विभिन्न मंचों पर मुकदमा चला गया है। अगर इन मुकदमेबाजी के कारण वित्तीय विवरणों पर वित्तीय प्रभाव पड़ता है तो वित्तीय प्रभाव अनिश्चित रहता है।
- बी) पुनर्स्थापना बीमा प्रीमियम की राशि बकाया खाते पर किए गए दावों पर समान प्रभाव डालती है जिसके लिए क्वांटम अनिश्चित रहता है।
- सी) कंपनी ने माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के तहत प्रकटीकरण की आवश्यकताओं का पालन नहीं किया है। (नोट नंबर 41 देखें)

2 Overall impact of Para 1(a) to 1(c) and consequential effect on the consolidated Revenue Accounts, Consolidated Profit and Loss Account and the assets, liabilities and reserve and surplus as stated in the consolidated Balance sheet as at 31<sup>st</sup> March 2018 are not ascertainable.

### Qualified Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the considerations of reports of other auditors on separate financial statements and other information of subsidiary and associates, except for the possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, the aforesaid consolidated financial statements give the information required by The Insurance Act 1938, the IRDAI Regulations, 2002, as amended from time to time, as well as Section 133 of The Companies Act, 2013 in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the consolidated state of affairs of the Group, and its associates as at 31<sup>st</sup> March, 2018 and their Consolidated Revenue Account, consolidated profit and loss and their consolidated cash flows for the year ended on that date.

### Emphasis of Matters

We draw attention to the following matters in the Notes to the financial statements:

- a) Various claims have been repudiated by the company from time to time. Out of these certain numbers of claimants have gone into litigations at various forums. Financial impact if any, on the financial statements on account of these litigations remains indeterminate .
- b) Amount of reinstatement insurance premium remains unaccounted having corresponding effect on the claims incurred account for which quantum remains indeterminate.
- c) The company has not complied with the requirements of disclosure under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006. (Refer note no.41)







डी) कुछ गुणों के शीर्षक दस्तावेजों की अनुपलब्धता – (संख्या 21 देखें)

ई) अचल संपत्तियों सहित फिक्स्ड एसेट्स के रिकॉर्ड्स कुछ मामलों में आवश्यक नहीं हैं और / या बनाए रखा नहीं है।

एफ) कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली लेखा परीक्षा कवरेज और अनुपालन के क्षेत्रों में पर्याप्त मजबूती की आवश्यकता है।

जी) इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए वित्तीय वक्तव्यों में शामिल विदेशी शाखाओं और एजेंसियों के रिटर्न आमतौर पर संबंधित स्थानों / देशों में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के आधार पर संकलित किए जाते हैं। भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का अनुपालन इन विदेशी शाखाओं / एजेंसियों के संबंध में लंबित है, जिनके प्रभाव का पता नहीं लगाया गया है। इसके अलावा विदेशी शाखाओं के संबंध में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार आईआरडीएआई विनियमन 2002 के साथ पढ़ी जाने वाली जानकारी शामिल नहीं है।

एच) आरएसबीवाई के प्रीमियम प्राप्य प्रीमियम का गैर प्रावधान रु. 1957 लाख – (नोट नंबर 39 देखें)

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

### अन्य मामला

हमने वित्तीय सहायक विवरण / 1 सहायक और 2 सहयोगियों की जानकारी का लेखा परीक्षा नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी रुपये की कुल संपत्ति दर्शाती है। 4,33,664.53 लाख। 31 मार्च, 2018 को और कुल राजस्व रु. 76238 लाख, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना जाता है। समेकित वित्तीय विवरणों में समूह के शुद्ध लाभ रु. 186.79 लाख 31 मार्च, 201 को समाप्त वर्ष के लिए, समेकित वित्तीय विवरणों में माना जाता है, 2 सहयोगियों के संबंध में, जिनके वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी का हमारे द्वारा लेखा परीक्षा नहीं किया गया है। इन वित्तीय विवरणों / वित्तीय सूचनाओं का लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन और हमारे समेकित वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय द्वारा प्रस्तुत की गई है, जहां तक यह सहायक और संपत्ति के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, और सहयोगी,

d) Non availability of title documents of certain properties –(Refer No .21 )

e) Records of Fixed Assets including immovable properties are not complete and/or not maintained as required in certain cases.

f) The Internal Audit System of the company requires substantial strengthening in the areas of audit coverage and compliance.

g) The returns of foreign branches and agencies incorporated in the financial statements dealt with by this report are compiled based on the accounting principles generally accepted at the respective locations/countries. Compliance of Generally Accepted Accounting Principles in India is pending in respect of these foreign branches/agencies, effect of which has not been ascertained. Further the auditor's report in respect of foreign branches do not contain the information required to be stated in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 read with IRDAI Regulations 2002.

h) Non provisioning of premium receivable of RSBY amounting to Rs. 1957 Lakhs – (Refer Note no. 39)

Our opinion is not modified in respect of these matters.

### Other Matter

We did not audit the financial statements/information of 1 subsidiary and 2 associates, whose financial statement/financial information reflect total assets of Rs. 4,33,664.53 lakhs. as at 31st March, 2018 and total revenues of Rs. 76238 lakhs for the year ended on that date, as considered in the consolidated financial statements. The consolidated financial statements also include the Group's share of net profit/loss of Rs. 186.79 Lakhs for the year ended 31<sup>st</sup> march,2018 as considered in consolidated financial statements, in respect of 2 associates, whose financial statements/financial information have not been audited by us. These financial statements/financial information have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures, included in respect of subsidiary, and associates, and our report in





और अधिनियम की धारा 143 के उपधारा (3) और (11) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट, जहां तक यह उपर्युक्त सहायक और सहयोगियों से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है ये सीमा हमें दी गई थी।

योग्य राय अनुच्छेद के आधार पर बताए गए अनुसार, समेकित वित्तीय विवरणों और नीचे दी गई अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट के ऊपर हमारी राय, किए गए कार्यों पर निर्भरता के संबंध में उपर्युक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं है और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी।

### अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट करें

1. अधिनियम की धारा 143 के उपधारा (11) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी की गई कंपनियां (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ('ऑर्डर') होल्डिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है, बीमा कंपनी ने आदेश के पैरा 2 (ii) के प्रावधान के अनुसार और समेकित वित्तीय विवरणों पर लागू नहीं माना जाता है।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) और बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरणों की तैयारी और बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) विनियमन, 2002 के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
  - (ए) हमने योग्य राय के लिए बेसिस में वर्णित मामलों की मांग की है और छोड़कर उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है जो उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए हमारे ज्ञान और विश्वास के सर्वोत्तम थे।
  - (बी) उपरोक्त योग्य राय अनुच्छेद के लिए आधार में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित कानून द्वारा आवश्यक खाते की उचित किताबें अब तक हमारी परीक्षा से दिखाई देती हैं उन पुस्तकों और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट।
  - (सी) हमें प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई सहायक और सहयोगियों के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट हमारे द्वारा आवश्यक तरीके से इस रिपोर्ट की तैयारी में उचित तरीके से निपटाई गई है।
  - (डी) उपरोक्त योग्य राय अनुच्छेद के लिए बेसिस में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, समेकित बैलेंस

terms of sub-section (3) and (11) of section 143 of the Act, in so far as it relates to the aforesaid subsidiary, and associates, is based solely on the reports of the other auditors to the extent these were furnished to us.

Except as stated in the basis for qualified opinion paragraph, Our opinion above on the consolidated financial statements and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the financial statements/financial information certified by the Management.

### Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. The Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ('the Order'), issued by the Central government of India in terms of sub-section(11) of section 143 of the act does not apply to the holding Company, being an insurance company vide provision of para 2(ii) of the said order and same is considered not applicable to the consolidated financial statements.
2. As required by Section 143 (3) of the Companies Act, 2013 and the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002, we report that:
  - (a) We have sought and ***except for the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph*** obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit of the aforesaid consolidated financial statements.
  - (b) ***Except for the possible effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion Paragraph above***, In our opinion, proper books of account as required by law relating to aforesaid consolidated financial statements have been kept so far as it appears from our examination of those books and the reports of other auditors.
  - (c) The reports of auditors of subsidiary & associates as provided by management to us have been properly dealt by us in preparing this report in the manner considered necessary to us.
  - (d) ) ***Except for the possible effects of the matter***





शीट, समेकित लाभ और हानि, और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए समेकित कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रासंगिक के साथ अनुबंध में हैं समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से बनाए गए खाते की किताबें।

(ई) उपरोक्त योग्य राय अनुच्छेद के लिए आधार में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए गए हैं, बीमा नियामक और विकास अधिनियम, 1999 (1999 का 41) और कंपनी अधिनियम, 2013 लागू सीमा तक और इस तरह से आवश्यक तरीके से।

(एफ) योग्य राय के लिए बेसिस में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, कंपनी अधिनियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ें।

(जी) उपरोक्त योग्य राय अनुच्छेद के लिए बेसिस में वर्णित मामला, हमारी राय में, समूह के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

(एच) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग और ऐसे नियंत्रणों की ऑपरेटिंग प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में, 'अनुलग्नक ए' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

(आई) होल्डिंग कंपनी के संबंध में, 31 मार्च, 2018 को प्दावा किए गए दावों पर हस्ताक्षर किए गए लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए (आईबीएनआर) के संबंध में देनदारियों का वास्तविक मूल्यांकन, 'दावा किए गए लेकिन पर्याप्त रिपोर्ट नहीं' (आईबीएनईआर) और अन्य देनदारियों के संबंध में एमसीए द्वारा अधिसूचित एस-15 के अनुसार कर्मचारी लाभों का पता लगाने के उद्देश्य से कंपनी के नियुक्त अभ्यारण्य और सर्वोत्तम जानकारी के लिए विधिवत प्रमाणित किया गया है और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार इस तरह के मूल्यांकन के लिए उनके द्वारा विचार की गई धारणा है आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों और मानदंडों और आईआरडीएआई के साथ सहमति में भारत की एक्वायरियल सोसाइटी के साथ।

(जे) बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधानों और आईआरडीएआई द्वारा जारी नियमों, आदेशों और निर्देशों के अनुसार

*described in the Basis for Qualified Opinion Paragraph above*, The Consolidated Balance Sheet, The Consolidated profit and Loss, and the Consolidated Cash Flow Statements dealt with by this Report are in agreement with the relevant books of account maintained for the purpose of preparation of consolidated financial statements.

(e) *Except for the possible effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion Paragraph above*, In our opinion, the aforesaid consolidated financial statements have been prepared in accordance with the requirements of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), the Insurance Regulatory and Development Act, 1999 (41 of 1999) and the Companies Act, 2013 to the extent applicable and in the manner so required.

(f) *Except for the possible effects to the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, in our opinion, the aforesaid consolidated financial statements comply with Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014*

(g) *The matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, in our opinion, may have adverse effects on the functioning of the Group.*

(h) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure A".

(i) In respect of the holding company, the actuarial valuation of liabilities in respect of "Claims Incurred but not reported" (IBNR) including "Claims incurred but not enough reported" (IBNER) and other liabilities as at 31<sup>st</sup> March, 2018 as required for the purpose of ascertaining employee benefits in accordance with AS-15 notified by MCA are duly certified by the company's appointed actuary and to the best of information and according to the explanations given to us the assumption considered by him for such valuation is in accordance with the guidelines and norms prescribed by IRDAI and the Actuarial Society of India in concurrence with IRDAI.

(j) Investments have been valued in accordance with the provisions of Insurance Act, 1938 and the





निवेश का मूल्य निर्धारण किया गया है।

3. अन्य मामलों के संबंध में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षकों) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दी गई स्पष्टीकरण के अनुसार:
  - i. समेकित वित्तीय वक्तव्य ने समूह और उसके सहयोगियों की वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमे के प्रभाव का खुलासा किया – वित्तीय विवरणों के लिए नोट बी –1 (सी एवं ई) देखें।
  - ii. समूह में व्युत्पन्न अनुबंध सहित दीर्घकालिक अनुबंधों पर कोई भौतिक रूप से हानि नहीं हुई थी।
  - iii. होल्डिंग कंपनी, इसकी सहायक और भारत में शामिल अपनी सहयोगी कंपनियों द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी।

regulations, orders and directions issued by IRDAI in the regard.

3. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
  - i. The Consolidated financial statement disclosed the impact of pending litigations on its financial position of the Group & its associates– Refer Note B-1( c & e ) to the financial statements.
  - ii. The Group did not have any material foreseeable losses on long-term contracts including derivative contracts.
  - iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Holding Company, its subsidiary and its associate companies incorporated in India.

एस मान एंड कं. के लिए  
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स  
एफआर नं. 000075 एन  
For S. Mann & Co.  
Chartered Accountants  
FR No. 000075N

सीए सुभाष मान  
(साझेदार)  
(सदस्यता संख्या 080500)  
CA Subhash Mann  
(Partner)  
(Membership No. 080500)

हस्ताक्षर का स्थान: नई दिल्ली  
Place of Signature: New Delhi  
तिथि: 17/05/2018  
Date: 17/05/2018

एचके चौधरी एंड कंपनी के लिए  
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स  
एफआर संख्या 006154 एन  
For H.K.Chaudhry & Co.  
Chartered Accountants  
FR No. 006154N

सीए मनीष बावेजा  
(साझेदार)  
(सदस्यता संख्या 087384)  
CA Monish Baweja  
(Partner)  
(Membership No. 087384)





ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड  
वैधानिक को जारी निर्देशों के जवाब

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत लेखा परीक्षक

S. No.	निर्देश जारी किए गए	जबाब									
1.	क्या कंपनी के पास क्रमशः फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड के लिए स्पष्ट शीर्षक / पट्टा कार्य है। यदि नहीं, तो कृपया फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि का क्षेत्र बताएं जिसके लिए शीर्षक / पट्टा कार्य उपलब्ध नहीं हैं?	निम्नलिखित के अलावा कंपनी के पास फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड के लिए स्पष्ट शीर्षक / पट्टा दस्तावेज है।  <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>संख्या</th> <th>बुक वैल्यू</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>क) फ्रीहोल्ड संपत्ति -</td> <td>26</td> <td>₹. 591.32 लाख</td> </tr> <tr> <td>क) लीजहोल्ड संपत्ति-</td> <td>50</td> <td>₹. 95.72 लाख</td> </tr> </tbody> </table>		संख्या	बुक वैल्यू	क) फ्रीहोल्ड संपत्ति -	26	₹. 591.32 लाख	क) लीजहोल्ड संपत्ति-	50	₹. 95.72 लाख
	संख्या	बुक वैल्यू									
क) फ्रीहोल्ड संपत्ति -	26	₹. 591.32 लाख									
क) लीजहोल्ड संपत्ति-	50	₹. 95.72 लाख									
2.	कृपया रिपोर्ट करें कि ऋण / ऋण / ब्याज इत्यादि के छूट / लिखने के मामले हैं या नहीं। यदि हां, वहां के कारण और शामिल राशि।	ऋण / ऋण / ब्याज इत्यादि के छूट / लिखने के मामले निम्नानुसार हैं: - <b>अवधि ऋण:</b> रुपये के लिए छूट का 1 मामला है 1,20,990.00 डिबेंचर: शून्य <b>इक्विटी:</b> निवेश के 13 मामले पहले ही लिखे गए हैं। लेखांकन नीति संख्या 10.6 के अनुसार 15,82,91,939.15 <b>प्रक्रिया के कर्ता-धर्ता:</b> निवेश के 3 मामले पहले ही लिखे गए हैं। लेखांकन नीति संख्या के अनुसार 41,74,493.00। 10.6।									
3.	चाहे सरकार से उपहार के रूप में प्राप्त तृतीय पक्षों और संपत्तियों के साथ झूठ बोलने वाली सूची के लिए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा जाए। या अन्य अधिकारियों।	जैसा कि हमें सूचित किया गया है, कंपनी के पास तीसरे पक्ष और सरकार से उपहार के रूप में प्राप्त संपत्तियों के साथ कोई सूची नहीं है। या अन्य अधिकारियों को बचाओ जो केवल कंपनी के कब्जे में आयोजित है। इसलिए, किसी भी अलग सूची रिकॉर्ड बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।									

Annexure- A1

ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

Replies to the Directions issued to Statutory

Auditors under section 143(5) of the Companies Act, 2013 for the Financial Year 2017-18

S. No.	Directions Issued	Reply									
1.	Whether the Company has clear title/lease deeds for freehold and leasehold respectively. If not, please state the area of freehold and leasehold land for which title/lease deeds are not available?	The company has clear title/ lease deeds for freehold & leasehold property, except the following:  <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>No.s</th> <th>Book Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) Freehold Property -</td> <td>26</td> <td>Rs. 591.32 Lacs</td> </tr> <tr> <td>b) Leasehold Property -</td> <td>50</td> <td>Rs. 95.72 Lacs</td> </tr> </tbody> </table>		No.s	Book Value	a) Freehold Property -	26	Rs. 591.32 Lacs	b) Leasehold Property -	50	Rs. 95.72 Lacs
	No.s	Book Value									
a) Freehold Property -	26	Rs. 591.32 Lacs									
b) Leasehold Property -	50	Rs. 95.72 Lacs									
2.	Please report whether there are any cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. If yes, the reasons there for and the amount involved.	The cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. are as under:- <b>Term loan:</b> There is 1 case of waiver amounting to Rs. 1,20,990.00 <b>Debenture: NIL</b> <b>Equity :</b> There are 13 cases of investment already written off amounting to Rs. 15,82,91,939.15 as per accounting policy no. 10.6. <b>Preference Shares :</b> There are 3 cases of investment already written off amounting to Rs. 41,74,493.00 as per accounting policy no. 10.6.									
3.	Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties and assets received as gift from Govt. or other authorities.	As informed to us, the company does not have any inventory lying with third party and assets received as gift from Govt. or other authorities except salvage which is held in company's possession only. Therefore, there is no need for maintaining any separate inventory records.									







**ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड**

**वैधानिक को जारी निर्देशों के जवाब**

**वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत लेखा परीक्षक**

क्र.सं.	उप-निर्देश जारी किए गए	जवाब
1.	क्या कंपनी के पास भौतिक / डीमैट फॉर्म में उपलब्ध सीजीएस / एसजीएस / बॉन्ड / डिबेंचर इत्यादि के संबंध में स्वामित्व के शीर्षक हैं और इन मामलों में से जो कंपनी की खातों की किताबों में दिखाए गए संबंधित राशियों के साथ समझौते में नहीं हैं सत्यापित किया जा सकता है और पाया गया विसंगति उचित रूप से रिपोर्ट की जा सकती है।	इक्विटी और वरीयता शेयरों के संबंध में कंपनी की खातों और संरक्षक (एसएचसीआईएल) प्रमाण पत्र की किताबों में मतभेदों का उल्लेख किया गया है: ए) अतिरिक्त (कंपनी की किताबों में) – इक्विटी शेयर –30 मामले कुल मूल्य– 3935.95 वरीयता शेयर– 17 मामले कुल मूल्य– रु. 26.00 बी) लघु (कंपनी की किताबों में) – इक्विटी शेयर – 6 मामले कुल मूल्य– रु.1,77,926.07 वरीयता शेयर– 1 मामला कुल मूल्य– रु. 0 सीजीएस / एसजीएस / बॉन्ड / डिबेंचर इत्यादि के संबंध में कोई विसंगतियां नहीं देखी गईं।
2	क्या निवेश के सम्मान में स्टॉप लॉस सीमा निर्धारित की गई है- यदि हां, सीमा का पालन किया गया था या नहीं – यदि नहीं, विवरण दिया जा सकता है-	बोर्ड द्वारा अनुमोदित कंपनी की निवेश नीति में निवेश के संबंध में निर्धारित कोई स्टॉप लॉस सीमा नहीं है।
3.	क्या कंपनी ने अन्य पीएसयू बीमा कंपनियों के साथ अपने वित्तीय विवरणों में परिलक्षित इंटर-कंपनी शेषों के लिए सुलह अभ्यास किया है और क्या उनके द्वारा शेष राशि के लिए अन्य पीएसयू बीमा कंपनियों से पुष्टि प्राप्त की गई है।	हाँ पुष्टि की गई शेष राशि – भारत के सामान्य बीमा निगम रुपये 85, 05, 50, 522 / और (ड्रैड न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड- रुपये- 1 9 4, 32, 75, 75 9 / और (ड्रैड राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड- रुपये 67, 13, 05, 9 86 / और (ड्रैड यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रुपये 585, 07, 18, 280 / और () पुष्टिकरण शेष भारत के सामान्य बीमा निगम रुपये- 2 9 7, 78, 44, 357 / और () न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड- रुपये- 432, 70, 06, 206 / और ( ड्रैड राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड- रुपये 18, 04, 7 9, 485 / और ( सीआर-) यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रुपये 244, 65, 48, 004 / और ( सीआर-) बैलेंस पुष्टिकरण प्राप्त नहीं किया गया है
4(a).	यदि कंपनी प्रधान मंत्री फासल बीमा योजना में भाग ले रही है, तो यह कहा जा सकता है कि प्रीमियम और रिपोर्ट किए गए दावों के लेखांकन की विधि समझौते / योजना की शर्तों के अनुसार है।	हां, कंपनी प्रधान मंत्री फासल बीमा योजना में हिस्सा ले रही है और समझौते / योजना की शर्तों के अनुसार प्रीमियम और रिपोर्ट किए गए दावों के हिसाब से निर्देशों का पालन कर रही है।
4(b).	यदि कंपनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में भाग ले रही है, तो यह कहा जा सकता है कि प्रीमियम और रिपोर्ट किए गए दावों के लेखांकन की विधि समझौते / योजना की शर्तों के अनुसार है।	हां, कंपनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में भाग ले रही है और समझौते / योजना की शर्तों के अनुसार प्रीमियम और रिपोर्ट किए गए दावों के हिसाब से निर्देशों का पालन कर रही है।





**ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED**

**Replies to the Directions issued to Statutory**

**Auditors under section 143(5) of the Companies Act, 2013 for the Financial Year 2017-18**

S.No.	Sub-directions Issued	Reply
1.	Is the Company having number of titles of ownership in respect of CGS/SGS/Bonds/Debentures etc. available in physical/Demat form and out of these number of cases which are not in agreement with the respective amounts shown in the company's books of accounts may be verified and discrepancy found may be suitably reported.	Differences has been noted in the company's books of Accounts & the custodian's (SHCIL) certificate in respect of equity and preference shares which are as under: A) Excess (in company's books) – Equity shares-30 cases Total value- Rs.3935.95 Preference shares- 17 cases Total value- Rs. 26.00 B) Short(in company's books)- Equity Shares - 6 cases Total value- Rs. 1,77,926.07 Preference Shares- 1 case Total value- Rs. 0 No discrepancies were observed in respect of CGS/SGS/Bonds/Debentures etc.
2	Whether stop loss limits have been prescribed in Respect of the investments. If Yes, whether or not the limit was adhered to. If no, details may be given.	There is no stop loss limits prescribed in respect of the investments in the Investment Policy of the Company approved by the Board.
3.	Whether company has carried out reconciliation exercise for inter-company balances reflected in their financial statements with other PSU insurers and whether confirmation has been obtained from other PSU insurers for balances due from them.	YES <b>Confirmed balances</b> – General Insurance Corporation of India Rs. 85,05,50,522/- (Dr) New India Assurance Co Ltd. Rs. 194,32,75,759/-(Dr) National Insurance Co. Ltd. Rs. 67,13,05,986/-(Dr) United India Insurance Co. Ltd. Rs. 585,07,18,280/-(Dr) <b>Unconfirmed balances-</b> General Insurance Corporation of India Rs. 297,78,44,357/- (Dr) New India Assurance Co Ltd. Rs. 432,70,06,206/-(Dr) National Insurance Co. Ltd. Rs. 18,04,79,485/- (Cr.) United India Insurance Co. Ltd. Rs. 244,65,48,004/- (Cr.) Balance confirmation has not been obtained
4(a).	In case the company is taking part in Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, it may be stated whether method of accounting of premium and reported claims are as per the conditions of the agreement/scheme.	Yes, the company is taking part in Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana and following the instructions in accounting of premium and reported claims as per conditions of the agreement/ scheme.
4(b).	In case the company is taking part in Rashtriya Swasthya Bima Yojana , it may be stated whether method of accounting of premium and reported claims are as per the conditions of the agreement/scheme.	Yes, the company is taking part in Rashtriya Swasthya Bima Yojana and following the instructions in accounting of premium and reported claims as per conditions of the agreement/ scheme.





## अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ए -25 / 27, असफ अली रोड, दिल्ली - 110002 के खातों के लेखापरीक्षा का आयोजन किया है, जिसमें भारत के सीएंडजी द्वारा जारी दिशा-निर्देश / उप-निर्देशों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) और प्रमाणित करें कि हमने हमें जारी सभी दिशा-निर्देश / उप-निर्देशों का पालन किया है।

**एस मान एंड कं. के लिए**

चार्टर्ड अकाउंटेंट  
एफआरएन नं. 000075एन

**सीए सुभाष मान**

पार्टनर  
सदस्यता संख्या 080500

हस्ताक्षर का स्थान: नई दिल्ली  
रिपोर्ट की तिथि: 17 मई, 2018

**एचके चौधरी एंड कं. के लिए**

चार्टर्ड अकाउंटेंट  
एफआरएन नं. 006154एन

**सीए मोनीश बावेजा**

पार्टनर  
सदस्यता संख्या 087384

## Compliance Certificate

We have conducted the audit of accounts of **The Oriental Insurance Company Limited, A-25/27, Asaf Ali Road, Delhi – 110002** for the year ended **31 March 2018** in accordance with the directions/sub-directions issued by the C&AG of India under Section 143(5) of the Companies Act, 2013 and certify that we have complied with all the Directions/Sub-directions issued to us.

**For S. MANN & CO.**  
Chartered Accountants  
FRN NO. 000075N

**CA SUBHASH MANN**  
Partner  
Membership No. 080500

Place of Signature: New Delhi  
Date of Report: 17<sup>th</sup> May, 2018

**For H.K.CHAUDHRY & CO.**  
Chartered Accountants  
FRN NO. 006154N

**CA MONISH BAWEJA**  
Partner  
Membership No. 087384





## स्वतंत्र ऑडिटर की रिपोर्ट के लिए अनुबंध-बी

### कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के उपधारा 3 के खंड (प) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट करें

हमने उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के साथ 31 मार्च, 2017 तक ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षा किया है। इन वित्तीय विवरणों में हमारे द्वारा ऑडिट किए गए हेड ऑफिस का रिटर्न, 31 क्षेत्रीय कार्यालय, 1 ओएसटीसी, 351 डिव। 975 बिजनेस सेंटर, 49 9 शाखाएं, 1 विदेशी शाखा और 2 विदेशी एजेंसियों सहित कार्यालय, सभी अपने संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित। प्रबंधन और पुनर्मिलन संधि द्वारा विधिवत प्रमाणित एक विदेशी रन ऑफ एजेंसी लेखा नीति संख्या 5 (बी) और 6.1.ए में दर्शाए गए हद तक प्राप्त होती है।

### आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करता है, जो कि वित्तीय रिपोर्टिंग द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ६। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और रख-रखाव शामिल हैं जो कंपनी के नीतियों का पालन करने, अपनी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान सहित अपने व्यापार के व्यवस्थित और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से परिचालन कर रहे थे, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी।

### लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करें। हमने आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के

## ANNEXURE-B TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

### Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013

We have audited the internal financial controls over financial reporting of The Oriental Insurance Company Limited as of March 31, 2017 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Company for the year ended on that date. In these financial statements are the returns of Head Office audited by us, 31 Regional Offices, 1 OSTC, 351 Div. Offices including 975 Business Centres, 499 Branches, 1 Foreign Branch and 2 Foreign agencies, all audited by their respective Auditors. One Foreign Run off agency duly certified by the Management and reinsurance treaty returns to the extent received as indicated in Accounting Policy No. 5(B) and 6.1.a.

### Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the "Institute of Chartered Accountants of India". These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

### Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit





तहत निर्धारित सीमा तक लागू मानदंडों पर निर्धारित वित्तीय वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा का आयोजन किया। आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा के लिए, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा के लिए लागू होते हैं, और दोनों चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए जाते हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और योजना का पालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गए हैं और बनाए रखा गया है और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक सम्मानों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी ऑपरेटिंग प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ, भौतिक कमजोरी के जोखिम का आकलन करने और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और ऑपरेटिंग प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षकों के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों के भौतिक गलतफहमी के जोखिमों का आकलन शामिल है।

कुछ कपअ से संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट। कार्यालयों और विदेशी कार्यालयों अर्थात नेपाल, दुबई, कुवैत और कतर शाखाएं प्राप्त नहीं हुई हैं और क्योंकि हमारी समीक्षा के लिए यह उपलब्ध नहीं था और इसलिए इन कार्यालयों से संबंधित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण इस रिपोर्ट में नहीं माना गया है और इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती।

जैसा ऊपर बताया गया है, रिपोर्टों की अनुपलब्धता के संभावित प्रभाव को छोड़कर, हम मानते हैं कि हमने प्राप्त लेखापरीक्षा सबूत वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के आधार के लिए पर्याप्त और उचित है।

### वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

***Report of branch auditors relating to few Div. Offices's and foreign offices i.e. Nepal, Dubai, Kuwait and Qatar Branches have not been received and as such was not available for our review and therefore the internal controls over financial reporting relating to these offices have not been considered in this report and cannot be commented upon.***

Except for the possible effect of non-availability of reports as stated above, we believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

### Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial







वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और वित्तीय तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई एक प्रक्रिया है।

आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए बयान। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं में शामिल हैं

- (1) रिकॉर्ड्स के रखरखाव के लिए सुनिश्चित करें कि, उचित विस्तार से, कंपनी की संपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से प्रतिबिंबित करें;
- (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेनदेन आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, और वह रसीदें और

कंपनी के व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा

- (3) कंपनी के परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या स्वभाव की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें जो वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकता है।

### वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं की वजह से, नियंत्रण की अनुचित या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलतफहमी हो सकती है और पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में बदलावों के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकता है

### क्वालिफाइड राय

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर, निम्नलिखित सामग्री कमजोरियों की पहचान 31 मार्च, 2017 को की गई है:

reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial

statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that

- (1) Pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company;
- (2) Provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and

Expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and

- (3) Provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

### Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

### Qualified Opinion

According to the information and explanations given to us and based on our audit, the following material weaknesses have been identified as at March 31, 2017:





- ए) कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को निश्चित रूप से फिक्स्ड एसेट्स, अज्ञात बैंक प्रविष्टियों की रिकॉर्डिंग और कंपनी को कार्यालयों में सूचित दावों की रिकॉर्डिंग के क्षेत्र में विशेष रूप से मजबूत करने की आवश्यकता है।
- बी) सह बीमाकर्ताओं, पुनर्विक्रेताओं, दलालों, बैंक खातों, अंतर कार्यालय खातों और अन्य नियंत्रण खातों से संबंधित विभिन्न शेषों की पुष्टि और सुलह लंबित हैं और सुलह / समायोजन के विभिन्न चरणों में हैं।
- सी) पार्टी के अनुसार विवरणों की उपलब्धता और पुनर्वित्त प्राप्तियां / देय राशि की उम्र बढ़ने के संबंध में अपर्याप्त नियंत्रण मनाए जाते हैं;
- डी) विदेशी शाखा (नेपाल) में संपत्ति के मामले में आंकड़ों के प्रवासन के साथ-साथ मूल लागत की अनुपलब्धता में शामिल असंगतताएं शामिल हैं।
- ई) लेखांकन सॉफ्टवेयर की दक्षता, पुस्तकों के रखरखाव और पुनर्वित्त लेखा विभाग के बीच समन्वय के संबंध में अपर्याप्त नियंत्रण मनाया जाता है। और पुनर्वित्त संधि विभाग।

एक श्मौतिक कमजोरी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में कमी की कमी है, या कमियों का संयोजन है, जैसे कि उचित संभावना है कि कंपनी के वित्तीय विवरण की भौतिक गलत स्थिति को समय-समय पर रोका या पता नहीं लगाया जाएगा।

हमारी राय में, नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों की उपलब्धि पर ऊपर वर्णित सामग्री कमजोरी के संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने सभी भौतिक सम्मानों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और वित्तीय पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा है संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2017 तक रिपोर्टिंग प्रभावी ढंग से परिचालन कर रही थी। भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स।

- a) *The company's internal control system requires strengthening specially in area of recording of Fixed Assets, unidentified Bank entries and recording of intimated claims at the offices to the company.*
- b) *Confirmation and reconciliation of various balances relating to co insurers, reinsurers, brokers, bank accounts, inter office accounts and other control accounts are pending and are in various stages of reconciliation/adjustments.;*
- c) *Inadequate controls are observed with regards to non availability of party wise details and ageing of Reinsurance receivables/payables ;*
- d) *Inconsistencies involved in the migration of data as well as non-availability of original cost in case of assets at Foreign Branch (Nepal).*
- e) *Inadequate controls are observed with regards to efficiency of accounting software, maintenance of books and coordination between Reinsurance Accounts Deptt. and Reinsurance Treaty Deptt.*

*A 'material weakness' is a deficiency, or a combination of deficiencies, in internal financial control over financial reporting, such that there is a reasonable possibility that a material misstatement of the company's financial statement will not be prevented or detected on a timely basis.*

In our opinion, except for the possible effects of the material weakness described above on the achievement of the objectives of the control criteria, the Company has maintained, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as of March 31, 2017, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by The Institute of Chartered Accountants of India.





## अन्य मामले

हमने कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल 90 बिजनेस सेंटर, 503 शाखाएं, 2 विदेशी शाखाएं, और 2 विदेशी एजेंसियों सहित 31 क्षेत्रीय कार्यालयों, 1 ओएसटीसी, 355 डिवीजनल कार्यालयों के वित्तीय विवरण / जानकारी का लेखा परीक्षा नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी 3353 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति को दर्शाती है। 31 मार्च, 2017 को और कुल राजस्व रु। 11117 करोड़ उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में माना जाता है। इन शाखाओं और कार्यालयों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शाखा लेखा परीक्षकों (कुछ डिवीजनल कार्यालय, एक विदेशी कार्यालय और दो विदेशी एजेंसियों को छोड़कर) द्वारा लेखा परीक्षित किया गया है, जिनकी रिपोर्ट हमें दी गई है, और हमारी राय अब तक इन शाखाओं और कार्यालयों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित, पूरी तरह से इस तरह के शाखा लेखा परीक्षकों और कार्यालयों की रिपोर्ट पर आधारित है।

एस मान एंड कं. के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
For S. MANN & CO.  
Chartered Accountants

सीए सुभाष मान  
साझेदार  
मेम्बरशिप नं. 080500  
CA SUBHASH MANN  
Partner  
M.No. 080500  
Place: New Delhi  
Dated : 17.05.2018

## Other Matter

We did not audit the financial statements/information of 31 Regional Offices, 1 OSTC, 355 Divisional Offices including 990 business centers, 503 Branches, 2 foreign branches, and 2 foreign agencies, included in the standalone financial statements of the Company whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs. 3353 Crs. as at 31st March, 2017 and total revenues of Rs. 11117 Crs. for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. The internal financial controls over financial reporting of these branches and offices have been audited by the branch auditors (except Few Divisional Office, one Foreign Office and Two Foreign Agencies), whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the internal financial controls in respect of these branches and offices, is based solely on the report of such branch auditors and offices.

एचके चौधरी एंड कं. के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
एफआरएन नं. 000075एन  
For H.K.CHAUDHRY & CO.  
Chartered Accountants  
FRN NO. 000075N

सीए मोनीश बावेजा  
साझेदार  
मेम्बरशिप नं. 087384  
CA MONISH BAWEJA  
Partner  
M.No. 087384





## 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए द ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों के सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (बीमा कम्पनियों के वित्तीय विवरण तथा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तैयार किया जाना) विनियम, 2002 तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसरण में तैयार किया जाना कम्पनी के प्रबन्धन की जिम्मेदारी है। भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(4) के साथ पठित धारा 139(5) के तहत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अन्तर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा सम्बन्धी मानकों के अनुसरण में स्वतन्त्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के अन्तर्गत वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा दिनांक 17 मई, 2018 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट द्वारा किया गया है।

मैंने, भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(क) के तहत 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। हमने, द इण्डस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेड और हैल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इण्डिया लिमिटेड के उसी तारीख को समाप्त वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 139(5) और 143(6)(ख) इण्डिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस पीटीई लिमिटेड पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति अथवा अनुपूरक लेखापरीक्षा के संचालन के लिए सम्बन्धित कानूनों के तहत लागू नहीं होते हैं, क्योंकि यह वहाँ लागू कानूनों के तहत विदेश में निगमित एक प्राइवेट कम्पनी है। तदनुसार, भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक ने न तो इस कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की है और न ही इस कम्पनी की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के दस्तावेजों तक पहुँच के बगैर स्वतन्त्र रूप से की गई है और यह मुख्यतः लेखापरीक्षकों की जाँच तथा कम्पनी के कार्मिकों और कुछ लेखा रिकॉर्डों की चुनिन्दा परीक्षण तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातों को उजागर करना चाहूँगा जो मेरे संज्ञान में आई हैं और जो वित्तीय विवरणों और सम्बन्धित लेखा परीक्षा रिपोर्ट को बेहतर समझने के लिए मेरे विचार में आवश्यक है।





## क) वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

### क.1 तुलन पत्र

निवेश— रु. 3173.90 करोड़ (अनुसूची 8)

शेयरधारकों के निवेश— रुपये 294.57 करोड़ (अनुसूची 8)

पॉलिसी धारकों के निवेश— रु. 20979.3 करोड़ (अनुसूची 8 ए)

उचित मूल्य परिवर्तन खाता:

पॉलिसीधारक— रु. 7837.52 करोड़

शेयरधारक —रु. 819.85 करोड़

(क) आईआरडीए दिनांक 4 अप्रैल 2016 के परिपत्र और निवेश विनियम, 2016 को शेयरधारकों के फंड और पॉलिसीधारकों के फंडों के साथ-साथ बैलेंस शीट तिथि पर इन फंडों से निवेश की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, 12 जनवरी 2017 के परिपत्र के माध्यम से आईआरडीए ने शेयरधारकों के फंड और पॉलिसीधारकों के फंडों के पृथक्करण को दोहराया।

कंपनी ने शेयरधारकों के फंड और पॉलिसीधारकों के फंड से किए गए निवेश को बांट दिया है। हालांकि, यह क्लोजिंग बैलेंस के बजाय शेयरधारकों के फंड और पॉलिसीधारकों के फंड के घटकों के बैलेंस खोलने के आधार पर गलत तरीके से किया गया था। नतीजतन, शेयरधारकों के निवेश और पॉलिसीधारकों के निवेश को 4845.66 करोड़ रुपये और 18318.24 करोड़ रुपये की बजाय क्रमशः 2194.57 करोड़ रुपये और रु. 20979.334 करोड़ पृथक कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप 2,651.09 करोड़ रुपये की पॉलिसीधारकों के निवेश में बढ़ोतरी और शेयरधारकों के निवेश में कमी की गई है।

(ख) शेयरधारकों के फंड और पॉलिसीधारकों के फंडों के पृथक्करण की उपरोक्त आवश्यकता के अलावा, आईआरडीए ने पॉलिसीधारकों के फंड और शेयरधारकों के फंड के तहत फेयर वैल्यू चेंज (एफवीसी) खाते को विभाजित करने का भी निर्देश दिया। नतीजतन, शेयरधारकों के फंड और पॉलिसीधारकों के फंड को 1810.25 करोड़ रुपये और 6847.12 करोड़ रुपये के बजाय क्रमशः 819.85 करोड़ रुपये और 7837.52 करोड़ रुपये में बांटा गया था। इसके परिणामस्वरूप 990.40 करोड़ रुपये की पॉलिसीधारकों के निवेश में बढ़ोतरी और शेयरधारकों के निवेश में कमी की गई है।

कृते तथा की ओर से  
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

ह./—

(नंदना मुंशी)

वाणिज्यिक लेखापरीक्षा निदेशक  
और पदेन सदस्य लेखापरीक्षक बोर्ड—II  
नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली  
तिथि: 25.07.2018







## क) वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

### क.1 तुलन पत्र

निवेश— रु. 3173.90 करोड़ (अनुसूची 8)  
 शेयरधारकों के निवेश— रुपये 294.57 करोड़ (अनुसूची 8)  
 पॉलिसी धारकों के निवेश— रु. 20979.3 करोड़ (अनुसूची 8 ए)  
 उचित मूल्य परिवर्तन खाता:  
 पॉलिसीधारक— रु. 7837.52 करोड़  
 शेयरधारक —रु. 819.85 करोड़

(क) आईआरडीए दिनांक 4 अप्रैल 2016 के परिपत्र और निवेश विनियम, 2016 को शेयरधारकों के फंड और पॉलिसीधारकों के फंडों के साथ-साथ बैलेंस शीट तिथि पर इन फंडों से निवेश की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, 12 जनवरी 2017 के परिपत्र के माध्यम से आईआरडीए ने शेयरधारकों के फंड और पॉलिसीधारकों के फंडों के पृथक्करण को दोहराया।

कंपनी ने शेयरधारकों के फंड और पॉलिसीधारकों के फंड से किए गए निवेश को बांट दिया है। हालांकि, यह क्लोजिंग बैलेंस के बजाय शेयरधारकों के फंड और पॉलिसीधारकों के फंड के घटकों के बैलेंस खोलने के आधार पर गलत तरीके से किया गया था। नतीजतन, शेयरधारकों के निवेश और पॉलिसीधारकों के निवेश को 4845.66 करोड़ रुपये और 18318.24 करोड़ रुपये की बजाय क्रमशः 2194.57 करोड़ रुपये और रु. 20979.334 करोड़ पृथक कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप 2,651.09 करोड़ रुपये की पॉलिसीधारकों के निवेश में बढ़ोतरी और शेयरधारकों के निवेश में कमी की गई है।

(ख) शेयरधारकों के फंड और पॉलिसीधारकों के फंडों के पृथक्करण की उपरोक्त आवश्यकता के अलावा, आईआरडीए ने पॉलिसीधारकों के फंड और शेयरधारकों के फंड के तहत फेयर वैल्यू चेंज (एफवीसी) खाते को विभाजित करने का भी निर्देश दिया। नतीजतन, शेयरधारकों के फंड और पॉलिसीधारकों के फंड को 1810.25 करोड़ रुपये और 6847.12 करोड़ रुपये के बजाय क्रमशः 819.85 करोड़ रुपये और 7837.52 करोड़ रुपये में बांटा गया था। इसके परिणामस्वरूप 990.40 करोड़ रुपये की पॉलिसीधारकों के निवेश में बढ़ोतरी और शेयरधारकों के निवेश में कमी की गई है।

#### प्रबंधन उत्तर क.1 (क) और (ख):

परिपत्र दिनांक 12.01.2017 ने शेयरधारकों के फंड और पॉलिसीधारकों के फंडों के बीच निवेश के पृथक्करण को दोहराया लेकिन परिपत्र दिनांक 04.04.2016 में 'बैलेंस शीट तिथि के रूप में' शब्दों को हटाने सहित संशोधन किया। इसलिए कंपनी ने पॉलिसीधारकों और शेयरधारकों के निवेश और उचित मूल्य परिवर्तन खाते को पॉलिसीधारकों और शेयरधारकों कोष के प्रारंभिक बैलेंस पर गणना अनुपात के आधार पर जारी रखा, जो पिछले कई सालों से चलन में था।

हालांकि, कंपनी ने सीएजी लेखा परीक्षा को आश्वासन दिया है कि शेयरधारकों और पॉलिसीधारकों के बीच निवेश संपत्तियों और फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट का आवंटन प्रत्येक तिमाही के अंत में दोनों फंडों के समापन संतुलन पर गणना अनुपात के आधार पर किया जाएगा।





**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143 (6) (b) READ WITH SECTION 129 (4) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2018**

The preparation of Consolidated Financial Statements of The Oriental Insurance Company Limited for the year ended 31 March 2018 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Insurance Act, 1938 read with the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 and the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) read with section 129(4) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 read with section 129(4) of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 17 May 2018.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 143(6)(a) read with section 129(4) of the Act of the Consolidated Financial Statements of The Oriental Insurance Company Limited for the year ended 31 March 2018. We conducted supplementary audit of Financial Statements of The Oriental Insurance Company Limited, The Industrial Credit Company Limited (subsidiary) and Health Insurance TPA of India Limited (associate) for the year ended on that date. Further, section 139(5) and 143(6)(b) of the Act are not applicable to India International Insurance Pte Limited (associate) being private entity incorporated in foreign country under the respective laws, for appointment of their Statutory Auditor and for conduct of supplementary audit. Accordingly, C&AG has neither appointed the Statutory Auditor nor conducted the supplementary audit of this company. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(b) read with section 129(4) of the Act which have come to my





attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related Audit Report:

**A. Comments on Financial Position**

**A.1. Balance sheet**

Investments-Rs.23173.90 crore (Schedule 8)  
 Shareholders' investments-Rs.2194.57 crore (Schedule 8)  
 Policyholders' investments-Rs.20979.33 crore (Schedule 8A)  
 Fair Value Change Account  
 Policyholders -Rs.7837.52 crore  
 Shareholders -Rs. 819.85 crore

- (a) IRDA vide circular dated 4 April 2016 and Investments Regulations, 2016 required segregation of Shareholders' Funds and Policyholders' Funds as well as investments made from these funds on the balance sheet date. Further, IRDA vide circular dated 12 January 2017 reiterated the segregation of Shareholders' Funds and Policyholders' Funds.

The Company has bifurcated the Investments made out of Shareholders' fund and Policyholders' fund. However, the same was incorrectly done on the basis of opening balances of components of Shareholders' fund and Policyholders' fund instead of on the closing balances. Consequently, Shareholders' Investments and Policyholders' Investments were bifurcated at Rs.2194.57 crore and Rs.20979.33 crore instead of Rs.4845.66 crore and Rs.18328.24 crore respectively. This has resulted in overstatement of Policyholders' Investments and understatement of Shareholders' Investments by Rs.2651.09 crore.

- (b) In addition to above requirement of segregation of Shareholders' Funds and Policyholders' Funds, IRDA also directed to bifurcate the Fair Value Change (FVC) Account under the Policyholders' Funds and Shareholders' Funds. Consequently, Shareholders' Funds and Policyholders' Funds were bifurcated at Rs.819.85 crore and Rs.7837.52 crore instead of Rs.1810.25 crore and Rs.6847.12 crore respectively. This has resulted in overstatement of Policyholders' Funds and understatement of Shareholders' Funds by Rs.990.40 crore.

**For and on the behalf of the  
 Comptroller & Auditor General of India**

sd/-

**(Nandana Munshi)  
 Director General of Commercial Audit  
 & Ex-officio Member, Audit Board – II,  
 New Delhi**

**Place: New Delhi  
 Date: 25.07.2018**





**A. Comments on Financial Position**

**A.1 Balance Sheet**

**Investments –Rs. 23173.90 crore (Schedule 8)**

**Shareholders’ Investments -Rs. 2194.57 crore (Schedule 8)**

**Policyholders’ investments -Rs. 20979.33 crore (Schedule 8A)**

**Fair Value Change Account**

**Policyholders -Rs. 7837.52 crore**

**Shareholders -Rs. 819.85 crore**

- (a) IRDA vide circular dated 4 April 2016 and Investments Regulations, 2016 required segregation of Shareholders Funds and Policyholders’ Funds as well as investments made from these funds on the balance sheet date. Further, IRDA vide circular dated 12 January, 2017 reiterated the segregation of Shareholders Funds and policyholders’ funds.

The Company has bifurcated the investments made out of shareholders’ fund and Policyholders’ fund. However, the same was incorrectly done on the basis of opening balances of components of Shareholders’ funds and Policyholders’ funds instead of on the closing balances. Consequently, shareholders investments and Policyholders’ Investments were bifurcated at Rs. 2194.57 crore and 20979.33 crore instead of Rs. 4845.66 crore and 18328.24 crore respectively. This has resulted in overstatements by Rs. 2651.09 crore.

- (b) In addition to above requirement of segregation of shareholders’ funds and policyholders’ funds, IRDA also directed to bifurcate the fair value Change (FVC) account under the Policyholders’ Funds. Consequently, Shareholders’ funds and Policyholders’ funds were bifurcated at Rs. 819.85 crore and Rs. 7837.52 crore instead of Rs. 1810.25 crore and Rs. 6847.12 crore respectively. This has resulted in overstatement of policyholders’ funds and understatement of Shareholders’ Funds by Rs. 990.40 crore.

**MANAGEMENT REPLY A.1 (a) and (b):**

The circular dt. 12.01.2017 reiterated the segregation of Investments between Shareholders’ Funds and Policyholders’ Funds but had made amendment to the circular dt. 04.04.2016 including removing the words “As on Balance Sheet Date”. The company therefore continued bifurcating the Policyholders and Shareholders Investments and Fair Value Change Account on the basis of ratios calculated on the opening balance of Policyholders and Shareholders Fund, which had been the practice for past several years.

However, company has assured the CAG audit that allocation of Investment assets and Fair Value Change account between shareholders and policyholders funds will be done on the basis of ratios calculated on closing balance of both funds at the end of each quarter, henceforth.





**बीमाकर्ता का नाम: ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड**  
**पंजीकरण क्रमांक 556 और दिनांक 25.02.2014**  
**31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित अग्नि बीमा राजस्व खाता**  
**THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED**  
**REGISTRATION NO. 556 AND DATE 25.02.2014**  
**CONSOLIDATED FIRE INSURANCE REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED**  
**31ST MARCH 2018**

(₹. '000) (Rs. '000)

विवरण	Particulars	अनुसूची Schedule	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.18	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.17
1. अर्जित प्रीमियम (नेट)	1. Premium earned (Net)	1	5903810	6103896
2. निवेश की बिक्री/मोचन पर लाभ / हानि	2. Profit/Loss on sale/redemption of Investments		1399943	802492
3. अन्य - विनिमय पर लाभ / (हानि)	3. Others - Profit/(Loss) on exchange		1899	(1297)
4. ब्याज, लाभांश और किराया - सकल	4. Interest, Dividend & Rent - Gross		917177	823137
<b>कुल (ए)</b>	<b>Total (A)</b>		<b>8222829</b>	<b>7728228</b>
1. दावा किया गया दावा (नेट)	1. Claims Incurred (Net)	2	5095663	5554334
2. कमीशन	2. Commission	3	960705	686956
3. बीमा कारोबार से संबंधित परिचालन व्यय	3. Operating Expenses related to Insurance Business	4	2040155	2594539
4. व्हीमते	4. Others			
ए) मानक संपत्ति / एनपीए के लिए प्रावधान	a) Provision for Standard Assets/NPA		(7154)	(3267)
बी) शेयरों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	b) Provision for Diminution in Value of Shares		(1297)	24
सी) अमूर्त खर्च	c) Amortization Expenses		19213	10476
डी) निवेश लिखित बंद (नेट)	d) Investment Written Off (Net)		10515	3686
ई) प्रीमियम की कमी	e) Premium deficiency		0	0
<b>कुल (बी)</b>	<b>Total (B)</b>		<b>8117800</b>	<b>8846748</b>
अग्नि व्यापार से ऑपरेटिंग लाभ / (हानि) सी = (ए - बी)	Operating Profit/(Loss) from fire business C = (A - B)		105029	(1118520)
विनियोग	Appropriations			
शेयरधारकों के खाते में स्थानांतरण	Transfer to shareholders' Account		105029	(1118520)
आपदा रिजर्व में स्थानांतरण	Transfer to Catastrophe Reserve		NIL	NIL
सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण	Transfer to General Reserve		NIL	NIL
<b>कुल (सी)</b>	<b>Total (C)</b>		<b>105029</b>	<b>(1118520)</b>

उपरोक्त अनुसूची बैलेंस शीट के अभिन्न अंग के रूप में संदर्भित है

The Schedules referred to above form integral part of the Balance Sheet

एस. मान एंड कंपनी के लिए  
 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
 एफआरएन नं. 000075एन  
 For S. MANN & CO.  
 Chartered Accountants  
 FRN NO. 000075N

एच.के. चौधरी एंड कंपनी के लिए  
 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
 एफआरएन नं. 006154एन  
 For H.K. CHAUDHRY & CO.  
 Chartered Accountants  
 FRN NO. 006154N

ए वी गिरिजाकुमार  
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
 A.V. GIRIJAKUMAR  
 Chairman-cum-Managing Director

सीए सुभाष मान  
 साझेदार  
 एम.नं. 080500  
 CA SUBHASH MANN  
 Partner  
 M.No. 080500

सीए मनीष बावेजा  
 साझेदार  
 एम. नं. 087384  
 CA MONISH BAWEJA  
 Partner  
 M. No. 087384

बलवंत सिंह  
 निदेशक और महाप्रबंधक  
 BALWANT SINGH  
 Director & General Manager

अटुल जेरथ  
 महाप्रबंधक और वित्तीय सलाहकार  
 ATUL JERATH  
 General Manager & Financial Advisor

रश्मि बाजपेयी  
 कंपनी सचिव  
 एम. नं. एफसीएस 8799  
 RASHMI BAJPAI  
 Company Secretary  
 M.No. FCS 8799

अजय गुप्ता  
 मुख्य वित्तीय अधिकारी  
 AJAY GUPTA  
 Chief Financial Officer

स्थान: नई दिल्ली  
 Place: New Delhi  
 दिनांकित: 17.05.2018  
 Dated : 17.05.2018







ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

पंजीकरण क्रमांक 556 और दिनांक 25.02.2014

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए मानसून बीमा राशि जारी की गई

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

REGISTRATION NO. 556 AND DATE 25.02.2014

CONSOLIDATED MARINE INSURANCE REVENUE ACCOUNT FOR YEAR ENDED 31ST MARCH 2018

(₹. '000) (Rs. '000)

विवरण	Particulars	अनुसूची Schedule	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.18	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.17
1. अर्जित प्रीमियम (नेट)	1. Premium earned (Net)	1	2301536	2470270
2. निवेश / विक्री पर लाभ / हानि पर लाभ / हानि	2. Profit/Loss on sale/redemption of Investments		547369	335433
3. अन्य - विनिमय पर लाभ / (हानि)	3. Others - Profit/(Loss) on exchange		1408	(4738)
4. ब्याज, लाभांश और किराया - सकल	4. Interest, Dividend & Rent - Gross		358611	344062
कुल (ए)	Total (A)		3208924	3145027
1. दावा किया गया दावा (नेट)	1. Claims Incurred (Net)	2	1609051	2099635
2. कमीशन	2. Commission	3	215142	246349
3. बीमा कारोबार से संबंधित परिचालन व्यय	3. Operating Expenses related to Insurance Business	4	295331	416748
4. अन्य	4. Others			
ए) मानक संपत्ति / एनपीए के लिए प्रावधान	a) Provision for Standard Assets/NPA		(2797)	(1366)
बी) शेयरों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	b) Provision for Diminution in Value of Shares		(507)	10
सी) अमूर्त खर्च	c) Amortization Expenses		7512	4379
डी) निवेश लिखित बंद (नेट)	d) Investment Written Off (Net)		4111	1541
ई) प्रीमियम की कमी	e) Premium deficiency		(43947)	43947
कुल (बी)	Total (B)		2083896	2811243
मरीन व्यापार से परिचालन लाभ / (हानि) सी = (ए - बी)	Operating Profit/(Loss) from Marine business C = (A - B)		1125028	333784
वित्तियोग	Appropriations			
शेयरधारकों के खाते में स्थानांतरण	Transfer to shareholders' Account		1125028	333784
आपदा रिजर्व में स्थानांतरण	Transfer to Catastrophe Reserve		NIL	NIL
अन्य भंडार में स्थानांतरित करें	Transfer to other reserves		NIL	NIL
कुल (सी)	Total (C)		1125028	333784

उपरोक्त अनुसूची बैलेंस शीट के अभिन्न अंग के रूप में संदर्भित है

The Schedules referred to above form integral part of the Balance Sheet

एस मान एंड कं. के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
एफआरएन नं. 000075एन  
For S. MANN & CO.  
Chartered Accountants  
FRN NO. 000075N

एच.के. चौधरी एंड कं. के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
एफआरएन नं. 006154एन  
For H.K.CHAUDHRY & CO.  
Chartered Accountants  
FRN NO. 006154

ए. वी. गिरिजाकुमार  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
A.V. Girijakumar  
Chairman-cum-Managing Director

सीए सुभाष मान  
साझेदार  
मेम्बरशिप नं. 080500  
CA SUBHASH MANN  
Partner  
M.No. 080500

सीए मोनीश बावेजा  
साझेदार  
मेम्बरशिप नं. 087384  
CA MONISH BAWEJA  
Partner  
M.No. 087384

बलवंत सिंह  
निदेशक एवं महाप्रबंधक  
BALWANT SINGH  
Director & General Manager

स्थान: नई दिल्ली  
दिनांक: 17.05.2018  
Place: New Delhi  
Dated : 17.05.2018

अतुल जेरथ  
महाप्रबंधक और वित्तीय सलाहकार  
ATUL JERATH  
General Manager & Financial Advisor

रश्मि बाजपेयी  
कंपनी सचिव  
सदस्यता नं. एफसीएस 8799  
RASHMI BAJPAI  
Company Secretary  
M.No. FCS 8799

सीए अजय गुप्ता  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
CA Ajay Gupta  
Chief Financial Officer





ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

पंजीकरण क्रमांक 556 और दिनांक 25.02.2014

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए अनिवार्य बीमा राशि जारी करने के लिए कंसोलिडेटेड खाता

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED  
REGISTRATION NO. 556 AND DATE 25.02.2014

CONSOLIDATED MISCELLANEOUS INSURANCE REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR  
ENDED 31ST MARCH 2018

(₹. '000) (Rs. '000)

विवरण	Particulars	अनुसूची Schedule	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.18	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.17
1. अर्जित प्रीमियम (नेट)	1. Premium earned (Net)	1	88074718	75258479
2. निवेश की बिक्री/कमी पर लाभ/हानि	2. Profit/Loss on sale/redemption of Investments		16226331	8173343
3. अन्य - विनिमय पर लाभ / (हानि)	3. Others - Profit/(Loss) on exchange		23686	19586
4. ब्याज, लाभांश और किराया - सकल	4. Interest, Dividend & Rent - Gross		10630732	8383612
				0
<b>कुल (ए)</b>	<b>Total (A)</b>		<b>114955467</b>	<b>91835020</b>
1. दावा किया गया दावा (नेट)	1. Claims Incurred (Net)	2	75507423	86327048
2. कमीशन	2. Commission	3	5196171	4069243
3. बीमा कारोबार से संबंधित परिचालन व्यय	3. Operating Expenses related to Insurance Business	4	23758840	24544159
4. अन्य	4. Others			
ए) मानक संपत्ति / एनपीए के लिए प्रावधान	a) Provision for Standard Assets/NPA		(82923)	(33278)
बी) शेयरों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	b) Provision for Diminution in Value of Shares		(15035)	245
सी) अमूर्त खर्च	c) Amortization Expenses		222689	106701
डी) निवेश लिखित बंद (नेट)	d) Investment Written Off (Net)		121880	37542
ई) प्रीमियम की कमी	e) Premium deficiency		0	0
<b>कुल (बी)</b>	<b>Total (B)</b>		<b>104709046</b>	<b>115051659</b>
विविध व्यवसाय से परिचालन लाभ / (हानि) सी = (ए - बी)	Operating Profit/(Loss) from miscellaneous business C = (A - B)		10246421	(23216639)
विनियोग	Appropriations			
शेयरधारकों के खाते में स्थानांतरण	Transfer to shareholders' Account		10246421	(23216639)
आपदा रिजर्व में स्थानांतरण	Transfer to Catastrophe Reserve		NIL	NIL
अन्य भंडार में स्थानांतरित	Transfer to other reserves		NIL	NIL
<b>कुल (सी)</b>	<b>Total (C)</b>		<b>10246421</b>	<b>(23216639)</b>

उपरोक्त अनुसूची बैलेंस शीट के अभिन्न अंग के रूप में संदर्भित है

The Schedules referred to above form integral part of the Balance Sheet

एस मान एंड कं. के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
एफआरएन नं. 000075एन  
For S. MANN & CO.  
Chartered Accountants  
FRN NO. 000075N

एच.के. चौधरी एंड कं. के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
एफआरएन नं. 006154एन  
For H.K. CHAUDHRY & CO.  
Chartered Accountants  
FRN NO. 006154

ए. वी. गिरिजाकुमार  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
A.V. Girijakumar  
Chairman-cum-Managing Director

सीए सुभाष मान  
साझेदार  
मेम्बरशिप नं. 080500  
CA SUBHASH MANN  
Partner  
M.No. 080500

सीए मोनीश बावेजा  
साझेदार  
मेम्बरशिप नं. 087384  
CA MONISH BAWEJA  
Partner  
M.No. 087384

बलवंत सिंह  
निदेशक एवं महाप्रबंधक  
BALWANT SINGH  
Director & General Manager

स्थान: नई दिल्ली  
दिनांक: 17.05.2018  
Place: New Delhi  
Dated : 17.05.2018

अतुल जेराथ  
महाप्रबंधक और वित्तीय सलाहकार  
ATUL JERATH  
General Manager & Financial Advisor

रश्मि बाजपेयी  
कंपनी सचिव  
सदस्यता नं. एफसीएस 8799  
RASHMI BAJPAI  
Company Secretary  
M.No. FCS 8799

सीए अजय गुप्ता  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
CA Ajay Gupta  
Chief Financial Officer





बीमाकर्ता का नाम: ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

पंजीकरण क्रमांक 556 और दिनांक 25.02.2014

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि खाता

NAME OF INSURER: THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

REGISTRATION NO. 556 AND DATE 25.02.2014

CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2018

(₹. '000) (Rs. '000)

S.No.	विवरण	Particulars	Year Ended 31.03.18	Year Ended 31.03.17
1	ऑपरेटिंग लाभ / (नुकसान)	OPERATING PROFIT /(LOSS)		
	(ए) अग्नि बीमा	(a) Fire Insurance	105029	(1118520)
	(बी) मरीन बीमा	(b) Marine Insurance	1125028	333784
	(सी) विविध बीमा	(c) Miscellaneous Insurance	10246422	(23216639)
2	निवेश से आय	INCOME FROM INVESTMENTS		
	(ए) ब्याज, लाभांश और किराया - सकल	(a) Interest, Dividend & Rent - Gross	1246158	2304922
	(बी) निवेश पर बिक्री / रिडेम्पशन पर लाभ	(b) Profit on sale/redemption of investment	1902086	2247112
	घटाएँ: निवेश की बिक्री/कमी पर नुकसान	Less: Loss on sale/redemption of investment	0	0
3	अन्य आय	OTHER INCOME		
	निश्चित संपत्तियों की बिक्री पर लाभ / (हानि)	Profit/(Loss) on sale of fixed assets	(24064)	(17380)
	विविध आय	Miscellaneous Income	38566	56707
	पुराना / दावा न किए गए बैलेंस लिखित बैक	Old/Unclaimed Balance Written Back	45152	55424
	एक्सचेंज लाभ / (हानि)	Exchange Gain/(Loss)	(26089)	(34524)
	आयकर रिफंड पर ब्याज	Interest on income-tax refunds	984904	812059
	कुल (ए)	<b>TOTAL (A)</b>	<b>15643192</b>	<b>(18577055)</b>
4	प्रावधान (कराधान के अलावा)	PROVISIONS (Other than taxation)		
	(ए) निवेश के मूल्य में कमी के लिए	(a) For diminution in the value of investments	(1762)	67
	(बी) बुरे और संदिग्ध ऋण/निवेश के लिए	(b) For bad and doubtful debts/Investment	46992	563403
	(सी) अमूर्त खर्च	(c) Amortisation Expenses	26104	29335
5	अन्य खर्चे	OTHER EXPENSES		
	ए) बीमा कारोबार से संबंधित अन्य के अलावा व्यय	a) Expenses other than those relating to Insurance Business	0	0
	बी) पुराने / अपरिवर्तनीय शेष राशि लिखी गई	b) Old/Irrecoverable balances written off	2070	115
	सी) मानक संपत्ति / एनपीए पर प्रावधान	c) Provision on Standard Assets/NPA	(9720)	(9149)
	डी) निवेश (नेट)	d) Investments written off (Net)	14287	10322
	ई) सीएसआर व्यय	e) CSR Expendiure	66874	40699
	एफ) आयकर / सेवा कर भुगतान पर ब्याज	f) Interest on income-tax/service tax paid	16656	5451
	जी) स्वीकार्य सीमाओं पर ईओएम की अतिरिक्त	g) Excess of EoM over allowable limits	835575	656953
	एच) जोड़ें / (घटाएँ): पहले अवधि आय	h) Add/(Less): Prior Period Income	3170	(2679)
	आई) जोड़ें / (घटाएँ): पहले अवधि व्यय	i) Add/(Less): Prior Period Expenses	820079	21001
	कुल (बी)	<b>TOTAL (B)</b>	<b>1820325</b>	<b>1315518</b>
	कर देने से पूर्व लाभ	Profit Before Tax	13822867	(19892573)
	जोड़ें/(घटाएँ): फ्रिंग लाभ कर के लिए प्रावधान	Add/(Less): Provision for Fringe Benefit Tax	0	0
	जोड़ें/(घटाएँ): कराधान के लिए प्रावधान - वर्तमान वर्ष	Add/(Less): Provision for taxation - Current Year	(2480000)	0
	जोड़ें/(घटाएँ): स्थगित कराधान के लिए प्रावधान	Add/(Less): Provision for Deferred Taxation	0	0
	जोड़ें/(घटाएँ): पिछले वर्षों के संबंध में कर के लिए प्रावधान	Add/(Less): Provision for tax in respect of earlier years	3756051	2981579
	कर के बाद लाभ लेकिन सहयोगियों के लाभ के साझा करने से पहले (डी)	Profit after Tax but before Share of profit of associates (D)	15098917	(16910994)





S.No.	विवरण	Particulars	Year Ended 31.03.18	Year Ended 31.03.17
	जोड़ें: सहयोगी और सहायक कंपनी के लाभ / (हानि) का हिस्सा	Add: Share of Profit/(Loss) of associates & subsidiary	(18679)	184092
	कटौतों के बाद शुद्ध लाभ और सहयोगियों के पद अधिग्रहण लाभ का हिस्सा	Net Profit after Taxation and share of post acquisition profit of associates	15080238	(16726902)
	विनियोग	APPROPRIATIONS		
	(ए) वर्ष की शुरुआत में संतुलन	(a) Balance at the beginning of the year	0	0
	(बी) वर्ष के दौरान भुगतान अंतरिम लाभांश	(b) Interim dividends paid during the year	0	0
	(सी) प्रस्तावित अंतिम लाभांश	(c) Proposed final dividend	0	0
	(डी) लाभांश वितरण कर	(d) Dividend distribution tax	0	0
	(ई) रिजर्व / अन्य खातों में स्थानांतरण:	(e) Transfer to reserves/ other accounts:		
	(i) सामान्य भंडार	(i) General Reserves	0	0
	(ii) अप्रत्याशित जोखिमों के लिए आकस्मिक रिजर्व	(ii) Contingency Reserve for Unexpired Risks	0	0
	लाभ / हानि का संतुलन पिछले साल से आगे लाया गया	Balance of profit/loss brought forward from last year	0	0
	शेष राशि बैलेंस शीट में आगे बढ़ी	Balance carried forward to Balance Sheet	15080238	(16726902)
	रूपये में बेसिक / पतला कमाई प्रति शेयर (ईपीएस) ₹।	Basic/Diluted Earning Per Share (EPS) in Rs.	75.40	(83.63)

उपरोक्त अनुसूची बैलेंस शीट के अभिन्न अंग के रूप में संदर्भित है

The Schedules referred to above form integral part of the Balance Sheet

एस मान एंड कं. के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
एफआरएन नं. 000075एन  
For S. MANN & CO.  
Chartered Accountants  
FRN NO. 000075N

एच.के. चौधरी एंड कं. के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
एफआरएन नं. 006154एन  
For H.K.CHAUDHRY & CO.  
Chartered Accountants  
FRN NO. 006154

ए. वी. गिरिजाकुमार  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
A.V. Girijakumar  
Chairman-cum-Managing Director

सीए सुभाष मान  
साझेदार  
मेम्बरशिप नं. 080500  
CA SUBHASH MANN  
Partner  
M.No. 080500

सीए मोनीश बावेजा  
साझेदार  
मेम्बरशिप नं. 087384  
CA MONISH BAWEJA  
Partner  
M.No. 087384

बलवंत सिंह  
निदेशक एवं महाप्रबंधक  
BALWANT SINGH  
Director & General Manager

स्थान: नई दिल्ली  
दिनांक: 17.05.2018  
Place: New Delhi  
Dated : 17.05.2018

अतुल जेरथ  
महाप्रबंधक और वित्तीय सलाहकार  
ATUL JERATH  
General Manager & Financial Advisor

रश्मि बाजपेयी  
कंपनी सचिव  
सदस्यता नं. एफसीएस 8799  
RASHMI BAJPAI  
Company Secretary  
M.No. FCS 8799

सीए अजय गुप्ता  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
CA Ajay Gupta  
Chief Financial Officer





ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड  
पंजीकरण क्रमांक 556 और दिनांक 25.02.2014  
31 मार्च 2018 को समेकित बैलेंस शीट

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED  
REGISTRATION NO. 556 AND DATE 25.02.2014  
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31 MARCH 2018

(₹. '000) (Rs. '000)

ब्यौरा	PARTICULARS	Schedule	As at 31.03.2018 को	As at 31.03.2017 को
निधियों का स्रोत	SOURCES OF FUNDS			
निधियों का स्रोत	SOURCES OF FUNDS	5	2000000	2000000
आरक्षण और सर्पिल	RESERVES AND SURPLUS	6	33268856	17953379
विलम्बित टैक्स देयता	Deferred Tax Liability		0	0
उचित मूल्य परिवर्तन खाता	FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT			
पॉलिसीधारकों	POLICYHOLDERS		78375205	93515734
शेयरधारकों	SHAREHOLDERS		8198533	9782326
उधारें	BORROWINGS	7	0	0
कुल	<b>TOTAL</b>		<b>121842595</b>	<b>123251439</b>
फंडों का उपयोग	APPLICATION OF FUNDS			
निवेश	INVESTMENTS	8	231739050	231507624
ऋण	LOANS	9	1453961	1496960
अचल संपत्तियां	FIXED ASSETS	10	2157844	1961925
प्रगति में पूंजीगत कार्य	Capital Work In Progress	10	2906622	2336350
आस्थगित कर परिसंपत्ति	Deferred Tax Assets		0	0
वर्तमान संपत्ति:	CURRENT ASSETS:			
नकद और बैंक शेष	Cash and Bank Balances	11	22642351	23566410
अग्रिम और अन्य संपत्तियां	Advances and Other Assets	12	42643139	36238836
उप-कुल (ए)	Sub-Total (A)		65285490	59805246
वर्तमान देनदारियां	CURRENT LIABILITIES	13	120811403	120091219
प्रावधान	PROVISIONS	14	60888969	56888643
उप-कुल (बी)	Sub-Total (B)		181700372	176979862
नेट वर्तमान संपत्ति = (ए-बी)	NET CURRENT ASSETS = (A-B)		-116414882	-117174616
विविध व्यय	MISCELLANEOUS EXPENDITURE			
(जिस हद तक लिखित या समायोजित नहीं किया गया है)	(to the extent not written off or adjusted)	15	0	3123197
लाभ और हानि खाते में जमा राशि	DEBIT BALANCE IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT		0	0
कुल	<b>TOTAL</b>		<b>121842595</b>	<b>123251439</b>

उपरोक्त अनुसूची बैलेंस शीट के अभिन्न अंग के रूप में संदर्भित है

The Schedules referred to above form integral part of the Balance Sheet

एस मान एंड कं. के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
एफआरएन नं. 000075एन  
For S. MANN & CO.  
Chartered Accountants  
FRN NO. 000075N

एच.के. चौधरी एंड कं. के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
एफआरएन नं. 006154एन  
For H.K.CHAUDHRY & CO.  
Chartered Accountants  
FRN NO. 006154

ए. वी. गिरिजाकुमार  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
A.V. Girijakumar  
Chairman-cum-Managing Director

सीए सुभाष मान  
साझेदार  
मेम्बरशिप नं. 080500  
CA SUBHASH MANN  
Partner  
M.No. 080500

सीए मोनीश बावेजा  
साझेदार  
मेम्बरशिप नं. 087384  
CA MONISH BAWEJA  
Partner  
M.No. 087384

बलवंत सिंह  
निदेशक एवं महाप्रबंधक  
BALWANT SINGH  
Director & General Manager

स्थान: नई दिल्ली  
दिनांक: 17.05.2018  
Place: New Delhi  
Dated : 17.05.2018

अतुल जेरथ  
महाप्रबंधक और वित्तीय सलाहकार  
ATUL JERATH  
General Manager & Financial Advisor

रश्मि बाजपेयी  
कंपनी सचिव  
सदस्यता नं. एफसीएस 8799  
RASHMI BAJPAI  
Company Secretary  
M.No. FCS 8799

सीए अजय गुप्ता  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
CA Ajay Gupta  
Chief Financial Officer







ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड  
अनुसूची 1

31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित प्रीमियम अर्जित (नेट)  
THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED  
SCHEDULE -1

CONSOLIDATED PREMIUM EARNED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2018

(₹. '000) (Rs. '000)

विवरण	Particulars	मरीन/MARINE						विविध/MISCELLANEOUS				ग्रैंड टोटल			
		अग्नि/FIRE Year Ended 31.03.2018	Year Ended 31.03.2017	मरीन/MARINE Year Ended 31.03.2018	मरीन कर्गो Marine Cargo	मरीन हल Marine Hull	कुल TOTAL	Year Ended 31.03.2017	मरीन हल Marine Hull	कुल TOTAL	कुल TOTAL	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2018	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2017	ग्रैंड टोटल	
														समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2018	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2017
प्रत्यक्ष व्यापार से प्रीमियम	Premium from direct business	9966243	10428854	2130683	1015731	3146414	2251730	1688005	3939735	104255728	117568385	96801618	111170207		
तोड़ें: पुनर्बीमा पर प्रीमियम स्वीकार किया गया	Add: Premium on reinsurance accepted	1744311	1607917	16677	44231	60908	10451	91037	101488	1773658	3578877	2048743	3758148		
घटाएँ: पुनर्बीमा पर प्रीमियम बमकमक	Less: Premium on reinsurance ceded	5866688	6073017	381496	655140	1036636	342636	1320211	1662847	13761678	20665002	14968635	22704499		
नेट प्रीमियम	Net Premium	5843866	5963754	1765864	404822	2170686	1919545	458831	2378376	92267708	100282260	83881726	92223856		
अप्रत्याक्षित जोखिम के लिए आरक्षित में परिवर्तन के लिए समायोजन	Adjustment for changes in reserve for unexpired risk.	-59944	-140142	-76841	-54009	-130850	-87876	-4018	-91894	4192990	4002196	8623247	8391211		
कुल प्रीमियम अर्जित (नेट)	Total Premium Earned (Net)	5903810	6103896	1842705	458831	2301536	2007421	462849	2470270	88074718	96280064	75258479	83832645		
भारत में व्यापार से प्रीमियम आय	Premium Income from business effected In India	5090646	5239262	1556022	389268	1945290	1702285	430806	2133091	90380529	97416465	81673349	89045702		
भारत के बाहर नेट प्रीमियम	Outside India	753220	724492	209842	15554	225396	217260	28025	245285	1887179	2865795	2208377	3178154		
	Net Premium	5843866	5963754	1765864	404822	2170686	1919545	458831	2378376	92267708	100282260	83881726	92223856		





ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड  
31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित प्रीमियम प्रीमियम (एनईडी) समेकित  
THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED  
CONSOLIDATED MISCELLANEOUS PREMIUM EARNED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2018

(₹. '000) (Rs. '000)

विवरण	Particulars	MOTOR						कुल TOTAL	टीपी डीआर TP D.R. POOL	कुल TOTAL	
		समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2018		समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2017		ओडी/OD	टीपी- नोन पूल TP - Non Pool				टीपी पूल TP POOL
		ओडी/OD	टीपी- नोन पूल TP - Non Pool	ओडी/OD	टीपी- नोन पूल TP - Non Pool						
सीधे व्यापार से प्रीमियम	Premium from direct business written	16684930	28282598	0	0	44967528	15611289	23681945	0	39293234	
जोड़ें: पुनर्बीमा पर प्रीमियम स्वीकार	Add: Premium on reinsurance accepted	9130	276	0	0	9406	4073	98	0	236401	
घटाएँ: पुनर्बीमा पर प्रीमियम बमकाक	Less: Premium on reinsurance ceded	867878	1482867	0	0	2350745	801234	1255512	0	97992	
नेट प्रीमियम	Net Premium	15826182	26800007	0	0	42626189	14814128	22426531	0	138409	
में बदलाव के लिए समायोजन	Adjustment for changes in										
अप्रत्याशित जोखिम के लिए आरक्षित।	reserve for unexpired risk.	506027	2186738	0	-69205	2623560	740708	2272907	0	-138363	
कुल प्रीमियम अर्जित (नेट)	Total Premium Eamed (Net)	15320155	24613269	0	69205	40002629	14073420	20153624	0	276772	
व्यापार से प्रीमियम आय प्रभावित	Premium Income from business effected										
भारत में	In India	14673238	26646391	0	0	41319629	13509348	21960650	0	138409	
भारत के बाहर	Outside India	1152944	153616	0	0	1306560	1304780	465881	0	1770661	
नेट प्रीमियम	Net Premium	15826182	26800007	0	0	42626189	14814128	22426531	0	138409	

विवरण	Particulars	इंजीनियरिंग/ENGINEERING		विमानन/AVIATION		कार्मिक भ्रष्टाचार/WORKMEN'S COMPENSATION		निजी दुर्घटना PERSONAL/ACCIDENT	
		समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2018		समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2017		समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2018		समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2017	
		समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2018	समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2017	समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2018	समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2017	समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2018	समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2017	समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2018	समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2017
प्रत्यक्ष व्यापार से प्रीमियम	Premium from direct business written	2321128	2911278	881188	897953	613756	704731	5596105	5268987
जोड़ें: पुनर्बीमा पर प्रीमियम स्वीकार किया गया	Add: Premium on reinsurance accepted	420515	314886	232833	211436	50	52	1209	11850
घटाएँ: पुनर्वितरण पर प्रीमियम बमकाक	Less: Premium on reinsurance ceded	713698	1164050	887689	912646	29087	34511	576093	1016377
नेट प्रीमियम	Net Premium	2027945	2062114	226332	196743	584719	670272	5021221	4264460
में बदलाव के लिए समायोजन	Adjustment for changes in								
अप्रत्याशित जोखिम के लिए आरक्षित	reserve for unexpired risk.	-17085	-258837	14795	3954	-42777	-43912	378381	1381232
कुल प्रीमियम अर्जित (नेट)	Total Premium Eamed (Net)	2045030	2320951	211537	192789	627496	714184	4642840	2883228
व्यापार से प्रीमियम आय प्रभावित	Premium Income from business effected								
भारत में	In India	1891115	1967387	52607	58368	546143	627113	5006138	4235398
भारत के बाहर	Outside India	136830	94727	173725	138375	38576	43159	15083	29062
नेट प्रीमियम	Net Premium	2027945	2062114	226332	196743	584719	670272	5021221	4264460





ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित प्रीमियम प्रीमियम (एनईडी) समेकित

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

CONSOLIDATED MISCELLANEOUS PREMIUM EARNED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2018

(₹. '000) (Rs. '000)

विवरण	Particulars		स्वास्थ्य/HEALTH		खर्च/LIABILITY		अन्य विविध/OTHER MISC.		कुल/TOTAL	
	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2018	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2017	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2018	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2017	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2018	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2017	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2018	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2017	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2018	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2017
प्रत्यक्ष व्यापार से प्रीमियम	36084440	33233925	727765	705399	13063818	13786111	104255728	96801618		
जोड़े: पुनर्बीमा पर प्रीमियम स्वीकार किया गया	1936	0	60635	59670	1047074	1210277	1773658	2048743		
घटाएँ: पुनर्बीमा पर प्रीमियम	1934840	1660673	221817	206814	7047709	7818826	13761678	14968635		
सुपुर्दगी										
नेट प्रीमियम	34151536	31573252	566583	558255	7063183	7177562	92267708	83881726		
में बदलाव के लिए समायोजन										
अप्रत्याशित जोखिम के लिए	1289142	3360151	4164	42381	-57190	1263027	4192990	8623247		
आरक्षित										
कुल प्रीमियम अर्जित (नेट)	32862394	28213101	562419	515874	7120373	5914535	88074718	75258479		
व्यापार से प्रीमियम आय										
आयत में	34034942	31557995	520752	515249	7009203	7103432	90380529	81673349		
आयत के बाहर	116594	15257	45831	43006	53980	74130	1887179	2208377		
नेट प्रीमियम	34151536	31573252	566583	558255	7063183	7177562	92267708	83881726		





ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड  
अनुसूची - 2

31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित दावों (एनईटी)

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

SCHEDULE - 2

CONSOLIDATED CLAIMS INCURRED (NET) FOR YEAR ENDED 31.03.2018

(₹. '000) (Rs. '000)

विवरण	Particulars	अग्नि/FIRE		समीन/MARINE			विविध MISCELLANEOUS		कुल गैंग GRAND TOTAL	
		समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2018	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2017	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2018	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2017	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2018	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2017	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2018	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2017	
दावों का भुगतान	Claims Paid									
प्रत्यक्ष	Direct	6548949	7134368	1417379	1164993	1331755	790570	84803247	88518466	93934568
जोड़ें: पुनर्बीमा स्वीकृत	Add: Reinsurance Accepted	1192588	930542	7658	65107	-67	126261	694107	2155429	1959460
घटायें: पुनर्बीमा संसाधित	Less: Reinsurance Ceded	3564296	4228542	198188	638998	-27975	624101	12749506	7632925	17150988
शुद्ध दावों का भुगतान	Net Claims paid	4177241	3836368	1226849	591102	1359663	292730	72747849	63040970	78743041
जोड़ें: चतुर्थ वर्ष के अंत में बकाया राका	ADD: Claims Outstanding at the end of Current Year									
प्रत्यक्ष	Direct	17661145	17662844	1257171	5756962	1524341	6419577	119161032	105184949	143836310
जोड़ें: पुनर्बीमा स्वीकृत	Add: Reinsurance Accepted	2449647	2051369	6178	921656	49282	647568	2865281	2912527	6298302
घटायें: पुनर्बीमा संसाधित	Less: Reinsurance Ceded	10906801	11428644	310612	4908896	350829	5303040	30609931	19440668	46736240
शुद्ध दावा बकाया वर्तमान वर्ष	Net Claims Outstanding at the end of Current Year	9203991	8285569	1008277	1769722	1222794	1764105	91416382	88656807	103398372
घटायें: पिछला साल अंत में बकाया राका	LESS: Claims Outstanding at the end of Prev. Year									
प्रत्यक्ष	Direct	17662844	17644696	1524341	6419577	1710329	5592460	105184949	78500918	130791711
जोड़ें: पुनर्बीमा स्वीकृत	Add: Reinsurance Accepted	2051369	2106275	49282	647568	53991	525904	2912527	2379490	5660746
घटायें: पुनर्बीमा संसाधित	Less: Reinsurance Ceded	11428644	13183368	350829	5303040	444674	4898353	19440668	15509680	34036075
फिरके साल बकाया शुद्ध दावा	Net Claims Outstanding as at the end of the Previous Year	8285569	6567603	1222794	1764105	1319646	1220011	88656808	65370728	99929276
शुद्ध दावा किया गया	Net Claims Incurred									
प्रत्यक्ष	Direct	6547250	7152516	1150209	502378	1145767	1617687	98779329	95202496	106979166
जोड़ें: पुनर्बीमा स्वीकृत कट किया	Add: Reinsurance accepted	1590866	875636	20094	339195	-4776	247925	646861	2688465	2597016
घटायें: पुनर्बीमा संसाधित	Less: Reinsurance Ceded	3042453	2473818	157971	244854	-121820	1028788	23918768	11563914	27364046
कुल दावों में शामिल	NET CLAIMS INCURRED	5095663	5554334	1012332	596719	1262811	836824	75507423	86327048	82212137
दावेदारों को भुगतान दावा	Claims paid to claimants									
भारत में	In India	3351316	3282349	1172716	584085	1312059	239899	70842158	61104657	75950275
भारत के बाहर	Outside India	825925	554019	54133	7017	47604	52831	1905691	1936313	2792766
कुल दावा भुगतान किया गया	NET CLAIMS PAID	4177241	3836368	1226849	591102	1359663	292730	72747849	63040970	78743041









31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए दावा (नेट)  
CLAIMS INCURRED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2018

(₹. '000) (Rs. '000)

विवरण	PARTICULARS	कार्मिक भुगतान WORKMEN'S COMPENSATION		विमानन AVIATION		निजी दुर्घटना PERSONAL ACCIDENT		स्वास्थ्य HEALTH	
		समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2018	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2017	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2018	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2017	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2018	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2017	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2018	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2017
दावों का भुगतान	Claims Paid								
प्रत्यक्ष	Direct	199487	176815	1053200	1263343	7988258	2127725	35749764	35062145
जोड़ें: पुनर्बीमा स्वीकृत	Add: Reinsurance Accepted	0	0	259352	209669	1715	2491	0	0
घटावें: पुनर्बीमा सुपूर्दगी	Less: Reinsurance Ceded	12359	12773	1013351	1251158	2257526	1124581	1783050	1762605
शुद्ध दावों का भुगतान	Net Claims paid	187129	164042	299202	221854	5732448	1005635	33966714	33299540
जोड़ें: वारु वर्ष के अंत में बकाया दावा	ADD: Claims Outstanding at the end of Current Year								
प्रत्यक्ष	Direct	392588	377507	1194171	1389577	3340485	3147991	7177989	4764495
जोड़ें: पुनर्बीमा स्वीकृत	Add: Reinsurance Accepted	0	0	370743	275894	83	7817	31	16
घटावें: पुनर्बीमा सुपूर्दगी	Less: Reinsurance Ceded	23485	22278	1145818	1255582	488060	1000564	347740	243057
शुद्ध दावा बकाया वर्तमान वर्ष	Net Claims Outstanding Current Year	369103	355230	419096	409888	2852509	2155244	6830280	4521454
घटावें: पिछला अंत में बकाया दावा। सार	LESS: Claims Outstanding at the end of Prev. Year								
प्रत्यक्ष	Direct	377507	308268	1389577	1268190	3147991	922534	4764495	3616441
जोड़ें: पुनर्बीमा स्वीकृत	Add: Reinsurance Accepted	0	9143	275894	382468	7817	6266	16	16
घटावें: पुनर्बीमा सुपूर्दगी	Less: Reinsurance Ceded	22278	14039	1255582	1245128	1000564	176623	243057	150814
मिलने सारल बकाया शुद्ध दावा	Net Claims Outstanding Previous Year	355230	303373	409888	405531	2155245	752178	4521454	3465644
शुद्ध दावा किया गया	Net Claims Incurred								
प्रत्यक्ष	Direct	214568	246054	857795	1384729	8180752	4353182	38163259	36210199
जोड़ें: पुनर्बीमा स्वीकार कर लिया	Add: Reinsurance accepted	0	-9143	354201	103094	-6018	4041	15	0
घटावें: पुनर्बीमा संसाधित	Less: Reinsurance Ceded	13565	21012	903586	1261612	1745021	1948522	1887733	1854849
कुल दावों में शामिल	TOTAL CLAIMS INCURRED	201002	215899	308409	226211	6429712	2408702	36275541	34355350
दावेदारों को भुगतान दावा भारत में	Claims paid to claimants In India	183139	156638	121663	143476	5728649	998054	33936417	33286405
भारत के बाहर	Outside India	3990	7403	177539	78377	3799	7582	30297	13135
कुल दावा भुगतान	Total Claims Paid	187129	164042	299202	221854	5732448	1005635	33966714	33299540





31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए दावा (एनईटी)  
CLAIMS INCURRED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2018

(₹. '000) (Rs. '000)

विवरण	PARTICULARS		LIABILITY		OTHER MISCELLANEOUS		कुल TOTAL	
	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2018	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2017	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2018	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2017	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2018	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2017	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2018	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2017
दावों का भुगतान								
प्रत्यक्ष	141577	45658	1425646	1227234	8497460	6498461	119161032	105184949
जोड़ें: पुनर्बीमा स्वीकृत	0	0	5160	8372	1481411	1371280	2865281	2912527
घटावें: पुनर्बीमा सुपुर्नी	88209	11829	1037426	975396	4741856	3577728	30609931	19440668
शुद्ध दावों का भुगतान	53367	33830	292056	254841	5237015	4292013	91416382	88656808
जोड़ें: चालू वर्ष के अंत में बकाया दावा								
ADD: Claims Outstanding at the end of Current Year								
प्रत्यक्ष	1324321	1425646			8497460	6498461	119161032	105184949
जोड़ें: पुनर्बीमा स्वीकृत	5160	8372			1481411	1371280	2865281	2912527
घटावें: पुनर्बीमा सुपुर्नी	1037426	975396			4741856	3577728	30609931	19440668
शुद्ध दावा बकाया वर्तमान वर्ष	292056	254841			5237015	4292013	91416382	88656808
घटावें: पिछला अंत में बकाया दावा। साल								
LESS: Claims Outstanding at the end of Prev. Year								
प्रत्यक्ष	1425646	1227234			6498461	2786032	105184949	78500918
जोड़ें: पुनर्बीमा स्वीकृत	8372	3003			1371280	931793	2912527	2379490
घटावें: पुनर्बीमा सुपुर्नी	1151607	975396			3577728	503056	19440668	15509680
पिछले साल बकाया शुद्ध दावा	282410	254841			4292013	3214769	88656808	65370728
शुद्ध दावा किया गया								
Net Claims Incurred								
प्रत्यक्ष	40252	244070			10288884	5683720	98779329	95202496
जोड़ें: पुनर्बीमा स्वीकार कट लिया	-3212	5369			315213	1684353	646861	2688465
घटावें: पुनर्बीमा संसाधित	-25972	188040			6076142	3286210	23918768	11563914
कुल दावों में शामिल	63013	61399			4527955	4081863	75507423	86327047
दावेदारों को भुगतान दावा								
Claims paid to claimants								
भारत में	52923	33432			3564936	3013158	70842158	61104657
भारत के बाहर	444	398			18017	-8540	1905691	1936313
कुल दावा भुगतान	53367	33830			3582953	3004618	72747849	63040970
Total Claims Paid								





ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड  
अनुसूची - 3

31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित कमीशन (एनईटी)

**THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED**  
**SCHEDULE - 3**

**CONSOLIDATED COMMISSION INCURRED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2018**

(₹. '000) (Rs. '000)

विवरण	Particulars	अग्नि FIRE		मरीन MARINE			विविध MISCELLANEOUS		कुल योग GRAND TOTAL					
		समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2018	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2017	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2018	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2017		समाप्त वर्ष 31.03.2018	समाप्त वर्ष 31.03.2017	समाप्त वर्ष 31.03.2018	समाप्त वर्ष 31.03.2017				
		मरीन कौर्गो Marine Cargo	मरीन हल Marine Hull	कुल TOTAL	मरीन कौर्गो Marine Cargo	मरीन हल Marine Hull	कुल TOTAL							
कमीशन का भुगतान किया गया	Commission paid													
प्रत्यक्ष	Direct	957487	867015	264932	25593	290525	288671	29109	317780	6238143	4790021	7486155	5974816	
जोड़ें: पुनःबीमा स्वीकृत	Add: Re-insurance Accepted	309085	303527	4760	6190	10950	1880	14723	16603	310503	300330	630558	620460	
घटावें: पुनः बीमा संवाधित	Less: Re-Insurance Ceded	305867	483586	40974	45359	86333	31247	56787	88034	1352475	1021108	1744675	1592728	
नेट कमीशन	Net commission	960705	686956	228718	(13576)	215142	259304	(12955)	246349	5196171	4069243	6372018	5002548	

**31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए विविध कमीशन (एनईटी)**

**MISCELLANEOUS COMMISSION INCURRED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2018**

(₹. '000) (Rs. '000)

विवरण	Particulars	मोटर/MOTOR												
		ओडी/OD	टीपी - नोन पूल TP - Non Pool	टीपी पूल TP Pool	कुल TOTAL	ओडी/OD	टीपी - नोन पूल TP - Non Pool	टीपी पूल TP Pool	कुल TOTAL					
		समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2018	समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2018	समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2018	समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2018	समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2018	समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2018	समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2018	समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2018					
कमीशन का भुगतान	Commission paid													
प्रत्यक्ष	Direct	2467319	238026	0	2705345	1556227	124006	0	1680233					
जोड़ें: पुनः बीमा पर स्वीकृत	Add: On Re-insurance Accepted	2352	41	0	2393	862	(608)	0	254					
घटावें: पुनः बीमा पर देड	Less: On Re-Insurance Ceded	143319	70311	0	213630	190456	0	0	190456					
नेट कमीशन	Net commission	2326352	167756	0	2494108	1366633	123398	0	1490031					





विभाग AVIATION	कार्मिक भुगतान WORKMEN'S COMPENSATION		इंजीनियरिंग ENGINEERING		Particulars
	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2018	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2017	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2018	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2017	
कमीशन का भुगतान किया गया					Commission paid
प्रत्यक्ष	11448	76220	173352	156615	Direct
जोड़े: पुनः बीमा पर स्वीकृत	35194	17	94437	70847	Add: On Re-insurance Accepted
घटाये: पुनः बीमा परेड	24553	5369	68081	234349	Less: On Re-Insurance Ceded
नेट कमीशन	22089	70868	199708	(6887)	Net commission

(₹. '000) (Rs. '000)

विवरण	स्वास्थ्य HEALTH		निजी दुर्घटना PERSONAL ACCIDENT		Particulars
	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2018	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2017	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2018	समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2017	
कमीशन का भुगतान किया गया					Commission paid
प्रत्यक्ष	71993	2089583	118783	170576	Direct
जोड़े: पुनः बीमा पर स्वीकृत	233	0	340	6393	Add: On Re-insurance Accepted
घटाये: पुनः बीमा परेड	5744	166067	83710	216509	Less: On Re-Insurance Ceded
नेट कमीशन	66482	1923516	35413	(39540)	Net commission

(₹. '000) (Rs. '000)

विवरण	अन्य विविध/OTHER MISCELLANEOUS		कुल/TOTAL	
	समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2018	समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2017	समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2018	समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2017
कमीशन का भुगतान किया गया				
प्रत्यक्ष	529182	520210	6238143	4790021
जोड़े: पुनः बीमा पर स्वीकृत	177701	187029	310503	300330
घटाये: पुनः बीमा परेड	699446	180658	1352475	1021108
नेट कमीशन	7437	526581	5196171	4069243





ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड  
अनुसूची -3

31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए एजेंटों की कमीशन और ब्रोकरेज की अनुसूची (केवल वृद्धि)

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED  
SCHEDULE -3

SCHEDULE OF AGENTS COMMISSION AND BROKERAGE FOR THE YEAR ENDED 31.03.2018 (GROSS ONLY)  
(₹. '000) (Rs. '000)

व्यौरा	PARTICULARS	अग्नि Fire	मरीन कार्गो M. Cargo	मरीन हल M. Hull	मोटर ओडी Motor OD	मोटर टीपी नॉन पूल Motor TP Non-Pool	मोटर डीआर पूल Motor DR Pool	मोटर टीपी (जीआईसी पूल Motor TP (GIC Pool)
एजेंटों	Agents	730363	179063	5683	1667474	226293	0	0
ब्रोकर्स	Brokers	222728	85861	19910	538170	11734	0	0
कॉर्पोरेट एजेंसी	Corporate Agency	4397	8	0	0	0	0	0
एमआईएसपी को पारिश्रमिक	Remuneration to MISP	0	0	0	261675	0	0	0
अन्य, अगर कोई है	Others, if any	0	0	0	0	0	0	0
कुल ₹.	Total Rs.	957488	264932	25593	2467319	238027	0	0

व्यौरा	PARTICULARS	विमानन Aviation	इन्स्यु. सी W.C.	खर्च Liability	स्वास्थ्य Health	पीए P.A.	अन्य विविध Other Misc.	कुल TOTAL
एजेंटों	Agents	316	87658	55877	1951960	94220	366120	5458086
ब्रोकर्स	Brokers	11132	7067	16116	581354	24563	138656	1737584
कॉर्पोरेट एजेंसी	Corporate Agency	0	0	0	0	0	24405	28810
एमआईएसपी को पारिश्रमिक	Remuneration to MISP	0	0	0	0	0	0	261675
अन्य, अगर कोई है	Others, if any	0	0	0	0	0	0	0
कुल ₹.	Total Rs.	11448	94725	71993	2533314	118783	529181	7486155







**अनुसूची - 4**  
**31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए बीमा कारोबार से संबंधित ऑपरेटिंग खर्च**  
**SCHEDULE - 4**  
**OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS FOR THE YEAR ENDED**  
**31.03.2018**

(₹. '000) (Rs. '000)

विवरण	Particulars	31.03.2018 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2018		31.03.2017 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2017	
		राशि AMOUNT	राशि AMOUNT	राशि AMOUNT	राशि AMOUNT
कर्मचारी पारिश्रमिक और कल्याण लाभ	Employees remuneration & Welfare Benefits		19974638		21406972
यात्रा, वाहन और वाहन चलने का खर्च	Travel, Conveyance and Vehicle Running Expenses		447600		425962
प्रशिक्षण	Training		59097		67290
किराया, दरें और कर	Rent, Rates & Taxes		835293		781931
मरम्मत	Repairs		189298		154750
छपाई और स्टेशनरी	Printing & Stationery		211615		202971
संचार	Communication		190731		201821
कानूनी और व्यावसायिक व्यय ₹	Legal & Professional Expenses #		88012		61151
लेखा परीक्षकों की फीस, व्यय आदि	Auditors' fees, expenses etc.				
(ए) लेखा परीक्षक के रूप में	(a) as auditor		44047		44617
(बी) सलाहकार या किसी अन्य क्षमता के संबंध में	(b) as adviser or in any other capacity, in respect of				
प) कराधान मामलों	i) taxation matters		0		0
पप) बीमा मामलों	ii) insurance matters		115		345
पपप) प्रबंधन सेवाएं	iii) management services		8		38
(सी) किसी अन्य क्षमता में	(c) in any other capacity		1336		1505
विज्ञापन और प्रचार	Advertisement & Publicity		246123		122814
ब्याज और बैंक शुल्क	Interest & Bank Charges		80542		90207
अन्य लोग	Others				
ए) विद्युत शुल्क	a) Electricity Charges	150026		150590	
बी) बीमा और कंपनी अधिनियम आदि के तहत शुल्क	b) Fee under Insurance & Company Act etc.	95135		135640	
सी) एलपीए सदस्यता	c) LPA Subscription	0		95	
डी) पोलिसी टिकटों का खर्च	d) Policy Stamps Expenses	29497		29662	
ई) अन्य	e) Others	1901658	2176316	1746179	2062166
मूल्यह्रास	Depreciation		459031		233600
सेवा कर खाता	Service Tax A/c		491805		379089
आउटसोर्सिंग / इंफ्रास्ट्रक्चर व्यय	Outsourcing/Infrastructure Expenses		1434295		1975169
बीमा कारोबार से संबंधित कुल ऑपरेटिंग खर्च	<b>TOTAL OPERATING EXPENSES RELATING TO INSURANCE BUSINESS</b>		<b>26929901</b>		<b>28212398</b>





अनुसूची -5  
31.03.2018 को कैपिटल शेयर  
SCHEDULE -5  
SHARE CAPITAL AS AT 31.03.2018

(₹. '000) (Rs. '000)

Sl.No.	विवरण	Particulars	31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
1	अधिकृत पूंजी	Authorised Capital		
	प्रत्येक 10 रुपये के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर	20,00,00,000 Equity Shares of Rs 10 each	2000000	2000000
2	जारी पूंजी	Issued Capital		
	प्रत्येक 10 रुपये के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर	20,00,00,000 Equity Shares of Rs 10 each	2000000	2000000
3	अभिदत्त पूंजी	Subscribed Capital		
	प्रत्येक 10 रुपये के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर	20,00,00,000 Equity Shares of Rs 10 each	2000000	2000000
4	याचिका और भुगतान पूंजी	Called and Paid-up Capital		
	प्रत्येक 10 रुपये के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर	20,00,00,000 Equity Shares of Rs 10 each	2000000	2000000
5	घटायें: भुगतान न किए गए कॉल	Less: Calls Unpaid	0	0
	जोड़ें: इक्विटी शेयर जब्त (मूल रूप से भुगतान किया गया राशि)	Add: Equity Shares Forfeited (Amount Originally Paid up)	0	0
	घटायें: प्रारंभिक व्यय	Less: Preliminary Expenses	0	0
	अंडरराइटिंग पर कमिशन या ब्रोकरेज सहित व्यय या शेयरों की सदस्यता	Expenses including commission or brokerage on underwriting or subscription of shares		
	कुल	<b>Total</b>	<b>2000000</b>	<b>2000000</b>

अनुसूची - 5 ए  
31.03.2018 को शेयरहोल्डिंग के पैटर्न  
[प्रबंधन द्वारा प्रमाणित]  
SCHEDULE - 5A  
PATTERN OF SHAREHOLDING AS AT 31.03.2018  
[As certified by the Management]

(₹. '000) (Rs. '000)

शेयरहोल्डर	Shareholder	As at 31.03.2018 को		As at 31.03.2017 को	
		शेयरों की संख्या Number of Shares	होल्डिंग का % % of Holding	शेयरों की संख्या Number of Shares	होल्डिंग का % % of Holding
प्रमोटरों	Promoters				
भारतीय	Indian	200000000	100%	200000000	100%
विदेशी	Foreign	0	0	0	0
अन्य लोग	Others	0	0	0	0
कुल	<b>Total</b>	<b>200000000</b>	<b>100%</b>	<b>200000000</b>	<b>100%</b>





**अनुसूची-6**  
**ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड**  
**31.03.2018 को आरक्षण और सर्पिल**  
**SCHEDULE -6**  
**THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED**  
**RESERVES AND SURPLUS AS AT 31.03.2018**

(₹. '000) (Rs. '000)

Sl. No.	विवरण	Particulars	31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
1	संपत्ति कोष	Capital Reserve	2565	2565
2	पूंजी रिडेम्पशन रिजर्व	Capital Redemption Reserve		
3	अंश बबौती	Share Premium		
4	सामान्य भंडार	General Reserves	18144213	34871115
	घटायें: लाभ और हानि खाते में डेबिट बैलेंस	Less: Debit Balance in Profit & Loss Account	0	16726902
	घटायें: खरीद-बैक के लिए उपयोग की गई राशि	Less: Amount Utilised for Buy-Back		
5	आपदा रिजर्व	Catastrophe Reserve		
6	अप्रत्याशित जोखिमों के लिए आकस्मिक रिजर्व	Contingency Reserve for Unexpired Risks	0	0
7	लाभ और हानि खाते में लाभ का शेष	Balance of Profit in Profit & Loss Account	15080238	0
8	विदेशी मुद्रा रिजर्व	Foreign Currency Reserve	41840	-193399
	कुल	<b>Total</b>	<b>33268856</b>	<b>51407183</b>

**अनुसूची-7**  
**ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड**  
**31.03.2018 को ऋण**  
**SCHEDULE -7**  
**THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED**  
**BORROWINGS AS AT 31.03.2018**

(₹. '000) (Rs. '000)

S.No.	विवरण	Particulars	31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
1	डिबेंचर / बांड	Debentures / Bonds	0	0
2	बैंकों	Banks	0	0
3	वित्तीय संस्थाएं	Financial Institutions	0	0
4	अन्य (निर्दिष्ट करने के लिए)	Others (to be specified)	0	0
	कुल	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





अनुसूची-8  
ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड  
31.03.2018 को निवेश  
SCHEDULE -8

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED  
Investments as at 31.03.2018

(₹. '000) (Rs. '000)

S.No.	विवरण	Particulars	31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
	लंबी अवधि के निवेश	<b>Long Term Investments</b>		
1	ट्रेजरी बिल सहित सरकारी प्रतिभूतियां और सरकारी गारंटीकृत बांड	Government Securities and Government Guaranteed Bonds including Treasury Bills	5877180	9391348
2	अन्य स्वीकृत सिक्योरिटीज	Other Approved Securities	60887	0
3	अन्य निवेश	Other Investments		
	ए) शेयर	a) Shares		
	(i) इक्विटी	(i) Equity	521414	709860
	एए) इक्विटी - एसोसिएट्स	aa) Equity - Associates	20528	-1807
	(ii) प्राथमिकता शेयर	(ii) Preference shares	6154	19260
	बी) म्यूचुअल फंड	b) Mutual Funds	0	0
	सी) डिबेंचर / बांड	c) Debentures / Bonds	1416784	5223032
	डी) निवेश संपत्ति - रियल एस्टेट	d) Investment Properties - Real Estate	0	0
	ई) अन्य प्रतिभूतियां (निर्दिष्ट करने के लिए)	e) Other Securities (to be specified)		
	i) सहायक	i) Subsidiaries	47	97
	ii) वेंचर फंड	ii) Venture Fund	50673	116220
4	इंफ्रास्ट्रक्चर और आवास में निवेश	Investment in Infrastructure & Housing		
	ए) डिबेंचर (अन्य)	a) Debentures (others)	1930108	2542978
	बी) इक्विटी	b) Equity	1306824	2708197
	लघु अवधि के निवेश	<b>Short Term Investments</b>		
1	ट्रेजरी बिल सहित सरकारी प्रतिभूतियां और सरकारी गारंटीकृत बांड	Government Securities and Government Guaranteed Bonds including Treasury Bills	201857	476758
2	अन्य स्वीकृत सिक्योरिटीज	Other Approved Securities	0	309
3	अन्य निवेश	Other Investments		
	ए) शेयर	a) Shares		
	(i) इक्विटी	(i) Equity	0	0
	(ii) प्राथमिकता शेयर	(ii) Preference shares	15576	2521
	बी) म्यूचुअल फंड	b) Mutual Funds	280309	827179
	सी) डिबेंचर / बांड	c) Debentures / Bonds	274048	789364
	डी) निवेश संपत्ति - रियल एस्टेट	d) Investment Properties - Real Estate	0	0
	ई) अन्य प्रतिभूतियां (निर्दिष्ट करने के लिए)	e) Other Securities (to be specified)		
	i) सहायक	i) Subsidiaries	0	0
	ii) वेंचर फंड	ii) Venture Fund	0	0
4	इंफ्रास्ट्रक्चर और आवास में निवेश	Investment in Infrastructure & Housing		
	ए) डिबेंचर (अन्य)	a) Debentures (others)	519369	243373
	बी) इक्विटी	b) Equity	0	0
	कुल निवेश	<b>Total Investments</b>	<b>21945687</b>	<b>45005082</b>





S.No.	विवरण	Particulars	As at 31.03.2018 को	As at 31.03.2017 को
	निवेश	Investments		
1	भारत में	In India	21905876	44280183
2	भारत के बाहर	Outside India	39812	724900
	कुल	<b>Total</b>	<b>21945687</b>	<b>4005082</b>

नोट: आईआरडीए परिपत्र आईआरडीए / एफएंडए / सीआईआर / सीपीएम / 010/01/2017 दिनांक 12 जनवरी, 2017 के अनुसार प्रारूप में बदलाव के संदर्भ में जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़े फिर से समूहित किए गए हैं।

- i) सूचीबद्ध इक्विटी शेयर/स्यूचुअल फंड के अलावा कंपनी के निवेश की कुल राशि 1,04,217.09/- लाख रुपये है और बाजार मूल्य 1,03,782.17/- लाख रुपये है।
- ii) डिबेंचर में निवेश के खिलाफ 1,25.07/- लाख रुपये का प्रावधान अनुसूची 14 में खराब और संदिग्ध ऋण के प्रावधान के तहत समूहीकृत किया गया है।
- iii) डिबेंचर में निवेश के खिलाफ 1,65.07/- लाख रुपये का प्रावधान अनुसूची 14 में मानक संपत्ति पर प्रावधानों के तहत समूहीकृत किया गया है।
- iv) इक्विटी में निवेश के खिलाफ 50.79/- लाख रुपये का प्रावधान अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्य में कमी के प्रावधान के तहत समूहीकृत किया गया है।
- v) वेंचर कैपिटल में निवेश के खिलाफ 85.28/- लाख रुपये का प्रावधान अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्य में कमी के प्रावधानों के तहत समूहित किया गया है।
- vi) सहायक कंपनियों में निवेश के खिलाफ रु 0.47/- लाख रुपये का प्रावधान अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्य में कमी के प्रावधानों के तहत समूहित किया गया है।
- vii) निवेश के लिए 8.24/- लाख रुपये का प्रावधान अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधानों के तहत शेयरों को समूहीकृत किया गया है।
- viii) वित्तीय वर्ष 2017-18 में कंपनी ने अपने सहयोगी हेल्थ इश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड में केवल 187.7 लाख रुपये के लिए 118/000 रुपये के अतिरिक्त 10/- रुपये के शेयरों का अधिग्रहण किया था। इस अधिग्रहण के परिणामस्वरूप रुपये का पूंजी आरक्षित है। 55.07 लाख, एएस 23 के अनुसार गणना की।

**Note :-** Figures of previous year have been re-grouped wherever necessary in view of the change in the format as per IRDA Circular IRDA/F&A/CIR/CPM/010/01/2017 dt. Jan 12, 2017.

- i) Aggregate amount of company's Investments other than listed Equity Shares/Mutual Funds is Rs1,04,217.09/- lacs and Market Value thereof is Rs 1,03,782.17/- lacs.
- ii) Provision of Rs.125.07/- lacs against Investment in debenture is grouped under Provision for Bad & Doubtful Debts in Schedule 14.
- iii) Provision of Rs165.07/- lacs against Investment in debenture is grouped under Provisions on Standard Assets in Schedule 14.
- iv) Provision of Rs50.79/- lacs against investment in equity is grouped under Provision for Diminution in value of shares in Schedule 14.
- v) Provision of Rs85.28/- lacs against investment in Venture Capital is grouped under Provisions for Diminution in value of shares in Schedule 14.
- vi) Provision of Rs.0.47/- lacs against investment in subsidiaries is grouped under Provisions for Diminution in value of shares in Schedule 14.
- vii) Provision of Rs.8.24/- lacs against investment in Pref Shares is grouped under Provisions for Diminution in value of shares in Schedule 14.
- viii) In the financial year 2017-18 company had acquired 11875000 additional number of shares of Rs.10/- each only in its associate Health Insurance TPA of India Ltd for Rs.1187.5 lakhs. This acquisition has resulted in capital reserve of Rs. 55.07 lakhs, computed in accordance with AS 23.

**अनुसूची -8 ए**  
**ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड**  
**31.03.2018 को निवेश**  
**SCHEDULE -8 A**  
**THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED**  
**Investments as at 31.03.2018**

(रु. '000) (Rs. '000)

S.No.	विवरण	Particulars	31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
	लंबी अवधि के निवेश	<b>Long Term Investments</b>		
1	ट्रेजरी बिल सहित सरकारी प्रतिभूतियां और सरकारी गारंटीकृत बांड	Government Securities and Government Guaranteed Bonds including Treasury Bills	56183859	38918054
2	अन्य स्वीकृत सिक्क्योरिटीज	Other Approved Securities	582063	0







S.No.	विवरण	Particulars	31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
3	अन्य निवेश	Other Investments		
	ए) शेयर	a) Shares		
	(i) इक्विटी	(i) Equity	4984543	2941681
	एए) इक्विटी - एसोसिएट्स	aa) Equity - Associates	196246	-7487
	(ii) प्राथमिकता शेयर	(ii) Preference shares	58833	79812
	बी) म्यूचुअल फंड	b) Mutual Funds	0	0
	सी) डिबेंचर / बांड	c) Debentures / Bonds	13543972	21644414
	डी) निवेश संपत्ति - रियल एस्टेट	d) Investment Properties - Real Estate	0	0
	ई) अन्य प्रतिभूतियां (निर्दिष्ट करने के लिए)	e) Other Securities (to be specified)		
	i) सहायक	i) Subsidiaries	453	403
	ii) वेंचर फंड	ii) Venture Fund	484415	481620
4	इंफ्रास्ट्रक्चर और आवास में निवेश	Investment in Infrastructure & Housing		
	ए) डिबेंचर (अन्य)	a) Debentures (others)	18451181	10538182
	बी) इक्विटी	b) Equity	12492797	11222858
	लघु अवधि के निवेश	<b>Short Term Investments</b>		
1	ट्रेजरी बिल सहित सरकारी प्रतिभूतियां और सरकारी गारंटीकृत बांड	Government Securities and Government Guaranteed Bonds including Treasury Bills	1929686	1975701
2	अन्य स्वीकृत सिक्योरिटीज	Other Approved Securities	0	1282
3	अन्य निवेश	Other Investments		
	ए) शेयर	a) Shares		
	(i) इक्विटी	(i) Equity	0	0
	(ii) प्राथमिकता शेयर	(ii) Preference shares	148902	10449
	बी) म्यूचुअल फंड	b) Mutual Funds	2679664	3427856
	सी) डिबेंचर / बांड	c) Debentures / Bonds	2619811	3271151
	डी) निवेश संपत्ति - रियल एस्टेट	d) Investment Properties - Real Estate	0	0
	ई) अन्य प्रतिभूतियां (निर्दिष्ट करने के लिए)	e) Other Securities (to be specified)		
	i) सहायक	i) Subsidiaries	0	0
	ii) वेंचर फंड	ii) Venture Fund	0	0
4	इंफ्रास्ट्रक्चर और आवास में निवेश	Investment in Infrastructure & Housing		
	ए) डिबेंचर (अन्य)	a) Debentures (others)	4964993	1008548
	बी) इक्विटी	b) Equity	0	0
	कुल निवेश	<b>Total Investments</b>	<b>209793362</b>	<b>186502542</b>
	निवेश	<b>Investments</b>		
1	भारत में	<b>In India</b>	<b>206257263</b>	<b>183530444</b>
2	भारत के बाहर	<b>Outside India</b>	<b>184345</b>	<b>164101</b>

**नोट:**

आईआरडीए परिपत्र आईआरडीए/एफएंडए/सीआईआर/सीपीएम/010/01/2017 दिनांक 12 जनवरी, 2017 के अनुसार प्रारूप में बदलाव के संदर्भ में जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़े फिर से समूहित किए गए हैं।

- सूचीबद्ध इक्विटी शेयर/म्यूचुअल फंड के अलावा कंपनी के निवेश की कुल राशि 996,280.18 लाख रुपये हैं और बाजार मूल्य 992,122.48 लाख रुपये हैं।
- डिबेंचर में निवेश के खिलाफ 195.67 लाख रुपये का प्रावधान अनुसूची 14 में खराब और संदिग्ध ऋण के प्रावधान के तहत समूहीकृत किया गया है।
- डिबेंचर में निवेश के खिलाफ 1577.97 लाख रुपये का प्रावधान अनुसूची 14 में मानक संपत्ति पर प्रावधानों के तहत समूहीकृत किया गया है।
- इक्विटी में निवेश के लिए 485.490 लाख रुपये का प्रावधान अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्य में कमी के प्रावधान के तहत समूहीकृत किया गया है।

**Note :-**

Figures of previous year have been re-grouped wherever necessary in view of the change in the format as per IRDA Circular IRDA/F&A/CIR/CPM/010/01/2017 dt. Jan 12, 2017.

- Aggregate amount of company's Investments other than listed Equity Shares/Mutual Funds is Rs996,280.18/- lacs and Market Value thereof is Rs 992,122.48 /- lacs.
- Provision of Rs.1195.67/- lacs against Investment in debenture is grouped under Provision for Bad & Doubtful Debts in Schedule 14.
- Provision of Rs1577.97/- lacs against Investment in debenture is grouped under Provisions on Standard Assets in Schedule 14.
- Provision of Rs485.49/- lacs against investment in equity is grouped under Provision for Diminution in value of shares in Schedule 14.





- v) वेंचर कैपिटल में निवेश के खिलाफ 815.29 एक्स के प्रावधान को अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्य में कमी के प्रावधानों के तहत समूहीकृत किया गया है।
- vi) सहायक कंपनियों में निवेश के खिलाफ 4.53 लाख रुपये का प्रावधान अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्य में कमी के प्रावधानों के तहत समूहीकृत किया गया है।
- vii) अधिमान्य निवेश के खिलाफ 7.8.81 लाख रुपये का प्रावधान। अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधानों के तहत शेयरों को समूहीकृत किया गया है।
- viii) वित्तीय वर्ष 2017-18 में कंपनी ने अपने सहयोगी हेल्थ इश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड में केवल 187.70 लाख रुपये के लिए 118/000 रुपये के अतिरिक्त 10 रुपये के शेयरों का अधिग्रहण किया था। एएस 23 के अनुसार गणना के परिणामस्वरूप इस अधिग्रहण का पूंजी आरक्षित 526.51 लाख रुपये है।
- v) Provision of Rs815.29/-lacs against investment in Venture Capital is grouped under Provisions for Diminution in value of shares in Schedule 14.
- vi) Provision of Rs.4.53/- lacs against investment in subsidiaries is grouped under Provisions for Diminution in value of shares in Schedule 14.
- vii) Provision of Rs.78.81/- lacs against investment in Pref. Shares is grouped under Provisions for Diminution in value of shares in Schedule 14.
- viii) In the financial year 2017-18 company had acquired 11875000 additional number of shares of Rs.10/- each only in its associate Health Insurance TPA of India Ltd for Rs.1187.50 lakhs. This acquisition has resulted in capital reserve of Rs. 526.51 lakhs, computed in accordance with AS 23.

**अनुसूची -8 ए**  
**ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड**  
**31.03.2018 को लोन**  
**SCHEDULE -9**

**THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED**  
**LOANS AS AT 31.03.2018**

(₹. '000) (Rs. '000)

क्र.सं. S.No.	विवरण	Particulars	31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
1	सुरक्षा-वार वर्गीकरण	Security-Wise Classification		
	सुरक्षित	Secured		
	(ए) संपत्ति के बंधक पर	(a) On Mortgage of Property		
	(i) भारत में	(i) In India	0	0
	(ii) भारत के बाहर	(ii) Outside India	0	0
	(बी) शेयरों, बांड, सरकारी प्रतिभूतियों पर	(b) On Shares, Bonds, Government Securities	0	0
	(सी) अन्य (प) आवास के लिए आवास ऋण	(c) Others (i) Housing Loans to Staff	1003666	896249
	(ii) राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत आवास और एफएफई के लिए राज्य सरकारों को सावधि ऋण और ऋण।	(ii) Term Loans and loans to state govts for housing & FFEs, guaranteed by State Govts.	385995	536412
	असुरक्षित (टर्म लोन, ब्रिज लोन, सर्टिफिकेट जमा, वाणिज्यिक कागज)	Unsecured (Term loans, Bridge loans, Certificate of deposit, Commercial paper )	64299	64299
	<b>कुल</b>	<b>Total</b>	<b>1453960</b>	<b>1496960</b>
2	उधारकर्ता-वार वर्गीकरण	Borrower-Wise Classification		
	(ए) केंद्रीय और राज्य सरकारें	(a) Central and State Governments	294672	347100
	(बी) बैंक और वित्तीय संस्थान	(b) Banks and Financial Institutions	0	0
	(सी) सहायक	(c) Subsidiaries	0	0
	(डी) कंपनियां / औद्योगिक उपक्रम	(d) Companies/Industrial Undertakings	155622	253611
	(ई) नीतियों के खिलाफ ऋण	(e) Loan against policies	0	0
	(एफ) अन्य (i) कर्मचारी	(f) Others (i) Staff	1003666	896249
	(ii) वाणिज्यिक पत्र	(ii) Commercial Papers	0	0
	<b>कुल</b>	<b>Total</b>	<b>1453960</b>	<b>1496960</b>
3	प्रदर्शन-वार वर्गीकरण	Performance-Wise Classification		





क्र.सं. S.No.	विवरण	Particulars	31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
	(ए) मानक के रूप में वर्गीकृत ऋण	(a) Loans classified as standard		
	(ए) भारत में	(a) In India	1310118	1255729
	(बी) भारत के बाहर	(b) Outside India	0	0
	(बी) गैर-निष्पादित ऋण कम प्रावधान	(b) Non-Performing loans less provisions		
	(ए) भारत में	(a) In India	452	11856
	(बी) भारत के बाहर	(b) Outside India	0	0
	प्रावधान	Provision	143390	229375
	कुल	Total	1453960	1496960
4	परिपक्वता के अनुसार वर्गीकरण	Maturity-Wise Classification		
	(ए) कम अवधि	(a) Short-Term	54270	20656
	(बी) लंबी अवधि	(b) Long-Term	1399690	1476304
	कुल	Total	1453960	1496960

अनुसूची - 8 ए

ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

31.03.2018 को तय संपत्तियों की अनुसूची

SCHEDULE - 10

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

SCHEDULE OF FIXED ASSETS AS AT 31.03.2018

(₹. '000) (Rs. '000)

विवरण	Particulars	लागत / समूह ब्लॉक/COST/GROSS BLOCK				मूल्यह्रास रिजर्व/DEPRECIATION RESERVE				नेट ब्लॉक/NET BLOCK	
		ओपनिंग बैलेंस Opening Balance	अवधि के दौरान परिचर्जन Additions during the period	कटौती और अवधि में किए गए समायोजन Deductions and Adjustments made in the period	अंतिम बैलेंस Closing Balance	ओपनिंग बैलेंस Opening Balance	अवधि के दौरान मूल्यह्रास Depreciation during the period	कटौती और अवधि में किए गए समायोजन Deductions and Adjustments made in the period	अंतिम बैलेंस Closing Balance	As at 31.03.2018 को	As at 31.03.2017 को
मूर्त संपत्ति	Tangible Assets										
भूमि फ्रीहोल्ड	Land Freehold	1109	0	0	1109	0	0	0	0	1109	1109
लीजहोल्ड संपत्ति	Leasehold Property	174089	30604	0	204693	103684	3028	97	106809	97884	70405
फ्रीहोल्ड संपत्ति	Freehold Property	960012	24989	0	985001	354056	11402	4781	360677	624324	605956
फर्नीचर फिटिंग	Furniture & Fittings	470692	14990	400	486082	394741	12608	3262	404087	81995	75950
सूचना और प्रौद्योगिकी उपकरण	Information & Technology Equipment	1733673	260167	205114	1788726	1310649	94038	202485	1202202	586524	423024
वाहन	Vehicles	796434	260612	174443	882603	312616	166949	116704	362861	519742	483818
दफ्तर के उपकरण	Office Equipment	178762	2691	4863	176590	161905	4086	4797	161194	15395	16857
अन्य	Others	439528	20399	5772	454155	361919	13708	4977	370650	83505	77609
कुल निश्चित संपत्तियां	Total Fixed Assets	4754299	614452	390592	4978959	2999570	305819	337103	2968480	2010478	1754728
अमूर्त संपत्ति (सॉफ्टवेयर)	Intangible Assets (Software)	686704	93379	3	780080	479505	153212	3	632714	147366	207197
उप कुल	Sub Total	5441003	707831	390595	5759039	3479075	459031	337106	3601194	2157844	1961925
प्रगति में पूंजीगत कार्य	Capital Work in Progress	2336350	691628	121356	2906622	0	0	0	0	2906622	2336350
कुल	Total	7777353	1399459	511951	8665661	3479075	459031	337106	3601194	5064466	4298275
पिछले वर्ष (31.03.2017)	Previous Year(31.03.2017)	6471431	1755489	470539	7777353	3384688	233600	147540	3479075	4298275	3086739





अनुसूची -11  
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड  
31.03.2018 को कैश और बैंक बैलेंस

**SCHEDULE -11**  
**THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED**  
**CASH & BANK BALANCES AS AT 31.03.2018**

(₹. '000) (Rs. '000)

S.No.	विवरण	Particulars	31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
1	नकद (चेक, ड्राफ्ट और टिकट सहित)	Cash (including cheques, drafts and stamps)	1001916	1341307
2	बैंक शेष	Bank Balances		
	(ए) जमा खाते	(a) Deposit Accounts		
	(एए) अल्पकालिक (12 महीने के भीतर देय)	(aa) Short-term (due within 12 months)	14386847	16106419
	(बीबी) अन्य	(bb) others	0	0
	(बी) चालू खाते	(b) Current Accounts	7253588	6118684
	(सी) अन्य	(c) Others	0	0
3	कॉल और लघु सूचना पर पैसा	Money at Call and Short Notice		
	(ए) बैंकों के साथ	(a) With Banks	0	0
	(बी) अन्य संस्थानों के साथ	(b) With other Institutions	0	0
4	अन्य लोग	Others	0	0
	कुल	<b>TOTAL</b>	<b>22642351</b>	<b>23566410</b>
	गैर अनुसूचित बैंकों के साथ शेष 2 और 3 में शामिल है	Balance with non-scheduled banks included in 2 and 3 above	0	0
	नकद और बैंक शेष	Cash & Bank Balances		
1	भारत में	In India	20315451	20995103
2	भारत के बाहर	Outside India	2326900	2571307
	कुल	<b>TOTAL</b>	<b>22642351</b>	<b>23566410</b>

अनुसूची -12  
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड  
31.03.2018 को एडवांस और अन्य संपत्तियां

**SCHEDULE -12**  
**THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED**  
**ADVANCES AND OTHER ASSETS AS AT 31.03.2018**

(₹. '000) (Rs. '000)

S.No.	विवरण	Particulars	31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
	अग्रिम	Advances		
1	सीडिंग कंपनियों के साथ रिजर्व जमा	Reserve deposits with ceding companies	175376	169446
2	निवेश के लिए आवेदन पैसे	Application money for investments	0	0
3	पूर्वभुगतान	Prepayments	139267	120689
4	निदेशकों / अधिकारियों के लिए अग्रिम	Advances to Directors/Officers	492002	584224
5	स्रोत पर अग्रिम कर भुगतान कर और कटौती, (कराधान के लिए प्रावधान का शुद्ध) / कर विभाग से पुनर्प्राप्त राशि	Advance tax paid and taxes deducted at source, (Net of Provision for Taxation)/ Amount Recoverable from Tax Deptt.	9213244	6269540
6	अन्य	Others	374437	281598
	कुल (ए)	<b>Total (A)</b>	<b>10394326</b>	<b>7425497</b>





S.No.	विवरण	Particulars	31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
1	निवेश पर अर्जित आय	Income accrued on investments	3858955	3873573
2	उत्कृष्ट प्रीमियम	Outstanding Premiums	399784	383520
3	एजेंटों की शेष राशि	Agents' Balances	0	0
4	विदेशी एजेंसियों के शेष	Foreign Agencies' Balances	493565	346493
5	बीमा कारोबार (अन्य बीमाकर्ताओं सहित) पर ले जाने वाली अन्य संस्थाओं के कारण	Due from other entities carrying on insurance business (including reinsurers)	21874304	20119203
6	सहायक / होल्डिंग कंपनी से देय	Due from subsidiaries/holding company	822	655
7	भारतीय रिजर्व बैंक के साथ जमा, खबीमा अधि. नियम, 1938 की धारा 7 के अनुसार, '	Deposit with Reserve Bank of India,[Pursuant to section 7 of Insurance Act, 1938]*	0	0
8	अन्य :	Others #	5622205	4090550
	कुल (बी)	<b>Total (B)</b>	<b>32248813</b>	<b>28813339</b>
	कुल (ए + बी)	<b>Total (A + B)</b>	<b>42643139</b>	<b>36238836</b>

# अन्य में 'सेवा कर अप्रयुक्त क्रेडिट' शामिल है

# Others include "Service Tax Unutilized Credit"

**अनुसूची -13**  
**ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड**  
**31.03.2018 को मौजूदा दायित्वों के रूप में**  
**SCHEDULE -13**  
**THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED**  
**CURRENT LIABILITIES AS AT 31.03.2018**

(₹. '000) (Rs. '000)

S.No.	विवरण	Particulars	31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
1	एजेंट बैलेंस (नेट)	Agents Balances (Net)	899347	639692
2	अन्य बीमा कंपनियों के कारण शेष	Balances due to other insurance companies	91838	81240
3	पुनर्वास पर आयोजित जमा राशि	Deposits held on reinsurance ceded	754350	454988
4	अग्रिम में प्रीमियम प्राप्त हुआ	Premium received in advance	1129473	929930
5	आवंटित प्रीमियम	<b>Unallocated Premium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	विविध लेनदार	<b>Sundry Creditors</b>	<b>13162569</b>	<b>16425615</b>
7	सहायक / होल्डिंग कंपनी के कारण	<b>Due to subsidiaries/holding company</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	बकाया दावा	<b>Claims Outstanding</b>	<b>103398373</b>	<b>99929276</b>
9	अधिकारियों / निदेशकों के कारण	<b>Due to Officers / Directors</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	पॉलिसी धारकों के कारण	<b>Due to Policy Holders</b>	<b>730729</b>	<b>680748</b>
11	नई पेंशन योजना पर देयता	<b>Liability on New Pension Scheme</b>	<b>86745</b>	<b>390571</b>
12	अन्य	<b>Others</b>	<b>557864</b>	<b>559121</b>
	कुल	<b>Total</b>	<b>120811403</b>	<b>120091219</b>







**अनुसूची -14**  
**ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड**  
**31.03.2018 को प्रावधान**  
**SCHEDULE -14**  
**THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED**  
**Provisions as at 31.03.2018**

(₹. '000) (Rs. '000)

S.No.	विवरण	Particulars	31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
1	अप्रत्याशित जोखिम के लिए रिजर्व	Reserve for Unexpired Risk	50343552	46341349
2	कराधान के लिए (स्रोत पर कम अग्रिम कर भुगतान और कर कटौती)	For taxation (less advance tax paid and tax deducted at source)	0	0
3	प्रस्तावित लाभांश के लिए	For proposed dividends	0	0
4	लाभांश वितरण कर के लिए	<b>For dividend distribution tax</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	अन्य	<b>Others</b>		
	(ए) छुट्टी एनकैशमेंट / एलटीएस / बीमार छुट्टी के लिए प्रावधान	<b>(a) Provision for Leave Encashment/ LTS/Sick Leave</b>	<b>7743811</b>	<b>7627353</b>
	(बी) मजदूरी संशोधन के लिए प्रावधान	<b>(b) Provision for Wage revision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(सी) खराब और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	<b>(c) Provision for Bad &amp; Doubtful Debts</b>	<b>2473192</b>	<b>2522636</b>
	(डी) मानक संपत्तियों के लिए प्रावधान	<b>(d) Provision for Standard Assets</b>	<b>175529</b>	<b>181870</b>
	(ई) शेयरों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	<b>(e) Provision for Diminution in Value of Shares</b>	<b>152885</b>	<b>171487</b>
	(एफ) ब्याज सस्पेंस	<b>(f) Interest Suspense</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	प्रीमियम की कमी के लिए रिजर्व	Reserve for Premium Deficiency	0	43947
	कुल	<b>Total</b>	<b>60888969</b>	<b>56888643</b>

**अनुसूची -15**  
**ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड**  
**31.03.2018 को विविध व्यय**  
**(आगे बढ़ाया गया, समाप्त या समायोजित किये बिना)**  
**SCHEDULE -15**  
**THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED**  
**Miscellaneous Expenditure as at 31.03.2018**  
**(TO THE EXTENT NOT WRITTEN OFF OR ADJUSTED)**

क्र.सं. S.No.	विवरण	Particulars	31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
1	शेयरों/ डिबेंचरों में दी गई छूट	Discount Allowed in issue of shares/ debentures	0	0
2	अन्य	Others		
	ए) पेंशन और ग्रेच्युइटी का अमूर्तकरण	<b>a) Amortisation of Pension &amp; Gratuity</b>	<b>0</b>	<b>3123197</b>
	कुल	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>3123197</b>





अनुसूची-16

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और

31 मार्च 2018 तक समेकित वित्तीय विवरणों की  
अनुसूचियां

क. कंसोलिडेशन और विशिष्ट लेखा नीतियों का आधार:

1. लेखांकन और समेकित वित्तीय वक्तव्य की तैयारी का आधार

ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (कंपनी), इसकी सहायक और एसोसिएट्स (साथ में शसमूह) के समेकित वित्तीय विवरण भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) के अनुसार तैयार किए गए लेखांकन मानकों का अनुपालन करने के लिए तैयार किए गए हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत, कंपनियों (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 और कंपनी अधिनियम, 2013 ("2013 अधिनियम") के प्रासंगिक प्रावधानों और बीमा नियामक और विकास के प्रावधानों के अनुसार पढ़ा गया है। प्राधिकरण अधिनियम, 1999, बीमा अधिनियम, 1938 और बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरणों की तैयारी और बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षाओं की रिपोर्ट) विनियमन, 2002 और आईआरडीए द्वारा जारी मास्टर परिपत्र 2012, लागू होने वाली प्रथाओं के अनुरूप भारत में सामान्य बीमा उद्योग को छोड़कर अन्यथा दिया गया है। ऐतिहासिक लागत सम्मेलन के तहत एकत्रित आधार पर समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं। समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी में अपनाई गई लेखांकन नीतियां पिछले वर्ष के अनुरूप हैं।

2. समेकन के सिद्धांत

2. ए समेकित वित्तीय वक्तव्य निम्नलिखित आधार पर तैयार किए गए हैं:

2.क.1 इंद्रा ग्रुप बैलेंस और इंद्रा ग्रुप को पूरी तरह समाप्त करने के बाद, कंपनी और उसके सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों को संपत्ति के आधार पर संपत्ति मूल्यों, देनदारियों, आय और व्यय जैसे पुस्तक मूल्यों को जोड़कर लाइन दर लाइन के आधार पर एक लाइन पर जोड़ा जाता है। एएस 21 'समेकित वित्तीय वक्तव्य' के अनुसार लेनदेन।

2. क.2 सहायक कंपनियों में शेयरों के अधिग्रहण के समय

Schedule-16

Significant Accounting Policies and  
Notes forming part of Consolidated Financial  
Statements as on 31<sup>st</sup> March 2018

A. BASIS OF CONSOLIDATION & SIGNIFICANT  
ACCOUNTING POLICIES:

1. Basis of Accounting & Preparation of  
Consolidated Financial Statement

The consolidated financial statements of The Oriental Insurance Company Limited (the Company), its subsidiary and Associates (together the 'Group') have been prepared in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP) to comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Companies Act, 2013, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 ("the 2013 Act") and as per the provisions of Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, the Insurance Act, 1938 and The Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 and Master Circular 2012 issued by IRDA, to the extent applicable and conform to practices prevailing in the General Insurance Industry in India except as otherwise stated. The consolidated financial statements have been prepared on accrual basis under the historical cost convention. The accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements are consistent with those followed in the previous year.

2. Principles of Consolidation

2.A The consolidated Financial Statements have been prepared on the following basis:

2.A.1 The financial statements of the company and its subsidiary company are combined on a line by line basis by adding together the book values of like items of assets, liabilities, income and expenses, after fully eliminating intra group balances and intra group transactions in accordance with AS 21 "Consolidated Financial Statements".

2.A.2 The difference between the cost of investment





शुद्ध परिसंपत्तियों पर निवेश की लागत के बीच अंतर को वित्तीय विवरणों में गुडविल या कैपिटल रिजर्व के रूप में मान्यता दी जाती है, जैसा भी मामला हो।

- 2.क.3 सहायक में निवेश के निपटारे से प्राप्त आय के बीच अंतर और निपटान की तारीख के रूप में अपनी संपत्तियों की कम देनदारियों को लाभ और हानि के समेकित बयान में निवेश के निपटारे पर लाभ या हानि माना जाता है सहायक में
- 2.क.4 एसोसिएट कंपनियों में निवेश को लेखा मानक (एस) 23- 'समेकित वित्तीय वक्तव्यों में एसोसिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन' के अनुसार इक्विटी विधि के तहत जिम्मेदार माना गया है।
- 2.क.5 कंपनी लाभांश के बयान के माध्यम से कंपनी और उसके सहयोगियों के बीच लेनदेन से होने वाले अवसूल लाभ और हानियों को समाप्त करने के बाद सहयोगियों की शुद्ध परिसंपत्तियों, अधिग्रहण के बाद शुद्ध परिसंपत्तियों में परिवर्तन में अपने हिस्से के लिए जिम्मेदार है। इस तरह के परिवर्तन की हानि तक हानि उपलब्ध जानकारी के आधार पर शेष के लिए अपने रिजर्व के माध्यम से सहयोगियों के लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार है।
- 2.क.6 एसोसिएट्स में शेयरों के अधिग्रहण के समय सहयोगियों में निवेश की लागत और शुद्ध परिसंपत्तियों के हिस्से के बीच अंतर को वित्तीय विवरणों में गुडविल या कैपिटल रिजर्व के रूप में पहचाना जा सकता है।
- 2.क.7 जहां तक संभव हो और सबसे अच्छी परिस्थितियों में, समेकित वित्तीय विवरण समान लेनदेन और समान परिस्थितियों में अन्य घटनाओं के लिए समान लेखांकन नीतियों का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं और कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के समान ही प्रस्तुत किए जाते हैं; इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड को छोड़कर, एक सहयोगी सिंगापुर वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (एफआरएस) के अनुसार सिंगापुर कंपनी अधिनियम, कैप 50 द्वारा आवश्यकतानुसार तैयार किया गया है।

कंपनी की लेखांकन नीति की तुलना में सहयोगी कंपनी द्वारा दी गई लेखांकन नीति में भौतिक अंतर निम्नलिखित हैं:

in the subsidiary over the net assets at the time of acquisition of shares in the subsidiary is recognized in the financial statements as Goodwill or Capital Reserve, as the case may be.

- 2.A.3 The difference between the proceeds from disposal of investment in subsidiary and the carrying amount of its assets less liabilities as of the date of disposal is recognized in the consolidated statement of Profit & Loss being the profit or loss on disposal of investment in subsidiary.
- 2.A.4 Investment in Associate Companies has been accounted under the equity method as per Accounting Standard (AS) 23- "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements".
- 2.A.5 The Company accounts for its share in change in net assets of the associates, post acquisition, after eliminating unrealized profits and losses resulting from transactions between the Company and its associates to the extent of its share, through its statement of Profit & Loss to the extent such change is attributable to the associates' Profit or loss through its reserves for the balance, based on available information.
- 2.A.6 The difference between the cost of Investment in associates and the share of net assets at the time of acquisition of shares in the associates is identified in the financial statements as Goodwill or Capital Reserve as the case may be.
- 2.A.7 As far as possible and to the best of the circumstances, the consolidated financial statements are prepared using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances and are presented in the same manner as the company's standalone financial statements; except for the India International Insurance Pte Ltd., an associate have been prepared in accordance with Singapore Financial Reporting Standards (FRS) as required by the Singapore Companies Act, Cap. 50.

As compared to the accounting policy of the company the material difference in the accounting policy followed by the associate are with respect to :





(क) अप्रत्याशित जोखिमों के लिए रिजर्व, अनधिकृत जोखिमों के लिए एसोसिएट रिजर्व के बाद लेखांकन नीति में अनर्जित प्रीमियम रिजर्व और प्रीमियम कमी रिजर्व की राशि शामिल है। प्रीमियम कमी रिजर्व हानि आंकड़ों पर वास्तविक तरीकों का उपयोग करके व्युत्पन्न होते हैं और उन्हें मान्यता दी जाती है जब व्यापार की किसी भी पंक्ति के लिए बैलेंस शीट तिथि पर लागू नीतियों की अप्रत्याशित अवधि के लिए जिम्मेदार दावों और व्यय का अनुमानित मूल्य अनर्जित प्रीमियम रिजर्व से अधिक है।

अनियंत्रित प्रीमियम रिजर्व निम्नलिखित आधार पर गणना की जाती है:

- (i) मरीन माल के अलावा व्यापार के सभी प्रत्यक्ष और संकाय पुनर्बीमा वर्गों के लिए 365 वां विधि, जिसके लिए 25% लागू है;
- (ii) संधि पुनर्बीमा व्यवसाय के सभी वर्गों के मामले में, मरीन माल के अलावा, प्रीमियम का 40% और मरीन माल के लिए, प्रीमियम का 25%; तथा
- (iii) मरीन माल के अलावा प्रत्यक्ष अधिग्रहण लागत प्रत्यक्ष और संकाय पुनर्वित्त व्यवसाय के संबंध में गणना में ध्यान में रखा जाता है।

(बी) स्थगित अधिग्रहण लागत:

कमीशन और अन्य अधिग्रहण लागत जो वित्तीय अवधि के दौरान भिन्न होती हैं और नए बीमा अनुबंधों को सुरक्षित करने और / या मौजूदा बीमा अनुबंधों को नवीनीकृत करने से संबंधित हैं, लेकिन जो कि बाद की वित्तीय अवधि से संबंधित हैं, इस हद तक स्थगित हैं कि वे भविष्य के राजस्व से पुनर्प्राप्त हैं मार्जिन। स्थगित अधिग्रहण लागत ("डीएसी") की गणना वास्तविक कमीशन पर 365 वें विधि का उपयोग करके की जाती है। अन्य सभी अधिग्रहण लागतों को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर एक हानि समीक्षा की जाती है और यदि आवश्यक हो, तो ले जाने वाला मूल्य पुनर्प्राप्ति योग्य राशि पर लिखा जाता है।

(a) Reserves for unexpired risks, the accounting policy followed by Associate Reserves for unexpired risks comprises the sum of unearned premium reserves and premium deficiency reserves. Premium deficiency reserves are derived using actuarial methods on loss statistics and are recognised when the expected value of claims and expenses attributable to the unexpired periods of policies in force at the balance sheet date for any line of business exceeds the unearned premium reserves.

The unearned premium reserves are computed on the following basis:

- (i) 365th method for all direct and facultative reinsurance classes of business other than marine cargo, for which 25% is applicable;
- (ii) in the case of all classes of treaty reinsurance business, other than marine cargo, 40% of the premiums and for marine cargo, 25% of the premiums; and
- (iii) the actual acquisition cost is taken into account in the computation in respect of direct and facultative reinsurance business, except for marine cargo.

(b) Deferred Acquisition Cost:

Commission and other acquisition costs incurred during the financial period that vary with and are related to securing new insurance contracts and/or renewing existing insurance contracts, but which relates to subsequent financial periods, are deferred to the extent that they are recoverable out of future revenue margins. Deferred acquisition costs ("DAC") are calculated using the 365th method on actual commission. All other acquisition costs are recognised as an expense when incurred.

An impairment review is performed at each reporting date and, if required, the carrying value is written down to the recoverable amount.





**(सी) निश्चित संपत्तियां:**

कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची ८ के भाग सी में दी गई संपत्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर भारत के स्वास्थ्य बीमा टीपीए में लिखित मूल्य विधि पर निर्धारित संपत्तियों पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है। संपत्ति के अवशिष्ट मूल्य को संपत्ति की मूल लागत 5% माना जाता है।

2.क.8 समेकन में उपयोग की जाने वाली सहायक और सहयोगियों के वित्तीय विवरण भारत अंतर्राष्ट्रीय बीमा प्राइवेट लिमिटेड को छोड़कर, कंपनी के अर्थात् 31 मार्च 2018 के समान रिपोर्टिंग तिथि तक तैयार किए जाते हैं, जिसके लिए वित्तीय विवरण 31 दिसंबर 2017 को तैयार किए गए हैं।

सहायक कंपनी और सहयोगियों की सूची जो समेकन और कंपनी होल्डिंग्स में शामिल हैं, निम्नानुसार हैं:

कंपनी का नाम	% में स्वामित्व	का देश निगमन
सहायक कंपनी		
औद्योगिक क्रेडिट कंपनी लिमिटेड	100%	India
एसोसिएट्स		
इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्रा लिमिटेड	20%	Singapore
स्वास्थ्य बीमा टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड	23.75%	India

**3. एसोसिएट्स का उपयोग**

वित्तीय विवरणों, अनुमानों और धारणाओं की तैयारी के लिए जहां भी आवश्यक हो, समझदार आधार पर विचार किया जाता है। लेखांकन अनुमानों में कोई भी संशोधन संभावित रूप से पहचाना जाता है।

**4. शेयरधारकों और पॉलिसीधारकों के फंड:**

शेयरधारकों के फंड में शेयर पूंजी, सामान्य रिजर्व और पूंजी रिजर्व शामिल है। पॉलिसीधारकों के फंड में आईबीएनआर और आईबीएनईआर, अप्रत्याशित जोखिम रिजर्व (यूआरआर), प्रीमियम की कमी, यदि कोई हो, आपदाजनक रिजर्व, यदि कोई हो और अन्य देयताएं अन्य संपत्तियों और देयताओं का शुद्ध बकाया के लिए अनुमानित दायित्व शामिल हैं।

**5. विदेशी मुद्रा लेनदेन / रूपांतरण:**

5.1 लेखांकन मानक के अनुसार 11 विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव (संशोधित 2003), विदेशी शाखाओं

**(c) Fixed Assets:**

The depreciation on fixed assets is provided on written down value method in Health Insurance TPA of India Ltd based on useful lives of assets given in Part C of Schedule II of Companies Act 2013. The residual value of assets have been considered as 5% of the original cost of the asset.

2.A.8 The financial statements of the subsidiary and associates used in the consolidation are drawn upto the same reporting date as that of the company i.e. 31<sup>st</sup> March 2018, except for the India International Insurance Pte Ltd., an associate for which financial statements are drawn as on 31<sup>st</sup> Dec 2017.

The list of subsidiary company and associates which are included in the consolidation and the company holdings therein are as under:

NAME OF THE COMPANY	OWNERSHIP IN %	COUNTRY OF INCORPORATION
SUBSIDIARY COMPANY		
The Industrial Credit Company Ltd	100%	India
ASSOCIATES		
India International Insurance Pte Ltd	20%	Singapore
Health Insurance TPA of India Ltd	23.75%	India

**3. Use of Estimates**

For preparation of financial statements, estimates and assumptions wherever necessary are considered on prudent basis. Any revision to the accounting estimates is recognized prospectively.

**4. Shareholders' and Policyholders' Fund:**

The Shareholders' Fund comprises of Share Capital, General Reserve and Capital Reserve. The Policyholders' Fund comprises of Estimated Liability for Outstanding Claims including IBNR and IBNER, Unexpired Risk Reserve (URR), Premium Deficiency, if any, Catastrophe Reserve, if any and Other Liabilities net off Other Assets.

**5. Foreign Currency Transactions / Conversion:**

5.1 As per Accounting Standard 11 "the effects of changes in foreign exchange rates (revised 2003),







एजेंसियों को “इंटीग्रल विदेशी परिचालन” के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

- 5.2 विदेशी मुद्राओं में अधिग्रहित निश्चित संपत्तियों और निवेश का मूल्य, अधिग्रहण की तारीख पर विनिमय दरों में परिवर्तित / अनुवादित किया जाता है।
- 5.3 विदेशी मुद्राओं में व्यक्त की गई सभी अन्य संपत्तियों और देनदारियों का मूल्य वर्ष-अंत बंद खरीद बोली दर में परिवर्तित / अनुवादित किया जाता है।
- 5.4 विदेशी मुद्राओं में व्यक्त विदेशी शाखाओं और एजेंसियों की आय और व्यय के आइटम वित्तीय वर्ष के दौरान चार तिमाही दरों की औसत विनिमय दर में परिवर्तित / अनुवादित होते हैं, जो दैनिक बंद खरीद बोली दरों का औसत होते हैं।
- 5.5 पुनर्वित्त व्यापार और निवेश से संबंधित राजस्व लेनदेन वित्तीय वर्ष की उस विशेष तिमाही में सभी व्यापारिक दिनों के लिए दैनिक बंद खरीद बोली दरों की औसत विनिमय दर में परिवर्तित / अनुवादित होते हैं।
- 5.6 विदेशी मुद्रा लेनदेन के रूपांतरण पर विनिमय लाभ / हानि आय / व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है।

## 6. राजस्व मान्यता:

### 1.1 कमीशन

पुनर्बीमा सत्रों पर कमीशन की आय वर्ष में आय के रूप में पहचानी जाती है जिसमें पुनर्वित्त प्रीमियम का भुगतान किया जाता है।

जहां भी लागू हो, पुनर्मिलन संधि के तहत लाभ कमीशन, वास्तव में संधि अवधि के बाद वर्ष में गणना की जाती है। लाभ कमीशन के बाद के किसी भी संशोधन को वर्ष में भी मान्यता प्राप्त है जिसमें लाभ का अंतिम निर्धारण किया जाता है।

### 6.2 अप्रत्याशित जोखिमों के लिए आरक्षित

प्रत्येक संबंधित राजस्व खाते में जोखिमों की धारणा के आधार पर प्रीमियम रिकॉर्ड किए जाते हैं, पुनर्मिलन का शुद्ध। अप्रत्याशित जोखिमों के लिए रिजर्व इसके प्रतिशत पर आधारित है, अग्नि, मरीन कार्गो और विविध व्यवसाय के मामले में 50% और मरीन हल व्यवसाय के मामले में 100% है। यह लगातार वित्तीय वर्ष के लिए जिम्मेदार शुद्ध प्रीमियम का प्रतिनिधित्व करता है।

Foreign branches/agencies are classified as “Integral Foreign Operations”.

- 5.2 Value of fixed assets and investments acquired in foreign currencies, is converted/ translated at the exchange rates on the date of acquisition.
- 5.3 Value of all other assets and liabilities expressed in foreign currencies, is converted/translated at the year-end closing purchase bid rate.
- 5.4 Items of income and expenditure of foreign branches and agencies expressed in foreign currencies are converted/ translated at the mean exchange rate of four quarterly rates during the financial year, which are the average of daily closing purchase bid rates.
- 5.5 Revenue transactions relating to reinsurance business and investments are converted/ translated at the average exchange rate of daily closing purchase bid rates for all the trading days in that particular quarter of the financial year.
- 5.6 Exchange Gain/Loss on conversion of foreign currency transactions is recognized as income/ expense.

## 6. Revenue Recognition:

### 1.1 Commission

Commission income on reinsurance cessions is recognized as income in the year in which reinsurance premium is ceded.

Profit commission under reinsurance treaties wherever applicable, is recognized when actually calculated in the year subsequent to the Treaty period. Any subsequent revisions of profit commission also are recognized for in the year in which final determination of the profits is made.

### 6.2 Reserves for Unexpired risk/s

Premiums are recorded, net of reinsurances, based on assumption of risks in each related Revenue account. Reserve for Unexpired Risks is based on a percentage thereof, being 50 % in case of Fire, Marine Cargo and Miscellaneous business and 100% in case of Marine Hull business. It represents the net premium attributable to the successive financial year/s.





### 6.3 पुनर्बीमा स्वीकृत

भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं के संबंध में प्रीमियम आय खातों को अंतिम रूप देने के लिए प्राप्त रिटर्न के आधार पर पहचानी जाती है, और विदेशी पुनर्मिलन के मामले में, आय 31 मार्च तक प्राप्त रिटर्न के आधार पर होती है।

### 6.4 पुनर्बीमा बीमा

पुनर्बीमा सत्र वास्तविकताओं के आधार पर जिम्मेदार हैं। जहां भी पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं हैं, पुनर्बीमा स्वीकृति/ सत्र अनुमान उपलब्ध जानकारी के आधार पर किए जाते हैं।

### 6.5 प्रीमियम अग्रिम में प्राप्त हुआ

अग्रिम में प्राप्त प्रीमियम वर्ष के दौरान जारी नीतियों के संबंध में प्राप्त प्रीमियम का प्रतिनिधित्व करता है, जहां जोखिम बैलेंस शीट की तारीख के बाद शुरू होता है।

### 6.6 लाभांश

1. लाभांश उस वर्ष के लिए जिम्मेदार है जिसमें प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया गया है।
2. आपत्ति/लंबित डिलीवरी के तहत शेयरों पर लाभांश प्राप्ति की गणना की जाती है। अंतरिम लाभांश की गणना तभी की जाती है जहां पूर्व लाभांश दिनांक 31 मार्च को या उससे पहले है।
3. विदेशी कंपनियों (चाहे अंतरिम या अंतिम) से लाभांश संग्रह के आधार पर लिया जाता है।

### 6.7 ब्याज आय

क) ऋण, बांड और डिबेंचरों के संबंध में ब्याज आय आय मान्यता, संपत्ति वर्गीकरण और आईआरडीएआई द्वारा जारी प्रावधान के लिए समझदार मानदंडों के दिशानिर्देशों के अनुसार मान्यता प्राप्त है।

ख) आयकर रिफंड पर ब्याज आय ऑर्डर मिलने के वर्ष में होती है।

### 6.8 वेंचर कैपिटल फंड

वेंचर कैपिटल फंड के संबंध में राजस्व प्राप्ति के आधार पर मान्यता प्राप्त है

### 6.9 प्रीमियम कमी

प्रीमियम की कमी की गणना की जाती है जहां अपेक्षित दावों की लागत, संबंधित व्यय और रखरखाव लागत संबंधित राशि से संबंधित अनधिकृत प्रीमियम से अधिक

### 6.3 Reinsurance Accepted

Premium income in respect of Indian Reinsurers is recognized based on returns received upto finalization of accounts, and in case of foreign reinsurance, the income is accounted for on the basis of returns received upto 31<sup>st</sup> March.

### 6.4 Reinsurance Ceded

Reinsurance cessions are accounted for on the basis of actuals. Wherever full particulars are not available, reinsurance acceptances/ cessions are made on estimates based on available information.

### 6.5 Premium received in Advance

Premium received in advance represents premium received in respect of policies issued during the year, where the risk commences subsequent to the balance sheet date.

### 6.6 Dividend

1. Dividend is accounted for in the year in which right to receive is established.
2. Dividend on shares under objection/ pending delivery is Accounted for on realization. Interim dividend is accounted where the ex-dividend date is on or before 31<sup>st</sup> March.
3. Dividend from foreign companies (whether interim or final) is accounted for on collection basis.

### 6.7 Interest Income

- a) Interest income in respect of loans, bonds and debentures is recognized as per the guidelines for prudential norms for income recognition, asset classification and provisioning issued by IRDAI.
- b) Interest income on Income Tax Refunds is accounted in the year of receipt of order.

### 6.8 Venture Capital Fund

Revenue in respect of Venture capital Fund is recognized on receipt basis

### 6.9 Premium Deficiency

Premium deficiency is calculated where the sum of expected claims costs, related expenses and maintenance costs exceed the related unearned





होती है। प्रीमियम की कमी आईआरडीए दिशानिर्देशों के अनुसार पहचानी जाती है और अप्रत्याशित जोखिम रिजर्व का हिस्सा बनती है।

### 6.10 निवेश से आय- निपटान का आधार

बिक्री/रिडेम्पशन के पिछले दिन के करीब औसत लागत ले कर लाभ/लाभ पर लाभ/हानि की गणना की जाती है।

वर्ष की शुरुआत में इन फंडों के शेष के अनुपात में निवेश आय (व्यय का शुद्ध) शेयरधारकों के धन और पॉलिसीधारकों के धन के बीच विभाजित किया जाता है।

पॉलिसीधारकों से संबंधित निवेश आय (व्यय का शुद्ध) वर्ष की शुरुआत में संबंधित तकनीकी रिजर्व संतुलन के अनुपात में अग्नि, मरीन और विविध खंडों के लिए आगे विभाजित है।

इस उद्देश्य के लिए पॉलिसीधारकों कोष में आईबीएनआर और आईबीएनआर, अप्रत्याशित जोखिम आरक्षित (यूआरआर), प्रीमियम कमी (यदि कोई है), आपदा रिजर्व (यदि कोई है) और अन्य परिसंपत्तियों के अन्य दायित्वों (पॉलिसीधारकों से संबंधित) सहित उत्कृष्ट दावों के लिए अनुमानित देयता शामिल है आईआरडीए के दिशानिर्देशों के अनुसार। अवशिष्ट शेयरधारक के फंड के होते हैं।

6.11 लाभ/बिक्री पर छूट, गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के प्रावधान, शेयरों के मूल्य में कमी के प्रावधान, ऋण प्रतिभूतियों पर प्रीमियम का अमूर्तकरण और ब्याज, लाभांश और किराए के माध्यम से आय राजस्व खातों और लाभ और हानि खाता के बीच आवंटित की जाती है वर्ष की शुरुआत में पॉलिसीधारकों के फंड और शेयरधारकों के फंड के आधार पर।

6.12 बीमा अनुबंधों के नए/नवीनीकरण के अधिग्रहण से संबंधित अधिग्रहण लागत उस वर्ष में ली जाती है, जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

### 7. बकाया दावा:

7.1.क दावों की रिपोर्ट कब और कब की जाती है।

वर्ष के अंत में बकाया दावों के लिए अनुमानित देयता सर्वेक्षण रिपोर्ट, ग्राहकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी, नेताओं की सलाह और अंतिम स्रोत, पिछले अनुभव और अन्य लागू कानूनों तक अन्य स्रोतों पर आधारित है। अनुमानों की निरंतर समीक्षा की जाती है और तदनुसार

premium. The premium deficiency is recognized as per IRDA guidelines and forms part of unexpired risk reserve.

### 6.10 Income From Investments- Basis of Apportionment

Profit/Loss on sale/redemption of investments is computed by taking the average cost as at the close of the preceding day of sale/redemption.

Investment income (net of expenses) is apportioned between Shareholders' funds and Policyholders' funds in proportion to the balance of these funds at the beginning of the year.

Investment income (Net of expenses) belonging to Policyholders is further apportioned to Fire, Marine and Miscellaneous segments in proportion to respective technical reserve balance at the beginning of the year.

Policyholders Fund for this purpose consist of Estimated Liability for outstanding claims including IBNR and IBENR, unexpired risk reserve (URR), premium deficiency (if any), Catastrophe Reserve (if any) and other Liabilities net of other assets (relating to policyholders) as per the guidelines of IRDA. The residual consists of the Shareholder's fund.

6.11 Profit/loss on sale/redemption of investments, provisions for non performing assets, provision for diminution in value of shares, amortization of premium on debt securities and income by way of Interest, Dividend and Rent are allocated between Revenue accounts and Profit & Loss account on the basis of Policyholders' Fund and Shareholders' Fund as at the beginning of the year.

6.12. The acquisition cost relating to acquisition of new/renewal of insurance contracts is charged in the year in which they are incurred.

### 7. Outstanding Claims:

7.1.a Claims are recognized as and when reported.

Estimated liability for outstanding claims at the year end are based on survey reports, information provided by clients, advices of Leaders and other sources upto the date of finalization, past experience and other applicable laws. The





प्रावधान किए जाते हैं। हालांकि, अंतिम देयता, प्रदान की गई राशि से अधिक या उससे कम हो सकती है, जिसके लिए कोई भी समायोजन उस अवधि में दिखाई देगा, जिसमें वे ज्ञात हो जाते हैं। उत्कृष्ट दावों के लिए अनुमानित देयता में शामिल हैं

7.1.ख प्रत्यक्ष व्यापार के संबंध में, साल के अंत तक दावों की सूचनाएं प्राप्त हुईं।

7.1.ग पुनर्बीमा स्वीकृति के संबंध में, अनुमान के आधार पर अगले वर्ष की अलग-अलग तिथियों के रूप में प्राप्त सलाह खातों को अंतिम रूप देने की तारीख तक और जहां भी सलाह प्राप्त नहीं की जाती है।

7.1.घ मोटर थर्ड पार्टी के दावों के संबंध में कंपनी की देयता स्थापित करने के लिए पर्याप्त नीतिगत विवरण के बिना कंपनी पर अदालत के सम्मनों की सेवा की गई है, प्रावधान निम्नानुसार है:

- अनुमानित देयता का 100% जहां ऐसे दावे 1 वर्ष से अधिक के लिए बकाया हैं
- ऐसे सभी दावों के लिए अनुमानित देयता का 1/3 जहां वर्ष के दौरान कंपनी में अदालत के सम्मन की प्राप्ति की गई है।

7.1.ङ दावों के लिए प्रावधान, लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए (आईबीएनआर) और दावों के प्रावधानों के लिए प्रावधान लेकिन पर्याप्त रिपोर्ट नहीं (आईबीएनईआर) वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार किए जाते हैं।

7.1.च कंपनी द्वारा अस्वीकार किए गए दावों के प्रावधान, लेकिन अदालतों/लोकपाल/मध्यस्थता आदि में दावेदारों द्वारा चुनाव किया गया है, जहां यह कहा गया है कि कुछ विकास या अतिरिक्त साक्ष्य के कारण पुरस्कार/निर्णय कंपनी के खिलाफ होने की संभावना है।

## 8. बचाव और दावा वसूली

दावों के तहत बचाव/पुनर्प्राप्ति का निपटान, प्राप्ति के लिए जिम्मेदार है और दावों को जमा किया जाता है।

## 9. प्रबंधन के व्यय-विभाजन

पॉलिसी टिकटों के अलावा प्रबंधन के व्यय को भारत में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के आधार पर राजस्व खातों के लिए विभाजित किया जाता है और पुनर्वित्त प्रीमियम ने स्वीकार किया कि भारत अग्नि और विविध व्यापार के लिए प्रत्येक 100% वेटेज और मरीन व्यापार के

estimates are continually reviewed and provisions made accordingly. However, the final liability may be in excess of, or less than, the amount provided, for which any adjustments will be reflected in the periods in which they become known. Estimated liability for outstanding claims include

7.1.b In respect of direct business, claims intimations received up to the year end.

7.1.c In respect of reinsurance acceptances, advices received as of different dates of subsequent year upto the date of finalization of accounts and on estimation basis wherever advices are not received.

7.1.d In respect of Motor Third Party claims where court summons have been served on the company without adequate policy particulars to establish liability of the company, provision is made as under:

- 100% of estimated liability where such claims are outstanding for more than 1 year
- 1/3<sup>rd</sup> of the estimated liability for all such claims where court summons have been served in the company during the year.

7.1.e Provisions for claims incurred but not reported (IBNR) and provisions for claims incurred but not enough reported (IBNER) are made as per actuarial valuation.

7.1.f Provisions for claims repudiated by the company but contested by the claimants in courts/ ombudsman/ arbitration etc. have been made where it is opined that the awards/decision are likely to be against the company because of certain developments or additional evidence.

## 8. Salvage and claim Recoveries

Disposal of salvage / recoveries under claims, are accounted for on realization and credited to claims.

## 9. Expenses of Management-Apportionment:

Expenses of Management other than policy stamps are apportioned to the Revenue Accounts on the basis of the gross direct premium in India plus reinsurance premium accepted India giving weightage of 100% each for Fire and Miscellaneous





लिए 75% का भार देता है। पॉलिसी टिकट, एजेंसी कमीशन, एमआईएसपी वितरण शुल्क और ब्रोकरेज से संबंधित व्यय सीधे संबंधित राजस्व खातों में आवंटित किए जाते हैं। विविधता के 100% बुनियादी ढांचे खर्च आवंटित किए जा रहे हैं। सेगमेंट के रूप में इन खर्चों को विशेष रूप से मोटर बिजनेस खरीदने के लिए खर्च किया गया था। राजस्व खातों और पी एंड एल खाते में खर्चों का आवंटन आईआरडीएआई नियमों के अनुसार दिनांक 2016/04/24 को किया जाता है।

## 10. निश्चित संपत्ति और मूल्यह्रास:

- 10.1 गुण (अधिग्रहित संपत्ति अधिकारों के लिए सहकारी समितियों में शेयरों की लागत सहित) प्रमुख 'लीजहोल्ड संपत्ति / फ्रीहोल्ड बिल्डिंग' के तहत शामिल हैं।
- 10.2 फिक्स्ड परिसंपत्तियों का मूल्य कम मूल्यह्रास पर मूल्यवान होता है। लागत में अधिग्रहण की लागत और परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किए गए अन्य प्रत्यक्ष व्यय शामिल हैं।
- 10.3 संपत्तियों को पूरा करने के तहत अधिग्रहण किया जाता है लेकिन उपयोग में नहीं रखा जाता है प्रगति में पूंजीगत कार्य के तहत वर्गीकृत किया जाता है।
- 10.4 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के तहत अनुसूची II में निर्धारित एसएलएम आधार पर उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है। हालांकि, कंपनी के वाहन योजना के अनुसार वाहनों के लिए उपयोगी जीवन 5 साल तय किया गया है।
- 10.5 अमूर्त संपत्तियों को अधिग्रहण की लागत के लिए जिम्मेदार है और एस 26 के संदर्भ में कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार 3 वित्तीय वर्षों के अनुमानित उपयोगी जीवन पर अमूर्त किया जाता है।
- 10.6 लीज होल्ड गुण पट्टे की अवधि में उवतजप्रमक हैं।

### 10क.1 जहां कंपनी पट्टेदार है:

पट्टे जहां पट्टेदार प्रभावी रूप से लीज्ड अवधि के स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को प्रभावी रूप से बरकरार रखता है, को ऑपरेटिंग पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पट्टे की अवधि के दौरान सीधे लीज भुगतान लाभ और हानि खाते के विवरण में एक व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है।

business and 75% for Marine business. Expenses relating to Policy Stamps, Agency Commission, MISP distribution fee and Brokerage are directly allocated to respective Revenue Accounts. 100% of the Infrastructure Expenses are being allocated to Misc. Segment as these expenses were exclusively incurred to procure Motor Business. The allocation of expenses to revenue accounts and P & L Account is done as per IRDAI regulations dt. 24.04.2016.

## 10. Fixed Assets & Depreciation:

- 10.1 Properties (inclusive of cost of shares in Co-operative societies for property rights acquired) are included under the head "Leasehold property/ Freehold Buildings".
- 10.2 Fixed assets are valued at cost less depreciation. Cost includes cost of acquisition and other direct expenditure incurred for acquisition of assets.
- 10.3 Assets under completion acquired but not put to use are classified under "Capital Work in Progress".
- 10.4 Depreciation is provided on the basis of useful life on SLM basis as prescribed in Schedule II under section 123 of The Companies Act, 2013. However, useful life for Vehicles is fixed at 5 years as per the conveyance scheme of the company.
- 10.5 Intangible Assets are accounted for at their cost of acquisition and amortized over the estimated useful life of 3 financial years in accordance with The Companies Act, 2013 with reference to AS 26.
- 10.6 Lease hold properties are amortized over the lease period.
- 10A.1 Where the Company is the lessee:

Leases where the lessor effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership of the leased term, are classified as operating leases. Operating lease payments are recognized as an expense in the Statement of Profit & Loss Account on a straight line basis over the lease term.







## 10क2 जहां कंपनी पट्टादाता है:

परिचालन पट्टे के अधीन संपत्तियां निश्चित संपत्तियों में शामिल हैं। समझौते में उल्लिखित शर्तों के अनुसार पी एंड एल खाते में लीज आय मान्यता प्राप्त है। मूल्यहास समेत लागत लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में पहचानी जाती है।

## 11. निवेश:

- 11.1 लागत में अधिग्रहण पर प्रीमियम, ब्रोकरेज और जीएसटी, ट्रांसफर स्टैप, ट्रांसफर शुल्क इत्यादि जैसे खर्च शामिल हैं, और उस पर प्राप्त प्रोत्साहन / शुल्क, यदि कोई हो, तो नेट है।
- 11.2 शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रुमेंट्स जैसे कि जमा प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक कागजात, जिन्हें सहमत दरों पर अनुबंध के समय छूट दी जाती है, को रियायती मूल्य पर माना जाता है।
- 11.3 ऋण प्रतिभूतियां: सरकारी प्रतिभूतियों और रिडीम करने योग्य वरीयता शेयरों सहित ऋण प्रतिभूतियों में निवेश को क्षरिपक्वता के लिए आयोजित माना जाता है और लागत पर मूल्यवान होता है और प्रतिभूतियों पर भुगतान प्रीमियम क्षरिपक्वता की अवशिष्ट अवधि में बढ़ाया जाता है।
- 11.4 इक्विटी सिक्वोरिटीज: इक्विटी शेयरों के संबंध में निवेश पोर्टफोलियो को सक्रिय रूप से कारोबार, पतले व्यापार और असूचीबद्ध में विभाजित किया जाता है।
- 11.4.1 भारत में सक्रिय रूप से कारोबार किए गए इक्विटी शेयर मार्च के महीने में एनएसई में अंतिम उद्धृत बंद मूल्य पर मूल्यवान हैं, जिसे प्राथमिक एक्सचेंज के रूप में चुना जाता है और यदि ऐसी सुरक्षा प्राथमिक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं है / ट्रेडिंग नहीं है, तो वही बीएसई में मार्च के महीने में अंतिम उद्धृत बंद मूल्य पर होगा जिसका चयन माध्यमिक एक्सचेंज के रूप में किया जाता है। गैर-वसूली लाभ / हानि फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट में जिम्मेदार हैं।
- 11.4.2 भारत के बाहर शामिल कंपनियों में आयोजित पतली व्यापार / असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश लागत पर मूल्यवान है। हालांकि, इस तरह के निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान किया जाता है जब कंपनी के नवीनतम वार्षिक खातों के अनुसार ब्रेक-अप मूल्य लागत से नीचे आता है जो पिछले तीन वर्षों से पहले नहीं था। यदि ब्रेक-अप मान नकारात्मक है या जहां

## 10A.2 Where the Company is the lessor:

Assets subject to operating leases are included in fixed assets. Lease income is recognized in the P & L Account as per the terms specified in the agreement. Costs, including depreciation are recognized as an expense in the Profit & Loss Account.

## 11. Investments:

- 11.1 The cost includes premium on acquisition, expenses like brokerage and GST, transfer stamps, transfer charges etc., and is net of incentive/fee, if any, received thereon.
- 11.2 Short Term Money Market instruments such as certificates of deposit and commercial papers, which are discounted at the time of contract at the agreed rates, are accounted at the discounted value.
- 11.3 Debt Securities: Investments in debt securities including Government securities and redeemable preference shares are considered as “held to maturity” and are valued at cost and the premium paid on securities is amortized over the residual period of maturity.
- 11.4 Equity Securities: Investment Portfolio in respect of Equity Shares is segregated into actively traded, thinly traded and unlisted.
- 11.4.1 Actively traded equity shares in India, are valued at the last quoted closing price at NSE in the month of March which is selected as the Primary Exchange and in case such security is not listed/ not traded on the Primary Exchange, the same will be valued at the last quoted closing price at BSE in the month of March which is selected as the Secondary Exchange. The unrealized gain/losses are accounted in Fair Value Change Account.
- 11.4.2 Investment in thinly traded/unlisted equity shares including held in Companies incorporated outside India are valued at cost. However, provision is made for diminution in value of such investments when the break-up value falls below the cost as per the latest annual accounts of the company not earlier than the three immediately preceding years. In case the break-up value is negative or





वर्तमान ब्रेक-अप मान उपलब्ध नहीं है, तो पुस्तक मूल्य के बराबर राशि के लिए प्रावधान किया जाता है।

11.5 वरीयता शेयरों के मामले में, जहां रिडेम्प्शन आय तीन साल से अधिक के लिए होती है, देय राशि के लिए प्रावधान किया जाता है।

11.6 क्षति

इक्विटी इक्विटी और वरीयता शेयरों में मान्यता प्राप्त है, जहां कंपनियां लगातार पिछले तीन वर्षों के लिए लगातार नुकसान कर रही हैं और जिनकी पूंजी आंशिक रूप से / पूरी तरह से अक्षम है या जहां पिछले तीन वर्षों के लिए वार्षिक खाते उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी कंपनियों के शेयरों में निवेश निम्नानुसार है:

11.6.1 इक्विटी शेयर:

ए) सक्रिय रूप से कारोबार किए गए इक्विटी शेयरों के मामले में, अंतिम उद्धृत समापन मूल्य (ऊपर लेखांकन नीति 11.4.1 के अनुसार), या पुस्तक मूल्य जो भी कम हो।

बी) कम व्यापार / असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के मामले में, कंपनी के नवीनतम वार्षिक खातों के मुकाबले ब्रेक-अप वैल्यू के मामले में, कम से कम तीन साल पहले की तुलना में ब्रेक-अप वैल्यू – जहां ब्रेक-अप वैल्यू नकारात्मक है या जहां वार्षिक खाते हैं प्रति वर्ष पिछले तीन वर्षों के लिए उपलब्ध नहीं है, प्रति कंपनी 1/- के मामूली मूल्य के लिए।

11.6.2 वरीयता शेयर:

ए) यदि किसी कंपनी के इक्विटी शेयर सक्रिय रूप से कारोबार कर रहे हैं, तो इसके वरीयता शेयर का मूल्य जो समान अनुपात में है जो इक्विटी शेयर बाजार का मूल्य उसके फेस मूल्य पर निर्भर करता है।

बी) यदि किसी कंपनी के इक्विटी शेयर असूचीबद्ध / कम कारोबार वाले होते हैं, तो इसके वरीयता शेयर मूल्य पर लिखे जाते हैं, जो समान अनुपात में होता है जैसे इक्विटी शेयर के ब्रेक-अप वैल्यू उसके फेस मूल्य पर बढ़ते हैं; जहां इक्विटी शेयर का ब्रेक अप वैल्यू ऋणात्मक है या जहां प्रति वर्ष तीन साल के लिए वार्षिक खाते उपलब्ध नहीं हैं, प्रति कंपनी 1/- के मामूली मूल्य के लिए।

where the current break-up value is not available, provision is made for an amount equivalent to the book value.

11.5 In case of Preference Shares, where redemption proceeds are due for more than three years, provision is made for the amount due.

11.6 Impairment

Impairment is recognized in equity and preference shares, where the companies have been making losses continuously for the three immediately preceding years and whose capital is impaired partially/ fully or where the annual accounts for the three immediately preceding years are not available. Investments in shares of such companies are valued as under:

11.6.1 Equity Shares:

a) In the case of actively traded equity shares, at the last quoted closing price( as per Accounting Policy 11.4.1 above),or book value whichever is lower.

b) In case of thinly traded/unlisted equity shares, at the break-up value as per latest annual accounts of the company not earlier than the three immediately preceding years.- Where the break-up value is negative or where the annual accounts are not available for the three immediately preceding years, to a nominal value of Re 1/- per company.

11.6.2 Preference shares:

a) If the equity shares of a company are actively traded, its preference shares are written down to a value which is in the same proportion as the market value of the equity share bears to its face value.

b) If the equity shares of a Company are unlisted/ thinly traded, its preference shares are written down to a value, which is in the same proportion as the break-up value of equity share bears to its face value; where the break up value of equity share is negative or where the annual accounts are not available for the three immediately preceding years, to a nominal value of Re 1/- per company.





11.6.3 नुकसान मामले में प्रदान की गई हानि, लेखांकन नीति 11.6 में 01/04/2000 के बाद, को वापस लिखा गया है और ये राजस्व / लाभ और हानि नवीनतम खाते में मान्यता प्राप्त है, यदि संचित घाटे पूरी तरह से मिटा दिए जाते हैं और पूंजी पूरी तरह से उपलब्ध प्रकाशित खाते में बहाल हो जाती है। हालांकि, हानि का उलट उन मामलों में इक्विटी और वरीयता शेयर दोनों के लिए मान्यता प्राप्त नहीं है जहां वरीयता शेयरों की रिडेम्प्शन आय तीन साल से अधिक के लिए होती है।

11.7 म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश का मूल्यांकन नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) पर किया जाता है और अवास्तविक लाभ / हानि फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट में होती है।

11.8 वेंचर कैपिटल फंड की इकाइयों में निवेश लागत पर मूल्यवान है। हालांकि यदि नवीनतम नेट एसेट वैल्यू (पिछले 18 महीनों के दौरान उपलब्ध) लागत से नीचे है, तो निवेश और मूल्य संपत्ति के बीच अंतर की सीमा तक निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान किया गया है। पहले मान्यता प्राप्त हानि की सीमा तक एनएवी में कोई भी प्रशंसा राजस्व में ली जाती है।

11.9 मानक/गैर-निष्पादित ऋण/जमा/डिबेंचरों के लिए प्रावधान आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और आईआरडीए/संबंधित आरबीआई दिशानिर्देशों द्वारा जारी प्रावधान के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर किए जाते हैं।

बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के तहत ऋण / निवेश को दीर्घकालिक श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया है क्योंकि उनकी वास्तविकता निश्चित नहीं है।

## 12. कर्मचारी लाभ:

12.1 कर्मचारियों को ग्रेच्युइटी और पेंशन लाभ की देयता वर्ष के अंत में एक्चूरियल मूल्यांकन के अनुसार संचित आधार पर निर्धारित की जाती है और इसे अनुमोदित निधि के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। छुट्टी एनकैशमेंट और अन्य परिभाषित कर्मचारी लाभ के प्रावधान साल के अंत में एक्चूरियल मूल्यांकन के आधार पर किए जाते हैं।

12.2 कंपनी पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि में एक अलग ट्रस्ट में निश्चित योगदान देता है, जो अनुमत प्रतिभूतियों में धन का निवेश करता है। अवधि के लिए फंड में

11.6.3 Impairment loss, provided in terms of accounting policy NO 11.6, after 01/04/2000, is written back and recognized in Revenue / Profit and Loss Account only in case the accumulated losses are fully wiped out and capital fully restored as per the latest available published accounts. However, reversal of impairment loss is not recognized for both equity and preference shares in cases where the redemption proceeds of preference shares are due for more than three years.

11.7 Investments in units of Mutual Funds are valued at Net Asset Value (NAV) and the unrealized gains/losses are accounted in "Fair Value Change Account".

11.8 Investments in units of Venture Capital Fund is valued at cost. However in case the latest Net Asset Value (available during last 18 months) is below Cost, the provision is made for diminution in the Value of Investment to the extent of difference between Cost and Net Asset Value. Any appreciation in the NAV to the extent of loss earlier recognized is taken to revenue.

11.9 Provisions for standard/non-performing loans/deposits/ debentures are made on the basis of prudential norms for income recognition, asset classification and provisioning issued by IRDA / related RBI Guidelines

Loans/investments under non-performing assets as on the date of Balance Sheet have been classified under long term category as their realisability is not certain.

## 12. Employees' Benefits:

12.1 The liability for gratuity and pension benefits to employees is determined on accrual basis as per the actuarial valuation at the year end and is administered through an approved fund. Provisions for leave encashment and other defined employee benefits are made on the basis of actuarial valuation at the year end.

12.2 The Company pays fixed contribution to Provident Fund at predetermined rates to a separate trust, which invests the funds in permitted securities. The contribution to the fund for the period is recognized as expense and is charged to the Profit





योगदान व्यय के रूप में पहचाना जाता है और लाभ और हानि खाते से लिया जाता है। कंपनी का दायित्व इस तरह के निश्चित योगदान तक ही सीमित है।

### 13. कराधान:

कर व्यय (कर बचत) चालू वर्ष कर (यानी आयकर कानून के अनुसार निर्धारित अवधि के लिए कर की राशि), पिछले वर्ष कर और स्थगित कर (लेखा आय के बीच समय अंतर के कर प्रभाव को दर्शाता है) का कुल योग है। अवधि के लिए कर योग्य आय)। इन्हें लाभ और हानि खाते में चार्ज (या जमा) किया जाता है।

#### 13.1 वर्तमान वर्ष शुल्क:

वर्तमान कर के लिए प्रावधान कंपनी के काउंसिल से लागू न्यायिक घोषणाओं और राय के उचित विचार के बाद आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित कंपनी के निर्धारणीय मुनाफे पर किया जाता है।

#### 13.2 पहले साल कर:

अपील के तहत मामलों के लिए प्रावधान उचित अपनाये गए हैं। अस्वीकृति या अन्य कारणों से।

#### 13.3 स्थगित कर:

(ए) स्थगित कर शुल्क या क्रेडिट और संबंधित स्थगित कर देनदारियां कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच उत्पन्न होने वाले समय अंतर के लिए मान्यता प्राप्त हैं जो बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार अधिनियमित या पर्याप्त रूप से लागू की गई हैं।

(बी) स्थगित कर संपत्तियां केवल इस हद तक मान्यता प्राप्त हैं कि एक निश्चित निश्चितता है कि संपत्ति भविष्य में महसूस की जा सकती है। अप्रत्याशित मूल्यह्रास के मामले में और कराधान कानूनों के तहत घाटे को आगे बढ़ाने के मामले में, स्थगित कर संपत्ति केवल उस सीमा तक पहचानी जाती है जब एक आभासी निश्चितता है कि संपत्ति भविष्य में वसूल की जा सकती है। प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर स्थगित कर संपत्ति की समीक्षा की जाती है।

### 14. अनधिकृत क्रेडिट शेष राशि:

जारी करने की तारीख से 3 साल से अधिक के लिए बाध्य चेक, वैधानिक भुगतान, एमएसीटी दावों से संबंधित

& Loss Account. The obligation of the Company is limited to such fixed contribution.

### 13. Taxation:

Tax expense (tax saving) is the aggregate of current year tax (i.e. amount of tax for the period determined in accordance with the income tax law), earlier year tax and deferred tax (reflecting the tax effects of timing differences between the accounting income and taxable income for the period). These are charged (or credited) to the Profit and Loss Account.

#### 13.1 Current Year Charge:

Provision for current tax is made on the assessable profits of the company as determined under The Income Tax Act, 1961 after due consideration of the applicable judicial pronouncements and opinion from the Company's Counsel.

#### 13.2 Earlier year Tax:

Provisions are recorded as considered appropriate, for matters under appeal due to disallowances or for other reasons.

#### 13.3 Deferred Tax:

(a) The deferred tax charge or credit and the corresponding deferred tax liabilities are recognized for timing differences arising between taxable income and accounting income using the tax rate that has been enacted or substantively enacted as on the date of the Balance Sheet.

(b) Deferred tax assets are recognized only to the extent there is a reasonable certainty that the assets can be realized in future. In the case of unabsorbed depreciation and carry forward of losses under taxation laws, deferred tax assets are recognized only to the extent there is a virtual certainty that the assets can be realized in future. Deferred Tax assets are reviewed at each Balance Sheet date.

### 14. Unclaimed Credit Balances:

Stale cheques unclaimed for more than 3 years from the date of issue, except those related to Statutory Payments, MACT Claims or issued to





या प्रीमियम, धनवापसी भुगतान या अन्य बकाया राशि की वापसी के लिए पॉलिसीधारकों को जारी किए गए को छोड़कर, वापस लिखे गए हैं। मामले के आधार पर 3 साल से अधिक समय तक अन्य पुराने क्रेडिट बकाया बेदावे वापस लिखे गए हैं। पॉलिसीधारकों के बकाया से संबंधित दावा न किए गए चेक 'पॉलिसीधारकों के बकाया खाते' में स्थानांतरित किए जाते हैं।

#### 15. निवेश आय

कंपनी के कुल निवेश के मीन फंड पर अर्जित समान प्रतिशत के आधार पर गणना की गई प्रशासन और प्रबंधन शुल्कों की ओर 0.5% की वसूली के बाद दावा न किए गए पॉलिसी धारकों पर अर्जित निवेश आय को पॉलिसीधारकों के खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

policyholders towards refund of premium, claims payment or other dues, are written back. Other old credit balances unclaimed for more than 3 years are written back on case to case basis. Unclaimed Cheques related to policyholders' dues are transferred to "Policyholders' Dues Account".

#### 15. Investment income

Investment Income accrued on the unclaimed policy holders dues after recovery of 0.5% towards administration & management charges calculated on the basis of the same percentage as earned on the Mean funds of the company's total investment is then transferred to Policyholders' Account.







बी. खातों की महत्वपूर्ण अनुसूचियां - समेकित वित्तीय वक्तव्य

1. समेकित संस्थाओं की सूची और नेट परिसंपत्तियों के संबंधित हिस्से और लाभ / हानि

B. Notes forming part of Accounts – Consolidated Financial Statements

1. List of entities consolidated and their respective share of Net assets and Profit/Loss-

इकाई का नाम	Name of the entity	शुद्ध संपत्ति यानी कुल संपत्ति कुल देयताएं के बिना Net Assets i.e. Total Assets minus Total Liabilities		शुद्ध संपत्ति यानी कुल संपत्ति देयताएं के बिना Net Assets i.e. Total Assets minus Total Liabilities		लाभ या हानि में शेयर Share in Profit or Loss		लाभ या हानि में शेयर Share in Profit or Loss	
		2017-18		2016-17		2017-18		2016-17	
		समेकित नेट संपत्ति के% के रूप में As % of Consolidated Net Assets	राशि (रुपये 1000) Amount (Rs'000)	समेकित नेट संपत्ति के% के रूप में As % of Consolidated Net Assets	राशि (रुपये 1000) Amount (Rs'000)	समेकित लाभ / हानि के: के रूप में As % of Consoli dated Profit/ Loss	राशि (रुपये 1000) Amount (Rs'000)	समेकित लाभ / हानि के: के रूप में As % of Consoli dated Profit/ Loss	राशि (रुपये 1000) Amount (Rs'000)
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
पैरेंट:	Parent:								
ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	The Oriental Insurance Company Limited	83.77	29546204	78.36	13187967	100.12	15098917	101.10	-16910994
सहायक	Subsidiary								
औद्योगिक क्रेडिट कंपनी लिमिटेड	The Industrial credit Company Limited	0.00	-78	0.00	-31	0.00	-214	0.00	-13
एसोसिएट्स (इक्विटी विधि के अनुसार निवेश)	Associates (Investment as per the equity method)								
भारतीय	Indian								
1. स्वास्थ्य बीमा टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड	1. Health Insurance TPA of India Ltd.	5.62	198075	0.70	117040	0.00	0	0.00	0
विदेशी	Foreign								
1. इंडिया इंटरनेशनल इश्योरेंस पीटीई लिमिटेड	1. India International Insurance PTE Ltd.	10.61	3741980	20.95	3525206	-0.12	-18465	-1.10	184105
कुल	Total	100%	35268856	100%	16830182	100%	15080238	100%	-16726902

\* एचआईटीपीए में निवेश स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों में खराब हो गया है, इसलिए उपरोक्त गणनाओं में हानि में चालू वर्ष का हिस्सा नहीं लिया गया है।  
वर्ष के लिए समेकित लाभ:  
लाभ के लिए जिम्मेदार : (लाखों रुपये)  
कंपनी के मालिक : रु.150,802.38

\*Investment in HITPA has been impaired in Standalone Financial Statements hence current year share in loss not taken into account in above calculations.  
Consolidated Profit for the Year:  
Profit attributable to: (Rs in lakhs )  
Owners of the Company Rs. 150802.38

आईआरडीएआई द्वारा आवश्यक विवरणों के प्रकटीकरण।

Disclosures of particulars as required by IRDAI.

1. आकस्मिक देयताएं

1. Contingent Liabilities

रुपये लाखों में

Rs. In Lakhs

Sl. No.	विवरण	Particulars	31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
a.	आंशिक भुगतान निवेश	Partly Paid Investments	204.90	384.07
b.	हामीदारी प्रतिबद्धता बकाया	Underwriting Commitment Outstanding	NIL	NIL
c.	नीतियों के तहत उन लोगों के अलावा दावा, ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है	Claims, other than those under policies, not acknowledged as Debt	2899.44	2106.26
d.	कंपनी द्वारा या उसके द्वारा दी गई गारंटी	Guarantee given by or on behalf of the Company	143.21	137.89
e.	विवाद में वैधानिक मांग / देनदारियां, प्रदान नहीं की गईं	Statutory demands/ liabilities, in dispute, not provided for	123400.13#	94948.63**
f.	खातों में प्रदान की गई सीमा तक पुनर्मिलन दायित्वों	Reinsurance obligations to the extent not provided for in Accounts	NIL	NIL
g.	अन्य	Others	551.78*	NIL





कर साल 2011-12 2011-12 और 2012-13 से संबंधित और रु. वित्त वर्ष 2005-06 और 2007-08 के लिए आई। टैक्स मांग के मुकाबले 33720.30 लाख रुपये और रु. वित्त वर्ष 2007-08 और 2011-12 के लिए 368.82 लाख रुपये जुर्माना।

- #रु.123400.13 लाख में शामिल हैं। भारत के प्रतिस्पर्धा कमीशन द्वारा दंड के लिए रु.10052.00 लाख रुपये।
- \*आईआरडीए परिपत्र आईआरडीए/एफ एंड ए/सीआईआर/ विविध/173/07/2017 के अनुपालन में 01.10.2007 (10 साल से अधिक) से पहले मौजूद पॉलिसीधारक के लिए से रु.551.78 लाख वरिष्ठ नागरिक कणन निधि में स्थान हो गया। नहीं।
- \*\* रु। 9 4 9 48.63 लाख में रु। ई 2007-08 और एवाई 2011-12 और आय 2011-12 के लिए आयकर प्राधिकरणों द्वारा उठाए गए दंड के रूप में 53702.04 लाख रुपये और रु। सेवा कर प्राधिकरणों द्वारा उठाए गए मांग और जुर्माना के रूप में 40441.60 लाख।
- सहायक कंपनी के विरुद्ध दावा ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। 1,16,04,928/- (पिछला वर्ष 1,08,45,727/-)।

नोट: 06 मई, 1999 को एक पूर्व-पार्टी मध्यस्थता निर्णय मैसर्स सरस्वती सालानी (स्वर्गीय श्रीमती रमा देवी वार्शने की बेटी) के पक्ष में पारित किया गया था, जो 20 अगस्त, 1999 को अदालत के (मूल आदेश सूट के अनुसार) पूर्व पार्टी लेट श्रीमती रमा देवी वार्शने के 277/71 और खेत के लिए कंपनी के विरुद्ध एक डिक्री 30,82,541.82 पारित किया गया था। एक निष्पादन मामला असर नहीं। भविष्य में ब्याज 13% पीए के साथ उपरोक्त राशि की वसुली के लिए 03 मार्च, 2000 के बाद मानित राशि पर डिक्री धारक द्वारा 11/2000 दायर किया गया है। कंपनी ने मांग को विवादास्पद बताया है और वर्तमान में मामला अतिरिक्त सिविल अलीगढ़ में लंबित है।

एसीजे द्वितीय (सीनियर डिवीजन) अलीगढ़ ने उपर्युक्त मामलों को 15/02/2018 के आदेश के अनुसार खारिज कर दिया है और फाइल को सौंपा गया है, जिसके परिणामस्वरूप इस तारीख की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी पर मुकदमा नहीं है और कोई वित्तीय उत्तरदायित्व कंपनी के पक्ष नहीं चल रहा है। 31 मार्च, 2018 को, आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के लिए समय-अवधि समाप्त नहीं हुआ है और इसलिए व्यक्तिगत समय में आकस्मिक देयता और खुलासा किया गया है।

- #Rs. 123400.13 Lakhs includes Rs. 74658.49 Lakhs as demand, penalty and interest thereon raised by Service Tax Deptt. pertaining to years 2011-12 & 2012-13 and Rs. 33720.30 Lakhs as against I.Tax demand for AY 2005-06 & 2007-08 and Rs. 368.82 Lakhs as penalty for AY 2007-08 & 2011-12 .
- # Rs. 123400.13 Lakhs includes Rs. 10052.00 lakhs for penalty by Competition Commission of India.
- \*Rs. 551.78 Lakhs transferred to Senior Citizen welfare fund from policy holder's fund lying prior to 01.10.2007 (more than 10 years) in compliance to IRDA circular ref. no. IRDA/F&A/CIR/MISC/173/07/2017
- \*\* Rs. 94948.63 Lakhs includes Rs. 53702.04 Lakhs as penalty raised by the Income Tax Authorities for AY 2007-08 and AY 2011-12 and Rs. 40441.60 Lakhs as demand and penalty raised by Service Tax Authorities.
- Claims against the subsidiary Company not acknowledged as debts Rs. 1,16,04,928/- (Previous year Rs. 1,08,45,727/-).

Note: An ex-party arbitration award dated May 06, 1999 was passed in favour of M/s Saraswati Varshney (daughter of Late Smt. Rama Devi Varshney), which made a rule of court on August 20, 1999 (vide original order suit no. 277/71 of ex-party Late Smt. Rama Devi Varshney) and a decree for Rs. 30,82,541.82 was passed against the Company. An execution case bearing no. 11/2000 has filed by the decree holder for recovery of the aforesaid amount along with future interest @ 13% p.a. on the awarded amount after March 03, 2000. Further, the company has contested the demand and at present the case is pending before IInd Additional Civil Judge, Aligarh.

The learned ACJ IInd (Senior Divison) Aligarh vide its order dated 15/02/2018 has dismissed the aforesaid case and file has been consigned, resulting AS ON REPORTING DATE NO CASE IS PENDING AGAINST THE COMPANY AND NO FINANCIAL LIABILITY IS STANDING AGAINST THE COMPANY ON ACCOUNT OF THAT CASE. As on March 31,2018, the time-period for filing the appeal against the order has not expired and hence contingent liability has been carried and disclosed in the financial statements.





- स्वास्थ्य बीमा टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड में पूंजी संचार और अन्य प्रक्रियाएं और आकस्मिक देनदारियों में साझा करें:

पूंजी प्रक्रिया: 9249597 (पिछला वर्ष 128034781)  
 अन्य प्रक्रियाएं: शून्य  
 आकस्मिक देयताएं (बैंक गारंटी): 950000 रुपये (पिछला वर्ष 950000 रुपये)

2. भारत में और बाहर कंपनी की संपत्तियों के लिए असंतुलन

	31.03.2018 को (रुपय लाखों में)	31.03.2017 को (रुपय लाखों में)
क. अदालत के आदेश के अनुसार जमा बैंक खाते	55.14	121.61
ख. सरकार की तरफ से पर्यावरण राहत निधि के तहत जमा जमा	शून्य	शून्य

3. ऋण, निवेश और फिक्स्ड एसेट्स के लिए प्रतिबद्ध और बकाया प्रतिबद्धताएं

	31.03.2018 को (रुपय लाखों में)	31.03.2017 को (रुपय लाखों में)
क. ऋण	1.80	1.80
ख. आंशिक भुगतान शेयर	662.70	15.13
ग. पूंजी प्रतिबद्धता अधिम का नेट	5910.95	14207.49

4. Claims less Reinsurance, paid to

	31.03.2018 को (रुपय लाखों में)	31.03.2017 को (रुपय लाखों में)
क. भारत में दावेदार	759502.75	659389.64
ख. भारत के बाहर दावेदार	27927.66	25907.67
ग. कुल	<b>787430.41</b>	<b>685297.31</b>

सिस्टम जनरेटेड स्टेटमेंट्स एक्सएल सहित आरआई रिकवरीज के लेखांकन के आधार के रूप में उपयोग किए जाते हैं।

5. दावों की अवधि के मामले में दावा देनदारियों के निर्धारण के लिए एकचूरियल धारणाएं होती हैं जहां दावा भुगतान अवधि चार वर्ष से अधिक हो जाती है।

दावों की अवधि चार साल से अधिक होने वाले दावों के मामले में दावा दायित्वों को पूरा करने के लिए कोई अलग धारणा नहीं होती है। सभी दावों का संरक्षण सामान्यह त्रिकोणीय विधि के माध्यम से किया जाता है।

- Share in capital commitments and other commitments and contingent liabilities in Health Insurance TPA of India Ltd:

Capital commitments :  
 Rs 92495197 (Previous Year Rs 128034781)  
 Other Commitments : NIL  
 Contingent Liabilities (Bank Guarantee) :  
 Rs 950000 (Previous Year Rs 950000)

2. Encumbrances to assets of the Company in and outside India

	As at 31.03.2018 (Rs. In Lakhs)	As at 31.03.2017 (Rs. In Lakhs)
a. Bank Accounts frozen as per Court Orders	55.14	121.61
b. Deposits held under Environment Relief fund on behalf of the Government	NIL	NIL

3. Commitments made and outstanding for loans, investments and Fixed Assets

	As at 31.03.2018 (Rs. In Lakhs)	As at 31.03.2017 (Rs. In Lakhs)
a. Loans	1.80	1.80
b. Partly Paid Shares	662.70	15.13
c. Capital Commitments Net of Advances	5910.95	14207.49

4. Claims less Reinsurance, paid to

	As at 31.03.2018 (Rs. In Lakhs)	As at 31.03.2017 (Rs. In Lakhs)
a. Claimants in India	759502.75	659389.64
b. Claimants outside India	27927.66	25907.67
<b>c. Total</b>	<b>787430.41</b>	<b>685297.31</b>

System generated statements are used as a basis for accounting of RI recoveries including XL.

5. Actuarial assumptions for the determination of claim liabilities in the case of claims where the claim payment period exceed four years.

No separate assumptions are being taken to work out claims liabilities in the case of claims where the claims payment period exceed four years. Reserving of all claims are done through normal triangulation method.

6. दावों का एजिंग (आईबीएनआर को छोड़कर प्रत्यक्ष) क) भारत के भीतर





6. दावों का एजिंग (आईबीएनआर को छोड़कर प्रत्यक्ष)  
 क) भारत के भीतर  
 6. Ageing of claims (Direct excluding IBNR)  
 a) Within India

(रुपये लाखों में) (Rs. in Lakhs)

व्यापार श्रेणी Class of Business	वर्ष Year	बकाया दावे/ Claims outstanding for					
		6 महीने से ज्यादा More than six months		6 महीने से कम Less than six months		कुल Total	
		संख्या Number	राशि Amount	संख्या Number	राशि Amount	संख्या Number	राशि Amount
अग्नि Fire	As at 31.3.18	1883	132632	814	33681	2697	166313
	As at 31.3.17	2587	139622	1086	30463	3673	170086
मरीन Marine	As at 31.3.18	1284	55816	1063	6770	2347	62586
	As at 31.3.17	1924	64859	1857	7462	3781	72321
विविध Misc	As at 31.3.18	135159	444753	98394	187137	233553	631890
	As at 31.3.17	153754	436344	112076	124775	265830	561119
कुल Total	As at 31.3.18	138326	633201	100271	227588	238597	860789
	As at 31.3.17	158265	640825	115019	162701	273284	803526

- b) भारत के बाहर/ Outside India

(रुपये लाखों में) (Rs. in Lakhs)

व्यापार श्रेणी Class of Business	वर्ष Year	बकाया दावे/ Claims outstanding for					
		6 महीने से ज्यादा More than six months		6 महीने से कम Less than six months		कुल Total	
		संख्या Number	राशि Amount	संख्या Number	राशि Amount	संख्या Number	राशि Amount
अग्नि Fire	As at 31.3.18	115	4935	59	3645	174	8580
	As at 31.3.17	115	3351	73	1683	188	5035
मरीन Marine	As at 31.3.18	100	2135	62	371	162	2506
	As at 31.3.17	99	422	72	1249	171	1671
विविध Misc	As at 31.3.18	3891	5255	13378	3852	17269	9107
	As at 31.3.17	3861	6790	5349	5344	9210	12134
कुल Total	As at 31.3.18	4106	12325	13499	7868	17605	20193
	As at 31.3.17	4075	10564	5494	8275	9569	18839

- c) Total

(रुपये लाखों में) (Rs. in Lakhs)

व्यापार श्रेणी Class of Business	वर्ष Year	बकाया दावे/ Claims outstanding for					
		6 महीने से ज्यादा More than six months		6 महीने से कम Less than six months		कुल Total	
		संख्या Number	राशि Amount	संख्या Number	राशि Amount	संख्या Number	राशि Amount
अग्नि Fire	As at 31.3.18 को	1998	137567	873	37326	2871	174893
	As at 31.3.17 को	2702	142974	1159	32146	3861	175120
मरीन Marine	As at 31.3.18 को	1384	57951	1125	7141	2509	65092
	As at 31.3.17 को	2023	65281	1929	8711	3952	73992
विविध Misc	As at 31.3.18 को	139050	450008	111772	190989	250822	640997
	As at 31.3.17 को	157615	443134	117425	130119	275040	573253
कुल Total	As at 31.3.18 को	142432	645526	113770	235456	256202	880982
	As at 31.3.17 को	162340	651389	120513	170976	282853	822366





7. प्रीमियम कम पुनर्वित्त से बीमा / Premium less Reinsurance underwritten from

(रुपये लाखों में) (Rs. in Lakhs)

		31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
क. भारत में व्यापार	a. Business in India	974164.65	890457.02
ख. भारत के बाहर व्यापार	b. Business outside India	28657.95	31781.54
ग. कुल	c. Total	1002822.60	922238.56

8. निवेश के संबंध में अनुबंधों का मूल्य / Value of contracts in relation to investments for

(Rs. In Lakhs)

		31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
क. खरीद जहां डिलीवरी लंबित हैं	a. Purchases where deliveries are pending	NIL	NIL
ख. बिक्री जहां भुगतान अतिदेय है	b. Sales where payments are overdue	NIL	NIL

9. फेयर वैल्यू बेसिस पर मूल्यवान इक्विटी शेयरों /  
म्यूचुअल फंड की इकाइयों की ऐतिहासिक लागत

(रुपये लाखों में)

	31.03.2018 को	31.03.2017 को
फेयर वैल्यू बेसिस पर मूल्यवान इक्विटी शेयरों / म्यूचुअल फंड की इकाइयों की ऐतिहासिक लागत	313260.63	272665.11

9. Historical cost of Equity Shares/ Units of Mutual Funds valued on Fair Value Basis

(Rs. In Lakhs)

	As at 31.03.2018 को	As at 31.03.2017 को
Historical cost of Equity Shares/ Units of Mutual Funds valued on Fair Value Basis	313260.63	272665.11

10. प्रबंधकीय पारिश्रमिक की गणना

अधिसूचना संख्या के अनुसार। कंपनी अधिनियम, 2013 की 05.06.2015 धारा 197 की जीएसआर 463 (ई), प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों को देय पारिश्रमिक पर प्रतिबंध, सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है।

10. Computation of managerial remuneration

As per notification no. GSR 463(E) dated 05.06.2015 section 197 of the Companies Act, 2013, the restriction on remuneration payable to Key Managerial Persons, is not applicable to Government Companies.

11. निवेश संपत्ति का उचित मूल्य और इसके आधार पर

जैसा कि आईआरडीएआई (वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षकों की बीमा कंपनियों की रिपोर्ट) विनियमन, 2000 के तहत आवश्यक है, निवेश संपत्ति का मूल्य ऐतिहासिक लागत पर कम संचित मूल्यह्रास और हानि हानि, यदि कोई हो, पर मूल्यवान है।

11. Fair value of Investment Property and basis thereof

As required under the IRDAI (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2000, the value of Investment Property has been valued at historical cost less accumulated depreciation and impairment loss, if any.

12. दावा निपटारे और बकाया बकाया /

(रुपये लाखों में)

12. Claims settled and remaining unpaid

(Rs. In Lakhs)

	31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
बैलेंस शीट तिथि के अनुसार 6 महीने से अधिक समय के लिए दावा निपटारे और बकाया शेष Claims settled and remaining unpaid for more than 6 months as on the Balance Sheet date	शून्य NIL	शून्य NIL







13. सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार किए गए निवेश / Investments made in accordance with statutory requirements

(रुपये लाखों में) (Rs. in Lakhs)

		31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
क. स्थानीय कानूनों के तहत वैधानिक जमा के माध्यम से भारत के बाहर किए गए निवेश	a. Investments made outside India by way of Statutory Deposits under local laws	12841.00	10079.23
ख. एसईबीआई निर्देशों के अनुसार संस्थागत व्यापार के लिए मार्जिन के रूप में सावधि जमा	b. Fixed Deposits as margins for Institutional Trades as per SEBI directives	500.00	500.00

14. लेखांकन नीति संख्या 11.9 के अनुसार आय मान्यता के उद्देश्य के लिए ऋण सहित \* और गैर निष्पादित ' निवेश करना निम्नानुसार है:

14. Performing\* and non-performing\* investments including loans for the purpose of income recognition as per Accounting Policy No. 11.9 are as under:

(रुपये लाखों में) (Rs. in Lakhs)

		31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
क. निवेश करना	a. Performing Investments	1086472.42	961586.64
ख. गैर-निष्पादित निवेश	b. Non-Performing Investments	2883.12	3959.69
ग. कुल	c. Total	1089355.54	965546.33

\* म्यूचुअल फंड, उद्यम निधि, इक्विटी और वरीयता शेयरों को छोड़कर।

\* Excluding mutual fund, venture fund, equity and preference shares.

15. पिछले 5 वर्षों के लिए वित्तीय विवरणों का सारांश:

पिछले पांच वर्षों से कंपनी के वित्तीय विवरणों का सारांश निम्नानुसार है:

15. Summary of financial statements for the last 5 years:

The summary of financial statements of the Company for the last five years are as under:

(रुपये लाखों में) (Rs. in Lakhs)

क्र.सं. S.N.	विवरण	Particulars	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
	परिचालन परिणाम	<b>OPERATING RESULTS</b>					
1	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	Gross Direct Premium	1173684	1111702	861159	756193	728254
2	नेट प्रीमियम	Net Premium	1002823	922239	754374	647238	638147
3	निवेश से आय (शुद्ध)	Income from Investment (net)	329233	232568	182268	210054	191740
4	अन्य आय	Other Income	10360	8931	26611	4894	3325
5	कुल आय	Total Income	1342416	1163738	963253	862186	833212
6	कमीशन (नेट) (ब्रोकरेज सहित)	Commission(Net)(Including Brokerage)	63720	50025	46310	34782	35744
7	परिचालन खर्च	Operating Expenses	269299	282124	258009	234798	177543
8	शुद्ध व्यय दावा	Net Incurred Claims	822121	939810	587959	526150	511102
9	अप्रत्याशित जोखिम रिजर्व में बदलें	Change in Unexpired Risk Reserve	40022	83912	51984	4722	42750
10	ऑपरेटिंग लाभ / हानि	Operating Profit/Loss	147254	(192133)	18991	61734	66073
	नॉन ऑपरेटिंग परिणाम	<b>NON OPERATING RESULT</b>					
11	शेयरधारक के खाते के तहत कुल आय (क) सीएसआर (ख) स्वीकार्य सीमा पर ईओएम से अधिक	Total Income under Shareholder's account (a) C.S.R (b) Excess of EOM over allowable limit	(669) (8356)	(407) (6569)			
12	कर से पहले लाभ / (हानि) (घटायें: पहले अवधि के आइटम)	Profit/(loss) before tax (less: Prior period items)	138229	(198926)	18926	62035	65381





क्र.सं. S.N.	विवरण	Particulars	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
13	कर के लिए प्रावधान (पिछले वर्षों और डीटीए / डीटीएल के प्रावधान सहित)	Provision for tax (including provision for earlier years and DTA/DTL)	12760	29816	(11123)	22825	19352
14	कर के बाद लाभ / (हानि)	Profit/(loss) after tax	150989	(169110)	30049	39210	46029
15	पोलिसीधारक का खाता:	Policyholder's Account:					
	कुल धन	Total funds	1537419	1463145	1124281	1053979	1031090
	कुल निवेश	Total Investments	2064416	1836945	1505420	1609782	899955
	निवेश पर पैदावार	Yield on Investments	8.92%	8.72%	9.10%	9.12%	8.92%
16	शेयरधारक का खाता	Shareholder's Account					
	कुल धन	Total funds	315669	164680	333790	318183	292174
	कुल निवेश	Total Investments	215951	443275	454508	456160	251766
	निवेश से आय	Yield on Investments	8.92%	8.72%	9.10%	9.12%	8.92%
17	इक्विटी पूंजी का भुगतान किया	Paid up Equity Capital	20000	20000	20000	20000	15000
18	कुल मूल्य	Net Worth	315669	133448	271326	318183	289202
19	कुल संपत्ति	Total Assets	299841	2936227	2554416	2628486	2390805
20	कुल निवेश पर पैदावार	Yield on total investments	8.92%	8.72%	9.10%	9.12%	8.92%
21	कमाई प्रति शेयर (₹.)	Earning per share (Rs.)	75.49	(84.55)	15.02	19.60	30.69
22	बुक वैल्यू प्रति शेयर (₹.)	Book Value per share (Rs.)	157.83	66.72	135.66	159.09	192.80
23	कुल लाभांश	Total Dividend	-	-	12000.00	11000.00	10800.00
24	प्रति शेयर लाभांश (₹.प्रति)	Dividend per share (Rs)	-	-	6.00	5.50	7.20

16. गैर जीवन विश्लेषणात्मक अनुपात/NON LIFE ANALYTICAL RATIOS

(₹.प्रति लाखों में) (Rs. in Lakhs)

Sl. No.	विवरण	Particulars	गणना का तरीका Method of computation	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2018 Gross Direct Premium 31.03.2018	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2017 Gross Direct Premium 31.03.2017	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2016 Gross Direct Premium 31.03.2016	31.03.2018 को समाप्त होने वाले 12 महीनों के लिए वृद्धि Growth for 12 months ending 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त होने वाले 12 महीनों के लिए वृद्धि Growth for 12 months ending 31.03.2017
1	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर (कुल)	Gross Direct Premium Growth Rate (Total)					%	%
	अग्नि	Fire		99662	104289	104754	-4.44	-0.44
	मरीन कार्गो	Marine Cargo		21307	22517	24327	-5.38	-7.44
	मरीन हल	Marine Hull		10157	16880	19928	-39.83	-15.29
	मोटर ओडी	Motor OD		166849	156113	140152	6.88	11.39
	मोटर टीपी (गैर पूल)	Motor TP(Non- Pool)	(जीडीपीआई (सीवाई) - जीडीपीआई (पीवाई)) / जीडीपीआई (पीवाई)	282826	236819	188448	19.43	25.67
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)	(GDPI (CY)- GDPI (PY))/ GDPI (PY)	0	0	0	0.00	0.00
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)		0	0	4841	0.00	-100.00
	अभियांत्रिकी	Engineering		23211	29113	33164	-20.27	-12.22
	विमानन	Aviation		8812	8980	9725	-1.87	-7.67
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation		6138	7047	7981	-12.91	-11.69
	निजी दुर्घटना	Personal Accident		55961	52690	16509	6.21	219.15
	स्वास्थ्य	Health		360844	332339	261599	8.58	27.04
	देयता	Liability		7278	7054	5451	3.17	29.41
	अन्य विविध	Other Miscellaneous		130638	137861	44281	-5.24	211.33
	कुल	Total		1173684	1111702	861159	5.58	29.09
1a	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर (केवल भारतीय)	Gross Direct Premium Growth Rate (Indian Only)					%	%





	अग्नि	Fire		92296	96636	98403	-4.49	-1.80
	मरीन कार्गो	Marine Cargo		19246	20272	22246	-5.06	-8.87
	मरीन हल	Marine Hull		10128	16833	19787	-39.83	-14.93
	मोटर ओडी	Motor OD		154455	142202	127369	8.62	11.65
	मोटर टीपी (गैर पूल)	Motor TP(Non- Pool)		281293	232162	182853	21.16	26.97
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)		0	0	0	0.00	0.00
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)		0	0	4841	0.00	-100.00
	अभियांत्रिकी	Engineering	(जीडीपीआई (सीवाई) - जीडीपीआई (पीवाई)) / जीडीपीआई (पीवाई)	22633	28307	32295	-20.04	-12.35
	विमानन	Aviation	(GDPI (CY)- GDPI (PY))/ GDPI (PY)	8812	8980	9725	-1.87	-7.67
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation		5749	6601	7423	-12.91	-11.07
	निजी दुर्घटना	Personal Accident		55765	52449	16348	6.32	220.83
	स्वास्थ्य	Health		358117	332187	261467	7.81	27.05
	देयता	Liability		6800	6602	5114	3.00	29.10
	अन्य विविध	Other Miscellaneous		129904	137104	43602	-5.25	214.44
	कुल	Total		1145197	1080334	831474	6.00	29.93
1b	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर (केवल विदेशी)	Gross Direct Premium Growth Rate (Foreign Only)					%	%
	अग्नि	Fire		7367	7653	6351	-3.74	20.50
	मरीन कार्गो	Marine Cargo		2061	2245	2081	-8.18	7.88
	मरीन हल	Marine Hull		29	48	141	-38.66	-66.19
	मोटर ओडी	Motor OD		12394	13911	12783	-10.90	8.82
	मोटर टीपी (गैर पूल)	Motor TP(Non- Pool)		1533	4658	5595	-67.08	-16.74
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)		0	0	0	0.00	0.00
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)		0	0	0	0.00	0.00
	अभियांत्रिकी	Engineering	(जीडीपीआई (सीवाई) - जीडीपीआई (पीवाई)) / जीडीपीआई (पीवाई)	578	806	869	-28.27	-7.29
	विमानन	Aviation	(GDPI (CY)- GDPI (PY))/ GDPI (PY)	0	0	0	0.00	0.00
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation		389	446	558	-12.87	-20.01
	निजी दुर्घटना	Personal Accident		196	241	161	-18.61	49.47
	स्वास्थ्य	Health		2727	153	131	1687.81	16.24
	देयता	Liability		478	452	337	5.69	34.08
	अन्य विविध	Other Miscellaneous		734	757	679	-3.01	11.58
	कुल	Total		28487	31369	29685	-9.19	5.67
2	सकल लिखित प्रीमियम वृद्धि दर (कुल)	Gross Written Premium Growth Rate (Total)					%	%
	अग्नि	Fire		117106	120368	117698	-2.71	2.27
	मरीन कार्गो	Marine Cargo		21474	22622	24460	-5.08	-7.51
	मरीन हल	Marine Hull		10600	17790	20902	-40.42	-14.89
	मोटर ओडी	Motor OD		166941	156154	140216	6.91	11.37
	मोटर टीपी (गैर पूल)	Motor TP(Non- Pool)		282829	236820	188450	19.43	25.67
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)		0	0	0	0.00	0.00
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)		0	2364	7045	-100.00	-66.44
	अभियांत्रिकी	Engineering	(जीडब्ल्यूपीआई (सीवाई) - जीडब्ल्यूपीआई (पीवाई)) / जीडब्ल्यूपीआई (पीवाई)	27416	32262	37449	-15.02	-13.85
	विमानन	Aviation	(GWPI (CY)- GWPI (PY))/ GWPI (PY)	11140	11094	11767	0.42	-5.72
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation		6138	7048	7981	-12.91	-11.69
	निजी दुर्घटना	Personal Accident		55973	52808	16525	5.99	219.57
	स्वास्थ्य	Health		360864	332339	261600	8.58	27.04
	देयता	Liability		7884	7651	5474	3.05	39.76
	अन्य विविध	Other Miscellaneous		141109	149964	51605	-5.90	190.60
	कुल	Total		1209473	1149284	891172	5.24	28.96
2a	सकल लिखित प्रीमियम वृद्धि दर (केवल भारतीय)	Gross Written Premium Growth Rate (Indian Only)					%	%





	अग्नि	Fire		105296	109126	108351	-3.51	0.71
	मरीन कार्गो	Marine Cargo		19249	20272	22246	-5.05	-8.87
	मरीन हल	Marine Hull		10443	17509	20589	-40.35	-14.96
	मोटर ओडी	Motor OD		154455	142202	127369	8.62	11.65
	मोटर टीपी (गैर पूल)	Motor TP(Non- Pool)	(जीडब्ल्यूपीआई (सीवाई)	281293	232162	182853	21.16	26.97
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)	-जीडब्ल्यूपीआई (पीवाई) /	0	0	0	0.00	0.00
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)	जीडब्ल्यूपीआई (पीवाई)	0	2364	7045	-100.00	-66.44
	अभियांत्रिकी	Engineering	(GWPI (CY)-	25911	31019	36101	-16.47	-14.08
	विमानन	Aviation	GWPI (PY))/	9305	9610	9974	-3.16	-3.65
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation	GWPI (PY)	5749	6601	7423	-12.91	-11.07
	निजी दुर्घटना	Personal Accident		55774	52458	16361	6.32	220.62
	स्वास्थ्य	Health		358117	332187	261467	7.81	27.05
	देयता	Liability		7401	7194	5131	2.87	40.22
	अन्य विविध	Other Miscellaneous		140226	148982	50736	-5.88	193.64
	कुल	Total		1173220	1111686	855645	5.54	29.92
2b	सकल लिखित प्रीमियम वृद्धि दर (केवल विदेशी)	Gross Written Premium Growth Rate (Foreign Only)					%	%
	अग्नि	Fire		11809	11242	9347	5.05	20.28
	मरीन कार्गो	Marine Cargo		2225	2349	2214	-5.31	6.11
	मरीन हल	Marine Hull		156	281	312	-44.45	-9.93
	मोटर ओडी	Motor OD	(जीडब्ल्यूपीआई (सीवाई)	12485	13951	12847	-10.51	8.60
	मोटर टीपी (गैर पूल)	Motor TP(Non- Pool)	-जीडब्ल्यूपीआई (पीवाई) /	1536	4659	5597	-67.03	-16.76
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)	जीडब्ल्यूपीआई (पीवाई)	0	0	0	0.00	0.00
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)	(GWPI (CY)-	0	0	0	0.00	0.00
	अभियांत्रिकी	Engineering	GWPI (PY))/	1505	1243	1349	21.09	-7.85
	विमानन	Aviation	GWPI (PY)	1835	1484	1794	23.61	-17.25
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation		389	447	558	-12.86	-19.91
	निजी दुर्घटना	Personal Accident		199	350	164	-43.23	114.13
	स्वास्थ्य	Health		2747	153	133	1700.50	14.57
	देयता	Liability		483	456	343	5.92	32.95
	अन्य विविध	Other Miscellaneous		883	982	870	-10.09	12.84
	कुल	Total		36252	37598	35527	-3.58	5.83
3	नेट वर्थ अनुपात के लिए सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	Gross Direct Premium to Net Worth Ratio		31.03.2018 समाप्त 12 महीने 12 months ending 31.03.2018	31.03.2018 समाप्त 12 महीने 12 months ending 31.03.2018	31.03.2018 समाप्त 12 महीने 12 months ending 31.03.2018	%	%
	सकल प्रीमियम	Gross Premium	जीडीपीआई / नेट वर्थ	1173684	1111702	861159		
	कुल मूल्य	Net Worth	GDPI/Net Worth	315669	133448	271326		
	सकल प्रीमियम का अनुपात शुद्ध मूल्य (समय)	Ratio of Gross Premium to Net Worth (times)		3.72	8.33	3.17		
4	नेट वर्थ की वृद्धि दर	Growth rate of Net Worth		31.03.2018 समाप्त 12 महीने 12 months ending 31.03.2018	31.03.2018 समाप्त 12 महीने 12 months ending 31.03.2018	31.03.2018 समाप्त 12 महीने 12 months ending 31.03.2018	%	%
	चालू वर्ष / अवधि के अंत में नेट वर्थ	Net Worth at the end of current year/period	[पीवाई के सीवाई-नेट वर्थ का नेट वर्थ] / नेट वर्थ-पीवाई	315669	133448	271326		
	पिछले वर्ष / अवधि के अंत में नेट वर्थ	Net Worth at the end of previous year/period	[Net Worth of CY-Net Worth of PY)]/ Net Worth-PY	133448	271326	318183		
	विकास और विकास दर (%)	Growth and Growth rate (%)		182221	-137878	-46857	136.55	-50.82





5	नेट प्रतिधारण अनुपात (कुल)	Net Retention Ratio (Total)		नेट प्रीमियम	नेट प्रीमियम	नेट प्रीमियम	Retention Ratio(%)	Retention Ratio(%)
				31.03.2018	31.03.2018	31.03.2018		
				Net Premium	Net Premium	Net Premium		
				31.03.2018	31.03.2018	31.03.2018		
	अग्नि	Fire	नेट लिखित प्रीमियम / (सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय + पुनर्भिलन स्वीकृत) Net Written Premium / (Gross Direct Premium Income+ Reinsurance Accepted)	58439	59638	62440	49.90	49.55
	मरीन कार्गो	Marine Cargo		17659	19195	20953	82.23	84.85
	मरीन हल	Marine Hull		4048	4588	4628	38.19	25.79
	मोटर ओडी	Motor OD		158262	148141	133327	94.80	94.87
	मोटर टीपी (नैर पूल)	Motor TP(Non- Pool)		268000	224265	178807	94.76	94.70
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)		0	0	0	0.00	0.00
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)		0	1384	4151	0.00	58.55
	अभियांत्रिकी	Engineering		20279	20621	25798	73.97	63.92
	विमानन	Aviation		2263	1967	1888	20.32	17.73
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation		5847	6703	7581	95.26	95.10
	निजी दुर्घटना	Personal Accident		50212	42645	15020	89.71	80.75
	स्वास्थ्य	Health		341515	315733	248530	94.64	95.00
	देयता	Liability		5666	5583	4735	71.86	72.97
	अन्य विविध	Other Miscellaneous		70632	71776	46515	50.05	47.86
	सभी विभाग	All Departments		1002823	922239	754374	82.91	80.24
5a	नेट प्रतिधारण अनुपात (केवल भारतीय)	Net Retention Ratio (Indian Only)			नेट प्रीमियम	नेट प्रीमियम	नेट प्रीमियम	Retention Ratio(%)
				31.03.2018	31.03.2018	31.03.2018		
				Net Premium	Net Premium	Net Premium		
				31.03.2018	31.03.2018	31.03.2018		
	अग्नि	Fire	नेट लिखित प्रीमियम / (सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय + पुनर्भिलन स्वीकृत) Net Written Premium / (Gross Direct Premium Income+ Reinsurance Accepted)	50906	52393	55733	48.35	48.01
	मरीन कार्गो	Marine Cargo		15560	17023	18870	80.84	83.97
	मरीन हल	Marine Hull		3893	4308	4335	37.27	24.60
	मोटर ओडी	Motor OD		146732	135093	121000	95.00	95.00
	मोटर टीपी (नैर पूल)	Motor TP(Non- Pool)		266464	219607	173234	94.73	94.59
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)		0	0	0	0.00	0.00
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)		0	1384	4151	0.00	58.55
	अभियांत्रिकी	Engineering		18911	19674	24724	72.98	63.43
	विमानन	Aviation		526	584	150	5.65	6.07
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation		5461	6271	7052	95.00	95.00
	निजी दुर्घटना	Personal Accident		50061	42354	14893	89.76	80.74
	स्वास्थ्य	Health		340349	315580	248396	95.04	95.00
	देयता	Liability		5208	5152	4406	70.37	71.62
	अन्य विविध	Other Miscellaneous		70092	71034	45854	49.98	47.68
	सभी विभाग	All Departments		974165	890457	722800	83.03	80.10
5b	नेट प्रतिधारण अनुपात (केवल विदेशी)	Net Retention Ratio (Foreign Only)			नेट प्रीमियम	नेट प्रीमियम	नेट प्रीमियम	प्रतिधारण अनुपात(%)
				31.03.2018	31.03.2018	31.03.2018	Retention Ratio(%)	Retention Ratio(%)
				Net Premium	Net Premium	Net Premium		
				31.03.2018	31.03.2018	31.03.2018		
	अग्नि	Fire	नेट लिखित प्रीमियम / (सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय + पुनर्भिलन स्वीकृत) Net Written Premium / (Gross Direct Premium Income+ Reinsurance Accepted)	7532	7245	6707	63.78	64.44
	मरीन कार्गो	Marine Cargo		2098	2173	2083	94.32	92.47
	मरीन हल	Marine Hull		156	280	293	99.53	99.61
	मोटर ओडी	Motor OD		11529	13048	12327	92.34	93.52
	मोटर टीपी (नैर पूल)	Motor TP(Non- Pool)		1536	4659	5573	100.00	100.00
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)		0	0	0	0.00	0.00
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)		0	0	0	0.00	0.00
	अभियांत्रिकी	Engineering		1368	947	1074	90.92	76.21
	विमानन	Aviation		1737	1384	1738	94.69	93.22
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation		386	432	529	99.12	96.63
	निजी दुर्घटना	Personal Accident		151	291	127	75.87	83.00
	स्वास्थ्य	Health		1166	153	133	42.45	100.00
	देयता	Liability		458	430	329	94.83	94.25
	अन्य विविध	Other Miscellaneous		540	741	662	61.16	75.52
	सभी विभाग	All Departments		28658	31781	31574	79.05	84.53







6	नेट कमीशन अनुपात - कुल (%)	NET COMMISSION RATIO - TOTAL (%)		नेट कमीशन/ Net Commission 31.03.2018	नेट कमीशन/ Net Commission 31.03.2018	नेट कमीशन/ Net Commission 31.03.2018	नेट कमीशन/ Net Commission 31.03.2018	नेट कमीशन/ Net Commission 31.03.2018
	अग्नि	Fire	नेट कमीशन / नेट लिखित प्रीमियम Net Commission/ Net Written Premium	9607	6870	5267	16.44	11.52
	मरीन कार्गो	Marine Cargo		2287	2593	2782	12.95	13.51
	मरीन हल	Marine Hull		-136	-130	-569	-3.35	-2.82
	मोटोर ओडी	Motor OD		23264	13666	12504	14.70	9.23
	मोटोर टीपी (नैर पूल)	Motor TP(Non- Pool)		1678	1234	1548	0.63	0.55
	मोटोर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)		0	0	0	0.00	0.00
	मोटोर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)		0	0	0	0.00	0.00
	अभियांत्रिकी	Engineering		1997	-69	1250	9.85	-0.33
	विमानन	Aviation		221	242	169	9.76	12.30
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation		903	709	797	15.45	10.57
	निजी दुर्घटना	Personal Accident		354	-395	1090	0.71	-0.93
	स्वास्थ्य	Health		22806	19235	14764	6.68	6.09
	देयता	Liability		665	805	746	11.73	14.41
	अन्य विविध	Other Miscellaneous		74	5266	5963	0.11	7.34
	सभी विभाग	All Departments		63720	50025	46310	6.35	5.42
6a	नेट कमीशन अनुपात - भारतीय केवल (%)	NET COMMISSION RATIO - Indian Only (%)		नेट कमीशन/ Net Commission 31.03.2018	नेट कमीशन/ Net Commission 31.03.2018	नेट कमीशन/ Net Commission 31.03.2018	नेट कमीशन/ Net Commission 31.03.2018	नेट कमीशन/ Net Commission 31.03.2018
	अग्नि	Fire	नेट कमीशन / नेट लिखित प्रीमियम Net Commission/ Net Written Premium	7168	4059	3052	14.08	7.75
	मरीन कार्गो	Marine Cargo		1962	2241	2400	12.61	13.17
	मरीन हल	Marine Hull		-152	-161	-619	-3.91	-3.74
	मोटोर ओडी	Motor OD		19944	9941	9007	13.59	7.36
	मोटोर टीपी (नैर पूल)	Motor TP(Non- Pool)		1355	-7	0	0.51	0.00
	मोटोर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)		0	0	0	0.00	0.00
	मोटोर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)		0	0	0	0.00	0.00
	अभियांत्रिकी	Engineering		1855	-217	1066	9.81	-1.10
	विमानन	Aviation		-84	-43	-117	-16.02	-7.45
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation		788	582	644	14.43	9.27
	निजी दुर्घटना	Personal Accident		335	-493	1071	0.67	-1.16
	स्वास्थ्य	Health		22551	19222	14760	6.63	6.09
	देयता	Liability		514	664	639	9.88	12.89
	अन्य विविध	Other Miscellaneous		-47	5065	5759	-0.07	7.13
	सभी विभाग	All Departments		56189	40853	37660	5.77	4.59
6b	नेट कमीशन अनुपात - विदेशी केवल (%)	NET COMMISSION RATIO - Foreign Only (%)		नेट कमीशन/ Net Commission 31.03.2018	नेट कमीशन/ Net Commission 31.03.2018	नेट कमीशन/ Net Commission 31.03.2018	नेट कमीशन/ Net Commission 31.03.2018	नेट कमीशन/ Net Commission 31.03.2018
	अग्नि	Fire	नेट कमीशन / नेट लिखित प्रीमियम Net Commission/ Net Written Premium	2439	2811	2215	32.38	38.80
	मरीन कार्गो	Marine Cargo		325	352	382	15.49	16.19
	मरीन हल	Marine Hull		16	32	50	10.54	11.28
	मोटोर ओडी	Motor OD		3320	3725	3498	28.79	28.55
	मोटोर टीपी (नैर पूल)	Motor TP(Non- Pool)		323	1241	1548	21.00	26.63
	मोटोर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)		0	0	0	0.00	0.00
	मोटोर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)		0	0	0	0.00	0.00
	अभियांत्रिकी	Engineering		142	148	185	10.39	15.61
	विमानन	Aviation		305	286	286	17.57	20.63
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation		115	127	153	29.91	29.44
	निजी दुर्घटना	Personal Accident		19	98	19	12.54	33.55
	स्वास्थ्य	Health		255	13	4	21.87	8.43
	देयता	Liability		150	141	107	32.82	32.69
	अन्य विविध	Other Miscellaneous		121	201	204	22.47	27.08
	सभी विभाग	All Departments		7531	9172	8650	26.28	28.86





7	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अनुपात में प्रबंधन का खर्च	<b>Expense of Management to Gross Direct Premium Ratio</b>		31.03.2018 समाप्त 12 महीने 12 months ending 31.03.2018	31.03.2017 समाप्त 12 महीने 12 months ending 31.03.2017			
	प्रबंधन का व्यय (प्रत्यक्ष कमीशन)	Expenses of Management (incl. Direct Commission)	प्रबंधन / जीडीपीआई का व्यय Expenses of Management/ GDPI	344161	341872			
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	Gross Direct Premium		1173684	1111702			
	अनुपात(%)	Ratio(%)		29.32	30.75			
8	नेट लिखित प्रीमियम अनुपात में प्रबंधन का खर्च	<b>Expense of Management to Net Written Premium Ratio</b>		समाप्त 12 महीने 12 months ending 31.03.2018	समाप्त 12 महीने 12 months ending 31.03.2017			
	प्रबंधन का व्यय (प्रत्यक्ष कमीशन)	Expenses of Management (incl. Direct Commission)	प्रबंधन / एनडब्ल्यूपीआई का व्यय Expenses of Management/ NWPI	344161	341872			
	नेट लिखित प्रीमियम आय	Net Written Premium Income		1002823	922239			
	अनुपात(%)	Ratio(%)		34.32	37.07			
9	नेट समेकित दायित्व अनुपात (:)	नेट समेकित दायित्व अनुपात (%) <b>NET INCURRED CLAIMS RATIO (%)</b>		शुद्ध व्यय दावा 31.03.2018 Net Incurred Claims 31.03.2018	नेट अर्जित प्रीमियम 31.03.2018 Net Earned Premium 31.03.2018	शुद्ध व्यय दावा 31.03.2017 Net Incurred Claims 31.03.2017	नेट अर्जित प्रीमियम 31.03.2017 Net Earned Premium 31.03.2017	31.03.18 (:) के रूप में नेट आईसीआर Net ICR as at 31.03.18 (%)
	अग्नि	Fire	शुद्ध व्यय दावा / शुद्ध अर्जित प्रीमियम Net Incurred Claims/ Net Earned Premium	50957	59038	55543	61039	86.31
	मरीन कार्गो	Marine Cargo		10123	18427	12628	20074	54.94
	मरीन हल	Marine Hull		5967	4588	8368	4628	130.05
	मोटर ओडी	Motor OD		112918	153202	110584	140734	73.71
	मोटर टीपी (नैर पूल)	Motor TP(Non- Pool)		184755	246133	326390	201536	75.06
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)		6635	0	9395	0	0.00
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)		-31523	692	-9335	2768	-4555.06
	अभियांत्रिकी	Engineering		4233	20450	12743	23210	20.70
	विमानन	Aviation		3084	2115	2262	1928	145.79
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation		2010	6275	2159	7142	32.03
	निजी दुर्घटना	Personal Accident		64297	46428	24087	28832	138.49
	स्वास्थ्य	Health		362755	328624	343553	282131	110.39
	देयता	Liability		630	5624	614	5159	11.20
	अन्य विविध	Other Miscellaneous		45280	71204	40819	59145	63.59
	सभी विभाग	All Departments		822121	962801	939810	838326	85.39
10	संयुक्त अनुपात	<b>Combined Ratio</b>		कुल/Total 31.03.2018	कुल/Total 31.03.2018	भारत Indian 31.03.2018	भारत Indian 31.03.2018	विदेश Foreign 31.03.2018





	शुद्ध व्यय दावा	Net Incurred Claims	[शुद्ध व्यय दावा / शुद्ध कमाई	822121	939810	789081	911567	33041
	नेट अर्जित प्रीमियम	Net Earned Premium	प्रीमियम] + [प्रबंधन के	962801	838326	932518	806638	30283
	शुद्ध व्यय दावा अनुपात (%)	Net Incurred Claims Ratio (%)	खर्च (नेट कमीशन सहित) /	85.39	112.11	84.62	113.01	109.11
	नेट कमीशन भुगतान किया	Net Commission Paid	नेट लिखित प्रीमियम]	63720	50025	56190	40850	7530
	ऑपरेटिंग प्रबंधन खर्च	Operating Management Expenses	[Net incurred claims/	269299	282124	267109	280030	2190
	नेट लिखित प्रीमियम	Net Written Premium	Net Earned Premium]	1002823	922239	974165	890451	28658
	नेट ऑपरेटिंग व्यय अनुपात(%)	Net Operating Expenses Ratio (%)	+ [Expenses of management	33.21	36.02	33.19	36.04	33.92
	संयुक्त अनुपात (%)	Combined Ratio (%)	(including net commission)/ Net written premium]	118.60	148.13	117.81	149.05	143.03
11	शुद्ध प्रीमियम अनुपात के लिए तकनीकी भंडार	Technical Reserves to Net Premium Ratio		समाप्त 12 महीने 12 months ending 31.03.2018	समाप्त 12 महीने 12 months ending 31.03.2017			
	अप्रत्याशित जोखिम के लिए रिजर्व	Reserve for Unexpired Risks	( URR + Reserve for premium deficiency + Reserve for outstanding claims including IBNR and IBNER) / Net Written Premium	503436	463413			
	प्रीमियम कमी रिजर्व	Premium Deficiency Reserve		0	439			
	उत्कृष्ट दावों के लिए रिजर्व	Reserve for Outstanding Claims		1033984	999293			
	कुल	Total		1537420	1463145			
	नेट प्रीमियम	Net Premium		1002823	922239			
	अनुपात (टाइम्स)	Ratio (Times)		1.53	1.59			
12	अंडरराइटिंग बैलेंस अनुपात	Underwriting Balance Ratio	%	31.03.2018 को समाप्त होने वाले 12 महीने 12 months ending 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त होने वाले 12 महीने 12 months ending 31.03.2017		रू / डब्ल्यू बैलेंस अनुपात (टाइम्स) U/W Balance Ratio (Times)	रू / डब्ल्यू बैलेंस अनुपात (टाइम्स) U/W Balance Ratio (Times)
	अग्नि	Fire		-26350	-29068		-0.45	-0.48
	मरीन कार्गो	Marine Cargo		2603	950		0.14	0.05
	मरीन हल	Marine Hull		-2928	-6680		-0.64	-1.44
	मोटर ओडी	Motor OD		-32754	-39238		-0.21	-0.28
	मोटर टीपी (गैर पूल)	Motor TP(Non- Pool)		-327	-180644		0.00	-0.90
	मोटर टीपी (पूल)	Motor TP(Pool)	(अंडरराइटिंग लाभ / हानि) / नेट अर्जित प्रीमियम	-6635	-9395		0.00	0.00
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	Motor TP(D.R. Pool)	(Underwriting profit/ loss)/ Net earned premium	32215	11563		46.55	4.18
	अभियांत्रिकी	Engineering		8402	3104		0.41	0.13
	विमानन	Aviation		-3554	-3132		-1.68	-1.62
	कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation		2059	2651		0.33	0.37
	निजी दुर्घटना	Personal Accident		-30102	-7024		-0.65	-0.24
	स्वास्थ्य	Health		-133526	-157213		-0.41	-0.56
	देयता	Liability		2656	1978		0.47	0.38
	अन्य विविध	Other Miscellaneous		-4099	-21484		-0.06	-0.36
	कुल	TOTAL		-192340	-433633		-0.20	-0.52





13	ऑपरेटिंग लाभ अनुपात	<b>Operating Profit Ratio</b>		12 महीन का समापन 12 months ending 31.03.2018	12 महीन का समापन 12 months ending 31.03.2017			
	हामीदारी लाभ	Underwriting Profit	(अंडरराइटिंग लाभ / हानि + निवेश आय) / नेट अर्जित प्रीमियम (Underwriting Profit/Loss+ Investment Income)/ Net earned Premium	-192340	-433633			
	निवेश आय	Investment Income		329233	232568			
	परिचालन लाभ	Operating Profits		136893	-201065			
	नेट अर्जित प्रीमियम	Net Earned Premium		962801	838326			
	अनुपात (%)	Ratio(%)		14.22	-23.98			
14	देयता अनुपात के लिए तरल संपत्ति	<b>Liquid Assets to Liabilities Ratio</b>		12 महीन का समापन 12 months ending 31.03.2018	12 महीन का समापन 12 months ending 31.03.2017			
	तरल संपत्ति	Liquid Assets	तरल संपत्ति / पॉलिसीधारकों के देयताएं Liquid Assets/ Policyholders Liabilities	363303	355815			
	पॉलिसीधारकों की देयताएं	Policyholders' Liabilities		1334199	1475417			
	अनुपात (टाइम्स)	Ratio (Times)		0.27	0.28			
15	शुद्ध कमाई अनुपात	<b>Net Earnings Ratio</b>		12 महीन का समापन 12 months ending 31.03.2018	12 महीन का समापन 12 months ending 31.03.2017			
	कर अदायगी के बाद लाभ	Profit after Tax		150989	-169110			
	नेट प्रीमियम	Net Premium		1002823	922239			
	अनुपात (%)	Ratio (%)		15.06	-18.34			
16	नेट वर्थ पर वापसी	<b>Return on Net Worth</b>		12 महीन का समापन 12 months ending 31.03.2018	12 महीन का समापन 12 months ending 31.03.2017			
	कर अदायगी के बाद लाभ	Profit after Tax	टैक्स / नेट प्रीमियम के बाद लाभ Profit after Tax/ Net Premium	150989	-169110			
	कुल मूल्य	Networth		315669	133448			
	अनुपात (%)	Ratio (%)		47.83	-126.72			
17	आवश्यक सॉल्वेंसी मार्जिन आवश्यक सॉल्वेंसी मार्जिन अनुपात के लिए	<b>Available Solvency Margin to required Solvency Margin Ratio</b>		12 महीन का समापन 12 months ending 31.03.2018	12 महीन का समापन 12 months ending 31.03.2017			
	उपलब्ध सॉल्वेंसी मार्जिन	Available Solvency Margin	एसएम / आरएसएम ASM/RSM	449765	328405			
	आवश्यक सॉल्वेंसी मार्जिन	Required Solvency Margin		269093	294827			
	सॉल्वेंसी मार्जिन अनुपात (टाइम्स)	Solvency Margin Ratio (Times)		1.67	1.11			





18	एनपीए अनुपात (:)	NPA Ratio (%)	12 महीन का समापन 12 months ending 31.03.2018	12 महीन का समापन 12 months ending 31.03.2017			
	सकल एनपीए अनुपात - पॉलिसीधारकों के धन	Gross NPA Ratio - Policyholders' funds	0.17	0.29			
	सकल एनपीए अनुपात - शेयरधारकों के फंड	Gross NPA Ratio - Shareholders' Funds	0.02	0.09			
	नेट एनपीए अनुपात - पॉलिसीधारकों के फंड	Net NPA Ratio - Policyholders' Funds	0	0			
	नेट एनपीए अनुपात - शेयरधारकों के फंड	Net NPA Ratio - Shareholders' Funds	0	0			

### 17. इंडियन डायरेक्ट प्रीमियम का सेक्टर-वार ब्रेक-अप/Sector-wise break-up of Indian Direct Premium

(रुपये लाखों में) (Rs. in Lakhs)

	31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
a. Rural Sector	182390.67	154261.00
b. Social Sector	107522.61	119629.50
c. Others	855283.49	806443.50
d. Total	1145196.77	1080334.00

### 18. पुनर्गठन के अधीन निवेश का टूटना/Break-up of investments subjected to restructuring

विभिन्न श्रेणियों के तहत पुनर्गठित कुल संपत्तियों के आंकड़े संकलित किए जा रहे हैं। वर्ष के दौरान और पिछले वर्ष के दौरान संबंधित श्रेणियों के तहत पुनर्गठित और कार्यान्वित संपत्तियां नीचे दी गई हैं:

The figures of total assets restructured under various categories are being compiled. The assets restructured and implemented during the year and during previous year, under respective categories, are given below:

Sr. No.	संपत्ति की श्रेणी	Category of Asset	पुनर्गठन और लागू (वर्ष के दौरान) के अधीन संपत्तियां (रुपये लाखों में) Assets subjected to Restructuring and implemented (during the year) (Rs. In Lakhs)	
			2017-18	2016-17
1	मानक	Standard	शून्य/NIL	837.70
2	उप मानक	Sub Standard	शून्य/NIL	0.00
3	संदिग्ध	Doubtful	821.57	9.33
4	नुकसान	Loss	61.86	45.00
	कुल	<b>Total</b>	<b>883.43</b>	<b>892.03</b>

### 19. व्यापार अधिग्रहण लागत का तोड़ो/Break up of Business Acquisition Cost

भारतीय प्रत्यक्ष व्यापार के संबंध में वर्ष 2017-18 के दौरान किए गए कमीशन / ब्रोकरेज को नीचे दिया गया है:

The Commission/Brokerage incurred during the year 2017-18 in respect of Indian Direct Business is given below:

Sr. No.	वर्ग	Category	2017-18 Rs. in Lakhs	2016-17 Rs. in Lakhs
1	एजेंटों	Agents	43964.82	33646.15
2	दलाल	Brokers	17375.83	14050.31
3	कॉर्पोरेट एजेंसी	Corporate Agency	3361.02	3517.32
4	अन्य लोग	Others	2616.75*	0
	कुल	<b>Total</b>	<b>67318.42</b>	<b>51213.78</b>

\* वित्त वर्ष 2017-18 में नई व्यवस्था एमआइएसपी शुरू की गई है।

\* New arrangement MISP has been started in FY 2017-18.







## 20. निवेश

- 20.1 4.27 लाख रुपये (पिछले वर्ष 4.23 लाख) के खरीद मूल्य वाले कंपनी के नाम पर 32.79 लाख रुपये (पिछले वर्ष 31.46 लाख) के बुक वैल्यू (उचित मूल्य) के शेयरों को शेयर के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया है, हस्तांतरण 1998 से पहले की अवधि के लिए आपत्ति के तहत हैं।
- 20.2 एसएचसीआईएल किताबों में 0.04 लाख रुपये (लघु) के बुक वैल्यू (उचित मूल्य) के स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (संरक्षक) द्वारा जारी प्रमाणपत्रों के साथ कंपनी की किताबों के अनुसार निवेश में विसंगतियां हैं) और रु। एसएचसीआईएल किताबों में 1.78 लाख (अतिरिक्त) (पिछले वर्ष 0.04 लाख रुपये और क्रमशः 2.12 लाख अतिरिक्त)। मतभेद सुलह के अधीन हैं।
- 20.3 वन टाइम निपटान / पुनर्गठन / ऋण के रिडेम्प्शन के कारण 962.53 लाख रुपये (पिछले वर्ष 530.98 लाख) के खराब और संदिग्ध ऋण के प्रावधानों में शुद्ध रिहाई है।
- 20.4 बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के तहत ऋण / निवेश को दीर्घकालिक श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया है क्योंकि उनकी वास्तविकता निश्चित नहीं है।
- 20.5 निवेश पर आईआरडीएआई मानदंडों के अनुसार, सूचीबद्ध इक्विटी और म्यूचुअल फंड के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले 865737.38 लाख रुपये (पिछले वर्ष रुपये 1032980.60 लाख) के गैर-प्राप्ति लाभ/हानि निवेश के लिए बनाया गया है और इसके लिए 'उचित मूल्य परिवर्तन खाता' के रूप में समान रिजर्व बनाया गया है। लाभ और हानि खाते पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ऐसे रिजर्व वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है।
- 20.6 रुपये के निवेश की बिक्री पर लाभ 200757 लाख रुपये में दीर्घकालिक निवेश की बिक्री पर लाभ शामिल है। 31.03.2018 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान 197474.66 लाख (पिछले वर्ष 111379.66 लाख)।
- 20.7 खंड संख्या के अनुपालन में। निवेश विनियमन, 2016 पर 03 मई 2017 के आईआरडीएआई के मास्टर सर्कुलर के 5.1, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों और कॉर्पोरेट बॉन्ड में रेपो और रिवर्स रेपो के संबंध में किए गए लेनदेन की स्थिति निम्नानुसार है:

## 20. Investments

- 20.1 Shares of the book value (fair value) of Rs 32.79 Lakhs (Previous year Rs 31.46 Lakhs.) having purchase value of Rs 4.23 Lakhs (Previous year Rs. 4.23 Lakhs) have not been registered in the name of the company, as the transfers are under objection for the period prior to 1998.
- 20.2 There are discrepancies in investments as per company's books with the certificates issued by Stock Holding Corporation of India (custodian) of book value (fair value) of Rs 0.04 Lakhs (Short) in SHCIL books) and Rs. 1.78 Lakhs (Excess) in SHCIL books (Previous year Rs. 0.04 Lakhs short and Rs 2.12 Lakhs excess respectively). The differences are under reconciliation.
- 20.3 There is a net release in provisions for bad & doubtful debts of Rs 962.53 Lakhs (Previous year Rs. 530.98 Lakhs) on account of One Time Settlements/ Restructuring/ Redemption of debts.
- 20.4 Loans/investments under non-performing assets as on the date of Balance Sheet have been classified under long term category as their realisability is not certain.
- 20.5 In accordance with IRDAI norms on investments, unrealized gains/ loss of Rs 865737.38 Lakhs (Previous year Rs. 1032980.60 Lakhs ) arising due to change in fair value of listed equities and mutual funds are taken to investment and corresponding equal reserve created for the same as " Fair Value Change Account". There is no effect on Profit and Loss account and such reserve is not available for distribution.
- 20.6 Profit on sale of investments of Rs. 200757 lakhs include profit on sale of long term investments amounted to Rs. 195748.66 Lakhs (Previous year Rs. 111379.66 Lakhs) during the financial year ended 31.03.2018.
- 20.7 In compliance to clause no. 5.1 of the IRDAI's Master Circular dated 03 May 2017 on Investment Regulations, 2016, status of transactions done in respect of Repo and Reverse Repo in Government securities and Corporate Bonds during financial year 2017-18 is as under :





विवरण	साल के दौरान न्यूनतम बकाया	साल के दौरान अधिकतम बकाया	साल के दौरान दे. निक औसत औसत	31 मार्च, 2018 को बकाया
रेपो के तहत सिक्योरिटीज बेची गई 1. सरकारी प्रतिभूतियां 2. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां 1. सरकारी प्रतिभूतियां 2. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

20.8 आईआरडीएआई नियमों में इसके परिपत्र दिनांक 12.01.2017 के अनुसार परिवर्तन का पालन करने के लिए निवेश आय का आवंटन वर्तमान वर्ष में शेयरधारकों और पॉलिसीधारकों के बीच किया जाता है। इसके परिवर्तन के परिणामस्वरूप, शेयरधारक कोष में आवंटित निवेश आय रुपये से कम है। 23347 लाख शेयरधारकों को आवंटित आय में इसी वृद्धि / कमी के साथ। चालू वर्ष में निवेश संपत्तियों को शेयरधारकों और पॉलिसीधारकों के बीच उपरोक्त आधार पर आईआरडीएआई नियमों के अनुसार शआधार स्तर पर विभाजित किया गया है।

## 21. अचल संपत्ति

फिक्स्ड परिसंपत्तियों में 767.04 लाख रुपये (पिछले वर्ष 81 संपत्ति 1325.64 लाख रुपये) की लागत वाली संपत्तियां शामिल हैं, जिनके लिए शीर्षक कार्य रिकॉर्ड पर नहीं हैं या पंजीकरण लंबित है। पंजीकरण / स्टाम्प ड्यूटी शुल्क, जो कि खाते में नहीं है, पंजीकरण के समय जिम्मेदार होगा।

22. कुछ मामलों में निम्नलिखित प्रमुखों के तहत शेष राशि सुलह/पुष्टि लंबित हैं
- एजेंटों की शेष राशि (नेट)
  - प्रीमियम जमा और एजेंटों का प्रीमियम।
  - सीडिंग कंपनियों के साथ रिजर्व जमा।
  - बीमा कारोबार पर ले जाने वाले अन्य व्यक्तियों या निकायों के कारण / से संबंधित राशि।
  - कर्मचारियों के लिए / से होने वाली रकम।
  - विविध देनदार
  - अज्ञात डेबिट / क्रेडिट बैंक प्रविष्टियां
  - विविध लेनदार
  - अग्रिम
  - इंटर ऑफिस बैलेंस

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Outstanding as on March 31, 2018
Securities Sold under repo 1. Government Securities 2. Corporate Debt Securities	NIL	NIL	NIL	NIL
Securities purchased under reverse repo 1. Government Securities 2. Corporate Debt Securities	NIL	NIL	NIL	NIL

20.8 To comply with the change in IRDAI regulations as per its circular dt. 12.01.2017, the allocation of Investment Income is made between Shareholders and Policyholders in the current year. Consequent to the change of same, the Investment Income allocated to the share holder Fund is lower by Rs. 23347 lakhs with the corresponding increase/decrease in income allocated to Shareholders. Investment assets in the current year are also bifurcated between Shareholders and Policyholders at 'fund' level on notional basis in accordance with above IRDAI Regulations.

## 21. Immovable Properties

Fixed assets include 76 properties costing Rs 687.04 Lakhs (previous year 81 properties for Rs. 1325.64 Lakhs) for which either title deeds are not on record or registration is pending. The registration/stamp duty charges, to the extent not accounted will be accounted for at the time of registration.

22. Balances under the following heads in certain cases are pending reconciliation / confirmation
- Agents' Balances (Net)
  - Premium Deposits and Agents' Premium.
  - Reserve Deposits with ceding companies.
  - Amounts due to /from other persons or bodies carrying on Insurance Business.
  - Amounts due to/ from employees.
  - Sundry Debtors
  - Unidentified Debit/Credit Bank Entries
  - Sundry Creditors
  - Advances
  - Inter Office Balances





उपरोक्त के संबंध में समायोजन, यदि कोई हो, तो पुष्टि/ विश्लेषण/सुलह पर किया जाएगा।

The adjustments, if any, in respect of above will be made upon confirmation/analysis/ reconciliation.

### 23. आयकर और सेवा कर आकलन की स्थिति

- i) निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए आयकर मूल्यांकन और वित्त वर्ष 2002-03 तक और उसके लिए सेवा कर निर्धारण और वित्त वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक पूरा कर लिया गया है। आयकर और सेवा कर से संबंधित कुछ अपील पिछले वर्षों के लिए लंबित हैं। आकलन / अपील के पूरा होने के बाद आवश्यक समायोजन किए जाएंगे।
- ii) आयकर प्राधिकरणों द्वारा आदेश के आधार पर जहां भी आवश्यक माना जाता है, आयकर मांग की ओर देयताएं पूरी तरह से प्रदान की गई हैं।
- iii) कंपनी ने रु. 6518 लाख रुपये आयकर कर आकलन वर्ष 1974-75, 1976-77, 1977-78 और 1979-80 के लिए वसूली योग्य है जिसके लिए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील को प्राथमिकता दी गई थी। वही राशि के लिए प्रावधान खराब ऋण के तहत किया गया था क्योंकि इसकी वसूली योग्यता संदिग्ध थी। वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंपनी के पक्ष में निर्णय पारित किया। हालांकि, माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले को प्रभावित करने वाले आयकर विभाग के अंतिम आदेश की प्राप्ति लंबित है, वही इन खातों में मान्यता प्राप्त नहीं है और अभी भी खराब ऋण के प्रावधान में पड़े हैं।
- iv) पिछले वर्षों के आकलन / अपील आदेश के आधार पर वर्ष के दौरान, कंपनी ने रुपये 9849.04 लाख की ब्याज आय बुक की।
- v) चालू वर्ष 2017-18 कर प्रावधान के लिए 24800 लाख रुपये है।
- vi) स्थगित कर  
चालू वर्ष और पिछले वर्ष (तुलना के लिए) के लिए स्थगित कर की गणना निम्नानुसार है:

### 23. Status of income tax and service tax assessments

- i) The income tax assessment for and up to the assessment year 2015-16 and service tax assessment for and upto FY 2002-03 and for the FY 2008-09 to 2010-11 have been completed. Certain appeals pertaining to Income Tax and service Tax are pending for the earlier years. The necessary adjustments shall be carried out after the completion of assessments/appeals.
- ii) Liabilities towards Income Tax Demand have been fully provided for, wherever considered necessary based on the order by the Income Tax Authorities.
- iii) The Company had provided Rs. 6518 Lakhs under the head Income Tax recoverable for Assessment Years 1974-75, 1976-77, 1977-78 and 1979-80 for which appeal were preferred in the Hon'ble Supreme Court of India. Provision for the same amount was made under Bad Debts as the recoverability of the same was doubtful. During the FY 2007-08 the Hon'ble Supreme Court passed the judgment in favour of the Company. However, pending the receipt of the final order from the Income Tax Department giving effect to the judgment of the Hon'ble Supreme Court, the same has not been recognized in these accounts and is still lying in provision for bad debts.
- iv) During the year, the Company booked an interest income of Rs. 9849.04 lakhs on the basis of Assessment/Appeal orders of earlier years.
- v) Provision for tax is Rs. 24800 Lakhs for current year 2017-18.
- vi) Deferred Tax  
The calculation for deferred tax for the current year and previous year (for comparison) is as follows:





(रुपये लाखों में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आस्थगित कर परिसंपत्ति:		
नकदीकरण छोड़े	369.12	2035.96
पोलिसी टिकटों का अनुलग्न	102	102.66
एनपीएस	0	209
अनाथ दावा	1395.31	995.53
उपहार	0	7.75
घटार्यै: स्थगित कर देयता:		
मूल्यह्रास	(238.07)	(237.81)
नेट स्थगित कर संपत्तियां	1628.45	3113.40

टिप्पणियाँ:

- उपर्युक्त प्रावधान वर्तमान में अधिनियमित दरों पर कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच उत्पन्न होने वाले समय के अंतर के लिए किया गया है।
- आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कंपनी के पास काफी नुकसान और असंबद्ध मूल्यह्रास है, जो स्थगित कर संपत्तियों को जन्म देती है। हालांकि, समझदारी के मामले में, भविष्य में कर योग्य आय पर अनिश्चितता के कारण लेखांकन मानक-22 (आय पर करों का लेखा) की आवश्यकताओं के अनुसार वित्तीय विवरणों में स्थगित कर संपत्ति को मान्यता नहीं दी गई है।

vi) कंपनी ने जीएसटी अधिनियम, नियमों और विनियमों के अनुपालन में जीएसटी 01.07.2017 से लागू किया है और 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पंजीकरण मिला।

#### 24. आउटस्टैंडिंग दावों के लिए प्रावधान:

अक्टूबर 2012 में जारी किए गए मास्टर परिपत्र के अनुसार, नियुक्ति अभ्यारण्य ने स्वास्थ्य सेगमेंट के तहत चालू वर्ष 2017-18 के लिए रु. 0.98 लाख (पिछले वर्ष रुपये 188 लाख) के प्रावधान का आंकलन किया गया है।

#### 25. प्रीमियम की कमी

प्रीमियम की कमी वास्तविक वर्ष में नेट बेसिस पर वास्तविक वर्ष के आधार पर मान्यता प्राप्त है (जबकि पिछले वर्ष के दौरान सकल आधार पर यह मान्यता प्राप्त थी) यदि दावों से निपटने से संबंधित दावों की लागत, संबंधित खर्च और रखरखाव लागत की राशि अनदेखा

(Rs. in lakhs)

Particulars	Current Year	Previous Year
Deferred Tax Assets:		
Leave encashment	369.12	2035.96
Policy Stamps Affixable	102	102.66
NPS	0	209
Orphan Claims	1395.31	995.53
Gratuity	0	7.75
<b>Less : Deferred Tax Liability:</b>		
<b>Depreciation</b>	<b>(238.07)</b>	<b>(237.81)</b>
<b>Net Deferred Tax Assets</b>	<b>1628.45</b>	<b>3113.40</b>

NOTES:

- The above provision is made for timing differences arising between taxable income and accounting income at currently enacted rates.
- The company has substantial carry forward losses and unabsorbed depreciation under The Income Tax Act, 1961, giving rise to Deferred Tax Assets. However, as a matter of prudence, the deferred tax asset has not been recognized in the financial statements as per the requirements of Accounting Standard -22 (Accounting of taxes on income) owing to uncertainty over future taxable income.

vi) Company has implemented GST in compliance to GST Act, rules and regulations w.e.f. 01.07.2017 and got registration for 33 states & Union Territories.

#### 24. PROVISIONS FOR OUTSTANDING CLAIMS:

In accordance with Master Circular issued in October' 2012, the Appointed Actuary has valued the provision for Free Look Period under the Health Segment as Rs. 0.98 Lakhs for the current year 2017-18 (Previous year Rs.1.28 Lakhs)

#### 25. PREMIUM DEFICIENCY

The Premium deficiency is recognized on Net Basis in Current Year based on Actuarial Report (whereas the same was recognized on gross basis during last year) if the sum of expected claims cost, related expenses and maintenance costs related to claims handling exceeds the unearned premium for the





प्रीमियम से अधिक है व्यापार के संबंधित वर्ग।

कुल मिलाकर अग्नि, मरीन और विविध राजस्व खातों में कोई प्रीमियम की कमी नहीं है। हालांकि, विमानन में 119.31 लाख रुपये (सकल आधार पर पिछले वर्ष 2438.02 लाख रुपये) आधार की प्रीमियम कमी है। स्वास्थ्य क्षेत्र में रु. 23251.71 लाख निवल आधार (पिछले वर्ष 38242.46 सकल आधार पर लाख) स्वास्थ्य खंड में औरशुद्ध आधार पर रु. 11736.62 लाख (सकल आधार पर पिछले वर्ष 7564.48 लाख) पीए खंड में।

मरीन हल सेगमेंट में प्रीमियम की कमी रु. 338.44 लाख (पिछले साल मरीन हल में 439.47 लाख रुपये) है।

## 26. निम्नलिखित प्रमुखों के तहत व्यय व्यय

(क) आउटसोर्सिंग व्यय 14342.95 लाख रुपये विपणन सहायता रु. शून्य

(ख) आईआरडीएआई के अनुपालन में (बीमाकर्ताओं के प्रबंधन का खर्च सामान्य या स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय) विनियमन, 2016. एफ.नं.आईआरडीएआई/रेग/12/124/2016 दिनांक 27.04.2016, को निम्नलिखित खंडों के तहत स्वीकार्य सीमाओं से अधिक प्रबंधन के खर्चों के खातों पर 8355.75 लाख रुपये की राशि शेयरधारकों के खाते से शुल्क लिया गया है:-

(रुपये लाखों में)

खंड	वास्तविक व्यय	स्वीकार्य व्यय	अतिरिक्त चार्ज शेयरधारकों के खाते में
अग्नि	35524.07	31101.27	4422.80
मरीन कार्गो	6875.13	4741.79	2133.34
मरीन हल	2584.75	2572.62	12.13
स्वास्थ्य खुदरा	53670.67	51883.19	1787.48
कुल अतिरिक्त	98654.62	90298.87	8355.75

27. 13153.26 लाख रुपये (पिछले वर्ष 5030.49 लाख रुपये) की देनदारी जिसमें एमएसीटी मामलों में स्रोत पर कर की कटौती के लिए आयकर मांग के कारण रु. 260.76 लाख रुपये (पिछले वर्ष 263.16 लाख रुपये) आयकर (विभाग) को भुगतान किया गया था, जो बकाया बकाया है और इसके लिए 245.92 लाख रुपये के प्रावधान बनाये गये हैं।

28. पुनर्गठन खातों और तकनीकी विभागों के समूह अंडरराइटिंग सेल (जीयूसी) द्वारा बनाए गए खातों के बीच संकाय प्रीमियम सुपुर्दगी और संकाय दावों की भुगतान

related class of business.

Overall there is no Premium Deficiency in Fire, Marine and Miscellaneous Revenue Accounts put together. However, there is a premium deficiency of Rs. 119.31 Lakhs on net basis (Previous Year Rs. 2438.02 Lakhs on gross basis) in Aviation, Rs. 23251.71 Lakhs on net basis (Previous year Rs 38242.46 Lakhs on gross basis) in Health segment and Rs. 11736.62 Lakhs on net basis ( Previous Year Rs. 7564.48 Lakhs on gross basis ) in P.A. segment.

There is a premium deficiency in Marine Hull segment amounting to Rs. 338.44 Lakhs ( Previous year Rs. 439.47 Lakhs in Marine Hull )

## 26. Expenses Incurred Under Following Heads

(a) Outsourcing Expenses Rs 14342.95 Lakhs  
Marketing Support Rs. NIL

(b) In compliance to IRDAI (Expenses of Management of Insurers transacting General or Health Insurance Business) Regulation, 2016.F.No. IRDAI/Reg/12/124/2016 dated 27.04.2016, an amount of Rs. 8355.75 Lakhs on accounts of expenses of management exceeding the allowable limits under the following segments has been charged to Shareholders' account :-

(Rs. In Lakhs)

Segment	Actual Expenses	Allowable Expenses	Excess charged to shareholders A/C
Fire	35524.07	31101.27	4422.80
Marine Cargo	6875.13	4741.79	2133.34
Marine Hull	2584.75	2572.62	12.13
Health Retail	53670.67	51883.19	1787.48
Total Excess	98654.62	90298.87	8355.75

27. Sundry debtors of Rs 13153.26 Lakhs (Rs. 5030.49 Lakhs previous year) includes Rs. 260.76 Lakhs (Rs. 263.16 Lakhs previous year) paid to income tax(department) on account of income tax demand for non deduction of tax at source in MACT cases, which remains outstanding and a provision of Rs. 245.92 lakhs is made against the same.

28. There is non reconciliation of amount of facultative premium ceded and facultative claims paid recoveries between the accounts maintained by the reinsurance accounts and the group underwriting







वसूली की राशि का कोई समाधान नहीं है।

31.03.2018 तक संकाय प्रीमियम के लिए शुद्ध अंतर 7382.05 लाख रुपये (पिछले वर्ष 15230.54 लाख) और वसूली के लिए 2098.93 लाख रुपये (पिछले वर्ष 4428.84 लाख रुपये) के लिए है।

### 29. लेखा मानक 3: कैश फ्लो स्टेटमेंट

कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रत्यक्ष विधि के तहत तैयार किया गया है।

#### 30. क) लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन

लेखांकन नीति 6.1.ए पर ध्यान आकर्षित किया गया है, जिसमें यह विशेष रूप से कहा गया है कि वर्ष के अंत में उत्कृष्ट दावों के लिए अनुमानित देयता सर्वेक्षण रिपोर्टों, ग्राहकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और अंतिम स्रोत की तारीख तक, पिछले अनुभव और अन्य लागू कानून स्रोतों पर आधारित होती है। अनुमानों की लगातार समीक्षा की जाती है और तदनुसार प्रावधान किए जाते हैं। हालांकि, अंतिम देयता, प्रदान की गई राशि से अधिक या उससे कम हो सकती है, जिसके लिए कोई भी समायोजन उस अवधि में दिखाई देगा, जिसमें वे ज्ञात हो जाते हैं। ष्ठीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा पत्र के माध्यम से इसे भी स्पष्ट किया गया है 25 मई 2004 को अनुमानों में ऐसे परिवर्तनों का असर, बकाया दावों के प्रावधान के तरीके में कोई बदलाव नहीं होने पर प्रकटीकरण के लिए कॉल न करें। चूंकि चालू वर्ष में उत्कृष्ट दावों के प्रावधान के तरीके में कोई बदलाव नहीं आया है, इसलिए कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

#### ख) मुकदमेबाजी निपटान

31.03.2018 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए मुकदमेबाजी के कारण सुलह की राशि रु. 182195.61 लाख (पिछले वर्ष 1626 99.36 लाख) है।

#### ग) निश्चित संपत्ति का निपटान

वर्ष के दौरान निश्चित परिसंपत्तियों की बिक्री पर शुद्ध आय रु.329.06 लाख (पिछले वर्ष रुपये 390.76 लाख) और निश्चित संपत्तियों की बिक्री पर शुद्ध घाटा रु. 240.64 लाख (पिछले वर्ष 173.80 लाख) है।

cells (GUC) of technical departments.

As on 31.03.2018 the net difference for facultative premium ceded comes to Rs 7382.05 Lakhs (previous year Rs. 15230.54 Lakhs) and for recoveries it comes to Rs 2098.93 Lakhs (previous year Rs 4428.84 Lakhs).

### 29. Accounting Standard 3: Cash Flow Statement

The Cash Flow statement of the Company has been prepared under the direct method.

#### 30. a) Changes in Accounting Estimates

Attention is drawn to Accounting Policy 7.1.a, wherein it has been specifically stated that “Estimated liability for outstanding claims at the year end are based on survey reports, information provided by clients, advices of the leader and other sources upto the date of finalization, past experience and other applicable laws. The estimates are continuously reviewed and provisions made accordingly. However, the final liability may be in excess of, or less than, the amount provided, for which any adjustments will be reflected in the periods in which they become known.” It has also been clarified by the Insurance Regulatory and Development Authority vide letter dated 25th May 2004 that impact of such changes in estimates, do not call for disclosure so long as there is no change in the method of provisioning for outstanding claims. As there has been no change in the method of provisioning for outstanding claims in the current year, no disclosure has been separately made.

#### b) Litigation Settlements

The settlements made on account of litigations for the financial year ended on 31.03.2018 amounted to Rs. 182195.61 Lakhs (previous year Rs 162699.36 Lakhs).

#### c) Disposal of Fixed Assets

The net proceeds on sale of fixed assets during the year amounted to Rs. 329.06 Lakhs (previous year Rs. 390.76 Lakhs) and the net loss on sale of fixed assets amounting to Rs. 240.64 Lakhs (previous year Rs. 173.80 Lakhs).





- घ) कंपनी की योजना 9 (ए) (अ) के तहत आवंटित मोटर कारों के लिए उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित 8 साल के बजाय 5 साल में लिया जाता है और इसका प्रभाव रुपये है। वर्ष के दौरान अतिरिक्त मूल्यहास के रूप में 599.4 लाख रुपये है।
- ड) पहले अवधि के खर्च में रु. 8012.46 लाखों सेवा कर सेनवैट नियम 6 डी के तहत पिछले साल राजस्व से शुल्क नहीं लिया गया था।

### 31. लेखा मानक 15 (संशोधित)

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2007-2008 के बाद से लेखा मानक, एएस-15 (संशोधित 2005) 'कर्मचारी लाभ' अपनाया है।

परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाएं निम्नानुसार हैं:

#### 1. सेवा अवधि के दौरान कर्मचारियों को लाभ

बीमार छुट्टी और एलटीएस के लिए उत्तरदायित्व वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

(क) एलटीएस देयता में रु। वर्ष के दौरान 51.68 लाख (पिछले वर्ष 81.67 लाख रुपये की वृद्धि हुई) और उन्हें क्रमशः लाभ और हानि खाते में जमा / डेबिट कर दिया गया है। 31.03.2018 को एलटीएस के लिए कुल देयता 9 4 9 .5 लाख रुपये (पिछले वर्ष 897.87 लाख रुपये) है।

(ख) चालू वर्ष के लिए बीमार छुट्टी के लिए उत्तरदायित्व में रु। 1233.72 लाख (पिछले वर्ष 4671.20 लाख रुपये की वृद्धि हुई) और लाभ और हानि खाते में जमा किया गया है। 31-03-2018 को बीमार छुट्टी के लिए कुल देयता रुपये है। 19609.87 लाख (पिछले वर्ष रुपये 20843.5 9 लाख)।

#### 2. कर्मचारियों को लाभाब्जित लाभ;

इसमें पेंशन, ग्रेच्युइटी और लीव एनकैशमेंट शामिल है।

##### पेंशन:

कंपनी की एक निश्चित पेंशन योजना है। इस योजना के तहत, पेंशन उन कर्मचारियों को देय है जिन्होंने पेंशन योजना का चयन किया है। कंपनी ने अलग फंड बनाया है

- d) The useful life for Motor Cars allotted under scheme 9(a)(v) of the company is taken at 5 years instead of 8 years as stipulated under The Companies Act 2013 and the impact of the same is Rs. 599.49 Lakhs as additional depreciation charged during the year.
- e) Prior period expenses includes Rs. 8012.46 Lakhs of Service Tax CENVAT disallowed under Rule 6D not charged to revenue earlier years.

### 31. Accounting Standard 15 (Revised)

The Company has adopted Accounting Standard, AS-15 (Revised 2005) 'Employee Benefits' since the financial year 2007-2008.

The defined Employees benefits schemes are as under:

#### 1. EMPLOYEES BENEFITS DURING SERVICE PERIOD

The liability for Sick Leave and LTS is recognized based on Actuarial Valuation.

(a) LTS Liability has increased by Rs. 51.68 Lakhs during the year (previous year increased by Rs. 81.67 Lakhs) and has been credited/debited to Profit & Loss Account respectively. Total liability for LTS as on 31.03.2018 is Rs 949.55 Lakhs (previous year Rs. 897.87 Lakhs).

(b) Liability for sick leave for the current year has decreased by Rs. 1233.72 Lakhs (previous year increased by Rs 4671.20 Lakhs) and has been credited to Profit and Loss Account. Total liability for sick leave as on 31-03-2018 is Rs. 19609.87 Lakhs (previous year Rs. 20843.59 Lakhs).

#### 2. EMPLOYEES RETIREMENT BENEFITS ;

This includes Pension, Gratuity and Leave Encashment.

##### Pension:

Company has a Defined Pension Scheme. Under this scheme, Pension is payable to Employees who have opted for Pension Scheme. Company has created separate Fund for the





योजना जो कंपनी द्वारा वित्त पोषित है और अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित की जाती है। इसके लिए उत्तरदायित्व मूल्यांकन मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।

01.01.2004 के बाद सेवा में शामिल कर्मचारियों को नई पेंशन योजना के तहत कवर किया गया था, जिसमें कंपनी की दायित्व केवल आवधिक योगदान तक ही सीमित थी। हालांकि, 23.01.2016 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, यह प्रभावी तिथि 01.04.2010 को बदल दी गई है। नई पेंशन योजना के तहत खाता खोला गया है।

#### उपदान:

कंपनी के कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के लिए परिभाषित लाभ ग्रैच्युइटी योजना है। निरंतर सेवा के 5 साल बाद ग्रैच्युइटी देय है। कंपनी ने ग्रैच्युइटी के प्रबंधन के लिए एक अलग ट्रस्ट बनाया है जिसे कंपनी द्वारा वित्त पोषित किया जाता है .. इसके लिए उत्तरदायित्व वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

ग्रैच्युइटी और पेंशन देयताओं का परिशोधन:

सर्कुलर नो आईआरडीएआई / एफएंडए / एलआर / 001 / 2016 / 9 दिनांक 19.04.2016 के अनुसार आईआरडीएआई ने पीएसयू जनरल इश्योरेंसर्स को अतिरिक्त पेंशन देनदारियों (उपर्युक्त के अलावा) और वेतन संशोधन के कारण उत्पन्न होने वाली संपूर्ण ग्रैच्युइटी देनदारियों को अमूर्त करने की अनुमति दी है। वित्तीय वर्ष 2015-16 से तीन साल की अवधि शुरू हो रही है। इस तरह के अतिरिक्त ग्रैच्युइटी रुपये कुल है। 8273.91 लाख वर्ष के दौरान कंपनी ने लाभ और हानि खाते में डेबिट कर दिया है। 2757.97 लाख अतिरिक्त ग्रैच्युइटी देयता का 1/3 हिस्सा है (31.03.2018 रुपये 8273.91 लाख रुपये तक जमा किया गया है)।

सर्कुलर नो आईआरडीएआई / एफएंडए / एलआर / 001 / 2016 / 9 दिनांक 19.04.2016 के अनुसार आईआरडीएआई ने पीएसयू जनरल इश्योरेंसर्स को अतिरिक्त पेंशन देनदारियों (उपर्युक्त के अलावा) और वेतन संशोधन के कारण उत्पन्न होने वाली पूरी पेंशन देनदारियों को अमूर्त करने की अनुमति दी है। वित्तीय वर्ष 2015-16 से तीन साल की अवधि शुरू हो रही है। इस तरह के अतिरिक्त पेंशन रुपये है। 85421.99

scheme which is funded by the Company and managed by separate Trust. The liability for the same is recognized on the basis of actuarial valuation.

Employees who joined service after 01.01.2004, were covered under New Pension Scheme, wherein company's obligation was restricted only to the periodic contributions. However, as per the gazette notification dated 23.01.2016, this effective date is changed to 01.04.2010. Account under New Pension Scheme has been opened.

#### Gratuity:

Company has Defined Benefit Gratuity Plan for all categories of employees. Gratuity is payable after 5 years of continuous service. Company has created a separate Trust for management of gratuity which is funded by the Company.. The liability for same is recognized on the basis of actuarial valuation.

Amortization of Gratuity and Pension Liabilities:

As per Circular No IRDAI/F&A/LR/001/2016/9 dt 19.04.2016 IRDAI has further permitted PSU General Insurers to amortize the additional entire Pension Liabilities (other than above) and the entire gratuity liabilities arising on account of pay revision over a period of three years starting from financial year 2015-16. The total of such additional Gratuity is Rs. 8273.91 Lakhs. The Company has debited to Profit & Loss Account during the year a sum of Rs. 2757.97 lakhs being the 1/3<sup>rd</sup> share of additional Gratuity liability(Accumulated amortised upto 31.03.2018 Rs. 8273.91 lakhs).

As per Circular No IRDAI/F&A/LR/001/2016/9 dt 19.04.2016 IRDAI has further permitted PSU General Insurers to amortize the additional entire Pension Liabilities (other than above) and the entire pension liabilities arising on account of pay revision over a period of three years starting from financial year 2015-16. The





लाख वर्ष के दौरान कंपनी ने लाभ और हानि खाते में डेबिट कर दिया है। 28473.99 लाख अतिरिक्त पेंशन देयता का 1/3 हिस्सा है (31.03.2018 रुपये 85421.99 लाख रुपये तक जमा हुआ)।

**नकदीकरण छोड़े:**

सेवा अवधि और सेवानिवृत्ति के दौरान दोनों कर्मचारियों के सभी वर्गों को विशेषाधिकार अवकाश (पीएल) की अनुमति है। सेवा अवधि के दौरान, 2 साल में 15 दिनों के लिए और सेवानिवृत्ति पर एनकैशमेंट की अनुमति है, यह 240 दिन पीएल तक सीमित है। यह निष्पादन और मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

लाभ और हानि खाते और बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त उपरोक्त कर्मचारियों के लाभ की सारांशित स्थिति निम्नानुसार है:

**निर्धारित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन**

(लाखों रुपये)

total of such additional Pension is Rs. 85421.99 Lakhs. The Company has debited to Profit & Loss Account during the year a sum of Rs. 28473.99 lakhs being the 1/3<sup>rd</sup> share of additional Pension liability(Accumulated amortised upto 31.03.2018 Rs. 85421.99 lakhs).

**Leave Encashment:**

Encashment of Privilege Leave (PL) is allowed to all class of employees, both during service period and on retirement. During service period, encashment is allowed for 15 days PL once in 2 years and on retirement, it is restricted to 240 days PL. This is unfunded and recognized on the basis of actuarial valuation.

The summarized position of the above Employees benefits recognized in the Profit and Loss Account and Balance Sheet are as under:

**CHANGE IN THE PRESENT VALUE OF THE DEFINED BENEFIT OBLIGATIONS**

(Rs. in Lakhs)

विवरण PARTICULARS	पेंशन / PENSION				ग्रेच्युटी/GRATUITY				अवकाश नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT			
	17-18	16-17	15-16	14-15	17-18	16-17	15-16	14-15	17-18	16-17	15-16	14-15
1 अप्रैल, 2017 को परिभाषित लाभ दायित्व Defined benefit obligations as at 1 <sup>st</sup> April, 2017	309138	293306	208043	171743	94119*	79148	68576	62082	54179	45403	35151	30619
वर्तमान सेवा लागत Current Service Cost	20261	19935	17289	11838	5225	5122	5046	3843	4686	4351	7821	5510
ब्याज लागत Interest Cost	22747	22438	15328	12651	6775	5910	4955	4723	3879	3389	2469	2275
दायित्व पर बीमांकिक (लाभ) / नुकसान Actuarial (gain) / loss on obligation	(1515)	11948	80661	35001	(1055)	11810	7628	2521	41	7013	5285	394
लाभ भुगतान Benefits paid	(35949)	(38489)	(28016)	(23190)	(7078)	(7871)	(6781)	(4593)	(6325)	(5977)	(5323)	(3647)
निर्धारित लाभ 31 मार्च, 2018 को दायित्व Defined benefit obligation as at 31 <sup>st</sup> March, 2018	314683	309138	293306	208043	97986	94119	79424	68576	56461	54179	45403	35151

\* केवल भारतीय दायित्व / Indian Obligation only





**योजना संपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन/CHANGE IN FAIR VALUE OF PLAN ASSETS**

(रुपये लाखों में) (Rs. in Lakhs)

विवरण PARTICULARS	पेंशन / PENSION				गैरुचित/GRATUITY			
	17-18	16-17	15-16	14-15	17-18	16-17	15-16	14-15
1 अप्रैल, 2017 को योजना संपत्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets as at 1 <sup>st</sup> April, 2017	279289	206669	164906	144680	86382 #	67712#	64131	62906
योजना संपत्ति पर वास्तविक वापसी Actual return on plan assets	23798	20124	15303	3123	6722	5976	6197	5332
नियोक्ता का योगदान Employer's contribution	-	-	-	2871	-	-	-	-
अतिरिक्त योगदान Additional contribution	35349*	93150*	54082	27179	7566	11436	4455	43
लाभ भुगतान Benefits paid	(35949)	(38489)	(28016)	(23190)	(7078)	(7871)	(6847)	(4593)
बीमांकिक लाभ/हानि Actuarial Gain/Loss	(3028)	(2165)	395	244	785	9129	624	443
31 मार्च, 2018 को योजना संपत्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets as at 31 <sup>st</sup> March, 2018	299458	279289	206669	164906	94377	86382	67939	64131

\* वर्तमान और पिछले वर्ष पेंशन योगदान कुल में दिया गया है (नियोक्ता योगदान + अतिरिक्त योगदान)

# भारतीय दायित्व केवल।

\*In Current & Previous Year pension contribution is given in Total (Employer contribution + Additional contribution)

# Indian obligation only.

**लाभ और हानि खाते में अर्जित खर्च/EXPENSES RECOGNISED IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT**

(रुपये लाखों में) (Rs. in Lakhs)

विवरण PARTICULARS	पेंशन / PENSION				गैरुचित/GRATUITY			
	17-18	16-17	15-16	14-15	17-18	16-17	15-16	14-15
वर्तमान सेवा लागत Current Service Cost	20261	19935	17289	11838	5225	5122	5046	3843
ब्याज लागत Interest Cost	22748	22438	15329	12652	6775	5911	4955	4723
योजना संपत्ति पर वास्तविक वापसी Actual return on plan assets	(23798)	(20124)	(15303)	(13123)	(6722)	(5976)	(5573)	(5333)
नेट बीमांकिक (लाभ) / हानि Net Actuarial (Gain)/Loss	1513	14112	80266	34757	(1839)	2681	7005	(2079)
शुद्ध आवधिक लागत Net Periodic Cost		20724	36362	97581	3438	7737	11433	4430
अपरिचित क्रेडिट शेष राशि Unrecognized credit balance				46124	-	-	5516	-
चालू वर्ष में मान्यता प्राप्त है Recognized in current year				56948	-	-	2758	2972
गैर-आवर्तित शेष राशि Unamortized balance				28474				

**बैलेंस शीट में अंकित राशि/AMOUNT RECOGNISED IN BALANCE SHEET**

(रुपये लाखों में) (Rs. in Lakhs)

विवरण PARTICULARS	पेंशन / PENSION				गैरुचित/GRATUITY				अवकाश नगदीकरण LEAVE ENCASHMENT			
	17-18	16-17	15-16	14-15	17-18	16-17	15-16	14-15	17-18	16-17	15-16	14-15
31 मार्च, 2018 को परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य Present value of defined benefit obligations as at 31 <sup>st</sup> March, 2018	314683	309138	293306	208043	97986	94119	79424	68576	56461	54179	45403	35151
31 मार्च, 2018 को योजना संपत्तियों का उचित मूल्य (वर्तमान वर्ष कंपनी के योगदान सहित) Fair value of plan assets as at 31 <sup>st</sup> March, 2018 (including current year Company's contribution)	299458	279289	206669	164906	94377	86382	67939	64131	-	-	-	-
बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त उत्तरदायित्व Liability recognized in Balance Sheet	15224	29849	86637	43137	3609	7737	11486	5302	56461	54179	45403	35151

नोट: उपरोक्त तालिकाओं में आंकड़े लाखों में निकटतम रूप में बंद हो गए हैं।

Note: The figures in the above tables are rounded off to nearest Rupees in Lakhs.







**वास्तविक आकलन**

**ACTUARIAL ASSUMPTION**

The Principal Assumptions used for Actuarial Valuation are:

विवरण PARTICULARS	पेंशन PENSION				ग्रेच्युटी GRATUITY				अवकाश नगदीकरण LEAVE ENCASHMENT			
विधि लागू i) Method used	प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट विधि Projected Unit Credit Method				प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट विधि Projected Unit Credit Method				प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट विधि Projected Unit Credit Method			
	17-18	16-17	15-16	14-15	17-18	16-17	15-16	14-15	17-18	16-17	15-16	14-15
छूट दर % ii) Discount rate %	7.85	7.55	7.90	7.90	7.76	7.27	7.60	-	7.76	7.27	7.60	7.90
iii) परिसंपत्तियों पर वापसी की अपेक्षित दर *% (iii) Expected rate of return on assets* %	7.85	8.53	8.60	8.86	8.60	8.60	8.86	-	-	-	-	-
iv) भविष्य वेतन वृद्धि #% iv) Future Salary Increase # %	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
(v) मृत्यु दर (v) Mortality	..LIC (1996-98).. Table		..LIC (1994-96).. Table		..IAL(2006-08).. Ultimate Table		..LIC (1994-96).. Table		..IAL(2006-08).. Ultimate Table		..LIC (1994-96).. Table	
अप) कर्मचारी टर्नओवर vi) Employees Turnover	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
vii) कामकाजी जीवन शेष वर्ष vii) Remaining working life yearst	-	-	12.33	11.69	-	-	10.38	10.71	-	-	10.38	10.71

\* योजना परिसंपत्तियों पर वापसी की अपेक्षित दर वर्ष की शुरुआत में बाजार की अपेक्षाओं पर आधारित है, जो संबंधित दायित्व के पूरे जीवन में वापसी के लिए है।

# अभियंता, देयता का अनुमान लगाने हुए मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार किया गया है।

\* Expected rate of return on plan assets is based on market expectation, at the beginning of the year, for return over the entire life of the related obligation.

# Actuary, while estimating liability has taken into consideration inflation, seniority, promotion and other relevant factors.

31 मार्च, 2018 को ट्रस्ट द्वारा बनाए गए योजना संपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है:

Details of Plan Assets maintained by the trust as on 31<sup>st</sup> March, 2018 are as follows:

(प्रतिशत में)/(In Percentage)

	पेंशन / PENSION				ग्रेच्युटी/GRATUITY			
	17-18	16-17	15-16	14-15	17-18	16-17	15-16	14-15
(i) विशेष जमा (i) Special Deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	4.66	5.28	6.11	6.66
(ii) सरकारी प्रतिभूतियां (ii) Government Securities	54.54	55.61	54.54	54.24	35.76	55.30	56.68	56.90
(iii) बांड / डिबेंचर्स (iii) Bonds/debentures	39.69	36.37	45.13	39.89	35.76	36.54	34.12	34.53
(iv) बैंकों में जमा (iv) Deposits in Banks	2.73	0.63	0.39		0.48	.06	0.00	0.00
	4.98	5.29	5.18	-	1.13	1.99	3.70	4.13

\* बिना जाँचा

\*unaudited





सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ पोस्ट करें:

कंपनी के पास कोई पोस्ट सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ योजना नहीं है। हालांकि कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों (जो कंपनी के पूर्णकालिक कर्मचारी हैं) के लिए मेडिकल व्यय (दोनों अस्पताल में भर्ती और ओपी खर्च) कंपनी द्वारा मिले हैं, निर्देशक कंपनी के निदेशक / कर्मचारी होने के बाद भी कंपनी द्वारा मिलते हैं, बशर्ते कंपनी ऐसे पूर्व कर्मचारियों की मूल कंपनी है। इस लाभ के लिए संबंधित पूर्व-अधिकारियों से कोई प्रीमियम नहीं लिया जा रहा है।

कंपनी पात्रता के आधार पर गणना की गई 75% मेडिकलेम प्रीमियम देय होगी

2015 से प्रभावी नई ग्रुप मेडिकलेम पॉलिसी के क्लॉज 09.2.1 और 09.2.2 के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारी और पति / पत्नी के संबंध में अपने वास्तविक रूप से समायोजित मूल वेतन के आधार पर कर्मचारी के लिए बीमा राशि लागू होती है।

### 32. लेखा मानक 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग:

बैलेंस शीट के अनुसूची 1, 2 और 3 के अनुसार, सेगमेंटल रिपोर्टिंग पर आईआरडीएआई (वित्तीय विवरणों और बीमा कंपनियों की बीमा कंपनियों की रिपोर्ट) विनियमन, 2002 द्वारा निर्धारित निम्नलिखित प्रारूप में विभागीय जानकारी दी गई है।

Post Retirement Medical Benefits:

Company does not have any Post Retirement Medical Benefit Scheme. However medical expenses (both hospitalization and OP expenses) incurred by full time directors of the Company (who are full time employees of the company) for self and family are met by the Company even after the directors cease to be directors/employees of the Company, provided the Company is the Parent Company of such ex-employees. No premium is being charged from the ex-executives concerned for this benefit.

The Company shall bear 75% of the mediclaim premium payable computed on the basis of eligible

Sum Insured applicable for the employee based on his notionally adjusted Basic Pay in respect of retired employee and spouse as per clause 09.2.1 and 09.2.2 of the New Group Mediclaim policy which is effective from 2015.

### 32. Accounting Standard 17 Segment Reporting :

Segmental information has been given in the following format prescribed by IRDAI (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 on Segmental Reporting, as per Schedules 1, 2 and 3 of Balance Sheet.

(रूपये लाखों में) (Rs. in Lakhs)

खंड	Segment	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वित्त वर्ष 2017-18 Gross Direct Premium FY 2017-18	कुल व्यापार का प्रतिशत Percentage to Total Business	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वित्त वर्ष 2017-18 Gross Direct Premium FY 2017-18	कुल व्यापार का प्रतिशत Percentage to Total Business	
अग्नि	Fire	99962.43	8.49	104288.54	101	9.38
मरीन कार्गो	Marine Cargo	21306.83	1.82	22517.30		2.03
मरीन हल	Marine Hull	10157.31	0.87	16880.05		1.52
मोटर ओडी	Motor OD	166849.30	14.22	156112.89		14.04
मोटर टीपी (गैर पूल)	Motor TP(Non- Pool)	282825.98	24.10	236819.45		21.30
मोटर टीपी (पूल) और डीआर पूल	Motor TP(Pool) & D.R. Pool					
अभियांत्रिकी	Engineering	23211.28	1.98	29112.78		2.62
विमानन	Aviation	8811.88	0.75	8979.53		0.81
कामगार क्षतिपूर्ति	Workmen Compensation	6137.56	0.52	7047.31		0.63
निजी दुर्घटना	Personal Accident	55961.05	4.77	52689.87		4.74
स्वास्थ्य	Health	360844.40	30.74	332339.25		29.89
देयता	Liability	7277.65	0.62	7053.99		0.63
अन्य विविध	Other Miscellaneous	130638.18	11.13	137861.11		12.41
कुल सकल प्रीमियम	<b>Total Gross Premium</b>	<b>1173683.85</b>	<b>100</b>	<b>1111702.07</b>		<b>100</b>





33. लेखा मानक 18: संबंधित पार्टी प्रकटीकरण:

1. लेखांकन मानक 18 के अनुसार संबंधित पार्टी प्रकटीकरण
  - क. सहायक  
औद्योगिक क्रेडिट कंपनी लिमिटेड।
  - ख. एसोसिएट्स  
इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्रा. लिमिटेड, भारत के सिंगापुर स्वास्थ्य बीमा टीपीए
  - ग. जिन संस्थाओं पर नियंत्रण मौजूद है
    - i. ओआईसीएल कर्मचारी भविष्य निधि
    - ii. ओआईसीएल पेंशन फंड
    - iii. ओआईसीएल कर्मचारी ग्रैच्युइटी फंड
  - घ. मुख्य प्रबंधन कार्मिक:
    1. श्री ए वी गिरिजाकुमार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31.05.2017 से)
    2. श्री सुजय बनर्जी, निदेशक और महाप्रबंधक (01.04.2017 से 31.01.2018 तक)
    3. सुश्री रश्मि बाजपेयी, कंपनी सचिव (20.08.2007 से)
    4. श्री वी.ई.केमल, निदेशक, महाप्रबंधक, सीएफओ और एफए (01.04.2017 से 31.12.2017 तक)
    5. श्री अजय गुप्ता, सीएफओ (11.01.2018 से)

33. Accounting Standard 18: Related Party Disclosure:

1. Related party disclosures as per Accounting Standard 18
  - a. Subsidiaries  
The Industrial Credit Company Limited.
  - b. Associates  
India International Insurance Pvt. Ltd., Singapore Health Insurance TPA of India
  - c. Entities over which control exists
    - i. OICL Staff Provident Fund
    - ii. OICL Pension Fund
    - iii. OICL Employees Gratuity Fund
  - d. Key Management Personnel:
    1. Mr A.V.Girijakumar, Chairman-cum-Managing Director (from 31.05.2017)
    2. Mr. Sujay Banarji, Director & General Manager (from 01.04.2017 to 31.01.2018)
    3. Ms.Rashmi Bajpai, Company Secretary ( from 20.08.2007)
    4. Mr. V.E.Kaimal, Director, General Manager, CFO & F.A.(from 01.04.2017 to 31.12.2017)
    5. Mr. Ajay Gupta ,CFO (from 11.01.2018)

संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन / Transactions with related parties :

(रूपये लाखों में /Rs. in akhs)

क्र.सं. Sr. No.	संबंध श्रेणी Nature of Relationship	लेनदेन की प्रकृति	Nature of Transaction	2017-18	2016-17
i)	सहायक Subsidiary	देय राशि सहायक कंपनी सहायक के लिए अग्रिम सहायक में निवेश	Amount Due from Subsidiary Company Advance to Subsidiary Investment in Subsidiary	8.22 1.67 5.00	6.55 0.26 5.00
ii)	एसोसिएट्स Associates	क) इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्रा. लिमिटेड, सिंगापुर: - i) लाभांश आय प्राप्त हुई ii) शेयरों में निवेश iii) वर्ष के दौरान आरआई आवक  ख) भारत के स्वास्थ्य बीमा टीपीए:- i) शेयरों में निवेश ii) एचआईटीपीए के कारण राशि iii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक iv) वर्ष के दौरान लेनदेन: क) किराया प्राप्त किया ख) टीपीए शुल्क भुगतान / देय।	a) <b>India International Insurance Pvt. Ltd., Singapore :-</b> i) Dividend Income received ii) Investment in shares iii) RI Inward during the yr  b) <b>Health Insurance TPA of India :-</b> i) Investment in shares ii) Amount Due to HITPA iii) Key Managerial Personnel iv) Transaction during the yr: a) Rent Received b) TPA Fees Paid/payable.	474.86 391.10 370.19  1980.75 165.42 30.47  3.42 466.91	480.77 391.10 -  1170.40 42.05 30.29  - 248.15
iii)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक: Key Managerial Personnel:	वेतन और भत्ते	Salary & Allowances	94.67	81.60





### 34. पट्टों

कर्मचारियों के लिए कंपनी के कार्यालय परिसर और आवासीय प्लेटों को पट्टा पर प्राप्त किया जाता है और आपसी सहमति पर नवीकरणीय / रद्द करने योग्य होते हैं। पट्टे समझौतों द्वारा लगाए गए कोई प्रतिबंध नहीं हैं। लीज शर्तें अलग-अलग समझौतों पर आधारित होती हैं। परिसर के लिए पट्टे के संबंध में महत्वपूर्ण पट्टे की व्यवस्था है। कुल पट्टा किराया रुपये की राशि। चालू वर्ष में 7837.87 लाख रुपये (पिछले वर्ष 7367.99 लाख) पट्टा के तहत दायित्व के संबंध में चालू वर्ष में राजस्व खाते से लिया जाता है।

### 35. लेखा मानक 20 – ‘प्रति शेयर कमाई’:

	31.03.2018 को	31.03.2017 को
शेयरधारकों के लिए जिम्मेदार शुद्ध लाभ (लाखों रुपये)	150802.38	(167269.02)
जारी इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या	20,00,00,000	20,00,00,000
रुपये के प्रति शेयर बेसिक और निम्न कमाई 10 / - प्रत्येक	75.40	(83.63)

### 36. लेखा मानक 22

आगे की हानि लाने के मद्देनजर, स्थगित कर संपत्ति उभर रही है जिसे भविष्य में मुनाफे की अनिश्चितता के कारण कंपनी द्वारा नहीं माना गया है।

### 37. लेखा मानक 28

लेखा मानक -28 के अनुसार, प्रबंधन ने परिसंपत्तियों की हानि की संभावना का आकलन किया है और निश्चित परिसंपत्तियों के मूल्य में कोई हानि नहीं है।

38. पुनर्वास स्वीकृति से संबंधित बकाया दावों के प्रावधानों के संबंध में (लेखांकन नीति संख्या 7.1.ग देखें), निम्नलिखित तिथियां वर्ष के दौरान अपनाई गई थीं:

- वित्तीय विवरण के अंतिम रूप देने की तारीख तक भारतीय व्यापार के संबंध में
- विदेशी व्यापार के संबंध में:
  - वर्ष के अंत तक किए गए सभी नुकसान और तत्काल सफल वर्ष के 30 अप्रैल तक संचार प्राप्त हुए।
  - रद्द संधि के मामले में, विदेशी कंपनियों द्वारा चुकाए

### 34. Leases

The company's office premises and residential flats for employees are obtained on lease and are renewable/ cancellable at mutual consent. There are no restrictions imposed by lease agreements. Lease terms are based on individual agreements. Significant leasing arrangements are in respect of lease for premises. Aggregate lease rentals amounting to Rs. 7837.87 Lakhs in the current year (previous year Rs. 7367.99 Lakhs) in respect of obligation under lease are charged to Revenue Account in the current year.

### 35. Accounting Standard 20 – “Earnings Per Share”:

	As at 31.03.2018	As at 31.03.2017
Net Profit attributable to Shareholders (Rs. in Lakhs)	150802.38	(167269.02)
Weighted Average Number of Equity Shares issued	20,00,00,000	20,00,00,000
Basic & Diluted Earnings per Share of Rs. 10/- each	75.40	(83.63)

### 36. Accounting Standard 22

In view of brought forward Losses, the Deferred Tax Assets is emerging which has not been considered by the company due to uncertainty of future profits.

### 37. Accounting Standard 28

In accordance with Accounting Standard-28, the Management has assessed the possibility of impairment of assets and there is no impairment in the value of fixed assets.

38. In respect of outstanding claim provisions relating to reinsurance acceptances (Refer Accounting Policy no.7.1.c), the following dates were adopted during the year:

- In respect on Indian business up to the date of finalization of financial statement
- In respect on Foreign business:
  - All losses incurred up to the year-end and communications received up to 30<sup>th</sup> April of the immediately succeeding year.





गए दावों को 15 मई तक प्राप्त किए गए पुनर्मिलन रिटर्न में रिपोर्ट या पहले के खातों को अंतिम रूप देने के लिए बकाया दावों के रूप में माना जाता था।

39. पिछले वित्तीय वर्षों से संबंधित 1,957 लाख रुपये के आरएसबीवाई प्रीमियम, सरकार से वसूली योग्य है, जिनमें से केंद्र सरकार से रु. 1563 लाख और राज्य सरकार से रु. 394 लाख वसूली योग्य है। कंपनी इसके लिए प्रयासरत है और निकट भविष्य में वसूली की उम्मीद है। इसलिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
40. कंपनी ने बीमा कानून, 1938 की धारा 3ए के साथ धारा 3 के प्रावधानों और बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 के तहत 23 मार्च, 2015 की अधिसूचना के साथ अनुपालन किया है।
41. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के तहत आपूर्तिकर्ताओं के कारण राशि के बारे में जानकारी कंपनी के साथ आसानी से उपलब्ध नहीं है और इसलिए ब्याज चुकाया / देय ब्याज के साथ वर्ष के अंत में भुगतान न किए गए रकम से संबंधित प्रकटीकरण, यदि कोई है, जैसा कि कहा गया अधिनियम के तहत आवश्यक नहीं है।
42. वर्ष के दौरान विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों द्वारा उठाए गए दंड कार्यों का विवरण निम्नानुसार है: (रुपये में)

(ii) In the case of cancelled treaties, claims paid by the foreign companies as reported in reinsurance returns received up to 15<sup>th</sup> May or finalization of accounts which ever is earlier, was considered as outstanding claims.

39. RSBY premium of Rs.1957 lakhs, pertaining to previous financial years, is recoverable from Government, out of which Rs. 1563 lakhs is recoverable from Central Government and Rs. 394 lakhs from State Govt. Company is perusing for the same and is hopeful of recovery in near future. Hence no provision is considered.
40. The Company has complied with the provisions of Section 3 read with Section 3A of the Insurance Act, 1938, and the notification dated 23<sup>rd</sup> March, 2015 under the Insurance Laws (Amendment) Act,2015.
41. The information as to amount due to suppliers under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006 is not readily available with the company and hence disclosures, if any, relating to amounts unpaid as at the year end together with interest paid/ payable as required under the said Act have not been given.
42. Details of penal actions taken by the various Government Authorities during the year are as under: (Rs. in Lakhs)







### आईआरडीए विनियमों के अनुसार वित्तीय वक्तव्यों पर प्रबंधन रिपोर्ट

1. हम पुष्टि करते हैं कि आईआरडीए द्वारा दिए गए पंजीकरण को वर्ष 2018-19 के लिए उनके पंजीकरण संख्या 556 के अनुसार नवीनीकृत किया गया है।
2. वैधानिक प्राधिकरणों को देय सभी बकाया राशि का भुगतान किया गया है।
3. शेयरधारक पैटर्न और 2017-18 के दौरान शेयरों के सभी स्थानान्तरण सांविधिक और नियामक आवश्यकताओं के अनुसार हैं।
4. 2017-18 के दौरान, प्रबंधन ने भारत में जारी नीतियों के धारकों के धन, भारत के बाहर सीधे या परोक्ष रूप से निवेश नहीं किया है।
5. कंपनी ने आवश्यक सॉल्वेंसी मार्जिन हासिल किया है।
6. हम प्रमाणित करते हैं कि सभी परिसंपत्तियों के मूल्यों की समीक्षा बैलेंस शीट की तारीख पर की गई है और हमारी धारणा में बैलेंस शीट में बताई गई संपत्ति वास्तविक या बाजार मूल्य से अधिक नहीं है और आईआरडीए विनियमों और लेखांकन नीति के अनुसार हैं।
7. पुनर्वितरण, जोखिम हस्तांतरण का एक तरीका है जो बीमाकर्ताओं को विशेष जोखिमों और बड़ी संख्या में जोखिमों पर विनाशकारी हानियों के बड़े नुकसान के प्रतिकूल प्रभाव के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा, पुनर्वित्त बीमा कंपनी को स्वचालित क्षमता भी प्रदान करता है जिससे इसे अपने नेट प्रतिधारण से परे जोखिमों को कम करने और प्रभावी रूप से अपने जोखिमों का प्रबंधन करने में सक्षम बनाता है, ताकि मार्केटिंग टीम व्यवसाय को बहुत चुनौतीपूर्ण बाजार स्थितियों में स्वीकार करने और अपने विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की स्थिति में हो।।

हमारे पुनर्वित्त कार्यक्रम का उद्देश्य न्यूनतम बहिष्कार पर अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करना और आनुपातिक और गैर-आनुपातिक संधि के उचित मिश्रण के माध्यम से स्वतः पुनर्वितरण सुविधा प्रदान करना है।

जबकि आनुपातिक संधि स्वचालित क्षमता प्रदान करती है, गैर आनुपातिक/हानि संधि से अधिक, एक जोखिम हानि या अकस्मात होने वाले कई नुकसान से उत्पन्न होने वाले भारी नुकसान के लिए कवर प्रदान करके कंपनी के नेट पर एक्सपोजर के संचय के जोखिम को कम करता है।

### Management Report on Financial Statements as per IRDA Regulations

1. We confirm that the registration granted by IRDA has been renewed for the year 2018-19 vide their Registration no. 556.
2. All dues payable to statutory authorities have been duly paid.
3. The shareholding pattern and all transfers of shares during 2017-18 are in accordance with statutory and regulatory requirements.
4. During 2017-18, the management has not directly or indirectly invested outside India, the funds of the holders of policies issued in India.
5. Company has achieved the required Solvency Margin.
6. We certify that the values of all assets have been reviewed on the date of balance sheet and in our belief the assets stated in the Balance Sheet do not exceed the realizable or market value and are in accordance with IRDA Regulations and accounting policy.
7. Reinsurance, is a methodical way of Risk Transfer which provides protection to Insurers against adverse impact of large losses on particular risks and of catastrophic losses on a large number of risks. Besides, Reinsurance also provides automatic capacity to an Insurance Company thereby enabling it to underwrite risks beyond its Net retention and manage its risks effectively, so that the marketing team is in a position to accept business in a very challenging market conditions and achieve its growth targets.

The aim of our Reinsurance Programme is to ensure maximum protection at minimum outgo and to provide automatic reinsurance facility through a proper mix of Proportional and Non-Proportional Treaties

While the Proportional Treaties provide the automatic capacity the Non Proportional /excess of loss treaties mitigate the risk of accumulation of exposures on Company's Net by providing cover for huge losses arising out of a single risk loss or multiple losses arising out of a Cat Event.





हालांकि 2017-18 में, भारतीय बीमा बाजार पिछले कुछ वर्षों के विपरीत आपदाजनक हानि घटना की घटना से बचने के लिए भाग्यशाली था, बाजार में कुछ जोखिम घाटे हुए थे। हालांकि, हमारी कंपनी के नुकसान से अधिक हमारे जोखिम को प्रभावित करने में कोई हानि नहीं थी। मरीन एक्सएल को नुकसान से प्रभावित किया गया है, हालांकि ओरिएंटल पर प्रभाव केवल 7.5 करोड़ रुपये पर शुद्ध नेट होगा।

भारतीय बाजारों में लगातार घाटे को देखते हुए, विशेष रूप से, आनुपातिक संधि और पुनर्विक्रेताओं की प्रवृत्ति पर संधि की नियुक्ति पर तनाव बढ़ने के बावजूद, समाप्त होने वाली संधि सीमाएं स्वचालित क्षमताओं को संरक्षित करती रही हैं। देयता पोर्टफोलियो में अतिरिक्त क्षमताओं और व्यापार के विविध वर्ग की कुछ अन्य लाभदायक लाइनों में भी अतिरिक्त क्षमताएं बनाई गई हैं। कृषि / फसल कोटा शेयर और स्टॉप लॉस रीइंसुरेंस संधि को क्षमता और संरक्षण प्रदान करने के लिए सफलतापूर्वक रखा गया है, इस प्रकार फसल विभाग को इस बढ़ते क्षेत्र में संभावित क्षमता का फायदा उठाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। व्यवसाय की अन्य लाइनों के लिए, आमतौर पर सीमा समाप्त होने की अवधि होती है। संपत्ति एक्सएल संधि के लिए कवर सीमा समाप्त होने के रूप में रखी जाती है।

इस प्रकार, 2018-19 के लिए ओरिएंटल का पुनर्मिलन कार्यक्रम, व्यक्तिगत पोर्टफोलियो की आवश्यकताओं के अनुरूप बहुत आवश्यक स्वचालित क्षमता प्रदान करता रहा है।

हमारी आनुपातिक और गैर आनुपातिक संधि को सफलतापूर्वक आईआरडीएआई विनियमों के दायरे में वित्तीय रूप से सुदृढ़ और रेटेड प्रतिभूतियों के साथ रखा गया है।

8. कंपनी के वर्तमान विदेशी परिचालन दुबई, कुवैत और नेपाल में हैं। कतर में एक कार्यालय खोला गया है। कंपनी की सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय में विदेशी कार्यालयों का योगदान निम्न है। इसलिए विदेशी परिचालन के कारण जोखिम बहुत कम है।
9. दावों के निपटारे में दावों और प्रवृत्तियों की अवधि:

भारत में उत्कृष्ट दावों के अवधि-वार विश्लेषण और औसत दावों के निपटारे में रुझान अनुलग्नक 1 में दिए गए हैं।

Though in 2017-18, Indian Insurance market was fortunate to have been spared the occurrence of a Catastrophic loss event unlike previous years, there were few risk losses hitting the market. However, our Company did not have any loss impacting our Risk excess of loss. The marine XL has been impacted by loss, however the impact on Oriental will be to absolute net only at 7.5 crs.

Despite, increasing stress on placement of Treaties, in particular, on Proportional treaties and propensity of reinsurers to introduce stricter measures in view of continued losses in Indian Markets, the expiring treaty limits have continued thus preserving the automatic capacities. Additional capacities have been created in Liability portfolio as also in few other profitable lines of Miscellaneous class of business. The agriculture/crop quota share and stop loss reinsurance treaties have also been successfully placed to provide capacity and protection, thus providing impetus to crop department to exploit the potential in this growing class of business. For other lines of business, the limits are generally as expiring. The cover limits for Property XI treaties are maintained as expiring.

Thus, Oriental's Reinsurance Programme for 2018-19, continues to provide the much needed automatic capacity in line with the requirements of individual portfolios.

Our Proportional and Non Proportional Treaties have successfully been placed with financially sound and rated Securities within the ambit of IRDAI Regulations.

8. The present overseas operations of the Company are in Dubai, Kuwait and Nepal. An office at Qatar has been opened. The foreign offices' contribution to Gross Direct Premium income of the Company is not substantial. Therefore the risk exposure on account of the foreign operations is very minimal.
9. **Ageing of claims and trends in settlement of claims:**

Age-wise analysis of Outstanding Claims in India and trends in average claims settlement is given in Annexure 1.





10. स्टॉक और शेयर समेत सभी निवेशों के मूल्य आईआरडीए विनियमों के अनुसार हैं। भारत में सक्रिय रूप से कारोबार किए गए इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन मार्च के महीने में एनएसई में अंतिम उद्धृत बंद मूल्य पर किया जाता है, जिसे प्राथमिक एक्सचेंज के रूप में चुना जाता है और यदि ऐसी सिक्यूरिटी प्राइमरी एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं है/व्यापार न किया हो, तो इसका मूल्य भी बीएसई में मार्च के महीने में अंतिम उद्धृत समापन मूल्य पर जिसे सेकेंडरी एक्सचेंज के रूप में चुना गया हो।
11. पोर्टफोलियो के मामले में संपत्ति की गुणवत्ता और निवेश के प्रदर्शन की समीक्षा नीचे दी गई है:

10. The values of all investments including stock and shares have been arrived at in accordance with IRDA Regulations. The actively traded Equity shares in India, are valued at the last quoted closing price at NSE in the month of March which is selected as the Primary Exchange and in case such Security is not listed/not traded on the Primary Exchange, the same are valued at the last quoted closing price at BSE in the month of March which is selected as the Secondary Exchange.
11. A review of asset quality and performance of investment in terms of portfolios are given below:

विवरण	Particulars	निवेश (रुपये में करोड़) Investment (Rs. in Crores)	कुल निवेश के लिए प्रतिशत % to Total Investments	अर्जित प्रतिशत वित्तवर्ष 2017-18 Yield % FY 2017-18	अर्जित प्रतिशत वित्तवर्ष 2016-17 Yield % FY 2016-17	अर्जित प्रतिशत वित्तवर्ष 2015-16 Yield % FY 2015-16	अर्जित प्रतिशत वित्तवर्ष 2014-15 Yield % FY 2014-15	अर्जित प्रतिशत वित्तवर्ष 2013-14 Yield % FY 2013-14
सरकारी प्रतिभूतियां	Govt Securities	6,412.20	42.27	8.77	8.40	8.52	8.64	8.24
बांड और डिबेंचर	Bonds & Debenture	4,436.32	29.25	9.03	9.13	9.41	9.44	9.37
म्यूचुअल फंड और वेंचर फंड	Mutual Funds & Venture Funds	338.93	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ऋण	Loans	38.85	0.26	73.89	24.46	15.49	12.29	16.63
प्रक्रिया के कर्ता - धर्ता	Preference Shares	22.95	0.15	2.58	2.18	2.33	2.6	2.37
इक्विटी	Equity	2,928.83	19.31	9.28	10.05	9.86	9.34	9.78
मनी मार्केट इंस्ट्रुमेंट्स	Money Market Instruments	984.36	6.49	5.32	7.28	9.5	10.4	9.15
अल्पकालिक ऋण	Short Term Loan	6.18	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आवेदन धन	Application Money	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	<b>Total</b>	<b>15,168.63</b>	<b>100.00</b>	<b>8.66</b>	<b>8.72</b>	<b>9.1</b>	<b>9.12</b>	<b>8.92</b>

इक्विटी / म्यूचुअल फंड में उचित मूल्य परिवर्तन खाता नहीं माना जाता है।

Fair Value Change Account is not considered in Equity/Mutual Funds.

## 12. हम पुष्टि करते हैं कि:

## 12. We confirm that :

- (ए) वित्तीय विवरणों की तैयारी में, लागू लेखांकन मानकों, सिद्धांतों और नीतियों का पालन भौतिक प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ किया गया है, यदि कोई हो।
- (बी) प्रबंधन ने लेखांकन नीतियों को अपनाया है और उन्हें लगातार लागू किया है और निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और समझदार हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके। ऑपरेटिंग लाभ या हानि और वर्ष के लिए कंपनी के लाभ या हानि;

- (a) In the preparation of financial statements, the applicable accounting standards, principles and policies have been followed along with proper explanations relating to material departures, if any.
- (b) The management has adopted accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the operating profit or loss and of the profit or loss of the company for the year;





(सी) प्रबंधन ने परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) / कंपनी अधिनियम, 2013 (1956 का 1) के लागू प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा गया है। कंपनी के संपत्तियों की एवं धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पहचानने के लिए;

(डी) प्रबंधन ने एक सतत चिंता के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किए हैं;

(ई) प्रबंधन ने यह सुनिश्चित किया है कि व्यापार की आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली मौजूद है और प्रभावी ढंग से परिचालन कर रही है।

13. हम पुष्टि करते हैं कि व्यक्तियों, फर्मों, कंपनियों और संगठनों को कोई भुगतान नहीं किया गया है जिसमें कंपनी के निदेशक रुचि रखते हैं।

(c) the management has taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the applicable provisions of the Insurance Act, 1938(4 of 1938)/ Companies Act, 2013 (1 of 1956), for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

(d) the management has prepared the financial statements on a going concern basis;

(e) the management has ensured that an internal audit system commensurate with the size and nature of the business exists and is operating effectively.

13 We confirm that no payments have been made to individuals, firms, companies and organizations in which directors of the company are interested.

**(ए वी गिरिजाकुमार)**  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

**(A V GIRIJAKUMAR)**  
Chairman-cum-Managing Director

(अटुल जेरथ)  
महाप्रबंधक और एफए

(बलवंत सिंह)  
निदेशक

(ATUL JERATH)  
General Manager & FA

(BALWANT SINGH)  
Director

(सीए अजय गुप्ता)  
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(रश्मि बाजपेयी)  
कंपनी सचिव

(CA AJAY GUPTA)  
Chief Financial Officer

(Rashmi Bajpai)  
Company Secretary

जगह: नई दिल्ली  
दिनांकित: 17.05.2018

Place: New Delhi  
Dated: 17.05.2018





ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित रसीदें और भुगतान खाता (यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट)

**THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED**

**Consolidated Receipts and Payments Account (i.e. Cash Flow Statement) for the Year Ended 31.03.2018**

(₹.'000) (Rs.'000)

		31.03.2018	31.03.2017
ए ऑपरेटिंग गतिविधियों से कैश फ्लो	<b>A. Cash Flow from Operating Activities</b>		
1. अग्रिम रसीद सहित पॉलिसीधारकों से प्राप्त प्रीमियम	1. Premium received from Policyholders, including advance receipts	119551741	115655002
2. अन्य रसीदें (नेट)	2. Other receipts ( net )	1823306	1608987
3. पुनर्बीमाकर्ताओं को भुगतान, कमीशन और दावों का शुद्ध	3. Payment to reinsurers, net of commissions and claims	-1369918	-2372032
4. दावाकर्ताओं को भुगतान, दावों की वसूली का शुद्ध	4. Payment to coinsurers, net of claims recovery	-1781571	-11038818
5. दावों का भुगतान	5. Payment of claims	-95768027	-81630702
6. कमीशन और ब्रोकरेज का भुगतान	6. Payment of commission and brokerage	-7841613	-6456069
7. अन्य परिचालन खर्चों का भुगतान	7. Payments of other operating expenses	-31604271	-25445264
8. प्रारंभिक और पूर्व-संचालन व्यय	8. Preliminary and pre-operative expenses	0	0
9. जमा, अग्रिम और कर्मचारी ऋण	9. Deposits, advances and staff loans	-730039	517108
10. आयकर भुगतान (नेट)	10. Income taxes paid (net)	-662516	3350775
11. सेवा कर एकत्र / भुगतान (नेट)	11. Service Tax collected / paid (net)	3481589	1647653
12. अन्य भुगतान (नेट)	12. Other payments (net)	0	0
13. असाधारण वस्तुओं से पहले नकद प्रवाह	13. Cash flow before extraordinary items	-14901319	-4163360
14. असाधारण परिचालन से नकदी प्रवाह	14. Cash flow from extraordinary operations	0	0
15. ऑपरेटिंग गतिविधियों से नेट नकदी प्रवाह	<b>15. Net cash flow from operating activities</b>	<b>-14901319</b>	<b>-4163360</b>
निवेश गतिविधियों से बी कैश फ्लो	<b>B. Cash Flow from Investing Activities</b>		
1. निश्चित संपत्तियों की खरीद (नेट)	1. Purchase of fixed assets (net)	-1231709	-1628906
2. निश्चित संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय	2. Proceeds from sale of fixed assets	32906	39076
3. निवेश की खरीद	3. Purchase of investments	-29813078	-21912132
4. ऋण वितरित किया गया	4. Loans disbursed	0	0
5. निवेश की बिक्री	5. Sale of Investments	22512538	13067538
6. चुकोती प्राप्त की	6. Repayments received	8286785	10200620
7. किराए / ब्याज / लाभांश प्राप्त	7. Rents/Interests/Dividends received	12460228	11145149
8. मनी मार्केट इंस्ट्रुमेंट्स और तरल म्यूचुअल फंड (नेट) में निवेश	8. Investments in money market instruments & liquid mutual funds (net)	1779098	-2763017
9. निवेश से संबंधित व्यय	9. Expenses relating to investments	-50412	-43703
10. निवेश गतिविधियों से नेट नकदी प्रवाह	<b>10. Net cash flow from the investing activities</b>	<b>13976356</b>	<b>8104625</b>
सी वित्त पोषण गतिविधियों से कैश फ्लो	<b>C. Cash Flow from Financing Activities</b>		
1. शेयर पूंजी जारी करने से प्राप्त आय	1. Proceeds from issuance of share capital	0	0
2. उधार लेने से आय	2. Proceeds from borrowing	0	0
3. उधार लेने की चुकोती	3. Repayments of borrowing	0	0
4. ब्याज / लाभांश (वितरण कर सहित) भुगतान किया	4. Interest/dividends(including distribution tax) paid	0	-1444296
5. वित्त पोषण गतिविधियों से नेट नकदी प्रवाह	<b>5. Net cash flow from the financing activities</b>	<b>0</b>	<b>-1444296</b>







		31.03.2018	31.03.2017
डी। नकद और नकद समकक्षों (शुद्ध) पर विदेशी मुद्रा दरों का प्रभाव	D. Effect of foreign exchange rates on cash and cash equivalents (net)	904	-20973
ई। नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि (+) / कमी (-)	E. Net increase(+)/decrease(-) in cash and cash equivalents	-924059	2475996
1. वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष	1. Cash and Cash equivalents at the beginning of the year	23566410	21090414
2. वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष	2. Cash and Cash equivalents at the end of the year	22642351	23566410

नोट: (+) आकृति प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती है और (-) बहिर्वाह का प्रतिनिधित्व करती है

Note : (+) figure represents inflow and (-) represents outflow

एस मान एंड कं. के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
एफआरएन नं. 000075एन  
For S. MANN & CO.  
Chartered Accountants  
FRN NO. 000075N

एच.के. चौधरी एंड कंपनी के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
एफआरएन नं. 006154एन  
For H.K. CHAUDHRY & CO.  
Chartered Accountants  
FRN NO. 006154N

ए वी गिरिजाकुमार  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
A.V. GIRIJAKUMAR  
Chairman-cum-Managing Director

सीए सुभाष मान  
साझेदार  
एम.नं. 080500  
CA SUBHASH MANN  
Partner  
M.No. 080500

सीए मनीष बावेजा  
साझेदार  
एम. नं. 087384  
CA MONISH BAWEJA  
Partner  
M. No. 087384

बलवंत सिंह  
निदेशक और महाप्रबंधक  
BALWANT SINGH  
Director & General Manager

अटुल जेरथ  
महाप्रबंधक एवं वित्तीय सलाहकार  
ATUL JERATH  
General Manager & Financial Advisor

रश्मि बाजपेयी  
कंपनी सचिव  
एम. नं. एफसीएस 8799  
RASHMI BAJPAI  
Company Secretary  
M.No. FCS 8799

अजय गुप्ता  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
AJAY GUPTA  
Chief Financial Officer

स्थान: नई दिल्ली  
Place: New Delhi  
दिनांकित: 17.05.2018  
Dated : 17.05.2018

